हिमाचल प्रदेश सरकार
आर्थिक सर्वेक्षण
2021-22

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण
2021-22

आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग
हिमाचल प्रदेश

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करती है जो सरकार के कार्यक्रमों/पहलों तथा राज्य के बेहतर विकास की प्रगति को प्रतिबिंबित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण न केवल राज्य की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करने के भी अवसर प्रदान करता है, अपितु हमें भविष्य के अवसरों पर विचार–विमर्श करने में सक्षम बनाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 राज्य में पिछले एक वर्ष के दौरान हुई आर्थिक विकास की समीक्षा करता है और सभी प्रमुख क्षेत्रों–सामाजिक, कृषि, औद्योगिक, निर्माण, बैंकिंग, रोजगार तथा कीमतों इत्यादि का विश्लेषण और सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध करवाता है। इसमें 16 अध्याय सम्मिलित है, जो विभिन्न क्षेत्रों, खण्ड़ों एवं वर्गों के विकास के साथ–साथ उनकी समस्याओं और बाधाओं पर प्रकाश डालते हैं। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को लघु एवम् मध्यम अवधि में समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए और अपने नागरिकों के सामाजिक कल्याण के लिए नीति निर्माताओं द्वारा की गई पहलों को उजागर करता है।

अभूतपूर्व वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए इस सर्वेक्षण में राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर कोविड–19 के प्रभाव को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तथा महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है।

यह आशा की जाती है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 नीति निर्माताओं और कार्यक्रम प्रबंधकों को भविष्य में ऐसी नीतियां बनाने के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगा, जिससे उभरती हुई आवश्यकताओं एवम् प्रबल आर्थिक वृद्धि के लिए आधार प्रदान करने वाली रणनीतियां बनाई जा सके, साथ ही साथ ''दृष्टि–हिमाचल प्रदेश 2030 सतत विकास लक्ष्य'' में बताए गये लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

मैं सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सक्रिय योगदान और इस कार्य को करने के लिए निरन्तर दी गई प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद देता हूं जिनके बिना यह आलेख सुचारु रुप से समय पर प्रकाशित करना सम्भव नहीं होता।

मैं डॉ. अक्षई रुंचल (विश्लेषणात्मक और कम्प्यूटेशनल रिसर्च के संस्थापक और अध्यक्ष) के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने दस्तावेज के प्रारुप का सम्पादन और समीक्षा का कार्य किया।

मैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 को प्रकाशित करने के लिए आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं।

मुझे उम्मीद है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 एक समृद्ध हिमाचल प्रदेश की ओर हमारी यात्रा में, विशेष रूप से कोविड–19 के बाद, राज्य के विकास के बारे में विचार–विमर्श के लिए एक शुरुआती बिन्दु के रुप में सहायक सिद्ध होगा।

(प्रबोध सक्सेना), आई.ए.एस.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

आभारोक्ति

आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 राज्य सरकार के सभी विभागों के परस्पर सहयोग और मिल जुलकर किए गए प्रयासों का परिणाम है। यह कार्य विभिन्न व्यक्तियों एवं हितधारकों के सक्रिय समर्थन, सहयोग, मार्गदर्शन एवं योगदान द्वारा ही पूर्ण हो सका है। उनका योगदान सर्वाधिक सराहनीय है।

मैं श्री प्रबोध सक्सेना, आई.ए.एस., अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, कार्मिक, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी) और श्री अक्षय सूद, आई.ए.एस., सचिव (वित्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार को इस दस्तावेज़ को तैयार करने में मिले निरन्तर सहयोग, मूल्यवान मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन हेतु अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

मैं विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का इस दस्तावेज को तैयार करने में उनके सक्रिय समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूँ, जिसमें विशेष रूप से अनुपम कुमार शर्मा, चन्द्र मोहन शर्मा, बी.एस. बिष्ट, सुकीन दड़ोच, कुलविन्दर सिंह, सुरेश वर्मा, घनश्याम शर्मा, अलका ठाकुर, मृदुला सक्सेना, अश्वनी कुमार, राकेश कुमार, संजय शर्मा, गीतांजलि शर्मा, हरमिन्दर सिंह, रमा गुप्ता, और मधु बाला शामिल हैं।

मैं आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग के कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदान की गई प्रशासनिक सहायता के लिए विशेष रूप से उग्र सैन, अलौकिक शर्मा, लीला चौहान, धर्मेन्द्र कुमार, तनु शर्मा और सुनील का आभार व्यक्त करता हूँ ।

मैं हिमाचल प्रदेश प्रिटिंग प्रैस का भी आभारी हूं जिसने सर्वेक्षण को अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण में निर्धारित समय सीमा में प्रकाशित करने का कार्य किया है।

मैं अन्त में, परन्तु कम न आंकते हुए डॉ. अक्षई रुंचाल (विश्लेषणात्मक और कम्प्यूटेशनल रिसर्च, के संस्थापक और अध्यक्ष) के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस दस्तावेज का सम्पादकीय कार्य किया।

इस आभारोक्ति में सभी का उल्लेख करना सम्भव नहीं है जिन्होंने हमें अपना सहयोग इस आर्थिक सर्वेक्षण को संकलित करने में दिया है। मैं उन सभी का ईमानदारी से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस सामूहिक प्रयास में अपना योगदान दिया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 दो भागों में प्रस्तुत किया जा रहा है। **भाग–I** में सरकारी विभागों की नीतियां, कार्यक्रम तथा उपलब्धियां शामिल हैं तथा **भाग–II** में सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध हैं।

नीति निर्माता, योजनाकार, शिक्षाविद्ध और विद्यार्थी इस सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं जिनकी सुविधा के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इस प्रकाशन को www.http://himachalservices.nic.in/economics/in पर उपलब्ध करवाया गया है। मैं इस सर्वेक्षण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए बहुमूल्य टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करता हूँ।

(डा. विनोद कुमार राणा)
आर्थिक सलाहकार,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

भाग – I

आर्थिक सर्वेक्षण
2021–22

विषय–सूची

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	
	आभारोक्ति	
	कार्यकारी सारांश	i-viii
1	**सामान्य समीक्षा**	**1–12**
	दीर्घकालीन दृष्टिकोण	**1**
	अवलोकन : भारतीय अर्थव्यवस्था	**2**
	अवलोकन : हिमाचल प्रदेश अर्थव्यवस्था	**4**
2	**राज्य की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त व कराधान**	**13–24**
	राज्य की अर्थव्यवस्था	**13**
	स्थिर कीमतों (2011–12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान	**13**
	प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान	**16**
	प्रति व्यक्ति आय	**17**
	संभावनाएं– 2020–21	**18**
	सार्वजनिक वित्त एवं कराधान	**19**
	राजकोषीय स्थिति व मापदण्ड	**19**
	राजस्व प्राप्तियां	**19**
	राजस्व व्यय की संरचना	**22**
3	**कोविड–19 का हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और सुधार**	**25–36**
	भूमिका	**25**
	कोविड–19 का राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	**28**
	कोविड–19 के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिक्रिया	**33**
4	**सतत विकास लक्ष्य तथा राज्य में सुशासन के लिए पहल**	**37–47**
	परिचय	**37**
	सुशासन सूचकांक	**42**
	जिला सुशासन सूचकांक	**43**
	राज्य के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम.पी.आई.) की स्थिति	**46**

5	**संस्थागत एवं बैंक वित्त**	**48–61**
	परिचय	48
	वित्तीय समावेशन पहल	50
	वार्षिक जमा योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन	53
	सरकारी प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन	54
	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक	56
	नाबार्ड (NABCONS) की परामर्श सेवाएं	61
6	**मूल्य संचलन और खाद्य प्रबंधन**	**62–80**
	परिचय	62
	मुद्रास्फीति में वर्तमान रुझान	63
	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) मुद्रास्फीति	63
	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	67
	थोक मूल्य सूचकांक	69
	थोक मुद्रास्फीति के संचालक	72
	आवष्यक वस्तु की कीमतों में परिवर्तनशीलता	75
	खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति	76
	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	78
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन.एफ.एस.ए.) का कार्यान्वयन	80
7	**कृषि, बागवानी, पशुपालन और सम्बद्ध सेवाएं**	**81–118**
	परिचय	81
	मानसून 2021	83
	फसल निष्पादन 2020–21	84
	फसल संभावनाएं 2021–22	85
	खाद्यान्न उत्पादन का विकास	86
	फसल बीमा योजना	88
	बागवानी	94
	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	98
	पशुपालन और डेरी	100
	राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आर.जी.एम.)	103
	पशुगणना	107
	दूध पर आधारित उद्योग	107
	मत्स्य एवं जलचर पालन	110
	वन	112
	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	116
	कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का अवलोकन	118

8	**जल संसाधन प्रबंधन तथा पर्यावरण**	**119—129**
	जल जीवन मिशन (जे.जे.एम)	119
	सिंचाई	121
	पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	122
	राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ	123
	राज्य स्तरीय पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार	128
9	**उद्योग और खनन**	**130—144**
	परिचय	130
	ईज ऑफ डूइंग बिजनेस	130
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	132
	हिमाचल प्रदेश में औद्योगीकरण की स्थिति	134
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की हिमाचल में स्थिति	134
	खादी और ग्रामोद्योग आयोग	135
	हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	137
	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	138
	औद्योगिक क्षेत्र का रूझान	142
	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	143
10	**श्रम और रोजगार**	**145—160**
	परिचय	145
	भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार	147
	कौशल विकास भत्ता योजना	147
	रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना	148
	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	149
	प्रधानमंत्री कौषल विकास योजना	152
	रोजगार परिदृश्यः हिमाचल प्रदेश, पड़ोसी राज्य और भारत	153
	हिमाचल प्रदेश में लेबर फोर्स	154
	श्रमिक जनसंख्या अनुपात	156
	बेरोजगारी दर	158
11	**ऊर्जा**	**161—174**
	परिचय	161
	ऊर्जा निदेशालय	162
	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड	164
	पनबिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन	166
	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटिड	167
	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटिड	170
	हिमऊर्जा	172

	सौर प्रकाषवोल्टिय ऊर्जा संयंत्र/परियोजनाएं	173
12	**पर्यटन और परिवहन**	**175—190**
	पर्यटन	175
	हिमाचल प्रदेश में सतत पर्यटन	177
	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	178
	हिमाचल प्रदेष पर्यटन सैटेलाइट एकाउंट	179
	सड़कें तथा पुल (राज्य क्षेत्र)	183
	हिमाचल पथ परिवहन निगम	188
13	**सामाजिक क्षेत्र**	**191—237**
	शिक्षा	191
	प्राथमिक शिक्षा	195
	राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं	195
	हर घर पाठशाला	197
	वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा	198
	उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राज्य/केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं	199
	सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा	203
	समग्र शिक्षा	203
	तकनीकी शिक्षा	207
	ऐजूकेशन सैटेलाईट खाते, 2017—18 हिमाचल प्रदेश	210
	स्वास्थ्य	213
	राज्य में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रम	214
	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	215
	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा हामोपैथिक	218
	हर्बल संसाधनों का विकास	220
	कोविड टीकाकरण की स्थिति	220
	हैल्थ सैटलाईट खाते, 2017—18 हिमाचल प्रदेश	225
	स्वास्थ्य सूचकांक —हिमाचल प्रदेश की स्थिति	227
	समाज कल्याण कार्यक्रम	229
	अनुसूचित जाति/जन—जाति पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण	231
	हिमाचल प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र के खर्च के प्रवाह	235
14	**ग्रामीण विकास और पंचायती राज**	**238—250**
	ग्रामीण विकास	238
	वाटरशैड विकास कार्यक्रम	243
	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	244

	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	**246**
	पंचायती राज	**249**
15	**आवास और शहरी विकास**	**251—259**
	आवास	**251**
	शहरी विकास	**251**
	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	**254**
	नगर एवं ग्राम योजना	**256**
	रियल इस्टेट नियामक अधिनियम	**258**
	भवन निर्माण लागत सूचकांक	**258**
16	**सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी**	**260—265**
	हिमस्वान	**260**
	हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर	**260**
	मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन@1100	**261**
	कोविड—19 एप्लिकेशन	**263**
	परिवर्णी शब्द	**266—278**
	शब्दावली	**279—283**

कार्यकारी सारांश

राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 सभी क्षेत्रों–सामाजिक, कृषि, औद्योगिक, निर्माण, बैंकिंग, रोजगार, मूल्य आदि के विस्तृत सांख्यिकीय आंकडों का विश्लेषण करके पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य में आर्थिक विकास की समीक्षा करता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों और भूभागों के विकास के साथ–साथ उनकी समस्याओं और बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले सोलह अध्याय शामिल हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ क्षेत्रों में शुरू किए गए सुधारों और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अब तक किए गए उपायों और आने वाले दशकों में विकास को बढ़ाने और समानता सुनिश्चित करने के लिए लंबित चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। प्रत्येक अध्याय का संक्षिप्त सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय–1 यह अध्याय देश और राज्य की अर्थव्यवस्था का व्यापक अवलोकन करता है। यह सार्वजनिक सेवाओं के वितरण की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है। राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर कीमतों (2011–12) पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2020–21 के लिए ₹135.58 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि वर्ष 2019–20 में यह ₹145.16 लाख करोड़ था जो 2020–21 के दौरान 6.6 प्रतिशत का संकुचन दर्शाता है। वर्ष 2020–21 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान ₹198.01 लाख करोड़ है, जबकि वर्ष 2019–20 में ₹200.75 लाख करोड़ था। वर्ष 2021–22 के लिये अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत होने की संभावना है। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 2020–21 में ₹1,26,855 अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 2019–20 के लिए ₹1,32,115 थी।

राज्य स्तर पर, वर्ष 2020–21 में स्थिर कीमतों (2011–12) पर सकल घरेलू उत्पाद 5.2 प्रतिशत के संकुचन के साथ वर्ष 2019–20 में ₹1,21,168 करोड़ के मुकाबले ₹1,14,814 करोड होने का अनुमान है। वर्तमान कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, वर्ष 2020–21 में ₹1,56,675 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2019–20 में ₹1,59,162 करोड़ रुपये था। वर्ष 2020–21 के लिए वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019–20 के ₹1,85,728 की तुलना में ₹1,83,333 अनुमानित है।

अध्याय–2 यह हिमाचल की अर्थव्यवस्था का एक अवलोकन दर्शाता है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के तुलनात्मक महत्व और प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। अग्रिम अनुमान बताते हैं कि वर्ष 2020–21 राज्य की अर्थव्यवस्था में संकुचन के बाद वर्ष 2021–22 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वास्तविक रूप

में सकल घरेलू उत्पाद में पूर्व–कोविड और कोविड के बाद में वर्ष 2019–20 से 2021–22 में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले 8 वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत थी। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के उत्पादन ने पूर्व–महामारी के स्तर को पार कर लिया है। वर्ष 2021–22 में स्थिर कीमतों (2011–12) पर सकल घरेलू उत्पाद या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान ₹1,24,400 करोड़ है, जबकि वर्ष 2020–21 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अस्थायी अनुमान ₹1,14,814 करोड़ है। वर्ष 2021–22 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान ₹1,75,173 करोड़ है, जबकि वर्ष 2020–21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अस्थायी अनुमान ₹1,56,675 करोड़ है।

वर्ष 2020–21 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय ₹2,01,854 होने का अनुमान है जोकि अनुमानित राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से ₹51,528 अधिक है। वर्ष 2021–22 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 10.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं और वर्ष 2021–22 में इस क्षेत्र में 8.7 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जी.वी.ए.) वर्ष 2021–22 में 11.0 प्रतिशत तक बढ जाएगा, जो वर्ष 2020–21 में 7.3 प्रतिशत संकुचित हुआ था। सेवा क्षेत्र महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वर्ष 2021–22 के दौरान इस क्षेत्र के 6.3 प्रतिशत बढने का अनुमान है।

पर्यटन, राजस्व और विविध रोजगार के अवसरों के सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान घरेलू और साथ ही विदेशी पर्यटकों की आमद में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, लेकिन कोविड–19 के प्रभाव के कारण वर्ष 2020 में पर्यटकों के आगमन में 81 प्रतिशत की तीव्र कमी आई थी। हालांकि, दिसंबर 2021 तक पर्यटकों की आमद में 75.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान के अनुसार, कुल राजस्व प्राप्तियां ₹37,028 करोड़ रहने का अनुमान है। जबकि 2020–21 के संशोधित अनुमान में यह ₹35,588 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग ने ₹6,886.13 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न मदों के तहत ₹7,044.24 करोड़ कर एकत्र किए जो तय लक्ष्य से 2.30 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, (दिसंबर 2021 तक) विभाग ने विभिन्न मदों के तहत ₹6,232.24 करोड कर एकत्र किए हैं, जबकि वार्षिक लक्ष्य ₹6,964.84 करोड़ का था।

बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2021–22 के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.14 प्रतिशत होने का अनुमान है जो 2020–21 के संशोधित

अनुमानों में 22.71 प्रतिशत थी। इसी तरह, वर्ष 2021–22 के लिए कर राजस्व राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 8.45 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2020–21 के दौरान यह 7.86 प्रतिशत था। गैर–कर राजस्व वर्ष 2020–21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.45 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2021–22 में 1.57 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 में राजकोषीय घाटे का अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.45 प्रतिशत है, जबकि वर्ष 2020–21 में यह 4.11 प्रतिशत था। वर्ष 2021–22 में राज्य का कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.65 प्रतिशत, राजस्व व्यय 21.97 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय 3.43 प्रतिशत अनुमानित है।

अध्याय–3 में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के कोविड –19 प्रभाव और सुधार पर चर्चा की गई है। भारत पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों के साथ–साथ मानव जीवन के नुकसान के मामले में काफी हद तक विघटनकारी रहा है। लगभग सभी क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि घरेलू मांग और निर्यात में भारी कमी आई परंतु कुछ उल्लेखनीय अपवाद भी थे जहां उच्च वृद्धि देखी गई थी। हिमाचल प्रदेश ने भी, अन्य राज्यों की तरह, लॉकडाउन और कई अन्य प्रतिबंधों का सहारा लिया, जिससे लोगों की आवाजाही पर अंकुश लगा, जिसके परिणामस्वरूप जी.एस.डी.पी. में संकुचन हुआ। अंततः कई आर्थिक गतिविधियों के खुलने के बाद, जी.एस.डी.पी. ने उन सभी क्षेत्रों में 'V' आकार की रिकवरी शुरू कर दी है, जिनमें लॉकडाउन के कारण सबसे अधिक संकुचन देखा गया था। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक पर्यटकों का आगमन होता था, जिसमें भारी गिरावट भी देखी गई, लेकिन लॉकडाउन में ढील के बाद, पिछले वर्ष की तुलना में 75.43 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

अध्याय–4 सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.), सुशासन और बहुआयामी गरीबी सूचकांक में राज्य के प्रदर्शन की व्याख्या करता है। एस.डी.जी. में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और पर्यावरण सहित सभी प्रमुख विकास क्षेत्रों को शामिल किया गया है और उन्हें प्राप्त करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में सबसे आगे है। इसने स्थायी लक्ष्यों के आकलन में लगातार शीर्ष स्थान हासिल किया। हालांकि सभी संकेतकों में, हिमाचल प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन उसने सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में शीर्ष स्थान हासिल किया, लेकिन एस.डी.जी.–2 में हिमाचल ने सबसे कम स्कोर हासिल किया जो कि जीरो हंगर है। एस.डी.जी.–2 में तीन संकेतक हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश को ध्यान देने की आवश्यकता हैः कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत, बौने बच्चों का प्रतिशत और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत। राज्य ने वर्तमान एस. डी.जी. 3.0 में तमिलनाडु के साथ समग्र रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। सुशासन सूचकांक एस.डी.जी. के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है जिसमें हिमाचल प्रदेश को उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में आँका गया है।

सरकार की जनता तक पहुंच का आंकलन करने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए, राज्य में 2019 से जिला सुशासन सूचकांक (डी.जी.जी.आई.) को वार्षिक अभ्यास बनाया गया है। डी.जी.जी.आई.–2020 की रैंकिंग में हमीरपुर शीर्ष स्थान पर रहा और दूसरा स्थान बिलासपुर ने अर्जित किया ।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम.पी.आई.) के संदर्भ में, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर 0.118 प्रतिशत एम.पी.आई. की तुलना में 0.03 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर 25.01 प्रतिशत हेड काउंट की तुलना में राज्य में सिर्फ 7.62 प्रतिशत हेड काउंट अनुपात है।

अध्याय–5 वित्तीय क्षेत्र में उपलब्धियों पर केंद्रित है। राज्य में 2,244 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है, जिनमें से 76 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अक्टूबर, 2020 से सितंबर, 2021 तक 13 नई शाखाएँ खोली गईं। वर्तमान में 1,715 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 414 अर्ध–शहरी क्षेत्रों में और 115 (शिमला) शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानदंड के मुकाबले सितंबर, 2021 तक बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में कृषि ऋण का भाग 19.47 प्रतिशत है। कमजोर वर्गों और महिलाओं को दिए गए अग्रिमों का अनुपात बैंकों द्वारा कुल अग्रिमों में क्रमशः 10 और 5 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानदंड के मुकाबले 17.75 और 10.48 प्रतिशत रहा। सितंबर, 2021 तक राज्य में बैंकों का ऋण जमा अनुपात (सी.डी.आर.) 38.28 प्रतिशत था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) के तहत, बैंकों के पास सितम्बर, 2021 तक 15.72 लाख ग्राहक हैं।

अध्याय–6 मूल्य विचलन और खाद्य प्रबंधन पर चर्चा करता है। हिमाचल प्रदेश में, मुद्रास्फीति 2014 से मध्यम रही है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – संयुक्त (सी.पी.आई.–सी.) के आधार पर मुद्रास्फीति 2016–17 में 4.6 प्रतिशत और 2020–21 में 5.2 प्रतिशत थी। चालू वित्त वर्ष में, अप्रैल–दिसंबर, 2021 के दौरान, सी.पी.आई.–सी. 6.0 प्रतिशत रहा, जबकि 2020–21 में इसी अवधि के लिए 5.3 प्रतिशत था। वर्ष 2021–22 में, अप्रैल–दिसंबर 2021 के दौरान, सी.पी.आई. –ग्रामीण और सीपीआई–शहरी सूचकांक के अधार पर मुद्रास्फीति क्रमशः 6.1 और 5.2 प्रतिशत रही, जबकि 2020–21 की इसी अवधि में यह 4.8 और 7.6 प्रतिशत थी।

अध्याय–7 कृषि, बागवानी, पशुपालन और संबद्ध क्षेत्रों के प्रदर्शन पर चर्चा करता है। राज्य के सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्तमान कीमतों पर 2016–17 में 15.33 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 12.44 प्रतिशत हो गई है, यह विकास प्रक्रिया का एक स्वाभाविक परिणाम है कि अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण गैर–कृषि क्षेत्रों में तेजी को बल मिलता है। हालांकि, ग्रामीण आबादी की आजीविका और बड़ी आबादी की खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि का स्थान अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। वर्ष 2019–20 में खाद्यान्न उत्पादन 15.94 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 2020–21 में 15.28 लाख

मीट्रिक टन रहा। वर्ष 2020–21 में आलू का उत्पादन 1.96 लाख मीट्रिक टन रहा, जो 2019–20 में 1.97 लाख मीट्रिक टन था। वर्ष 2020–21 के दौरान सब्जियों का उत्पादन 18.67 लाख मीट्रिक टन रहा, जबकि 2019–20 में यह 18.61 लाख मीट्रिक टन था। वर्ष 2020–21 के दौरान प्रमुख पशुधन उत्पादों का योगदान 15.76 लाख टन दूध, 1,482 टन ऊन, 1,111 मिलियन अंडे और 4,306 टन मांस का था, जो कि वर्ष 2021–22 के दौरान 16.54 लाख टन दूध, 1,500 टन ऊन, 1100 मिलियन अंडे और 4,500 टन मांस उत्पादित होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 37,947 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन आवरण के अधीन आता है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 68.16 प्रतिशत है। वर्तमान में प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 28.60 प्रतिशत क्षेत्रफल वनों के अधीन आता है।

अध्याय–8 सुरक्षित पेयजल, सिंचाई सुविधाएं और पर्यावरण संरक्षण प्रदान करने में राज्य सरकार के प्रदर्शन का विवरण प्रस्तुत करता है। दिसंबर, 2021 तक 17.28 लाख घरों में से 15.80 लाख घरों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए है। हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय औसत 45.50 प्रतिशत के मुकाबले 91 प्रतिशत परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदान किए हैं।

अध्याय–9 औद्योगीकरण और निवेश पहल की स्थिति पर केंद्रित है। राज्य में उद्योग एक विकसित क्षेत्र है जिसका पिछले 4 वर्षों के दौरान औसत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस. डी.पी.) में योगदान लगभग 30 प्रतिशत है। 2018–19 में स्थिर कीमतों पर विनिर्माण क्षेत्र के जीएसवीए की वृद्धि दर 10.1 प्रतिशत थी और 2019–20 में 0.88 प्रतिशत की घटती दर से बढी है। वर्ष 2020–21 में –7.33 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दिखाने के बाद वर्ष 2021–22 में 11.3 प्रतिशत की दर से बढने की संभावना है। राज्य में 31.01.2022 तक, उद्यम पोर्टल पर 33,094 उद्यमों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 31,217 सूक्ष्म, 1,637 लघु और 240 मध्यम उद्यम हैं। राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति 2004 में संशोधन किया और हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश विकास नीति–2019 और हिमाचल प्रदेश में निवेश को बढाने के लिए प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में नियम–2019 अधिसूचित किए ताकि उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बन सके व सतत समावेशी विकास के साथ–साथ ऐसे उद्योगों को बढावा दिया जा सके जो आय और रोजगार के अवसर पैदा करते हों। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में सरकार ने ₹96,720.88 करोड़ के प्रस्तावित निवेश और 1,96,800 व्यक्तियों के प्रस्तावित रोजगार के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 703 समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए।

अध्याय–10 में 2019–20 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया है। इससे पता चलता है कि श्रम बल भागीदारी दर 2018–19 में 52.8

प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 में 57.7 प्रतिशत हो गई है। नवीनतम पी.एल.एफ.एस. रिपोर्ट 2019–20 के अनुसार राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर में 2018–19 के 44.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 50.3 प्रतिशत हो गई जो कि उल्लेखनीय है। समग्र कार्यबल भागीदारी दर भी 2018–19 के 50.1 प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 में 55.6 प्रतिशत हो गई। राज्य में बेरोजगारी दर 2018–19 में 5.2 प्रतिशत से घटकर 2019–20 में 3.7 प्रतिशत हो गई है।

अध्याय–11 विद्युत क्षेत्र में राज्य द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डालता है। हिमाचल प्रदेश में 27,436 मेगावाट (एम. डब्ल्यू) की अनुमानित जलविद्युत क्षमता है, जिसमें से लगभग 24,567 मेगावाट को दोहन योग्य आंकलित किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति–2021 को अधिसूचित किया है, जिसमें 2030 तक पूर्ण ऊर्जा क्षमता विशेष रूप से हाइड्रो और सोलर के दोहन से स्वच्छ और हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है और जल, सौर और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त 10,000 मेगावाट हरित ऊर्जा का लक्ष्य रखा है।

अध्याय–12 पर्यटन और परिवहन क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डाला गया। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 7 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश एक तेजी से बढ़ता पर्यटन स्थल है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग में 4,011 पर्यटन इकाइयां, 828 रेस्तरां, 4,400 ट्रैवल एजेंट और 2,934 होम–स्टे पंजीकृत हैं। पर्यटन सैटलाइट खातों के अनुसार, राज्य जी.वी.ए. में पर्यटन का कुल हिस्सा 7.53 प्रतिशत और राज्य में रोजगार के अन्तर्गत् कुल हिस्सेदारी 14.42 प्रतिशत अनुमानित है। राज्य सरकार ने लगभग एक नए सिरे से शुरुआत करते हुए दिसंबर, 2021 तक 40,020 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कों का निर्माण किया है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 785 किलोमीटर की लंबाई के 5 राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रखरखाव किया है और सीमा सड़क संगठन ने 569 किलोमीटर के 3 राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रखरखाव भी किया है।

अध्याय–13 राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण क्षेत्रों की स्थिति तथा हिमाचल प्रदेश में सामाजिक क्षेत्रों में किए गए व्यय का रुझान दर्शाया गया है। इस सर्वेक्षण में शिक्षा रिर्पोट की वार्षिक स्थिति (ASER), 2021 के अनुसार बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में नामांकन का प्रतिशत 2020 से 2021 में 6.8 प्रतिशत से बढ़ा है। लड़कियों का नामांकन में लड़कों की 6.2 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा इसी आयु वर्ग में 2020 से 2021 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कोविड–19 महामारी द्वारा हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे का भी परीक्षण हुआ। महामारी द्वारा बीमारी को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र की अंतर्निहित शक्तियों का प्रदर्शन

हुआ। हिमाचल प्रदेश में कोविड–19 रोगियों के स्वास्थ्य देखभाल हेतु ऑक्सीजन सिलेण्डर व ऑक्सीजन सम्बन्धित विविध सामग्री का समय–समय पर प्रबन्धन कर कोविड समर्पित गुणवत्तापूर्ण सुविधा प्रदान की गई। राज्य में कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया 16 जनवरी, 2021 से प्रारम्भ की गई और 30 जनवरी, 2022 को कोविड पोर्टल के अनुसार कुल 1,19,20,817 खुराकें दी गई, जिसमें से पहली खुराक 62,77,737 और दूसरी 55,51,179 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 91,901 एहतियात खुराक भी दी गई।

हिमाचल में सामाजिक सेवा क्षेत्र पर व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य) पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रुप में व्यय, वर्ष 2016–17 के 8.48 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 9.72 प्रतिशत हो गया। जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में व्यय वर्ष 2016–17 के 4.17 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 4.72 प्रतिशत हो गया तथा इसी अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय 1.42 प्रतिशत से बढ़कर 1.70 प्रतिशत हो गया। कुल बजट व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय का भाग वर्ष 2021–22 में बढ़कर 33.91 प्रतिशत हो गया जो कि वर्ष 2016–17 में 29.52 प्रतिशत था।

अध्याय–14 ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डाला। प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.–जी.) के तहत, 2021–22 में भारत सरकार ने 3,514 घरों का लक्ष्य आवंटित किया है, जिसमें से विभाग ने 1,620 घरों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2021–22 में ₹20.93 करोड़ का बजट प्रावधान है और सभी श्रेणियों के 1,257 घरों के निर्माण का प्रस्ताव है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अन्तर्गत् 2021–22 के दौरान ₹857.59 करोड़ खर्च किए गए है और 6,06,182 परिवारों को रोजगार प्रदान करते हुए 255.73 लाख मानव–दिवसों का सृजन किया गया है।

अध्याय–15 आवास और शहरी विकास क्षेत्र की स्थिति एवं प्रगति पर प्रकाश डाला गया। वर्ष 2021–22 के दौरान हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण ने विभिन्न निर्माण कार्यों के माध्यम से 6,61,330 मानव–दिवस सृजित किए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 16.05. 2020 को मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (MMSAGY) की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को 120 दिनों की गारंटीड मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाना है और इस योजना के अन्तर्गत् पंजीकृत परिवारों के सभी वयस्क सदस्य काम करने के पात्र होंगे।

अध्याय–16 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विकास पर प्रकाश डाला गया है। आई.टी. विभाग ने प्रशासन और नागरिकों के दिन–प्रतिदिन के क्रियाकलापों के सुचारु रुप से संचालन की सुविधा के लिए विभिन्न आई.टी. एप्लीकेशन और समाधानों को विकसित और कार्यान्वित किया। राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर सूचना एकत्र करने, निगरानी और निर्णय लेने के साथ–साथ कार्यालय में कुशल तरीके से काम करने के लिए विभाग द्वारा प्रदान किए गए

प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग कर रही है। क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ कई सरकारी बैठकें वर्चुअल मोड द्वारा आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान, एच.पी.एस.डी.सी. क्लाउड में 17 नई एप्लिकेशन/वेबसाइट होस्ट के साथ कुल संख्या 187 हो गई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) ने महामारी के दौरान, विशेष रुप से नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करते हुए सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों की संख्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सामान्य समीक्षा

1
अध्याय

1.1 दीर्घकालीन दृष्टिकोण

भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए सरकार के रणनीतिक कार्यक्रमों और नीतियों को लागू कर रहे हैं। आर्थिक नीति निर्माण के लिए सरकार (उर्ध्वगामी) नीचे से ऊपर की ओर प्रक्रियाऐं जो जनता की जरूरतों को पूरा करती है, उपयोग कर रही है। कोविड–19 महामारी ने 2020 में सदी में विरले ही उत्पन्न होने वाले वैश्विक संकट का निर्माण किया। महामारी की शुरुआत में अभूतपूर्व अनिश्चितता का सामना करना पड़ा जिसके लिए भारत ने लंबे समय में लाभ के लिए अल्पकालिक दर्द के नजरिए से जीवन और आजीविका को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। भारत की प्रतिक्रिया इस मानवीय सिद्धांत से ऊपजी है कि अर्थव्यवस्था एक तीव्र लॉकडाउन के अस्थायी झटके से तो उभर जाएगी, लेकिन खोया हुआ मानव जीवन वापिस नहीं लाया जा सकता है।

पिछले दो साल कोविड–19 महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहे हैं। संक्रमण की बार–बार लहरें, आपूर्ति–श्रृंखला में व्यवधान और, हाल ही में मुद्रास्फीति ने नीति–निर्माण के लिए चुनौतीपूर्ण समय पैदा किया है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए, भारत सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया समाज के कमजोर वर्गों और व्यापार क्षेत्र पर प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षा चक्र बनाने की रही। सरकार ने मध्यम अवधि की मांग को वापस लाने के लिए बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ–साथ अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक विस्तार करने के लिए आक्रामक रूप से आपूर्ति–पक्ष उपाय किए।

कोविड–19 महामारी के दो साल के दौरान इसकी नई लहरों, आपूर्ति– श्रृंखला सतत और उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बढती महंगाई के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता से त्रस्त रही। इसके अलावा, अगले वर्ष के दौरान प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा तरलता की संभावित वापसी से भी वैश्विक पूंजी प्रवाह अधिक अस्थिर हो सकता है। इस संदर्भ में, भारत में विकास पुनरुद्धार की गति के साथ–साथ विस्तृत–आर्थिक स्थिरता संकेतकों दोनों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। टीकाकरण में प्रगति को देखना भी आवश्यक है क्योंकि यह न केवल एक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया है, बल्कि बार–बार महामारी की लहरों के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों के खिलाफ एक प्रतिरोध भी है।

टीकाकरण केवल एक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया ही नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए भी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से संपर्क–गहन सेवाओं के लिए। इसलिए, इसे अभी के लिए एक व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में माना जाना चाहिए। टीकाकरण अभियान के एक वर्ष में भारत ने 16 फरवरी, 2022 तक 173.86 करोड़ खुराकें दी हैं, जिसमें 90.6 करोड़ लोगों

को कम–से–कम एक खुराक और 74.5 करोड़ लोगों को दोनों खुराकें दी गयी हैं। देश में स्वास्थ्य सेवा, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों को कोविड–19 वैक्सीन की एहतियाती खुराक का टीकाकरण और 15–18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण प्रक्रिया भी गति पकड़ रही है।

भारत की एक और प्रतिक्रिया मांग प्रबंधन पर पूर्ण निर्भरता के बजाय आपूर्ति पक्ष सुधारों पर जोर देना है। इन आपूर्ति–पक्ष सुधारों में कई क्षेत्रों का विनियमन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, और पूर्वप्रभावी कर पुराने मुद्दों को हटाना, जैसे निजीकरण, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन आदि शामिल हैं।

आर्थिक पुनरूत्थान भारत सरकार की प्रमुख प्रमुखताओं में से एक है। इस ओर किए गए प्रयासों में "मेक इन इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया" और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" शामिल है। डिजीटल प्रौद्योगिकी इस वर्ष सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र रहा जिससे हम इस वैश्विक महामारी के विनाशकारी प्रभाव से ऊभर सके। भारत सरकार मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके अनुकूल वातावरण बना रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाने के लिए जो नीतिगत फैसले लिऐ गए, वह भारत को दुनिया में अद्वितीय बनाता है। वैश्विक महामारी में भारत की मानव केंद्रित प्रतिक्रिया जो भारत की विशेष संवेदनशीलताओं के अनुरूप है, ने अत्यंत गहन अनिश्चितता में आत्मविश्वास जगाने की शक्ति प्रदर्शित की। भारत ने जीवन और आजीविका के बीच अल्पकालिक अदला–बदली में दीर्घावधि विजेता बनते हुए जीवन और आजीविका दोनों को बचा लिया। कल्पना और दूरदर्शिता के साथ भारत ने इस संकट को अवसर में बदल कर अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया और सुधारों से अर्थव्यवस्था की दीर्घावधि विकास की संभाव्यता को बल दिया। केन्द्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के विकास और विस्तार में मद्द के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अन्य प्रयास में कुशल वित्तीय मध्यस्थता, विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थिरता हेतु देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरु किए गए हैं।

1.2 अवलोकन: भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था में निरंतर गिरावट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वृद्धि को काफी हद तक निरन्तर जारी रखा है। यह स्थिरता प्रभावी घरेलू व विदेशी नीतियों व सुशासन के फलस्वरुप है जिसके कारण अर्थव्यवस्था के विकास को बल मिला। विभिन्न सुधारों के फलस्वरुप भारतीय अर्थव्यवस्था में सत्त वृद्धि हुई है और शुद्ध सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि पिछले 4 वर्षों (2016 के बाद) से औसत 6.4 प्रतिशत के साथ उच्च रही।

खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं, निर्माण, व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण और अन्य

सेवाओं से संबंधित सेवाओं में ऋणात्मक वृद्धि का अनुभव करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण वर्ष 2019–20 की तुलना में 6.6 प्रतिशत का संकुचन दिखा रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020–21 में 6.6 प्रतिशत के संकुचन के साथ ₹135.58 लाख करोड़ आंका गया है जोकि वर्ष 2019–20 में ₹145.16 लाख करोड़ था। वर्ष 2020–21 के प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान है ₹198.01 लाख करोड़ आंका गया है जबकि वर्ष 2019–20 में यह ₹200.75 लाख करोड़ था, जो वर्ष 2020–21 के दौरान 1.4 प्रतिशत का संकुचन दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थिर भाव (आधार 2011–12) पर सकल मूल्य संवर्धन में वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020–21 में 4.8 प्रतिशत का संकुचन देखा गया। इस संकुचन का मुख्य कारण खनन और उत्खनन (–8.6 प्रतिशत), विनिर्माण (–0.6 प्रतिशत), विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता (–3.6 प्रतिशत), निर्माण (–7.3 प्रतिशत), व्यापार, होटल और रेस्तरा (–22.4 प्रतिशत), परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण (–15.3 प्रतिशत) और अन्य सेवाओं (–11.5 प्रतिशत) में ऋणात्मक वृद्धि रही।

सारणी 1.1 : स्थिर कीमतों पर सकलमूल्य सवर्धनवृद्धि (आधार वर्ष 2011–12)

उद्योग	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि दर	
	2019–20	2020–21
1. कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	5.5	3.3
2. खनन और उत्खनन	–1.5	–8.6
3. विनिर्माण	–2.9	–0.6
4. विद्युत, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	2.2	–3.6
5. निर्माण	1.2	–7.3
6. व्यापार, होटल, तथा रेस्तरां	7.1	–22.4
7. परिवहन, भण्डारण, संचार व प्रसारण से सम्बन्धित सेवाएं	3.6	–15.3
8. वित्तीय सेवाएं	3.5	5.1
9. वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	8.0	1.2
10. लोक प्र”ाासन, रक्षा	5.1	2.3
11. अन्य सेवाए	7.2	–11.5
सकल मूल्य वर्धित	**3.8**	**–4.8**

वर्ष 2020–21 के दौरान अर्थव्यवस्था में संकुचन के बाद वित्तीय वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। इसका तात्पर्य यह है कि समग्र आर्थिक गतिविधियां पूर्व–महामारी के स्तर से आगे निकल गई है।

महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित रहे और इस क्षेत्र के पिछले वर्ष के 3.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2021–22 में 3.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान बताते हैं कि उद्योग क्षेत्र (खनन और निर्माण सहित) का सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2021–22 में 11.8 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, जो कि वर्ष 2020–21 में 7 प्रतिशत कम हो गया था। सेवा क्षेत्र महामारी से सबसे अधिक प्रभावित था विशेष रूप से ऐसे खण्ड जिनमें मानव संपर्क शामिल है। इस क्षेत्र के पिछले वर्ष के 8.4 प्रतिशत संकुचन के बाद इस वित्तीय वर्ष में 8.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

वर्ष 2019–20 में प्रचलित भाव पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय ₹1,32,115 थी जो वर्ष 2020–21 में 4.0 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के साथ ₹1,26,855 हो गई। स्थिर (2011–12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2020–21 के लिए ₹85,110 अनुमानित है, जबकि 2019–20 में ₹94,270 के मुकाबले 9.7 प्रतिशत का संकुचन दिख रहा है।

मुद्रास्फीति प्रबंधन सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। मुद्रास्फीति दर, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों में मुद्रास्फीति एक वैश्विक मुद्दे के रूप में फिर से प्रकट हुई है। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि, गैर–खाद्य वस्तुओं, निवेश मूल्य, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और बढ़ती माल ढुलाई लागत ने वर्ष के दौरान वैश्विक मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मुद्रास्फीति में पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान सौम्य रहने के बाद, 2021–22 (अप्रैल–दिसंबर) में 12.5 प्रतिशत की तेज वृद्धि देखी गई। थोक मुद्रास्फीति में देखी गई वृद्धि का एक हिस्सा पिछले वर्ष में कम आधार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि, बढ़ती कारक लागत और वैश्विक कमोडिटी कीमतों ने भी थोक कीमतों की वृद्धि में योगदान दिया।

औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू.) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2021–22 में 5.0 प्रतिशत रही जो कि वर्ष 2020–21 में 5.2 प्रतिशत थी।

1.3 अवलोकनः हिमाचल प्रदेश अर्थव्यवस्था

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों की तीव्र प्रगति और बेहतर जीवन के लिए केन्द्र सरकार से तालमेल रखते हुए कई कुशल नीतियां बनाई है। राज्य के सरल और मेहनती लोगों के निरंतर प्रयासों तथा केन्द्र और राज्य सरकार की प्रगतिशील नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण हिमाचल की एक आकर्षक अर्थव्यवस्था है। हिमाचल अधिक समृद्ध और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। कोविड–19 महामारी के प्रभाव के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में 2020–21 में 5.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन वर्तमान वित्त वर्ष 2021–22 में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

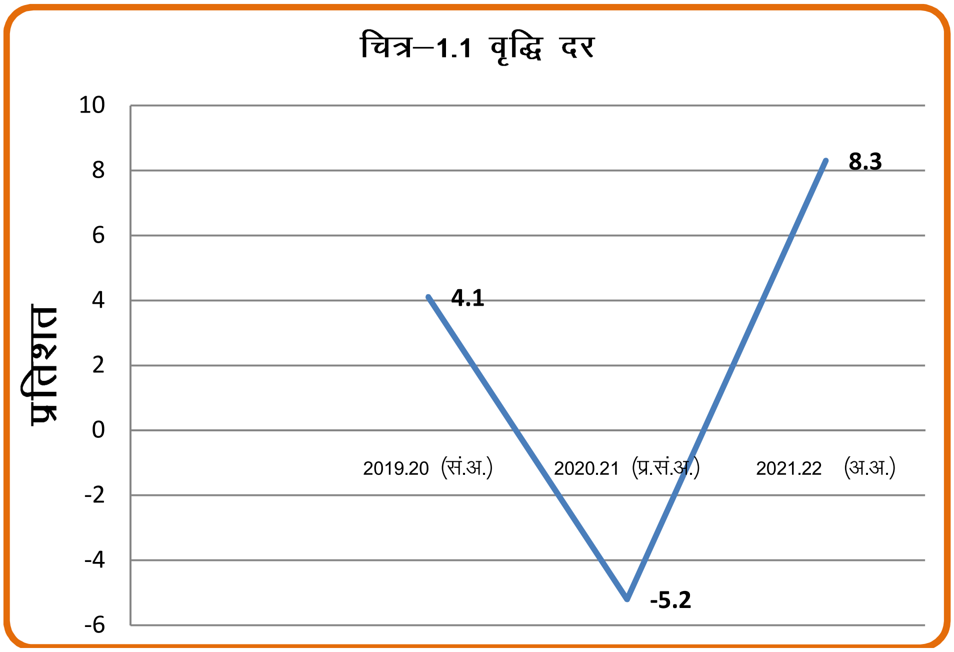

संशोधित अनुमानों के अनुसार, प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2020–21 (प्रथम संशोधन) ₹1,56,675 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि 2019–20 (द्वितीय संशोधन) में ₹1,59,162 करोड़ था जो वर्ष के दौरान 1.6 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। स्थिर कीमतों (2011–12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2020–21 (प्रथम संशोधन) में ₹1,14,814 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2019–20 (द्वितीय संशोधन) में पिछले वर्ष की विकास दर 4.1 प्रतिशत के मुकाबले 5.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के साथ ₹1,21,168 करोड रही।

स्थिर कीमतों (2011–12) पर सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में 12.0 प्रतिशत की कमी, गौण क्षेत्र में 6.6 प्रतिशत व परिवहन, संचार, व्यापार होटल और रेस्तरां क्षेत्र में 10.6 प्रतिशत की कमी के कारण है। केवल दो क्षेत्र यानी बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति व सामुदायिक और व्यक्तिगत सेवाओं ने क्रमशः 4.5 और 5.1 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। वित्त और रियल एस्टेट में 1.9 प्रतिशत की कमी आई, परिवहन और व्यापार में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र में 0.3 प्रतिशत, निर्माण में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि बिजली, गैस और जल आपूर्ति में 4.6 प्रतिशत की कमी हुई। खाद्य उत्पादन, जो 2019–20 के दौरान 15.94 लाख मीट्रिक टन था, 2020–21 में घटकर 15.28 लाख मीट्रिक टन रह गया जबकि 2021–22 में 16.75 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। फलों का उत्पादन 2020–21 में घटकर 6.24 लाख मीट्रिक टन रह गया, जबकि 2019–20 में यह 8.45 लाख मीट्रिक टन था, जो 26.15 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। वर्ष 2021–22 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान फलों का उत्पादन 6.98 लाख मीट्रिक टन है।

सारणी–1.2: मुख्यसूचक

सूचक	2019–20	2020–21	2019–20	2020–21
	कुल पूर्ण मान		पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	
1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)				
• प्रचलित भावों पर	1,59,162	1,56,675	7.3	(-)1.6
• स्थिर भावों पर	1,21,168	1,14,814	4.1	(-)5.2
2. खाद्यान उत्पादन (लाख टन)	15.94	15.28	(-)5.8	(-)4.1
3. फलोत्पादन (लाख टन)	8.45	6.24	70.7	(-)26.2
4. उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य, संवर्धन (₹करोड़ में) (प्रचलित भाव पर)	43,322	42,283	(-)0.82	(-)2.40
5. विद्युत उत्पादन (मिलियन युनिट)	2246	1961	14.86	(-)12.69

वर्ष 2020–21 के लिए प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय ₹1,83,333 है, जो कि वर्ष 2019–20 की ₹1,85,728 की तुलना में 1.3 प्रतिशत की कमी दिखाता है।

अग्रिम अनुमानों के अनुसार तथा दिसम्बर,2021 तक की आर्थिक स्थिति एवं कोविड–19 प्रभाव से उबरने के बाद वर्ष 2021–22 में राज्य की अर्थव्यवस्था में **8.3 प्रतिशत** की वृद्धि होने की सम्भावना है।

राज्य की अर्थव्यवस्था का रुझान कृषि क्षेत्र से उद्योगों और सेवाओं की ओर बढ़ रहा है क्योंकि कुल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का प्रतिशत योगदान 1950–51 में 57.9 प्रतिशत से घटकर 1967–68 में 55.5 प्रतिशत, 1990–91 में 26.5 प्रतिशत और 2020–21 में 9.64 प्रतिशत रह गया है।

उद्योग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी जो 1950–51 में क्रमशः 1.1 और 5.9 प्रतिशत थी, 1967–68 में बढकर 5.6 और 12.4 प्रतिशत हो गई, 1990–91 में 9.4 और 19.8 प्रतिशत और 2020–21 में क्रमशः 28.9 और 44.7 प्रतिशत हो गई। हालांकि, अन्य शेष क्षेत्रों का योगदान 1950–51 में 35.1 प्रतिशत से घटकर 2020–21 में 26.4 प्रतिशत हो गया।

कृषि क्षेत्र के घट रहे अंशदान के बावजूद भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की महत्ता पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का विकास अधिकतर कृषि तथा उद्यान उत्पादन द्वारा ही निर्धारित होता है। सकल घरेलू उत्पाद में भी इसका मुख्य योगदान रहता है। यह कुल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदान कर्ताओं में से एक है और निवेश सम्पर्क, रोजगार, व्यापार और परिवहन आदि के माध्यम से अन्य क्षेत्रों पर इसका

समग्र प्रभाव पड़ता है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा कृषि उत्पादन अभी भी मुख्यतः समयोजित वर्षा व मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए सरकार भी इस ओर उच्च प्राथमिकता दे रही है।

राज्य ने उद्यान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विविध जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, गहन और उपयुक्त निकासी वाली भूमि तथा भू–स्थिति में भिन्नता एवं ऊंचाई वाले क्षेत्र समशीतोषण से उप्पोषण कटिबन्धीय फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। प्रदेश का यह क्षेत्र फूलों, मशरूम, शहद और हॉप्स जैसे सहायक बागवानी उत्पादों की खेती के लिए भी उपयुक्त है।

वर्ष 2021–22 के दौरान 1,549 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र फलों के अधीन लाने का लक्ष्य है जबकि दिसंबर 2021 तक 1,932 हैक्टेयर क्षेत्र फलों के अधीन लाया जा चुका है तथा इसी अवधि में विभिन्न प्रजातियों के फलों के 5.35 लाख पौधों का वितरण किया गया। प्रदेश में बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2020–21 में 18.67 लाख टन सब्जी का उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2019–20 में 18.61 लाख टन का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2021–22 में 18.50 लाख टन सब्जियों का उत्पादन होने का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश सरकार मौसम परिवर्तन से तालमेल बिठाने हेतु विभिन्न उपायों पर काम रही है। जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजनाओं का उद्देश्य संस्थागत क्षमता का निर्माण करना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्षेत्रीय गतिविधियों को लागू करना है।

प्रदेश अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने राज्य में निर्बाधित विद्युत की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण पग उठाए गए हैं। ऊर्जा संसाधन के रूप में जलविद्युत, आर्थिक रूप से व्यावहारिक, प्रदूषण रहित तथा पर्यावरण के अनुकूल है। इस क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए राज्य की विद्युत नीति सभी पहलुओं जैसे कि अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच व उपलब्धता, वहन करने योग्य, पर्यावरण संरक्षण व प्रदेश के लोगों को रोज़गार सुनिश्चित करने पर जोर देती है। निजी क्षेत्रों की निवेश के रूप में भागीदारी उत्साहवर्धक है। सरकार द्वारा प्रदेश के निवेशकों के लिए 2 मैगावाट तक की लघु परियोजनाओं को आरक्षित रखा गया है और 5 मैगावाट की परियोजनाओं तक उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

कीमतों पर नियंत्रण रखना सरकार की प्राथमिकता सूची में रहा है। हि.प्र. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वर्ष 2021–22 (अप्रैल से दिसंबर 2021) में 5.1 प्रतिशत रही ।

पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था में राजस्व प्राप्ति का एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत तथा विविध प्रकार के रोज़गार के अवसर प्रदान करता है। घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों के प्रदेश आगमन में पिछले कुछ वर्षों के दौरान महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई है परन्तु कोविड़–19 के कारण वर्ष 2020

में 81 प्रतिशत की गिरावट देखने में आई जबकि दिसंबर 2021 तक पर्यटकों की आमद में पिछले वर्ष की तुलना में 75.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसका विवरण निम्न सारणी 1.2 में दिया गया है।

सारणी 1.3: पर्यटकों का आगमन (लाखों में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल
2010	128.12	4.54	132.66
2011	146.05	4.84	150.89
2012	156.46	5.00	161.46
2013	147.16	4.14	151.30
2014	159.25	3.90	163.15
2015	171.25	4.06	175.31
2016	179.28	4.53	184.51
2017	191.31	4.71	196.09
2018	160.94	3.56	164.50
2019	168.29	3.83	172.12
2020	31.70	0.43	32.13
2021 (दिसम्बर तक)	56.32	0.05	56.37

1.4 सरकार की प्राथमिकता हमेशा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए रही है। सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और गुणवता में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण और पुर्नउत्थान के अन्तर्गत लागू की गई मुख्य योजनाएंः–

- **सामाजिक सुरक्षा**–राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 6.35 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगी हैं। वर्तमान सरकार द्वारा 1,95,003 नए पेंशन मामलों को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने 27 दिसंबर, 2017 को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दी। 70 वर्ष से अधिक आयु के 3,07,000 वृद्धों को पेंशन प्रदान की जा रही है। 60 से 69 वर्ष की आयु के बुजुर्गों के लिए पेंशन ₹700 से बढ़ाकर ₹850 प्रति माह और 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों के लिए ₹1,250 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह कर दिया गया है।

- **जन मंच**– सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए एवं सुशासन के मद्देनज आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन सुनवाई के माध्यम से मौके

पर ही उनकी शिकायतों एवं समस्याओं का समाधान करने का कार्यक्रम है। नवंबर 2021 तक 232 जनमंचों का आयोजन किया जा चुका है। प्राप्त कुल 53,665 समस्याओं में से 93 प्रतिशत का निवारण किया जा चुका है।

- **मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन**– इस हेल्पलाइन 1100 का उद्देश्य राज्य के लोगों की सभी शिकायतों को समयबद्ध तरीके से घर बैठे टेलीफोन और इन्टरनेट पोर्टल के माध्यम से हल करना है। शिमला स्थित कॉल सेंटर में सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक हेल्पलाइन के तहत ई–मेल या सेवा समाधान पोर्टल के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं। हेल्पलाइन के तहत कुल 3.21 लाख समस्याएं प्राप्त हुईं जिसमें से 86 प्रतिशत समस्याओं का निवारण किया गया।

- **स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना**–65–69 वर्ष की आयु की महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह की उच्च सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है। योजना के तहत 39,641 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

- **मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना**–इस योजना का उद्देश्य राज्य के उन पात्र परिवारों को जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं को स्वच्छ एवं धुंआ रहित ईंधन उपलब्ध कराकर महिलाओं को सशक्त बनाना और पर्यावरण की रक्षा करना है योजना के तहत 3.24 लाख परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिए गए जिसमें से 2.39 लाख लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल भी उपलब्ध कराया गया। ₹119.90 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना**–इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना है ताकि उन्हें खाना पकाने के लिए स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन मिले जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। इस योजना के तहत 1.36 लाख परिवारों को ₹21.86 करोड़ खर्च कर मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए।

- **मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य योजना**– हिमकेयर का उद्देश्य राज्य के उन लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना है जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं। योजना के तहत 5.13 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया और 2.17 लाख लोगों को मुफ्त इलाज दिया गया, जिस पर ₹196.16 करोड़ खर्च किए गए।

- **आयुष्मान भारत**– इस योजना का उद्देश्य कम आय वाले लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 4.26 लाख परिवारों को

गोल्डन कार्ड प्रदान किए गए तथा 1.16 लाख लाभार्थियों को ₹143.31 करोड़ खर्च कर मुफ्त इलाज दिया गया।

- **अटल आशीर्वाद योजना**–इसके तहत अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को लगभग ₹1,200 की नई विज़िटर किट (नवागंतुक किट) प्रदान की जा रही है। ₹24.36 करोड़ की लागत से 2,07,364 नए विज़िटर किट वितरित किए गए।

- **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**–गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब लोगों के इलाज के लिए चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की स्थापना की गई है। इलाज के लिए प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल, पी.जी.आई. चंडीगढ़, सरकारी अस्पताल चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली अस्पताल को मंजूरी दी गई है। 953 लाभार्थियों के इलाज पर ₹10.46 करोड़ खर्च किए गए हैं।

- **मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना**–इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सभी रोगियों को 1374 प्रकार की दवाएं, सुई और पट्टी आदि मुफ्त प्रदान की जा रही हैं और लगभग ₹216 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

- **मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना**–इसका उद्देश्य 18 से 45 वर्ष के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए 18 नई गतिविधियों को योजना में शामिल किया गया है। ₹860 करोड़ के निवेश से 4,862 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई तथा लगभग ₹430 करोड़ के निवेश से 2,593 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं और 7,216 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। लगभग ₹147 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया।

- **मुख्यमंत्री सहारा योजना**–इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उन रोगियों को जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और उनके परिचारकों को सीधे उनके बैंक खातों में ₹3,000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत 17,546 लाभार्थियों को ₹61.39 करोड़ रुपये प्रदान गए।

- **मुख्यमंत्री स्टार्ट–अप योजना**–इसके तहत प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षुओं को एक वर्ष के लिए ₹25,000 प्रति माह का आजीविका भत्ता और इन्क्यूबेशन केंद्रों को 3 वर्ष के लिए ₹30 लाख की

सहायता प्रदान की गई है। योजना के तहत ₹11.35 करोड़ खर्च कर 191 स्टार्ट–अप और 12 इन्क्यूबेशन केन्द्रों को फायदा हुआ है।

- **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना**–इस योजना के तहत निराश्रित महिलाओं/लड़कियों को शादी के लिए ₹51,000 की सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 6,224 लाभार्थियों पर ₹28.15 करोड़ खर्च किए गए हैं।

- **बेटी है अनमोल योजना**–योजना का उद्देश्य बेटियों के प्रति दृष्टिकोण को बदलना और उन्हें सशक्त बनाना है। गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों के लिए बेटियों के नाम पर ₹21,000 जमा किए जाते हैं। प्रति परिवार अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। अब तक 1,07,823 लाभार्थियों को ₹32.94 करोड़ दिए जा चुके हैं।

- **ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट**–राज्य में औद्योगीकरण और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें ₹96,721 करोड़ रुपये के 703 एम.ओ.यू. साइन किए गए। ₹13,488 करोड़ की 236 परियोजनाओं का पहला शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह 27 दिसंबर, 2021 को मंडी में आयोजित किया गया था जिसमें ₹28,197 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ 287 समझौता ज्ञापनों को आधार बनाया गया था। इन परियोजनाओं के तहत 80,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार की उम्मीद है।

- **हर घर पाठशाला**–इसके तहत कोरोना काल में सरकारी स्कूलों के सभी स्तरों पर शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई। छात्रों के 1.92 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिसमें 7,69,878 छात्रों ने भाग लिया।

- **स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना**–इसके तहत 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले 100 मेधावी छात्र, जिन्होंने कक्षा 10वीं में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, को व्यावसायिक या किसी तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए प्रति छात्र ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

- **प्राकृतिक खेती–खुशहाल किसान**–इस योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर उत्पादन लागत को कम करने पर

जोर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 9,192 हेक्टेयर क्षेत्र को लाया गया है जिसमें 1,53,643 किसानों के लाभ के लिए ₹46.15 करोड़ खर्च किए गए।

- **जल से कृषि को बल योजना**–इसके तहत राज्य में उपयुक्त स्थानों पर चेक डैम और तालाबों का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। सामुदायिक स्तर पर काम करने पर सरकार शत–प्रतिशत खर्च वहन कर रही है। 1,344 किसान लाभान्वित हुए हैं और ₹83.40 करोड़ खर्च किए गए हैं।

- **मुख्यमंत्री कृषि संरक्षण योजना और मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना**–इसके तहत जंगली जानवरों और आवारा जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सौर बाड़ पर 80 प्रतिशत अनुदान, समूह आधारित सौर बाड़ पर 85 प्रतिशत अनुदान, कंटीले और चेन लिंक्ड बाड़ पर 50 प्रतिशत और कंपोजिट बाड़ पर 70 प्रतिशत अनुदान दिया गया। 4,592 किसान लाभान्वित हुए और ₹150.52 करोड़ खर्च किए गए।

- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना**– इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को तीन समान किश्तों में ₹6,000/– प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 9.37 लाख से अधिक किसानों में लगभग ₹1,532.38 करोड़ खर्च किए गए हैं।

- **जल जीवन मिशन**– जल जीवन मिशन का उद्देश्य व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। 8.16 लाख घरों में नल से पानी की आपूर्ति की गई है। वर्ष 2021–22 में ₹1,429.08 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

- **हिमाचल पुष्प क्रांति योजना**–इसके तहत फूलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पॉली हाउस, पॉली टनल आदि की स्थापना पर 85 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। फूलों का परिवहन शुल्क भी माफ कर दिया गया है। इस योजना के तहत 1,282 किसान लाभान्वित हुए और ₹27.98 करोड़ खर्च किए गए।

राज्य की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त व कराधान

02 अध्याय

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था

पहाड़ी क्षेत्र और औद्योगिक विकास के लिए प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने आर्थिक विकास में नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। एक तरफ राज्य की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय विकास दर के बराबर रही और दूसरी तरफ राज्य ने विकास संकेतकों में उच्च रैंकिंग हासिल की।

2.2 स्थिर कीमतों (2011–12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान

स्थिर कीमतों (2011–12) पर हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2019–20 (द्वितीय संशोधित अनुमान-द्वि.सं.अ.) में ₹1,21,168 करोड़ था जोकि वर्ष 2020–21 (पहले संशोधित अनुमान-प्र.सं.अ.) में ₹1,14,814 करोड़ अनुमानित है। 2020–21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (–)5.2 प्रतिशत रही जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (–)6.6 प्रतिशत है।

अर्थव्यवस्था को तीन विस्तृत क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:

2.3 प्राथमिक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, बागवानी, पशुधन, वानिकी एवं लठ्ठे, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन उप क्षेत्र शामिल हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने, जिस पर लगभग 56.5 प्रतिशत (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार) जनसंख्या निर्भर करती है, वर्ष 2020–21 में (–)12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, वर्ष 2020–21 में (प्र.सं.अ.) स्थिर कीमतों पर (वर्ष 2011–12) कृषि और संबद्ध क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन ₹14,411 करोड़ हुआ है यह पिछले वर्ष 2019–20 में (द्वि.सं.अ.) ₹16,369 करोड़ था।

हिमाचल प्रदेश में अब बागवानी कृषि क्षेत्र का उप क्षेत्र नहीं रहा है क्योंकि इसने मूल्य वर्धन के मामले में कृषि क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है। पशुधन क्षेत्र आय को बढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक और भरोसेमंद स्त्रोत के रूप में उभरा है। वर्ष में 2020–21 में दुग्ध उत्पादन में 2.95 प्रतिशत, अंडों के उत्पादन में 4.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि मांस उत्पादन की वृद्धि दर (–) 9.60 प्रतिशत रही तथा पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र में क्रमशः 5.6 एवं 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वानिकी और खनन क्षेत्र में 2020–21 (प्र.सं.अ.) में क्रमशः (–) 19.6 और (–) 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

2.4 गौण क्षेत्र

गौण क्षेत्र में विनिर्माण (संगठित और असंगठित), विद्युत, गैस, जलापूर्ति और निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। स्थिर कीमतों (2011–12) पर वर्ष 2020–21 के लिए (प्र.स.अ.) के अनुसार गौण क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन ₹49,610 करोड़ हुआ है, जो कि वर्ष 2019–20 (द्वि.सं.अ.) में ₹53,137 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में (–)6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

2.5 तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र

राज्य के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है और यह लगातार बढ रहा है। सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल तथा रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग और बीमा, रियल इस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं, सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 (प्र.सं.अ.) में (–) 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2020–21 प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार ₹44,198 करोड़ अनुमानित है, जो वर्ष 2019–20 (द्वि.सं.अ.) में ₹45,152 करोड़ था। क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन स्थिर कीमतों पर निम्न दर्शाया गया है:–

प्राथमिक क्षेत्र 2020–21 (प्र.सं.अ.) में सकल मूल्य वर्धन ₹14,411 करोड़, वृद्धि (–12.0 प्रतिशत)

(₹करोड़ में)

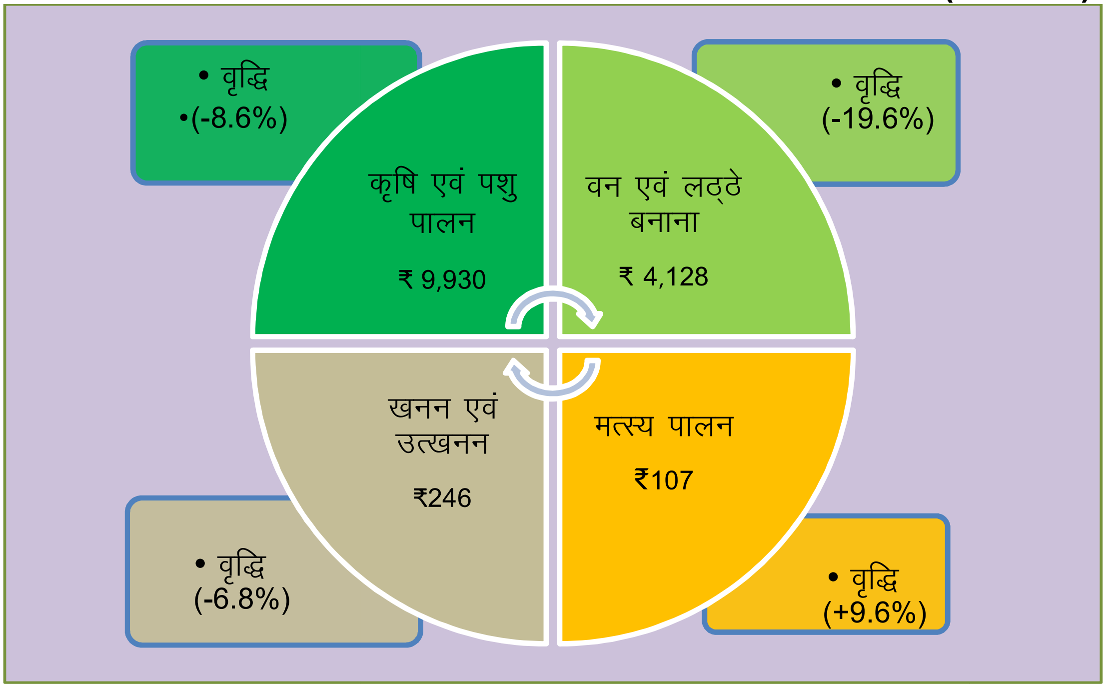

गौण क्षेत्र 2020–21 (प्र.सं.अ.) में सकल मूल्य वर्धन ₹49,610 करोड़, वृद्धि (–) 6.6 प्रतिशत

(₹करोड़ में)

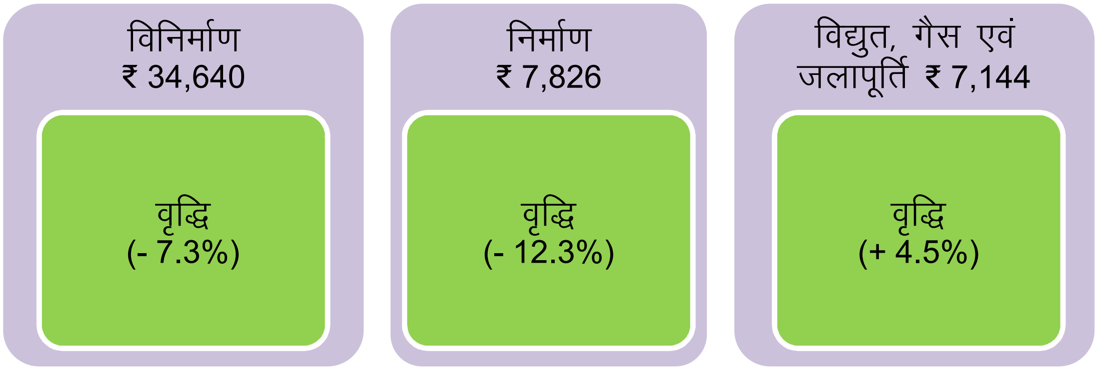

तृतीयक क्षेत्र 2020–21 (प्र.सं.अ.) में सकल मूल्य वर्धन ₹ 44,198 करोड, वृद्धि (–) 2.1 प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

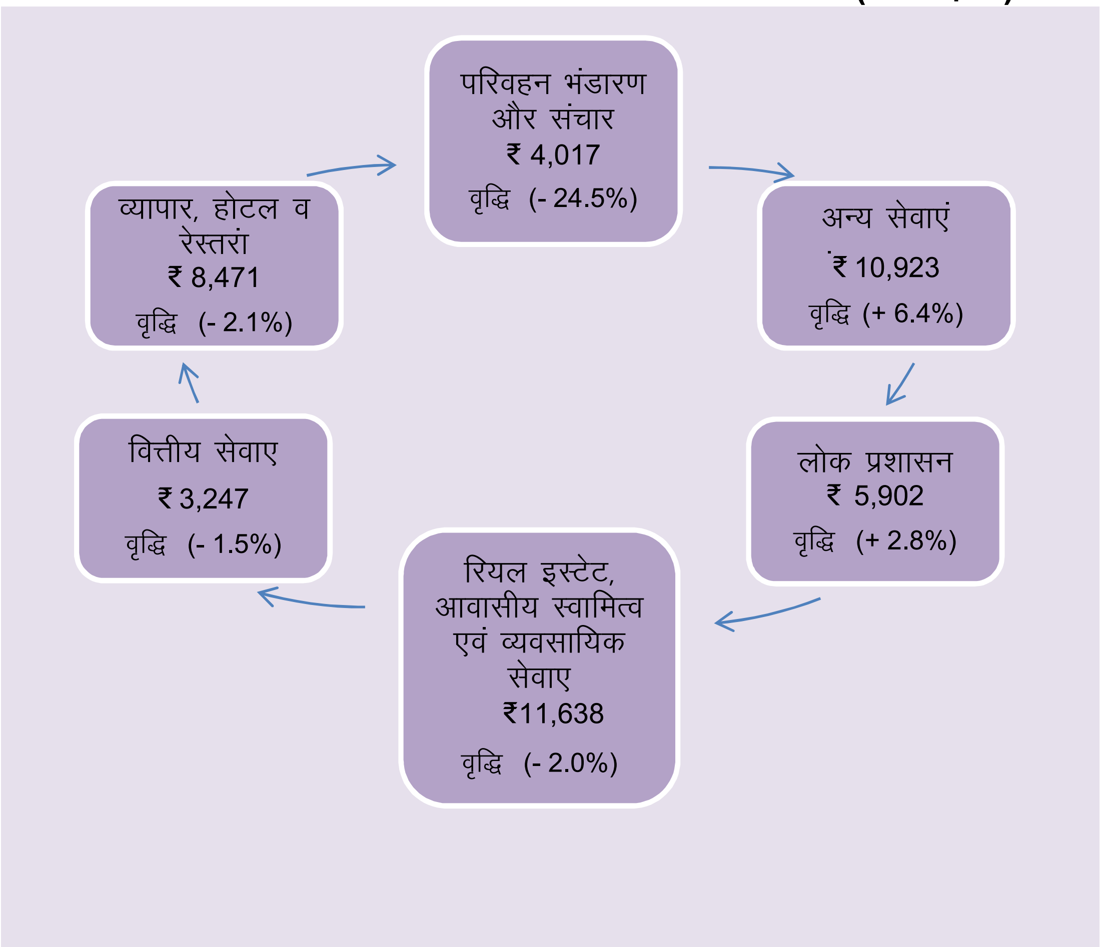

2.6 प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान

प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2020–21 (प्र.सं.अ.) में ₹1,56,675 करोड़ आंका गया जोकि वर्ष 2019–20 (द्वि.सं.अ.) में ₹1,59,162 करोड़ था। प्रचलित आधारभूत कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन उत्पाद वर्ष 2020–21 (प्र.सं.अ.) में ₹1,46,241 करोड़ अनुमानित है जोकि वर्ष 2019–20 (द्वि.सं.अ.) में ₹1,49,201 करोड़ था। प्रचलित आधारभूत कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान निम्न सारणी 2.1 में दर्शाया गया है:–

सारणी 2.1 : वर्ष 2018–19 से 2020–21 (प्र.सं.अ.) तक प्रचलित भाव पर राज्य सकल मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान

(मूल्य ₹ करोड़ में व योगदान प्रतिशत में)

क्षेत्र	2018–19	2019–20(द्वि.स.अ.)	2020–21(प्र.स.अ.)
1.कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाएं (प्राथमिक क्षेत्र)	18,207	22,814	19,893
	(13.10%)	(15.30%)	(13.61%)
2.गौण क्षेत्र	62,381	62,479	61,004
	(44.88%)	(41.88%)	(41.71%)
3.सेवाएं (तृतीयक क्षेत्र)	58,396	63,908	65,344
	(42.02%)	(42.82%)	(44.68%)
4.सकल मूल्य वर्धन प्रचलित आधार मूल्य पर	**1,38,984**	**1,49,201**	**1,46,241**
	(100.00)	(100.00)	(100.00)
5.बजार कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद	**1,48,383**	**1,59,162**	**1,56,675**

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हि.प्र. सरकार

प्रचलित आधारभूत कीमतों पर 2020–21 में प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का राज्य सकल वर्धन में योगदान ₹19,893 करोड़ (13.61 प्रतिशत) रहा है। इसी समयावधि में गौण क्षेत्र का योगदान ₹61,004 करोड़ (41.71 प्रतिशत) है, व सेवा क्षेत्र का योगदान ₹65,344 करोड़ (44.68 प्रतिशत) है। भारत एवं हिमाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित तथा स्थिर कीमतों (2011–12) पर, 2011–12 से 2020–21 (प्र.सं.अ.) में सारणी 2.2 में वर्णित है:

सारणी 2.2 : सकल घरेलू उत्पाद हिमाचल प्रदेश तथा भारत 2011–12 से 2020–21 (प्र.सं.अ.) प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर

(मूल्य ₹ करोड़ में और वृद्धि दर प्रतिशत में)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश				भारत			
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर)	वृद्धि (+)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर कीमतों पर (2011–12)	वृद्धि (+)	सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर)	वृद्धि (+)	सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर कीमतों पर (2011–12)	वृद्धि (+)
2011–12	72,720		72,720		87,36,329		87,36,329	
2012–13	82,820	13.9	77,384	6.4	99,44,013	13.8	92,13,017	5.5
2013–14	94,764	14.4	82,847	7.1	1,12,33,522	13.0	98,01,370	6.4
2014–15	1,03,772	9.5	89,060	7.5	1,24,67,959	11.0	1,05,27,674	7.4
2015–16	1,14,239	10.1	96,274	8.1	1,37,71,874	10.5	1,13,69,493	8.0
2016–17	1,25,634	10.0	1,03,055	7.0	1,53,91,669	11.8	1,23,08,193	8.3
2017–18	1,38,551	10.3	1,09,407	6.2	1,70,90,042	11.0	1,31,44,582	6.8
2018–19	1,48,383	7.1	1,16,411	6.4	1,88,99,668	10.6	1,39,92,914	6.5
2019–20 (द्वि.स.अ.)	1,59,162	7.3	1,21,168	4.1	2,00,74,856	6.2	1,45,15,958	3.7
2020–21 (प्र.सं.अ.)	1,56,675	(-) 1.6	1,14,814	(-) 5.2	1,98,00,914	(-) 1.4	1,35,58,473	(-) 6.6

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हि.प्र. सरकार

2.7 प्रति व्यक्ति आय

वर्ष 2020–21 में (प्र.सं.अ.) के अनुसार, प्रचलित कीमतों पर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019–20 (द्वि.सं.अ.) के ₹1,85,728 से घटकर ₹1,83,333 होने की संभावना है जो (–)1.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। स्थिर कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2019–20 (द्वि.सं.अ.) के ₹1,40,048 से घटकर वर्ष 2020–21 में (प्र.सं.अ.) ₹1,33,079 होने की संभावना है जो (–)5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक का हिमाचल प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित कीमतों पर) का तुलनात्मक विवरण निम्न सारणी में वर्णित है:

सारणी 2.3 : प्रति व्यक्ति आय

	प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर (₹में)	
वर्ष	हिमाचल प्रदेश	भारत
2011–12	87,721	63,462
2012–13	99,730	70,983
2013–14	1,14,095	79,118
2014–15	1,23,299	86,647
2015–16	1,35,512	94,797
2016–17	1,50,290	1,04,880
2017–18	1,65,497	1,15,224
2018–19	1,74,804	1,25,946
2019–20 (द्वि.सं.अ.)	1,85,728	1,32,115
2020–21 (प्र.सं.अ.)	1,83,333	1,26,855

2.8 सम्भावनाएं– 2021–22

दिसंबर 2021 तक राज्य के आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर राज्य आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2021–22 के दौरान राज्य की आर्थिक विकास दर 8.3 प्रतिशत होने की संभावना है, जो कोविड–19 महामारी के बाद तेज सुधार दिखा रहा है। राज्य ने 2020–21 (प्र.सं.अ.) में (–)5.2 प्रतिशत की वृद्धि और 2019–20 (द्वि.सं.अ.) में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है। वर्ष 2021–22 (अग्रिम अनुमान) में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान लगभग 1,75,173 करोड़ आंका गया है।

वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय ₹2,01,854 अनुमानित है जोकि वर्ष 2020–21 में ₹1,83,333 की तुलना में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास का संक्षिप्त विश्लेषण बताता है कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर सदैव भारत की विकास दर के बराबर ही रही है, जैसा कि सारणी 2.4 में भी दर्शाया गया है:

सारणी 2.4 : हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलनात्मक वृद्धि दर

अवधि	औसत विकास दर प्रतिशत	
	हिमाचल प्रदेश	भारत
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)	(+) 1.6	(+) 3.6
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)	(+) 4.4	(+) 4.1
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)	(+) 3-0	(+) 2.4
वार्षिक योजना (1966–67 से 1968–69)	--	(+) 4.1
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)	(+) 3.0	(+) 3.4
पंचम पंचवर्षीय योजना(1974–78)	(+) 4.6	(+) 5.2
वार्षिक योजना (1978–79 से 1979–80)	(-) 3.6	(+) 0.2
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)	(+) 3.0	(+) 5.3
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)	(+) 8.8	(+) 6.0
वार्षिक योजना (1990–91)	(+) 3.9	(+) 5.4
वार्षिक योजना (1991–92)	(+) 0.4	(+) 0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)	(+) 6.3	(+) 6.2
नवम पंचवर्षीय योजना (1997–2002)	(+) 6.4	(+) 5.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007)	(+) 7.6	(+) 7.8
ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012)	(+) 8.0	(+) 8.0
वारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)	(+) 7.2	(+) 7.1
वार्षिक योजना (i) 2017–2018	(+) 6.2	(+) 6.8
वार्षिक योजना (ii) 2018–2019	(+) 6.4	(+) 6.5
वार्षिक योजना (iii) 2019–2020	(+) 4.1	(+) 3.7
वार्षिक योजना (iv) 2020–2021	(-) 5.2	(-) 6.6
वार्षिक योजना (V) 2021–2022	(+) 8.3	(+) 9.2

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हि.प्र. सरकार

2.9 सार्वजनिक वित्त एवं कराधान

राज्य सरकार, प्रशासन एवं विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों, गैरकर राजस्व, केंद्रीय करों से प्राप्त हिस्सा एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय साधन जुटाती है। वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों (ब.अ.) के अनुसार, कुल राजस्व प्राप्तिया ₹37,028 करोड़ है जबकि 2020–21 संशोधित अनुमानों (सं.अ.) के अनुसार यह ₹35,588 करोड़ थी।

आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2020–21 में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत ₹7,044.24 करोड़ मूल्य के करों को एकत्रित किया है जिसका लक्ष्य ₹6,886.13 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कर राजस्व लक्ष्य ₹6,964.84 करोड़ था जबकि दिसम्बर, 2021 तक ₹6,232.24 का कर राजस्व एकत्र किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 (दिसम्बर, 2021) तक कर राजस्व लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

सारणी 2.5 : राजकोषीय स्थिति व मापदण्ड

(₹ करोड़)

मद	लक्ष्य 2020–21	वास्तविक प्राप्तियां 2020–21	लक्ष्य 2021–22	उपलब्धियां दिसम्बर, 2021 तक
वस्तु एवं सेवा कर	3451.39	3466.58	3106.25	3157.00
राज्य आबकारी कर	1624.26	1599.74	1867.90	1436.02
वस्तु वर्धित मूल्य	1467.38	1630.11	1614.10	1309.74
अन्य कर	262.76	264.26	288.22	250.44
यात्री एवं वस्तु कर	80.34	83.55	88.37	79.04
योग	**6886.13**	**7044.24**	**6964.84**	**6232.24**

स्रोतः आबकारी एवं कराधान विभाग, हि.प्र.

2.10 राजस्व प्राप्तियां

राज्य सरकार की प्राप्तियां मुख्य रूप से दो भागों गैर–ऋण तथा ऋण प्राप्तियों में विभाजित की जा सकती हैं। गैर ऋण प्राप्तियों में कर राजस्व, कर रहित राजस्व, सहायता अनुदान, ऋण वसूली तथा विनिवेश होते हैं। ऋण प्राप्तियां अधिकतर बाज़ार ऋण तथा अन्य देनदारियों से प्राप्त होती हैं जिसे सरकार को भविष्य में लौटाने का दायित्व होता है।

सारणी–2.6 : राज्य सरकार के प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड

(₹करोड़)

मद/वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (सं.अ.)	2021–22 (ब.अ.)
1 राजस्व प्राप्तियां	27,367	30,950	30,742	35,588	37,028
2 कर राजस्व (केन्द्रीय भाग सहित)	11,909	13,003	12,301	12,312	14,806
3 गैर कर राजस्व	2,364	2,830	2,502	2,268	2,754
4 विनिवेश प्राप्तियां	35	9	2	0	0
5 ऋण वसूली	40	22	21	31	41
6 कुल व्यय	34,811	39,154	43,063	53,460	50,192
7 राजस्व व्यय	27,053	29,429	30,730	36,011	38,491
8 पूंजीगत व्यय	3,756	4,584	5,174	5,692	6,013
9 वितरित किए गए ऋण	503	468	458	361	354
10 व्याज अदायगी	3,788	4,022	4,234	4,623	5,018

स्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरणिका (बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता)

मद/वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (सं.अ.)	2021–22 (ब.अ.)
1 राजस्व प्राप्तियां	19.75	20.86	19.32	22.71	21.14
2 कर राजस्व (केन्द्रीय भाग सहित)	8.60	8.76	7.73	7.86	8.45
3 गैर कर राजस्व	1.71	1.91	1.57	1.45	1.57
4 विनिवेश प्राप्तियां	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
5 ऋण वसूली	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02
6 कुल व्यय	25.13	26.39	27.06	34.12	28.65
7 राजस्व व्यय	19.53	19.83	19.31	22.98	21.97
8 पूंजीगत व्यय	2.71	3.09	3.25	3.63	3.43
9 वितरित किए गए ऋण	0.36	0.32	0.29	0.23	0.20
10 व्याज अदायगी	2.73	2.71	2.66	2.95	2.86

2.11 कर राजस्व

बजट अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2021–22 में कर राजस्व (केन्द्रीय कर सहित) 14,806 करोड़ होने का अनुमान है जोकि वर्ष 2020–21 (सं. अ.) में ₹12,312 करोड़ थे।

2.12 गैर कर राजस्व

गैर कर राजस्व मुख्यतः ऋण पर ब्याज प्राप्तियां, विद्युत बिक्री, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ व लाभांश, सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं–सामान्य सेवाओं जैसे लोक सेवा आयोग, सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा, आर्थिक सेवाओं जैसे कि सिंचाई इत्यादि से प्राप्त राशि शामिल होते हैं। गैर कर राजस्व वर्ष 2021–22 में 21.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹2,754 करोड़ रहने का अनुमान है जोकि वर्ष 2020–21 में ₹ 2,268 करोड़ था। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.57 प्रतिशत है।

2.13 गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां

गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋणों की वसूलियो तथा विनिवेश से प्राप्तियां शामिल हैं। वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान में ऋणों की वसूलियों से ₹41.00 करोड़ मिलने की संभावना है और विनिवेश से कोई आय नहीं होगी।

बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021–22 में राज्य सरकार का कुल व्यय ₹50,192 करोड़ रहने की सम्भावना थी, जिसमें से ₹38,491 करोड़ (कुल बजट का 76.69 प्रतिशत) राजस्व व्यय होने का अनुमान था।

चित्र–2.1 कर–सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रुप में

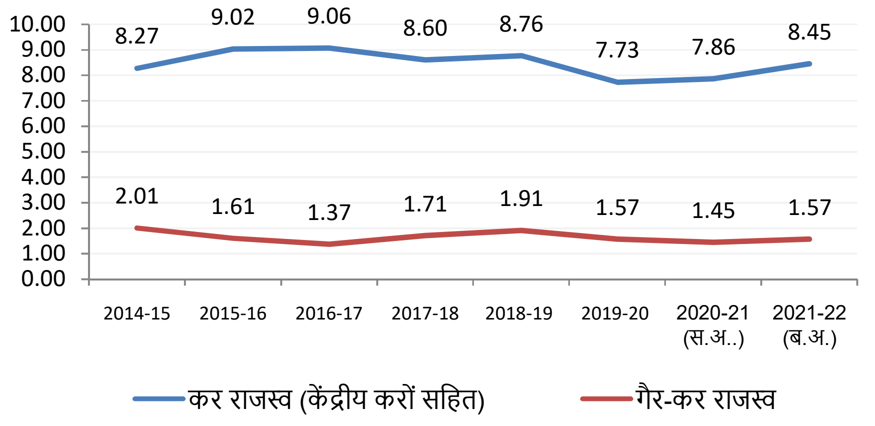

नोटः यह दर्शाता है कि वर्ष 2019–20 में कर राजस्व राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 7.73 प्रतिशत था जो 2020–21(सं.अ.) में बढ़कर 7.86 हो गया तथा वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में बढ़कर 8.45 प्रतिशत हो गया ।

बजट अनुमानों के अनुसार राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2021–22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 21.14 प्रतिशत होने का अनुमान है जोकि वर्ष 2020–21 संशोधित अनुमानों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 22.71 प्रतिशत थी। इसके साथ ही कर राजस्व वर्ष 2021–22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 8.45 प्रतिशत होने की संभावना है जोकि वर्ष 2020–21 में 7.86 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त गैर कर राजस्व 2021–22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.57 प्रतिशत होने की संभावना है जो वर्ष 2020–21 में 1.45 प्रतिशत था।

वर्ष 2021–22 में राज्य का कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.65 प्रतिशत, राजस्व व्यय 21.97 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय 3.43 प्रतिशत अनुमानित है ।

सारणी 2.7 : राज्य सरकार के राजकोषीय संकेतकों की वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

मद / वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (सं.अ.)	2021–22 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	4.20	13.09	–0.67	15.76	4.05
कर राजस्व प्राप्तियां (केन्द्रीय भाग सहित)	4.62	9.18	-5.39	0.08	20.26
गैर कर राजस्व	37.67	19.72	-11.61	–9.34	21.41
व्याज अदायगी	12.78	6.16	5.28	9.19	8.54
कुल व्यय	-3.51	12.48	9.98	24.14	–6.11
राजस्व व्यय	6.74	8.78	4.42	17.18	6.89
पूंजीगत व्यय	7.34	22.06	12.86	10.01	5.65

स्रोतः वार्षिक वित्तीय बजट विवरण, हि.प्र. सरकार

2.14 राजकोषीय संकेतकों का रुझान

उपरोक्त तालिका 2.7 से पता चलता है कि वर्ष 2020–21 में राज्य के कुल व्यय और राजस्व व्यय की वृद्धि दर क्रमशः 24.14 प्रतिशत और 17.18 प्रतिशत अनुमानित की गई थी।

2.15 सरकारी व्यय

सरकारी व्यय की प्राथमिकता तय करना व युक्तिकरण राजकोषीय सुधार का अभिन्न अंग है, क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य कर का अनुपात कम है और राज्य सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करना चुनौती है इसलिए पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता में सुधार महत्वपूर्ण हो जाता है।

2.16 राजस्व व्यय की संरचना

राज्य सरकार कुल व्यय का अधिकतर भाग राजस्व व्यय में कर रही है। वर्ष 2021–22 में कुल बजट का 77 प्रतिशत राजस्व व्यय पर किया गया है। राजस्व व्यय की संरचना सारणी 2.8 में दी गई है जो यह दर्शाती है कि वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में कुल व्यय का 55 प्रतिशत वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं अनुदानों पर खर्च किया जाएगा। वेतन, पेंशन और ब्याज़ भुगतान एक प्रतिबद्ध व्यय है जिसके कारण इन मदों पर राजकोषीय प्रबन्धन का दायरा सीमित है। वर्ष 2021–22 में अनुदान को कुल खर्च के 2.1 प्रतिशत तक सीमित किया गया है।

सारणी 2.8 : मद के अनुसार राजस्व व्यय की संरचना

(₹ करोड़)

मद	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (सं.अ.)	2021–22 (ब.अ.)
1. वेतन एवं मजदूरी	10,671	11,016	11,669	14,836	14,403
• कुल व्यय में वेतन एवं मजदूरी का प्रतिशत	30.65	28.13	27.10	27.75	28.70
2. पेंशन	4,709	4,975	5,490	7,266	7,082
• कुल व्यय में पेंशन का प्रतिशत	13.53	12.71	12.75	13.59	14.11
3. ब्याज	3,788	4,022	4,234	4,623	5,018
• कुल व्यय में ब्याज का प्रतिशत	10.88	10.27	9.83	8.65	10.00
4. अनुदान	907	1283	1068	1158	1081
• कुल व्यय में अनुदान का प्रतिशत	2.61	3.28	2.48	2.17	2.15
कुल व्यय	**34,811**	**39,154**	**43,063**	**53,460**	**50,192**

स्रोतः वार्षिक वित्तीय बजट विवरण, हि.प्र. सरकार

उपरोक्त सारणी 2.9 दर्शाती है कि वेतन तथा पेन्शन व्यय में वृद्धि वर्ष दर वर्ष बढ़ी है। वेतन व्यय में वर्ष 2020–21 में 27.14 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, तथा वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में 2.92 प्रतिशत की कमी होने की संभावना है। इसके अलावा पेंशन व्यय में वृद्धि में 2017–18 में 14.46 प्रतिशत, वर्ष 2018–19 में 6 प्रतिशत, वर्ष 2020–21 में 32 प्रतिशत रही परन्तु वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में 2.53 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है। ब्याज भुगतान में बढ़ोतरी 2017–18 में 13 प्रतिशत, 2018–19 में 6 प्रतिशत तथा 2021–22 (ब.अ.) में 9 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। अनुदान पर व्यय में वर्ष 2017–18 में 19 प्रतिशत, वर्ष 2018–19 में 41 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, वर्ष 2019–20 में 17 प्रतिशत की की कमी हुई, वर्ष 2020–21 में इसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2021–22 (ब.अ.) में पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत की कमी आएगी।

सारणी 2.9 : राजस्व व्यय की मुख्य मदों में वृद्धि दर

मद	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (सं.अ.)	2021–22 (ब.अ.)
1.वेतन एवं मजदूरी	13.27	3.23	5.93	27.14	–2.92
2.पेंशन	14.46	5.65	10.35	32.36	–2.53
3.ब्याज	12.78	6.16	5.28	9.19	8.54
4.अनुदान	18.72	41.46	–16.77	8.48	–6.67

सारणी 2.10 : राज्य सरकार की ऋण की स्थिति

(₹करोड़)

मद	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
अ.लोक ऋण (अ1+अ2)	**22,659.48**	**25,198.06**	**27,919.56**	**32,570.27**	**34,670.71**	**36,424.77**	**40,571.41**
अ1. आन्तरिक ऋण	21,647.06	24,127.33	26,860.87	31,493.97	33,591.41	35,363.12	39,527.72
अ 2. केन्द्र सरकार से प्राप्त उधार एवं अग्रिम राशि	1,012.42	1,070.73	1,058.69	1,076.30	1,079.30	1,061.64	1,043.69
ब. सार्वजनिक खाता और अन्य देयता	**8,783.08**	**9,953.54**	**10,648.26**	**11,852.46**	**13,235.49**	**14,348.12**	**15,535.49**
स. कुल देयता (अ + ब)	**31,442.56**	**35,151.60**	**38,567.82**	**44,422.73**	**47,906.20**	**50,772.89**	**56,106.90**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**94,764**	**1,03,772**	**1,14,239**	**1,25,634**	**1,38,551**	**1,48,383**	**1,59,162**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ऋण का प्रतिशत	**33.18**	**33.87**	**33.76**	**35.36**	**34.58**	**34.22**	**35.25**

स्रोतः वित्त विभाग (बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार

उपरोक्त सारणी 2.10 दर्शाती है कि ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात वर्ष 2018–19 में 34.22 प्रतिशत था जो वर्ष 2019–20 में 35.25 प्रतिशत है।

कोविड–19 का हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और सुधार

03
अध्याय

3.1 भूमिका

1930 के दशक की महामंदी के बाद से कोविड–19 महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को शायद सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया की लगभग 60 प्रतिशत आबादी गंभीर या आंशिक रूप से लॉकडाउन रही है। दुनिया भर के देशों में बिना किसी स्पष्ट चिकित्सा उपचार के आर्थिक गतिविधियां या तो ठप हो गईं या लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। कोरोना वायरस महामारी के बीच, दुनिया भर के कई देशों ने संक्रमण के ग्राफ को समतल करने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया। इस लॉकडाउन का मतलब अपने घरों में लाखों नागरिकों को कैद करना, व्यवसायों को ठप करना और लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को बंद करना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2020 में 3 प्रतिशत से अधिक सिकुड़ने की उम्मीद है जो महामंदी के बाद से सबसे बड़ी मंदी है।

मानव जीवन के दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान के अलावा आर्थिक गतिविधियों के मामले में भारत पर कोविड–19 महामारी का प्रभाव अत्यधिक विघटनकारी रहा है। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि घरेलू मांग और निर्यात में भारी गिरावट आई है। हालाँकि, कुछ उल्लेखनीय अपवाद थे जहाँ उच्च वृद्धि देखी गई थी।

अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी से एक अनूठा आर्थिक झटका लगा है, जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में आपूर्ति और मांग–दोनों को प्रभावित किया। अनिश्चितता, आत्मविश्वास में कमी, आय में कमी, कमजोर विकास की संभावनाएं, छूत की आशंका, सभी गतिविधियों को बंद होने के कारण खर्च करने के विकल्पों में कमी, एहतियाती बचत का बढ़ना, व्यवसायों के लिए जोखिम लेने में गिरावट और खपत और निवेश में परिणामी गिरावट से पहले चरण की मांग ने अत्याधिक प्रभावित किया।

सारणी 3.1 : हिमाचल प्रदेश में कोविड–19 का प्रसार

जनसंख्या 73,00,000 (रा. ज. आ. द्वारा 2019 जनसंख्या प्रक्षेपण पर आधारित)
प्रति लाख की पुष्टि (पु. प्र. ल.)

3,778

भारत में 3,171.4 पु. प्र. ल. है
हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक 10 लाख लोगों में से लगभग 3,788 लोगों का वायरस के लिए परीक्षण सकारात्मक आया है

सक्रिय अनुपात

2.3 प्रतिशत

प्रत्येक 100 पुष्ट मामलों के लिए, वर्तमान में लगभग 2 संक्रमित हैं

स्वस्थ होने का अनुपात

96.3 प्रतिशत

प्रत्येक 100 पुष्ट मामलों के लिए, ~लगभग 96 वायरस से स्वस्थ हुए हैं।

मृत्यु दर अनुपात

1.5 प्रतिशत

प्रत्येक 100 पुष्ट मामलों के लिए, ~ 1 दुर्भाग्य से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं।

परीक्षण सकारात्मकता अनुपात

9.1 प्रतिशत

31 जनवरी – 06 फरवरी।
पिछले एक सप्ताह में, जांचे गए कुल मामलों में हर दिन औसतन 9.1 प्रतिशत सैंपल पॉजिटिव आए हैं।

परीक्षण प्रति लाख

59,556.5

06 फरवरी 2022 तक
हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक 1 लाख लोगों के लिए, ~ लगभग 59,557 नमूनों का परीक्षण किया गया।

स्रोत: कोविड–19 इंडिया पोर्टल

राज्य ने हाल ही में कोविड–19 मामलों में वृद्धि देखी है जिसे तीसरी लहर कहा जा सकता है जिसे चित्र 3.1 में दिया गया है।

चित्र 3.1 : परीक्षण सकारात्मकता दर (टीपीआर) में वेगवृद्धि बनाम मामलों का पता चला (हिमाचल प्रदेश)

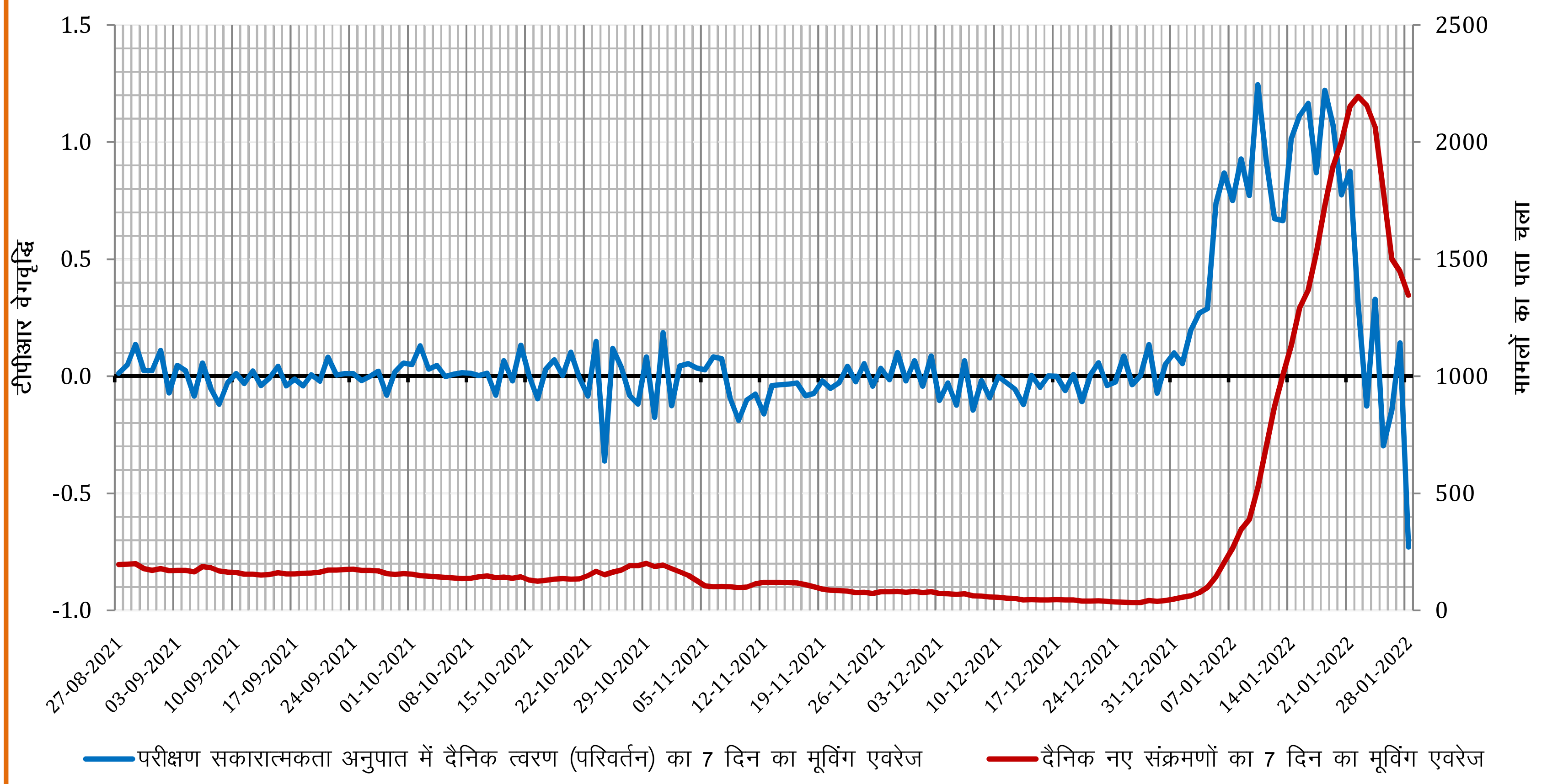

दुनिया भर में व्यवसायों के अचानक बंद होने से बड़े पैमाने पर आर्थिक झटका लगा है और नीति निर्माताओं ने नुकसान को आंकने एवं उसे रोकने की कोशिश की है। कई लोगों के लिए, यह एक स्पष्ट आपूर्ति झटका रहा है – आपूर्ति झटका तब होता है जब कोई घटना वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में बाधा डालती है। कोविड–19 ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है और इससे आपूर्तिकर्ता नेटवर्क के विभिन्न स्तरों में स्पिलओवर प्रभाव उत्पन्न हुए हैं। 2020 में व्यापार हर क्षेत्र में गिर गया है और इससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अवरुद्ध किया है।

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने अपनी अर्थव्यवस्था पर बहु–प्रभाव देखा है जो निम्नलिखित चित्रों द्वारा दिए गए हैं।

चित्र 3.2 :महामारी द्वारा दोहरा आर्थिक आघात

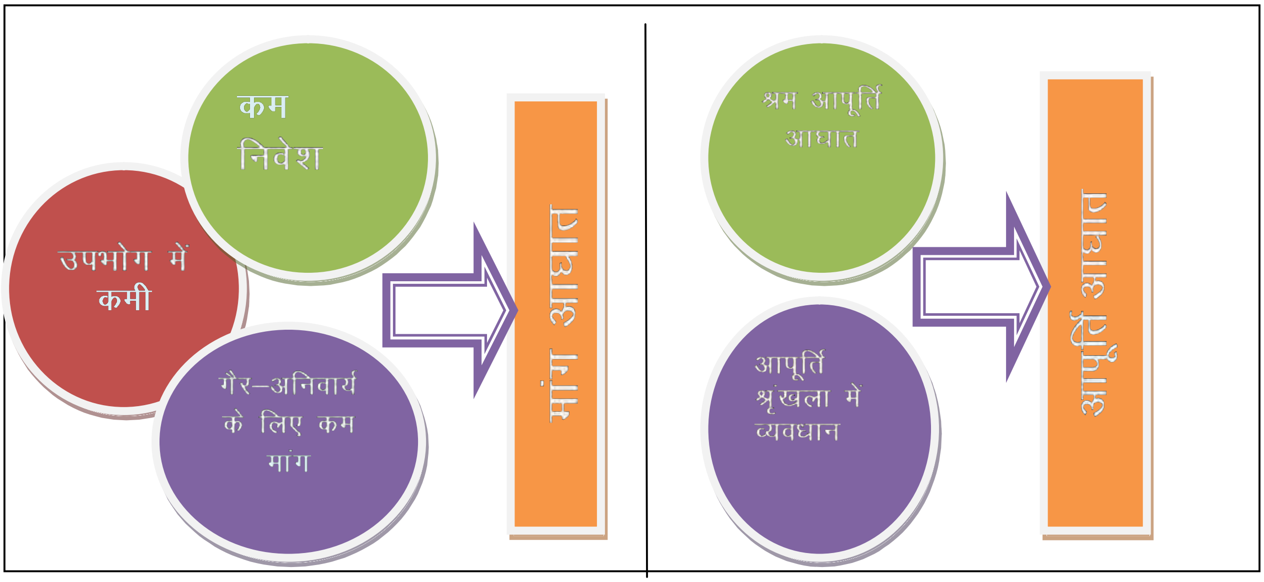

3.2 कोविड–19 का राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

कोविड–19 का अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर प्रभाव तीव्र से लेकर न्यून रहा। वर्तमान अध्याय प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक जैसे क्षेत्रों के तहत राज्य अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों पर कोविड–19 प्रभाव का विश्लेषण करता है।

1 प्राथमिक क्षेत्र: फसलें, पशुधन और वानिकी और लॉगिंग

चूंकि कृषि देश की रीढ़ है और सरकार द्वारा घोषित आवश्यक श्रेणी का एक हिस्सा है, प्राथमिक कृषि उत्पादन और कृषि–आदानों के उपयोग दोनों पर कोविड–19 लॉकडाउन का प्रभाव कम होने की संभावना है। कई राज्य सरकारें पहले ही फलों, सब्जियों, दूध आदि की मुक्त आवाजाही की अनुमति दे दी थी। हिमाचल प्रदेश में वन संसाधनों की प्रचुर मात्रा है। यह

प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। कोविड–19 लॉकडाउन का इसके ऊपर स्थायी प्रभाव पड़ा है जो निम्न चित्र में दिया गया है:

चित्र 3.3 : फसलों, पशुधन और वानिकी और लॉगिंग की वृद्धि दर

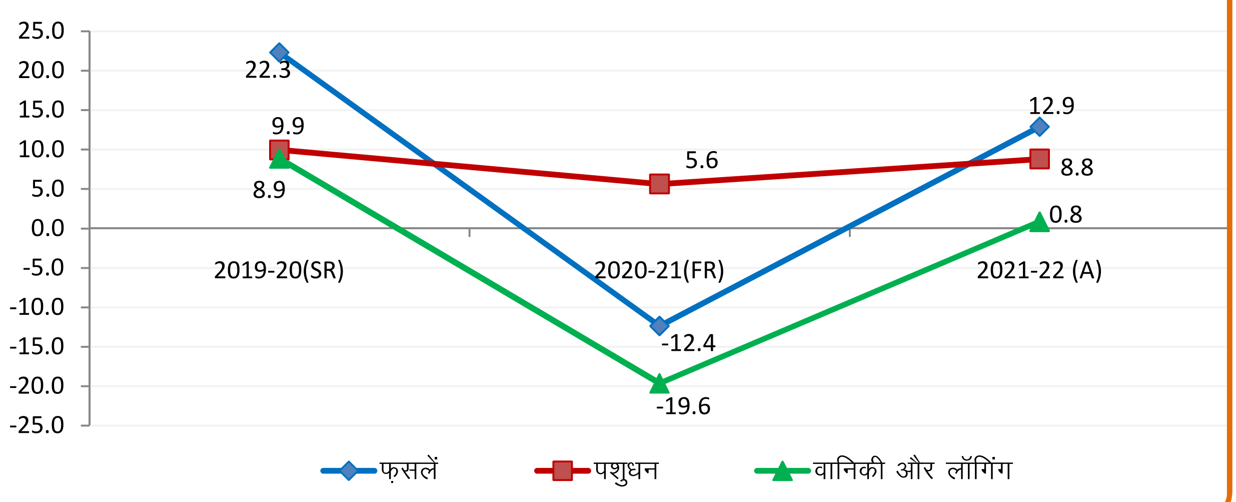

पशुधन क्षेत्र में राज्य में कोरोनावायरस लॉकडाउन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा गया है। जहां तक फसल क्षेत्र का संबंध है, वर्ष 2020–21 में इसमें बड़ी गिरावट देखी गई जो कि बागवानी फसलों के उत्पादन प्रभाव के कारण थी। फसल क्षेत्र में 2021–22 (अग्रिम अनुमान) में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई है जो मौसमी के कारण भी है। बागवानी उत्पादन में वृद्धि का फसल क्षेत्र की विकास दर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

लॉकडाउन के कारण वानिकी और लॉगिंग की वृद्धि दर में गिरावट आई थी जिसका कारण गतिविधियों का बंद होना और श्रम की अनुपलब्धता थी। लॉकडाउन के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट गए। प्रतिबंध हटने के बाद, धीरे–धीरे ये प्रवासी श्रमिक वापस काम पर लौट आए जिससे वानिकी और लॉगिंग क्षेत्र में 'V' आकार की रिकवरी देखी जा सकती है।

2 गौण क्षेत्र: विनिर्माण (संगठित और असंगठित) और निर्माण

दूसरी लहर के दौरान अचल संपत्ति और निर्माण गतिविधियों में व्यवधान का सामना करना पड़ा क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों ने शहरी क्षेत्रों को छोड़ दिया। विनिर्माण और निर्माण किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये गौण क्षेत्र के मुख्य घटक हैं जो राज्य सकल घरेलू उत्पादन में प्रतिशतता की दृष्टि से दूसरे उच्चतम स्तर पर हैं। शहरी क्षेत्रों और राज्यों में जहां वायरस तेजी से फैल रहा है वहां श्रमिकों की कमी ने आवास और निर्माण परियोजनाओं दोनों को प्रभावित किया है, इससे लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में काफी देरी होने की संभावना है। निम्न आकृति इस क्षेत्र में संकुचन दर्शाती है:–

चित्र 3.4 : विनिर्माण की वृद्धि दर (संगठित और असंगठित) और निर्माण

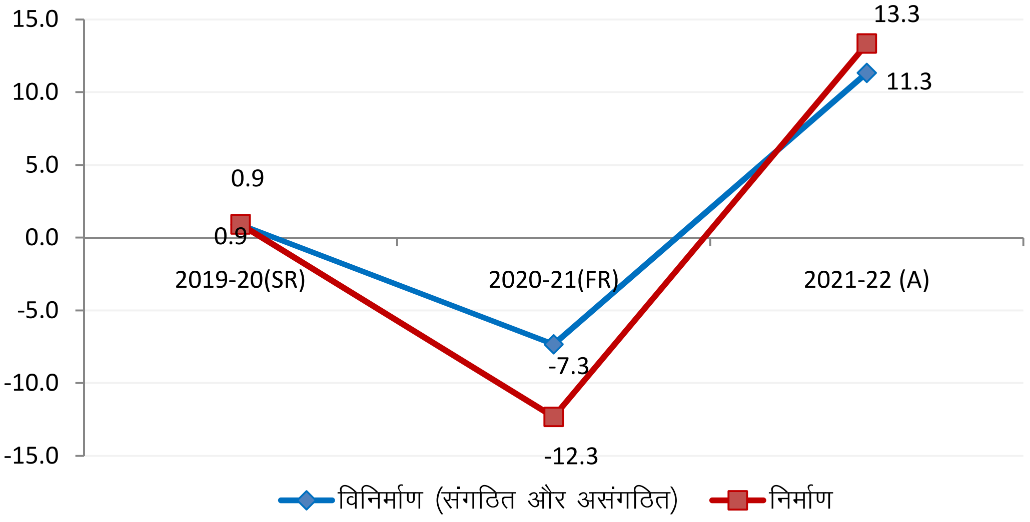

लॉकडाउन के कारण श्रमशक्ति और कच्चे माल की अनुपलब्धता राज्य में निर्माण और निर्माण की विकास दर में गिरावट का मुख्य कारण है। विनिर्माण (संगठित और असंगठित) और निर्माण क्षेत्र का एक ही प्रभाव है जिसमें मांग और आपूर्ति दोनों झटके एक साथ काम करते हैं। लॉकडाउन के कारण विनिर्माण और निर्माण गतिविधियां ठप पड़ी थीं और दूसरी ओर श्रम और कच्चे माल की कमी थी। अर्थव्यवस्था के खुलने के बाद इस क्षेत्र में 'वी' आकार की रिकवरी देखी जा सकती है।

3.3) तृतीयक क्षेत्रः

तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। लॉकडाउन के कारण प्रशासन और वित्तीय सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा या बहुत कम असर पड़ा। हालांकि, कुछ अन्य उप–क्षेत्रों में लॉकडाउन के कारण बड़ा प्रभाव देखा गया और फिर बाद में सकारात्मक विकास दर देखी गई। ऐसे क्षेत्रों का विश्लेषण अगले खंडों में दिया गया हैः

- **परिवहन, भंडारण और संचार और परिवहन के लिए आकस्मिक सेवाएं**

परिवहन तृतीयक क्षेत्र का एक हिस्सा है और राज्य की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अन्य परिवहन की अनुपस्थिति जैसे कि विमान और ट्रेन, पहाड़ी इलाके में सड़क परिवहन को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। निम्न आकृति इस क्षेत्र में कोरोनावायरस का प्रभाव दर्शाती हैः

चित्र 3.5 : परिवहन, भंडारण और संचार और परिवहन के लिए आकस्मिक सेवाओं की वृद्धि दर

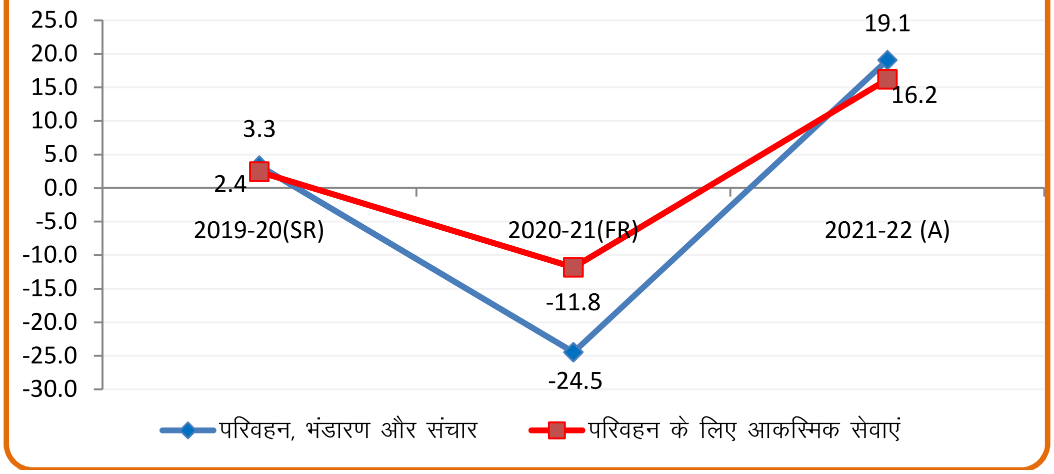

परिवहन भंडारण और संचार में सबसे अधिक 24 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि परिवहन के लिए आकस्मिक सेवाओं में 2020–21 में कोविड –19 लॉकडाउन के कारण 11.8 प्रतिशत की गिरावट आई। प्रतिबंधों में ढील के बाद, इन क्षेत्रों ने सुधार करना शुरू कर दिया इसके परिणामस्वरूप परिवहन भंडारण और संचार में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। परिवहन से सम्बन्धित आकस्मिक सेवाओं के लिए, 16.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

- **व्यापार और मुरम्मत सेवाएं और होटल और रेस्तरां**

व्यापार और मुरम्मत क्षेत्र पर लॉकडाउन का प्रभाव लगभग न के बराबर था। वहीं, होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर उन कुछ सेक्टरों में शामिल है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध ने पहले परिवहन और फिर होटल और पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित किया। दूसरी लहर के कारण प्रतिबंधों ने पर्यटन क्षेत्र को अशक्त बना दिया, जो पहले से ही 2020 में व्यवसायों को हुए शुरुआती नुकसान की भरपाई के लिए संघर्ष कर रहा था। शुरुआती लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने के साथ, इस क्षेत्र ने एक बार फिर से तेजी से वृद्धि दर्ज करना शुरू कर दिया। जबकि, 2020–21 में होटल और रेस्तरां की विकास दर (–) 78.7 प्रतिशत थी, यह 2021–22 में बढ़कर (+) 56.5 प्रतिशत हो गई (चित्र–3.6)।

चित्र 3.6 : व्यापार और मरम्मत सेवाएं और होटल और रेस्तरां में वृद्धि दर

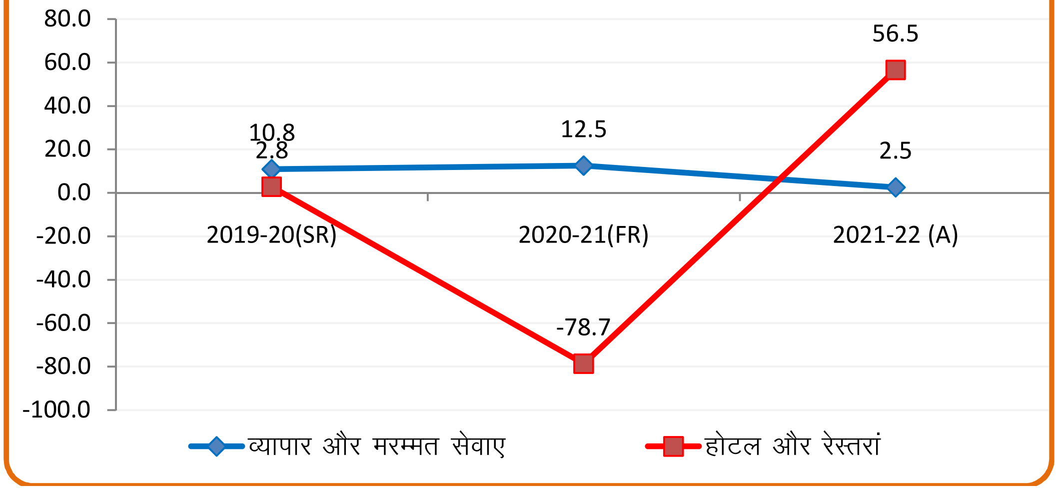

- **पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र**

उड्डयन और पर्यटन पहले उद्योग थे जो महामारी से काफी प्रभावित हुए थे। जिन क्षेत्रों ने भारत के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के एक बड़े हिस्से में योगदान दिया है, वे राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और कर्फ्यू से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आतिथ्य क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

पर्यटन राज्य में राजस्व और रोजगार सृजन का मुख्य स्रोत बना हुआ है। हालांकि, कोविड–19 लॉकडाउन के कारण राज्य में पर्यटन क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। भौगोलिक लाभ राज्य को पर्यटन क्षेत्र के लिए जीत की स्थिति में रखते हैं, लेकिन जब से कोविड–19 महामारी को देखते हुए आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया तब से पर्यटकों के आगमन में भारी कमी आई है।

पर्यटकों के आगमन से राज्य में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर में भिन्नता देखी जा सकती है। हालाँकि, देशव्यापी लॉकडाउन के समय में विकास दर में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, जिसने न केवल घरेलू पर्यटकों को अपने घरों में बंद रहने के लिए मजबूर किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध के कारण विदेशी पर्यटकों को अपने देशों में ही रहना पड़ा। चित्र 3.7 पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटकों के आगमन में उच्चतम (–81.33 प्रतिशत) संकुचन दर्शाता है। शुरुआती लॉकडाउन के बाद पर्यटकों के आगमन में काफी सुधार हुआ जिससे की 2021 में पर्यटकों का आगमन (+) 75.43 प्रतिशत तक पहुंच गया (चित्र–3.7)।

चित्र 3.7 : वर्ष दर वर्ष पर्यटकों की आमद की वद्धि दर

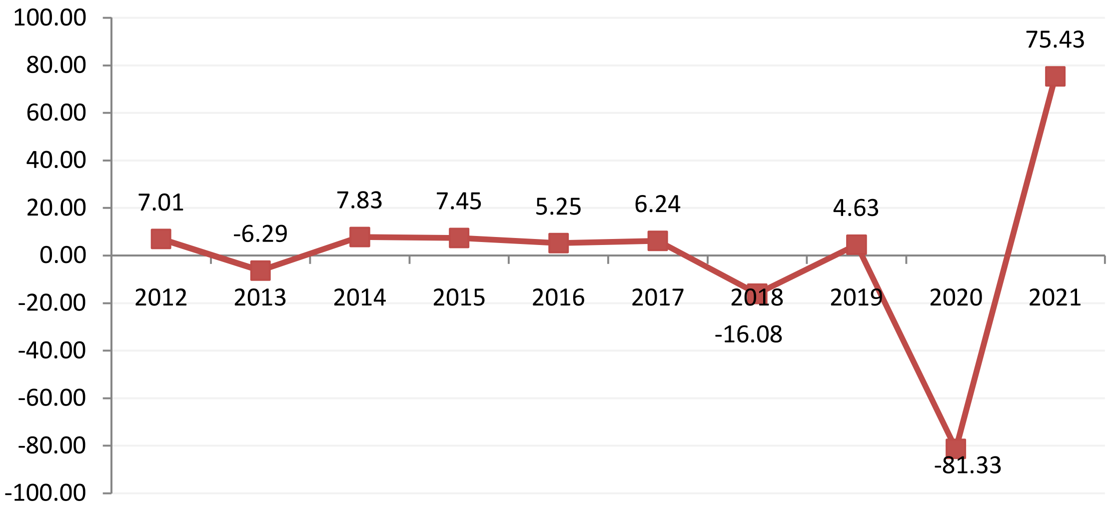

नोटः इन आंकड़ों का डेटा कैलेंडर वर्ष से संबंधित है
स्रोत्र: पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

3.3 कोविड–19 के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

राज्य ने कोविड–19 का मुकाबला करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार हैं:

- राज्य सरकार ने सबसे अधिक प्रभावित परिवहन क्षेत्र को टोकन टैक्स, विशेष सड़क कर (एस.आर.टी.) और यात्री और माल कर (पी.जी.टी.) के रूप में लगभग ₹153 करोड़ (सारणी 3.2) की राहत प्रदान की है। इसमें स्टेज कैरिज ऑपरेटरों की कार्यशील पूंजी पर ब्याज सबवेंशन योजना शामिल है, जिसके तहत बस ऑपरेटरों को कार्यशील पूंजी के रूप में प्रति बस 2 लाख रुपये और अधिकतम राशि 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण की अवधि 5 वर्ष होगी, जिसमें एक वर्ष अधिस्थगन अवधि का होगा और 75 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन उपलब्ध करवाया गया, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, दूसरे वर्ष में 50 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन होगा जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना पर सरकार द्वारा लगभग 11 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की गई है।

इसके अलावा, परिवहन क्षेत्र को वेतन के लिए सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) के रूप में राहत, गैर–वेतन के लिए जी.आई.ए., सब्सिडी और निवेश के लिए फंड भी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रदान किया गया था (सारणी 3.2)।

सारणी 3.2: परिवहन क्षेत्र को राहत

क्रम सं	राहत	2020—21	2021—22	कुल (3+4)
1	2	3	4	5
1	टोकन टैक्स (₹ करोड़ में)	29.59	19.73	49.32
2	विशेष सड़क कर (एस.आर.टी.) (₹ करोड़ में)	40.28	26.85	67.13
3	यात्री और माल कर (पी.जी.टी.) (₹ करोड़ में)	22.00	14.67	36.67
	कुल(1+2+3)	**91.87**	**61.25**	**153.12**
1	वेतन के लिए सहायता अनुदान (₹ करोड़ में)	345.50	309.96	655.46
2	अनुदान सहायता गैर वेतन	12.50	.	12.50
3	सब्सिडी (₹ करोड़ में)	171.20	171.20	342.4
4	निवेश (₹ करोड़ में)	62.0	117.50	179.5
	कुल (1+2+3+4)	**591.20**	**598.66**	**1189.86**

- सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के दौरान विशेष सड़क कर और टोकन टैक्स पर 100 प्रतिशत राहत प्रदान की है, जिससे स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटोरिक्शा, अनुबंध कैरिज बसों और संस्थागत बसों को लाभ हुआ है।

- महामारी से पर्यटन क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आतिथ्य उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन के लिए एक योजना को संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन इकाई संचालकों को मौजूदा बाजार दरों से कम ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी तक आसान पहुंच प्राप्त हो सके। इस योजना में प्रथम वर्ष में 75 प्रतिशत ब्याज उपवर्तन का प्रावधान है और भुगतान अवधि को भी बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। नई योजना में रोप वे और ट्रैवल एजेंटों जैसी कुछ अन्य श्रेणियों को भी शामिल किया गया है।

- पर्यटन क्षेत्र को टोकन टैक्स, पी.जी.टी., जी.आई.ए. के रूप में वेतन और निवेश के लिए निधि के रूप में कुल राहत भी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रदान की गई थी (सारणी—3.3)।

सारणी 3.3 पर्यटन क्षेत्र को राहत

क्र.सं	राहत	2020—21	2021—22	कुल (3+4)
1	2	3	4	5
1	टोकन टैक्स (₹ लाख में)	1.53	4.61	6.14
2	यात्री और माल कर (पी.जी.टी.) (₹ लाख में)	2.57	7.76	10.33
	कुल(1+2)	**4.10**	**12.37**	**16.47**
1	वेतन के लिए सहायता अनुदान (₹ करोड़ में)	40.21	20.0	60.21
2	निवेश के लिए निधि (₹ करोड़ में)	.	2.0	2.0
	कुल(1+2)	**40.21**	**22.0**	**62.21**

- वर्ष 2020–21 के लिए राज्य वार्षिक ऋण योजना का आकार ₹23,625 करोड़ है, जिसमें से ₹22,110 करोड़ कृषि और संबद्ध, एमएसएमई, शिक्षा और आवास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित किए गए हैं।

- कोविड–19 से मरने वाले और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पात्र नहीं होने वाले लोगों को राज्य सरकार द्वारा 30 लाख रुपये का बीमा कवर दिया गया है।

विभिन्न श्रेणी के अंशकालिक श्रमिकों/पैरा श्रमिकों आदि की मजदूरी दरों में 4 वर्षों से वृद्धि की गई है। हालांकि, तालिका 3.4 विभिन्न श्रेणियों के लिए चार वर्षों से बढ़ी हुई दरों को प्रस्तुत करती है, लेकिन अधिकतर वृद्धि कोविड के समय में उपलब्ध करवाई गई। निम्नलिखित सारणी ऐसी ही नौकरी श्रेणियों को सूचीबद्ध करती है:

सारणी 3.4: विभिन्न श्रेणियों के वेतन में वृद्धि

(राशि ₹ में)

क्रम सं	पद नाम	2021 में पद नाम दरें (प्रति माह)	पिछले 4 वर्षों में कुल वृद्धि (प्रति माह)
1	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	7300	2850
2	मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	5200	2200
3	आंगनवाड़ी सहायिकाएं	3800	1700
4	विशेष पुलिस अधिकारी	6000	1000
5	आशा कार्यकर्ता	2750	1750
6	पंचायत चौकीदार	5600	1450
7	सिलाई शिक्षक	7100	800
8	जल वाहक	3000	1100
9	जल रक्षक	3600	1900
10	पैरा पंप ऑपरेटर/पैरा फिटर	4600	1600
11	दैनिक वेतन/अंशकालिक	300 (दैनिक)	90 (दैनिक)
12	मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता	2600	1100
13	राजस्व चौकीदार/अंशकालिक	4100	1100
14	राजस्व लम्बरदार	2300	800
एस.एम.सी. शिक्षक			
15	पी.जी.टी.	13978	4678
16	डी.पी.ई.	13978	4678
17	टी.जी.टी.	13978	4678
18	सी एंड वी	10609	3589
19	जे.बी.टी.	8362	2902

- सरकार ने वन विभाग को कोरोना मृतक के दाह संस्कार के लिए मुफ्त लकड़ी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और सभी नगर निगमों को डेड बॉडी वैन किराए पर लेने की अनुमति दी गई थी।

- सरकार ने उन परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम (प्राथमिकता परिवार श्रेणी) के तहत शामिल करने का निर्णय लिया, जिस परिवार में कोविड–19 महामारी के कारण मृत्यु हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान के लिए 1 अगस्त, 2013 को जारी दिशा–निर्देशों में उन्हें तत्काल राहत देने के लिए ढील दी गई है। ऐसे परिवारों में केवल कोविड–19 मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करके जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो को ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (प्राथमिकता परिवार (पी.एच.एच.) श्रेणियां) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में शामिल किया गया है।

- टोल बैरियर पर वर्ष 2020–21 के लिए टोल शुल्क में छूट / छूट प्रदान की गई थी।

सतत विकास लक्ष्य तथा राज्य में सुशासन के लिए पहल

04
अध्याय

4.1 परिचय

सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और पर्यावरण सहित सभी प्रमुख विकास क्षेत्रों को शामिल किया गया है और उन्हें प्राप्त करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता अनिवार्य बनी हुई है। हाल के वर्षों में देश भर में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है लेकिन एसडीजी को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए प्रगति की गति को संशोधित किया जाना चाहिए। कोफी अन्नान, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव के अनुसार **"सुशासन गरीबी उन्मूलन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है।"**

सितंबर, 2015 में, विश्व समुदाय ने नए विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया। सतत विकास लक्ष्य, जिसे आधिकारिक तौर पर "ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्डः द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट" के रूप में जाना जाता है, जिसमें अंतर सरकारी सेट का 169 लक्ष्यों और 300 से अधिक संकेतकों के साथ 17 महत्वपूर्ण लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र सदस्यों से यह आशा है कि वह आगामी 15 वर्षों में अपनी राजनीतिक नीतियों में इस विकासात्मक ढांचे का उपयोग करेंगे। वर्ष 2001 में समस्त देशों की सहमति से विकास लक्ष्य (एम.डी.जी.) जो कि

वर्ष 2015 में समाप्त हो रहे थे, इन्ही लक्ष्यों का एस.डी.जी. के रूप में विस्तार किया गया और 1 जनवरी, 2016 को अस्तित्व में आए हैं जिसकी समय सीमा 31 दिसंबर, 2030 है।

सतत विकास–2030 के एजेंडे, का लक्ष्य "Leaving No One Behind" के तहत विकास के लाभ को सांझा करना है। एस.डी.जी. को विश्वव्यापी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए तैयार किया गया जिसमें गरीबी, असमानता को कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, वन और जैव विविधता सहित पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना हैं।

एस.डी.जी. को भारत सरकार द्वारा जिम्मेदारी के साथ अपनाया गया है। इसके अन्तर्गत सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 309 संकेतक विकसित किए हैं। जो कि परिमेय तथा निरीक्षण योग्य हैं। नीति आयोग भारत में एस.डी.जी. के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है और देश में इन्हें अपनाने, देखरेख करने और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य के साथ काम कर रहा है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स का पहला संस्करण दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया, जिसमें 13 एस.डी.जी. के 39 लक्ष्यों में से 62 संकेतकों का उपयोग किया गया, संकेतक लक्ष्य 12, 13, 14 और 17 को राज्य–वार आंकड़ों की उपलब्धता न होने के कारण छोड़ना पड़ा। दिसम्बर, 2019 में सूचकांकों का दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया गया जो कि 100 मानकों के साथ अधिक विस्तृत है। जिसमें सभी 17 उद्देश्यों तथा 54 लक्ष्यों का वर्णन किया गया। इनमें 68 पूरी तरह से राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एन.आई.एफ.) के साथ संरेखित, 20 परिष्कृत, और अन्य 12 आधिकारिक सरकारी स्रोत पर आधारित थे। तीसरा और वर्तमान संस्करण (इंडेक्स 3.0) लक्ष्यों की वर्णन व्यापक दृष्टि से अधिक है। जो कि 2019–20 संस्करण में सुधार का प्रतीक है। सूचकांक एस.डी.जी. हासिल करने की दिशा में देश और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सूचकांक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह नीति निर्माता, नागरिक समाज, व्यवसाय और आम जनता सभी के लिए सुलभ हो गया है।

वर्तमान सूचकांक के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 16 एस.डी.जी. में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करना। जिसने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को कई लक्ष्यों में उनके प्रदर्शन को रैंक देने के लिए एक समग्र स्कोर की भी गणना की गई।
- वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
- उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने समकक्ष की अच्छी कार्यप्रणाली से सीखने में सक्षम बनाना।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सांख्यिकीय प्रणाली में डेटा अंतराल को उजागर करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें मजबूत और अधिक लगातार डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है।

नीति आयोग ने सभी राज्यों को उनके अंकों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:

सारणी 4.1: नीति आयोग द्वारा प्रदर्शन के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण

क्रमांक	उपलब्धि श्रेणी	स्कोर की सीमा
1	रेसपीरन्ट	0–49
2	परफोर्मर	50–64
3	फ्रंट रनर	65–99
4	अचीवर	100

स्रोत: एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020–21

- एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 एस.डी.जी. पर लक्ष्य–वार स्कोर की गणना करता है।
- ये स्कोर 0–100 के बीच होते हैं, और यदि कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 100 का स्कोर प्राप्त करता है, तो यह दर्शाता है कि उसने 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया है।
- किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का स्कोर जितना अधिक होता है, वह अपने अंतिम लक्ष्य के उतना ही नजदीक होता है।
- प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए समग्र स्कोर की गणना व्यक्तिगत लक्ष्य स्कोर के अंकगणितीय माध्यम को लेकर, लक्ष्यों में उनके प्रदर्शन को मिलाकर की गई थी।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 3.0 में, 115 संकेतकों में से 75 इंडेक्स 2.0 के समान हैं। इनमें से 2019 की तुलना में 57 संकेतकों के लिए अद्यतन मूल्यों का उपयोग किया गया है। 115 संकेतकों में से 76 पूरी तरह से राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एन.आई.एफ.) के साथ संरेखित हैं, 31 सम्बन्धित एन.आई.एफ. से संदर्भित हैं, और 8 संकेतक सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से बनाए गए हैं। कुल 109 संकेतकों का सूचकांक अनुमान के लिए उपयोग किया गया। एस.डी.जी. 14 के तहत 5 संकेतकों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे केवल 9 तटीय राज्यों से संबंधित हैं, जबकि लक्ष्य 10 में एक संकेतक का उपयोग तुलनात्मकता आंकड़ों की कमी के कारण गणना के लिए नहीं किया गया है।

अप्रत्याशित और अभूतपूर्व, कोविड–19 महामारी ने दुनिया भर में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को चुनौती दी है। भारत ने एक व्यवस्थित महामारी प्रबंधन योजना के अन्तर्गत विशिष्ट समूहों पर केंद्रित प्रणाली पर बल दिया है।

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में फ्रंट रनर श्रेणी में। इसने सतत विकास लक्ष्यों के आकलन में लगातार शीर्ष स्थान हासिल किया है। हालांकि सभी संकेतकों में हिमाचल प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सतत विकास लक्ष्य 2 में भी हिमाचल ने सबसे कम स्कोर हासिल किया जो कि जीरो हंगर से संबंधित है। इसके अलावा, सतत विकास लक्ष्य 2 में तीन ऐसे संकेतक हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश को ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें कम वजन वाले बच्चों, बौने बच्चों और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत शामिल है। एस.डी.जी. 3.0 के अनुसार राज्य ने तमिलनाडु के साथ समग्र रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है।

सारणी 4.2: हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सतत लक्ष्यों (शीर्ष पांच राज्य)

क्रमांक	राज्य	संयुक्त स्कोर	पिछले वर्ष के स्कोर में लाभ
1	केरल	75	+ 5
2	हिमाचल प्रदेश	74	+ 5
3	तमिलनाडु	74	+ 7
4	आंध्र प्रदेश	72	+ 5
5	गोवा	72	+ 7

स्रोतः एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020–21

सारणी: 4.3 में शीर्ष पांच राज्यों का एस.डी.जी. में प्रदर्शन

एस.डी.जी. लक्ष्य	केरल	तमिलनाडु	आंध्र प्रदेश	गोवा	हिमाचल प्रदेश
एस.डी.जी. 1: पूर्णत समाप्त	83	86	81	83	80
एस.डी.जी. 2: भुखमरी का अंत	80	66	52	78	52
एस.डी.जी. 3: अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर	72	81	77	72	78
एस.डी.जी. 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	80	69	50	71	74
एस.डी.जी. 5: लैंगिक समानता	63	59	58	55	62
एस.डी.जी. 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता	89	87	92	100	85
एस.डी.जी. 7: वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा	100	100	100	100	100
एस.डी.जी. 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास	62	71	67	76	78
एस.डी.जी. 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास	60	71	52	68	61
एस.डी.जी. 10: असमानताओं में कमी	69	74	74	75	78
एस.डी.जी. 11: सतत शहर और समुदाय	75	79	78	89	79
एस.डी.जी. 12: जिम्मेदार के साथ उपभोग व उत्पाद	65	78	94	47	77
एस.डी.जी. 13: जलवायु परिवर्तन	69	61	63	44	62
एस.डी.जी. 15: भूमि पर जीवन	77	63	69	59	68
एस.डी.जी. 16: शांति, मजबूत न्याय के लिए संस्था	80	71	77	63	73

***एस.डी.जी. 14** – केवल तटीय राज्यों के लिए

हिमाचल प्रदेश ने सतत विकास लक्ष्य एस.डी.जी.–2 पर सबसे कम स्कोर किया है जो भूख और कुपोषण से संबंधित है। लक्ष्य संख्या 2 में सात संकेतक हैं और सात संकेतकों में हिमाचल प्रदेश में पांच वर्ष से कम वजन वाले बच्चों के प्रतिशत, पांच साल से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत जो अविकसित हैं, 15–49 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रतिशत जो एनीमिक हैं और 10–19 वर्ष की आयु के किशोरों का प्रतिशत जो एनीमिक हैं का कम स्कोर है।

योजना विभाग राज्य में, सतत विकास लक्ष्य ढांचे के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है और सतत विकास लक्ष्य को लागू और निगरानी करने के लिए "दृष्टि हिमाचल प्रदेश–2030 सतत विकास लक्ष्यों" नामक राज्य दृष्टि प्रलेख प्रकाशित किया है। निर्धारित किए गए 17 संकेतकों के प्रगति की निगरानी की जा रही है और हर तीन साल में इसे अद्यतन किया जा रहा है। इस प्रलेख में 2022 तक प्राप्त किए जाने वाले संकेतकों की पहचान की है। कोविड महामारी के कारण, 2020 सामाजिक दूरियों वाला वर्ष था, लेकिन फिर भी योजना विभाग ने एस.डी.जी. पर सम्बन्धित विभागों के लिए एक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रायोजित, जो कि 23 से 27 नवंबर 2020 तक राज्य के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (हिपा) में किया गया।

राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति की निगरानी के लिए 138 प्रमुख संकेतकों और लक्ष्यों को चयनित किया है, जिनमें से 12 को हासिल किया गया है, 39 को 2022 तक हासिल किया जाना है और 2030 तक 87 को प्राप्त करने की योजना है। संकेतकों पर प्रगति की निगरानी के लिए सरकार डैशबोर्ड के विकास पर भी विचार कर रही है। इन संकेतकों को सम्बन्धित विभागों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नोडल विभाग घोषित किए गए हैं जिनका निम्नानुसार सारणी 4.4 में वर्णन किया गया है।

सारणी 4.4: एस.डी.जी. और नोडल विभाग

सतत विकास लक्ष्य	लक्ष्य	नोडल विभाग
लक्ष्य 1	गरीबी की पूर्णतः समाप्ति	ग्रामीण विकास
लक्ष्य 2	भूखमरी का अन्त	कृषि
लक्ष्य 3	अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर	स्वास्थ्य
लक्ष्य 4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	शिक्षा
लक्ष्य 5	लैंगिक समानता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
लक्ष्य 6	साफ पानी और स्वच्छता	जल शक्ति
लक्ष्य 7	वहनीय ओर स्वच्छ ऊर्जा	एम.पी.पी. और पावर
लक्ष्य 9	उद्योग, नवाचार ओर बुनियादी ढांचे का विकास	उधोग
लक्ष्य 11	सतत शहरी और सामुदायिक विकास	शहरी विकास
लक्ष्य 12 और 13	जिम्मेदारी के साथ उपभोग, उत्पादन और जलवायु परिवर्तन	पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
लक्ष्य 15	वनों और जैव विविधता	वन
लक्ष्य 16	शांति और मज़बूत न्याय के लिए संस्थान	आावास
लक्ष्य 8 **और 10**	सभ्य कार्य और आर्थिक विकास असमानता में कमी	योजना

स्रोत: दृष्टि हिमाचल प्रदेश–2030, (एस.डी.जी.) योजना विभाग

4.2 सुशासन सूचकांक

सुशासन सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए एक व्यापक और कार्यान्वयन योग्य ढांचा है जो राज्यों / जिलों की रैंकिंग को सक्षम बनाता है। सुशासन सूचकांक का उद्देश्य एक ऐसा उपकरण तैयार करना है जिसे केंद्र शासित प्रदेशों सहित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्यों में समान रूप से उपयोग किया जा सकता है। सुशासन सूचकांक रूपरेखा के आधार पर, यह सूचकांक सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी भावना विकसित करते हुए राज्यों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन प्रदान करता है। सुशासन सूचकांक 2019 में 10 शासन सेक्टर और 50 शासन संकेतक शामिल थे। सुशासन सूचकांक 2020–21 के लिए वही 10 शासन क्षेत्र निर्धारित रखे गए हैं जबकि संकेतकों को संशोधित कर 58 कर दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर 2021 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो दिवंगत पूर्व प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के शुभ अवसर को चिह्नित करता है। सुशासन आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख घटक है और वर्तमान सरकार के न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर ध्यान देने के साथ, सुशासन सूचकांक और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

इसके अतिरिक्त, सुशासन सूचकांक 2020–21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, अर्थात,

(I) अन्य राज्य – समूह ए;
(II) अन्य राज्य – ग्रुप बी;
(III) उत्तर–पूर्व और पहाड़ी राज्य; और
(IV) केंद्र शासित प्रदेश।

सारणी 4.5: क्षेत्रों में शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य और साथ ही सुशासन सूचकांक 2020–21 के संकेतक

सेक्टर	ग्रुप ए	ग्रुप ब	उत्तर पूर्व एवं पहाड़ी राज्य	केंद्र शासित प्रदेश
1. कृषि और संबद्ध क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश	मिजोरम	दादरा और नगर हवेली
2. वाणिज्य और उद्योग	तेलंगाना	उत्तर प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	दमन और दीव
3. मानव संसाधन विकास	पंजाब	ओडिशा	**हिमाचल प्रदेश**	चंडीगढ़
4. जन स्वास्थ्य	केरल	पश्चिम बंगाल	मिजोरम	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
5. सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिता क्षेत्र	गोवा	बिहार	**हिमाचल प्रदेश**	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
6. आर्थिक शासन	गुजरात	ओडिशा	त्रिपुरा	दिल्ली

7 समाज कल्याण और विकास	तेलंगाना	छत्तीसगढ़	सिक्किम	दादरा और नगर हवेली
8. न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा	तमिलनाडु	राजस्थान	नागालैंड	चंडीगढ़
9. पर्यावरण	केरल	राजस्थान	मणिपुर	दमन और दीव
10. नागरिक केंद्रित शासन	हरियाणा	राजस्थान	उत्तराखंड	दिल्ली
समग्र रैंकिंग	**गुजरात**	**मध्य प्रदेश**	**हिमाचल प्रदेश**	**दिल्ली**

स्रोतः सुशासन सूचकांक –2020–21, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार।

हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्यों में मानव संसाधन विकास और सार्वजनिक आधारभूत ढांचे के मामले में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता का मूल्यांकन किया गया है।

सारणी 4.6: विभिन्न क्षेत्रों और संकेतकों पर सुशासन सूचकांक 2020–21 में हिमाचल की स्थिति

सेक्टर	सेक्टर स्कोर और स्थिति
1 कृषि और संबद्ध क्षेत्र	0.371 (8वां स्थान)
2 वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र	0.669 (दूसरा स्थान)
3 मानव संसाधन विकास क्षेत्र	0.649 (पहला स्थान)
4 सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र	0.693 (छठा स्थान)
5 सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिता क्षेत्र	0.822 (पहला स्थान)
6 आर्थिक शासन क्षेत्र	0.291 (6वां स्थान)
7 सामाजिक कल्याण और विकास क्षेत्र	0.580 (दूसरा (स्थिति)
8 न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र	0.428 (तीसरा स्थान)
9 पर्यावरण क्षेत्र	0.312 (तीसरा स्थान)
10 नागरिक केंद्रित शासन क्षेत्र	0.480 (चौथा स्थान)
उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का समग्र रैंकिंग स्कोर	**5.084 (प्रथम स्थान)**

स्रोतः सुशासन सूचकांक –2020–21, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार।

सुशासन सूचकांक 2020–21 पर हिमाचल की स्थिति दर्शाती है कि राज्य ने सार्वजनिक आधारभूत ढांचे और उपयोगिताओं और सामाजिक कल्याण और विकास में सुधार किया है और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य में पहले स्थान पर है जिसे तालिका 4.6 में दर्शाया गया है, जिसमें यह भी दिखाया गया है कि मानव संसाधन विकास और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं के मामलों में हिमाचल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र हैं। जबकि, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में राज्य को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है जो चिंता का विषय है।

4.3 जिला सुशासन सूचकांक (डी.जी.जी.आई.)

सुशासन आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख घटक है और वर्तमान सरकार के न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर ध्यान देने के साथ सूचकांक अधिक महत्व रखता है।

जिला सुशासन सूचकांक का विचार तब उत्पन्न हुआ जब हिमाचल प्रदेश को पब्लिक अफेयर सेंटर (पी.ए.सी.), बेंगलुरु द्वारा जारी पब्लिक एफेयर इंडेक्स (पी.ए.आई.) पर 2016, 2017, 2018 और 2019 में लगातार 12 छोटे राज्यों में पहला स्थान प्रदान किया।

हिमाचल प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक को वार्षिक संकलन करने के लिए 19 जनवरी, 2019 को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि यह सूचकांक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा संकलित किया जाएगा। तदनुसार, विभाग ने जिला सुशासन सूचकांक 2019 तैयार किया है। बजट 2020–21 में माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने इस सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करने व जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावे के लिए शीर्ष तीन जिलों यानी प्रथम – 50 लाख, द्वितीय – 35 लाख और तृतीय – 25 लाख पुरस्कार राशि की घोषणा की थी। जिला सुशासन सूचकांक–2020 के आधार पर, शीर्ष तीन जिलों को वर्ष 2021 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सुशासन को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयास के एक अंश के रूप में जिला सुशासन सूचकांक (डी.जी.जी.आई.), 2020 को नीति निर्माण में अधिक समावेश के उद्देश्य से डी.जी.जी.आई. 2019 की तुलना में मापदंडों में कुछ प्रासंगिक परिवर्तनों के साथ विकसित किया गया है। जिलेवार रैंकिंग से जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी जिससे नागरिकों को अत्यधिक लाभ होगा। डी.जी.जी.आई. 2019 में 7 थीम, 19 फोकस विषय और 45 शासन संकेतक शामिल हैं और डी.जी.जी.आई. 2020 के लिए समान 7 थीम, और 19 फोकस विषय और 75 संकेतक संशोधित किए गए हैं। विभिन्न जिलों की तुलनात्मक स्थिति नीचे सारणी 4.7 में प्रस्तुत की गई है।

सारणी 4.7: सुशासन सूचकांक के आधार पर सभी जिलों का तुलनात्मक प्रदर्शन

जिले	डी.जी.जी.आई. (2020)		डी.जी.जी.आई. (2019)	
	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक
हमीरपुर	0.674	1	0.645	3
बिलासपुर	0.634	2	0.758	1
कुल्लू	0.617	3	0.621	6
मंडी	0.613	4	0.702	2
शिमला	0.608	5	0.568	10
ऊना	0.604	6	0.633	4
कांगड़ा	0.598	7	0.612	7
सोलन	0.561	8	0.573	9
सिरमौर	0.558	9	0.575	8
किन्नौर	0.543	10	0.625	5
चंबा	0.529	11	0.559	11
लाहुल–स्पीति	0.471	12	0.555	12

स्रोतः जिला सुशासन सूचकांक 2019 और 2020, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

सारणी 4.7 दर्शाती है कि जिला हमीरपुर ने अपनी स्थिति में 3 से 1 रैंक का सुधार किया और जिला कुल्लू ने 2020 में अपनी स्थिति में सुधार किया जिला कुल्लू 2019 में प्राप्त छठे स्थान की तुलना में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जिला मंडी दूसरे से चौथे स्थान पर और बिलासपुर पहले स्थान से फिसलकर दूसरे स्थान पर आ गया है। शिमला जिला, पिछले वर्ष में 10वें के मुकाबले 2020 में 05 वें स्थान पर आ गया है। सारणी 4.8 प्रत्येक विषय के लिए जिलों का व्यक्तिगत स्कोर प्रस्तुत करती है। मानव विकास सूचकांक और सामाजिक सुरक्षा सूचकांक में हमीरपुर की स्थिति बेहतर है।

सारणी 4.8: प्रत्येक विषय के लिए जिले का व्यक्तिगत स्कोर

जिला	आवश्यक आधारभूत संरचना सूचकांक	मानव विकास सूचकांक के लिए समर्थन	सामाजिक सुरक्षा सूचकांक	महिला और बच्चे सूचकांक	अपराध, कानून और व्यवस्था सूचकांक	पर्यावरण सूचकांक	पारदर्शिता और जवाबदेही	समग्र स्कोर	रैंक
हमीरपुर	0.691 (2)	0.685 (2)	0.769 (2)	0.631 (5)	0.676 (5)	0.762 (3)	0.501 (4)	0.674	1
बिलासपुर	0.681 (3)	0.706 (1)	0.568 (7)	0.702 (2)	0.441 (11)	0.873 (1)	0.471 (6)	0.634	2
कुल्लू	0.625 (5)	0.629 (5)	0.519 (9)	0.595 (6)	0.895 (1)	0.516 (11)	0.536 (3)	0.617	3
मंडी	0.566 (9)	0.664 (3)	0.630 (4)	0.469 (11)	0.611 (9)	0.716 (5)	0.634 (1)	0.613	4
शिमला	0.580 (7)	0.649 (4)	0.623 (5)	0.679 (3)	0.623 (7)	0.623 (10)	0.480 (5)	0.608	5
ऊना	0.771 (1)	0.542 (8)	0.459 (10)	0.585 (7)	0.804 (2)	0.731 (4)	0.335 (9)	0.604	6
कांगड़ा	0.676 (4)	0.545 (7)	0.521 (8)	0.461 (12)	0.758 (3)	0.648 (8)	0.576 (2)	0.598	7
सोलन	0.575 (8)	0.612 (6)	0.364 (12)	0.709 (1)	0.613 (8)	0.709 (6)	0.342 (8)	0.561	8
सिरमौर	0.402 (12)	0.508 (10)	0.787 (1)	0.534 (8)	0.585 (10)	0.652 (7)	0.436 (7)	0.558	9
किन्नौर	0.603 (6)	0.515 (9)	0.692 (3)	0.672 (4)	0.170 (12)	0.830 (2)	0.319 (10)	0.543	10
चंबा	0.480 (10)	0.473 (12)	0.622 (6)	0.511 (10)	0.671 (6)	0.638 (9)	0.310 (11)	0.529	11
लाहुल–स्पीति	0.419 (11)	0.486 (11)	0.458 (11)	0.517 (9)	0.752 (4)	0.377 (12)	0.287 (12)	0.471	12
हिमाचल प्रदेश	**0.589**	**0.584**	**0.584**	**0.589**	**0.633**	**0.673**	**0.436**	**0.584**	

स्रोतः जिला सुशासन सूचकांक 2020, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

4.4 राज्य के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम.पी.आई.) की स्थिति

एम.पी.आई. को सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) 1 को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि "हर जगह गरीबी को सभी रूपों में समाप्त करें"। एम. पी.आई. का उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) द्वारा 2010 से अपने प्रमुख मानव विकास रिपोर्ट में किया गया है और यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से नियोजित गैर–मौद्रिक गरीबी सूचकांक है। यह संबंधित बारह संकेतकों पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अतिव्यापी अभाव को दर्शाता है: 1) पोषण, 2) बाल किशोर और मृत्यु दर, 3) प्रसवपूर्व देखभाल 4) स्कूली शिक्षा के वर्ष, 5) स्कूल में उपस्थिति, 6) खाना पकाने का ईंधन, 7) स्वच्छता, 8) पेयजल, 9) बिजली, 10) आवास, 11) संपत्ति और 12) बैंक खाता। यह आय गरीबी माप का पूरक है क्योंकि यह सीधे वंचितों को मापता और तुलना करता है।

एम.पी.आई. = एच * ए

यहाँ एच = हेड काउंट, का अर्थ है उन लोगों का प्रतिशत जो बहुआयामी रूप से गरीब हैं और ए = भारित वंचितों का प्रतिशत है, यानी औसत बहुआयामी गरीब व्यक्ति जो की इससे पीड़ित है।

एम.पी.आई. 2021 पर नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश और भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उपलब्धियों का तुलनात्मक अवलोकन नीचे सारणी 4.9 में दिया गया है।

सारणी 4.9: भारत में एम.पी.आई. के साथ हिमाचल प्रदेश में एम.पी.आई. की तुलनात्मक स्थिति

	शीर्ष गणना अनुपात	तीव्रता	एमपीआई (एच*ए)
भारत	25.01	47.13	0.118
ग्रामीण	32.75	47.38	0.155
शहरी	8.81	45.25	0.04
हिमाचल	7.62	39.43	0.03
ग्रामीण	8.24	39.28	0.032
शहरी	1.46	48.24	0.007

स्रोतः राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नीति आयोग, भारत सरकार।

एम.पी.आई. की संगणना दो चरण शामिल हैं (i) पहचान और (ii) एकत्रीकरण। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहचान एक महत्वपूर्ण कदम है जो एक विशेष राष्ट्र/राज्य की मौजूदा सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के आधार पर एक देश से दूसरे देश में और एक

राज्य से दूसरे राज्य में एम.पी.आई. की संगणना से भिन्न हो सकता है। संकेतकों की पहचान एम.पी.आई. का मूल है जो किसी राष्ट्र/राज्य में तीव्रता और अभाव की तस्वीर को दर्शाता है।

हिमाचल प्रदेश के दो जिलों, चंबा और सिरमौर ने राष्ट्रीय एम.पी.आई. में सभी जिलों में सब से कम और दूसरा सब से निचला स्थान हासिल किया है। इन जिलों में पोषण, मातृ स्वास्थ्य और खाना पकाने का ईंधन आदि संकेतकों में सबसे अधिक अभाव था। सिरमौर और चंबा में पोषण के लिए 9.51 प्रतिशत और 9.69 प्रतिशत हेड काउंट अनुपात है जो राज्य के सभी जिलों में सबसे अधिक है। इसी तरह इन दो जिलों में खाना पकाने के ईंधन की सबसे अधिक कमी है, जहां चंबा के लिए शीर्ष संख्या 10.96 है, जबकि सिरमौर में 10.58 प्रतिशत है। आवास के मामले में भी चंबा के लिए हेड काउंट 7.95 प्रतिशत और 6.99 प्रतिशत है जो राज्य के अन्य सभी जिलों में सबसे अधिक है। राज्य में मातृ स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय जहां ये दोनों जिले अन्य जिलों की तुलना में कम प्रदर्शन करते हैं। जहां चंबा का हेड काउंट अनुपात 9.63 प्रतिशत और सिरमौर में 6.92 प्रतिशत है। मातृ स्वास्थ्य की स्थिति सोलन और मंडी के लिए भी चिंताजनक है जहां हेड काउंट अनुपात 7.1 प्रतिशत और 6.68 प्रतिशत है।

अंत में यह देखा जा सकता है कि जहां चंबा और सिरमौर को एम.पी.आई. के मामले में शासन स्थिति भी, वहीं इन दो जिलों को डी.जी.जी.आई. के मामले में भी निम्न रैंकिंग के रूप में देखा गया है, जहां चंबा 11वें और सिरमौर 9वें स्थान पर है। डी.जी.जी.आई. में सुधार एम.पी.आई. में भी प्रदर्शित है।

संस्थागत एवम् बैंक वित्त

05
अध्याय

5.1 परिचय

प्रदेश में तीन बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें पंजाब नैशनल बैंक को जिला हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मण्डी तथा ऊना में, यूको बैंक को जिला बिलासपुर, शिमला, सोलन तथा सिरमौर में तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को जिला चम्बा तथा लाहौल–स्पिति में यह कार्य आबंटित किया गया है। यूको बैंक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) का संयोजक बैंक हैं। राज्य में कुल 2,244 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है और 76 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। अक्तूबर, 2020 से सितम्बर, 2021 तक 13 नई बैंक शाखाएं खोली गई हैं। वर्तमान में 1,715 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 414 शाखाएं अर्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 115 शिमला में स्थित हैं, जो राज्य में केवल एक ही शहरी क्षेत्र है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्गीकृत किया है।

जनगणना, 2011 के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 3,059 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,000 है। सितम्बर, 2021 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) की कुल 1,165 शाखाएं हैं जो कि राज्य में बैंकिंग क्षेत्र का कुल शाखा नेटवर्क का 51 प्रतिशत है। पंजाब नैशनल बैंक (PNB) का सबसे बड़ा नेटवर्क 350 शाखाओं का है। उसके बाद स्टेट बैंक आफ इंडिया (SBI) की 329 शाखाएं हैं, यूको बैंक की 173 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 188 शाखाओं का नेटवर्क हैं जिसमें सबसे अधिक उपस्थिति एच.डी.एफ.सी. की 75 शाखाओं के साथ है उसके उपरान्त आई.सी.आई.सी.आई. बैंक है जिसकी 32 शाखाएं हैं। राज्य में 4 लघु वित्तीय बैंक कार्य कर रहे हैं और इनका नेटवर्क 16 शाखाओं का है। राज्य में 2 पेमेंट बैंक, भारतीय डाक पेमेंट बैंक तथा FINO पेमेंट बैंक कार्यरत है जिनका 13 शाखाओं का नेटवर्क है।

एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) अर्थात् हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एच.पी.जी.बी.) को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है जिसका सितम्बर, 2021 तक कुल 265 शाखाओं का शाखा नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंकों का कुल 571 शाखाओं का नेटवर्क है। राज्य एपैक्स सहकारी बैंक जो कि हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक (एच.पी.एस.सी.बी.) है, का 241 शाखाओं का नेटवर्क है तथा कांगड़ा केन्द्रीय सैन्ट्रल बैंक (के.सी.सी.बी.) की 217 शाखाएं हैं। राज्य में 5 शहरी सहकारी बैंक भी 26 शाखाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। जिला–वार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 423 बैंक शाखाएं तथा लाहौल स्पिति में सबसे कम 23 बैंक शाखाएं हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा अपनी बैंक सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए 2,049 ए.टी.एम. स्थापित किए गए हैं।

बैंकों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में जहां ढांचा आधारित शाखाएं आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं हैं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु व्यापार संवाददाता प्रतिनिधि (जिन्हें बैंक

मित्र के रूप में जाना जाता है) को तैनात किया है। वर्तमान में गांवों में मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा 5,969 बैंक मित्र तैनात किए गए हैं। राज्य में समकक्ष बैंकों के रूप में पी.एन.बी. बैंक, एस.बी.आई. बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक के पूर्ण विकसित नियंत्रण कार्यालय (अर्थात क्षेत्रीय कार्यालय /अंचल कार्यालय/सर्कल कार्यालय) हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में तथा नाबार्ड का भी क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में शिमला में स्थित है।

राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास के पहिये को बढ़ाने के लिए बैंक भागीदार के रूप में ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। ऋण का प्रवाह सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बढ़ाया गया है। सितम्बर, 2021 तक राज्य के बैंकों ने आर.बी.आई. द्वारा तय सात में से छः राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त किया है जिस में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र,लघु तथा सीमान्त किसान, लघु उद्योग, कमजोर वर्ग तथा महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया है। वर्तमान में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के लिए कुल ऋण का 59.86 प्रतिशत ऋण दिया गया है।

बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में से सितम्बर, 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 19.47 प्रतिशत कृषि अग्रिम राशि प्रदान की है। बैंको द्वारा कुल ऋण में कमजोर वर्गों तथा महिलाओं का क्रमशः 17.75 प्रतिशत तथा 10.48 प्रतिशत अग्रिम राशि का भाग है जोकि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत होनी चाहिए। राज्य में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 38.28 प्रतिशत पर स्थिर रहा। राष्ट्रीय मानकों की स्थिति नीचे सारणी 5.1 में दर्शाई गई है।

सारणी 5.1 : हिमाचल प्रदेश में बैंकों के व्यावसायिक राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क.सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2020	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2021	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
1.	प्राथमिकता के क्षेत्र में अग्रिम	56.14	59.86	40
2.	कृषि अग्रिम	17.06	19.47	18
3.	लघु तथा सीमांत कृषकों को अग्रिम	12.10	14.89	8
4.	लघु उद्योगों को अग्रिम	10.78	12.49	7.5
5.	कमजोर वर्ग के लिए ऋण	36.09	17.75	10
6.	महिला ऋण	10.77	10.48	5
7.	जमा एवं अग्रिम अनुपात (थरोट)	42.33	38.28	60
8	डी.आर.आई. योजना के तहत अग्रिम	0.01	0.03	1
9	एम.एस.एम.ई. अग्रिम (पी.एस.सी.)	41.73	45.80	–
10.	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ऋण (पी.एस.सी.)	7.95	5.98	–
11.	अल्पसंख्यक अग्रिम (पी.एस.सी.)	2.06	2.83	–

स्रोतः राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, हिमाचल प्रदेश

5.2 वित्तीय समावेशन पहल

वित्तीय समावेश समाज के निम्न वर्गों और कम आय वाले समूहों के लिए सस्ती दर पर वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के वितरण को दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा देश भर में वित्तीय समावेश, व्यापक अभियान के अन्तर्गत "प्रधानमन्त्री जन–धन योजना" का शुभारंभ करके हिमाचल प्रदेश में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली वंचित वर्ग के लिए की गई। इस अभियान ने सात वर्ष पूरे कर लिए है और इसके अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों और मज़दूरों सहित समाज के कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कई पहलें की जा रही हैं।

5.3 प्रधानमन्त्री जन–धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.):

बैंकों द्वारा राज्य में प्रत्येक घर में कम से कम एक बुनियादी बचत जमा (बी.एस.बी.डी.ए.) खाते के साथ समस्त परिवारों को सम्मिलित किया गया है। बैंकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कुल 17.53 लाख खाते सितम्बर, 2021 तक खोले गए है। इन खातों में से 15.34 लाख बुनियादी बचत जमा खाते ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 2.19 लाख शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। राज्य में बैंकों द्वारा पी.एम.जे.डी.वाई. खाताधारकों को 11.73 लाख रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड जारी किए गए, जिससे पी.एम.जे.डी.वाई. के अन्तर्गत खोले गए खातों को 66 प्रतिशत तक शामिल कर लिया गया है। सितम्बर, 2021 तक बैंकों द्वारा 83 प्रतिशत पी.एम.जे.डी.वाई. खातों को आधार संख्या तथा मोबाइल नंबर के साथ जोड़ने की पहल की है।

5.4 प्रधानमन्त्री जन–धन योजना के अन्तर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहलः

प्रधानमन्त्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार ने गरीबों तथा दलित वर्गों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित हैः–

i) प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.)

इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को प्रति वर्ष ₹12.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीनीकरण पर आकस्मिक मृत्यु सह दिव्यांगता के लिए ₹2.00 लाख (आंशिक स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹1.00 लाख) प्रदान किए जाते हैं तथा हर वर्ष 1 जून को नवीनीकरण किया जाता है। प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 2021 तक बैंकों ने 15.72 लाख ग्राहकों को जोड़ा है। विभिन्न बीमा कम्पनियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 30 नवम्बर, 2021 तक 909 बीमा दावों का निपटारा किया गया है।

ii) प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई)

इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को बैंक प्रति वर्ष ₹330.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीनीकरण पर किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर ₹2.00 लाख प्रदान किए जाते हैं तथा हर वर्ष 1 जून को नवीनीकरण होता है। सितम्बर, 2021 तक बैंकों में 4.32 लाख ग्राहकों को प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) के अन्तर्गत जोड़ा है। 30 नवम्बर, 2021 तक इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 1,902 बीमा दावों का बीमा कम्पनियों द्वारा निपटारा किया गया है।

iii) अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.)

अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित है तथा इस योजना के अन्तर्गत ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु पर न्यूनतम पेंशन ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 और ₹5,000 प्रति माह उपलब्ध करवाई जाती है, यदि ग्राहक ने 18 वर्ष से 40 वर्ष के दौरान अंशदान विकल्प के आधार पर चुना हो। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत ग्राहक द्वारा 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि में अंशदान किया हो तो निर्धारित न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जायेगी। अटल पेंशन योजना में राज्य सरकार भी योगदान करती है। इसके अंतर्गत पात्र खाताधारकों को सह–योगदान के रूप में ग्राहक द्वारा कुल योगदान का 50 प्रतिशत या ₹2,000 की राशि, जो भी कम हो। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार मनरेगा श्रमिकों, मिड–डे मील कार्यकर्ताओं, कृषि एवं बागवानी श्रमिकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत लाने हेतु ध्यान दे रही है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा जोरदार अभियानों, शिविरों, मीडिया प्रचार, प्रैस इत्यादि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) के अर्न्तगत बैंकों द्वारा आरंभ से सितम्बर, 2021 तक 2,02,666 ग्राहकों को नामांकित किया गया है। ए.पी.वाई. योजना के अन्तर्गत डाक एवं तार विभाग भी भाग ले रहा है।

5.5 प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.)

प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में चल रही है। छोटे सूक्ष्म उद्यमों में मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में गैर कृषि उद्यम शामिल हैं, जिनकी ऋण आवश्यकताएं ₹10.00 लाख से कम है और आय सृजन के लिए इन खण्डों को दिए सभी ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में जाना जाएगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सभी अग्रिम जो 08.04.2015 को या इसके बाद इस योजना के अधीन आए हो, को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में सितम्बर, 2021 तक चालू वित्त वर्ष

2021–22 में इस योजना के अन्तर्गत 36,509 नए लघु उद्यमियों को ₹775.90 करोड़ के नए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। सितम्बर, 2021 तक पी.एम.एम.वाई. के अन्तर्गत 1,72,048 उद्यमियों को ₹2,566.70 करोड़ के नए ऋण वितरित करते हुए बैंकों की संचयी स्थिति है।

5.6 स्टैण्ड अप इण्डिया योजना (एस.यू.आई.एस.)

स्टैण्ड अप इण्डिया योजना को देश भर में औपचारिक रूप से शुरू किया गया जिसका लक्ष्य समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला प्रतिनिधित्वों द्वारा असेवित तथा कम सेवित क्षेत्रों मे उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के अन्तर्गत कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता या कम से कम एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र (इसे ग्रीन फील्ड उद्यम भी कहा जाता है) में एक नए उद्यम की स्थापना के लिए ₹10.00 लाख से लेकर ₹1.00 करोड़ के ऋण की बैंक द्वारा सुविधा दी जाती है। सितम्बर,2021 तक इस योजना के अर्न्तगत बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 1,445 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए ₹297.56 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

5.7 वित्तीय जागरूकता और साक्षरता अभियानः

वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान, लक्षित समूहों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक हिमाचल प्रदेश में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफ.एल.सी.) तथा अपनी बैंक शाखाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता अभियान चला रहे है।

5.8 बैंकों की व्यवसायिक स्थितिः

राज्य के सभी बैंकों द्वारा कुल जमा राशि सितम्बर, 2020 से ₹1,39,352 करोड़ से बढ़कर ₹1,50,098 करोड़ सितम्बर, 2021 तक दर्ज की गई। बैंकों की जमा राशि में वर्ष दर वर्ष 7.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। कुल अग्रिम सितम्बर, 2020 में ₹56,308 करोड़ से बढ़ कर सितम्बर, 2021 तक ₹54,423 करोड़ हो गए जो वर्ष दर वर्ष ऋणात्मक वृद्धि (-)3.35 प्रतिशत दर्शाते हैं। कुल बैंकिंग कारोबार ₹2,04,511 करोड़ तक बढ़ गया तथा वर्ष दर वर्ष वृद्धि 4.52 प्रतिशत दर्ज की गई।

बैंकिग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) का सबसे अधिक 63 प्रतिशत भाग है, आर.आर.बी. का 5 प्रतिशत भाग है, निजी बैंक का 12 प्रतिशत तथा सहकारी बैंक का 20 प्रतिशत भाग है। तुलनात्मक आंकड़े नीचे सारणी 5.2 में दर्शाए गए है।

सारणी 5.2 : हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क.सं.	मद	30.09.2020	30.09.2021	सितम्बर, 2020 से सितम्बर, 2021 में परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष)	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1.	**जमा राशि पी.पी.डी.**				
	ग्रामीण	85300.62	90648.39	5347.77	6.27
	शहरी/अर्ध शहरी	54051.68	59439.96	5388.28	9.97
	कुल	**139352.30**	**150088.35**	**10736.10**	**7.70**
2.	**अग्रिम (ओ/एस)**				
	ग्रामीण	31358.65	28196.62	(-)3162	(-)10.08
	शहरी/अर्ध शहरी	24949.06	26226.32	1277.26	5.12
	कुल	**56307.71**	**54422.94**	**(-)1884.80**	**(-)3.35**
3.	**कुल बैंकिंग व्यापार (जमा+अग्रिम)**	**195660.01**	**204511.29**	**8851.28**	**4.52**
4.	जमा उधार अनुपात थरोट कमेटी के आधार पर	42.33	38.28	(-)4.05	(-)9.57
5.	**प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:**	**31613.47**	**29749.13**	**(-)1863.30**	**(-)5.89**
	i) **कृषि**	9603.96	9627.44	23.48	0.24
	ii) **एम.एस.एम.ई.**	13192.82	13656.09	462.27	3.51
	iii) **ओ.पी.एस.**	8815.69	6465.60	(-)2350.10	(-)26.66
6.	कमजोर वर्ग को अग्रिम	20322.94	8840.66	(-)11482	(-)56.50
7.	डी.आर.आई.अग्रिम	3.23	17.09	13.86	429.10
8.	गैर प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	24695.24	19996.25	(-)4699	(-)19.03
9.	शाखाओं की संख्या	2195	2244	49	2.23
10.	महिलाओं के लिए अग्रिम	6062.55	5221.49	(-)841.06	(-)13.87
11.	अल्प–संख्यकों को ऋण	649.94	842.42	192.48	29.62
12.	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम	2513.44	1782.40	(-)731.04	(-)29.09

स्रोतः राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, हिमाचल प्रदेश

5.9 वार्षिक जमा योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बैंकों ने नाबार्ड की सहायता से, क्षमता के आधार पर विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वार्षिक जमा योजना तैयार कर नए ऋण अदा किए हैं। वार्षिक जमा योजना 2021–22 के अधीन पिछली योजना के वित्तीय परिव्यय में 10.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा ₹30,538 करोड़ परिव्यय का लक्ष्य तय किया गया। सितम्बर, 2021 तक बैंकों ने वार्षिक जमा योजना के अन्तर्गत ₹14,115.30 करोड़ के नए ऋण वितरित किए तथा 46.25 प्रतिशत की वार्षिक प्रतिबद्धता हासिल की। क्षेत्रवार लक्ष्य तथा उपलब्धि 30.09.2021 तक सारणी 5.3 में दर्शाई गई है।

सारणी 5.3: सितम्बर, 2021 तक की स्थिति पर एक दृष्टि

(₹ करोड़ में)

क.सं.	क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य 2021–22	लक्ष्य सितम्बर, 2021	उपलब्धि सितम्बर, 2021	प्रतिशत उपलब्धि सितम्बर, 2021
1.	कृषि प्रत्यक्ष	12253.73	6126.87	3874.74	63.24
2.	एम.एस.एम.ई.	9522.44	4771.22	4803.85	100.68
3.	शिक्षा	480.74	240.37	37.74	15.70
4.	आवास	1787.43	893.72	451.87	50.56
5.	अन्य प्राथमिक क्षेत्र	1916.99	958.50	265.61	27.71
6.	**कुल प्राथमिक क्षेत्र (1 से 5)**	**25961.33**	**12990.68**	**9433.81**	72.62
7.	कुल गैर प्राथमिक क्षेत्र	4556.87	2278.44	4681.49	205.47
	कुल योग(6+7):	30518.20	15269.12	14115.30	92.44

स्रोत: राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, हिमाचल प्रदेश

5.10 सरकारी प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन:

i) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एन.आर.एल.एम.)

ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम को संचालित किया है जिसमें कि गरीबी कम करने के लिए मजबूत संस्थानों का निर्माण, महिलाओं को समर्थ करना, नई वित्तीय सेवाओं और आजीविका सेवाओं तक पहुंच पाना है। इस योजना को राज्य में हि.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। राज्य में इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ₹110.00 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य को 8,000 लाभार्थियों में आबंटित करके अर्जित किया है। बैंकों ने एन.आर.एल.एम. योजना में 30 सितम्बर, 2021 तक ₹30.47 करोड़ के 1,683 ऋणों की स्वीकृति दी है।

ii) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम (एन.यू.एल.एम.)

भारत सरकार, आवास मन्त्रालय और शहरी गरीबी उन्मूलन (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.) ने मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) को पुनर्गठित किया और राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) को शुरू किया। स्वयं रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) एन.यू.एल.एम. के घटकों (4 घटक) में से एक है जो व्यक्तिगत और समूह उद्यमों तथा शहरी गरीबों के स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) की स्थापना के लिए ऋणों पर ब्याज अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। एन.यू.एल.एम. हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

बैंको ने सितम्बर, 2021 तक एन.यू.एल.एम. के अन्तर्गत ₹2.78 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं।

iii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)एक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान कार्यक्रम है जोकि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मन्त्रालय द्वारा प्रशासित है। इस योजना के कार्यन्वयन के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन (के.वी.आई.सी.) राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख एजेंसी है। राज्य स्तर पर के.वी. आई.सी.,खादी एवं ग्रामीण बोर्ड (के.वी.आई.बी.) तथा जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से यह योजना कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1,451 नई इकाइयों के वित्तपोषण का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन शाखाओं ने ₹43.73 करोड़ का अतिरिक्त राशि के वितरण का लक्ष्य रखा है। 469 इकाइयों के लिए उद्यमियों को ₹12.50 करोड़ सितम्बर, 2021 तक की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है।

5.11 किसान क्रेडिट कार्ड(के.सी.सी.)

किसानों को बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत् अल्पकालिक ऋण, फसलों की खेती तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए एक ही स्थान एवं समय पर पर्याप्त ऋण बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के माध्यम से दिया जा रहा है। सितम्बर, 2021 तक बैंकों द्वारा 1,04,020 किसानों को ₹1,658.74 करोड़ की नई राशि के.सी.सी. के माध्यम से वितरित की गई है। सितम्बर, 2021 तक बैंकों द्वारा कुल 3,92,757 किसानों को के.सी.सी. योजना के अन्तर्गत ₹6,769.74 करोड़ की राशि से वित्तपोषित किया गया हैं।

5.12 ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.)

जिला स्तर पर ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने, कौशल उन्नयन के लिए एवं उद्यमिता विकास हेतु बुनियादी ढाचे के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय (एम.ओ.आर.डी.) की पहल पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.) चलाए जा रहे है। राज्य के 10 जिलों (लाहौल–स्पिति, किन्नौर छोड़कर) में अग्रणी बैंक, जिनमें यूको बैंक, पी.एन.बी. व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शामिल हैं, द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर.एस.ई.टी.आई.) का गठन किया है। यह ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.) प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन (पी.एम.ई.जी.पी.) योजना व विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आर.एस.ई.टी.आई.ने वर्ष 2021–22 में कुल 220 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य रखा है तथा चालू वित्त वर्ष में कुल 5,730 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

5.13 बैंक खातों के साथ आधार लिंकेज के लिए विशेष अभियान तथा सभी मौजूदा बैंक खातों में आधार का सत्यापनः

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न बैंकों द्वारा आधार नामांकन और अद्यतन (अपडेट) के लिए 97 केन्द्रों को चिन्हित किया है।

5.14 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ऋण वितरण व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण व विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास प्रक्रिया में निरन्तर सहयोग दिया है, जैसे कि किसान उत्पादक संगठन, ग्रामीण खेत तथा गैर कृषि क्षेत्र, कौशल विकास, पुर्नवित्त की सुविधा राज्य में ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण युक्त अनुदान योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

5.14.1 ग्रामीण अधोसंरचना

ग्रामीण अधोसंरचना विकास (आर.आई.डी.एफ.) निधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों व बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है, 1995–96 में इसकी शुरुआत से ही, राज्य सरकारों की साझेदारी में नाबार्ड एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं। वर्षों से, समय के साथ–साथ इस निधि के उपयोग से वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 39 उपर्युक्त गतिविधियां जिनमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा ग्रामीण सम्पर्क सम्बन्धित आधारभूत गतिविधि को भी शामिल किया गया है।

इस निधि के अन्तर्गत् वर्ष 1995–96 में आर.आई.डी.एफ–I में ₹15.00 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आर.आई.डी.एफ–XXVII में (वर्ष 2021–22) में ₹1000 करोड़ हो गया है। आर.आई.डी.एफ. ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, सड़कें तथा पुल निर्माण, बाढ़ नियन्त्रण, पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा, पशुधन सेवाएं, जलागम विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही के वर्षों में, पॉली हाऊस के विकास के लिए अभिनव परियोजना–घरों और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों और सौर सिंचाई का समर्थन किया गया है, जो वाणिज्यिक पद्धतियों पर कृषि व्यवसाय और टिकाऊ खेती के विकास की सुविधा प्रदान करेगा। आर.आई.डी.एफ. निधि के अन्तर्गत राज्य को मार्च, 2021 तक परियोजनाओं को लागू करने के लिए ₹8,890 करोड़ की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें मुख्यतः ग्रामीण सड़कें, पुल, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, पशुपालन आदि की परियोजनाएं भी शामिल हैं। आर.आई.डी.एफ.–XXVII के तहत ₹965 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और राज्य को चालू वित्त वर्ष के लिए दिसम्बर, 2021 तक ₹410 करोड़

का वितरण किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन/पूर्ण होने के बाद, 11,790 कि.मी. सड़क मोटर योग्य हो जाएगी, 25,743 मीटर पुलों का निर्माण किया जाएगा और 1,58,030 हेक्टैयर भूमि को सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक स्कूलों में 2,921 कमरे, 64 विज्ञान प्रयोगशालाएं, 25 आई.टी. केन्द्रों और 397 पशु चिकित्सा अस्पतालों का निर्माण ही किया जाएगा।

5.14.2 भण्डारण अधोसंरचना निधि (डब्ल्यू.आई.एफ)

नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए राज्य सरकार को ₹4.18 करोड की राशि मंजूर की गई है। एक 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली नियंत्रित तापमान की भण्डार योजना चुराह, चम्बा में एच.पी.एम.सी. द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। रोहड़ू, ओडडी तथा पतलीकूहल में ₹8.54 करोड में 3,480 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोर को सी.ए. स्टोर्स में आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए दिसम्बर, 2021 को मंजूरी दी गई है।

5.14.3 फूड प्रोसेसिंग फंड (एफ.पी.एफ)

नाबार्ड ने निर्दिष्ट खाद्य पार्कों, व्यक्तिगत भोजन/कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के लिए 2014–15 में ₹2,000 करोड़ के साथ एक खाद्य प्रसंस्करण कोष (FPF) की स्थापना की है। मेसर्ज क्रेमिका मेगा फूड पार्क को राज्य में कुल परियोजना लागत ₹103.85 करोड़ में से ₹37.94 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है। इस परियोजना के हब एंड स्पोक मॉडल से राज्य के किसानों को लाभ तथा रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

5.14.4 पुर्नवित्त सहायता

नाबार्ड ने दीर्घ अवधि के लिए पुर्नवित्त सहायता हेतु विभिन्न कार्य–कलाप, जिनमें ग्रामीण आवास, लघु सड़क परिवहन आपरेटरों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, स्वंय सहायता समूह, कृषि यंत्रीकरण, मुर्गी पालन, वृक्षारोपण एवं बागवानी, भेड़/ बकरी/ सुअर पालन, पैकिंग ग्रेडिंग, घरेलू कार्यकलापों व अन्य शामिल क्षेत्रों के विभिन्न कार्यो के लिए वित्त वर्ष 2021–22 में ₹646.00 करोड़ प्रदान किए हैं। नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंको ने भी दिसम्बर, 2021 को दीर्घकालिक पुनर्वित्त के तहत ₹219.19 करोड़ और वाणिज्यिक बैंकों को ₹ 69.44 करोड़ की राशि प्रदान की है। इसके अतिक्ति वाणिज्यिक बैंकों को ₹ 6.02 करोड़ पुनर्वित्त के रूप में प्रदान हैं।

नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और आर.आर.बी. के प्रयासों को भी परिपूरक किया है, राज्य में फसल ऋण संवितरण के लिए लघु अवधि (एस.टी.) के लिए ₹1,960 करोड़ की ऋण सीमा को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत बैंकों की 2020–21 के दौरान ₹1,960 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता आहरण की है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष में ₹1,060 करोड़ की राशि स्वीकृत की

गई, जिसमें से ₹960 करोड़ दिसम्बर, 2021 तक आहरित किए गए हैं। कोविड–19 के प्रभाव को कम करने के लिए, नाबार्ड ने सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को ₹660 करोड़ की विशेष नकदी सुविधा प्रदान की है।

5.14.5 विशेष पुनर्वित्त योजनाएं

पोस्ट कोविड युग में कृषि ओर ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने 4 नई योजनाएं शुरु की।

क) पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों) का एम.एस.सी. (बहु सेवा केन्द्र) के रुप में परिवर्तन:

इस योजना का लक्ष्य आने वाले तीन वर्षों में संरचित तरीके से लगभग 35,000 पैक्स को देश भर में बहु सेवा केंद्रों (MSCS) में परिवर्तित करना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में 42 पैक्स को दिसम्बर, 2021 तक ₹11.15 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

ख) नाबार्ड वाटरशैड और वादी परियोजना क्षेत्रों में विशेष पुनर्वित योजना:

इस योजना का उद्देश्य अंतिम आर्थिक लाभार्थियों को सस्ता ऋण देने के लिए बैंकों को रियायती पुनर्वित्त सुविधा 3 प्रतिशत की दर से प्रदान करके, नाबार्ड वाटरशैड ओर वादी क्षेत्रों में स्थायी आर्थिक गतिविधियों, आजीविका ओर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।

ग) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना:

इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना को बल देने के लिए एक विकल्प प्रदान करना है। नाबार्ड सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों में पूंजी निर्माण में तेजी लाने के लिए सभी पात्र बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को 4 प्रतिशत दर से रियायती दीर्घकालिक पुनर्वित्त उपलब्ध करवाएगा।

घ) जल स्वच्छता और स्वच्छ गतिविधियों के लिए योजनाबद्ध पुनर्वित्त:

इस योजना का उद्देश्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करना है ताकि वे पात्र लाभार्थियों/उद्यमियों को समय पर ओर परेशानी मुक्त ऋण प्रदान कर सकें ताकि स्वच्छता (WASH) सम्बन्धित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया जा सके।

5.14.6 सरकारी प्रायोजित योजनाएं

क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत् राज्य में ₹1.48 करोड़ की अनुदान वित्तीय वर्ष 2019–20 में, ₹2.36 करोड़ वर्ष 2020–21 में और वर्ष 2021–22 के लिए ₹25.85 लाख दिसम्बर, 2021 तक जारी की गई है।

ख) नई कृषि विपणन अवसंरचना योजना को मार्च, 2022 तक सावधि. ऋणों के लिए बढ़ा दिया गया है।

5.14.7 लघु ऋण

स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) कार्यक्रम का अब सारे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ विस्तार हो गया है। इस कार्यक्रम को उच्च शिखर पर पहुंचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश में 60,293 क्रेडिट लिंक्ड स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगभग 13,367 ग्रामीण परिवारों को 31 मार्च, 2021 तक ₹14,508.14 लाख का कुल ऋण दिया जा चुका है। केन्द्रीय बजट 2014–15 में संयुक्त कृषि समूहों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड द्वारा किए गए वित्तपोषण के प्रयासों से संयुक्त देयता समूह साधन से "भूमिहीन किसानों" तक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए नवीन पहल हुई है। प्रदेश में 31 मार्च, 2021 तक 11,661 संयुक्त देयता समूहों को ₹16,485.65 लाख का कुल ऋण दिया जा चुका है। वर्ष 2020–21 के दौरान नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूको बैंक को प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि में 1,000 संयुक्त दयता समूह के प्रचार ओर ऋण लिंकेज के लिए ₹40.00 लाख की मंजूरी दी है। इसके अलावा नाबार्ड बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए 2020–21 और 2021–22 के दौरान लघु अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। 39 सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एम.ई.डी.पी.) को मंजूरी दी गई है और 1170 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से या समूह में प्रशिक्षित किया गया है। एक अन्य आजीविका उद्यम विकास कार्यक्रम (एल.ई.डी.पी.) में वर्ष 2021–22 के दौरान 31.12.2021 तक 1470 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

5.14.8 कृषक उत्पादन संगठन का प्रचार

कृषक उत्पादक संगठन एक कानूनी संस्था (एफ.पी.ओ) है, जिसका गठन प्राथमिक उत्पादकों जैसे कि किसान, दुग्ध उत्पादकों तथा मछुआरों द्वारा किया जाता है। एफ.पी.ओ. एक निर्माता कंपनी, सहकारी समिति या कोई अन्य वैध रुप में हो सकती है, जो सदस्यों के बीच लाभ/सुविधाओं का बंटवारा करती है। एफ.पी.ओ. का मुख्य उद्देश्य स्वंय संगठित होकर उत्पादकों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश राज्य में नाबार्ड ने सभी 12 जिलों में 107 एफ.पी.ओ. के गठन/प्रचार के लिए ₹10.89 करोड़ के अनुदान को स्वीकृत किया है। यह एफ.पी.ओ. संयुक्त रुप से सब्जियों, औषधियों और सुगंधित पौधों, दुग्ध और फूलों के उत्पादन, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन का कार्य करेंगे। दिसम्बर, 2021 तक इन एफ.पी.ओ. के लिए ₹6.59 करोड़ की राशि जारी की गई है। ये एफपीओ राज्य भर के लगभग 15,000 किसानों को सुरक्षा देते हैं जिनकी सालाना बिक्री ₹27.00 करोड़ है। एक अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजना में नाबार्ड ''एक जिला एक उत्पाद'' की अवधारणा के साथ 10,000 एफ.पी.ओ. के गठन और संवर्धन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगा। राज्य में क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सी.बी.बी.ओ.) के माध्यम से एफ.पी.ओ. को बढ़ावा और पोषित किया

जाएगा। नाबार्ड ने इस योजना के तहत कुल स्वीकृत अनुदान ₹2.88 करोड़ के साथ 16 एफ.पी.ओ. का गठन किया है।

5.14.9 वाटरशैड डेवलपमेंट

नाबार्ड ने राज्य के दस जिलों में 38 वाटरशैड विकास परियोजनाओं (वाटरशैड और स्प्रिंग शैड परियोजना) को मंजूरी दी है। मार्च, 2021 तक इन परियोजनाओं के अर्न्तगत 35,127 हेक्टेयर को सुरक्षित करते हुए 78,031 लाभार्थियों वाले 237 गावों को ₹17.99 करोड़ की राशि लाभान्वित करते हुए वितरित की गई है। इन परियोजनाओं के द्वारा पानी की उपलब्धता, पर्यावरण संरक्षण, उत्पादकता, किसानों की आय में वृद्धि, घटती हुई चरागाहों का संरक्षण और पशुपालन की सुविधा प्रदान होगी। शेष दो जिलों अर्थात् किन्नौर और लाहौल–स्पिति को अगले वित्तीय वर्ष में समाविष्ट किया जाएगा।

5.14.10 जनजातीय विकास निधि के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकासः (टी.डी.एफ.)

नाबार्ड ने 12 जनजातीय विकास परियोजनाओं के अर्न्तगत् कुल ₹18.33 करोड की वित्तीय सहायता द्वारा दिसम्बर, 2021 तक 3,355 परिवारों को समाविष्ट किया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य चयनित गांवों में वादी (छोटे उद्यानों) और डेयरी इकाइयों की स्थापना करना है। इनके अर्न्तगत् 2,355 एकड़ भूमि में आम, किन्नू, नींबू, सेब, अखरोट, नाशपाती और जंगली खुबानी के पौधे लगाए गए हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत छोटे उद्यानों और डेयरी के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को अपनी आय बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं।

5.14.11 कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन कोष के माध्यम से सहायताः (एफ.एस.पी.एफ.)

एफ.एस.पी.एफ. के अन्तर्गत अब तक 16,087 किसानों को 31 परियोजनाओं द्वारा लाभान्वित करने के लिए ₹32.13 करोड़ की संचयी अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। वर्ष 2021–22 के दौरान जिला कांगड़ा में बाजरा और पारम्परिक फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य

से ₹19.88 लाख की अनुदान सहायता से एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। किसानों की आय के साथ–साथ उत्पादकता बढ़ाने वाली परियोजनाओं को निधि के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।

5.14.12 नाबार्ड (NABCONS) की परामर्श सेवाएं

नाबार्ड की परामर्श सेवाएं (नैबकॉन्स) नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है और यह कृषि, ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करती है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में विशेषकर बहु–विषयी परियोजनाएं, जैसे बैंकिंग, संस्थागत विकास, बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षण आदि के लिए नैबकॉन्स, नाबार्ड की विशेष योग्यता का लाभ उठाती है। नैबकॉन्स ने निम्नलिखित प्रमुख कार्य किये हैं:

i) राज्य कृषि विपणन बोर्ड की पराला और खड़ापत्थर में एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श।
ii) राज्य स्तर पर एग्री–इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत पी.एम.यू. की स्थापना।
iii) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का तृतीय पक्ष प्रभाव आकलन।
iv) एफ.पी.ओ. के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन।
v) हथकरघा क्षेत्र का व्यापक अध्ययन।
vi) नैबकॉन्स हिमाचल प्रदेश में डी.डी.यू.–जी.के.वाई. के लिए केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी है।
vii) एस.जे.वी.एन. द्वारा चार राज्यों में निर्मित शौचालयों का तृतीय पक्ष सर्वेक्षण।
viii) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का तृतीय पक्ष निरीक्षण।

5.14.13 हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड की पहल

नाबार्ड को अनुकूलन निधि (AF), हरित जलवायु निधि (GCF) के लिए राष्ट्रीय कार्यान्यवन इकाई (नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी) नामित किया गया है, जिसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन की संरचना (फ्रेमवर्क कन्वेंशन) के अन्तर्गत् पर्यावरण, वन ओर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। नाबार्ड ने परियोजना के समाधान के लिए जलवायु स्मार्ट समाधानों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सूखा ग्रस्त जिले में कृषि निर्भर समुदायों की सत्त आजीविका पर परियोजना के लिए ₹20.00 करोड़ मंजूर किए हैं। इसके तहत सिरमौर जिले के लिए ₹19.12 करोड़ की राशि दिसम्बर,2021 तक नाबार्ड द्वारा जारी की गई है।

मूल्य संचलन और खाद्य प्रबन्धन

06
अध्याय

6.1 परिचय

पिछले दो वर्ष, वैश्विक महामारी कोविड–19 की वजह से अभूतपूर्व रुप से प्रभावित हुए, जिसने सोशल डिस्टेंसिंग को प्रेरित किया और वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बाधित किया। कोविड–19 महामारी के कारण से जैसे ही दूसरे वर्ष में आर्थिक गतिविधियों में तेजी के संकेत दिखना शुरु हुए वैसे ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को, बढ़ती वैश्विक मंहगाई की नई चुनौती का सामना करना पड़ा। घरेलू स्तर पर, दो विपरीत शक्तियां सक्रिय रही। एक तरफ, तो निम्न आर्थिक गतिविधियों के कारण मांग कम हो गई थी। दूसरी तरफ आपूर्ति श्रृंख्लाओं में व्यवधान उत्पन्न होने की वजह से खाद्य मंहगाई की दर में वृद्धि हुई जो अर्थव्यवस्था के खुलने के दौरान जारी रही। ऊर्जा, खाद्य, गैर–खाद्य वस्तुओं और इनपुट कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति बाधाओं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंख्लाओं में व्यवधान और दुनिया भर में बढ़ती माल ढुलाई लागत ने वर्ष के दौरान वैश्विक मंहगाई को और बढ़ा दिया। उभरती अर्थव्यवस्थाओं से बढती मांग और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगी देशों द्वारा उत्पादन मे प्रतिबन्ध के कारण कच्चे तेल में भी वर्ष के दौरान तेजी देखी गई।

नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों पर निगरानी आर्थिक व सांख्यिकी विभाग द्वारा रखी गई ताकि भावों में अनावश्यक बढ़ोतरी को समय पर अंकुश के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सके।

सारणी 6.1: सामान्य मुद्रास्फीति विभिन्न कीमत सूचकांक के आधार पर (प्रतिशत में)

सूचकांक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21^	2021-22*(अ)
थोक मूल्य सूचकांक (समस्त भारत)	1.7	3.0	4.3	1.7	1.3	0.0	12.5
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(ग्रामीण)	4.7	4.5	-0.4	3.1	4.7	4.8	6.1
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(शहरी)	4.1	5.4	4.9	5.4	7.1	7.6	5.2
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(संयुक्त)	4.6	4.6	0.5	3.5	5.2	5.3	6.0
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(औद्योगिक श्रमिक)	4.7	4.1	3.1	4.9	5.5	5.5	5.1
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि श्रमिक)	4.8	2.7	1.2	4.3	4.2	4.8	4.7
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण श्रमिक)	5.6	2.6	1.3	4.3	4.2	4.8	4.8

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग संवर्धन विभाग और डब्ल्यूपीआई के लिए आंतरिक व्यापार (डी.पी.आई.आई.टी.) सी.पी.आई.–सी. के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) और सीपीआई – आई डब्ल्यू (औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) सीपीआई– एएल (कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य संचकांक) और सीपी आई–आरएल के लिए श्रम ब्यूरो। टिप्पणी: 2020–21 के लिए सीपीआई आईडबल्यू मुद्रास्फीति नई श्रृंखला 2016= 100 पर आधारित है।
^अप्रैल से दिसम्बर तक 2020–21 *अप्रैल से दिसम्बर तक 2021–22
(अ) अस्थिर

6.1.1 मुद्रास्फीति में वर्तमान रुझान

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा उपभोक्ता द्वारा चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के वहन किए जाने वाले औसत मूल्य में समय के साथ बदलाव को मुद्रास्फीति भी कहते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता है। मुद्रास्फीति आम व्यक्ति को उसकी आय को कीमतों के अनुरूप न बढ़ने के कारण आहत करती है। मुद्रास्फीति के उतार–चढ़ाव को विभिन्न सूचकांकों के द्वारा मापा जाता है जैसे थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों के लिए), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि श्रमिकों के लिए), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण श्रमिकों के लिए) आदि।

चित्र 6.1 मुद्रास्फीति में रुझान (संयुक्त, ग्रामीण, शहरी)

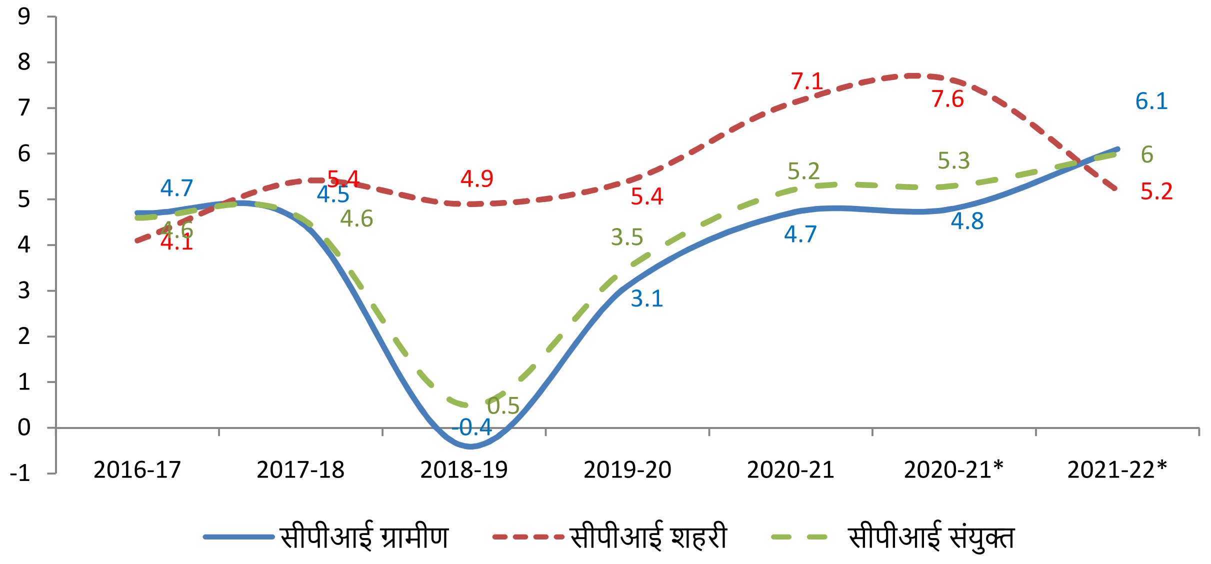

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

6.1.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति वर्ष 2016–17 में 4.6 प्रतिशत थी जोकि 2020–21 में 5.2 प्रतिशत हो गई। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में (अप्रैल से दिसम्बर) संयुक्त मुद्रास्फीति की दर 6.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही जबकि पिछले वर्ष इसी दौरान (अप्रैल से दिसम्बर) यह वृद्धि दर 5.3 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति की यह बढ़ोतरी खाद्य पदार्थ के मूल्यों वद्वि के कारण थी जो अर्थव्यवस्था के खुलने के दौरान भी जारी रही, हालाँकि हाल ही में खुदरा मुद्रास्फीति में मंदी आई है।

कैलेण्डर वर्ष 2017 तथा 2021 के बीच तुलनात्मक विश्लेषण नीचे (चित्र 6.2) दिया गया है। सामान्य मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2017 में 5.0 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2021 में 5.8

प्रतिशत रही। आयात प्रतिबन्धों के कारण कपड़ा व जूता समूह में वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.2 प्रतिशत तक पंहुच गई। ईंधन व प्रकाश समूह की मुद्रास्फीति 2017 से 13 प्रतिशत से कम होकर 2021 में 9.3 प्रतिशत रही, पान तम्बाकू व मादक पदार्थ की मुद्रास्फीति 2017 में 11.9 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2021 में 4.2 प्रतिशत रही ।

चित्र 6.2 समूह–वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) मुद्रास्फीति तुलनात्मक विवेचन 2021 व 2017 आधार वर्ष (2012=100)

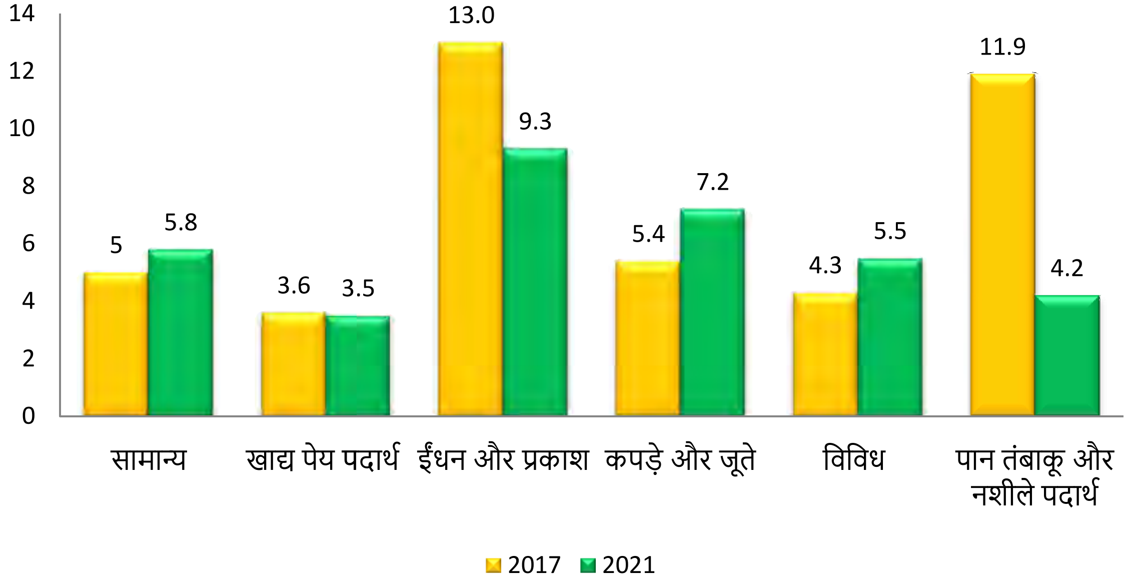

6.1.3 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) के आधार पर वर्ष 2016–17 में मुद्रास्फीति 4.7 प्रतिशत थी जोकि 2020–21 में भी 4.7 प्रतिशत ही रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामीण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा आपूर्ति प्रबंधन प्रतिक्रिया के द्वारा खाद्य कीमतों में काफी कमी आई। चालू वित्त वर्ष 2021–22 में (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान सी.पी.आई.(ग्रामीण) सूचकांक वर्ष 2020–21 की इसी अवधि की तुलना में 6.1 प्रतिशत रही। यह वृद्धि मुख्य रुप से ग्रामीण मांगों को दर्शाती है। (चित्र 6.1)

6.1.4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) वर्ष 2016–17 में मुद्रास्फीति 4.1 प्रतिशत थी जोकि बढ़कर 2020–21 में 7.1 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2021–22 के (अप्रैल से दिसम्बर) महीने के दौरान मुद्रास्फीति की दर 5.2 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष इसी दौरान यह 7.6 प्रतिशत थी। (चित्र.6.1)

6.1.5 समूह–वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (शहरी और ग्रामीण) 2021–22 (अप्रैल से दिसम्बर, 2021)

ग्रामीण मुद्रास्फीति अप्रैल से दिसम्बर, 2021 तक 6.1 प्रतिशत रही जबकि शहरी मुद्रास्फीति की दर 5.2 प्रतिशत थी। 2017–18 से 2020–21 तक ग्रामीण और शहरी सी.पी.आई. मुद्रास्फीति के बीच बड़ा अंतर मुख्य रुप से ईंधन तथा प्रकाश समूह की अंतर दरों के कारण था। यह अंतर 2021–22 तक (सारणी 6.1 तक) जारी रहा है। ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति में परिवर्तन न केवल एक घटक के कारण बल्कि विभिन्न घटकों द्वारा आया है। चित्र 6.3 घटक–वार ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के प्रवाह को दर्शाता है। अध्ययन में यह देखा गया कि अप्रैल से दिसंबर 2021 तक तीन उप समूहों अर्थात् खाद्य और पेय, कपडे और जूते और विविध में ग्रामीण मुद्रास्फीति की परिवर्तनशीलता शहरी उप–समूह मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक हैं। शहरी क्षेत्रों में ईंधन और प्रकाश पदार्थों का समूह की मुद्रास्फीति ग्रामीण मुद्रास्फीति में 12.5 प्रतिशत की तुलना में सबसे अधिक 22.4 प्रतिशत मुद्रास्फीति है।

चित्र 6.3 2021–22 (अप्रैल से दिसंबर) में घटक–वार ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति

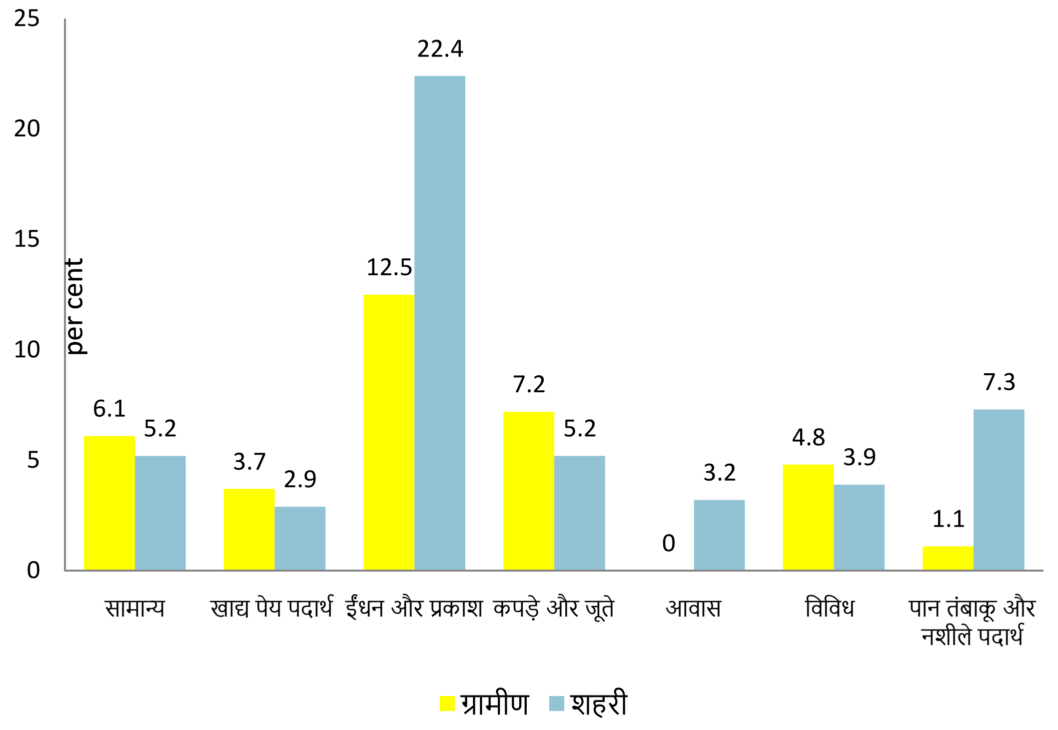

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चित्र 6.4: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) मुद्रास्फीति में विभिन्न समूहों का अंशदान व संचालक 2020–21 (अप्रैल–दिसम्बर) से 2021–22 (अप्रैल–दिसम्बर)
प्रतिशत

	खाद्य पेय पदार्थ	ईंधन और प्रकाश	कपड़े और जूते	विविध	पान तंबाकू और नशीले पदार्थ
2020-21	22.8	-32	32.51	29.9	46.8
2021-22	16.7	40.8	24	15.8	2.6

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
2021–22 (अस्थिर)

6.1.6 मुद्रास्फीति में विभिन्न समूहों का अंशदान व संचालक

ग्रामीण मुद्रास्फीति का प्रमुख चालक ईंधन और प्रकाश था जो अप्रैल से दिसंबर, 2021–22 में कुल मुद्रास्फीति के अन्य घटकों की तुलना में 40.84 प्रतिशत था। कपड़ों और जूते का कुल मुद्रास्फीति में दूसरा सबसे बडा योगदान है और इसका योगदान 24.0 प्रतिशत है। पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थों का घटक 2.6 प्रतिशत का सबसे छोटा योगदानकर्ता है (चित्र–6.4)

6.1.7 शहरी मुद्रास्फीति में विभिन्न समूहों का अंशदान व संचालक

2021–22 अप्रैल से दिसंबर के दौरान शहरी मुद्रास्फीति का प्रमुख चालक ईंधन और प्रकाश है जो कुल मुद्रास्फीति 46.5 प्रतिशत का लगभग आधा योगदान देता है। शहरी मुद्रास्फीति में दूसरा सबसे बडा योगदानकर्ता पान तम्बाकू और नशीले पदार्थों का समूह 15 प्रतिशत है, हालांकि इसका योगदान 2021–22 में 29.3 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत हो गया है। (चित्र–6.5)

चित्र 6.5 : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) मुद्रास्फीति में विभिन्न समूहों का अंशदान व संचालक 2020–21 (अप्रैल–दिसम्बर) से 2021–22 (अप्रैल–दिसम्बर) प्रतिशत

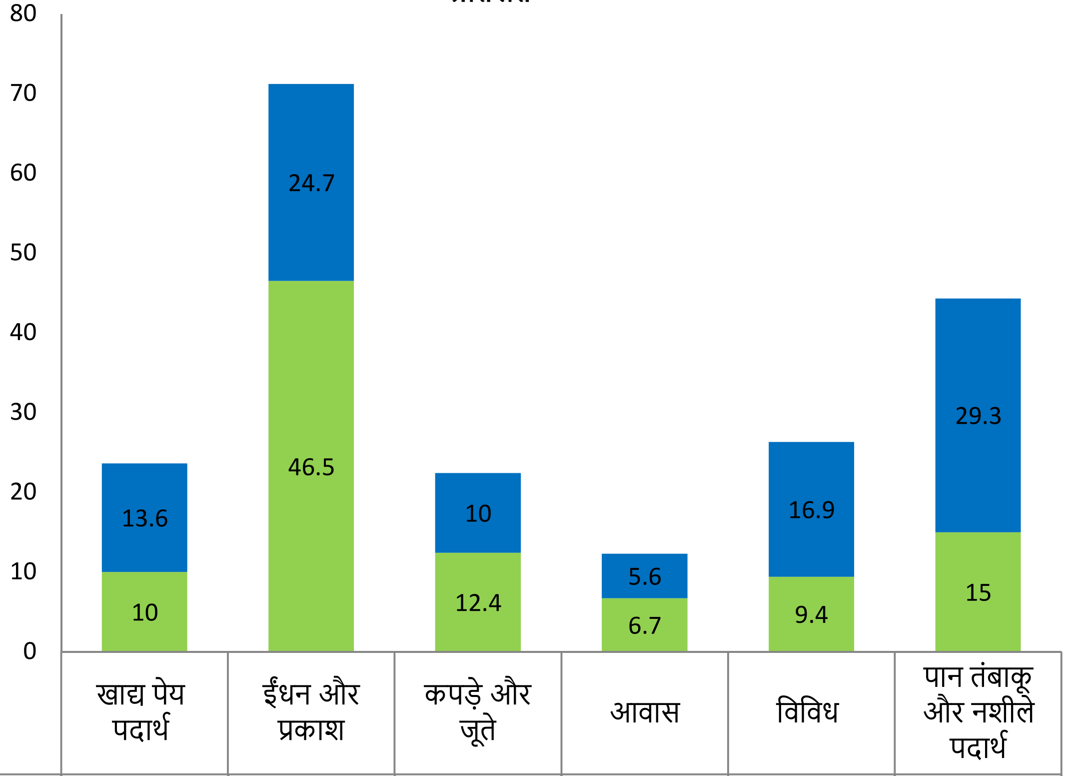

	खाद्य पेय पदार्थ	ईंधन और प्रकाश	कपड़े और जूते	आवास	विविध	पान तंबाकू और नशीले पदार्थ
2020-21	13.6	24.7	10	5.6	16.9	29.3
2021-22	10	46.5	12.4	6.7	9.4	15

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार 2021–22 (अस्थिर)

6.1.8 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण सूचकांक है, जो कुछ चुनिंदा उद्योगों में फैले श्रमिकों के लिए रहने की लागत में मूल्य वद्धि के प्रभाव को मापने के लिए जारी किया जाता है। सितम्बर,2020 से हिमाचल प्रदेश में आधार वर्ष को 2001 से 2016 के लिए संशोधित किया गया है। नई श्रृंखला में सात वर्गों के औद्योगिक श्रमिकों को इस सूचकांक में सम्मिलित किया गया है जिसमें कारखानों, खानें, वृक्षारोपण, रेलवे, सार्वजनिक मोटर परिवहन उमक्रम, विद्युत उत्पादन और वितरण प्रतिष्ठान, बंदरगाहें आदि शामिल हैं। प्रदेश में दिसम्बर, 2021 के दौरान इस सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी राष्ट्रीय स्तर से अधिक रही जोकि चित्र 6.6 और सारणी 6.2 और 6.3 में प्रदर्शित है।

चित्र 6.6 परिवर्तनशीलता हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों के लिए) में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2020–21 (अप्रैल से दिसम्बर 2021)
आधार वर्ष 2016=100

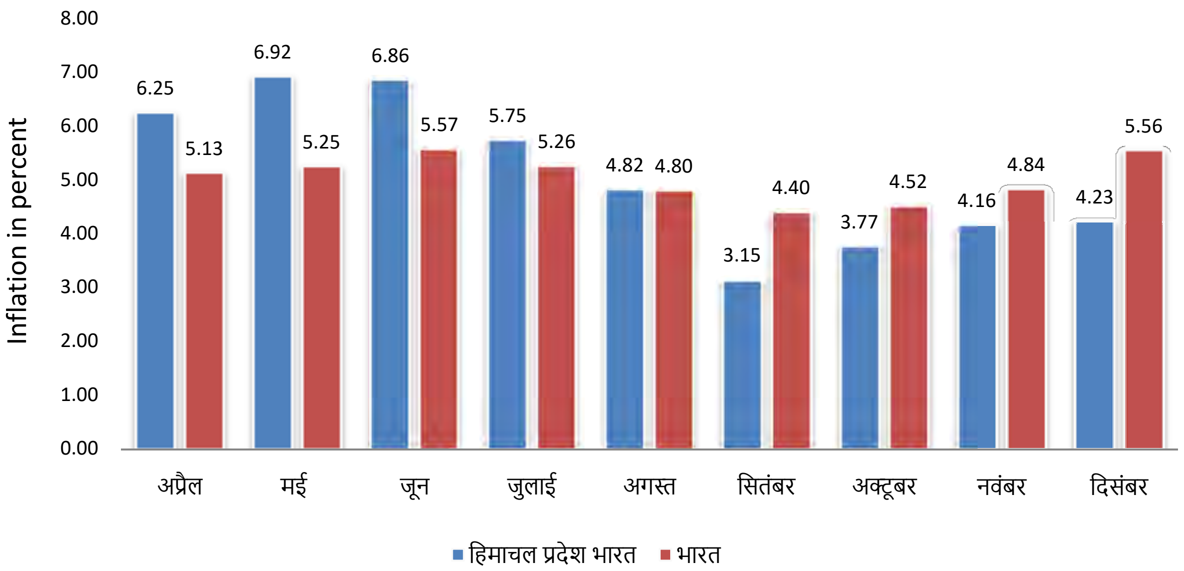

स्रोतः श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार

सारणी 6.2: हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) (आधार वर्ष 2001 व 2016*)

माह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
अप्रैल	237	248	257	270	282	121.8	6.25
मई	238	247	256	271	280	121.7	6.92
जून	241	250	258	272	282	122.5	6.86
जुलाई	246	257	265	274	288	123.8	5.75
अगस्त	246	259	267	275	291	124.0	4.82
सितम्बर	245	258	266	277	120.8*	124.6	3.15
अक्तूबर	248	258	267	280	122.1*	126.7	3.17
नवम्बर	248	260	266	281	122.5*	127.6	4.16$
दिसम्बर	246	259	265	283	120.6*	125.7	4.23$
जनवरी	251	258	266	282	120.0*		
फरवरी	252	256	266	280	120.5*		
मार्च	253	256	267	281	121.4*	121.4	..
औसत	**246**	**256**	**264**	**277**	**118.9$**	**124.3$**	**..**

स्रोतः श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार
* आधार वर्ष 2016
$ अस्थाई

सारणी 6.3: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) (आधार वर्ष 2001 व 2016*)

माह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
अप्रैल	271	277	288	312	329	120.1	5.13
मई	275	278	289	314	330	120.6	5.25
जून	277	280	291	316	332	121.7	5.57
जुलाई	280	285	301	319	336	122.8	5.26
अगस्त	278	285	301	320	338	123.0	4.80
सितम्बर	277	285	301	322	118.1*	123.3	4.40
अक्तूबर	278	287	302	325	119.5*	124.9	4.52
नवम्बर	277	288	302	328	119.9*	125.7	4.84$
दिसम्बर	275	286	301	330	118.8*	125.4	5.56$
जनवरी	274	288	307	330	118.2*	..	..
फरवरी	274	287	307	328	119.0*	..	..
मार्च	275	287	309	326	119.6*	..	..
औसत	**276**	**284**	**300**	**323**	**117.6$**	**123.1$**	..

स्रोतः श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार
* आधार वर्ष 2016
$ अस्थाई

6.1.9 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.):

थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं को उपभोक्ता तक पंहुचने से पूर्व भाव में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। वे सामान जो थोक में बेचे जाते हैं और उपभोक्ताओं के बजाए व्यवसायों के बीच व्यापार किए जाते हैं इसे व्यापार से व्यापार (बी. 2 बी.) मूल्य भिन्नता कहा जाता है। यह सूचकांक देश की मुद्रास्फीति के स्तर मापने का एक संकेतक भी है। जबकि सभी तीन प्रमुख समूहों में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अधिक रही है, यह 'ईंधन और विद्युत' समूह में 20 प्रतिशत से अधिक थी, जो उल्लेखित उच्च अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम मूल्यों को दर्शाती है (सारणी 6.4)। प्राथमिक वस्तु समूह के भीतर, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस उप–समूह ने बहुत अधिक मुद्रास्फीति देखी है और दिसंबर 2021 में यह 55.7 प्रतिशत थी। वर्ष भर खनिज समूह में अधिक मंहगाई दर देखी गई। डब्ल्यू.पी.आई. विनिर्माण में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जो कि विशेष रूप से खाद्य उत्पादों के लिए था। खाद्य उत्पाद के विनिर्माण में तथा खाद्य तेल का एक प्रमुख योगदानकर्ता है। 2021–22 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान, डब्ल्यू.पी.आई. में खाद्य तेलों की मुद्रास्फीति 36.4 प्रतिशत थी। खाद्य तेलों पर उच्च आयात निर्भरता का मतलब है कि इन उत्पादों में उच्च अंतरराष्ट्रीय मूल्य भी घरेलू कीमतों में परिलक्षित होते है।

कोविड–19 महामारी के प्रभाव के परिणामस्वरुप, उत्पादन गतिविधि 2020–21 में व्यवधात के कारण और मांग में कमी के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर पंहुच गई। इसलिए 2020–21 में डब्ल्यू.पी.आई. आधारित मुद्रास्फीति दर 1.3 प्रतिशत के निचले स्तर को छू गई। 2021–22 में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने और वैश्विक कच्चे

तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ 2020–21 के निम्न आधार के कारण डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति नवम्बर 2021 में सबसे ऊपर 14.2 प्रतिशत और अप्रैल–दिसम्बर 2021–22 के दौरान 12.5 प्रतिशत पर पंहुच गई। (अप्रैल–दिसम्बर 2020–21 के दौरान 0.04 प्रतिशत के मुकाबले)। इसलिए, 2021 में उच्च डब्ल्यू.पी.आई. आधारित मुद्रास्फीति दर काफी हद तक पिछले वर्ष के निम्न आधार के कारण है। दूसरी ओर, खुदरा मुद्रास्फीति जो आपूर्ति श्रृंखला व्यय धारा के कारण उच्च बनी हुई थी, प्रभावी आपूर्ति पक्ष प्रबंधन के कारण 2021–22 में कम हो गई, जिसके परिणामस्वरुप डब्ल्यू.पी.आई. और सी.पी.आई. आधारित मुद्रास्फीति के बीच विचलन हुआ।

6.1.10 थोक मूल्य सूचकांक (मासिक)

राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2020 के दौरान 125.4 था जो बढ़कर दिसम्बर, 2021 में 142.4 (अ) हो गया जो मुद्रास्फीति में 13.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। वर्ष 2021–22 में थोक मुद्रास्फीति की दर सारणी 6.4 में दर्शायी गई है।

थोक मूल्य संचकांक का तुलनात्मक विश्लेषण (अप्रैल से दिसंबर) 2021–22 और (अप्रैल से दिसंबर) 2017–18 तक का चित्र–6.7 में दर्शाया गया है। अप्रैल से दिसंबर, 2017 तक डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति 0.9 प्रतिशत से 4.0 प्रतिशत के बीच समेकित हुई। डब्ल्यू.पी. आई. मुद्रास्फीति अप्रैल से दिसंबर 2021 तक 10.7 प्रतिशत से 14.2 प्रतिशत तक बनी रही। जो मुद्रास्फीति में एक बड़ी वृद्धि है यह इंगित करता है कि आने वाले महीनों में खुदरा कीमतें पूरे भारत में अधिक रहेंगी।

सारणी 6.7 थोक मूल्य सूचकांक(अप्रैल से दिसंबर) 2021 तथा अप्रैल से दिसंबर, 2017 के बीच में तुलना (प्रतिशत में)

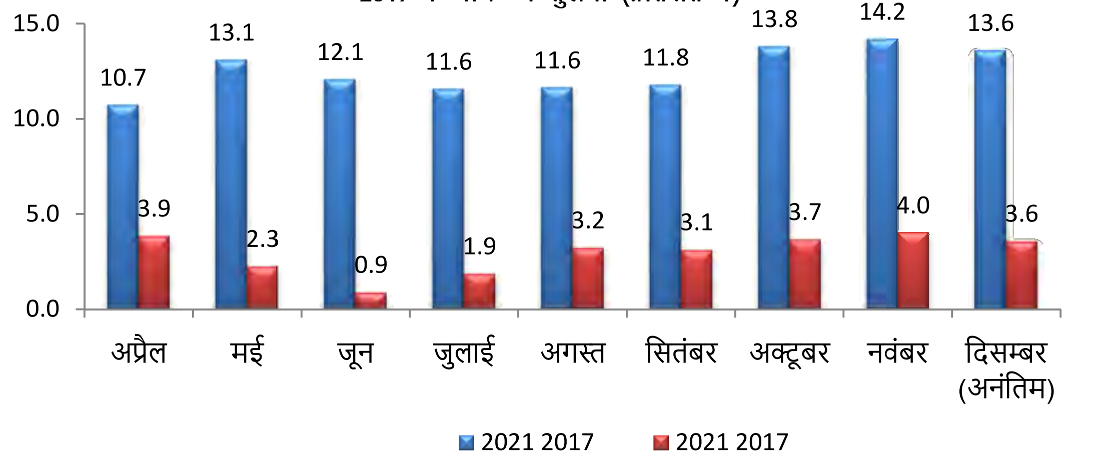

स्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग संवर्धन विभाग और डब्ल्यू.पी.आई. के लिए आंतरिक व्यापार (डी.पी.आई.आई.टी.)

सारणी 6.4: थोक मूल्य सूचकांक आधार 2011–12 के चयनित समूह में मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

विवरण	भार	2019–20	2020–21	2020–21*	2021.22#	अप्रैल–21	मई–21	जून–21	जुलाई–21	अगस्त–21	सितम्बर–21	अक्तूबर–21	नवम्बर–21 (अ)	दिसम्बर–21 (अ)
सभी वस्तुएं	100	1.7	1.3	0.0	12.5	10.7	13.1	12.1	11.6	11.6	11.8	13.8	14.2	13.6
प्रथमिक वस्तुऐं	22.6	6.8	1.7	1.3	8.6	9.9	9.4	8.6	6.3	5.9	6.0	7.4	10.3	13.4
खाद्य वस्तुएं	15.3	8.4	3.2	4.0	2.5	4.6	4.2	3.3	0.1	-0.8	-2.6	1.0	4.9	9.6
अनाज	2.8	7.5	-2.6	-1.4	0.1	-3.1	-2.6	-2.8	-2.9	-1.1	1.3	3.2	4.0	5.1
दालें	0.6	15.9	11.6	12.1	8.1	10.7	12.1	11.6	8.4	9.5	9.3	5.0	2.9	3.9
सब्जियॉ	1.9	31.1	3.4	7.6	-6.6	-9.0	-7.2	-0.8	-8.3	-12.6	-32.3	-17.4	3.9	31.6
गैर खाद्य पदार्थ	4.1	4.6	1.3	-0.4	20.4	15.6	18.4	18.6	22.9	28.7	29.5	18.4	13.8	19.0
खनिज पदार्थ	0.8	13.2	6.8	3.5	15.3	20.6	13.3	15.3	12.6	7.2	30.8	16.6	20.9	3.8
कच्चा पैट्रालियम और प्राकृतिक गैस	2.4	-7.6	-17.4	-25.2	57.9	80.8	59.5	47.0	42.3	34.5	49.0	86.4	76.6	55.7
इंधन और पावर	13.2	-1.8	-8.0	-11.6	31.4	21.3	36.7	29.3	27.0	28.2	29.5	38.6	39.8	32.3
विनिर्मित उत्पाद	64.2	0.3	2.8	1.5	11.3	9.4	11.3	11.0	11.5	11.6	11.6	12.9	11.9	10.6
खाद्य पदार्थ	9.1	4.1	5.6	5.0	12.5	13.1	15.6	13.3	13.1	12.7	12.9	12.8	10.3	8.7
खाद्य तेल	2.6	1.5	20.3	17.5	36.4	44.5	51.9	43.6	42.7	40.7	37.4	33.2	23.2	16.8
खाद्य सूचकांक	24.4	6.9	4.0	4.3	5.9	7.5	8.2	6.7	4.5	3.8	2.6	4.3	6.7	9.2
गैर खाद्य विनिर्मित उत्पाद (कोर)	55.1	-0.4	2.2	0.8	11.1	8.7	10.4	10.5	11.1	11.3	11.3	12.9	12.3	11.0

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग संवर्धन विभाग और आंतरिक व्यापार, भारत सरकार (डी.पी.आई.आई.टी.)
*अप्रैल से दिसम्बर तक 2020–21 #अप्रैल से दिसम्बर तक 2021–22
(अ) अस्थिर

चित्र 6.8 मोटा आनाज के थोक मूल्य की गुणांक का परिवर्तन

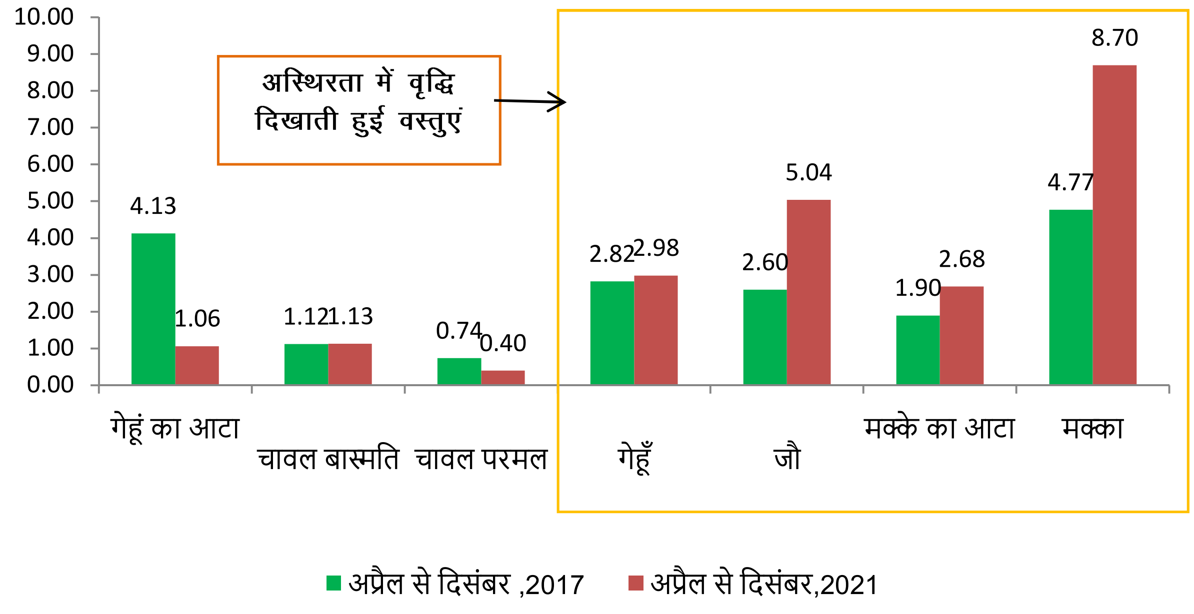

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश

चित्र 6.9 दालों का थोक मूल्य की गुणांक का परिवर्तन

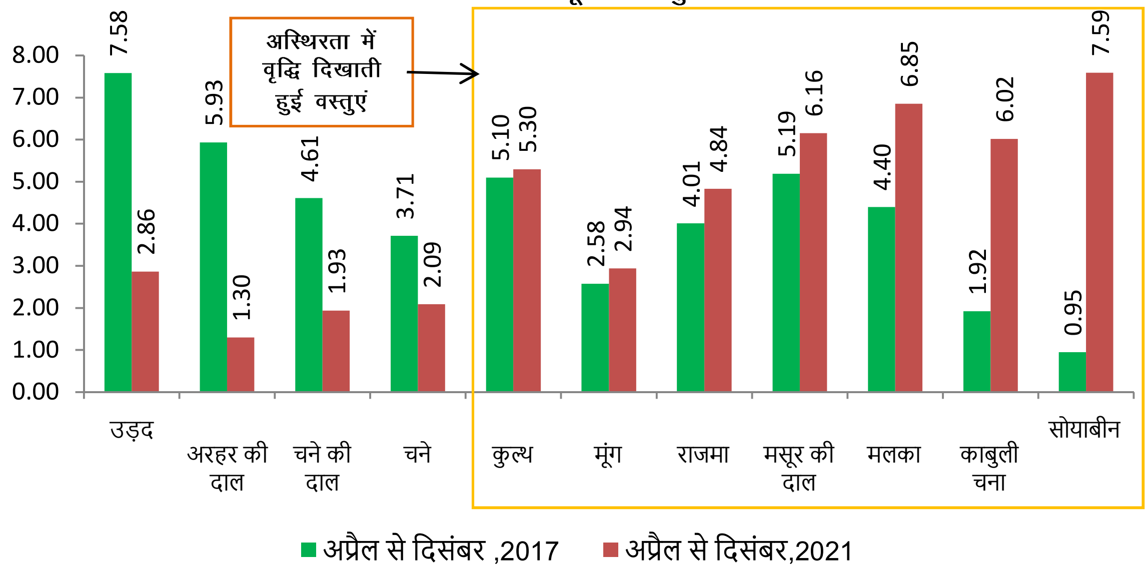

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश

6.1.11 थोक मुद्रास्फीति के संचालक

मुद्रास्फीति में तीव्र कमी के कई सहायक कारण हो सकते है जैसेः समायोजनशील मौद्रिक और राजकोषीय नीति को अपनाना, श्रम और उत्पाद बाजार में संरचनात्मक सुधार जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाए और मुद्रास्फीति को नियन्त्रण करने में सक्षम हो इत्यादि। 24 उभरते और विकासशील अर्थव्यवस्था कम खाद्य मुद्रास्फीति के कारण 2014 से सामान्य मुद्रास्फीति की साक्ष्य बनी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ईंधन और बिजली, गैर खाद्य विनिर्मित पदार्थों की मुद्रास्फीति का व्यवहार अलग रहा है खाद्य मुद्रास्फीति मुख्य रुप से बढ़ती सब्जियों और दालों की कीमतों के कारण ऊपर की ओर रहा है जबकि गैर–खाद्य में मुद्रास्फीति की प्रवृति 2019–20 से 2020–21 तक कम हो रही है लेकिन मई, 2021 के बाद औद्योगिक गतिविधियों के फिर से शुरु होने के कारण त्रीव वृद्धि देखी गई है। (सारणी 6.4)

6.1.12 मासिक थोक मूल्य

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मासिक आधार पर पूरे जिला सांख्यिकीय कार्यालयों के माध्यम से 104 वस्तुओं का थोक मूल्य का संकलन और विश्लेषण करता है जिसके लिए जिला के चुनिंदा दुकानों से महीने के प्रथम शुक्रवार को कीमतें एकत्रित करने के उपरांत मुख्यालय प्रेषित की जाती है और मुख्यालय स्तर पर विभिन्न हितधारकों के लिए उपलब्ध करवायी जाती है। इन वस्तुओं में अप्रैल से दिसम्बर, 2017 तथा अप्रैल से दिसम्बर, 2021 के बीच की अस्थिरता को चित्र 6.8, 6.9, 6.10 में दर्शाया गया है।

(चित्र 6.8) वर्ष 2017 (अप्रैल से दिसम्बर) और 2021 (अप्रैल दिसम्बर) के बीच मोटे अनाजों के थोक मूल्यों में अस्थिरता के गुणांक को दर्शाया गया है और मोटे अनाजों के थोक मूल्य जैसे मक्का, मक्की का आटाए, जौ और गेंहू की कीमतों में 2021–22 के दौरान अधिक अस्थिरता देखी गई।

(चित्र 6.9) वर्ष 2017 (अप्रैल से दिसम्बर) और 2021 (अप्रैल दिसम्बर) के बीच दलहन की थोक मूल्य अस्थिरता के गुणांक को दर्शाया गया और सोयाबीन, काबली चना, मलका, मसूर दाल, राजमाह, मूंग और कूल्थ में अधिक अस्थिरता रही।

(चित्र 6.10) सब्जियों के थोक मूल्य गुणांक 2021 अप्रैल से दिसम्बर में मेथी, हरा धनिया, फूलगोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, पेठा, खीरा, टिंडा, मटर, पालक और अदरक मे अधिक विविधता दर्शाई गई है।

चित्र 6.10 सब्जियों के थोक मूल्य की गुणांक का परिवर्तन

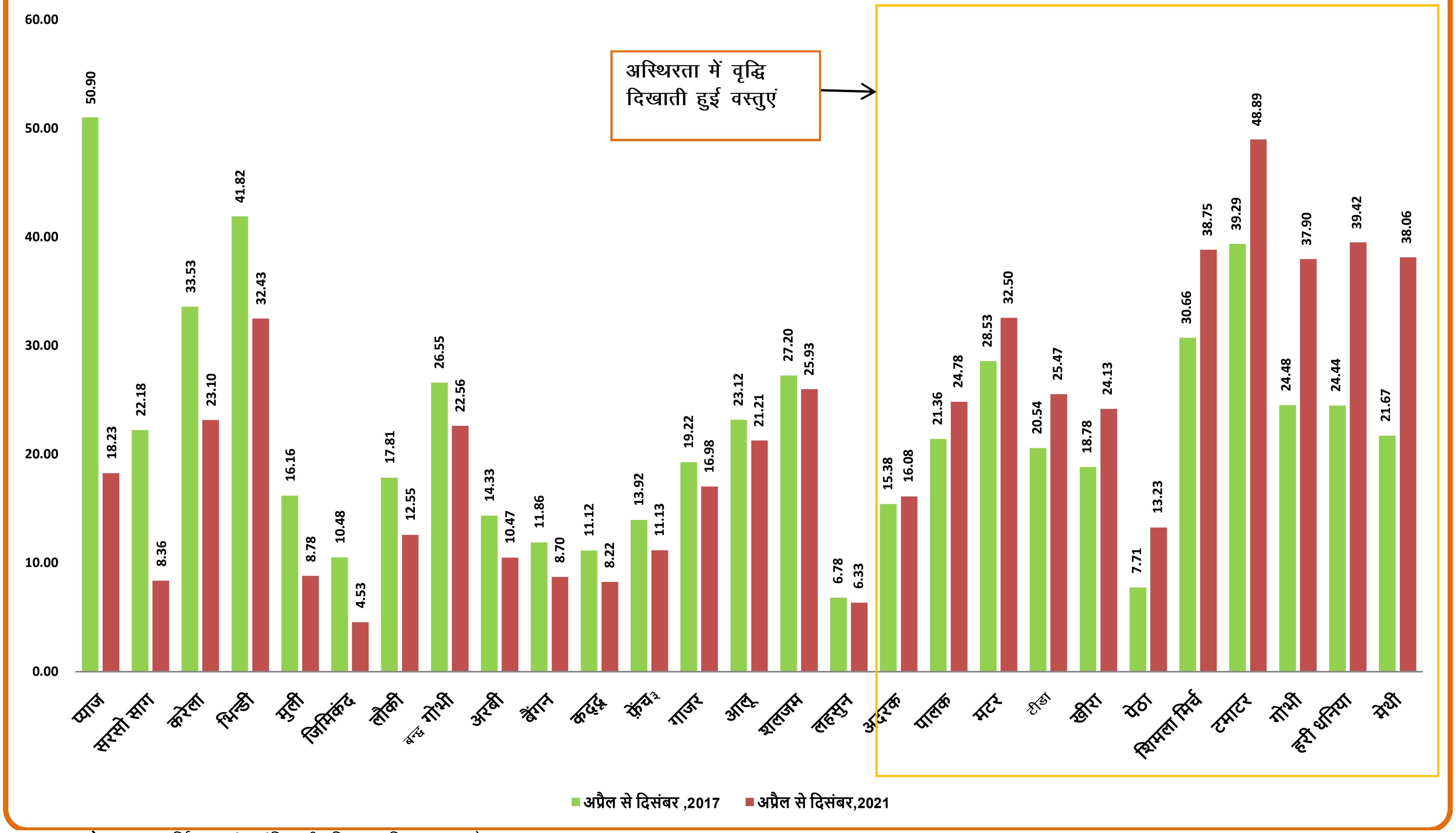

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश

6.1.13 साप्ताहिक खुदरा मूल्य

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग सभी जिला कार्यालयों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का संकलन एवं विश्लेषण प्रत्येक शुक्रवार को विशिष्ट दुकानों से एकत्र करने के उपरांत किया जाता है। जांच के उपरान्त इसे विभाग की वैबसाइट weeklyprices.hp.gov.in पर अपलोड किया जाता है। मुख्यालय स्तर पर इसका विवेचन उपरान्त इसे निदेशक खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग व वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी जाती है (चित्र 6.11)

6.1.14 आवश्यक वस्तु की कीमतों में परिवर्तनशीलता

प्रतिशत में अस्थिरता कोविड–19 के दौरान प्रतिबन्ध व श्रमिकों की कमी के कारण भी हुई। आवश्यक वस्तुओं के भाव में अस्थिरता अप्रैल से दिसम्बर, 2017 और अप्रैल से दिसम्बर, 2021 के मध्य गुणांक के द्वारा की गई है। इसके लिए साधारण विश्लेषण प्रणाली को अपनाया गया। मापने की यह प्रणाली मध्य से मदों की दूरी को दर्शाती है, इससे यह प्रतीत हुआ कि गुड़, उड़द, दाल, गेहूं आटा,और चावल परमल के भाव अप्रैल, 2017 से प्रर्याप्त आपूर्ति व अधिक घरेलू उत्पादन के साथ–साथ चावल व गेहूं के पर्याप्त बफर स्टॉक जो खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी थे जिसके चलते मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी। अप्रैल से दिसम्बर, 2017 तथा 2021 के दौरान सरसों का तेल, चीनी, वनस्पति घी, मिट्टी का तेल, चाय ब्रोक बांड, मुंगफली का तेल और सीमेंट की कीमतों में अधिक अस्थिरता देखी गई जोकि मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के कारक भी बने।

चित्र 6.11 आवश्यक वस्तु की खुदरा कीमतों में गुणांक का परिवर्तन

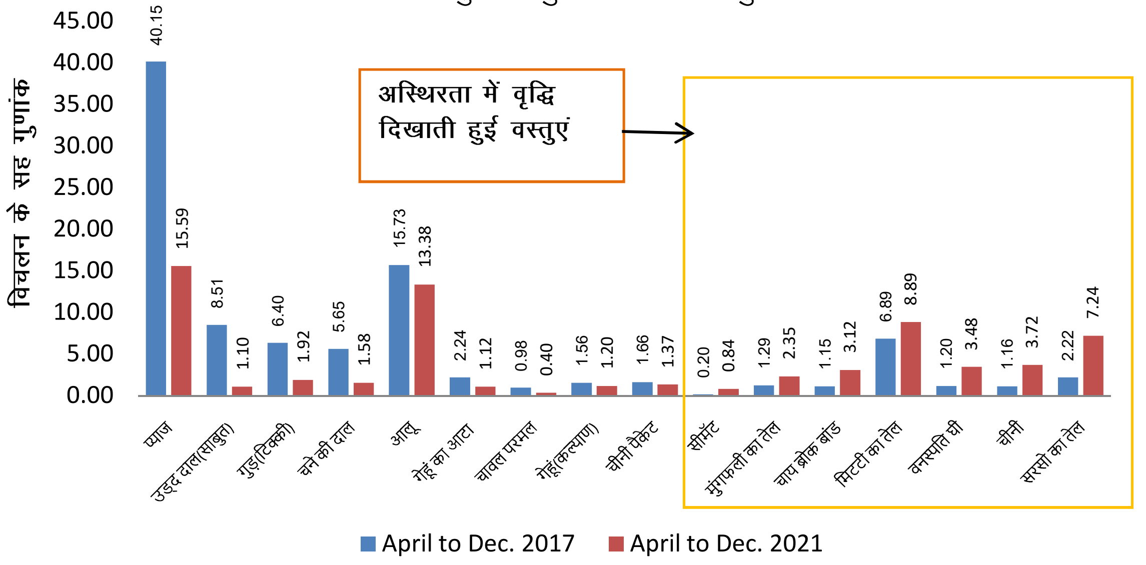

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

6.2 खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत् प्रदेश में लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सरकार की नीति का एक विशेष घटक है, जो उचित मूल्य की 5,043 दुकानों द्वारा जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूँ, गेहूँ का आटा, चावल, लेवी चीनी इत्यादि की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। जरुरी खाद्य पदार्थों के वितरण करने हेतु सभी परिवारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (एन.एफ.एस.ए.)

- अन्तोदय अन्न योजना
- प्राथमिकी गृहस्थियां

ii) एन.एफ.एस.ए.(ए.पी.एल.) के अलावा

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुल 19,30,866 राशन कार्ड हैं, जो डिजीटल रिकॉर्ड से 73,89,337 आबादी को सम्मिलित करते हैं। इन कार्डधारकों को 5,043 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें 3,275 सहकारी समितियां, 15 पंचायत, 59 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के 1,673 व्यक्तिगत और 1 स्वयं सहायता समूह और 20 महिला मण्डल शामिल हैं। वर्ष 2021–22 में (दिसंबर, 2021 तक) आवश्यक वस्तुओं के वितरण का ब्यौरा निम्न प्रकार से सारणी 6.6 में किया गया है।

सारणी 6.5 आवश्यक वस्तुओं का वितरण

क्र0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का वितरण (बैकलॉग सहित)
1	2	3	4
1.	गेहूँ/गेहूँ का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	1,16,907
2.	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	58,171
3.	गेहूँ/ आटा (बी.पी.एल.)/(पी.एच.एच.)/ए.ए.वाई/ एन.एफ.एस.ए.	मी. टन	1,01,856
4.	चावल (बी.पी.एल.)/ (पी.एच.एच.)/.ए.ए.वाई/एन.एफ.एस.ए.	मी. टन	79,023
5.	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	1
6.	चीनी	मी. टन	31,183
7.	दालें	मी. टन	33,324
8.	आयोडीन नमक	मी. टन	8,534
9.	सरसों का तेल	कि.लीटर	22,863
10.	रिफाइन्ड तेल	कि.लीटर	4,994

स्रोतः खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले, हि.प्र. सरकार

वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य विशेष अनुदानित योजना टी.पी.डीएस के अंतर्गत निम्नलिखित खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है जो सारणी 6.7 के अनुसार है।

सारणी 6.6: वस्तुओं की मात्रा का वितरण व रेट प्रति राशन कार्ड/ प्रति परिवार /प्रति सदस्य/प्रति माह

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 01.04.2007 से सभी राशन कार्ड धारको के लिए राज्य विशेष अनुदानित योजना शुरु की है जिसे समय–2 पर संशोधित किया गया है। उपभोक्ताओं को 4 मे से 3 दालों का विकल्प दिया गया है।						
क्र. स.	**वस्तु का नाम**	**इकाई**	**एनएफ.एस.ए. @₹ में**	**ओ.टी.एन.एफ.एस. ए.(ए.पी.एल.) @₹ में**	**ओ.टी.एन.एफ.एस.ए. (ए.पी.एल.) आयकरदाता @₹ में**	**स्केल**
1	दाल चना	प्रति कि.ग्रा.	37	47	70	3 किलोग्राम सभी राशन कार्ड धारको के लिए प्रति माह प्रति परिवार
2	दाल उड़द साबुत	प्रति कि.ग्रा.	55	65	89	
3	मूंग साबुत	प्रति कि.ग्रा.	54	64	88	
4	दाल मलका	प्रति कि.ग्रा.	64	74	98	
5	खाद्य तेल (फॉटीफाईड मर्स्टड ऑयल)	प्रति कि.ग्रा.	151	156	175	1 किलो लीटर 1 व 2 सदस्य तक, 2 लीटर 3 व 3 से ज्यादा वाले परिवार को प्रति राशन कार्ड
6	खाद्य तेल (फॉर्टी फाईड सोया रिफांईड ऑयल)	प्रति कि.ग्रा.	135	140	157	
7	(डबल फॉर्टी फाईड आयोडीन नमक)	प्रति कि.ग्रा.	8	8	16	1 किलोग्राम सभी राशन कार्ड धारको के लिए प्रति माह प्रति परिवार
8	चीनी	प्रति कि.ग्रा.	13	30	43	500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाहः नोटः– अन्तोदय परिवार के एक व दो सदस्य वाले लाभार्थी परिवार को 1 किलो ग्राम चीनी प्रतिमाह व दो से ज्यादा सदस्य वाले लाभार्थी परिवार को 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी प्रतिमाह @₹13.00 प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है।
9	**एन.एफ.एस.ए. के अलावा**					
ए.पी.एल. और ए.पी.एल. आयकर दाता			11–13 किलोग्राम फॉर्टीफाइर्ड गंदम आटा @₹9.30 प्रति किलो, 3 किलो ग्राम गन्दम, @7.60 किलोग्राम व 5–6 किलोग्राम चावल @₹10 प्रति किलो ग्राम प्रति परिवार प्रति माह			
नोट प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के ए.पी.एल. उपभोक्ताओं को 20 किलोग्राम गंदम/फॉर्टीफाइड गंदम आटा व 15 किलो ग्राम चावल प्रति परिवार प्रति माह सितम्बर, 2014 से उपलब्ध करवाया जा रहा है।						
10	**एन.एफ.एस.ए.**					
(1)	ए.ए.वाई. कार्ड धारकों को		18.800 किलोग्राम फॉर्टीफाइड गन्दम आटा @₹3.20 प्रति किलो/20 किलोग्राम गंदम @₹2.00 प्रति किलो व 15 किलो चावल @₹3 प्रति किलो ग्राम प्रति परिवार प्रति माह ।			
(2)	प्राथमिकी गृहस्थियां		2.8 किलोग्राम फॉर्टीफाइड गंदम आटा @₹3.20 प्रति किलाग्राम, गंदम 2 प्रति किलोग्राम ₹2.00 प्रति किलोग्राम व 2 किलो चावल @₹3 प्रति किलोग्राम प्रति सदस्य प्रति माह 1,2,3 सदस्य वाले प्राथमिकी गृहस्थियां परिवारों को राज्य के ओ.टी.एन.एफ.एस.ए. आवंटन से ओ.टी.एन.एफ.एस.ए. (ए.पी.एल.) की दरों पर अतिरिक्त खाद्यान्न (गंदम व चावल) उपलब्ध करवाया जाता है ताकि उनकी पात्रता क्रमशः 10,15,20 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड हो सके।			

<table>
<tr>
<td></td>
<td>बी.पी.एल.
(एन.एफ.एस.ए. की पात्रता के अतिरिक्त बी.पी.एल. दरों पर)</td>
<td>वितरित की जा रही गन्दम/गंदम आटा @₹5.25/@₹7.00 का विवरण निम्न प्रकार से है:
<table>
<tr><th>स्कीम</th><th>1 सदस्य वाले परिवार के लिए</th><th>2 सदस्य वाले परिवार के लिए</th><th>3 सदस्य वाले परिवार के लिए</th><th>4 सदस्य वाले परिवार के लिए</th><th>5 सदस्य वाले परिवार के लिए</th><th>6 सदस्य वाले परिवार के लिए</th></tr>
<tr><td>गन्दम/ गंदम आटा</td><td>17 कि.ग्रा.</td><td>14 कि.ग्रा.</td><td>11 कि.ग्रा.</td><td>8 कि.ग्रा.</td><td>5 कि.ग्रा.</td><td>2 कि.ग्रा.</td></tr>
<tr><td>चावल</td><td>13 कि.ग्रा.</td><td>11 कि.ग्रा.</td><td>9 कि.ग्रा.</td><td>7 कि.ग्रा.</td><td>5 कि.ग्रा.</td><td>3 कि.ग्रा.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>अन्नपूर्णा कार्ड धारकों को</td>
<td>10 किलो चावल मुफ्त में</td>
</tr>
</table>

6.2.1 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम हिमाचल प्रदेश सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत नियन्त्रित व अनियन्त्रित वस्तुओं के प्रापण एवं वितरण की एक नोडल एजैन्सी के रुप में सन्तोषजनक कार्य कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष दिसम्बर, 2021 तक निगम ने विभिन्न वस्तुएं जिनका मूल्य ₹1,442.12 करोड़ था, का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष में इसी अवधि में ₹1,221.38 करोड़ था।

निगम जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में मिट्टी के तेल ओर तरल पैट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) सहित सभी आवश्यक पैट्रोलियम उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां निजी व्यापारी उद्यम नहीं चलाते क्योंकि व्यापार की आर्थिक उपलब्धता नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सरकार की जनजातीय कार्य योजना के अनुसार जनजातीय तथा बर्फीले क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं तथा पैट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में निगम अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे कि रसोई गैस, डीजल/पैट्रोल/मिट्टी का तेल और जीवन रक्षक दवाईयों को उचित मूल्यों पर 117 थोक बिक्री केन्द्रों, 59 उचित मूल्यों की दुकानों 54 गैस एजेंसियों, 4 पेट्रोल पम्प और 36 दवाईयों की दुकानों के माध्यम से प्रदेश में वितरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त निगम थोक व परचून बिक्री केन्द्रों के माध्यम से अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे चीनी, दालें, चावल, आटा, डिटरजैंट पाउडर, चाय पत्ती, कॉपियां, सीमेंट, सी.जी.आई. शीट्स, दवाईयां, फर्नीचर, विशेष पोषाहार स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुएं, मनरेगा सीमेन्ट व पट्रोलियम पदार्थों इत्यादि का प्रापण एवं वितरण कर रहा है। निश्चित रुप से इन वस्तुओं के लिए प्रदेश में महंगाई स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निगम द्वारा की जा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2021 तक निगम द्वारा ₹746.00 करोड़ विभिन्न वस्तुओं का प्रापण एवं वितरण किया गया है जो पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए ₹687.81 करोड़ था।

निगम दोपहर के भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक व अपर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा आवंटित चावल एवं अन्य खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में (दिसम्बर, 2021) तक निगम ने 10,724.32 मी.टन चावल जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 10,054.32 मी.टन था का वितरण

किया है। निगम सरकार की विशेष अनुदानित स्कीम के अंतर्गत चिन्हित वस्तुओं (दालें, खाद्य सरसों का तेल व रिफाईड तेल और नमक) की सरकार द्वारा गठित प्राप्ण कमेटी के निर्णयानुसार आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में (दिसम्बर, 2021 तक) ₹655.80 करोड़ की विभिन्न वस्तुएं सभी राशनकार्ड धारकों को तय मानकों के अनुसार प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में ₹513.31 करोड़ थी। इस योजना को लागू करने के लिए वर्ष 2021–22 में ₹220.00 करोड़ राज्य अनुदान के रुप में बजट में प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान निगम का कारोबार ₹1,550 करोड़ रहने की संभावना है, जो गत वर्ष 2020–21 के दौरान ₹1,500 करोड़ का था।

6.2.2 सरकारी आपूर्ति

हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सरकारी अस्पतालों को आयुर्वेदिक दवाईयां, सरकारी विभागों/ बोर्डों/उपक्रमों/ अन्य सरकारी संस्थाओं को सीमेंट और जी.आई./ डी.आई/सी.आई.पाईपें, जल शक्ति एव जन–स्वास्थ्य विभाग को शिक्षा विभाग को स्कूल की वर्दियों का प्रबन्धन कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2021–22 में सरकारी आपूर्ति की अनन्तिम स्थिति निम्न प्रकार हैः

सारणी 6.7 सरकारी आपूर्ति

क्र. सं.	वस्तुएं	(₹करोड़ में)
1	आयुर्वेदिक दवाईयों की आपूर्ति	**8.17**
2	सीमेंट की आपूर्ति	64.56
3	स्कूल की वर्दी की आपूर्ति	56.10
4	जी.आई./डी.आई/सी.आई. पाईप	382.35
	जोड़	**511.18**

6.2.3 मनरेगा सीमेंट की आपूर्ति

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) निगम ने राज्य में विकास कार्यों के लिए विभिन्न पंचायतों को ₹163.01 करोड़ की राशि के 64,10,960 बैग सीमेंट की खरीद और वितरण का प्रबन्ध किया है।

6.2.4 राज्य के आदिवासी एवं दुर्गम क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती मांग और पेट्रोलियम निर्धारित देशों की संगठन और उनके सहयोगियों द्वारा उत्पादन के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भी वर्ष के दौरान तेजी दर्ज की गई ।

6.2.5 लाभांश

निगम अपनी स्थापना वर्ष 1980 से लाभ अर्जित कर रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान ₹1.11 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया तथा ₹35.15 लाख की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार को लाभांश के रूप में देना प्रस्तावित था।

6.2.6 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन.एफ.एस.ए.) का कार्यान्वयन

भारत सरकार द्वारा राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार सौंपे गये कार्य व उत्तरदायित्व के अन्तर्गत हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस योजना के कार्यान्वयन में आबंटित खाद्यानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में प्रापण/भण्डारण व आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपरान्त, अपने 117 थोक बिक्री केन्द्रों द्वारा चयनित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों में वितरण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) 62,472 मी.टन चावल व 364 मी.टन गेहूँ चयनित लाभार्थियों को क्रमशः ₹3.00 व ₹2.00 प्रति किलो प्रतिमाह की दर से वितरित करना सुनिश्चित किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश सरकार के अलग गौदाम के अभाव में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम राज्य में अपने स्तर पर 22,945 मी.टन व 37,111 मी.टन किराये पर लिए गए गोदामों के माध्यम से भंडारण क्षमता का प्रबन्धन कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के सफल कार्यान्वयन को देखते हुए अतिरक्त भंडारण क्षमता का सृजन किया जा रहा है और गोदामों के निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। नेरवा, जिला शिमला में 550 मी.टन, क्षमता के 7 गौदाम, सिद्धपुर सरकारी, जिला कांगड़ा में 1,000 मी.टन व राजगढ़ जिला सिरमौर में 300 मी.टन, बिलासपुर (प्रथम चरण) में 500 मी.टन., चम्बा में 907.47 मी.टन., चैतुड़, जिला कांगड़ा में 500 मी.टन. और संधोल, जिला कांगड़ा में 500 मी.टन. के खाद्यान्न भण्डारण गौदाम बन कर तैयार कर लिए गए हैं तथा सम्बन्धित कार्यकारी एंजैसी से कब्जा ले लिया गया है। बिलासपुर (दूसरा चरण) ओर थुनाग में निर्माण कार्य प्रगति पर है और जल्द ही कंडाघाट, कालाअम्ब व पॉऊटा साहिब में गोदामों का कार्य शुरु कर दिया जाएगा जिसके अन्तर्गत शीघ्र ही अनुमोदित 5,000 मी.टन की अपनी खाद्यान्न भंडारण विभिन्न वस्तुओं की क्षमता हेतु उपलब्ध हो जाएगी।

कृषि, बागवानी, पशुपालन और सम्बद्ध सेवाएं

07
अध्याय

7.1 परिचय

कृषि और संबद्ध क्षेत्र किसी भी विकास प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने और रोजगार देने, भोजन उपलब्ध कराने और खाद्य सुरक्षा और कच्चे माल को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था में गरीबी को कम करने, भूखमरी को शून्य करने, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

फसल, पशुधन, मछली पकडने और वानिकी क्षेत्र ने 2020–21 (स्थिर मूल्य) में राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में 13.31 प्रतिशत का योगदान दिया। पिछले कुछ वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा लगातार गिर रहा है। हिमाचल में कृषि क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के हिस्से में गिरावट के रूप में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं जो कृषि अर्थव्यवस्था से बदलाव का संकेत देते हैं। कृषि प्रदर्शन प्रकृति की अनिश्चितताओं के साथ–साथ कीमतों में उतार–चढ़ाव के कारण साल दर साल परिवर्तनशील है।

राज्य स्तर पर, सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) में फसलों, पशुधन, वानिकी और मछली पकडने के क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2015–16 में 15.89 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में 13.31 प्रतिशत हो गई है। जीवीए में फसलों की हिस्सेदारी 2015–16 में 8.99 प्रतिशत से घटकर 2020–21 में 7.85 प्रतिशत हो गई। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर में उतार–चढाव रहा है, जैसा कि चित्र 7.1 में देखा गया है। जबकि ग्रामीण आबादी की आजीविका खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

चित्र–1 कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जीवीए में प्रतिशत परिवर्तन

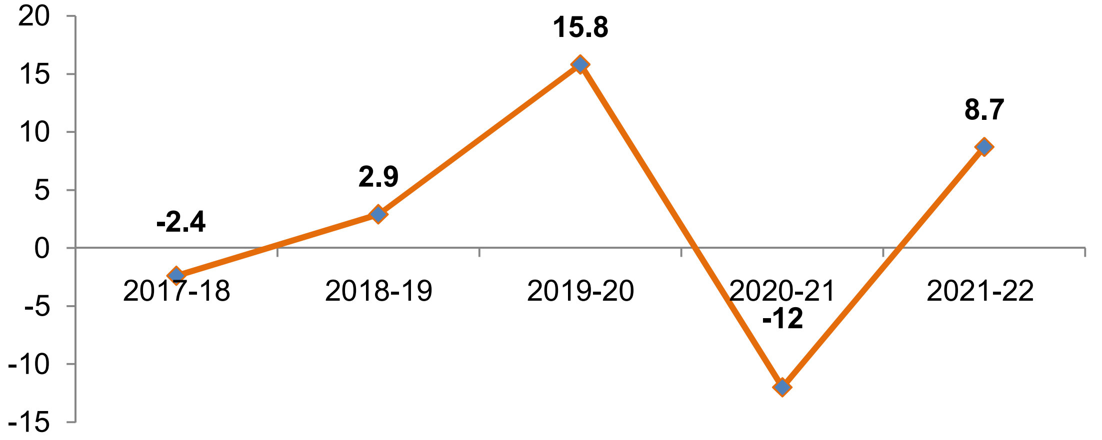

प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.44 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 9.97 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है और प्रदेश में औसतन जोत 0.95 हैक्टेयर है। कृषि गणना 2015–16 के अनुसार कुल जोतों में से 88.86 प्रतिशत जोतें लघु व सीमान्त किसानों की है। लगभग 10.84 प्रतिशत अर्ध–मध्यम/मध्यम व केवल 0.30 प्रतिशत जोतें बड़े किसानों की है। भू–जोतों के वर्गीकरण नीचे दी गई सारणी 7.1 से स्पष्ट है।

सारणी 7.1: भू–जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग)किसान)	जोतो की संख्या (लाख)	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	जोत का औसत आकार (है0)
1.0 से कम	सीमान्त	7.12 (71.41%)	2.86 (30.30%)	0.40
1.0–2.0	लघु	1.74 (17.45%)	2.42 (25.63%)	1.39
2.0–4.0	अर्ध–मध्यम	0.82 (8.23%)	2.23 (23.62%)	2.72
4.0–10.0	मध्यम	0.26 (2.61%)	1.46 (15.47%)	5.62
10.0 व अधिक	बड़े	0.03 (0.30%)	0.47 (4.98%)	15.67
योग		**9.97**	**9.44**	**0.95**

कुल जोते गए क्षेत्र में से 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। चावल, गेंहू, तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, सफेद सरसों, उड़द, बीन, मूंग तथा राजमाश खरीफ की तथा तोरिया, चना तथा मसूर रबी मौसम की प्रमुख फसलें हैं। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे

- उपोष्णीय, उप पर्वतीय तथा निचले पहाड़ी क्षेत्र।
- उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र।
- नमी वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र।
- शुष्क तापमान वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरूस्थल।

प्रदेश की कृषि जलवायु नकदी फसलों जैसे बीज आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार, समयानुसार तथा प्रचुर मात्रा में कृषि संसाधनों की उपलब्धता, उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर एकीकृत कीटाणु प्रबन्धन से उन्नत करना, जल प्रबन्धन के अंतर्गत अधिक से अधिक भूमि को शामिल करना एवं जल संरक्षण कर बेकार जमीन का

विकास करके बेमौसमी सब्जियों आलू, अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वर्षा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी वर्षा बरसात में ही होती है तथा शेष बाकी मौसमों मे होती है। राज्य में औसतन 1,251 मि.मी. वर्षा हुई है। जिसमें सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा जिले में होती है और उसके बाद चम्बा, सिरमौर और मण्डी जिला आती हैं।

7.1.1 मानसून 2021

कृषि कार्यकलापों का मानसून के स्वरूप से गहन सम्बन्ध है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Metrological Department) की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 2021 के मानसून (जून–सितंबर) के मौसम के दौरान कुल्लू जिले में अधिक, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगडा, किन्नौर, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में सामान्य बारिश हुई है और जिला चम्बा तथा लाहौल स्पिति में कम बारिश हुई है। समग्र रूप से हिमाचल के लिए, इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में मौनसून मौसम में वार्षिक सामान्य वर्षा की तुलना में 10 प्रतिशत कम वर्षा हुई। सारणी 7.2 और 7.3 में विभिन्न जिलों में दक्षिण–पश्चिम मानसूनी वर्षा के आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी 7.2: मानसून वर्षा के आंकड़े
(जून–सितम्बर 2021)

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			मि.मी.	प्रतिशतता
बिलासपुर	881	874	7	1
चम्बा	589	1052	(-)463	(-)44
हमीरपुर	993	1019	(-) 26	(-) 3
कांगड़ा	1468	1596	(-)128	(-) 8
किन्नौर	236	252	(-) 16	(-) 6
कुल्लू	708	504	204	40
लाहौल–स्पिति	123	395	(-)272	(-)69
मण्डी	1174	1062	(-)112	(-)11
शिमला	699	644	(-) 55	(-) 9
सिरमौर	1161	1350	(-)189	(-)14
सोलन	875	983	(-)109	(-)11
ऊना	709	820	(-)111	(-)14
औसत	**686**	**764**	**(-) 77**	**(-)10**

सारणी 7.3: मानसून बाद वर्षा के आंकड़े
अक्तूबर–दिसम्बर, 2021

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			मि.मी.	प्रतिशतता
बिलासपुर	60	65	(-) 5	(-) 7
चम्बा	85	132	(-)47	(-)36
हमीरपुर	43	69	(-)26	(-)37
कांगड़ा	82	85	(-) 3	(-) 4
किन्नौर	96	75	21	28
कुल्लू	114	89	25	28
लाहौल–स्पिति	84	114	(-)30	(-)26
मण्ड़ी	42	64	(-)22	(-)34
शिमला	63	79	(-)16	(-)20
सिरमौर	56	64	(-) 8	(-)12
सोलन	66	70	(-) 4	(-) 5
ऊना	68	53	15	(-)29
औसत	**76**	**93**	**(-)17**	**(-)18**

टिप्पणी:

- सामान्य = (–)19 % से +19 %,
- अधिक = 20 % से अधिक ,
- न्यून = (–)20 % से (–) 59 %,
- अपर्याप्त = (–)60 %से (–)99 %

7.1.2 फसल निष्पादन 2020–21

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है तथा खाद्यान्न उत्पादन में कोई भी अस्थिरता अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। वर्ष 2020–21 कृषि के लिए सामान्य वर्ष रहा और खरीफ सीजन 2020 में उत्पादन लक्ष्य 9.21 लाख मी.टन था जबकि उत्पादन 8.89 लाख मी.टन. हासिल होने का अनुमान है। दिसंबर 2020, जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के दौरान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्षा की रवानगी क्रमशः 22 प्रतिशत, 57 प्रतिशत, 81 प्रतिशत, 62 प्रतिशत की सीमा तक था, जो कि कम था जिसके परिणामस्वरूप राज्य में मौसम शुष्क रहा। इस तरह, रबी फसलें, मुख्य रूप से गेहूं और जौ, विकास अवधि के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुए थे इसके कारण रबी सीजन में कम उत्पादन का अनुमान है। रबी फसल का कुल उत्पादन 6.39 लाख मी.टन. हासिल होने का अनुमान है। वर्ष 2019–20 में खाद्यान्न उत्पादन 15.94 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 2020–21 में खाद्यान्न उत्पादन 15.28 लाख मीट्रिक टन है। 2020–21 में आलू का उत्पादन 1.96 लाख मीट्रिक टन है, जबकि 2019–20 में 1.97 लाख मीट्रिक टन था। वर्ष 2020–21 के दौरान सब्जियों का उत्पादन 18.67 लाख मीट्रिक टन है, जबकि 2019–20 में यह 18.61 लाख मीट्रिक टन था।

7.1.3 फसल संभावनाएं 2021–22

वर्ष 2021–22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 16.35 लाख मीट्रिक टन है जिसमें खरीफ सीजन के लिए 9.21 लाख टन और रबी सीजन के दौरान 7.54 लाख टन, शामिल हैं। खरीफ उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के व्यवहार पर निर्भर करता है, क्योंकि कुल खेती वाले क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत वर्षा पर निर्भर है। खरीफ फसलों की बुवाई अप्रैल के अंत से शुरू होकर जून के मध्य तक चलती है। मक्का और धान खरीफ मौसम के दौरान उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं और अन्य छोटी फसलें रागी, बाजरा और दालें हैं। इस मौसम के दौरान, लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र अप्रैल–मई के महीने में बोया जाता है जबकि शेष क्षेत्र जून और जुलाई के महीने में बोया जाता है जो कि खरीफ की बुवाई का चरम समय होता है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सामान्य बारिश के कारण बुवाई समय पर हो सकी और कुल मिलाकर फसल की स्थिति सामान्य रही। हालांकि, अगस्त, 2021 के महीने के दौरान, राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई और खरीफ की खड़ी फसलें विशेष रूप से मक्का और सब्जियों की फसलें प्रभावित हुईं, जिसके परिणामस्वरूप लक्षित उत्पादन से कम उत्पादन हुआ।

रबी सीजन की बुवाई आमतौर पर अक्टूबर में शुरू होती है और दिसंबर के पहले पखवाडे तक चलती है। बुवाई के मौसम के दौरान राज्य में सामान्य वर्षा हुई। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 2021 के महीनों में वर्षा क्रमशः 106 प्रतिशत, 95 प्रतिशत और 60 प्रतिशत हुई। यदि जनवरी, 2022 के महीने में बारिश होती है, तो फसल की स्थिति सामान्य हो जाएगी। फसलवार खाद्यानों एवं वाणिज्य फसलों का उत्पादन सारणी 7.4 में दर्शाया गया हैः–

सारणी 7.4 : खाद्यान्न उत्पाद

('000 मी.टन मे)

फसले	2018–19	2019–20	2020–21 (अनुमानित)	2021–22 (संभावित)
I. खाद्यान्न				
चावल	146.68	143.66	145.68	135.20
मक्की	771.11	729.73	714.67	762.00
रागी	1.82	2.06	2.65	2.40
छोटा अनाज	4.12	4.77	5.46	4.50
गेंहू	682.63	627.96	569.86	672.00
जौं	32.08	30.83	22.69	35.50
चना	0.40	0.42	0.45	0.45
दालें	53.60	54.80	66.96	63.00
कुल खाद्यान्न	**1692.44**	**1594.23**	**1528.40**	**1675.35**
II.वाणिज्यिक फसलें				
आलू	186.80	196.71	196.30	196.50
सब्जियां	1722.14	1860.67	1867.41	1850.00
अदरक (हरा)	33.74	33.99	33.89	34.50

7.1.4 खाद्यान्न उत्पादन का विकास

कृषि योग्य भूमि के विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की सीमित सीमाएं हैं। जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है पूरे देश की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां कृषि के अन्तर्गत भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के साथ विविधता पूर्ण उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का प्रयास आवश्यक है। नकदी फसलों की तरफ बदले हुए रूझान की वजह से खाद्यान्न उत्पादन/फसलों के अंतर्गत क्षेत्र धीरे–धीरे कम हो रहा है जैसे कि यह 1997–98 में 853.88 हजार हैक्टेयर था जो घटते हुए वर्ष 2020–21 में 727.69 हजार हैक्टेयर रह गया। खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन का सारणी 7.5 से पता चलता है।

सारणी 7.5: खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्ष	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादकता (मी.टन)
2016–17	752.88	1562.73	2.07
2017–18	748.72	1581.42	2.11
2018–19	732.62	1692.44	2.31
2019–20	735.04	1594.23	2.17
2020–21(अनुमानित)	727.69	1528.40	2.10
2021–22(लक्ष्य)	763.25	1675.35	2.19

7.1.5 अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में संबंधित कार्यक्रम (एच.वाई.वी.पी.)

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया। अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान, गेहूं के अंतर्गत 2018–19, 2019–20, 2020–21 में लाया गया क्षेत्र तथा 2021–22 के लिए लक्षित क्षेत्र सारणी 7.6 में दिया गया है।

सारणी 7.6: अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

वर्ष	मक्की	धान	गेहूं
2017 –18	280.81	71.61	342.68
2018–19	280.69	74.32	343.62
2019–20	205.00	62.00	330.00
2020–21	207.00	62.00	330.00
2021–22(लक्ष्य)	207.00	62.00	330.00

प्रदेश में बीज उत्पादन के 20 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए है जिनसे पंजीकृत किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3 सब्जी विकास केन्द्र, 12 आलू विकास केन्द्र तथा 1 अदरक विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

7.1.6 पौध संरक्षण कार्यक्रम

फसलों की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से पौध संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बीमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लघु किसानों को पौध संरक्षण रसायन व उपकरण, 50 प्रतिशत कीमत पर उपलब्ध करवाएं गए। विभाग का दृष्टिकोण है कि पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग कम करके धीरे धीरे कीटों/रोगों के जैविक नियन्त्रण पर बढ़ावा दिया जाये। रसायनों का वितरण सारणी 7.7 में दिखाया गया है।

सारणी 7.7: रसायनों का वितरण

वर्ष	रसायनोंका वितरण (मी.टन)
2017—18	103.54
2018—19	109.83
2019—20	84.25
2020—21	64.48
2021— 22(31 दिसंबर, 2021 तक)	77.73

7.1.7 मिट्टी की जांच कार्यक्रम

प्रत्येक मौसम में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं तथा मिट्टी जांच प्रयोगशाला में इनका विश्लेषण किया जाता है। (लाहौल—स्पिति को छोड़कर) सभी जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं और चार मोबाईल मिट्टी परीक्षण वैन/प्रयोगशालाएं जिनमें से एक विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्र के लिए है जो मौके पर मिट्टी के नमूनों के लिए क्रियाशील में है। वर्तमान में 11 मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया, 10 मोबाईल प्रयोगशालाएं व 47 छोटी प्रयोगशालाएं विभाग द्वारा स्थापित की गई । भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसके आधार पर जी.पी.एस. के आधार पर मिट्टी का नमूना लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत मृदा परीक्षण सेवा को भी शामिल किया जा रहा है। सरकार लोक सेवा अधिनियम, 2011 जिसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

7.1.8 प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शून्य बजट के अन्तर्गत प्राकृतिक खेती

राज्य सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना शुरू की है। सरकार का इरादा शून्य बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। रसायनिक उर्वरकों और रसायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है। कृषि एवं बागवानी विभाग को कीटनाशकों के लिए उपलब्ध कराए गए बजट का उपयोग जैव–कीटनाशकों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। 2021–22 के लिए ₹20.87 करोड का बजट प्रावधान रखा गया है।

7.1.9 उर्वरक उपभोग तथा उपदान

उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 1985–86 के 23,664 मी.टन से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 65,241 मी.टन हो गया। रसायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित उर्वरक पर ₹1,000 प्रति मी.टन तथा बड़े पैमाने पर घुलनशील उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत मूल्य सीमा उपदान स्वरूप दिया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में लगभग 56,500 मी.टन उर्वरक पोषक तत्वों के रूप में वितरित किया जाएगा।

7.1.10 फसल बीमा योजना

राज्य में 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम के दौरान मक्का, धान तथा रबी मौसम में गेंहू तथा जौ फसलों को शामिल किया गया है। फसलों के नुकसान के विभिन्न अग्रणी जोखिम जो बुआई में देरी, कटाई के बाद नुकसान, स्थानीय आपदाओं और खड़ी फसलों को नुकसान (बुआई से कटाई तक) के कारण पैदा होते हैं, को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह योजना में खरीफ 2020 से ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए उनकी मर्जी पर आधारित है। पी.एम.एफ.बी.वाई. योजना के अंतर्गत् 350 प्रतिशत से अधिक एकत्रित प्रीमियम राशि अथवा 35 प्रतिशत से अधिक बीमाकृत राशि, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर सभी कम्पनियों को मिलाकर, अधिक हो उसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार बराबर भागीदारी में भुगतान करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ, 2020 और रबी, 2020–21 में 1,76,510 किसानों को शामिल किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ₹9.30 करोड़ का बजट परिव्यय 2021–22 के लिए प्रस्तावित किया गया है जो कि प्रीमियम सब्सिडी के राज्य हिस्सेदारी के भुगतान के लिए उपयोग किया गया है।

7.1.11 कृषि विपणन

कृषि विपणन तथा कृषि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट, 2005 लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य

स्तर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश को 10 अधिसूचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषक समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। व्यवस्थित स्थापित मण्डियां किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सोलन में कृषि उत्पादों हेतु एक आधुनिक मण्डी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा अन्य स्थानों पर भी मार्केट यार्डों का निर्माण हुआ है। वर्तमान में 10 मण्डी कमेटियां कार्य कर रही हैं तथा 63 मण्डियों को कार्यात्मक बनाया गया है। बाजार की जानकारी अलग अलग मीडिया के माध्यम से जैसे आकाशवाणी (AIR), दूरदर्शन, प्रिंट मीडिया और इंटरनेट के द्वारा किसानों को पहुंचाई जा रही है। राज्यों के 19 थोक बाजार इलेक्ट्रॉनिक–राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) के माध्यम से जुडे हुए हैं।

7.1.12 चाय विकास

चाय उत्पादन के अन्तर्गत 2,310.71 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें वर्ष 2020–21 के दौरान 11.45 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ। लघु एवं सीमांत कृषकों को कृषि औजारों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। चाय की खेती मुख्य रूप कांगडा, मंडी और चंबा जिलों में की जाती है। वर्तमान में राज्य में 5,900 चाय उत्पादक हैं।

7.1.13 भू एवं जल संरक्षण

राज्य सैक्टर के अन्तर्गत मिट्टी एवं जल संरक्षण की दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। यह योजनाएं हैं:

- भू संरक्षण कार्य
- जल संरक्षण और विकास

कृषि विभाग द्वारा वर्षा जल दोहन के लिए टैंक, तालाब, चैक डैम व भण्डार संरचनाओं के निर्माण के लिये योजना तैयार की है। इस के अलावा कम पानी उठाने वाले उपकरण व फव्वारों के माध्यम से कुशल सिंचाई प्रणाली को भी लोकप्रिय किया जा रहा है।

7.1.14 मुख्यमन्त्री नूतन पॉली हाऊस योजना

कृषि क्षेत्र में अधिक व शीघ्र विकास हेतु नकदी फसलों का उत्पादन पौली हाऊस के द्वारा खेती करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नूतन पौली हाऊस योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत 100 हैक्टेयर भूमि को लाया जाएगा तथा 5,000 पॉलीहाऊस का निर्माण किया जाएगा यह योजना दो चरणों में लागू की जाएगी। प्रथम चरण 2020–21 से 2022–23 तक होगा जिसके अन्तर्गत ₹78.57 करोड़ रुपये की लागत से 2,522 पॉलीहाऊस का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के तहत स्वीकृत माडल के पॉलीहाऊस बनाने के लिए 85 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी और इस योजना में वर्ष 2021–22 के लिए ₹22.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

7.1.15 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना– कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आर.के.बी.वाई. –रफ्तार)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार वर्ष 2007 में कृषि व सम्बन्धित क्रियाकलापों के सम्पूर्ण विकास के लिए एक छत्रीय योजना शुरु की गई। इस परियोजना में वर्ष 2021–22 के लिए ₹14.20 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। इस योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैः–

- कृषि विकास नीति के अन्तर्गत सरकार द्वारा कृषि फसल हेतु बुनियादी ढांचा संरचना के माध्यम से किसानों को कृषि फसल से पूर्व और पश्चात गुणवत्ता, आदान–प्रदान भण्डारण व बाजार आदि से सम्बन्धित प्रयासों के विकल्प अपनाने में सक्षम बनाता है।
- राज्यों को कृषि एवम् समवर्गी क्षेत्र योजना के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन करने के लिए लचीलापन और स्वतन्त्रता देना।
- किसानों को अपनी आय व उत्पादन सक्षमता को बढ़ाने हेतु मूल्य श्रृंखला/सारणी के अतिरिक्त उत्पादन लिंक्ड (उत्पादन से सम्बन्धी) मूल्य पद्वति अपनाने में प्रोत्साहित करता है।
- अतिरिक्त आय सृजन गतिविधियों जैसे एकीकृत खेती, मशरुम उत्पादन, मधु–मक्खी पालन, सुगंधित पौधों की खेती, फूलों की खेती आदि पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ किसानों के जोखिम को कम करने के लिए।
- उपयोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भाग लेना।
- युवाओं को कौशल विकास, नवाचार, और कृषि–उद्यमिता आधारित कृषि माडल के माध्यम से सशक्त बनाना तथा उन्हें कृषि के लिए आकर्षित करना।

7.1.16 कृषि विस्तार एंव प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NMAET)

इस योजना के दौरान कृषि विस्तार एंव प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन (NMAET) के अन्तर्गत तकनीक की प्रसार प्रणाली किसान आधारित बनाने के लिए शुरू की गई है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो क्रमशः 90:10 केंद्र और राज्य के हिस्से के अनुपात में होगा। इस मिशन को तीन उप–मिशन में विभाजित किया गया है।

- कृषि विस्तार उप–मिशन (SAME): वर्ष 2021–22 के लिए ₹16.67 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
- बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन (SMSP): वर्ष 2021–22 के लिए ₹4.79 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
- कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन(SMAM): वर्ष 2021–22 के लिए ₹21.58 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

7.1.17 सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (NMSA)

वर्षा सिंचिंत क्षेत्रों में सतत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एन.एम.एस.ए. का गठन किया गया है। इस मिशन के तहत तीन विभिन्न घटक हैं:

- वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी): वर्ष 2021–22 के लिए ₹5.33 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम): वर्ष 2021–22 के लिए ₹2.16 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
- परम्परागत कृषि विकास योजना, जल का कुशलतापूर्वक उपयोग(पी.के.वी.वाई.): वर्ष 2021–22 के लिए ₹10.64 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

7.1.18 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2007 में शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत, गेहूं के लिए 11 जिले (शिमला को छोड़कर), चावल के तहत दो जिले कांगडा और मंडी और मक्का के तहत शिमला, किन्नौर और लाहौल और स्पीति को छोडकर नौ जिले और दालों में माश, मूंग, मटर, मसूर और चना के तहत सभी जिलों का चयन किया गया है। सभी जिलों को न्यूट्री–अनाज (जवार, बाजरा, कोडोमिलेट, प्रोसोमिल्ट, फॉक्सटेलमिल्ट, लिटलमिल्ट और फिंगरमिल्ट) के लिए भी चुना गया है। इस मिशन में क्लस्टर प्रदर्शनों, प्रमाणित बीज के वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों, पौधे और मिट्टी की सुरक्षा सामग्री, उन्नत उपकरणों और मशीनरी के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 के लिए ₹15.00 करोड का बजट प्रावधान किया गया है।

7.1.19 प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना

कृषि उत्पादकता में सुधार करने के प्रयास में भारत सरकार ने एक नई योजना "प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना" के नाम से शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं (हर खेत को पानी) और अन्तिम छोर तक सिंचाई समाधान पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्त करना, सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विकास करना, खेत में सिंचाई की विधि में सुधार करना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके, सही सिंचाई एवम् पानी की अन्य बचत तकनीकें शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 के लिए राज्य योजना में ₹10.00 करोड़ रखे गए हैं।

7.1.20 कुशल सिंचाई के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना

सिंचाई की कुशल प्रणाली के लिए, सरकार ने ₹154.00 करोड के परिव्यय के साथ "सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से कुशल सिंचाई" नामक एक योजना शुरू की है। इस परियोजना के माध्यम से 8,500 हेक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के तहत लाया जाएगा जिससे 14,000 किसानों को लाभ होगा। किसानों को स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने पर 80 प्रतिशत की दर से सब्सिडी दी जाएगी।

7.1.21 उत्तम चारा उत्पादन योजना

राज्य में चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने "उत्तम चारा उत्पादन योजना" शुरू की है जिसके अन्तर्गत 42,000 हैक्टेयर क्षेत्र चारा उत्पादन के लिए लाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को रियायती दरों पर उत्तम घास बीज, कलमें तथा उत्तम गुणवता के चारे की किस्मों में सुधार के लिए बीजों की आपूर्ति की जाएगी। भूसा कटर पर अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति और बी.पी.एल. किसानों को उपलब्ध है। राज्य सरकार भी किसानों को अजोला घास की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार पिट तैयार करने के लिए 50 प्रतिशत सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 के लिए ₹7.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

7.1.22 मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना

बंदर और वन्य जीवन के खतरे से सालाना फसलों को भारी नुकसान होता है। मैनुअल रखवाली द्वारा फसल सुरक्षा की वर्तमान प्रथा 100 प्रतिशत फसल को सुनिश्चित नहीं करती है। इसलिए, हिमाचल प्रदेश ने एक योजना मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 80 प्रतिशत सब्सिडी व्यक्तिगत किसान को तथा 85 प्रतिशत किसानों के समूह को सोलर बाड़ लगाने के लिए प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2019–20 से कंटीले और चेन लिंक फेंसिंग के साथ–साथ कम्पोजिट फेंसिंग की स्थापना को

भी मंजूरी दे दी है। कांटेदार और चेन लिंक (बुना जाल) बाड प्रणाली की स्थापना के लिए सब्सिडी 50 प्रतिशत होगी और समग्र बाड़ लगाने के लिए तथा भौगोलिक संकेतों के साथ एकीकृत सौर बाड़ के लिए 70 प्रतिशत होगी और इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2022 तक 1,080 लाभार्थियों के लिए ₹36.75 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

7.1.23 मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना

कृषि मशीनरी के संचालन के कारण चोट लगने या मृत्यु होने की स्थिति में किसानों और खेतीहर मजदूरों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने 2015–16 में मुख्यमंत्री किसान और खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना शुरू की है। मृत्यु के मामले में ₹3.00 लाख, स्थायी दिव्यांगता ₹1.00 लाख और आंशिक अक्षमता के लिए ₹10,000 से ₹40,000 प्रभावित किसानों को प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021–22 के लिए ₹40.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

7.1.24 प्रवाह सिंचाई योजना

इस योजना के तहत कुहलों के स्रोत स्थान के नवीनीकरण के अलावा, सामान्य क्षेत्र में कुहलों को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा और समुदाय आधारित कार्यों पर सरकार द्वारा 100 प्रतिशत खर्च वहन किया जाएगा। सरकार ने इस योजना के तहत व्यक्तिगत रूप से सिंचाई के लिए बोरवेल और कम गहरे कुओं के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है। वर्ष 2021–22 के लिए ₹15.00 करोड का बजट प्रावधान रखा गया है।

7.1.25 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना(पी.एम.–कुसुम)

दूरदराज के क्षेत्रों में जहां बिजली की पहुंच महंगी है, राज्य सरकार ने फसलों को सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करने, उत्पादन और उत्पादकता बढाने के उद्देश्य से एक नई योजना प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान शुरू की है इस योजना के तहत किसानों के छोटे और सीमांत किसान समूहों को 85 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी और 80 प्रतिशत सहायता किसानों के मध्यम और बडे समूहों को व्यक्तिगत और सामुदायिक आधार पर सोलर पंपिंग मशीनरी की स्थापना के लिए प्रदान की जाएगी। वर्ष 2021–22 के लिए ₹12.51 करोड का बजट प्रावधान रखा गया है।

7.1.26 जल से कृषि को बल योजना

सरकार ने "जल से कृषि को बल" योजना शुरु की है। इस योजना के अन्तर्गत चैक डैम और तालाबों का निर्माण किया जाएगा। 2021–22 के लिए ₹25.01 करोड का बजट प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत समुदाय आधारित लघु जल बचत योजना के क्रियान्वयन पर शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

7.1.27 मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना

किसान उत्पादक संगठन जो संसाधन जुटाने में कमजोर है और अपने दम पर बुनियादी ढांचा बनाने में समस्याओं का सामना कर रहें हैं वे कृषक, बागवानी किसानों डेयरी किसानों और मछुआरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें बुआई, कटाई और कटाई के बाद बुनियादी ढांचे जैसे ग्रेडिंग और पैकेजिंग मशीन, परिवहन वाहन, भण्डारण गोदाम और पैक हाऊस आदि के लिए बुनियादी इनपुट के लिए दीघ्रकालिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बीज धन का समर्थन करने के लिए कृषि कोष, किसानों के लिए ब्याज और ऋण की गारंटी के लिए एक नई योजना का शुरु की है, वर्ष 2021–22 के लिए ₹5.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

7.1.28 कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एंटी हेल नेट)

फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 से एक नई योजना कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एंटी हेल नेट) शुरु की है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार किसानों को एंटी हेल नेट खरीदने पर 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी। राज्य के सभी सब्जी उत्पादक किसानों को अपनी फसलों को ओलावृष्टि, आवारा जानवरों और बंदरों जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए एंटी हेल नेट प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2021–22 के लिए इस योजना में ₹10.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

7.2 बागवानी

हिमाचल प्रदेश की विविध जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र तथा उसकी स्थिति में भिन्नता, उपजाऊ, गहन तथा उचित जल निकास व्यवस्था वाली भूमि समशीतोष्ण तथा ऊष्ण कटिबन्धीय

फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यह क्षेत्र अन्य गौण उद्यान उत्पादन जैसे फूल, खुम्ब, शहद तथा हॉप्स की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है।

प्रदेश की इस अनुकूल स्थिति के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग अब कृषि से फलोत्पादन की ओर स्थानान्तरित होता जा रहा है। वर्ष 1950–51 में फलों के अधीन कुल क्षेत्र 792 हैक्टेयर था जिसमें कुल उत्पादन 1,200 टन होता था अब यह बढ़ कर वर्ष 2020–21 में 2,34,779 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया तथा कुल फल उत्पादन 6.24 लाख टन हुआ तथा वर्ष (दिसम्बर, 2021 तक) कुल फल उत्पादन 6.97 लाख टन आंका गया है। वर्ष 2021–22 में 1,549 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फल पौधों के अंतर्गत् लाने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 2021 तक 1,932.49 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया तथा दिसम्बर, 2021 तक फलों के 5.35 लाख पौधे वितरित किए गए।

हिमाचल प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत है तथा उत्पादन कुल फल उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत है। वर्ष 1950–51 में सेबों के अंतर्गत 400 हैक्टेयर क्षेत्र था जोकि 1960–61 में बढ़कर 3,025 हैक्टेयर तथा वर्ष 2021–21 में 1,14,646 हैक्टेयर हो गया।

सेब के अतिरिक्त समशीतोषण फलों के अंतर्गत वर्ष 1960–61 में 900 हैक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 2020–21 में 27,870 हैक्टेयर हो गया। सूखे फल तथा मेवों का क्षेत्र 1960–61 के 231 हैक्टेयर से बढ़कर 2020–21 में 10,029 हैक्टेयर हो गया तथा निम्बू प्रजाति एवं उपोषण कटिबंधीय फलों का क्षेत्र वर्ष 1960–61 के 1,225 हैक्टेयर तथा 623 हैक्टेयर से बढ़कर 2020–21 में क्रमशः 25,654 हैक्टेयर तथा 56,580 हैक्टेयर हो गया। गत कुछ वर्षों से सेब उत्पादन में आ रहे निरन्तर उतार–चढ़ाव ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश के विशाल फलोत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए अब विभिन्न कृषि पारिस्थितक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वर्ष 2021–22 में बागवानी में मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु बागवानी विकास योजना के अर्न्तगत बागवानों को 8,900 शक्ति चलित स्प्रैयर, 584 पॉवर टिल्लरों (<8Break Horse Power) व 136 पॉवर टिल्लरों (>8 Break Horse Power) उपदान पर बांटे जा रहे है।

7.2.1 कृषि यांत्रिकीकरण (एस.एम.ए.एम.) के उप–मिशन

कृषि यांत्रिकीकरण के उप–मिशन को राज्य में लागू किया जा रहा है जहां किसानों को बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में विभिन्न आधुनिक कृषि उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राज्य कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश योजना का प्रमुख विभाग है। वर्ष 2021–22 के दौरान ₹21.50 करोड़ की राशि बागवानी विभाग को आबंटित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2021 तक ₹12.00 करोड़ व्यय किये गए तथा 4,000 किसानों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान, 73,216.67 मीट्रिक टन

सी–ग्रेड सेब जिसका मूल्य ₹69.55 करोड और 15.02 मीट्रिक टन आम जिसका मूल्य ₹1.43 लाख है, की खरीद की गई है।

प्रदेश के गर्म क्षेत्रों में आम एक मुख्य फसल के रूप में उभरा है। कुछ क्षेत्रों में लीची भी महत्व प्राप्त कर रही है। आम तथा लीची की बाजार में बेहतर कीमतें मिल रहीं है। मध्यम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में नए फलों जैसे कीवी, जैतून, पीकैन, अनार तथा स्ट्राबैरी की खेती लोकप्रिय हो रही है। फल उत्पादन आंकड़ें सारणी 7.8 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.8: फल उत्पादन

(*000 टन)

मद	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (31 दिसम्बर,2021 तक)
सेब	368.60	715.25	481.06	601.95
अन्य समषीतोष्ण फल	37.15	49.85	40.65	35.18
सूखे मेवे	3.65	4.24	4.69	2.00
नींबू प्रजाति के फल	29.34	32.11	33.29	10.07
अन्य उष्णकटिबंधीय फल	56.62	43.97	64.80	48.76
कुल	**495.36**	**845.42**	**624.49**	**697.96**

प्रदेश में बागवानी उद्योग में विविधता लाने हेतु 31दिसम्बर, 2021 तक 373.57 हैक्टेयर क्षेत्र पुष्प खेती के अर्न्तगत लाया गया है। पुष्प खेती को बढ़ावा देने हेतु दो टिशू कल्चर प्रयोगशालाएं, आर्दश पुष्प केन्द्रों, महोगबाग, (चायल जिला सोलन) तथा पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई है। फूलों के उत्पादन तथा विपणन हेतु प्रदेश में 10 किसान कोओपरेटिव सोसाईटियां जो जिला शिमला, कांगड़ा, लाहौल–स्पिति, सोलन, चम्बा तथा हमीरपुर में कार्य कर रही है। प्रदेश में खुम्ब उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन जैसी सहायक उद्यान गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक सोलन, रामपुर, बजौरा तथा पालमपुर स्थित विभागीय खुम्ब विकास परियोजनाओं में 524.72 मीट्रिक टन पास्चूराईजड खाद तैयार कर खुम्ब उत्पादकों को बांटी गई। प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2021 तक कुल 18,308.03 मीट्रिक टन खुम्ब उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त मधुमक्खी पालन गतिविधि के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2021 तक प्रदेश में 1,566.08 मीट्रिक टन शहद का भी उत्पादन हुआ।

7.2.2 हिमाचल प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना को रबी सीजन वर्ष 2009–10 में प्रायोगिक आधार पर 6 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए तथा 4 विकास खण्डों में आम फसल हेतु लागू किया गया था। इस योजना की लोकप्रियता के दृष्टिगत अगले वर्षो में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया। वर्तमान में, 42 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए, 39 विकास खण्डों में आम फसल के लिए, 18 विकास खण्डों में निम्बू वर्गीय फसल के लिए, 14 विकास खण्डों में पलम फसल के लिए तथा 5 विकास खण्डों में आड़ू

फसल के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत लाया गया। इसके अतिरिक्त सेब की फसल को ओलावृष्टि से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए बीमा हेतु 19 विकास खण्डों को Add-on cover Scheme के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2016–17 से इस योजना का नाम बदल कर Restructured Weather Based Crop Insurance किया गया है और बीमित राशि को संशोधित कर इसमें बोली प्रणाली लागू की गई है। वर्ष 2019–20 में 84,624 बागवानों को सेब, आम, पलम, आडू व निम्बू वर्गीय फसल के लिए R-WBCIS में सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा 64,33,231 वृक्षों को बीमित किया गया जिसके लिए प्रीमियम भाग लगभग ₹20.31 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किये गए।

7.2.3 वर्ष 2021–22 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास **योजना** (आर.के.वी.वाई.–रफ्तार) के कार्यान्वयन के लिए 30 सितम्बर, 2021 को एस.एल.एस.सी. (राज्य स्तरीय स्वीकृति कमेटी) द्वारा ₹374.64 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

7.2.4 हिमाचल खुम्ब विकास योजना राज्य में मशरूम की खेती को बढावा देने के लिए 2019–20 के दौरान शुरू की गई थी। वर्ष 2021–22 के दौरान ₹5.00 करोड प्राप्त हुए और ₹65.85 लाख खर्च किए गए। योजना के तहत 168 इकाइयां स्थापित की गई और 411 किसान लाभान्वित हुए। जिलेवार स्थिति तालिका 7.9 में दर्शाई गई है।

सारणी 7.9: जिलावार ईकाईयां एवं लाभार्थी

क्रम संख्या	जिलों के नाम	HKVY के अन्तर्गत बनाई गई ईकाइयां	HKVY के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या
1.	बिलासपुर	10	111
2.	चम्बा	3	3
3.	हमीरपुर	15	45
4.	कांगड़ा	62	122
5.	किन्नौर	0	0
6.	कुल्लू	0	0
7.	लाहौल–स्पिति	0	0
8.	मण्ड़ी	18	18
9.	शिमला	31	31
10.	सिरमौर	25	25
11.	सोलन	1	53
12.	ऊना	3	3
	कुल	**168**	**411**

स्रोत : उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

7.2.5 कुशल एवं अकुशल बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं राज्य में वाणिज्यिक पुष्प कृषि को बढावा देने के लिए **"हिमाचल पुष्प क्रांति योजना"** के अंतर्गत वर्ष

2021—22 के दौरान ₹11.00 करोड़ की राशि आबंटित की गई है, जिसमें से ₹1.82 करोड़ 31 दिसम्बर, 2021 तक व्यय किए गए हैं तथा 99 किसान लाभान्वित भी हुए हैं। इसी प्रकार गुणवत्तायुक्त फल फसलों के उत्पादन एवं उत्पादन में वृद्धि, शहद उत्पादन एवं अन्य मधुमक्खी उत्पादों को बढाने के लिए मुख्यमंत्री मधु विकास योजना प्रारम्भ की गई है तथा ₹6.20 करोड़ की निधि वर्ष 2020—21 के दौरान आबंटित की गई है। कृषि उत्पाद संरक्षण योजना के तहत वर्ष 2020—21 के लिए स्थायी समर्थन (इस्पात और बांस) के निर्माण के लिए ₹20.00 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से ₹19.62 लाख खर्च किए गए हैं और 79 किसानों को 31 दिसंबर 2021 तक लाभान्वित किया गया है।

7.2.6 केंद्र प्रायोजित योजना, **"बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन"** (एम.आई.डी.एच.) राज्य में लागू किया जा रहा है जिसके तहत किसानों को विभिन्न बागवानी गतिविधियों जैसे फलों की खेती, फूल, सब्जियां, प्रजातियां और नए उद्यानों की स्थापना, मशरूम उत्पादन, उच्च मूल्य के फूलों और सब्जियों की ग्रीन हाउस की खेती, एंटी हेल नेट, बागवानी मशीनीकरण, कटाई के बाद प्रबंधन आदि करने के लिए 40—85 प्रतिशत तक सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2021—22 में ₹48.89 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से पहली किशत के रूप में ₹12.22 करोड़ सरकार से प्राप्त हो चुके हैं। इस मिशन के तहत वर्ष 2003—04 से दिसंबर, 2021 तक कुल 2,60,421 किसान लाभान्वित हुए हैं।

7.2.7 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—प्रति बूंद अधिक फसल(पी.एम.के.एस.वाई.—पी.डी.एम.सी.) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2015—16 से राज्य में लागू किया जा रहा है। वर्ष 2017—18 में, छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55 प्रतिशत और बडे किसानों के लिए 45 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान के साथ पी.एम.के.एस.वाई.—प्रति बूंद अधिक फसल दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया था। राज्य छोटे और सीमांत किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी देने के लिए राज्य का 25 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सा प्रदान कर रहा है। वर्ष 2020—21 के लिए, भारत सरकार ने (PMKSY-PDMC) के लिए ₹1,200 लाख मंजूर किए हैं। अब तक (2015—16 से दिसंबर, 2021) 5,813.71 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया है, जिससे 24,306 किसान लाभान्वित हुए हैं।

7.3 हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (एच.पी.एम.सी.)

एच.पी.एम.सी., एक राज्य सार्वजनिक उपक्रम, की स्थापना ताजे फलों और सब्जियों के विपणन, अप्राप्य अधिशेष के प्रसंस्करण और प्रसंस्कृत उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से, एच.पी.एम.सी. राज्य के फल उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी रिटर्न प्रदान करके उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वर्ष 2020–21 के दौरान एच.पी.एम.सी. ने ₹70.93 करोड़ का कुल कारोबार दर्ज किया था। मण्डी मध्यस्थ योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आम, सेब और नीम्बू प्रजाति के फलों के लिए समर्थन मूल्य जारी रखा, जो निम्न प्रकार से हैं:–

सारणी 7.10: फलों के लिए समर्थन मूल्य

क0 सं0	फलों के नाम	समर्थन मूल्य (₹ प्रति कि.ग्रा.)
1.	आम (ग्राफ्टिड किस्म)	9.50
2	आम (सीडिंग किस्म)	9.50
3.	आम आचारी	9.50
4.	सेब	9.50
5.	किन्नू,माल्टा और संतरा (ग्रेड बी)	8.50
6.	किन्नू,माल्टा और संतरा (ग्रेड सी)	8.00
7.	गलगल (सभी ग्रेड)	7.00

- निगम ने सफलतापूर्वक पांच नियंत्रित वातानुकूलित भण्डार सेब उत्पादन क्षेत्रों में जैसे जिला शिमला तथा कुल्लू के अन्तर्गत जरोल–टिक्कर (कोटगढ़) 640 मी.टन, गुम्मा (कोटखाई) 640 मी. टन, ओडी (कुमारसेन) 700 मी.टन, तथा रोहडू में 700 मी.टन क्षमता सहित कुल 2,680 मी.टन क्षमता के स्थापित किए है।
- परवाणू में एप्पल जूस कॉन्संट्रेट (ए.जे.सी.) संयंत्र के उन्नयन के लिए ₹8.00 करोड़ की सहायता अनुदान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) से प्राप्त किया गया है और उन्नयन का कार्य वर्ष 2018 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और उसी वर्ष परीक्षण उत्पादन शुरू किया गया था। प्लांट को 2019 में व्यावसायिक उत्पादन के लिए स्थापित किया गया था और उस दौरान एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट का उत्पादन 1,012 मीट्रिक टन था। सेब सीजन 2021 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र परवाणू में कुल 617.83 मीट्रिक टन सेब के रस का उत्पादन किया गया।

- फल प्रसंस्करण संयंत्र, जारोल सुंदरनगर में कैलेंडर वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 235 मीट्रिक टन और 2020–21 में, 112 मीट्रिक टन एप्पल जूस का उत्पादन किया गया। इसके अलावा, 2021 के नवीनतम सेब सीजन के दौरान कुल 81.27 मीट्रिक टन एप्पल जूस का उत्पादन किया गया था।

- एच.पी.एम.सी. ने एफ.पी.पी. परवाणू में एप्पल साइडर के निर्माण और मेसर्स माउंटेन बैरल के साथ एफ.पी.पी. जारोल में फलों और रेड वाइन के निर्माण के लिए मैसर्स पीएच 4 पार्टियों के साथ एक अनुबंध प्रतिपादित किया है इससे आने वाले वर्षों में बिक्री के साथ–साथ लाभ का बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

- निगम की योजना है, कि विभिन्न फलों की ग्रैडिंग/पैंकिग, प्रसंस्करण का उनके उत्पादन क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से वर्तमान भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस परियोजना के पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर घटक के तहत सीए स्टोर्स जारोल टिक्कर, गुम्मा और रोहडू की मौजूदा स्टोरेज क्षमता को मौजूदा 2,680 मीट्रिक टन से बढाकर 6,618 मीट्रिक टन करने की प्रक्रिया मार्च, 2022 तक पूरी कर ली जाएगी।

7.4 पशुपालन और डेरी

पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन एवं फसलों तथा सांझी सम्पति साधन जैसे वन, पानी, चरने योग्य भूमि, में बहुत गहन सम्बन्ध है।

हिमाचल प्रदेश में पशुधन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने में विशेष सहायक है। वर्ष 2020–21 में 15.76 लाख टन दूध, 1,482 टन ऊन 1,111 मिलियन अण्डे तथा 4,306 टन मांस का उत्पादन हुआ। वर्ष 2021–22 में 16.54 लाख टन दूध, 1,500 टन ऊन, 1,100 मिलियन अण्डे व 4,500 टन मांस उत्पादन की सम्भावना है। सारणी 7.11 दूध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है।

सारणी 7.11: उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्ध्ता

वर्ष	दूध उत्पादन (लाख टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन)
2020–21	15.76	630
2021–22 (अनुमानित)	16.54	660

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उभारने में पशु पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा राज्य में पशुधन विकास कार्यक्रम के तहत निम्न पर ध्यान दिया जा रहा है।

- पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
- पशु विकास
- भेड़ प्रजनन तथा ऊन विकास
- कुक्कट विकास
- पशु आहार व चारा विकास
- पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा
- पशु गणना

31.12.2021 तक पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में 1 राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय, 3 क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय 10 पॉलीक्लिनिक, 60 उपमण्डलीय पशु चिकित्सालय, 362 पशु चिकित्सालय, 30 केन्द्रीय पशु औषधालय 6 पशु

निरीक्षण चौकियां तथा 1,759 पशु औषधालयों जो पशुपालकों को उनके पशुओं को पशु चिकित्सा सेवाऐं प्रदान कर रहे हैं।

राज्य में भेड़ व ऊन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म, ज्यूरी, (शिमला) ताल (हमीरपुर) कड़छम (किन्नौर) द्वारा भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़ें प्रदान की जा रही हैं। दिसम्बर, 2021 तक इन प्रक्षेत्रों में 1,312 भेड़ें पाली गईं। एक नर मेढ़ केन्द्र नगवाई मण्डी जिला में कार्यरत है जहां पर उन्नत किस्म के नर मेढ़ों का पालन तथा क्रॉस ब्रीडिंग की सुविधा के लिए, भेड़ पालकों को प्रदान किए जाते है, प्रदेश में शुद्ध नस्ल के मेंढों आस्ट्रैलियन मैरीनों तथा अमरीकन रैम्बूलैट की उपयोगिता को देखते हुये राजकीय प्रक्षेत्रों पर शुद्ध नस्ल से प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 9 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र भी कार्यरत है। 2021–22 में 1,500 टन ऊन का उत्पादन होने की सम्भावना है । खरगोशों के प्रजनन के लिए खरगोश प्रदान करने हेतु जिला कांगड़ा में कण्डवाड़ी तथा जिला मण्डी में नंगवांई में अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत हैं।

सारणी 7.12: कृत्रिम गर्भाधारण का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2020–21	2021–22(लक्ष्य)
1	हिमित वीर्य तृण गाय के लिए (लाख)	6.23	11.50
2	हिमित वीर्य तृण भैंस के लिए (लाख)	1.94	3.50
3	तरल नाईट्रोजन LN2 (लाख लीटर)	1.82	9.00
4	कृत्रिम गर्भाधारण गाय के लिए (लाख)	6.09	9.50
5	कृत्रिम गर्भाधारण भैंस के लिए (लाख)	1.60	3.40

जिला लाहौल–स्पीति के लरी स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है जिसमें स्पिति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखा गया है वर्ष 2021–22 में 31 दिसम्बर, 2021 तक इस प्रक्षेत्र में 67 घोड़े–घोड़ियों को रखा गया। इसी भवन में याक प्रजनन प्रक्षेत्र भी है, जहां पर 62 याक पाले गए। दाना व चारा योजना के अंर्तगत वर्ष 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) 16.00 लाख चारा जड़ों, व 64,000 चारा पौधों का वितरण किया गया है।

7.4.1 पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों के लाभ हेतु कल्याणकारी योजनाएँ हैं:–

I. सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. किसानों से संबंधित

सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. परिवारों के पशुपालकों को उनकी देसी/क्रॉस नस्ल की गायों को गर्भावस्था के अंतिम तीन महीनों के लिए प्रति दिन 3 किलोग्राम की दर से 50 प्रतिशत सब्सिडी पर गर्भावस्था राशन प्रदान किया जाता है। वर्ष

2021–22 के लिए बजट प्रावधान ₹ 266.41 लाख रखा गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैः

- दूध उत्पादन को बढ़ाना।
- अंतर–ब्याने की अवधि को कम करना।
- गर्भवती गायों के स्वास्थ्य में सुधार करना।

II उत्तम पशु पुरस्कार योजनाः

जिन किसानों के दुधारू पशु/भैंसों का प्रतिदिन 15 लीटर तथा इससे अधिक दूध उत्पादन होता है, उन्हें प्रति लाभार्थी प्रति पशु 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2021–22 के लिए बजट प्रावधान ₹50.00 लाख प्रदान किए गए हैं।

7.4.2 आंगनबाड़ी कुक्कट पालन

हिमाचल प्रदेश में कुक्कट क्षेत्र के विकास के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है।

I. **बैकयार्ड पोल्ट्री योजनाः** इस योजना के तहत तीन सप्ताह आयु से कम, 50–100 संख्या में कुक्कुट इनपुट प्रोधौगिकी (एल.आई.टी.) के आधार पर कुक्कुट पालकों को वितरित किये जाते हैं।

II. **200 चिक योजनाः** इस योजना के तहत 900 कुक्कुट पालकों को जो अनुसूचित जाति श्रेणी के बी.पी.एल. परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं को प्रति लाभार्थी को (200 दिन के एल.आई.टी. पक्षी, प्रारम्भिक भोजन, फीडर और ड्रिंकर.) ₹10,000 प्रदान किए जाते हैं। दिसम्बर,2021 तक 545 लाभार्थी को लाभ मिला। लाभार्थियों को पोल्ट्री प्रबधंन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है।

III. **हिम कुकुक्ट पालन योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत राज्य में 100 ब्रायलर पोल्ट्री युनिट स्थापित करने हेतू ₹396.00 लाख के बजट का प्रावधान है। लाभार्थियों को एक–दिन आयु के 3000 ब्रायलर चूजे, दाना, फीडर और ड्रिंकर प्रदान किये जाते हैं। लाभार्थियों को कैपटिल लागत (शैड ,फीडर और ड्रिंकर आदि) और आवर्ती लागत चूजे की कीमत, फीडर आदि दोनों पर 60 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।

IV. **इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट (आई.पी.पी.पी) लिट पक्षी योजनाः** लिट पक्षी (एन.एल.एम.) योजना के तहत 200 लाभार्थियों को 400 चूजे 4 सप्ताह के आयु के (दो किस्तों में 72 सप्ताह के अंतराल पर प्रत्येक 200 चूजे) और ₹15,000 की सहायता लाभार्थियों को आश्रय, चारा और विविध व्यय के लिए प्रदान की जाती है।

V. **इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्टः** (आई.पी.पी.पी.)योजना ब्रायलर (एन. एल.एम.) इस योजना के तहत 200 लाभार्थीयों को 600 चार सप्ताह की आयु के ब्रोयलर चूजे (150 चूजों की चार किश्तें प्रत्येक किश्त पर) और दाना व शेड निर्माण के लिए राशि प्रदान की जाएगी।

7.4.3 राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आर.जी.एम.)

दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए दूध उत्पादन और गायों की उत्पादकता बढ़ाने में राष्ट्रीय गोकुल मिशन महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत् हिमाचल प्रदेश राज्य में वर्तमान में की और कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पहलें हैंः

I राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अर्न्तगत प्रदेश में मुर्रा नस्ल के प्रोत्साहन हेतु मुर्रा प्रजनन फार्म की स्थापना।

देश भर में शुक्राणु स्टेशनों पर उपयोग के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता मुर्रा भैंस बैल का उत्पादन करने और किसानों को बिक्री के लिए और राज्य के भीतर और बाहर व्यावसायिक उपयोग के लिए उत्कृष्ट मुर्रा भैंस बछिया/वयस्क भैंस प्रदान करने के उद्देश्य से, इसकी परिकल्पना की गई थी हिमाचल प्रदेश में उच्च वंशावली मुर्रा भैंसों का प्रजनन फार्म स्थापित किया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जिला ऊना में मुर्रा भैंस के प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए भारत सरकार से ₹506.45 लाख की राशि प्राप्त हुई है।

II गोकुल ग्राम की स्थापना

राज्य में स्वदेशी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और देशी नस्लों के संरक्षण, प्रसार और विकास के उद्देश्य से स्थानीय मवेशियों की उत्पादकता बढ़ाने और पशु उत्पादों से स्थायी रूप से आर्थिक लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से, स्वदेशी के उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों का प्रचार करना नस्लों और आधुनिक कृषि प्रबंधन प्रथाओं को अनुकूलित करने के लिए, सामान्य संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना और प्राकृतिक खेती (सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती) इनपुट के रूप में स्वदेशी मवेशियों से कच्चे माल का उपयोग करना, राष्ट्रीय गोकुल ग्राम मिशन के अन्तर्गत् "गोकुल ग्राम" स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा ऊना जिले में गोकुल ग्राम की स्थापना हेतु 1 जनवरी 2019 को ₹995.10 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

III राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना (NAIP)

किसानों के घर द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के वितरण, दुग्ध उत्पादन और गोवंश की उत्पादकता में वृद्धि और इस तरह किसानों की आय में वृद्धि और किसानों के बीच कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की स्वीकार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से यह संगठित किसान जागरूकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह घटक राज्य के सभी जिलों में 2021–22 से 2025–26 तक 5 वर्षों की अवधि में सभी प्रजनन योग्य मवेशियों और भैंसों की आबादी को सम्मिलित करते हुए लागू किया जाएगा। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के अन्तर्गत् भारत सरकार से कुल ₹3058.36 लाख की राशि प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत तीनों चरणों में राज्य में कुल 11,31,681 निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया गया है।

IV जर्सी संतति परीक्षण परियोजना (जिला कांगड़ा)

यह कार्यक्रम विभाग के 115 पशु चिकित्सा संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से कांगड़ा जिले के लगभग 800 राजस्व गांवों में निम्नलिखित उद्देश्य से क्रियान्वित किया जा रहा है।

- जर्सी मवेशियों की आबादी में दूध, वसा, एस.एन.एफ. और प्रोटीन की पैदावार, प्रजनन लक्षण के संबंध में एक स्थिर आनुवंशिक प्रगति प्राप्त करना।
- भविष्य की पीढ़ी के सांड, बछड़ों के उत्पादन के लिए आनुवांशिक मूल्यांकन और बैल माताओं और सांडों के चयन की एक प्रणाली स्थापित करना।
- संतति परीक्षण के माध्यम से वीर्य केन्द्रों के लिए आनुवांशिक रुप से मूल्यांकित सांड बछड़ों की आवश्यक संख्या का उत्पादन करना।

इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड के माध्यम से ₹168.25 लाख की राशि प्राप्त हुई है और अब तक विभिन्न घटकों के अन्तर्गत ₹48.25 लाख की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

V राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अर्न्तगत साहिवाल व रेडसिंधी नस्ल की गायों के संरक्षण व प्रसार हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का प्रारम्भ करना।

केन्द्र सरकार द्वारा भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला पालमपुर में रेड सिन्धी तथा साहिवाल नस्ल में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक पर कार्य आरम्भ करने के लिए ₹195.00 लाख जारी किए गए हैं।

VI उत्कृष्टता तथा प्रशिक्षण केन्द्र

भारतीय डेयरी उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए डेयरी फार्म संचालन जैसे दूध संग्रह और भंडारण, फीडिंग सिस्टम, खाद प्रबंधन और स्वच्छता, स्वास्थ्य प्रबंधन, युवा स्टॉक और वयस्क स्टॉक प्रबंधन और डेटा भंडारण सहित के स्वचालन को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत् हिमाचल प्रदेश में एक उत्कृष्टता तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु हिमाचल प्रदेश, पशुधन विकास बोर्ड को दिंनाक 01.07.2021 तक ₹1,292.21 लाख से प्राप्त हो चुके है इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से जिला उना में कार्यान्वित किया जा रहा है।

7.4.4 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन.एल.एम.)

I ग्रामीण बैकयार्ड बकरी पालन योजना

यह राष्ट्रीय पशुधन मिशन (90 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सेदारी और 5 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी तथा 5 प्रतिशत पशुपालक हिस्सेदारी) के तहत केंद्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 2021–22 के दौरान ₹504.90 लाख की धनराशि केन्द्र से प्राप्त की जा चुकी है।

II ग्रामीण बैकयार्ड सुअर विकास योजना

यह राष्ट्रीय पशुधन मिशन (90 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सेदारी 5 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी तथा 5 प्रतिशत पशुपालक हिस्सेदारी) के तहत केंद्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 2021–22 के दौरान, 1,995 सुअर इकाई ₹397.95 लाख की धनराशि से स्थापित की जाएगी।

III जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना

ए.पी.एल. किसानों के मवेशी और पैक पशु के बीमा के प्रीमियम पर 60 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है जबकि 80 प्रतिशत सब्सिडी बी.पी.एल./अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के किसान परिवारों को प्रदान की जाती है। वर्ष 2021–22 के दौरान ₹318.95 लाख का 20,000 पशुओं के बीमा के लिए हिमाचल प्रदेश के आठ जिले नामतः बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना में प्रावधान है। अभी तक 817 लाभार्थियों में 1,005 पशुओं का बीमा किया गया है।

7.4.5 पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता

केंद्र प्रायोजित योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सेदारी और 10 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी के आधार पर धनराशि प्रदान की जा रही है ताकि संक्रामक रोगो के रोकथाम हेतु मुफ्त टीकाकरण सुविधा प्रदान की जा सके, जैसे एच.एस.बी.क्यू., एंटरोटॉक्सिमिया, पी.पी.आर., रानीखेत, मारेक और रेबीज। इस योजना के अन्तर्गत पशुपालको को उक्त लिखित सक्रांमक रोगों से होने बाले नुकसान से बचाया जा सके।

7.4.6 हिमाचल प्रदेश के सभी प्रकार के भेड़ पालकों को रैम सब्सिडी देना

इस योजना के अन्तर्गत् सभी श्रेणियों के भेड़ पालकों को एक मेढ़े प्रति पचास भेड़ की दर से 60 प्रतिशत अनुदान पर मेढ़े उपलब्ध करबाए जाते हैं। (प्रति लाभार्थी अधिकतम दो मेढ़े)। वर्ष 2021–22 के लिए बजट का प्रावधान ₹14.50 लाख है तथा योजना के उद्देश्य निम्न है:

- स्वदेशी नस्ल के भेड़ों में आनुवांशिक सुधार तथा हिमाचल प्रदेश के प्रवासी भेड़ों में बेहतर जर्मन प्लाज्म का प्रसार करना।
- राज्य में मांस और ऊन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करना। तथा भेड़ पालकों को बेहतर आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना।
- प्रवासी भेड़ झुड़ो के बीच आंतरिक प्रजनन की समस्या का हल करना।

7.4.7 कृषक बकरी पालन योजना

इस योजना के अन्तर्गत् सभी श्रेणियों के बकरी पालकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से 11 बकरियां (10 मादा+1 नर), 5 बकरियां (4 मादा+1 नर) तथा 3 बकरियां (2 मादा+1 नर) बीतल/सिरोही/जमनापरी तथा सफेद हिमालयन लौंग हेयर ब्रीडस बकरी पालकों को 60 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाता है। गर्भावस्था के अंतिम तिमाही के दौरान बकरियों के लिए बीमा और चारा का प्रावधान है। वर्ष 2021–22 के लिए बजट प्रावधान ₹54.75 लाख रखा गया है।

7.4.8 ग्रामीण बैकयार्ड भेड़ विकास योजना

इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के गरीब/सीमांत किसानों को 95 प्रतिशत सब्सिडी पर 10+1 की भेड़ इकाई प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 के दौरान भारत सरकार की ओर से ₹1,188.00 लाख प्राप्त हो चुके हैं।

7.4.9 पशुगणना

भारत सरकार द्वारा हर पांच वर्ष के अन्तराल पर पशु गणना का कार्य करवाया जाता है। अभी तक भारत सरकार द्वारा ऐसी 20 पशु गणना की जा चुकी है। प्रदेश में पशुपालन के विकास व उत्थान हेतू पशु गणना का विशेष महत्व है। प्रदेश में पाले जाने वाले पशुधन व कुक्कुट आदि का सही संख्या के आधार पर भारत सरकार एवं हिमाचल सरकार द्वारा पशु विकास सम्बन्धी नई नीतियां तैयार की जाती है।

सारणी 7.13: पशु और कुकुक्ट

(हजार में)

क.सं.	श्रेणी	वर्ष 2019*
क	**पशुधन**	
1	पशु	1828
2	भैंसे	647
3	भेंड़े	791
4	बकरी	1108
5	घोड़े व घोड़े के बच्चे	9
6	खच्चर और गधे	25
7	सुअंर	2
8	अन्य पशु	3
	कुल पशु	4413
ख	**कुकुक्ट**	1342

स्रोतः निदेशक पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
निदेशालय भू–अभिलेखाकार विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

7.5 दूध पर आधारित उद्योग

हिमाचल प्रदेश दूध महासंघ में 1,084 दुध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 46,973 है जिसमें 220 महिला डेरी सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। वर्तमान में दुग्ध संघ 22 दुग्ध अभिशीतल केंद्र चला रहा है जिनकी कुल क्षमता 91,500 लीटर दूध प्रतिदिन है और 11 दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट जिनकी कुल क्षमता 1,00,000 लीटर दूध प्रतिदिन है तथा 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक मिल्क पाउडर प्लांट दत्तनगर, जिला शिमला में कार्यरत है और एक 16 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला पशु आहार संयंत्र भी भौर, जिला हमीरपुर में जो ग्राम डेरी सहकारी समितियों गांवों द्वारा प्राप्त होता है कार्यरत है। एक दिन में औसत दूध की खरीद लगभग 1,37,000 लीटर है।

हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ प्रतिदिन लगभग 23,000 लीटर दूध का विपणन कर रहा है जिसमें प्रतिष्ठित डेरीयों को थोक मात्रा में प्राप्त होने के उपरान्त सैनिक युनिट डगशाई, शिमला, पालमपुर, धर्मशाला (योल) में आपूर्ति की जाती है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ दुग्ध से बने पदार्थ जैसे कि दुग्ध पाउडर, घी मक्खन, दही, पनीर, मीठा सुगंधित दूध व खोया हिम ब्राण्ड के नाम से बना रही है।

7.5.1 हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के नवाचार

- हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने पंजीरी, बेकरी बिस्किुट, सेवियॉ तथा पास्ता का उत्पादन कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. प्रोजेक्ट की जरूरत को पूरा करने हेतु हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड उत्पाद में किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में 23,750 क्विंटल पंजीरी, 5,050 क्विंटल स्कीमड मिल्क पाउडर और 26,500 क्विंटल बेकरी बिस्किुट और 10,590 क्विंटल गेंहू सेवियॉ को निर्मित कर उसकी आपूर्ति आंगनवाड़ी को जा रही है।

- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ ग्रामीण स्तर पर लगभग 1,000 दुग्ध उत्पादकों को अच्छी गुणवता वाला दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

- हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने किसानों के लगभग 11,134 किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) फार्म भरकर संबंधित बैंकों में जमा किए हैं और लगभग ₹8.00 करोड़ के ऋण दुग्ध उत्पादकों/किसानों को के.सी.सी. के माध्यम से वितरित किए हैं।

- दुग्ध प्रसंघ ने राष्ट्रीय कार्यक्रम डेयरी विकास (NPDD) गुणवत्ता कार्यक्रम के तहत अपनी प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया है।

- वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य में डेयरी गतिविधियों में सुधार करने के लिए दुग्ध प्रसंघ मण्डी में एक 50,000 एल.पी.डी. क्षमता का दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगा जो राज्य में डेयरी सहकारी समितियों को लाभ पंहुचाएगा।

- दूध प्रसंस्करण संयंत्र चक्कर, जिला मण्डी में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक नया संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जिससे मण्डी, कुल्लू, बिलासपुर और दूसरे जिलों के कुछ भाग के डेयरी सहकारी समितियों को लाभ मिलेगा।

- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रोत्साहन राशि ₹2,000 का वितरण डिजिटल प्लेटफॉम के माध्यम से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत मंडी, शिमला और कुल्लू जिलों के 937 दुग्ध उत्पादकों को दिनांक 29.12.2021 को किया है।

- दुग्ध प्रसंघ कांगड़ा में एक नया बैकरी बिस्कुट संयंत्र 06 मीट्रिक टन क्षमता का कार्य करना शुरु कर देगा।

सारणी 7.14: हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की उपलब्धियां

क्र.सं.	विवरण	2020–21	30.11.21 तक
1	संगठित डेरी सहकारी सभाएं	1084	1097
2	दुग्ध उत्पादक सदस्य	46973	47259
3	दुग्ध संकलन की मात्रा (लाख ली.)	346.13	286.83
4	बेचा गया दूध (लाख ली.)	73.13	70.02
5	घी की बिक्री (मी.टन)	232.20	198.70
6	पनीर की बिक्री (मी.टन.)	125.55	101.72
7	मक्खन की बिक्री (मी.टन.)	30.80	28.10
8	दही की बिक्री (मी.टन.)	210.06	122.07
9	पशु आहार बिक्री (क्विंटलों में)	34325.98	30902.20

7.6 ऊन एकत्रीकरण एवं विपणन संघ

ऊन संघ का मुख्य उद्धेश्य हिमाचल प्रदेश में ऊनी उद्योग को बढ़ावा एवं विकास करना तथा ऊन उत्पादकों को बिचौलियों/व्यापारियों के शोषण से मुक्त करना है। ऊन संघ अपने उपरोक्त उद्धेश्यों का अनुसरण करते हुए भेड़ व अंगोरा ऊन की खरीद, भेड़ों की चारागाह स्तर पर कर्तन की मशीन, ऊन की धुलाई (स्कावरिंग) और ऊन के विक्रय के लिए प्रयासरत है। भेड़ कर्तन, आयातित स्वचालित मशीनों द्वारा करवाई जाती है। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 43,617 भेड़ों की चारागाह स्तर मशीन शीप शियरिंग तथा 1,13,764 किलोग्राम भेड़ ऊन की खरीद की गई है जिसका मूल्य ₹72.09 लाख है।

संघ द्वारा भेड़ पालकों के लाभ तथा उत्थान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ परियोजनाओं को पशु पालन विभाग के माध्यम से कार्यान्वयन करना निर्धारित है। इससे भेड़ व बकरियों के स्वास्थ्य सुधार हेतू जिला चम्बा, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला व किन्नौर में दवाईयुक्त पानी से नहलाने व क्रीमी दवाई पिलाने हेतू ₹1.00 करोड़ लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं तथा जिला चम्बा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, सोलन, बिलासपुर व सिरमौर में बकरियों के 1,25,000 कलस्टरों को स्वास्थ्य सुधार तथा पोषक तत्वों की खुराक हेतू ₹1.20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वित्त वर्ष के दौरान इन सभी विकासात्मक परियोजनाओं से लगभग 18,000 हजार भेड़–पालक लाभान्वित होंगे।

7.7 मत्स्य एवं जलचर पालन

ब्यास, सतजुल और रावी नदियाँ अपनी अनुप्रवाह (downstream) यात्रा के दौरान कई धाराएँ प्राप्त करती हैं और बहुमूल्य ठंडे पानी के मछली जीवों जैसे कि शिज़ोथोरैक्स, गोल्डन महासीर और विदेशी ट्राउट को आश्रय देती हैं। राज्य के ठंडे जल संसाधनों ने महत्वाकांक्षी इंडो–नॉर्वेजियन ट्राउट खेती परियोजना के सफल समापन और विकसित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए पहाड़ी आबादी द्वारा दिखाई गई अद्रुत रुचि के साथ अपनी क्षमता दिखाई है। गोबिंद सागर और पोंग बांध जलाशयों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछली प्रजातियां, चमेरा और रंजीत सागर बांध स्थानीय आबादी के उत्थान के लिए साधन बन गए हैं।

प्रदेश में लगभग 5,902 मछुआरे अपनी रोजी के लिए जलाशयों के मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रुप से निर्भर हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक प्रदेश के विभिन्न जलाशयों से 9897.82 मीट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ₹138.92 करोड़ है। चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2021 तक राज्य मे ट्राऊट फार्मो से 7.78 टन ट्राऊट मछली उत्पादन से ₹135.09 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ हैं। पिछले वर्षों के उत्पादन को सारणी संख्या 7.15 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.15 : ट्राउट उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (टन)	राजस्व (₹लाख में)
2018–19	8.34	118.22
2019–20	7.71	91.16
2020–21	6.73	101.72
2021–22 दिसम्बर, 2021 तक	6.78	135.09

मत्स्य विभाग द्वारा ग्रामीण व्यवसायिक जलाशयों, तलाबों जो कि सरकारी व निजी क्षेत्र में है उन जलाशयों की मांग को पूरा करने के लिए कार्प तथा ट्राऊट बीज फार्मो की स्थापना की है। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक राज्य में 70 मी.मि. से ऊपर की कुल 18.42 लाख कॉमन कार्प अंगुलिकायें, 8.63 लाख इसी आकार की IMC तथा 11.33 लाख रेनवों व्राऊन ट्राऊट की फिंगरलिंगस का उत्पादन किया हैं। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक उत्पादित इस बीज का मूल्य लगभग ₹83.70 लाख है। मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित विभिन्न परियोजनाऐं लागू की जा रही हैं।

7.7.1 बीमा और कल्याणकारी योजनाएं

विभाग द्वारा जलाशय मछली दोहन में लगे मछुआरों के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई है। इस वर्ष मछुआरों **जीवन सुरक्षा निधि** के अंर्तगत् लाया गया है जिसके तहत मृत्य/स्थाई दिव्यांगता की दशा में संतप्त परिवार को ₹5.00 लाख प्रदान किए जाते है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण **आपदा कोष योजना** के अंतर्गत मत्स्य उपकरणों के नुकसान की भरपाई के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। वर्जित काल के दौरान मछुआरों के लिए जीवन यापन हेतु **अंशदाई बचत योजना** चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत मछुआरों के अंशदान के बराबर राशि केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा मछुआरों में दो किश्तों में वितरित की जाती है। वर्ष 2021–22 के दौरान **बचत तथा राहत निधि योजना** जिसे बदलकर प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के घटक मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक–आर्थिक रुप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता के अन्तर्गत 3,557 मछुआरों को कुल ₹160.06 लाख की राशि दी जाएगी। (₹53.35 लाख मछुआरों द्वारा एकत्रित किए गये हैं तथा ₹106.71 लाख केंन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान)

7.7.2 ट्राउट पशुधन बीमा योजना

चालू वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के शीतल जल के मछली उत्पादकों के पशुधन को बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना की प्रीमियम राशि 65:35 के अनुपात में राज्य सरकार व लाभार्थी के बीच सांझा की जा रही है। यह बीमा कवच युनाईटिड इंडिया इनशोरेंस कम्पनी लिमिटिड के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान विभाग ने 15 मत्स्य पालकों द्वारा 24 ट्राउट इकाईयों को बीमाकृत किया है। प्रत्येक ट्राउट इकाईयों ₹19,175 के प्रीमियम के साथ प्रति वर्ष अधिकतम ₹2.50 लाख की इनपुट लागत के लिए बीमा कवच प्रदान किया गया है। इस पहल से 625 ट्राउट उत्पादकों को 1,244 रेसवे/इकाईयों के साथ लाभ प्रदान किया जाता है।

7.7.3 प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना

भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई नई योजना को चालू वित्त वर्ष 2021–22 में प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन हेतु विभाग ₹4,950.31 लाख की विभिन्न परियोजनाएं भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। भेजी गई योजनाओं में से ₹2,879.53 लाख केन्द्र भाग, ₹331.15 लाख राज्य भाग तथा ₹1,739.63 लाख लाभार्थी भाग है। भारत सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति अपेक्षित है।

विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक प्राप्त उपलब्धियां तथा वर्ष का निर्धारित लक्ष्यों का विवरण सारणी संख्या 7.16 में दर्शाया गया है:

सारणी 7.16: उपलब्धियां एवं प्रस्तावित लक्ष्य

क्र0 सं0	विवरण	दिसम्बर, 2021 तक की उपलब्धियां	प्रस्तावित लक्ष्य 2021–22
1	मत्स्य उत्पादन (टन) (सभी साधनों से)	9897.82	16377.00
2	कार्प बीज उत्पादन (लाख)	251.56	758.00
3	खाने योग्य ट्राउट उत्पादन सरकारी क्षेत्र (टन)	7.78	16.00
4	खाने योग्य ट्राउट उत्पादन निजी क्षेत्र (टन)	452.48	833.70
5	रोजगार सृजन (संख्या)	537	500
6	विभागीय राजस्व (लाखों में)	327.37	407.00

7.8 वन

हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 68.16 प्रतिशत अर्थात् 37,947 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। यद्यपि वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 28.60 प्रतिशत वन अधीन होने का समर्थन करता है। हिमाचल प्रदेश वन नीति का मुख्य उद्देश्य वनों का समुचित उपयोग संरक्षण और विस्तार है। राज्य सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) वर्ष 2030 को प्राप्त करने के लिए वर्तमान वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के 30 प्रतिशत तक करने की एक परिकल्पना की है। वन विभाग द्वारा शुरू किए गए योजना कार्यक्रम का उद्देश्य इन नीतिगत प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है। कुछ महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रम गतिविधियां इस प्रकार है:

7.8.1 वन पौधारोपण

वन विभिन्न राज्य योजनाओं जैसे वृक्षारोपण में सुधार, मृदा संरक्षण, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) के साथ–साथ किया जा रहा है। केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ ''राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम'' राज्य की चारागाह और चराई भूमि का प्रबंधन राज्य योजना के तहत चारागाह और चारागाह भूमि का विकास किया जा रहा है। नई वानिकी योजना (सांझी वन योजना) के तहत वानिकी और पर्यावरण सम्बन्धी चिंताओं के बारे में जनता को शिक्षित करने और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य, सर्कल और डिवीजन स्तरों पर वन महोत्सव भी मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग 2018–19 के बाद से महिला मंडल, युवक मंडल, स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों जैसे स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए वृक्षारोपण अभियान चला रहा है। 20 से 24 जुलाई, 2021 तक 10 लाख पौधै लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस अभियान को बड़ी सफलता मिली और अभियान में 33,454 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और 464 चयनित संस्थानों पर 13,27,691 पौधे लगाए गए। इसके अलावा रेडक्रास सोसायटी के माध्यम से चयनित 80 स्थानों पर 95,728 पौधे लगाए गए हैं। इस अभियान में 4,688 लोगों ने हिस्सा लिया है। वर्ष 2021–22 के लिए CAMPA और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं सहित 14,000 हेक्टेयर का वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से 13,000 हेक्टेयर लक्ष्य दिसम्बर 2021 तक प्राप्त किया जा चुका है।

7.8.2 वन प्रबंधन (वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना)

राज्य में जनसंख्या में बढ़ोतरी, पशुपालन पद्धतियों में बदलाव और विकास सम्बंधी गतिविधियों के कारण वनों पर जैविक दबाव बढ़ रहा है। साथ ही वनों को आग, अवैध कटान,

अतिक्रमण और अन्य वन अपराधों का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उपयुक्त स्थानों पर चेकपोस्ट की स्थापना की जाए, संवेदनशील स्थानों पर सी.सी.टी.वी. स्थापित किए जाएं ताकि वन अपराधों की रोकथाम सुनिश्चत की जा सके। उन सभी वन मण्डलों में जहां आग एक प्रमुख विनाशकारी तत्व है, अग्निशमन उपकरण और आधुनिक तकनीक का आरम्भ किया गया है। वनों के कुशल प्रबन्धन एवं सुरक्षा हेतु एक अच्छे संचार तंत्र की आवश्यकता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय प्रायोजित योजना –वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना (जिसे पहले वन प्रबंधन योजना की तीव्रता कहा जाता था) लागू की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹407.00 लाख केन्द्रीय अंश (90%) तथा ₹45.00 लाख का राज्य अंश का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। राज्य योजना के अंतर्गत एक अन्य योजना ''वन अग्नि प्रबंधन योजना'' 2021–22 के दौरान ₹214.00 लाख के बजट का प्रावधान के साथ शुरु की गई है।

7.8.3 प्रयोगात्मक वन संवर्धन तथा कटान में सहायक संचालन

हिमाचल प्रदेश की वन संपदा अनुमानितः ₹1.50 लाख करोड़ से अधिक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन वृक्ष प्रजातियों खैर, चीड़ व साल की वन संवर्धन हरित कटान हेतू राज्य के तीन वन परिक्षेत्रों नुरपुर श्रृंखला, नुरपुर वन मण्डल, भराड़ी श्रृंखला, बिलासपुर वन मण्डल एवं पांवटा श्रृंखला, पांवटा साहिब वन मण्डल को प्रयोगात्मक रुप से अनुमति प्रदान की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई निगरानी समिति की सिफारिशों के अनुसार पेड़ों की कटाई का कार्य वर्ष 2018–19 के दौरान किया गया है और बाड़ लगाने, वृक्षारोपण एवं क्षेत्रों की मुरम्मत की जा रही है।

7.8.4 नई योजनाएं

स्थानीय समुदायों, छात्रों और आम जनता को जंगलों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए ओर गैर–काष्ठ वन उत्पादों के सतत पैदावार सुनिश्चित करने और उनके मूल्य संर्वधन के लिए निम्नलिखित नई योजनाओं को शुरु किया गया हैः–

i. सामुदायिक वन संवर्धन योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण के माध्यम से वनों के संरक्षण और विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जंगलों की गुणवत्ता में सुधार और वन आवरण में वृद्वि करना है। यह योजना मौजूदा संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों/ग्राम वन विकास समितियों (JFMC/VFDS) के माध्यम से लागू की जाएगी। वर्ष 2018–19 में 20 स्थानों का चयनकिया गया तथा 11 नए स्थलों को 2021–22 के लिए रखा गया है। वर्ष के दौरान अनुमोदित सूक्ष्म योजना के अनुसार सभी 31 चयनित स्थलों में वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण गतिविधियां की जाएगी।

ii. वन समृद्वि जन समृद्धि योजना

यह योजना स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राज्य में उपलब्ध गैर काष्ठ वन उत्पाद संसाधनों (एन.टी.एफ.पी.) को सुदृढ़ करने, वन उत्पादों की सत्त पैदावार सुनिश्चित करने और मूल्य संवर्धन तकनीक अपनाकर अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए शुरु की गई है। वर्ष 2021–22 के दौरान इस योजना के तहत ₹ 250.00 लाख का परिव्यय रखा गया है।

iii. एक बूटा बेटी के नाम

लोगों को बेटियों और वन संरक्षण के महत्व के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से वर्ष 2019–20 में एक नई योजना (एक बूटा बेटी के नाम) शुरु की गई है। ऐसा विश्वास है कि बालिकाओं के नाम पर एक पौधा लगाने और उसकी समुचित देखभाल करने से समाज लड़कियों के समग्र विकास ओर उनके अधिकारों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होगा। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में कहीं भी बालिका–शिशु के जन्म पर वन विभाग उसके माता पिता को चयनित वानिकी प्रजाति के पांच स्वस्थ्य लम्बे पौधे एवं एक किट परिवार को भेंट करेगा। पौधारोपण लड़की के माता पिता द्वारा उनकी निजी भूमि अथवा वन भूमि में मानसून तथा शीत ऋतु में किया जायेगा। वर्ष 2021–22 के दौरान इस योजना के तहत ₹651.00 लाख का परिव्यय रखा गया है।

iv. स्वर्णिम वाटिका

हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी, 2021 पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती मना रहा है। यह कार्यक्रम एक वर्ष तक चलेगा। इस पावन अवसर पर वन विभाग ने वर्ष 2021–22 के दौरान 68 स्वर्णिम वाटिका का निर्माण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों का वनों के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना और शहरी क्षेत्रों में वन क्षेत्र को बढ़ाना है और लोगों के लिए मनोरंजन स्थल स्थापित करना है।

v. जल भण्डारण योजना

वर्ष 2021–22 में इस योजना के तहत बांध निर्माण के लिए 120 स्थानों को चिन्हित किया गया है जिसमें जल संरक्षण किया जा सकता है, इस कार्य के लिए वर्ष 2021–22 में लगभग ₹25.00 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

7.8.5 हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम्स क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना (के.एफ.डब्लयू. द्वारा सहायता प्राप्त)

हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम्स क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू बैंक), जर्मनी के सहयोग से 7 वर्षो की अवधि के लिए वर्ष 2015–16 से प्रदेश के चम्बा और कांगड़ा जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत ₹308.45 करोड़ की है, जिसे जर्मन सरकार के 85.10 प्रतिशत ऋण व 14.90 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाना है। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने, जैव विविधता बढ़ाने, वन संसाधनों के स्थाई प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोत को बढ़ाना है और वन आधारित उत्पादों एवं सेवाओं के प्रवाह को बढ़ाना ताकि ऐसे समुदायों को लाभ मिल सके जो वनों पर आधारित रहते हैं। दीर्घ अवधि में वन पारिस्थितिक तन्त्र को मजबूत करना ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सहन कर सके, यह जैव विविधता की सुरक्षा बढ़ाने, जलग्रहण क्षेत्र के स्थिरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के सरंक्षण के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर आजीविका के साधन पैदा करने में सहायक हो। चालू वित्त वर्ष में इस परियोजना के लिए ₹55.00 करोड का प्रावधान रखा गया है तथा ₹24.20 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

7.8.6 हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना

जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (JICA) के साथ ₹800 करोड़ की एक नई परियोजना "हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम्स प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना" 8 वर्ष की अवधि के लिए (2018–19 से 2025–26) शुरू की जा चुकी है जिसमें जापान सरकार के 80 प्रतिशत ऋण व 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाना है। यह परियोजना बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, शिमला, किन्नौर, लाहौल–स्पिति जिलों और चम्बा जिले के पांगी तथा भरमौर उप–मण्डलों के आदिवासी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएगी। इस परियोजना का मुख्यालय कुल्लू (शमशी) और क्षेत्रीय कार्यालय रामपुर जिला शिमला में होगा। इस परियोजना का उद्वेश्य वन और पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र को सरंक्षित करना, वनों के घनत्व और उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाना, उनका वैज्ञानिक एवं आधुनिक प्रबंधन और चारागाह पर निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार लाने के साथ जैव विविधता को बढ़ाना व वन संसाधनों पर दबाव को कम करने के लिए ग्राम समुदाय को वैकल्पिक आजीविका का अवसर प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, सरकार ने इस परियोजना के लिए ₹45.00 करोड प्रदान किए हैं तथा दिसम्बर, 2021 तक ₹29.50 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

7.8.7 विश्व बैंक पोषित स्रोत स्थिरता लचीली जलवायु व वर्षा पर निर्भर कृषि हेतु एकीकृत विकास परियोजना

विश्व बैंक, ₹650.00 करोड़ की लागत वाली इस नई परियोजना (सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएन्ट रेन फेड एग्रीकल्चर) को पोषित करने पर सहमत हो गया है जिसमें विश्व बैंक के 80 प्रतिशत ऋण व 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाना है। इस परियोजना की अवधि 7 वर्ष है जो कि प्रदेश की 900 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित की जाएगी जो शिवालिक और मध्य पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न जलागमों के कृषि–जलवायु क्षेत्र में फैले है। इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 2 लाख हैक्टेयर गैर–कृषि भूमि और 20 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि के व्यापक उपचार के साथ–साथ जल उत्पादकता, दूध उत्पादन में वृद्धि और आजीविका में सुधार के कार्य शामिल है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए ₹79.99 करोड स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से दिसम्बर, 2021 तक ₹41.57 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

7.8.8 पर्यावरण वानिकी एवं वन्यप्राणी

हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही प्रभावशाली, विविध और अद्वितीय वन्यप्राणी प्रजातियों का घर है जिसमें से कई दुर्लभ हैं। इस योजना का उद्देश्य संरक्षण, पर्यावरण और वन्य जीवन में सुधार, वन्यजीव अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों का विकास और वन्यजीव आवास में सुधार करना है ताकि विलुप्त होने का सामना कर रहे पक्षियों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों का सुरक्षा प्रदान की जा सके। चालू वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ₹31.98 करोड़ के परिव्यय की मंजूरी दी गई है।

बॉक्स–7.1

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का अवलोकन

वर्तमान मूल्य पर देश के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2016–17 में 15.33 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 12.44 प्रतिशत रह गई है। तथा इस अवधि में इनकी वृद्धि (-) 3.9 से बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गई है। देश के कुल GVA में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी गैर कृषि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च विकास प्रदर्शन के कारण घट रही है। यह विकास प्रक्रिया का एक स्वाभाविक परिणाम है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण गैर–कृषि क्षेत्रों में तेज़ी से वृद्धि करते हैं।

प्रचलित आधार कीमतों पर राज्य के कुल GVA में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का योगदान

मद	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का GVA (₹करोड़ में)	18007	16105	17767	22352	19458	20437
कुल अर्थव्यवस्था के GVA में कृषि और सम्बन्ध क्षेत्रों के GVA का योगदान (प्रतिशत)	15.33	12.72	12.78	14.98	13.31	12.44
फसलों का योगदान	8.23	7.63	7.40	8.92	7.85	7.43
पशुधन का योगदान	1.26	1.31	1.77	1.73	1.79	1.62
वन उत्पादों का योगदान	5.73	3.65	3.48	4.21	3.52	3.26
मत्स्य उत्पादों का योगदान	0.11	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13
कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के GVA में वृद्धि	–3.9	–2.4	2.9	15.8	–12.0	8.7

जल संसाधन प्रबन्धन तथा पर्यावरण

08
अध्याय

8.1. जल जीवन मिशन (जे.जे.एम)

वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) प्रदान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। देश भर में इस मिशन को लागू करने के लिए ₹3.5 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। यह कार्यक्रम नियमित आधार पर और निर्धारित गुणवत्ता के समय पर्याप्त मात्रा में (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) घर पर सेवा वितरण प्रणाली पर केंद्रित है।

हिमाचल प्रदेश में, जुलाई, 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य है। कुल 17.28 लाख परिवारों में से, 15.80 लाख को दिसंबर, 2021 तक एफ.एच.टी.सी. प्रदान किया गया था। हिमाचल प्रदेश में 91 प्रतिशत परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदान किया गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 45.50 प्रतिशत है। इस उपलब्धि के साथ हिमाचल, देश में आठवें स्थान पर है।

आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर और ग्रामीण पेयजल स्वच्छता समिति को फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रशिक्षणदिया जा रहा है। पारदर्शिता लाने के लिए राज्य की सभी जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं

को आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जहां सस्ती दरों पर पानी के नमूनों की जांच की जाती है।

8.1.2 शहरी जलापूर्ति योजनाएं

हिमाचल प्रदेश में 61 कस्बे/शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) हैं जिनमें से 59 कस्बों/यू.एल.बी. की जलापूर्ति योजनाएं जल शक्ति विभाग के अधीन हैं, शिमला शहर शिमला जल प्रबंधन बोर्ड के अधीन है और परवाणू, हिमुडा के अधीन आता है। शिमला और परवाणू शहर समेत 48 कस्बों की जलापूर्ति योजनाओं में सुधार का कार्य अब पूरा हो गया है। रिवालसर और ज्वाली का कार्य प्रगति पर है।

8.1.3 सीवरेज योजना की स्थिति

हिमाचल प्रदेश के 61 कस्बों/यू.एल.बी. में से 60 कस्बों/यू.एल.बी की सीवरेज योजनाएं जल शक्ति विभाग के अधीन हैं और शिमला शहर, शिमला जल प्रबंधन बोर्ड के अधीन है। जल शक्ति विभाग ने 32 कस्बों में सीवरेज योजनाओं को पूरा कर लिया है और 85.61 एम.एल.डी. की उपचार क्षमता के साथ पूरे राज्य में 62 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए हैं, जिसके मुकाबले वर्तमान में 56.05 एम.एल.डी. (65.47 प्रतिशत) का उपचार किया जा रहा है। वर्तमान में, 19 नगरों के लिए सीवरेज योजनाओं का निर्माण/उन्नयन कार्य प्रगति पर है तथा शेष 18 नगरों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

8.1.4 कमान क्षेत्र विकास

वर्ष 2021–22 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ₹83.16 करोड़ प्रदान किए गए हैं, जिसमें निर्मित और उपयोग की गई क्षमता के अंतर को मिटाने के लिए लघु सिंचाई योजनाओं में HIMCAD गतिविधियों के लिए ₹83.10 करोड़ प्रदान किए गए हैं और शेष राशि

बड़ी/मध्यम सिंचाई के लिए है और केंद्रीय हिस्से सहित प्रदेश में चल रही लघु सिंचाई योजनाएं कमान क्षेत्र विकास (सी.ए.डी.) गतिविधियों को उपलब्ध कराने के लिए 3,640 हेक्टेयर सी.सी.ए. का भौतिक लक्ष्य है, जिसमें से 1,735.77 हेक्टेयर को सितंबर, 2021 तक ₹13.57 करोड़ के व्यय के साथ नवंबर, 2021 तक प्राप्त कर लिया गया है। भारत सरकार ने 2016–17 से पूर्ण हो गई सिंचाई परियोजनाओं में सी.ए.डी. गतिविधियों को प्रदान करने के लिए सिंचाई अंतर (आई.एस.बी.आई.जी.) को मापने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है और कार्यक्रम के तहत सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. की 6 परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत् भारत सरकार को 6 परियोजनाओं की डी.पी.आर. समावेश हेतू प्रस्तुत की गई है।

8.1.5 हैंड पंप कार्यक्रम

गर्मी के मौसम में पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों को हैंडपंप उपलब्ध करवाना सरकार का एक सक्रिय कार्यक्रम है। जनवरी, 2022 तक कुल 40,624 हैंडपंप स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार ने व्यक्तिगत लाभार्थियों को 75 प्रतिशत लागत पर हैंडपंप उपलब्ध करवाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है।

8.1.6 सिंचाई

कृषि उत्पादन में फसलों को सिंचाई के लिए समय पर पानी की पर्याप्त आपूर्ति आवश्यक है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वर्षा कम और अनियमित होती है। हिमाचल प्रदेश के कुल 55.67 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5.83 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। अनुमान है कि राज्य की सिंचाई क्षमता लगभग 3.35 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 0.50 लाख हेक्टेयर को बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से और शेष 2.85

लाख हेक्टेयर को लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई के अन्तर्गत् लाया जा सकता है। नवंबर, 2021 तक कुल 2.92 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जा चुकी है।

8.1.7 प्रमुख सिंचाई

राज्य में एकमात्र प्रमुख सिंचाई परियोजना कांगड़ा जिले में शाहनहर परियोजना है। यह परियोजना पूरी हो चुकी है और इसके अन्तर्गत 15,287 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। कमांड एरिया डेवलपमेंट (सी.ए.डी.) का काम प्रगति पर है और 15,287 हेक्टेयर में से, 3,640 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले नवंबर, 2021 तक 9,998.50 हेक्टेयर भूमि को सी.ए.डी. गतिविधियों के तहत लाया गया है।

8.1.8 मध्यम सिंचाई

मध्यम सिंचाई परियोजना चंगार क्षेत्र बिलासपुर 2,350 हेक्टेयर, सिधांता कांगड़ा, 3,150 हेक्टेयर और बल्ह घाटी लेफ्ट बैंक 2,780 हेक्टेयर का कार्य पूरा हो चुका है। सी.ए.डी. सिधांता का कार्य प्रगति पर है और नवंबर 2021 तक 2,705.10 हेक्टेयर भूमि को सी.ए.डी. गतिविधियों के तहत लाया गया है। वर्तमान में जिला हमीरपुर मध्यम सिंचाई परियोजना फिन्ना सिंह, खेती योग्य कमान क्षेत्र (सी.सी.ए. 4,025 हेक्टेयर) और नादौन क्षेत्र (सी.सी.ए. 2,980 हेक्टेयर) का कार्य प्रगति पर है।

8.1.9 लघु सिंचाई

वर्ष 2021–22 के दौरान 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य क्षेत्र में ₹315.24 करोड़ का बजट प्रावधान है, जिसके विरुद्ध नवम्बर,2021 तक 5,653.62 हेक्टेयर में सितम्बर, 2021 तक ₹18.59 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

8.2 पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

8.2.1 प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन

राज्य सरकार ने समय समय पर हिमाचल प्रदेश गैर पुर्ननवीकरण कूड़ा नियन्त्रण अधिनियम, 1995 के अनुसार अधिसूचित कर प्लास्टिक वस्तुओं के इस्तेमाल एवं कूड़े पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ष 2021–22 में 385 उल्लंघन कर्त्ताओं से ₹3.43 लाख का जुर्माना एकत्रित किया गया है। इस अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य में पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक और थर्मोकोल कटलरी सिंगल यूज, प्लास्टिक चम्मच, कटोरे, कटोरी, स्टिरिंग स्टिक, कांटे, चाकू, स्ट्रॉ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। गैर–पुर्ननवीकरण प्लास्टिक कचरे की पुनः खरीद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में ₹42.17 लाख का

भुगतान 1.00 लाख किलोग्राम की प्लास्टिक कचरे खरीद पर किया गया जिसे आवासों से कूड़ा इकट्ठा करने वालों और 804 पंजीकृत कूड़ा बीनने वालों को ₹75 प्रति किलोग्राम दिया गया। राज्य सरकार पौधों की पत्तियों से बने प्राकृतिक तरीके से सड़नशील (बायोडिग्रेडेबल) पत्तलों और डोनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। कारीगरों/गरीब परिवारों का सहयोग करने के लिए पारम्परिक पत्तल और डोना बनाने की मशीनों सी.ई.आर. के तहत दी जा रही हैं। सी.ई.आर. के तहत अभी तक 100 पत्तल और डोना बनाने की मशीनें उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा सभी शहरी स्थानीय निकायों को प्लास्टिक वेस्ट श्रेडर और कॉम्पेक्टर मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सी.ई.आर. के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक 200 से अधिक प्लास्टिक वेस्ट श्रेडर और कम्पेक्टर मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

8.2.2 राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ

हिमाचल प्रदेश में राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ को पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हिमालयन पारिस्थितिक तंत्र मिशन (NMSHE) चरण–I के अन्तर्गत स्थापित किया है। चरण–II में HPKCCC के तहत गतिविधियों को लागू करने के लिए भारत सरकार के माध्यम से ₹1.12 करोड़ की पूंजी जुटायी गयी है। HPKCCC के अन्तर्गत् जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता अध्ययन के अन्तर्गत् ब्यास नदी घाटी की जलवायु अतिसंवेदनशीलता का आंकलन पूरा किया जा चुका है और दूसरा अध्ययन, सतलुज नदी घाटी जिसमें किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मण्डी और बिलासपुर की 1,800 पंचायतें तथा 12,500 गांव शामिल हैं, ₹88.50 लाख रुपये की वित्तीय लागत से शुरु किया जा चुका है। इस पहल के एक भाग के रुप में अब तक किन्नौर और लाहौल–स्पीति जिलों के लिए सी सी (जलवायु परिवर्तन) भेद्यता मूल्यांकन और अनुकूलन योजनाएं तैयार की गई है।

8.2.3 हिमाचल प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन –2021– "सुरक्षित हिमालय–सुरक्षितभारत" अधिनियम हिमालय के लिए

हिमालयी क्षेत्र के साथ–साथ अनुप्रवाह में पड़ोसी राज्यों सहित राज्य में बहु–हितधारक अनुबंध को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी लाने की जुड़ी चुनौतियों पर विचार–विमर्श करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो दिवसीय सम्मेलन का 18 से 19 दिसंबर, 2021 के दौरान शिमला में आयोजित की जिसमें प्रभावी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों और कमजोरियों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओर पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए एक संकल्प लिया गया है।

8.2.4 राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2021–2030

हिमाचल प्रदेश सरकार ने संशोधित राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना संस्करण–II 2021–2030 तैयार कर अपनाया है। माननीय मुख्यमंत्री ने 18 दिसम्बर, 2021 को शिमला से कार्य योजना का विमोचन किया। यह प्रलेख विभिन्न हितधारकों को महत्वपूर्ण मुख्य बिन्दु उपलब्ध करवा रहा है।

8.2.5 ग्रामीण भारत में अनुकूलन और वित्त (सी.ए.एफ.आर.आई.) परियोजना

हिमाचल प्रदेश एस.डी.जी. विजन 2030 लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना के कार्यान्वयन पर विशेष बल देने के लिए कमजोर वर्ग जैसे महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और महिला किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) और उनके संघ, शामिल हैं के लिए ग्रामीण भारत जलवायु अनुकूलन परियोजना राज्य में शुरु की गई थी।

CAFRI, MoEF&CC, भारत सरकार के द्विपक्षीय कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य के लिए "GIZ इंडिया" की प्रतिबद्धता दर्शाता है। जिसमें विभिन्न स्तरों पर क्षमता विकास और योजना, कार्यान्वयन, वित्तपोषण, निगरानी अनुकूलन पहल से संबंधित विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं।

8.2.6 जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सूचना नेटवर्क की स्थापना (के.एन.सी.सी. तथा डी.आर.आर.)

हिमाचल प्रदेश एस.डी.जी.–13 विजन 2030 लक्ष्यों को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष के दौरान राज्य में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एच. पी.के.एन.सी.सी.) पर सूचना नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह सूचना नेटवर्क राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं, अनुकूलन शोधकर्ताओं, निजी और अन्य गैर–सरकारी क्षेत्रों को एक साथ लाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन, रणनीतिक ज्ञान और सूचना के लिए राज्य मिशन में उल्लिखित उद्देश्यों का बल दिया जा सके।

8.2.7 डिजिटल जलवायु परिवर्तन संदर्भ केंद्र की स्थापना

पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार और GIZ के सहयोग से जलवायु परिवर्तन प्रभावों के अनुकूलन और उन में कमी लाने के लिए डिजिटल जलवायु परिवर्तन संदर्भ केन्द्र स्थापित करने की आधारशिला रखी गई है यह कार्य 31 मार्च, 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

8.2.8 जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोश के तहत स्वीकृत परियोजना का कार्यान्वयन (एन.ए.एफ.सी.सी.)

इस परियोजना के अन्तर्गत् सिरमौर जिले के तीन विकास खण्डों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को ₹20.00 करोड़ की वित्तीय परिव्यय के साथ समाविष्ट किया गया है। ग्रामीण छोटे और सीमान्त किसानों तथा ग्रामीण महिलाओं को आवश्यक सामाजिक इंजीनियरिंग और क्षमता निर्माण के साथ–साथ जलवायु पर आधारित (स्मार्ट) नई खेती तकनीकों का एक पैकेज प्रदान किया जा रहा है जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार व आजीविका के विकल्पों में वृद्वि शामिल है।

इस परियोजना के तहत निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है:

- 3 प्रमुख लिफ्ट सिंचाई योजनाएं, 1 सौर आधारित एलआईएस, 35 लघु सिंचाई योजनाएं, 21 छोटे तालाब और 23 कुहल (सिंचाई चैनल) का निर्माण और कार्यात्मक बनाया गया।
- 7 प्रशिक्षण मॉडयूल (क्षेत्रीय भाषा और अंग्रजी में) विकसित और हितधारकों के बीच वितरित किए गए।
- सभी 12 जिलों (बागवानी एवं कृषि) के 332 विस्तार अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है।

- ब्लॉक स्तर (पच्छाद, पौंटा साहिब और संगड़ाह) पर कुल 6 प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं और 240 प्रमुख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- 696 प्रशिक्षण आयोजित किए गए ओर 30,880 किसानों को जलवायु परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया।
- तीन ब्लॉकों में 3 एफ.पी.ओ. पंजीकृत किए गए।
- किसानों के लिए बीमा योजनाओं के अनुरुप बनाया गया एश्योरंस फंड।
- सब्जियों के लिए नमी प्रबंधन–ड्रिप ओर स्प्रिंकलर सिंचाई का प्रावधान–4.1 हेक्टयेर ड्रिप सिंचाई के तहत और 2.68 हेक्टेयर स्प्रिंकलर सिंचाई के अर्न्तगत लाया गया।
- मक्का और दालों की अंतर–फसल को बढ़ावा देना और देर से लेकिन अधिक नमी की स्थिति में श्री की खेती–787 क्विंटल मक्का, गेंहू, सरसों और सब्जियों के बीज वितरित किए गए।
- 243.74 क्विंटल हरा चारा (ज्वार और बाजरा), 40 क्विंटल जई और 35 क्विंटल बरसीम के बीज वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त 22.78 क्विंटल लहसुन 4.32 हेक्टेयर के लिए वितरित किए गए और फलों की खेती (अनार, कीवी, स्ट्रॉबेरी, अमरुद, लीची) की गई।

8.2.9 सीमांत कृषकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण

भारत सरकार ने एक परियोजना “हिमाचल प्रदेश के सीमांत कृषकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी सम्बन्धी हस्तक्षेप का जलवायु परिवर्तनशीलता के लिए अनुकूलता से सत्त आजीविका हेतु” स्वीकृति दी है। यह जिला मण्डी के सिराज विकास खण्ड की लाम्बा और थाच पंचायत के लिए हैं। भारत सरकार ने क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कुल ₹59.00 लाख स्वीकृत किये गए हैं।

8.2.10 राज्य स्तरीय पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार

हिमाचल प्रदेश पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार योजना पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की प्रचलित योजना हैं। वर्ष 2021–22 के लिए कुल ₹25.00 लाख की राशि सुनिश्चित की गई है और वर्ष के दौरान 24 विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

8.2.11 आदर्श पर्यावरण ग्रामों का निर्माण

राज्य सरकार पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से आदर्श पर्यावरण ग्राम योजना को लागू कर रही है। यह योजना पर्यावरण को प्रभावित न करने वाली जीवन शैली को अपनाने पर ध्यान केद्रित कर ''पारिस्थितिक पदचिन्हों'' को 50 प्रतिशत तक (योजना के शुरूआती वर्ष को आधार वर्ष मानते हुए) कम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत 5 वर्षों की अवधि में ₹50.00 लाख की राशि के साथ निर्धारित ग्राम में कार्यान्वित की जाएगी। अब तक प्रदेश के 15 गावों में यह योजना लागू की जा रही है जिसे इको विलेज डेवेलप्मेंट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया और कुल बजट ₹1.84 करोड़ इस योजना के तहत दिसम्बर, 2021 तक उपयोग किया गया है।

8.2.12 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ओर अन्य मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को विकसित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को 2021–22 में वित्त पोषित किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत् दिसम्बर, 2021 तक ₹ 21.80 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

8.2.13 प्रदर्शन सूक्ष्म नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना

राज्य सरकार ने राज्य में 10 प्रदर्शन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं को पायलट परियोजनाओं के रुप में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 10 नगरपालिकाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं को विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से स्थापित करेगा, जिनकी क्षमता लगभग 0.5 टन से 5 टन कचरा निपटान करने की हो इन्हें हिमाचल प्रदेश में 10 अलग–अलग स्थानों पर पी.पी.पी. मोड पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार के एम.ओ.ई.एफ. और सी.सी. द्वारा नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के अन्तर्गत् ₹4.48 करोड़ के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है और प्रत्येक शहरी स्थानीय निकायों में तकनीकी कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चिन्हित किए गए दस स्थल इस प्रकार हैं:

अनुक्रमांक प्रबंधन	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (टन प्रतिदिन) /रसोई अपशिष्ट (कि.ग्रा .प्रतिदिन)	स्थानीय निकाय/ नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगर परिषद/मंदिर समिति का नाम
1	1.8	एम.सी.ठियोग
2	0.80	एन. पी.नारकंडा
3	0.50 से 1.00	एन. पी.कसोल
4	0.50 से 5.00	जी.पी.धर्मपुर, सोलन
5	1.5 से 2.0	एम.सी.सरकाघाट, मंडी
6	50 से 200 (रसोई का कचरा)	चिंतपूर्णी में मंदिर समिति
7	50 से 200 (रसोई का कचरा)	नैना देवी में मंदिर समिति
8	50 से 200 (रसोई का कचरा)	मां बाला सुंदरी, त्रिलोकपुर, नाहन में मंदिर समिति
9	2.0 से 2.5	एम.सी.जोगिन्द्रनगर
10	3.0 से 4.0	एन.पी.बैजनाथ, पपरोला

उद्योग और खनन

09
अध्याय

9.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य में उद्योग एक विकसित क्षेत्र है जिसका पिछले 4 वर्षों के दौरान औसत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में योगदान लगभग 30 प्रतिशत रहा। राज्य फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, छोटे इंजीनियरिंग सामान, स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक उभरता हुआ विनिर्माण केंद्र है। राज्य ने जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी पर बल दिया है। राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में औद्योगीकरण को बढावा देने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ई.ओ.डी.बी.) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने शीघ्र अनुमोदन के लिए आवेदनों के ऑनलाइन फाईलिंग पर बल दिया है।

इसके अलावा, राज्य में वर्तमान सरकार ने हाल के दिनों में महत्वपूर्ण सुधार शुरू किए हैं जिन्होंने राज्य को उच्च विकास पथ पर अग्रसर किया। राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति 2004 में संशोधन किया, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश विकास नीति 2019 और निवेश के लिए प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में नियम अधिसूचित किए ताकि उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर उद्योग को बढावा दिया जा सके। संशोधित विकास नीति राज्य को देश में एक औद्योगिक मॉडल राज्य के रुप में स्थापित करने हेतू प्रोत्साहित करती है, जिसमें सतत् सतत समावेशी विकास, आय और रोजगार के अवसर पैदा हो सकें।

औद्योगिक नीति 2019 का दूरदर्शिता विवरण है, "आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, ताकि हिमाचल को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित हो और औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में सतत और संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके"।

9.2 औद्योगिक क्षेत्रों / सम्पदाओं का विकास

उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख पूर्वाकांक्षित है। उद्योग विभाग ने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए 62 औद्योगिक क्षेत्रों एवं सम्पदाओं का विकास किया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने जिला ऊना के चक गांव को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है।

9.3 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

राज्य सरकार ने नए व्यवसायों को शुरू करने, अधिक अनुकूल बनाने और संचालित करने के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से कई कदम उठाएं है।

राज्य सरकार ने इस दिशा में कई सुधारों को लागू किया है और इसे व्यापक रूप से स्वीकार्य भी बनाया है। हिमाचल ने प्रशासनिक ढांचे को पूरक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए एक मिशन शुरू किया है।

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के लिए एक स्थिर, अनुमानित एवं पारदर्शिता वातावरण बनाने ओर उन तक सूचना एवं पारदर्शिता की पहुंच के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनाने के साथ–साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों मे रखा है।

हिमाचल ने 05 सितंबर 2020 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.), भारत सरकार द्वारा घोषित रैंकिंग में 9 अंकों के साथ यानी 16वें स्थान से 7वें स्थान पर छलांग लगाई है। इससे "हिमाचल देश का पहाड़ी राज्यों के बीच शीर्ष रैंकिंग" वाला राज्य बना है। इसके साथ हिमाचल को इस रैंकिंग में 2015 के बाद से शीर्ष सुधारक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।

सिंगल विंडो सिस्टम को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है और उद्योग से संबंधित सभी सेवाओं को उद्योग विभाग के सिंगल विंडो पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है जो निवेशक के साथ वन स्टॉप इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा।

9.4 विनियामक अनुपालन बोझ को कम करना

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.) ने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लक्ष्यों को साकार करने हेतू देश भर में अनुपालना बोझ को कम करने की पहल की है। इस पहल के पीछे, मुख्य उद्देश्य सभी बोझिल अनुपालना को पहचानना, कम करना, समाप्त करना ताकि सरकार से व्यवसाय (G2B) सरकार से नागरिक (G2C) के बीच मानवीय हस्तक्षेप कम हो सके और सरकार सेवाओं की परेशानी मुक्त सुविधा प्रदान कर सके। राज्य में नियामक अनुपालन को कम करने के लिए राज्य द्वारा अनेक पहल एवं सक्रिय उपाय किए गए हैं।

उद्योग निदेशालय हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी विभागों के साथ कार्यान्वयन और समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी है। राज्य में विभिन्न विनियमों को न्यूनतम करने के लिए अन्य प्रशासनिक सचिवों के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है।

9.5 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण योजना (पी.एम.एफ.एम.एफ.पी.ई.)

आत्मनिर्भर भारत के तहत, असंगठित क्षेत्र के खाद्य आधारित सूक्ष्म उद्यमों की सहायता करने और उन्हें संगठित क्षेत्र में लाने के उद्देश्य से पी.एम.एफ.एम.एफ.पी.ई. योजना शुरू की गई है। इस योजना को राज्य में लागू करने के लिए विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

वर्ष 2020–21 के दौरान 185 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को ₹70.98 लाख की सीड़ कैपिटल उपलब्ध करवाई गई। जिसमें 3 इनक्यूबेशन सेंटर, एक इन्क्यूबेशन सेंटर डॉ वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सोलन और अन्य दो चौधरी सरवन कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और कृषि विज्ञान केंद्र कुकुमसेरी में क्रमशः ₹3.72 करोड, ₹2.59 करोड और ₹2.52 करोड अनुदान के साथ स्थापित किए जाएंगे जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी के लिए 126 व्यक्तिगत आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

9.6 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

पी.एम.ई.जी.पी. केंद्र सरकार का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है। यह योजना 15 अगस्त, 2008 को दो योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के विलय उपरान्त शुरू की गई थी। योजना के अन्तर्गत् सेवा क्षेत्र के तहत विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत क्रमशः ₹25 लाख और ₹10 लाख है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को प्रस्तावित उद्यम इकाई के लिए स्थापना क्षेत्र के आधार पर 15–25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है और परियोजना लागत में स्वंय का योगदान 10 प्रतिशत निर्धारित है। अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रस्तावित उद्यम इकाई के लिए स्थापना क्षेत्र के आधार पर 25–35 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है और उनका स्वयं का योगदान केवल 5 प्रतिशत निर्धारित है। इस योजना के तहत जनवरी, 2022 तक 725 मामलों के लिए ₹21.45 करोड के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि लक्ष्य 1,451 मामलों का था। पी.एम.ई.जी.पी. के उद्देश्य निम्न हैंः

- नए स्वरोजगार उपक्रमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
- व्यापक रूप से फैले हुए पारम्परिक कारीगरों, ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और उन्हें उनके स्थान पर यथासंभव स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- देश में पारंपरिक, भावी कारीगरों, ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को निरंतर और स्थायी रोजगार प्रदान करना, ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकने में मदद मिल सके।
- कारीगरों की मजदूरी अर्जन क्षमता में वृद्धि करना और ग्रामीण और शहरी रोजगार की वृद्धि दर में योगदान देना।

9.7 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (एम.एम.एस.वाई.)

एम.एम.एस.वाई. राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की एक

महत्वाकांक्षी योजना है। कोविड–19 महामारी के चलते भी स्वीकृत मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ यह योजना बहुत लोकप्रिय हो गई है। योजना को 60 प्रतिशत फ्रंट लोडिंग सब्सिडी के प्रावधान के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण युवाओं को लाभ प्रदान करने के लिए कृषि, पशुपालन, रेशम उत्पादन और खनन से संबंधित गतिविधियों को जोड़कर हाल ही में इस योजना में संशोधन किया गया है। महिलाओं की पात्रता आयु सीमा को 18–45 वर्ष से संशोधित कर 18–50 वर्ष कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं योजना का लाभ उठा सकें और आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना की उच्च स्तर पर नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और युवाओं में बहुत लोकप्रिय बनती जा रही है।

एम.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत, दिसंबर, 2021 तक, बैंकों द्वारा 5,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे 15,073 स्वरोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

9.8 हिमाचल राज्य खाद्य मिशन

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.एफ.पी.आई.) ने 12वीं योजना (2012–13) के दौरान राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एन.एम.एफ.पी.) शुरू किया था। इसके अलावा, भारत सरकार ने शेष 12वीं पंचवर्षीय योजना (2013–17) के दौरान मिशन को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस मिशन का मूल उद्देश्य मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण करना है, जिससे राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों की पर्याप्त भागीदारी होगी। इस योजना को केंद्रीय सहायता से अलग कर दिया गया है और 2015–16 से राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर चलाया जा रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान, हिमाचल राज्य खाद्य मिशन के अंतर्गत ₹2.27 करोड़ की सहायता अनुदान वाली 14 परियोजनाएं स्वीकृत की गई।

9.9 रेशम उत्पादन उद्योग

रेशम उत्पादन गतिविधियाँ राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों को अंशकालिक रोजगार प्रदान कर रही हैं। राज्य में रेशमकीट पालन को बढावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के तहत 146 समुदाय आधारित “संगठन और रेशम साथी” नामित किए गए हैं।

9.10 खनन

पारदर्शिता व समय की बचत के लिए खनन पट्टा स्वीकृति की समस्त प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अवैध खनन को रोकने के लिए प्रावधान कड़े किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जुर्माना ₹25,000 से बढ़ाकर ₹5,00,000 व सजा 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष या दोनों एक साथ करने का प्रावधान किया गया है। पिछले नियमों के अनुसार प्रदेश के नदी नालों में मशीनों द्वारा किए गए अवैध खनन के लिए न्युनतम ₹25,000 की जुर्माना राशि वसूल किए जाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब ₹50,000 कर दिया गया है। अवैध खनन की

रोकथाम हेतु जहां एक ओर सरकार नियमों में संशोधन करने के उपरांत अवैध खनन में संलिप्त दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए पग उठा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में वैध तरीके से खनिज सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण प्रयास कर रही है। प्रदेश के सीमावर्ती जिले, जिनमें कांगड़ा, ऊना, सोलन व सिरमौर प्रमुख रूप से आते हैं और अवैध खनन के लिए संवेदनशील बने रहते है। इस निर्णय के अनुरुप अवैध खनन एवं ओवर लोडिंग को रोकने के लिए प्रदेश में सोलन–1 एवं ऊना–5 खनन पड़ताल चौंकियां स्थापित कर दी गई हैं। विभाग ने पिछले 04 वर्षों के दौरान 220 से अधिक खनन स्थलों को निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से नीलाम किया है।

9.11 हिमाचल प्रदेश में औद्योगीकरण की स्थिति

राज्य में 31.01.2022 तक उद्यम पोर्टल पर 33,094 उद्यमों ने पंजीकरण कराया है जिनमें से 31,217 सूक्ष्म, 1,637 लघु और 240 मध्यम उद्यम हैं। इसके अलावा राज्य में 48 बड़ी औद्योगिक इकाइयां भी कार्यरत हैं। विनिर्माण और सेवा उद्यमों सहित उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण का जिलावार आंकड़े सारणी 9.1 में सूचीबद्ध है।

सारणी 9.1: जिलावार पंजीकृत उद्यम

जिला	उद्यम पंजीकरण (विनिर्माण और सेवा उद्यम)				क्षेत्र द्वारा प्रभुत्व
	कुल	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	
बिलासपुर	1,310	1,273	34	3	खाद्य उद्योग
चंबा	1,364	1,338	26	0	खाद्य उद्योग
हमीरपुर	1,660	1,622	36	2	फर्नीचर उद्योग
कांगडा	5,708	5,519	178	11	खाद्य उद्योग
किन्नौर	271	270	1	0	हथकरघा उद्योग
कुल्लू	2,426	2,358	65	3	हथकरघा उद्योग
लाहुल स्पीति	1,49	149	0	0	ऊन आधारित उद्योग
मंडी	3,783	3,679	101	3	खाद्य उद्योग
शिमला	3,767	3,627	132	8	खाद्य उद्योग
सिरमौर	2,369	2,084	217	68	फार्मास्युटिकल उद्योग
सोलन	7,769	6,890	744	135	फार्मास्युटिकल उद्योग
ऊना	2,518	2,408	103	7	खाद्य उद्योग
कुल	**33,094**	**31,217**	**1,637**	**240**	

स्रोतः एम.एस.एम.ई. मंत्रालय, भारत सरकार

9.12 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की हिमाचल में स्थिति

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) उद्यमिता को बढावा देकर और रोजगार के अवसर पैदा करके राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सरकार ने एम.एस.एम.ई. को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। 1 जुलाई, 2020 में करके

निवेश (विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए समान सीमाएं) और वार्षिक कारोबार का एक समग्र–मानदंड पेश किया, इसका विवरण तालिका 9.2 में दिखाया गया है।

सारणी 9.2: एम.एस.एम.ई.–वर्गीकरण

वर्तमान एम.एस.एम.ई. वर्गीकरण–मानदंड– संयंत्र मशीनरी उपकरण में निवेश			
वर्गीकरण	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**
विनिर्माण उद्यम	निवेश < ₹25 लाख	निवेश < ₹5 करोड़	निवेश < ₹10 करोड़
सेवा उद्यम	निवेश < ₹10 लाख	निवेश < ₹2 करोड़	निवेश < ₹5 करोड़
संशोधित एम.एस.एम.ई. वर्गीकरण			
समग्र मानदंडः संयंत्र मशीनरी या उपकरण में निवेश और वार्षिक टर्न ओवर			
वर्गीकरण	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**
सेवाएं प्रदान करने वाले और विनिर्माण उद्यम	निवेश < ₹ 1 करोड़	निवेश < ₹10 करोड़	निवेश < ₹50 करोड़
	वार्षिक कारोबार < ₹ 5 करोड़	वार्षिक कारोबार < ₹ 50 करोड़	वार्षिक कारोबार < ₹250 करोड़

स्रोतः एम.एस.एम.ई. मंत्रालय, भारत सरकार

इस संशोधित पहल से एम.एस.एम.ई. कई सरकारी प्रोत्साहनों को खोए बिना उत्पादकता बढ़ा सकते हैं जिसमें बाजार सहयोग, निर्यात में प्रोत्साहन, सार्वजनिक खरीद में प्राथमिकता, सुक्ष्म लघु एवं मध्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.एम.ई.–सी.डी.पी.) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्फुर्ति ओर सूचना प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि शामिल है। यह सक्षम वातावरण प्रतिस्पर्धा को बढावा देगा और एम.एस.एम.ई. के बीच शक्तिहीनता को कम करेगा। एम.एस.एम.ई. ईज आफ डूइंग में सुधार के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपायों में जुलाई, 2020 में नए उद्यम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। इस पोर्टल के अन्तर्गत् पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, डिजिटल और कागज रहित और स्व–घोषणा पर आधारित है। नई पंजीकरण प्रक्रिया ने लेनदेन के समय और लागत को कम करके एम.एस.एम.ई. को व्यापार करने में अधिक आसानी हुई है।

9.13 खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन अप्रैल 1957 में (द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान) भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। यह भारत में खादी और ग्रामोद्योग के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है, जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग की योजना, विकास, बढ़ावे देने, संगठित करने की सुविधा प्रदान करता है और जहां तक आवश्यक हो ग्रामीण विकास की अन्य संगठन के साथ मिलकर स्थापना करने में सहायता प्रदान करता है। के.वी.आई.सी. की राज्य शाखा शिमला के

अन्तर्गत् प्रदेश में 13 कार्यरत खादी संस्थान हैं। के.वी.आई.सी. से संबद्ध पंजीकृत समितियों और संस्थानों के माध्यम से उत्पादन और बिक्री की स्थिति तालिका 9.3 में दिखाई गई है।

सारणी 9.3: संबद्ध पंजीकृत सोसायटी और संस्थान में के.वी.आई.सी./ के.वी.आई.बी. के माध्यम से उत्पादन और बिक्री की स्थिति

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	रोजगार (संख्या में)
	(₹लाख में)		
2017—18	440.58	796.99	1418
2018—19	370.10	828.55	1615
2019—20	559.95	856.16	1668
2020—21	234.61	568.73	1804
2021—22	329.00	763.00	1804

स्रोतः एच.पी.के.वी.आई.सी., हिमाचल प्रदेश

खादी कार्यक्रम के अलावा, के.वी.आई.सी., पी.एम.ई.जी.पी. भी चला रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत् खादी और ग्राम औद्योगिक बोर्ड और संबंधित राज्य में उद्योग निदेशालय की भागीदारी के साथ क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी योजना पूरे भारत में लागू की जा रही है। स्थानीय सरकारी एजेंसियों और बैंकों के सक्रिय समर्थन से, के.वी.आई.सी. 2009 से पी.एम.ई.जी.पी. योजना को संचालित करते हुए शिक्षित और अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। औद्योगिक इकाइयों की स्थिति, सब्सिडी का उपयोग और रोजगार सृजन तालिका 9.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 9.4: सब्सिडी और रोजगार की स्थिति (पी.एम.जी.ई.पी. के तहत)

वर्ष	परियोजना की संख्या	सब्सिडी की (₹लाख में)	रोजगार सृजन
2017—18	886	2042.50	7088
2018—19	1399	4135.61	11192
2019—20	1216	3213.86	9728
2020—21	1208	3381.10	9664
2021—22	796	2312.49	6368

स्रोतः एच.पी.के.वी.आई.सी., हिमाचल प्रदेश

के.वी.आई.सी. ने राज्य में पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए क्लस्टरों की भी पहचान की है। स्फुर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत् सिरमौर मधुमक्खी पालन क्लस्टर की पहचान की गई है और महिला समाज कल्याण समिति, राजगढ, सिरमौर इसकी कार्यान्वयन एजेंसी होगी। ली.बी.इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बी कीपिंग और एग्रो एंटरप्राइज, लुधियाना के तकनीकी

सहयोग से, 300 कारीगरों को सम्मिलित किया जाएगा, जिसकी परियोजना लागत ₹255.76 लाख है।

9.14 हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (HPKVIB)

हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड विधानसभा के एक अधिनियम (1966 की संख्या 8) द्वारा बनाई गई एक वैधानिक निकाय है। यह 8 जनवरी, 1968 को अस्तित्व में आया। 1966 के मूल अधिनियम को बाद में वर्ष 1981 और 1987 के दौरान संशोधित किया गया है। उद्योग विभाग के.वी.आई.बी. का प्रशासनिक विभाग है। बोर्ड के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार दिए गए हैं:

- रोजगार उपलब्ध कराने का सामाजिक उद्देश्य।
- बिक्री योग्य वस्तुओं के उत्पादन का आर्थिक उद्देश्य।
- गरीबों के बीच आत्मनिर्भरता पैदा करने और एक मजबूत ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करने का व्यापक उद्देश्य।

बोर्ड ग्रामीण कारीगरों उद्यमियों को उनके दरवाजे पर सूक्ष्म ग्रामउद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके ग्रामीण औद्योगीकरण और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे कि स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल और कौशल का उपयोग किया जा सके।

9.15 हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एच.पी.एस.आई.डी.सी.)

यह राज्य में लघु, मध्यम और बडे पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढावा देने वाली एक प्रमुख एजेंसी है। निगम राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान के रूप में भी कार्य करता है। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के प्रचार और स्थापना के लिए एच.पी. एस.आई.डी.सी. प्रमुख एजेंसी है। यह प्रमुख राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान भी है और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। निगम की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं:

- पूरे हिमाचल प्रदेश में औद्योगीकरण को बढावा देना।
- उद्योगों का संवर्धन, विकास और वित्त पोषण।
- औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास।
- उद्यमियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) जैसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के डीलर के रूप में स्टील और बिटुमेन का विपणन।
- औद्योगिक क्षेत्रों सम्पदाओं का विकास।

एच.पी.एस.आई.डी.सी. को दो प्रतिष्ठित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रुप में नियुक्त किया गया है जिनमें भारत सरकार की संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) के तहत कन्दरोड़ी, जिला कांगड़ा और पंडोगा, जिला ऊना स्टेट ऑफ आर्ट औद्योगिक क्षेत्र शामिल है और परियोजनाओं का परिव्यय ₹ 275.00 करोड़ है।

एच.पी.एस.आई.डी.सी. को वित्त वर्ष के दौरान 2021–22 के दौरान ₹1,494.95 लाख का सकल लाभ अर्जित करने की संभावना है और ₹480.48 लाख के कराधान और लाभांश का प्रावधान करने के बाद ₹1,014.47 लाख शुद्ध लाभ कमाने की आशा है।

मुख्यमंत्री ने एच.पी.एस.आई.डी.सी. के पोर्टल 'उन्नति' और मोबाइल एप का शुभारंभ किया। यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं को दूसरों के सहयोग से काम करने और व्यक्तिगत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रदान करेगा। वास्तविक सहयोग के अलावा, उन्नति पोर्टल उपयोगकर्ताओं को किसी भी स्थान और किसी भी समय दस्तावेजों को एक साथ साझा करने और उन पर काम करने की अनुमति देगा।

9.16 हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (एच.पी.आई.डी.बी.)

राज्य सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए एच.पी.आई.डी.बी. हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास अधिनियम 2001 के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण, निर्माण, रखरखाव और संचालन में राज्य सरकार और सरकारी एजेंसियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भागीदारी से सरकार के लिए संसाधन जुटाने हेतू स्थापित किया गया हैं। वर्तमान में, इस संगठन के माध्यम से जुटाए गए निवेश राज्य योजना के तहत व्यय के अंतर को कम कर रहा है। अब तक, निम्नलिखित क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं।

- राज्य सडकें और पुल परियोजनाएं।
- संचाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य परियोजनाएं।
- स्वास्थ्य अवसंरचना।
- विद्युत परियोजनाएं।
- शहरी स्थानीय निकाय और अन्य अवसंरचना

एच.पी.आई.डी.बी. अपने मूल गतिविधियों के अलावा प्रदेश सरकार के लिए सार्वजनिक ओर निजी भागीदारी प्रकोष्ठ के रुप में भी कार्य कर रहा है। एच.पी.आई.डी.बी. को विभिन्न क्षेत्रों के 20 परियोजनाएं सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के रुप में सौंपी गई और विभिन्न विभागों की परियोजनाएं जोकि विभिन्न कार्यान्वयन स्तर पर हैं जिनका वर्णन सारणी 9.5 एवं 9.6 में दिखाया गया है।

सारणी 9.5 : सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के अन्तर्गत प्रदान की गई परियोजनाओं की संख्या

क्षेत्र	प्रदान की गई परियोजनाओं की संख्या
भाहरी	12
पर्यटन	5
स्वास्थ्य	2
पर्यावरण	1
योग	**20**

सारणी 9.6 : सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के अन्तर्गत परियोजनाएं जो कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर पर है

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या
पर्यटन	9
शहरी	4
बागवानी	2
परिवहन	2
लोक निर्माण	1
योग	**18**

वर्ष 2020–21 के दौरान एच.पी.आई.डी.बी. को सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के अन्तर्गत् शहरी अधोसंरचना क्षेत्र में परामर्श हेतू विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं जिनमें श्री चिंतपूर्णी सदन, ब्लॉक सी, चिंतपूर्णी का संचालन व रख–रखाव, नगर निगम शिमला का विशेष रेस्तंरा, टाउन हाल, धरातल मंजिल, दी माल शिमला का संचालन, रख–रखाव एवं प्रबंधन और परिवहन क्षेत्र में हमीरपुर के बस अड्डे और कार पार्किंग का विकास शामिल है।

9.17 निवेश / पंहुच बनाने हेतू

- राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए, सरकार ने 07 और 08 नवंबर, 2019 को धर्मशाला में पहली वैश्विक निवेशक बैठक–2019 का आयोजन किया। इसका उद्देश्य कृषि व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण और पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन, आतिथ्य और नागरिक उड्डयन, जल और नवीकरणीय ऊर्जा, कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल और आयुष, आवास, शहरी विकास, परिवहन, बुनियादी ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, आई.टी.ई.एस., इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना था।

- मुख्य कार्यक्रम आयोजित करने से पहले, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व में जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात (यू.एई.) में तीन अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए। अंतरराष्ट्रीय रोड शो के अलावा, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद और चंडीगढ में छह घरेलू रोड शो और मनाली और शिमला में दो मिनी कॉन्क्लेव आयोजित किए गए।

- सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में ₹96,720.88 करोड के प्रस्तावित निवेश और 1,96,800 व्यक्तियों के प्रस्तावित रोजगार के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 703 समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए।

- **पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 27–12–2019 को शिमला में आयोजित किया गया था, जिसमें 13,488 करोड़ के 236 समझौता ज्ञापनों को धरातल पर उतारा गया।**

- कोविड–19 महामारी की स्थिति के बावजूद, ₹4,483 करोड़ के निवेश वाली 102 परियोजनाओं को चालू किया गया है और ₹6,917 करोड के निवेश के साथ 87 परियोजनाओं में सिविल कार्य मशीनरी स्थापना प्रगति पर है। धरातल पर उतारे गए कुल निवेश का लगभग 84 प्रतिशत भौतिक हो गया है।

सारणी 9.7: पहली जी.बी.सी. में आधारित समझौता ज्ञापनों की स्थिति

विभाग	एम.ओ.यू. की संख्या	₹करोड	उत्पादन शुरू संचालन शुरू		सिविल कार्य प्रगति		सिविल कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ	
			एमओयू की संख्या	₹करोड़ में	एमओयू की संख्या	₹करोड़ में	एमओयू की संख्या	₹करोड़ में
1. उद्योग	112	3157	74	1692	27	1224	11	241
2. आयुर्वेद	18	357	3	12	11	322	4	24
3. प्रारंभिक शिक्षा	2	4	2	4				
4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2	60	1	20	1	40		
5. उच्च शिक्षा	9	345	1	250	7	91.5	1	3
6. आवास	9	1696			7	1648.5	2	47
7. सूचना प्रौद्योगिकी	4	2090	4	2090				
8. एम.पी.पी. और पावर	2	2395			2	2395		
9. पर्यटन	76	3134	17	415	32	1196	27	1523
10. शहरी विकास	2	250					2	250
कुल	**236**	**13488**	**102**	**4483**	**87**	**6917**	**47**	**2088**

स्रोतः उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए 05.09.2021 को चंडीगढ में एक रोड शो का आयोजन किया। इसके दौरान ₹3,307 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ कुल 27 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

- **दूसरा ग्राउंड–ब्रेकिंग समारोह (दूसरा जी.बी.सी.) 27 दिसंबर 2021 को मंडी में आयोजित किया गया था जिसमें 287 समझौता ज्ञापन ₹ 28,197 करोड के प्रस्तावित निवेश धरातल पर उतारा गया। इन परियोजनाओं के तहत 80,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रुप में रोजगार की उम्मीद है। पुष्टि किए गए समझौता ज्ञापनों का सारांश दिया गया है (सारणी–9.8)।**

सारणी 9.8 : दूसरे जी.बी.सी. में आधारित समझौता ज्ञापनों की स्थिति

विभाग	समझौता ज्ञापनों की संख्या	राशि (₹करोड)
1. उद्योग	133	11847.42
2. एम.पी.पी. और पावर	15	12,457.80
3. हिम ऊर्जा	46	1,414
4. पर्यटन	65	1,747
5. आवास	4	275
6. शहरी विकास	2	160
7. आयुर्वेद	8	128
8. उच्च शिक्षा	9	121
9. सूचना प्रौद्योगिकी	2	34
10. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1	10
11. बागवानी	1	1.45
12. प्रारंभिक शिक्षा	1	0.6
कुल	287	28,197

स्रोतः उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

9.18 औद्योगिक क्षेत्र का रूझान

सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2021–22 में 2020–21 की तुलना में 1.54 प्रतिशत अंक के साथ बढा है। वर्तमान कीमतों पर जी.एस.वी.ए. में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान वर्ष 2018–19 में 31.43 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019–20 में 29.04 प्रतिशत हो गया है (सारणी–9.9)। वर्ष 2020–21 में यह घटकर 28.91 प्रतिशत हो गया है, यह कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के तहत किए गए लॉकडाउन उपायों के कारण हुआ है, जिससे औद्योगिक उत्पादन बाधित हुआ है। राज्य सरकार अपने योगदान को बढाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहन और ईज आफ डूंईग बिजनस आदि को सक्षम करने जैसी कई पहल कर रही है। वर्तमान कीमतों पर जी.एस.वी.ए. में खनन और उत्खनन क्षेत्र का योगदान घट गया है क्योंकि यह वर्ष 2018–19 में 0.32 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 0.25 प्रतिशत हो गया है, जिसका कारण कोविड–19 से बाधित उत्पादन एवं खनन और उत्खनन क्षेत्र का योगदान घटना है। राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए की गई कड़ी कार्रवाई से भी इस क्षेत्र का योगदान घटा है। विवरण सारणी 9.9 में दिखाया गया है:

सारणी 9.9 : वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग एवं खनन का योगदान (प्रतिशत) में

(आधार 2011–12)

क्षेत्र	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
विर्निमाण	31.43	29.04	28.91	30.51
खनन और उत्खनन	0.32	0.31	0.32	0.25

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश में विनिर्माण एवं खनन और उत्खनों क्षेत्र के जी.एस.वी.ए. की वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर) की प्रवृत्ति को चित्र 9.1 में दिखाया गया है। स्थिर कीमतों पर विनिर्माण एवं खनन और उत्खनों क्षेत्र की जी.एस.वी.ए. में वृद्धि दर 2018–19 के दौरान 10.1 प्रतिशत थी और 2019–20 में घटकर 0.88 प्रतिशत हो गई। 2020–21 में (–)7.33 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दिखाने के बाद यह 2021–22 में 11.3 प्रतिशत रहने की संभावना है ।

चित्र 9.1 : संबंधित क्षेत्र की विकास दर के साथ–साथ विनिर्माण और खनन क्षेत्र में जी.एस.वी.ए.

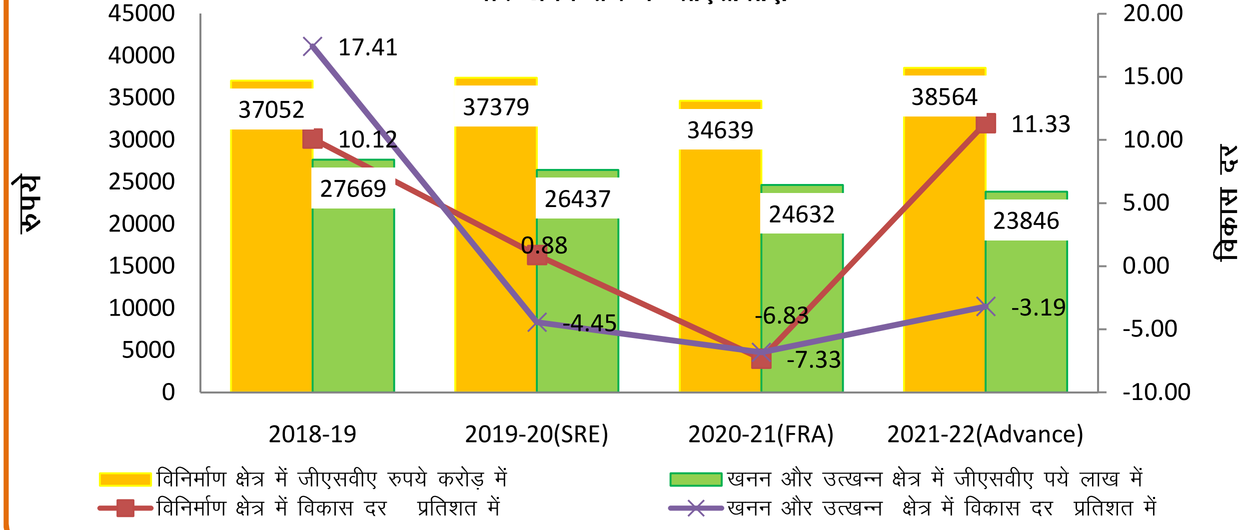

स्रोतः आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

9.19 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) औद्योगिक विकास को मापने के लिए एक पैमाना है, इसमें पिछली अवधि की तुलना में विशिष्ट अवधि के दौरान उद्योग के क्षेत्र मे भौतिक उत्पादन के सापेक्ष परिवर्तन शामिल हैं। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में

औद्योगिक क्षेत्र के योगदान का अनुमान लगाना है। राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) आधार वर्ष 2011–12 पर संकलित किया जा रहा है। विनिर्माण, खनन, उत्खनन और बिजली की चयनित इकाईयों से आंकड़ों को एकत्रित करके औद्योगिक उत्पादन के त्रैमासिक अनुमान तैयार किए जाते हैं, त्रैमासिक सूचकांको के आधार पर वार्षिक सूचकांक तैयार किए गए हैं, जिन्हें निम्न सारणी 9.10 में दर्शाया गया है।

सारणी 9.10 : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

वर्ष	खनन	विनिर्माण	बिजली	सामान्य
2019–20	89.1	157.8	478.0	223.9
2020–21	102.0	153.9	482.7	221.9
2021–22*	99.7	173.4	664.9	274.7

*सूचकांक दो तिमाहियों के औसत हैं अर्थात जून और सितम्बर, 2021.

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

वर्ष 2020–21 में सामान्य सूचकांक 223.9 से घटकर 221.9 हो गया है, जो कि 0.9 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, यह कमी मुख्य रुप से जून तिमाही में विनिर्माण सूचकांक में गिरावट के कारण है। यह कोविड–19 के अन्तर्गत किए गए लॉकडाउन उपायों के कारण हुआ, जिससे औद्योगिक उत्पादन बाधित हुआ। वर्ष 2021–22 के सूचकांकों को दो तिमाहियों (जून और सितम्बर, 2020) के आधार पर तैयार किया गया है। 2020–21 के जून और सितम्बर तिमाही सूचकांक की तुलना में 2021–22 में 5.9 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है जिसका श्रेय औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को जाता है, जो कि विनिर्माण में वृद्धि के साथ–साथ राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है।

श्रम और रोजगार

10
अध्याय

10.1 परिचय

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 में कहा गया है कि आर्थिक विकास का अर्थ न केवल नौकरियों का सृजन है, परन्तु काम करने की ऐसी स्थिति भी है जिसमें कोई भी स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान के साथ काम कर सकता है। राज्य में स्वतंत्र और सुरक्षित काम करने की स्थिति नीतियों और सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के रूप में राज्य के नियोजित हस्तक्षेप के कारण है। देश के अन्य हिस्सों की तुलना में, हिमाचल प्रदेश में कृषि और गैर–कृषि दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों की मजदूरी दर अधिक है (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण)। हिमाचल प्रदेश में उच्च मजदूरी दर राज्य में प्रवासियों को आकर्षित करती है, खासकर उन राज्यों से जहां मजदूरी की दरें बहुत कम हैं। राज्य को अब अतिरिक्त रोजगार के अवसर और रोजगार–गहन विकास की आवश्यकता है, जिसके लिए श्रम बल को कम–मूल्य–वर्धित से उच्च–मूल्य–वर्धित गतिविधियों की ओर बढ़ना है। राज्य का लक्ष्य राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित करने के लिए अर्थव्यवस्था में रोजगार प्रेरित समावेशी विकास हासिल करना है।

राज्य में रोजगार प्राप्त या सहायता के लिए/सूचना सेवा प्रदान की जाती है राज्य में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालयों में रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र और 65 उप–रोजगार कार्यालय, दिव्यागों के लिए निदेशालय में एक विशेष रोजगार कार्यालय, एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष निदेशालय में जो पूरे प्रदेश के युवाओं को व्यावसायिक एवं रोजगार परामर्श सम्बन्धित जानकारी के साथ–साथ रोजगार बाजार की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु कार्यरत है। सभी 77 रोजगार कार्यालयों को कम्पयूटराईज किया जा चुका है।

10.1.1 न्यूनतम मजदूरी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अन्तर्गत कामगारों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। राज्य सरकार ने दिनांक 01.04.2021 से अकुशल कामगारों का वेतन ₹275 से ₹300 प्रतिदिन अथवा ₹8,250 से ₹9,000 प्रतिमाह किया गया है। वर्तमान में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सभी 19 अनुसूचित व्यवसायों के लिए निर्धारित कर दिया गया है।

10.1.2 रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

वर्ष 1960 से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं। प्रदेश में 31.03.2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र के कुल

कामगारों की संख्या 2,75,526 है और निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 1,83,293 है। और उद्यमों की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 4,407 व निजी क्षेत्र में कुल 1,814 कार्यरत है।

10.1.3 व्यावसायिक मार्गदर्शन

श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं को व्यावसायिक /आजीविका मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। और साथ ही स्कूलों/कॉलेजों/आई.टी.आई./ पॉलिटेक्निक आदि में मार्गदर्शन शिविर भी आयोजित करता है। आजीविका कार्यक्रमों में श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों/सक्षम कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य विभागों/संस्थानों के अधिकारी/प्रतिनिधियों आदि द्वारा युवाओं के हितों में जानकारी प्रदान की जाती हैं । वित्तीय वर्ष के दौरान कोविड –19 की वजह से विभाग द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त नही किये जा सके फिर भी रोजगार के लिए आने वाले आवेदकों को व्यावसयिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया तथा 31.12.2021 तक 10,708 युवाओं को विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत/समूह परामर्श प्रदान किया गया।

10.1.4 केन्द्रीय रोजगार कक्ष

हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी रूप से कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में श्रम एवं रोजगार निदेशालय में गठित केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2021–22 में भी अपनी सेवाएं देता रहा है। इस प्रकार रोजगार कक्ष रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करवाये जाते हैं। केन्द्रीय रोजगार कक्ष निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के अकुशल कामगारों की मांग हेतु कैम्पस साक्षात्कार करवाता है। इस वित्तीय वर्ष में 31.12.2021 तक केन्द्रीय रोजगार कक्ष के माध्यम से जॉब फेयर 138 कैंम्पस साक्षात्कार करवाये गये, जिसमें 1,663 आवेदकों की नियुक्तियां की गई है ।

10.1.5 विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगों हेतु)

सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी के अधीन वर्ष 1976 से विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यागों हेतु) की स्थापना की गई। यह कक्ष दिव्यागों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधाएं/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड जोकि जिला एवं राज्य स्तर पर गठित है द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण, आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, ऊपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण कार्य के लिए तथा तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 5 प्रतिशत का आरक्षण इत्यादि शामिल है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान नवम्बर, 2021 तक सक्रिय पंजिका में 531 दिव्यांगों को पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 19,205 हो गई है तथा 119 दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाए गए है।

10.1.6 कर्मचारी भविष्य निधि एवं बीमा योजना

राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़, बद्दी जिला सोलन, मैहतपुर, गगरेट, बाथरी जिला ऊना, पांवटा साहिब, काला अम्ब जिला सिरमौर, गोलथाई जिला बिलासपुर, मण्डी, रती, नैर चौक, भंगरोटू, चक्कर व गुटकर, जिला मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र शोघी व शिमला नगर–निगम क्षेत्र जिला शिमला में लागू हैं। राज्य के लगभग 13,325 संस्थानों में 3,15,331 बीमा कामगार/ कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत 23,363 संस्थानों में कार्यरत 17,28,643 कामगारों को मार्च, 2021 तक पंजीकृत किए गए।

10.1.7 भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियम) अधिनियम–1996 व उपकर अधिनियम–1996

इस अधिनियम के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाओं जिसमें मातृत्व/ पैतृत्व लाभ, सेवानिवृति पेंशन, पारिवारिक पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, स्वयं व दो बच्चों तक की शादी हेतु आर्थिक सहायता, कौशल विकास भत्ता, महिला कामगारों को साईकल तथा वॉशिंग मशीन, इंडक्शन हीटर, सोलर कूकर व सोलर लैम्प इत्यादि लाभार्थियों को देने का प्रावधान किया गया है। कुल 2,236 संस्थान व 3,39,049 लाभार्थी हि.प्र. भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत किये गये हैं तथा कुल ₹317.19 करोड़ की राशि बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को बांटी गयी है और लगभग ₹737.27 करोड़ की धनराशि दिसम्बर, 2021 तक हि.प्र. भवन एंव सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड शिमला के पास जमा की गई है।

10.1.8 कौशल विकास भत्ता योजना

कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में ₹80 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के पात्र बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल विकास हेतु भत्ते का प्रावधान है ताकि उनकी कौशल विकास व रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ सके। यह भत्ता बेरोजगार व्यक्ति को ₹1,000 प्रतिमाह देय है और 50 प्रतिशत या इसके अधिक स्थायी दिव्यांग आवेदकों को ₹1,500 प्रति माह की दर से कौशल विकास प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2021 तक 32,182 लाभार्थियों को ₹15.01 करोड़ कौशल विकास भत्ता दिया गया। विभाग **औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना, 2018** को भी लागू कर रहा है। इस योजना के तहत कौशल उन्नयन और बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए राज्य के निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे, रोजगार प्राप्त युवाओं को औद्योगिक कौशल विकास भत्ते का प्रावधान है। इस योजना के तहत वितरण मापदंड कौशल विकास भत्ता योजना 2013 के अनुरूप है और इसके तहत इस वित्तीय वर्ष 2,398 लाभार्थियों को ₹1.74 करोड की राशि का वितरण किया गया।

10.1.9 बेरोजगारी भत्ता योजना

बेरोजगारी भत्ता योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए ₹29.00 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिमाचली बेरोज़गारों को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। यह भत्ता ₹1,000 प्रतिमाह देय है तथा 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी विकलांग आवेदकों को ₹1,500 प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्ष तक देय है। इस अवधि के दौरान दिसम्बर, 2021 तक कुल 51,613 लाभार्थियों को ₹20.38 करोड़ का लाभ दिया गया।

10.1.10 रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना

इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2021 तक कुल 1,68,239 आवेदक रोजगार सहायता हेतु पंजीकृत हुए तथा इस अवधि में 616 नियुक्तियां सरकारी क्षेत्र में 1,301 अधिसूचित रिक्तियों के समकक्ष हुई व 2,183 नियुक्तियां निजी क्षेत्र में 6,629 अधिसूचित रिक्तियों के समकक्ष हुई। सभी रोजगार कार्यालयों में दिसम्बर, 2021 तक सक्रिय पंजिका में कुल संख्या 8,73,060 थी। इस वित्त वर्ष में जिलावार रोजगार केन्द्रों में अप्रैल से दिसम्बर, 2021 तक पंजीकरण एवं नियुक्तियां सारणी संख्या 10.1 में दर्शाई गई हैः

सारणी 10.1: रोजगार केन्द्रों की सूचना

जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियां	नियोजन		सक्रिय पंजिका
			सरकारी	निजी	
बिलासपुर	3,329	0	1	318	59,248
चम्बा	14,749	1,796	28	96	64,684
हमीरपुर	13,678	275	80	130	67,340
कांगड़ा	38,694	976	102	129	1,84,793
किन्नौर	3,669	0	0	0	0
कुल्लू	9,474	0	28	109	57,696
लाहौल स्पिति	830	0	0	0	5,290
मण्डी	34,032	66	148	501	1,66,051
शिमला	14,011	1,027	86	18	79,735
सिरमौर	11,818	963	8	247	63407
सोलन	12,799	2,765	10	191	55,684
ऊना	11,156	62	125	444	69,132
हिमाचल प्रदेश	**1,68,239**	**7,930**	**616**	**2,183**	**8,73,060**

नोटः नियुक्ति आंकडों में वे नियुक्तियां आंकड़े सम्मलित नहीं है जोकि अन्य विभागों बोर्डो, निगमों एवं हि.प्र. लोक सेवा आयोग व हि.प्र. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधे एवं प्रतियोगिता आधार पर की गई है।

10.2 हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम राज्य सरकार का निगम है जो राज्य कौशल मिशन के रूप में 14 सितम्बर, 2015 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित किया गया। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को परिक्षण देने हेतु कौशल विकास निगम द्वारा तीन प्रमुख परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। जैसे कि (i) एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा हिमाचल युवा कौशल विकास परियोजना (HPSDP) में सहायता देना (ii) प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अन्तर्गत राज्य घटक तथा (iii) आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (SANKALP)

10.2.1 एशियन विकास बैंक की सहायता से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना (HPSDP)

इस परियोजना के अन्तर्गत ₹429.00 करोड़ उपलब्ध करवाए गए और ₹163.00 करोड़ क संवितरण किया गया।

i. **उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना(सी.ओ.ई.)**
हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अन्तर्गत, एशियन विकास बैंक की सहायता से राज्य में दीर्घकालीन कौशल विकास की आवश्यकताओं के अन्तर्गत संस्थागत ढांचा बनाने के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.ई.) वाकनाघाट, सोलन में ₹68.00 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है। यह संस्थान आतिथ्य और पर्यटन, व सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उच्च गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

ii. प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौते

उच्च श्रेणी के प्रशिक्षणों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों जैसे राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सीडैक, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान, भारतीय अधिकृत लेखापाल संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, उद्यान एवं वाणिकी विश्वविद्यालय, के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं जिसके अन्तर्गत 9,170 हिमाचली युवाओं को उच्च कौशल वाली नौकरियां जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग और उन्नत कर कानून इत्यादि के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 1,167 से अधिक उम्मीदवारों का उक्त पाठयक्रमों में नामांकन किया गया है।

iii. 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, महिला पोलिटैक्निक, (रैहन,जिला कांगडा) तथा राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालयों के उन्नयन के लिए औजार एवं उपकरण उपलब्ध करवाना

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना, 50 आई.टी.आई. के उन्नयन में भी मदद कर रहा है, जहां 23 ट्रेड राज्य कौंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से राष्ट्रीय कौंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में परिवर्तित होंगे। इससे 23,000 छात्रों को लाभ होगा। अपेक्षित प्रकरणों की खरीद की प्रक्रिया विभिन्न ट्रेडों (मकैनिकल, इलैक्ट्रीकल, इलैक्ट्रॉनिक्स, हैण्ड टूल्स, कढ़ाई, सूचना और प्रौद्योगिकी और सौंदर्य कल्याण आदि) के उपकरण शामिल तथा कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, महिला पॉलिटेक्निक (रेहन, जिला कांगड़ा) और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए उपकरण भी खरीदे जाने हैं। महिला पॉलीटेक्निक रेहान का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा प्रशिक्षण चल रहा है। इसके अतिरिक्त संस्थानों में 300 अभ्यर्थियों/प्रशिक्षुओं के लिए आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी।

iv. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से लघु अवधि के राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्रशिक्षण कोर्स

हिमाचल प्रदेश कौशल निगम ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अन्तर्गत 54 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लघु अवधि के प्रशिक्षण कोर्स शुरु किये हैं जिसमें 8,347 प्रशिक्षणार्थियों का विभिन्न क्षेत्रों में जैसा कि मोटर वाहन, निर्माण, प्लंबिंग, सूचना प्रौद्योगिकी की सक्षम सेवाएं, परिधान, इलैक्ट्रोनिक एवं हार्डवेयर, सौन्दर्य, स्वास्थ्य, लोह एवं स्टील, मीडिया एवं मनोरंजन आदि क्षेत्रों में नामांकन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहु कौशल मानव शक्ति का उद्योगों एवं स्वयं रोजगार क्षेत्रों में उपलब्ध करवाना है।

v. स्नातक युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

रोज़गार क्षमता को बढ़ाने के लिए 25 सरकारी डिग्री कॉलेजों के अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों की हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क मुख्य अध्ययन के पूरक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना तय किया है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, इलैक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, सौंदर्य कल्याण और परिधान क्षेत्र शामिल हैं। वर्तमान में राज्य भर के 13 महाविद्यालयों के 1,850 विद्यार्थियों ने वर्ष 2019–2020 तथा 2020–2021 प्रशिक्षण प्राप्त कर चूके हैं। शैक्षणिक वर्ष 2019–20 और वर्ष 2020–21 में 15 से अधिक महाविद्यालयों में 5,500 स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन लाया गया। वर्तमान में सचंयी नामांकन आकडें 5,947 हैं (2019–20 और 2020–21 शैक्षणिक वर्षों के 2,216 नामांकन सहित)।

vi. वोकेशन डिग्री कार्यक्रम में स्नातक शिक्षा

व्यवसाय में स्नातक कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम तथा उच्च शिक्षा विभाग का संयुक्त कार्यक्रम है। यह 3 साल का पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रम राज्य के 18 डिग्री कॉलेजों में से 2 क्षेत्रों (खुदरा, पर्यटन तथा आतिथ्य) में चल रहा है। वर्तमान में 4,638 से अधिक छात्रों का नामांकन हुआ है।

vii. प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अन्य लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने हिमाचल प्रदेश के 9,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों जिसमें ऑटोमोबाइल सेवा, विनिर्माण, बिजली निर्माण और प्लबिंग, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, इलैक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन और आतिथ्य के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं को नियुक्त किया है। इस कार्यक्रम में अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 2,648 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किए जाएगा।

viii. दिव्यांग व्यक्तियों की आजीविका आधारित कौशल प्रशिक्षण

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों में रोज़गार और उद्यमिता कौशल के पोषण के लिए **''नव धारणा''**एक आजीविका आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अन्तर्गत खुदरा, आतिथ्य, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में लगभग 300 दिव्यांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सेवा प्रदाता के चयन की प्रक्रिया पूरी की जा चूकी है।

ix. शहरी आजीविका केन्द्र (सी.एल.सी.), ग्रामीण आजीविका केन्द्र (आर.एल.सी.) और मॉडल कैरियर केन्द्र (एम.सी.सी.)

राज्य भर में कौशल विकास गतिविधियों के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए शहरी आजीविका केन्द्र, ग्रामीण आजीविका केन्द्र (आर.एल.सी) और मॉडल कैरियर केन्द्र (एम.सी.सी.) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शहरी आजीविका केन्द्र (सुंदरनगर, नाहन, सिदभरी, शमशी) ग्रामीण आजीविका केन्द्र (सदियाना, प्रगतिनगर)का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। तथा सी.एल.सी. एवं आर.एल.सी. केन्द्रों में शीघ्र प्रशिक्षण कार्य शुरू किया जाना है। 1 सी.एल.सी.(बिलासपुर) और 5 आर.एल.सी. (नालागढ़, नगरोटा बगवां, बंगाणा, सेराज और चौपाल) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, 11 एम.सी.सी. (धर्मशाला, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, बद्दी, सोलन, डाडासिबा, उदयपुर और काजा) का निर्माण / नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हिमाचली युवाओं को उनकी आकांक्षाओं के साथ उनको उचित परामर्श प्रदान करने और उन्हें नौकरी के लिए राष्ट्रीय कैरियर पोर्टल तक पहुॅच प्रदान करने के लिए एम.सी.सी., हमीरपुर के संबंध में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

10.2.2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.)

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 और 3.0 के राज्य घटक के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी है। उक्त शासनादेश को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान पी.एम.के.वी.वाई.) 2.0 के तहत 22 क्षेत्रों में नौकरी के लिए 16,200 से अधिक युवाओं को नामांकित किया जिनमें से 9,000 से अधिक युवाओं का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, पी.एम.के.वी.वाई. 3.0 राज्य घटक के तहत 5 सरकारी आई.टी.आई. (303 नामांकन के साथ) के माध्यम से प्रशिक्षण शुरू हो गया है और 1,800 रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आर.पी.एल.) प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है।

10.2.3 आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता

एच.पी.के.वी.एन ₹2.1 करोड़ रुपये की स्वीकृत निधि के साथ आजीविका संवर्धन के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता को लागू कर रहा है और इसका उद्देश्य पूरे राज्य में संस्थागत तंत्र और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को

मजबूत करना है। एच.पी.के.वी.एन ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड के साथ 12 अक्टूबर, 2021 को ₹ 44.80 लाख रुपये की राशि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 200 हितधारक कारीगरों को लक्षित राज्य विशिष्ट कला और शिल्प के कौशल उन्नयन, डिजाइन हस्तक्षेप और विपणन से संबंधित क्षमता वृद्धि के प्रयास फरवरी, 2022 से शुरू होने हैं। बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में चंबा रुमाल, वुड क्राफ्ट, कुल्लू कैप्स, मिट्टी के बर्तनों का क्राफ्ट, कांगड़ा पेंटिंग, बैम्बू क्राफ्ट, पाइन नीडल ट्रेनिंग और हैंड निटिंग जॉब रोल्स के लिए विशेषत: महिलाओं, एस.सी., एस.टी., पी.डब्ल्यू.डी. और समाज के अन्य कमजोर वर्ग के कारीगरों के लिए शुरू किया जाना है।

10.2.4 जागरूकता सृजन और प्रचार

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने व्यवसायिक शिक्षा के इच्छुक सभी हिमाचली युवाओं के लिए विस्तृत प्रचार योजना तैयार की है। सूचना, शिक्षा तथा संचार सामग्री के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए एफ.ए.क्यू., परामर्श पुस्तिका, कार्यक्रम विवरणिका, विडियो, पोस्टर और पत्रिका को लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित टी.वी. और रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सोशल नैटवर्किंग साईटों को जैसे कि फेसबुक, टविटर तथा इंस्टाग्राम का उपयोग किया जा रहा है।

10.3 रोजगार परिदृश्यः हिमाचल प्रदेश, पड़ोसी राज्य और भारत

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) एक नई श्रृंखला है जिसे भारत सरकार ने 2017 में पंचवार्षिक रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.), जो की अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) के अंतर्गत, आना है। और उसे बंद करके शुरू किया जो वार्षिक आधार पर श्रम बल डेटा प्रदान करता है। पी.एल.एफ.एस. डेटा अब राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। भारत सरकार ने मई 2019 में पहली आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण(पी.एल.एफ.एस.) 2017–18 रिपोर्ट जारी की, जो कि एन.एस.ओ. द्वारा जुलाई 2018 से जून 2019 तक किए गए सर्वेक्षण और जून 2020 में दूसरी पी.एल.एफ.एस. 2018–19 रिपोर्ट, जो एन.एस.ओ. द्वारा जुलाई 2019 से जून 2020 तक आयोजित किया गए सर्वेक्षण पर आधारित है। वर्तमान में तीसरी वार्षिक रिर्पोट एन.एस.ओ. द्वारा जुलाई 2019 से जून 2020 तक आयोजित सर्वेक्षण के आधार पर प्रकाशित की है। गतिविधि की स्थिति द्वारा जनसंख्या के वर्गीकरण के लिए सर्वेक्षण में अपनाई गई सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस) दृष्टिकोण और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण के आधार पर श्रम बल संकेतकों का अनुमान लगाया जाता है। सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) दृष्टिकोण के लिए संदर्भ अवधि एक वर्ष है और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण के लिए एक सप्ताह है।

10.3.1 हिमाचल प्रदेश में लेबर फोर्स

हिमाचल प्रदेश में श्रम बल की स्थिति का अंदाजा, श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.), श्रमिक जनसंख्या दर (डब्लू.पी.आर.), दैनिक मजदूरी दर और औद्योगिक संबंधों में रुझानो से लगाया जा सकता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019–20 (पी.एल.एफ.एस.) के अनुसार, श्रम बल का गठन वे व्यक्ति जो काम कर रहे थे (या कार्यरत हैं) या 'काम की खोज या काम के लिए उपलब्ध (या बेरोजगार) हैं,शामिल किया जाता है। श्रम बल या दूसरे शब्दों में, आर्थिक रूप से सक्रिय 'आबादी, उस आबादी को संदर्भित करती है जो उत्पादन के लिए श्रम की आपूर्ति करती है या आपूर्ति करना चाहती है और इसलिए यह 'नियोजित 'और 'बेरोजगार' दोनों व्यक्तियों को शामिल करती है। श्रम बल भागीदारी दर को 'आबादी में व्यक्तियों के बीच श्रम बल में व्यक्तियों का प्रतिशत' के रूप में परिभाषित किया गया है।

सारणी 10.2 पी.एल.एफ.एस. के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और भारत में 2018–19 और 2019–20 में एल.एफ.पी.आर. प्रस्तुत करता है। 2018–19 की तुलना में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और भारत में 2019–20 में समस्त आयु के एल.एफ.पी.आर. में वृद्धि हुई है। एल.एफ.पी.आर. (समस्त भारत) के लिए 2019–20 में, हिमाचल प्रदेश (57.7), उत्तराखंड (41.0), पंजाब (40.8), हरियाणा (34.3) और भारत (40.1) से अधिक है।

सारणी 10.2: हिमाचल प्रदेश पडोसी राज्य व पूरे भारत के लिए सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.) (प्रतिशत में)

क्रम संख्या	आयु के अनुसार समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी			ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी		
		पी.एल.एफ.एस.(2018–19)									पी.एल.एफ.एस.(2019–20)								
		हिमाचल प्रदेश									हिमाचल प्रदेश								
		पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति
1	15–29 वर्ष	53.1	45.5	49.5	55.1	25.4	42.2	53.3	43.1	48.6	67.9	54.1	61.1	64.8	31.5	50.0	67.3	50.9	59.4
2	15–59 वर्ष	80.3	67.5	73.8	78.4	34.1	58.0	80.1	64.1	72.1	85.6	74.3	79.8	82.5	43.2	63.7	85.2	70.3	77.6
3	15 वर्ष या अधिक	76.1	62.1	68.9	73.4	31.4	53.8	75.8	59.2	67.4	82.4	68.2	75.0	79.5	40.6	60.8	82.0	65.0	73.2
4	सभी उम्र	**59.1**	**49.0**	**54.0**	**56.7**	**25.8**	**42.7**	**58.8**	**46.9**	**52.8**	**64.5**	**54.7**	**59.4**	**60.6**	**30.9**	**46.3**	**63.9**	**51.8**	**57.7**
		उत्तराखंड									उत्तराखंड								
1	15–29 वर्ष	48.9	15.4	31.5	56.4	18.1	40.1	51.3	16.1	33.9	58.0	26.4	43.6	59.7	17.5	38.9	58.4	23.8	42.3
2	15–59 वर्ष	74.9	23.2	48.4	77.7	17.4	49.2	75.8	21.6	48.6	78.1	40.9	59.9	79.9	19.5	50.0	78.6	34.8	57.1
3	15 वर्ष या अधिक	71.3	20.8	45.4	72.7	15.5	45.6	71.7	19.4	45.4	74.6	37.3	56.1	74.5	17.5	46.1	74.6	31.8	53.4
4	सभी उम्र	**52.3**	**16.1**	**34.2**	**54.6**	**11.8**	**34.3**	**53.0**	**15.0**	**34.3**	**56.5**	**28.8**	**43.0**	**56.5**	**13.9**	**35.9**	**56.5**	**24.8**	**41.0**
		पंजाब									पंजाब								
1	15–29 वर्ष	59.7	13.8	39.0	65.4	19.7	45.2	61.9	16.0	41.4	68.4	24.4	49.2	65.5	22.6	45.7	67.4	23.7	47.9
2	15–59 वर्ष	77.9	20.9	50.5	83.1	21.3	54.2	80.0	21.1	51.9	82.5	27.7	56.6	83.6	25.1	55.5	82.9	26.7	56.2
3	15 वर्ष या अधिक	72.0	18.9	46.3	77.0	19.3	50.0	73.9	19.1	47.7	76.6	24.8	51.9	78.1	21.9	51.1	77.2	23.7	51.6
4	सभी उम्र	**56.7**	**15.0**	**36.6**	**59.1**	**15.0**	**38.6**	**57.7**	**15.0**	**37.4**	**61.5**	**19.9**	**41.6**	**59.8**	**17.2**	**39.6**	**60.9**	**18.9**	**40.8**
		हरियाणा									हरियाणा								
1	15–29 वर्ष	61.5	8.2	37.9	58.8	15.5	40.3	60.6	10.6	38.7	59.9	7.1	34.3	59.8	17.6	41.5	59.8	10.5	36.8
2	15–59 वर्ष	80.0	15.1	49.3	79.3	21.0	52.5	79.7	17.1	50.4	79.7	15.1	48.5	80.2	23.3	54.4	79.9	18.0	50.6
3	15 वर्ष या अधिक	74.7	13.7	45.3	73.9	18.5	48.0	74.4	15.3	46.2	73.9	13.4	44.2	73.3	20.2	48.7	73.7	15.7	45.8
4	सभी उम्र	**53.7**	**10.1**	**32.9**	**56.8**	**14.4**	**37.2**	**54.8**	**11.5**	**34.3**	**53.8**	**10.1**	**32.8**	**55.8**	**15.4**	**37.2**	**54.5**	**11.9**	**34.3**
		भारत									भारत								
1	15–29 वर्ष	58.8	15.8	37.8	58.6	17.1	38.7	58.8	16.2	38.1	60.8	20.7	41.3	58.3	20.3	40.0	60.0	20.6	40.9
2	15–59 वर्ष	80.6	28.3	54.5	79.6	22.5	51.6	80.3	26.5	53.6	81.5	35.4	58.5	80.6	25.7	53.5	81.2	32.3	56.9
3	15 वर्ष या अधिक	76.4	26.4	51.5	73.7	20.4	47.5	75.5	24.5	50.2	77.9	33.0	55.5	74.6	23.3	49.3	76.8	30.0	53.5
4	सभी उम्र	**55.1**	**19.7**	**37.7**	**56.7**	**16.1**	**36.9**	**55.6**	**18.6**	**37.5**	**56.3**	**24.7**	**40.8**	**57.8**	**18.5**	**38.6**	**56.8**	**22.8**	**40.1**

स्रोत : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2018–19 और 2019–20

10.3.2 श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर.)

डब्ल्यू.पी.आर. एक संकेतक है जिसका उपयोग रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने और आबादी का अनुपात जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय योगदान देता है, को जानने के लिए किया जाता है। डब्ल्यू. पी.आर. को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। सारिणी 10.3 हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात को दर्शाता है। यह सभी उम्र वर्ग में स्पष्ट है कि 2019–20 में हिमाचल प्रदेश की स्थिति (55.6) उत्तराखंड (38.1), पंजाब (37.8), हरियाणा (32.1) और पुरे भारत (38.2) से बेहतर है। सर्वेक्षण के नतीजों से स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाएं (50.3 प्रतिशत) अखिल भारतीय स्तर पर और पड़ोसी राज्यों में अपने समकक्षों की तुलना में आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले रहीं हैं (चित्र 10.1) 2018–19 में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्लू.पी.आर.) सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) में लगभग 50.1 प्रतिशत था जो कि 2019–20 में 55.6 प्रतिशत हो गया है। 2018–19 में ग्रामीण क्षेत्रों में यह 51.4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 39.0 प्रतिशत था, जो एक साथ बढ़कर 57.4 प्रतिशत और 43.5 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण पुरुषों के लिए सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस) में डब्ल्यू.पी.आर. वर्ष 2019–20 में यह बढ़कर 61.6 प्रतिशत हो गया जो कि वर्ष 2018–19 में में 56.0 था ग्रामीण महिलाओं के लिए यह 2019–20 में 53.5 है जो कि वर्ष 2018–19 में 46.9 प्रतिशत था ।

चित्र 10.1 सभी उम्र वर्ग में महिला (डब्ल्यू.पी.आर.) (ग्रामीण+शहरी) 2020–21

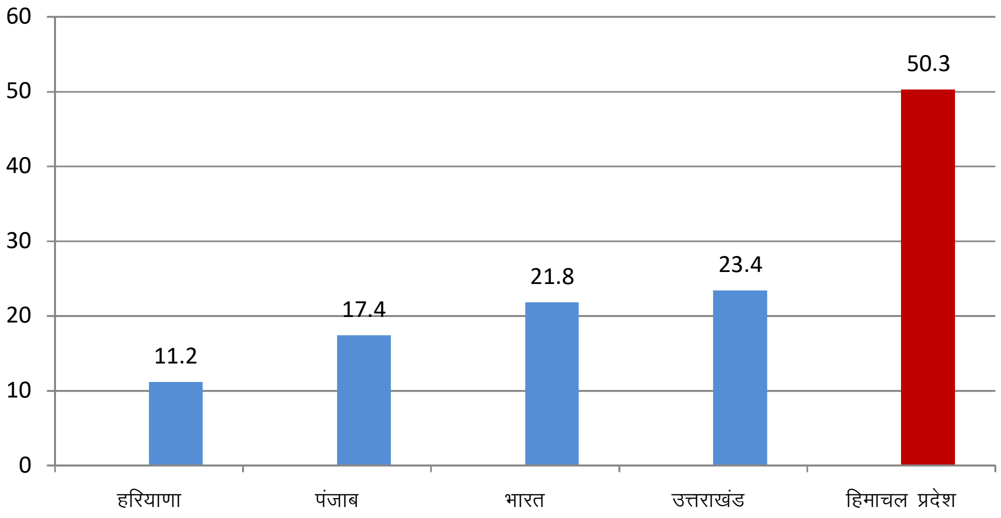

सारणी 10.3: हिमाचल, पड़ोसी राज्यों और सभी भारत के लिए सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर.) (प्रतिशत में)

क्रम संख्या	आयु के अनुसार समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी			ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी		
		पी.एल.एफ.एस.(2018–19)									पी.एल.एफ.एस.(2019–20)								
		हिमाचल प्रदेश									हिमाचल प्रदेश								
		पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति
1	15–29 वर्ष	42.1	38.2	40.3	46.7	17.2	33.9	42.7	35.7	39.5	57.3	49.4	53.5	57.0	23.4	42.1	57.3	45.7	51.7
2	15–59 वर्ष	75.4	64.2	69.8	73.0	28.8	52.6	75.1	60.6	67.9	81.2	72.4	76.7	78.8	38.8	59.6	80.9	68.1	74.4
3	15 वर्ष या अधिक	72.1	59.4	65.6	68.6	26.7	49.0	71.7	56.3	63.9	78.7	66.7	72.4	76.2	36.7	57.2	78.4	63.1	70.5
4	सभी उम्र	**56.0**	**46.9**	**51.4**	**53.0**	**21.9**	**39.0**	**55.6**	**44.6**	**50.1**	**61.6**	**53.5**	**57.4**	**58.1**	**27.9**	**43.5**	**61.1**	**50.3**	**55.6**
		उत्तराखंड									उत्तराखंड								
1	15–29 वर्ष	42.3	9.0	25.0	43.5	8.0	28.4	42.7	8.8	26.0	45.7	22.7	35.3	48.9	11.8	30.6	46.6	19.5	34.0
2	15–59 वर्ष	70.6	19.9	44.6	69.5	12.1	42.4	70.3	17.8	44.0	71.3	39.2	55.6	73.6	16.5	45.3	72.0	32.7	52.7
3	15 वर्ष या अधिक	67.6	18.1	42.1	65.3	10.8	39.5	66.9	16.2	41.4	68.7	35.8	52.4	68.8	14.8	41.9	68.8	30.1	49.5
4	सभी उम्र	**49.6**	**14.0**	**31.8**	**49.1**	**8.2**	**29.7**	**49.4**	**12.5**	**31.2**	**52.1**	**27.7**	**40.1**	**52.2**	**11.8**	**32.6**	**52.1**	**23.4**	**38.1**
		पंजाब									पंजाब								
1	15–29 वर्ष	47.0	9.1	29.9	55.1	14.7	37.3	50.1	11.2	32.7	56.0	20.2	40.3	53.2	17.1	36.5	55.0	19.1	39.0
2	15–59 वर्ष	71.5	19.1	46.2	77.8	18.8	50.2	74.0	19.0	47.8	75.9	25.9	52.2	77.8	22.1	51.1	76.6	24.5	51.8
3	15 वर्ष या अधिक	66.6	17.3	42.7	72.4	17.1	46.5	68.8	17.3	44.2	70.9	23.3	48.2	73.0	19.4	47.2	71.7	21.8	47.8
4	सभी उम्र	**52.4**	**13.8**	**33.8**	**55.5**	**13.3**	**35.9**	**53.6**	**13.6**	**34.6**	**56.9**	**18.7**	**38.6**	**55.9**	**15.2**	**36.5**	**56.5**	**17.4**	**37.8**
		हरियाणा									हरियाणा								
1	15–29 वर्ष	45.9	6.3	28.4	49.5	12.5	33.7	47.1	8.3	30.1	49.0	5.7	28.0	51.0	13.4	34.7	49.8	8.1	30.3
2	15–59 वर्ष	71.4	14.0	44.3	72.1	19.1	47.8	71.7	15.7	45.5	74.2	14.4	45.3	75.2	21.3	50.7	74.6	16.8	47.3
3	15 वर्ष या अधिक	67.2	12.8	41.0	67.5	16.8	43.8	67.3	14.1	41.9	69.1	12.7	41.4	68.9	18.5	45.5	69.0	14.7	42.9
4	सभी उम्र	**48.3**	**9.4**	**29.8**	**51.9**	**13.2**	**34.0**	**49.5**	**10.6**	**31.1**	**50.1**	**9.6**	**30.7**	**52.5**	**14.1**	**34.8**	**51.0**	**11.2**	**32.1**
		भारत									भारत								
1	15–29 वर्ष	49.1	13.6	31.7	47.6	12.7	30.9	48.6	13.3	31.5	52.5	18.6	35.9	47.7	15.2	32.1	51.0	17.6	34.7
2	15–59 वर्ष	75.8	27.2	51.5	73.7	20.2	47.5	75.1	25.0	50.3	77.5	34.4	55.9	75.1	23.3	49.6	76.7	30.9	53.9
3	15 वर्ष या अधिक	72.2	25.5	48.9	68.6	18.4	43.9	71.0	23.3	47.3	74.4	32.2	53.3	69.9	21.3	45.8	73.0	28.7	50.9
4	सभी उम्र	**52.1**	**19.0**	**35.8**	**52.7**	**14.5**	**34.1**	**52.3**	**17.6**	**35.3**	**53.8**	**24.0**	**39.2**	**54.1**	**16.8**	**35.9**	**53.9**	**21.8**	**38.2**

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2018–19 और 2019–20

10.3.3 बेरोजगारी दर

बेरोजगारी दर (यू.आर.) को श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे पी.एल.एफ.एस. सर्वेक्षणों में सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) और साप्ताहिक स्थिति के संदर्भ में मापा जाता है जिसे सारणी 10.4 में दर्शाया गया है। यह श्रम बल के उस हिस्से को दर्शाता है जो सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं या उपलब्ध हैं । आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2020–21 के अनुसार सभी राज्यों और अखिल भारत में सामान्य स्थिति (पी.एस+एस.एस.) के तहत हिमाचल में बेरोजगारी दर 3.7 प्रतिशत (सबसे कम) है, जबकि अखिल भारतीय 4.8 प्रतिशत, उत्तराखंड 7.1 प्रतिशत, पंजाब 7.4 प्रतिशत, हरियाणा 6.5 प्रतिशत है (चित्र 10.2)

चित्र 10.2: बेरोजगारी दर (यू.आर.) सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) के अनुसार सभी आयु के व्यक्तियों के लिए प्रतिशत में

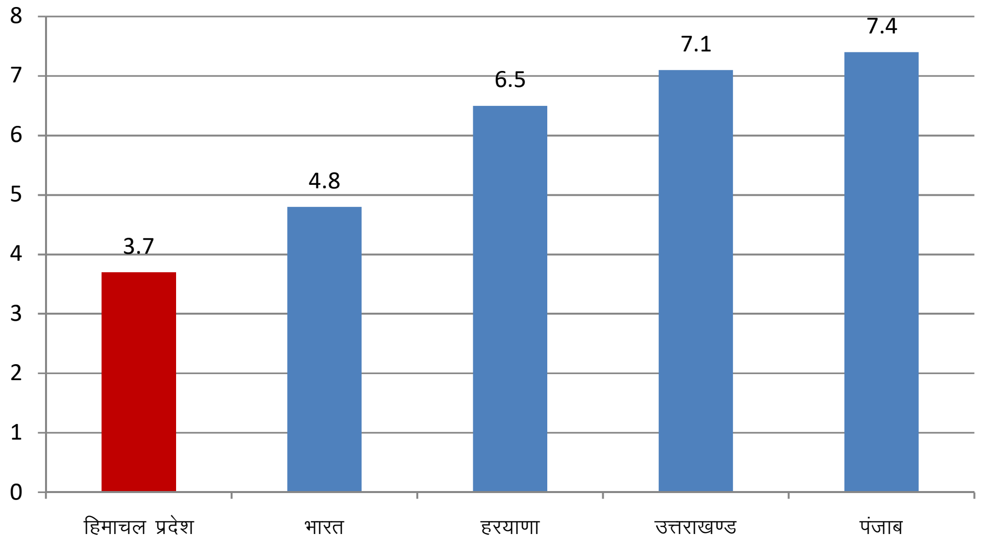

हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 2018–19 में 5.2 प्रतिशत से घटकर 2019–20 में 3.7 प्रतिशत हो गई है। सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर पुरुषों के बीच 4.4 प्रतिशत और महिलाओं में 2.3 प्रतिशत थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में यह दर 4.1 प्रतिशत और महिलाओं में 9.7 प्रतिशत थी। (सारणी 10.4)

सारणी 10.4: हिमाचल, पड़ोसी राज्यों और अखिल भारतीय के लिए सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) के अनुसार बेरोजगारी दर (यू.आर.) (प्रतिशत में)

क्रम संख्या	आयु के अनुसार समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी		
		पी.एल.एफ.एस.(2018–19)								
		पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति
		हिमाचल प्रदेश								
1	15–29 वर्ष	20.7	15.9	18.6	15.2	32.2	19.6	20.0	17.0	18.8
2	15–59 वर्ष	6.1	4.8	5.5	6.9	15.7	9.3	6.2	5.4	5.8
3	15 वर्ष या अधिक	5.3	4.3	4.8	6.5	14.9	8.8	5.4	4.8	5.1
4	सभी उम्र	**5.3**	**4.3**	**4.8**	**6.5**	**14.9**	**8.8**	**5.4**	**4.8**	**5.2**
		उत्तराखंड								
1	15–29 वर्ष	13.5	41.3	20.6	22.9	55.8	29.2	16.8	45.3	23.5
2	15–59 वर्ष	5.7	14.0	7.8	10.5	30.2	13.8	7.2	17.5	9.5
3	15 वर्ष या अधिक	5.2	13.3	7.1	10.2	30.2	13.4	6.7	16.8	8.9
4	सभी उम्र	**5.3**	**13.3**	**7.2**	**10.2**	**30.0**	**13.4**	**6.7**	**16.8**	**8.9**
		पंजाब								
1	15–29 वर्ष	21.3	34.3	23.4	15.7	25.2	17.5	19.0	30.2	21.0
2	15–59 वर्ष	8.3	8.9	8.4	6.4	11.8	7.4	7.5	10.0	8.0
3	15 वर्ष या अधिक	7.6	8.3	7.7	6.0	11.3	7.0	6.9	9.4	7.4
4	सभी उम्र	**7.6**	**8.3**	**7.7**	**6.1**	**11.3**	**7.0**	**7.0**	**9.4**	**7.4**
		हरियाणा								
1	15–29 वर्ष	25.3	22.9	25.1	15.9	19.4	16.5	22.2	21.2	22.1
2	15–59 वर्ष	10.7	7.3	10.2	9.0	9.0	9.0	10.1	8.0	9.8
3	15 वर्ष या अधिक	10.0	6.7	9.6	8.7	8.9	8.7	9.6	7.6	9.3
4	सभी उम्र	**10.0**	**6.7**	**9.5**	**8.6**	**8.9**	**8.7**	**9.6**	**7.6**	**9.2**
		भारत								
1	15–29 वर्ष	16.6	13.8	16.0	18.7	25.7	20.2	17.2	17.7	17.3
2	15–59 वर्ष	6.0	3.8	5.4	7.4	10.3	8.0	6.5	5.5	6.2
3	15 वर्ष या अधिक	5.5	3.5	5.0	7.0	9.8	7.6	6.0	5.1	5.8
4	सभी उम्र	**5.6**	**3.5**	**5.0**	**7.1**	**9.9**	**7.7**	**6.0**	**5.2**	**5.8**

क्रम संख्या	आयु के अनुसार समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी		
		पी.एल.एफ.एस.(2019–20)								
		पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति
		हिमाचल प्रदेश								
1	15–29 वर्ष	15.5	8.8	12.6	12.0	25.8	15.9	15.0	10.3	13.0
2	15–59 वर्ष	5.2	2.6	3.9	4.4	10.2	6.3	5.1	3.2	4.2
3	15 वर्ष या अधिक	4.5	2.3	3.4	4.1	9.7	5.9	4.4	2.8	3.7
4	सभी उम्र	**4.4**	**2.3**	**3.4**	**4.1**	**9.7**	**5.9**	**4.4**	**2.8**	**3.7**
		उत्तराखंड								
1	15–29 वर्ष	21.1	13.8	19.1	18.1	32.5	21.3	20.3	17.9	19.7
2	15–59 वर्ष	8.7	4.2	7.2	7.9	15.5	9.4	8.5	6.0	7.7
3	15 वर्ष या अधिक	7.9	3.9	6.5	7.6	15.5	9.1	7.8	5.6	7.1
4	सभी उम्र	**7.8**	**3.9**	**6.5**	**7.6**	**15.5**	**9.1**	**7.8**	**5.6**	**7.1**
		पंजाब								
1	15–29 वर्ष	18.1	17.2	17.9	18.8	24.3	20.1	18.4	19.7	18.7
2	15–59 वर्ष	8.1	6.5	7.7	6.9	12.0	8.0	7.6	8.4	7.8
3	15 वर्ष या अधिक	7.4	6.1	7.1	6.5	11.7	7.5	7.1	8.0	7.3
4	सभी उम्र	**7.4**	**6.4**	**7.2**	**6.6**	**11.6**	**7.7**	**7.1**	**8.2**	**7.4**
		हरियाणा								
1	15–29 वर्ष	18.1	20.5	18.4	14.6	24.0	16.3	16.8	22.4	17.6
2	15–59 वर्ष	6.9	5.2	6.7	6.2	8.5	6.7	6.6	6.7	6.7
3	15 वर्ष या अधिक	6.5	4.9	6.3	6.0	8.4	6.5	6.3	6.5	6.4
4	सभी उम्र	**6.8**	**4.9**	**6.5**	**6.0**	**8.4**	**6.5**	**6.5**	**6.5**	**6.5**
		भारत								
1	15–29 वर्ष	13.8	10.3	12.9	18.2	24.9	19.9	15.1	14.6	15.0
2	15–59 वर्ष	5.0	2.8	4.3	6.8	9.4	7.4	5.5	4.5	5.2
3	15 वर्ष या अधिक	4.5	2.6	3.9	6.4	8.9	6.9	5.0	4.2	4.8
4	सभी उम्र	**4.5**	**2.6**	**4.0**	**6.4**	**8.9**	**7.0**	**5.1**	**4.2**	**4.8**

स्रोत : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2018–19 और 2019–20

सारणी 10.5: प्रमुख श्रम बल संकेतकों के आंकलन की विधि नीचे दी गई है

गतिविधि प्रोफाइल	प्रमुख श्रम बल संकेतक
श्रमिक	• श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.)= कार्यरत व्यक्तियों की संख्या + बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या / कुल जनसंख्या × 100
	• श्रमिक जनसंख्या अनुपात(डब्ल्यू.पी.आर.)= नियोजित व्यक्तियों की संख्या / कुल जनसंख्या × 100
बेरोजगार	• आनुपातिक बेरोजगार (पी.यु.)= बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या /कुल जनसंख्या × 100
श्रम बल में नहीं	• बेरोजगारी दर (यू.आर.)= बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या / नियोजित व्यक्तियों की संख्या + बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या / कुल जनसंख्या × 100

चित्र 10.3: पी.एल.एफ.एस. (2018–19) और पी.एल.एफ.एस. (2019–20) के दौरान सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) के अनुसार बेरोजगारी दर (प्रतिशत)

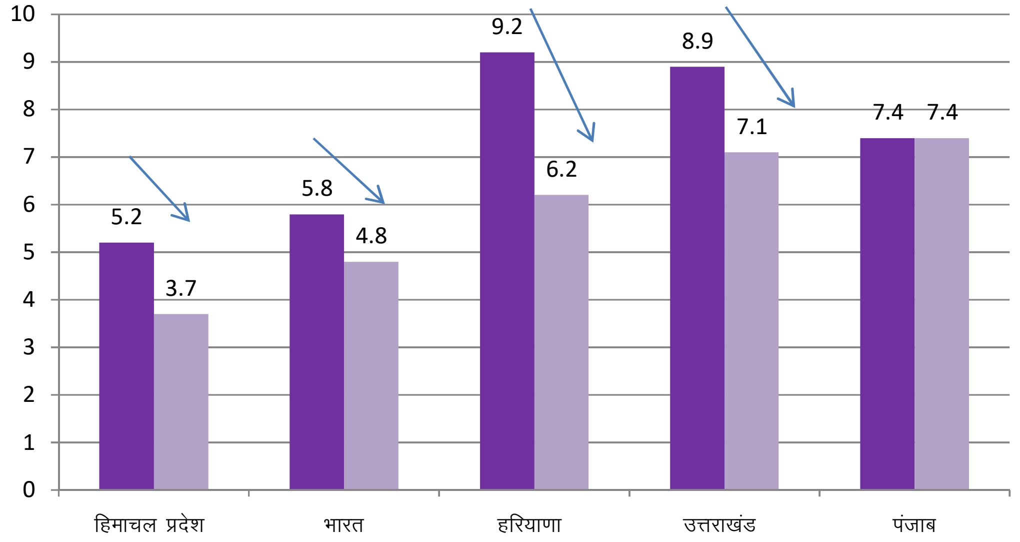

स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2018–19 और 2019–20

ऊर्जा

11
अध्याय

11.1 परिचय

ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी होती है। यह आधुनिक दुनिया की लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण निवेश (इनपुट) है। हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा के पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोत जैसे कि पनबिजली, सौर और ईंधन की लकड़ी मौजूद हैं।

हिमाचल प्रदेश को एक पहाड़ी राज्य होने के नाते जल विद्युत शक्ति के दोहन मामले में प्रकृति से भरपूर आर्शीवाद मिला है। राज्य में जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं है इसे देश के पनबिजली हब के रूप में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों में उत्प्रेरक की भूमिका स्वीकार्यता के साथ–साथ विद्युत राजस्व अर्जन, रोजगार के अवसर बढ़ाने व लोगों के रहन–सहन के स्तर व जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रदेश ने जल विद्युत क्षेत्र में कुल 27,436 मैगावाट क्षमता का आंकलन किया है। परन्तु इसमें से 24,567 मैगावाट को ही दोहन योग्य पाया है, शेष क्षमता को पर्यावरण को बचाने, पारिस्थितिक संतुलन एवं विभिन्न सामाजिक कारणों से त्याग कर दिया गया है। राज्य जल विद्युत के विकास को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से गति प्रदान हो रही है। राज्य में ऊर्जा का उत्पादन व खपत सारणी 11.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 11.1: बिजली का उत्पादन और खपत (मिलियन यूनिट)

क्रम संख्या	मद	2020–21	2021–22 (दिसंबर 2021 तक)
1	बिजली का उत्पादन	1961.134	1903.395
2	बी.बी.एम.बी. और अन्य से खरीदी गई बिजली	11845.767	9458.06
3	राज्य के भीतर कुल बिजली की खपत		
(क)	घरेलू	2356.535	1736.710
(ख)	गैर–घरेलू गैर–वाणिज्यिक	124.648	89.499
(ग)	वाणिज्यिक	518.424	432.130
(घ)	औद्योगिक	4769.451	4462.723
(ण)	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	10.479	7.925
(च)	कृषि	72.639	69.716
(छ)	थोक और विविध	133.310	95.654
(ज)	सरकारी सिंचाई और जलापूर्ति योजना	602.924	486.901
(झ)	अस्थायी आपूर्ति	46.897	41.267
	कुल (3)	8635.308	7422.524
4	राज्य के बाहर बेची गई ऊर्जा	3431.31	2677.10
	कुल खपत/बिक्री	**12066.618**	**10099.624**

11.2 ऊर्जा निदेशालय

वर्ष 2009 के दौरान एक स्वतंत्र ऊर्जा निदेशालय बनाया गया था, इससे पहले यह हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का एक हिस्सा था। ऊर्जा निदेशालय बहुउद्देश्यीय परियोजना विभाग (एम.पी.पी.) और हिमाचल प्रदेश की बिजली सरकार (जी.ओ.एच.पी.) का नोडल कार्यालय है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य के बिजली क्षेत्र की सभी बिजली उपयोगिताओं के बीच प्रभावी और त्वरित समन्वय के लिए काम करता है। यह 5 मेगावाट क्षमता से ऊपर जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन की देखभाल करता है। **ऊर्जा निदेशालय** कार्यों में 5 मेगावाट से ऊपर जल विद्युत परियोजनाओं की निगरानी, तकनीकी आर्थिक मंजूरी (टी.ई.सी.), जल विद्युत सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे, स्थानीय क्षेत्र का प्रबंधन विकास निधि, गुणवत्ता नियंत्रण, बिजली प्रवाह का प्रबंधन, विभिन्न केंद्रीय, राज्य और निजी जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त बिजली हिस्सेदारी की बिक्री, राज्य में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों का कार्यान्वयन और बांध सुरक्षा संगठन की क्षमता में सभी बड़े बांधों के लिए सुरक्षा पहलू शामिल हैं।

11.2.1 प्रमुख उपलब्धियां

ऊर्जा निदेशालय की प्रमुख उपलब्धियां 438.4 मेगावाट की कुल क्षमता वाली परियोजनाओं को पूरा करना है। 233.4 मेगावाट की कुल क्षमता वाली पहली 6 परियोजनाओं को 01.04.2021 से 31.12.2021 के दौरान चालू किया गया है और 205 मेगावाट की कुल क्षमता वाली अंतिम 2 परियोजनाओं के 01.01.2022 से 31.03.2022 के दौरान चालू होने की संभावना है (सारणी 11.2)।

सारणी 11.2: जल विद्युत परियोजनाओं में क्षमता वृद्धि (मेगावाट में)

क्रमांक	परियोजना का नाम	क्षमता मेगावाट में	जिला	बेसिन
1	चांजू – 2	13.2	चंबा	रावी
2	सोरंग	100	किन्नौर	सतलुज
3	करेरी	4.80	शिमला	सतलुज
4	सावरा कुड्डू	111	शिमला	यमुना
5	जेल	2.4	कुल्लू	ब्यास
6	मनिहार	2	कुल्लू	ब्यास
7	बजोली होली	180	चंबा	रावी
8	लम्बादुग	25	कांगड़ा	ब्यास

- 3.25 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 7 परियोजनाओं को 01/04/2021 और 31.12.2021 के बीच चालू किया गया; जबकि, 0.90 मेगावाट सौर ऊर्जा की दो परियोजनाओं को 01.01.2022 और 31.03.2022 के बीच चालू होने की संभावना है।
- 2020–21 में क्षमता वृद्धि शुल्क/अपफ्रंट प्रीमियम की वसूली ₹ 218.055 लाख थी।
- 1.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान, परियोजना प्रभावित परिवारों को आगे संवितरण के लिए विभिन्न उपायुक्तों/स्थानीय क्षेत्र विकास समितियों को ₹41.16 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं।
- राज्य की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति–2021 में पूर्ण ऊर्जा क्षमता विशेष रूप से हाइड्रो और सोलर के माध्यम से स्वच्छ और हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है। 2030 तक पनबिजली, सौर और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 10000 मेगावाट अतिरिक्त हरित ऊर्जा जोड़ने के लिए, हरित ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विकास, राज्य, संयुक्त, केंद्रीय और निजी क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से एक चौतरफा रणनीति पर जोर देती है। ऊर्जा नीति–2021 का उद्देश्य पनबिजली और सौर परियोजनाओं की योजना और समय पर निष्पादन की सुविधा के लिए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान बनाकर राज्य में पर्याप्त और कुशल ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करना है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भी बल देती है जैसे सौर, पवन, बायोमास और अन्य गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
- 31 दिसंबर 2021 तक हिमाचल प्रदेश के हिस्से की बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व ₹936.70 करोड़ है और जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 तक अनुमानित राजस्व ₹77.00 करोड़ है।

11.3 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड

एच.पी.एस.ई.बी.एल. हिमाचल प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। राज्य में बिछाए गए ट्रांसमिशन, सब–ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के नेटवर्क के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। अपनी स्थापना के बाद से, बोर्ड ने इसे सौंपे गए लक्ष्यों को निष्पादित करने में अभूतपूर्व प्रगति की है जो सारणी 11.3 में दिया गया है।

सारणी 11.3: एच.पी.एस.ई.बी.एल. के पावर हाउसों से बिजली का जिलावार उत्पादन(एम.यू.में)

जिले का नाम		2020–21	2021–22 (दिसंबर, 2021 तक)
1	बिलासपुर	–	–
2	चंबा	6.68	10.18
2	हमीरपुर	–	–
3	कांगड़ा	168.30	132.75
4	किन्नौर	487.67	602.36
5	कुल्लू	616.21	506.84
6	लाहुल–स्पीति	8.16	7.11
7	मंडी	304.40	275.83
8	शिमला	205.00	207.88
9	सिरमौर	164.71	160.94
10	सोलन	–	–
11	ऊना	–	–
कुल		1961.13	1903.39

सारणी 11.4: केन्द्रीय प्रायोजित और विभागीय योजनाएं

क. सं.	योजनाएं	स्थिति
1.	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)	ग्रामीण परिवारों के विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार ने 2014 में यह योजना शुरू की थी। नौ जिलों का काम पूरा हो गया है। अब तक, भारत सरकार/राज्य का कुल अंशदान/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण ₹127.23 करोड़ है और इसका उपयोग किया जा चुका है।
2.	एकीकृत बिजली विकास योजना (IPDS)	भारत सरकार ने ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने और कुशल मापन के लिए 2014 में शहरी क्षेत्रों के लिए यह योजना शुरू की थी। सभी 12 आई.पी.डी.एस. सर्किलों में काम पूरा कर लिया गया है।
3	पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आर.डी.एस.एस.)	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने "पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी योजना" शुरू की है। इस योजना के दो भाग हैं जिनमें मीटरिंग, वितरण अवसंरचना कार्य, परियोजना प्रबंधन और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल हैं।
4	हिमाचल जल विद्युत और नवीकरणीय विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	इसे केंद्र स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा 20.05.2020 को आयोजित अपनी 106 वीं बैठक में 200 मिलियन अमरीकी डालर (यानी लगभग ₹1,500 करोड़) की ऋण सहायता के लिए बाहरी

		सहायता प्राप्त विश्व बैंक परियोजना के लिए राज्य इक्विटी के साथ सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया है। परियोजना की कुल लागत लगभग ₹1,800 करोड़ रुपये होगी जिसमें से एच.पी.एस.ई.बी.एल. की हिस्सेदारी ₹600 करोड़ रुपये होगी। इस परियोजना के तहत स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाएगा।
5	राज्य के कम वोल्टेज क्षेत्रों में एस.आई. योजना	प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान ₹158 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है। इस योजना के स्वीकृत 31 दिसंबर, 2021 तक 919 डायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन रेटिंग (डी.टी. आर), 574.99 किमी हाई टेंशन (एच.टी.) लाइन और 366.646 कि.मी. लो टेंशन (एल.टी) लाइनें स्थापित की गई हैं।
6	मुख्यमंत्री रोशनी योजना	इस योजना की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री ने 2019–20 के बजट भाषण में राज्य के गरीब परिवारों को 17,550 बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए की थी। वर्ष 2019–20 में 4,898 तथा 2020–21 के दौरान 6,186 परिवारों को लाभान्वित किया गया है और 2021–22 के लिए 1,748 पात्र परिवारों को 31.12.2021 तक लाभान्वित किया गया है।
7	एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) प्रोजेक्ट	13,500 कर्मचारियों के वेतन, 14,400 के पेंशन और 11,000 कर्मचारियों के जी.पी.एफ को एस.ए.पी.ई.आर.पी. सिस्टम के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है।
8	आई.टी. पहल	एच.पी.एस.ई.बी.एल. के ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल सब–डिवीजनों की विभिन्न गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण वर्ष 2006–07 में शुरू किया गया था। एस.ए. पी.–आई.एस.यू. बिलिंग को जनवरी, 2020 से नवंबर 2022 तक 45 इलेक्ट्रिकल सब डिवीजनों में लागू किया गया था। सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स–यूटिलिटीज के लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन (एस.ए.पी.–आई. एस.यू.) आधारित कम्प्यूटरीकृत बिलिंग स्टैंड एच.पी.एस.ई.बी.एल. के सभी 238 ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल सब–डिवीजनों में लागू किया गया।

एच.पी.एस.ई.बी.एल. द्वारा निम्नलिखित पहलें भी शुरू की गई हैं:–

- एच.पी.एस.ई.बी.एल. ने हिमाचल प्रदेश के शिमला और धर्मशाला कस्बों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों शहरों में 1,51,740 स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, जिसमें शिमला में 1,18,581 और धर्मशाला में 33,159 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। कुल परियोजना लागत ₹168.35 करोड़ रुपए है। 31.12.2021 तक शिमला में 20,365 और धर्मशाला में 14,438 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

- बिजली के बुनियादी ढांचे और उपभोक्ताओं की जी.आई.एस./जी.पी.एस. मैपिंग को बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया गया है ताकि समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (ए.टी. एवं सी.) नुकसान की गणना की जा सके।

- उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए, एच.पी.एस.ई.बी.एल. आई.वी.आर.एस. (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम) सुविधा कंप्यूटर टेलीफोनी के साथ नया उपभोक्ता कॉल सेंटर स्थापित कर रहा है। कॉल सेंटर सॉल्यूशन का कार्यान्वयन प्रगति पर है और

फर्म को पहले ही काम सौंपा जा चुका है। इसके अलावा उपभोक्ता कॉल सेंटर को सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पादों के साथ एकीकृत किया जाएगा – उपभोक्ता संबंधित डेटा को एक स्क्रीन में देखने के लिए उपयोगिताओं के लिए उद्योग विशिष्ट समाधान ग्राहक संबंध प्रबंधन (एस.ए.पी.–आई.एस.यू. सी.आर.एम.) प्रणाली विकसित की जाएगी, ताकि शिकायत लॉगिंग और उपभोक्ता डेटा एक स्थान पर संग्रहीत किया जा सके और कॉल सेंटर एजेंट आसानी से सक्षम हो सकें ताकि वे प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सकें।

11.3.1 पनबिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन

i. पनबिजली उत्पादन

एच.पी.एस.ई.बी.एल. में 489.35 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 27 पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं। एच.पी.एस.ई.बी.एल. की सहायक कंपनी बी.वी.पी.सी.एल. द्वारा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उहल स्टेज–III (100 मेगावाट) निर्माणाधीन है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, एच.पी.एस.ई.बी.एल. के अपने बिजली घरों द्वारा 1,961.13 एम.यू. अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन हुआ है और वर्ष 2021–22 (दिसंबर 2022 तक) 1903.39 एम.यू. ऊर्जा का उत्पादन होने की उम्मीद है।

ii. ट्रांसमिशन

एच.पी.एस.ई.बी.एल. की ट्रांसमिशन विंग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 तक 4,974.89 एम.बी.ए. और 3,630.47 सी.के.एम. किलोमीटर ई.एच.वी. की परिवर्तन क्षमता के साथ 54 ई.एच.वी. सब–स्टेशन स्थापित किए हैं। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 1.39 सी.के.एम. किलोमीटर ई.एच.वी. लाइनों को चालू कर दिया गया है।

सारणी 11.5: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड के तहत नई जल विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
1	साईं कोठी स्टेज– 1, 2 और देवी कोठी और हेल	67	इन परियोजनाओं के लिए एफ.आर.ए. सहित सभी एन.ओ.सी. प्राप्त कर ली गई है। सैकोठी–I के लिए एफसीए चरण–I अनुमोदन प्रदान किया गया है, जबकि शेष परियोजनाओं के मामले लंबित हैं।
2	रायसन, न्यू नोगली, टिक्कर और कुठार	18, 11, 5, 5	परियोजना की डी.पी.आर. तकनीकी आर्थिक मंजूरी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को जमा कर दी गई है। विभिन्न विभागों, ग्राम पंचायतों, एफ.आर.ए. और एफ.सी.ए. से एन.ओ.सी. प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

11.4 हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटिड (एच.पी.पी.सी.एल.)

हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटिड (एच.पी.पी.सी.एल.) को पनबिजली के सभी पहलुओं के विकास की योजना बनाने, बढ़ावा देने और व्यवस्थित करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दिसंबर 2006 में शामिल किया गया था। एच.पी.पी.सी.एल. अन्य उत्पादन कंपनियों जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटिड (एन.टी.पी.सी.)/सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटिड (एस.जे.वी.एन.एल.)/नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) के बराबर तकनीकी और संगठनात्मक क्षमताएं रखता है।

11.4.1 संचालन/निष्पादन चरण के तहत परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

- प्रारंभिक अध्ययन में तकनीकी व्यावसायिक दृष्टिकोण से त्रिवेणी महादेव एच.ई.पी. (78 मेगावाट) का प्रस्ताव व्यवहार्य पाया गया है, इसलिए हि.प्र.पॉ.का.लि. हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटिड के साथ मिलकर इस परियोजना की डी.पी.आर. तैयार कर रहा है।
- जिला किन्नौर में कशंग स्टेज–IV (48 मेगावाट) तथा बारा खंबा (45 मेगावाट) की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जांच कार्यों की अनुमति प्राप्त करने के लिए जिस्पा बांध परियोजना (300 मेगावाट) के लिए अनुरोध किया गया है। टी.ओ.आर. जारी होने के उपरान्त निविदा निकाली जाएगी।
- जिला किन्नौर में बड़ा खंबा एच.ई.पी. (45 मेगावाट) एच.पी.एस.ई.बी.एल. के साथ संयुक्त रूप से डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।

सारणी 11.6: परियोजनाओं की कार्यप्रणाली एवं कार्यान्वयन

क. सं	परियोजनाएं	क्षमता मै.वा.	स्थिति
1.	एकीकृत कशांग	243	यह सतलुज के कशांग और केरंग धाराओं के विकास की परिकल्पना करता है। चालू होने की तिथि से 31.12.2021 तक परियोजना से 781.53 एमयू उत्पादन हुआ है और 31.03. 2022 तक उत्पादन का लक्ष्य 793.53 एम.यू. है। काशांग (स्टेज–1) हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एच.ई.पी) ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बिजली के 185 एम.यू. के उत्पादन लक्ष्य और बिक्री के मुकाबले 194.91 मिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ और 72.28 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।
2.	सैंज	100	सैंज एच.ई.पी. को ई.पी.सी. मोड पर क्रियान्वित किया गया है। सैंज एच.ई.पी. ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 340 एम.यू. के उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले 386.65 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया है और बिजली की बिक्री से ₹146.90 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न हुआ है।
3.	सावरा कुड्डू	111	यह परियोजना 21.01.2021 से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन है। चालू होने की तिथि से 31.12.2021 तक परियोजना से 295.55 एमयू बिजली उत्पादन हुआ है और 31–03–2022 तक उत्पादन का लक्ष्य 335.55 एम.यू. है। सावरा कुड्डू एच.ई.पी. ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 296 एम.यू. के उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले 278.32 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया है और बिजली की बिक्री से ₹ 117.54 करोड़ राजस्व अर्जित किया है।
4.	शोंगटोंग करछम	450	कार्य प्रगति पर है और परियोजना में निर्धारित कार्य शुरू होने की तिथि मार्च, 2025 है।
5.	चांजू एच. ई.पी. और देथल चांजू	48.30	फ्रांसीसी विकास एजेंसी ने इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अपनी सहमति दे दी है। दोनों परियोजनाओं के टेंडर जल्द ही दिए जाने की उम्मीद है। एच.पी.पी.सी.एल. वित्तीय वर्ष 2022–23 की शुरुआत तक दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू कर देगी।
6.	रेणुका जी	40	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी.सी.ई.ए.) ने 15–12–2021 को प्रधान मंत्री किसान सिंचाई योजना– त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पी.एम.के.एस.वाई.–ए.आई.बी.पी.) के तहत परियोजना के वित्तपोषण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। भारत के प्रधान मंत्री ने 27–12–2021 को परियोजना की आधारशिला रखी है।
7.	थाना प्लौन	191	07.09.2021 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा थाना प्लान एच.ई.पी. की तकनीकी आर्थिक मंजूरी (टी.ई.सी.) प्रदान की गई है। के.एफ.डब्ल्यू और पी.एफ.सी. के माध्यम से परियोजना वित्त पोषण प्रक्रिया में है। परियोजना की वित्तीय व्यवस्था मिलते ही परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
8.	सुरगणी सुंडला	48	प्रोजेक्ट फंडिंग का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था और 19.12.2017 को डी.ई.ए. की 78वीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा की गई थी, जिसमें समिति ने उच्च लागत यानी ₹ 768.17 करोड़ (जुलाई 2017 पी.एल.) को देखते हुए परियोजना प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया था। परियोजना की उच्च लागत के कारण तब से डिजाइन की समीक्षा की गई है और अक्टूबर 2019 के स्तर पर लागत को घटाकर ₹581. 86 करोड़ कर दिया गया है।
9.	नकथान	460	नक्थान और तोश दोनों वार्ड द्वारा वन अधिकार के दावे दायर किए गए हैं और एफ.आर. ए. प्रमाणपत्रों के संबंध में मामला विचाराधीन है।
10	किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना	660	मेसर्स किशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 07.01.2022 को किशाऊ एम.पी.पी. की संशोधित, अद्यतन, व्यापक और बैंक योग्य डी.पी.आर. तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं और डी.पी.आर. अपडेशन का काम शुरू हो जाएगा।

11.4.2 विद्युत विकास के अन्य क्षेत्रः

पनबिजली के अलावा, एच.पी. पावर कॉर्पोरेशन राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए सौर जैसे अन्य नवीकरणीय स्रोतों को शामिल करने के लिए अपनी बिजली विकास गतिविधियों में विविधता लाने का इरादा रखता है।

i. बेरा– डोल सौर ऊर्जा परियोजना (5 मेगावाट):
एच.पी.पी.सी.एल. ने जिला बिलासपुर में श्री नैना देवी जी तीर्थ के पास 5 मेगावाट क्षमता की बेर्रा–डोल सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया है। यह राज्य की पहली सौर ऊर्जा परियोजना थी जिसे सरकारी क्षेत्र में बनाया गया था। परियोजना के संचालन की तिथि (04.01.2019) से 31.12.2021 तक परियोजना से 24.69 एम.यू. बिजली उत्पादन हुआ है।

ii. अघ्लोर सौर ऊर्जा परियोजना (10 मेगावाट):
एच.पी.पी.सी.एल. ने ऊना जिले के अघलोर में 10 मेगावाट क्षमता का एक और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। एच.पी.पी.सी.एल. भूमि हस्तांतरण के मामले को उद्योग विभाग के समक्ष रख रहा है।

11.4.3 निर्माणाधीन/कार्यान्वयन चरण के तहत परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय उपलब्धियाः

हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटिड के तहत निर्माण/कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं की उपलब्धियां सारणी 17.2 द्वारा दर्शाई गई हैः–

सारणी 11.7: वित्तीय उपलब्धियां

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बजट 2021-22	व्यय (अप्रैल 2021 से दिसम्बर 2021 तक)	उपयोग %
1	शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना	277.09	104.56	37.74
2	एकीकृत कशांग एच.ई.पी. स्टेज 2 और 3	44.11	16.83	38.15
जोड़		**321.20**	**121.39**	**37.95**

सारणी 11.8: बिजली की बिक्री से राजस्व सृजन

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	31.03.2021 तक बिजली की बिक्री से राजस्व सृजन	बिजली की बिक्री से राजस्व का उत्पादन (01.04.2021 से 31.12.2021 तक)	कुल योग
1	एकीकृत कशांग एच.ई.पी. चरण–1	144.15	72.28	216.43
2	सैंज एच.ई.पी.	421.70	146.90	568.60
3	सावरा कुड्डू एच.ई.पी.	7.33	117.54	124.87
4	बर्रा डोल सौर परियोजना	7.95	2.68	10.63
	कुल	**581.13**	**339.40**	**920.53**

एच.पी.पी.सी.एल. ने दिसंबर, 2021 तक कुल ₹ 920.53 करोड़ का राजस्व अर्जित किया था, जिसमें से 31.03.2021 तक ₹ 581.13 करोड़ और 01.04.2021 से 31.12.2021 के दौरान ₹ 339.40 करोड़ अर्जित किए गए थे।

11.5 हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटिड

यह कार्पोरेशन और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक सरकारी उपक्रम है। इसका उद्देश्य प्रदेश के विद्युत संचार प्रणाली को मजबूत करने तथा भविष्य में बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को विद्युत संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा निगम को सौंपे गए कार्यों में मुख्यतः प्रदेश में बनने वाली सभी नई 66 के.वी. की क्षमता से ऊपर की लाईनों व विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण करने के साथ–साथ विद्युत वोल्टेज में सुधार, वर्तमान संचार ढांचे में सम्बर्धन व मजबूती प्रदान करने तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों व संचार लाईनों का निर्माण करते हुए प्रदेश के मास्टर संचार प्लान को लागू करना सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त निगम को राज्य में ट्रांसमिशन यूटीलिटी का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है जिसके अन्तर्गत संचार व समन्वय से जुड़े सभी मुद्दों पर सैन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, केन्द्रीय व राज्य के ऊर्जा मंत्रालयों तथा हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से समन्वय रखने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त निगम की जिम्मेदारी आई.पी.पी. सी.पी.एस.यू., राज्य के सार्वजनिक उपक्रम, हि.प्र. पॉवर कार्पोरेशन लिमिटिड व अन्य केन्द्र व राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादक इकाईयों के लिए संचार व सम्नवय से जुड़ी योजना बनाना भी सम्मिलित है। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के पावर सिस्टम मास्टर प्लान (पी.एस.एम.पी.) में शामिल ट्रांसमिशन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने की मंजूरी दे दी है। प्राप्त ऋण को क्रमशः ट्रेंच I, II और III में विभाजित किया गया था। इन तीनों ट्रेंच का कार्य सफलतापूर्वक 29.09.2021 तक कर लिया गया है। सारणी 11.9 जी.ई.सी.–1 के तहत एच.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करती है।

सारणी 11.9: वित्त वर्ष 2020–21 तक कमीशन की गई परियोजनाएं

क्र.सं.	कार्य	एम.वी.ए.	सीकेटी कि.मी.	लागत (₹ करोड़ में)
1	220/66/22 के.वी., भोक्टू में सब–स्टेशन	31.5		32
2	400/220/66 के.वी., वांगटू में सब–स्टेशन	830		363
3	220/400 के.वी., 1x315 एम.वी.ए. प्रगतिनगर में सब स्टेशन	315		161
4	33/132 के.वी., पंडोह में सब–स्टेशन	31.5		36
5	33/132 के.वी., चंबि में सब–स्टेशन	63		45
6	लिलो के दोनों परिपथों का 400 के.वी., झाखरी–अब्दुल्लापुर डी/सी लाइन गुम्मा में और 220 के.वी. डी/सी.टी.एल हाटकोटी से गुम्मा तक		58.4	105
	ए.डी.बी. ट्रेंच – 2			
7	66 के.वी. स्विचिंग सब स्टेशन उरनी	0		27
8	33/220/400 के.वी. लाहल सब स्टेशन	693		280
9	220 के.वी. जारोर–बनला टी.एल		36	57
10	220 के.वी. लाहल बुधिल टी.एल		1.9	6
11	132 के.वी. लिलो कांगड़ा–देहरा टी.एल., चंबी में		30	21
	जी.ई.सी. – के.एफ.डब्ल्यू.			
12	132/33 चंबी अतिरिक्त पंडोह एस.एस.	31.5		20
13	400/220 के.वी. अतिरिक्त गुम्मा एस.एस.	315		44
14	220 के.वी. घोंघा–हाटकोटी टी.एल		26.8	26
	घरेलू वित्त पोषण (आर.ई.सी.)			
15	220/33 के.वी. करियन सब स्टेशन	63		52
16	220/33 के.वी. फोजल सब स्टेशन	100		72
17	220 के.वी. करियन–राजेरा टी.एल.		6	11
18	220 के.वी. लिलो फोजल – पातलीकुहल टी.एल		20	17
19	220 के.वी. काशांग – भावा टी.एल		76	87
	कुल	**2473.5**	**255.1**	**1462**

उपरोक्त के अलावा, हरित अक्षय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किफायती प्रेषण प्रणाली विकसित करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारा–1(जी.ई.सी.–1) योजना शुरू की गई है। इस योजना को आंशिक रूप से (40 प्रतिशत) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) से अनुदान के रूप में और आंशिक रूप से (40 प्रतिशत) जर्मन विकास बैंक, केएफडब्ल्यू से कम निश्चित ब्याज दर ऋण के रूप में और शेष इक्विटी से वित्त पोषित किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से वित्तीय सहायता के साथ, एच.पी.पी.टी.सी.एल. ने 5 परियोजनाओं को चालू किया है। इनके पूरा होने से चंबा, कुल्लू और किन्नौर जिलों के मौजूदा राज्य ट्रांसमिशन नेटवर्क में 163 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 102 सी.के.एम. ट्रांसमिशन लाइन जुड़ गई है।

जी.ई.सी.–1 के तहत, एचपीपीटीसीएल ने 10 प्रेषण परियोजनाएं प्रदान की हैं, जिनमें से 3 परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं और शेष 7 परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने से विभिन्न जिलों में 847 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 183.88 सी.के.एम. प्रेषण लाइनें जुड़ जाएंगी।

11.5.1 प्रमुख उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2021–22 में, एच.पी.पी.टी.सी.एल. ने 31 दिसंबर 2021 तक ₹106 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 2 ट्रांसमिशन लाइनें चालू की हैं, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा ट्रांसमिशन नेटवर्क में 73 सर्किट किलोमीटर जुड़ गए हैं। इसके अलावा 205 सर्किट किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 5 ट्रांसमिशन लाइनें और 651.5 एम.वी.ए. की परिवर्तन क्षमता वाले 6 ई. एच.वी. सबस्टेशन पूरे होने पर हैं, जिनका व्यय ₹ 556.25 करोड़ है। वित्त वर्ष 2021–22 में एच. पी.पी.टी.सी.एल. ने 31 दिसंबर, 2021 तक लगभग ₹ 300 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया है और 31 मार्च, 2022 तक ₹ 60.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का लक्ष्य रखा है।

11.6 हिमऊर्जा

हिमऊर्जा ने अक्षय ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने हेतु भरसक प्रयास किए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया गया है। हिमऊर्जा सरकार को राज्य में लघु जल विद्युत (5 मै.वा. तक) के तीव्र दोहन हेतु भी सहायता प्रदान कर रही है। हिमऊर्जा द्वारा कार्यक्रम शुरू किए गए हैंः–

सारणी 11.10: हिमऊर्जा के कार्यक्रम

सौर तापीय और सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम		
क्र.सं.	**कार्यक्रम**	**उपलब्धियां / संभावनाएं**
1	सोलर कुकर	चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2021 तक 29 बॉक्स टाइप/डिश टाइप सोलर कुकर उपलब्ध कराए गए हैं। मार्च 2022 तक 50 बॉक्स टाइप/डिश टाइप सोलर कुकर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
2	सौर जल तापन प्रणाली	2021–22 में दिसंबर 2021 तक 63,700 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। मार्च 2022 तक 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
3	एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम	2021–22 में, दिसंबर, 2021 तक 16,278 एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। मार्च 2022 तक 20,000 एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम का लक्ष्य अनुमानित है।
4	एस.पी.वी. घरेलू लाइट	2021–22 में दिसंबर, 2021 तक 1,698 सोलर होम लाइटिंग सिस्टम वितरित किए गए हैं और मार्च, 2022 तक अनुमानित संचयी उपलब्धि लगभग 5,000 होगी।

11.6.1 सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्र/परियोजनाएं

हिमऊर्जा पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर निम्न प्रकार के बिजली संयंत्र भी चलाता है।

सारणी 11.11: हिमऊर्जा के सौर ऊर्जा सयंत्र

क्र. सं.	सौर ऊर्जा संयंत्र	
	संयंत्र	उपलब्धियां
1.	ऑफ–ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र	2021–22 में, 232.00 के.डब्ल्यू.पी. क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को दिसंबर, 2021 तक चालू किया गया है। मार्च 2022 तक 500 के.डब्ल्यू.पी. क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों का लक्ष्य अनुमानित किया गया है। इसके अतिरिक्त, चंबा जिले के पांगी घाटी के सुदूर और आदिवासी क्षेत्र में 1,162 बी.पी.एल. परिवारों को 250 वाट क्षमता (प्रत्येक घर) के सौर ऑफ–ग्रिड बिजली संयंत्र प्रदान किए गए हैं। साथ ही, 250 वाट क्षमता के 533 ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र प्रत्येक को राज्य के अन्य जनजातीय क्षेत्रों में वितरित किए गए है।
2.	ग्रिड से जुड़े सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट	दिसंबर, 2021 तक 0.709 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को चालू कर दिया गया है और मार्च 2022 तक अनुमानित उपलब्धि लगभग 1.00 मेगावाट होगी।
3.	ग्राउंड माउंटेड ग्रिड– कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स	5.90 मेगावाट क्षमता की 250 से 500 के.डब्ल्यू.पी. तक की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं को दिसंबर, 2021 तक चालू किया गया है। 10.00 मेगावाट की संचयी उपलब्धि भी मार्च 2022 तक अनुमानित है।

11.6.2 निजी क्षेत्र की सहभागिता से निष्पादित की जा रही 5 मैगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाएं

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, दिसंबर, 2021 तक, 4.80 मेगावाट क्षमता को चालू कर दिया गया है और मार्च, 2022 तक 9.80 मेगावाट की स्थापित क्षमता होने का अनुमान है।

आवंटित परियोजनाओं बारे आरम्भ से लेकर दिसम्बर, 2021 तक की स्थिति का 5 मेगावाट क्षमता तक का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

सारणी 11.12: हिमऊर्जा की लघु जल विद्युत परियोजनाएं

परियोजनाएं (निजी)	संख्या	क्षमता (मै0वा0)
कुल आंवटित परियोजनाएं (अस्तित्व में)	743	1786.49
क) कार्यान्वयन समझौते चरण पर	296	873.75
• स्थापित	91	334.25
• निर्माणाधीन	35	109.69
• हस्ताक्षरित जो अभी शुरू होनी हैं	170	429.81
ख) पूर्व–कार्यान्वयन समझौता चरण	447	912.74
आवंटित परियोजनाओं की संख्या	55	5.5

11.6.3 हिमऊर्जा द्वारा निष्पादित की जा रही लघु 100 कि.वा. और राज्य क्षेत्र के तहत जलविद्युत परियोजनाएं:

राज्य क्षेत्र के तहत दिसंबर, 2021 तक 32.24 मेगावाट क्षमता की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। 12 परियोजनाओं में से 4 को चालू किया गया था, 3 को बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के आधार पर आबंटित किया गया और 5 परियोजनायें पूर्व–कार्यान्वयन समझौते के स्तर पर हैं।

11.6.4 महत्वपूर्ण नीतिगत पहल:

- हाइड्रो पावर पॉलिसी में संशोधन।
- निःशुल्क बिजली रॉयल्टी का पुनर्गठन करना।
- 10 मेगावाट तक की परियोजनाओं के एच.पी.एस.ई.बी.एल. द्वारा बिजली की अनिवार्य खरीद का प्रावधान किया गया।
- टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया।
- 25 मैगावाट तक की परियोजनाओं के लिए ओपन एक्सेस के लिए अतिरिक्त शुल्क में छूट प्रदान की गई।
- औद्योगिक इकाइयों के ही उपयोग के लिए 10 मैगावाट तक की परियोजनाओं का आवंटन किया गया।
- अग्रिम प्रीमियम और क्षमता वृद्धि शुल्क में कमी की गई।
- सरकार/वन भूमि के लिए नाम मात्र शुल्क का प्रावधान किया गया।
- परियोजना डेवलपर्स के लिए एक बार छूट प्रदान की गई है जो उन परियोजनाओं की शून्य तिथि को फिर से परिभाषित करती है जोकि जांच और अनुमोदन स्तर पर है और कार्यान्वयन समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। निर्माण चरण पर चल रही परियोजनाओं के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन तिथि (एस.सी.ओ.डी.) को फिर से परिभाषित किया गया हैं।

पर्यटन और परिवहन

12
अध्याय

12.1 पर्यटन

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की राज्य के आर्थिक विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान बनी है। क्योंकि पर्यटन को भविष्य में आर्थिक विकास के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा रहा है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (एस.जी.डी.पी.) में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 7 फीसदी है जोकि काफी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश एक पर्यटक स्थल है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। हालांकि, वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी से अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा। कोविड–19 महामारी से उभरने के बाद राज्य 52 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम रहा।

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने 4,011 पर्यटन इकाइयों, 828 रेस्तरां, 4,400 ट्रेवल एजेंट और लगभग 2,934 होम स्टे को पंजीकृत किया है।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के लिए बुनियादी ढ़ांचा विकास निवेश कार्यक्रम के तहत एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) की सहायता से विभाग ने नई परियोजना यू.एस. $ 291.04 मिलियन (ए.डी. बी.यू.एस $ 233.00 मिलियन सहायतार्थ) का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा था, जो कि भारत सरकार के आर्थिक मामलों, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है। ट्रांच–1 के अर्न्तगत नई परियोजनाओं की डी.पी.आर. बनाने के लिए सलाहकारों का चयन कर दिया गया है। नई परियोजना में दो चरण होंगे। इन परियोजनाओं के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे से पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी और राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और राज्य प्रति आगुंतक के खर्च और ठहरने की अवधि को बढ़ाने की क्षमता रखता है।

12.2 ब्याज सबवैंशन (अनुदान) योजना

सरकार द्वारा दिनांक 02.07.2020 को आतिथ्य उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण हेतु ब्याज अनुदान योजना को अधिसूचित किया गया जिससे व्यापार में निवेश और तत्कालिक आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करके अल्पावधि में दिन–प्रतिदिन के व्यवसाय, श्रमिकों की मजदूरी, किराए आदि उपयोगिता बिलों का भुगतान किया जा सके, जो सुचारू कामकाज को सुविधाजनक बनाता है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2021 को ब्याज अनुदान योजना अधिसूचित की गई है और यह योजना 31.03.2022 तक लागू रहेगी ।

12.3 स्वदेश दर्शन योजना

वर्ष 2017 में पर्यटन विभाग भारत सरकार द्वारा "स्वदेश दर्शन योजना" हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत की गई थी । निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :–

- जिला सोलन के क्यारीघाट में कन्वेंशन सैंटर।
- जिला शिमला में हेलि पोर्ट का निर्माण।
- जिला कांगडा में डल झील का सौंर्दयकरण।
- जिला कांगडा में विलेज हॉट।
- अन्तर्राष्ट्रीय आर्टीफिशियल क्लाइम्बिंग दीवार।
- शिमला माल रोड के टाउन सुकेयर में लाईट और साउंड शो।
- जिला कांगडा के बीर बिलींग में पैरागलाइडिग सैंटर का निर्माण।
- भलेई माता चम्बा में कला व शिल्प सैंटर।
- हाटकोटी शिमला में माता हाटेश्वरी मन्दिर का विकास।
- सम्पूर्ण सर्किट के लिए साइनेज़, गैन्टरीज़, सी.सी.टी.वी. और वाईफाई।

12.4 प्रचार

पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री तैयार की जाती है, जैसे कि ब्रॉशर/पैम्फलैटस, फोल्डर, मोनाल पत्रिकाएं, कैलेंडर, गाइड मैप और कॉफी टेबल बुक इत्यादि शामिल हैं और देश व विदेश स्तर पर आयोजित विभिन्न पर्यटक उत्सवों/मार्ट/प्रदर्शनियों इत्यादि में भाग लिया जाता है।

12.5 नागरिक उड्डयन

राज्य में उच्च श्रेणी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में तीन मौजूदा हवाई अडडों जुब्बड़हट्टी (शिमला), भुंतर (कुल्लू) और गग्गल (कांगड़ा) से नियमित उड़ानें चलाई जा रही हैं। सरकार गग्गल (कांगड़ा) हवाई पट्टी के विस्तार के लिए

ईमानदारी से प्रयास कर रही है। मंडी जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है। क्षेत्रीय संपर्क योजना(आर.सी.एस.) उड़े देश का आम नागरिक–2 (उड़ान) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 05 हेलीपोर्टस शिमला और रामपुर (जिला शिमला), बद्दी (जिला सोलन), कंगनीधार (जिला मण्डी) और हिमपात एवं हिमस्खलन अध्ययन संस्थान (सासे) (मनाली जिला कुल्लू) का विकास किया जा रहा है। इसमें से शिमला व बद्दी (सोलन) हेलीपोर्ट का कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में, मै0 पवन हंस लिमिटेड उड़ान–2 के अन्तर्गत चंडीगढ़–शिमला–चंडीगढ़, शिमला–कुल्लू और शिमला–धर्मशाला सेक्टर से उड़ान–2 के अन्तर्गत में हेलीकॉप्टर सेवा चला रहा है। राज्य में हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ाने के लिए पी.एच.एल., उड़ान–2 के अन्तर्गत रामपुर और कंगनीधर हेलीपोर्ट्स से नॉन–शेड्यूल ऑपरेशन (एन.एस.ओ.पी.) भी शुरू कर दी गई है।

12.6 नई राहें नई मन्जिलें

प्रदेश में अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018–19 में ₹50.00 करोड़ से एक नई योजना "नई राहें नई मंजिलें शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 व 2021–22 में ₹50 करोड़, (कुल ₹200.00 करोड़) की धनराशि स्वीकृत की गई है। पर्यटकों / आगुंतक को अधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु विभाग इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रहा हैः

- बीड़–बिलिंग ज़िला कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग गन्तव्य।
- चांशल, ज़िला शिमला में स्की गन्तव्य।
- जंजैहली ज़िला मण्डी को ईको टूरिज्म की दृष्टि से।
- लारजी, तत्तापानी एवं पौंग बांध में जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा व अधोसरंचना का विकास।
- ज़िला सिरमौर के सैर जगास में पैराग्लाईडिंग गन्तव्य तथा ईको टूरिज़्म चूड़धार के नौहराघाट घाटी में।
- अटल रोहतांग सुरंग के दोनों अन्तिम छोरों में पर्यटन सम्बन्धित जन सुविधाओं का विकास।
- शिव धाम का निर्माण।

12.7 हिमाचल प्रदेश में सतत पर्यटन

राज्य सरकार ने पारिस्थितिक संवेदनशीलता के साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संवर्धन करते हुए सम्बन्धित सभी क्षेत्रों के सतत विकास का संकल्प लिया है जिसमें राज्य के जल–विद्युत, पर्यटन, वन प्रबंधन नीति एवं पर्यावरण मास्टर प्लान शामिल है। राज्य उन निवेशकों को भी प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा है जो सतता को एक

व्यावहारिक आर्थिक उद्यम के रूप में देखतें हैं। राज्य की अनूठी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा में योगदान करने के लिए प्रदेशवासियों के लिए बेहतर रोजगार और अधिक व्यापार के अवसर प्रदान करने के लिए स्थायी पर्यटन के रूप में उपयोग करने के लिए वर्ष 2013 में, राज्य सरकार द्वारा सतत पर्यटन विकास नीति लागू की गई। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार की पर्यटन क्षेत्र नीति 2019 को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह आर्थिक विकास को गति प्रदान करे, सामाजिक असमानता को कम करे, गरीबी को कम करे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धरोहरों (कला तकनीकों के राज्य का उपयोग करके) को टिकाऊ तरीके से संरक्षित करे। इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य "स्थायी पर्यटन के लिए निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना" है। इस नीति को स्थायी विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.), विशेष रूप से एस.डी.जी. 8 और 12 को विभिन्न उद्देश्यों के माध्यम से मेजबान समुदायों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए निर्देशित किया गया है, यात्रियों को गुणवता का अनुभव प्रदान करने राज्य की प्राकृतिक–सांस्कृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और निजी निवेशकों के लिए निवेश का अनुकूल वातावरण बनाना है।

12.8 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एच.पी.टी.डी.सी.)

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एच.पी.टी.डी.सी.) हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी है। यह पर्यटन सेवाओं का पूरा पैकेज प्रदान करता है, जिसमें आवास, खानपान, परिवहन, सम्मेलनों और खेल गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें राज्य के बेहतरीन होटलों तथा रेस्तरां की सबसे बड़ी श्रृंखला है, जिसमें 54 होटल, 2,370 बेड वाले 1,047 कमरे हैं।

भारत में पर्यटन उद्योग दुनिया भर में कोविड–19 महामारी के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुआ है तथा राज्य के पर्यटन उद्योग के साथ – साथ एच.पी.टी.डी.सी. पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडा है । राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण मई,2021 में निगम के होटल बंद कर दिए गए थे। निगम ने कसौली में एक नवनिर्मित होटल न्यू रोस कॉमन का संचालन शुरू किया है, जिसमें कुल 66 बिस्तरों की क्षमता वाले 32 कमरे हैं और 'कैफे अटल' नाम से सिशु, जिला लाहौल-स्पीति में एक कैफे भी खोला गया है। एच.पी.टी.डी.सी. ने दिसंबर, 2021 तक ₹68.00 करोड़ के लक्ष्य के समकक्ष ₹55.76 करोड़ की आय अर्जित की।

बॉक्स–12.1 हिमाचल प्रदेश पर्यटन सैटेलाइट एकाउंट (एच.पी.टी.एस.ए.) 2018–19

पर्यटन का तात्पर्य आगंतुकों की गतिविधि से है। एक आगंतुक एक यात्री है जो एक वर्ष से कम समय के लिए अपने सामान्य वातावरण के बाहर एक गंतव्य की ओर किसी भी मुख्य उद्देश्य (व्यवसाय, अवकाश या अन्य व्यक्तिगत उद्देश्य) के लिए देश में एक स्थायी निवासी की तरह भ्रमण कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ.)

पर्यटन एक बहुआयामी तथ्य है जो लोगों के अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर के स्थानों पर जाने से जुड़ी है। पर्यटन क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों के बीच सहयोग की मांग करता है। हाल के दशकों में, पर्यटन का विस्तार समाज के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसे पर्यटन का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है। जबकि अन्य प्रयोजन जैसे व्यवसाय, स्वास्थ्य, धार्मिक और शैक्षणिक कारणों और हाल के दिनों में की खरीददारी जो कि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं है को भी मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है।

दुनिया भर में तेजी से बढ़ती पर्यटन गतिविधियों ओर इस तरह की गतिविधियों से होने वाली उच्च विदेशी मुद्रा आय के कारण, पर्यटन के आंकड़ों (मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों) को मापने के लिए यह सभी देशों में प्राथमिक कार्य बन गया है। भारत जैसे विशाल देश के लिए, जहां प्रत्येक राज्य अलग–अलग आर्थिक और विभिन्न पर्यटन स्थलों की पेशकश करता है। इस कारण राज्य स्तर पर भी पर्यटन के आंकड़ों का आकंलन अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है। यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ. (UNWTO) प्रासंगिक पर्यटन आंकड़ों को एक लेखाकंन ढांचे में रखने की सिफारिश करता है ताकि इन आंकड़ों को राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया जा सके, और पर्यटन के सम्बन्ध में वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच सम्बन्धों को दिखाया जा सके। इस लेखांकन ढांचे को पर्यटन सैटालाईट एकाऊंट (टी.एस.ए.) कहा जाता है और यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ. की सिफारिशों को टीएसए अनुशंसित पद्धतिगत ढांचा, 2008 (टी.एस.एःआर.एम.एफ. 2008) में प्रलेखित किया गया है। पर्यटन सांख्यिकी और पर्यटन सैटालाईट एकाऊंट की प्रणाली ऐसे उपकरण है जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है और अधिक स्टीक रुप में मापा जा सकता है। यह ढांचा पर्यटन के सम्बन्ध में वस्तुओं की मांग ओर आपूर्ति के बीच सम्बन्धों को भी प्रस्तुत करता है।

राज्य के लिए टी.एस.ए. वर्ष 2018–19 के लिए तैयार किए गए है ताकि पर्यटन के आर्थिक मूल्य की मांग का निरपेक्ष रुप से और राज्य के सकल घेरलू उत्पाद और रोजगार में इसके योगदान को बेहतर तरीके से समझा जा सके।

टी.एस.ए. का परिणाम, जो इस ढांचे का उपयोग करके बनाया गया है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) और राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए पर्यटन का अनुमानित योगदान है। इसके अलावा यह अध्ययन पर्यटन के प्रत्यक्ष हिस्से का अनुमान लगाता है। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन पर्यटन के अप्रत्यक्ष हिस्से का भी अनुमान है जो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ इसके संबंधों के परिणामस्वरुप होता है।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन सैटेलाइट एकाउंट (टी.एस.ए.) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः

- 2018 के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़ो के अनुसार विदेशों से हिमाचल प्रदेश राज्य में आने वाले अन्र्तराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 3.56 लाख दर्ज की गई है। इसके अलावा, 27.4 लाख पर्यटकों के भारत के अन्य राज्यों से राज्य का भ्रमण करने का अनुमान है। इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर राज्य में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या निर्धारित की गई है।

- हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक संख्या में पर्यटकों के आने का अनुमान है, जो राज्य में अन्र्तराष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटनें की आवाजाही से यह अनुमानित है कि प्रदेश में लगभग 88.83 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया है।

- आउटबांउड पर्यटकों या पर्यटकों की संख्या जो राज्य के निवासी है और विदेशी यात्रा कर चुके हैं, अनुमानित संख्या 46,822 है।

- अन्य देशों से राज्य में आने वाले पर्यटकों द्वारा किए गए कुल आवक पर्यटन व्यय का अनुमान ₹3,337.67 करोड़ है जिसमें प्रति पर्यटक औसत व्यय ₹93,605 है।

- अन्य राज्यों के पर्यटकों द्वारा किए गए कुल आवक पर्यटन व्यय का अनुमान ₹5480.83 करोड़ है, जिसमें प्रति यात्रा औसत व्यय ₹20,011 है।

- राज्य के भीतर से पर्यटकों द्वारा किए गए घरेलू पर्यटन व्यय का अनुमान ₹3,256.24 करोड़, जिसमें प्रति यात्रा औसत व्यय ₹3,665 है।

- आउटबांउड प्री–ट्रिप पर्यटन व्यय का अनुमान ₹62.01 करोड़ और एक आउटबांउड पर्यटक अंर्तराष्ट्रीय यात्रा की तैयारी में देश छोड़ने से पहले औसतन ₹13,243 खर्च करता है।

- राज्य के भीतर सभी प्रकार के पर्यटकों द्वारा किए गए उपरोक्त सभी पर्यटन व्यय, कुल व्यय में समायोजित है। जो कि वर्ष 2018–19 के लिए ₹12136.74 करोड़ है। अन्य राज्यों के पर्यटकों द्वारा किए गए इनबांउड पर्यटन व्यय का हिस्सा, अन्य राज्यों के पर्यटकों द्वारा किया गया व्यय, राज्य के भीतर से पर्यटकों द्वारा किए गए व्यय और आउटबाउंड प्री–ट्रिप व्यय क्रमशः 27.5 प्रतिशत, 45.2 प्रतिशत, 26.8 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत है।

- ❖ वर्ष 2018–19 के लिए आरोपित पर्यटन खपत के मूल्यों के अतिरिक्त, कुल आंतरिक पर्यटन खपत ₹15,185.78 करोड़ है।

- ❖ यह लेखे पर्यटन क्षेत्र द्वारा उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिनमें विभिन्न पर्यटन–विशेषता और पर्यटन से जुड़े उत्पाद और सेवाऐं शामिल है। इन उत्पादों और सेवाओं की कुल आपूर्ति राज्य की आपूर्ति और उपभोग तालिका (SUT) से प्राप्त की जाती है। प्रत्येक उत्पाद और सेवा के लिए मांग के मूल्य और आपूर्ति के मूल्य के अनुपात को पर्यटन उत्पाद अनुपात (टी.पी.आर.) कहा जाता है।

- ❖ हवाई यात्री सेवा के लिए टी.पी.आर. 95.3 प्रतिशत है जो पर सबसे अधिक है। इसका मतलब है कि इस सेवा के कुल उत्पादन में से 95.3 प्रतिशत पर्यटकों द्वारा उपयोग किया जाता है और अतः पर्यटन गतिविधियों के अन्तर्गत आता है।

- ❖ ट्रैवल एजेंट और अन्य आरक्षण सेवाएं, जिनकी टी.पी.आर. 90.5 प्रतिशत है। अन्य व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं जो पर्यटन गतिविधियों पर अत्यधिक निर्भर है उनमें परिवहन उपकरण किराये की सेवाएं, सड़क यात्री परिवहन सेवाएं, आवास सेवाएं और रेलवे यात्री सेवाएं शामिल हैं।

- ❖ पर्यटन से जुड़े सामानों में रेडीमेड वस्त्रों के लिए टी.पी.आर. उल्लेखनीय रुप से अधिक है और इसका अनुमान 74.2 प्रतिशत है।

- ❖ इसके अलावा पर्यटन उद्योग अनुपात (टी.आई.आर.) एस.यू.टी. ढांचे में प्रत्येक उद्योग कॉलम पर टी.पी.आर. लागू करके प्राप्त किया जाता है। हालांकि पर्यटन से जुड़े उद्योगों के मामले में, केवल वह गतिविधि जिसके द्वारा उन्हें आगन्तुकों को उपलब्ध कराया जाता है, पर्यटन को प्रत्यक्ष मूल्य वर्धित करता है। इसलिए केवल संबद्ध खुदरा व्यापार मार्जिन ही एक शेयर उत्पन्न करता है परिणामस्वरूप व्यापारिक वस्तुओं के मामले में, कुल आपूर्ति की तुलना में पर्यटन शेयरों के मूल्य बहुत कम है। इसलिए ऐसे मामलों में, टी.आई.आर. बहुत कम होते हैं ओर लगभग शून्य के बराबर होते हैं।

- ❖ टी.आई.आर. के माध्यम से प्रत्येक उद्योग से निकाले गए पर्यटन घटकों का योग, पर्यटन प्रत्यक्ष सकल मूल्य बर्धित (टी.डी.जी.वी.ए.) बनाता है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए टी.डी.जी.वी.ए. अनुमानित ₹4895.30 करोड़ है जो कुल जी.एस. बी.ए. का 3.46 प्रतिशत है। यह राज्य के जी.वी.ए. में पर्यटन का प्रत्यक्ष हिस्सा है।

- ❖ जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, पर्यटन रोजगार से तात्पर्य विशिष्ट उद्योग में नौकरियों की संख्या से है। वर्ष 2018–19 के लिए 1.86 लाख अनुमानित है। राज्य

में कुल नौकरियों की संख्या ₹47.88 लाख है। इसलिए कुल रोजगार में पर्यटन रोजगार का प्रत्यक्ष हिस्सा 3.89 प्रतिशत है।

- ❖ स्व–रोजगार की स्थिति के मामले में यह हिस्सा 1.83 प्रतिशत है और कर्मचारियों के मामले में 7.79 प्रतिशत से बहुत अधिक है, जिसमें आकस्मिक कर्मचारी और वेतनभोगी या नियमित वेतन पाने वाले शामिल हैं।

- ❖ इस अध्ययन में पर्यटन के अप्रत्यक्ष प्रभाव का भी आकलन किया गया है इसे इनपुट आउटपुट मॉडल के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। मॉडल ने आउटपुट, जी.वी.ए. और रोजगार गुणक उत्पन्न करने में मदद की है। ये गुणक, जब प्रत्यक्ष प्रभाव या प्रत्यक्ष शेयरों से गुणा किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष प्रभाव सहित कुल प्रभाव या हिस्सा देते हैं।

- ❖ परिणामस्वरूप, राज्य जी.वी.ए. में पर्यटन का कुल हिस्सा 7.53 प्रतिशत अनुमानित है और राज्य में नौकरियों की संख्या में कुल हिस्सेदारी 14.42 प्रतिशत होने का अनुमान है चित्र 12.1 राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और कुल हिस्से को दर्शाता है।

चित्र 12.1: जी.वी.ए. में पर्यटन का हिस्सा और राज्य का रोजगार

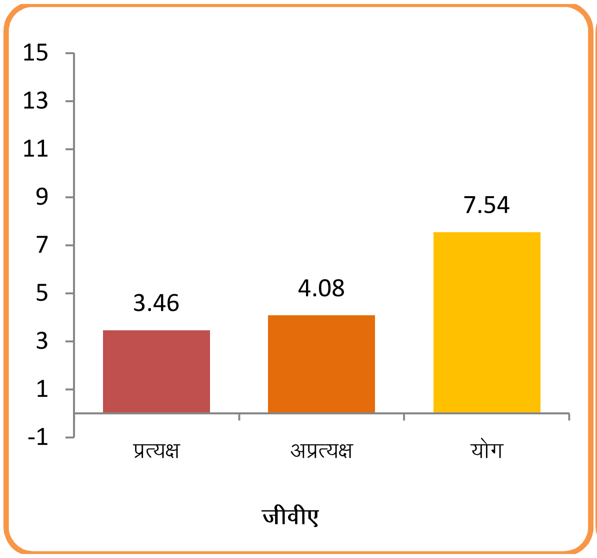

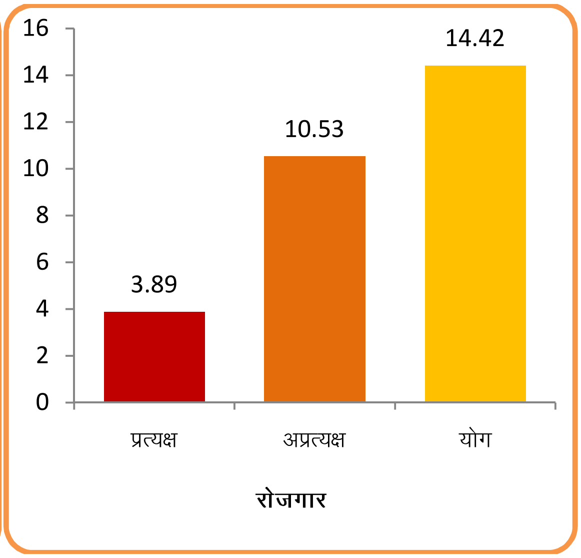

12.9 सड़कें तथा पुल (राज्य क्षेत्र)

राज्य के तीव्र आर्थिक विकास के लिए सड़कें एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसंरचना है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, बागवानी, उद्योग, खनन और वानिकी का विकास कुशल सड़क नेटवर्क पर निर्भर करता है। रेलवे और जलमार्ग जैसे परिवहन के किसी अन्य उपयुक्त ओर व्यवहार्य साधनों के अभाव में, सड़कें हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य सरकार ने लगभग एक नए सिरे से शुरुआत करते हुए 40,020 किलोमीटर का निर्माण किया है। दिसम्बर, 2021 तक वाहन चलने योग्य सड़कें (जिसमें जीप योग्य एवम् ट्रैक भी सम्मिलित हैं) का निर्माण कर लिया है। प्रदेश सरकार सड़कों के विकास को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है।

वर्ष 2021—22 के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं दिसम्बर, 2021 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा सारणी संख्या 12.1 में दर्शाया गया है:

सारणी 12.1: सड़कें एवं पुल

मद	इकाई	लक्ष्य 2021—22	दिसम्बर, 2021 तक की उपलब्धियां
वाहन चलने योग्य सड़कें	कि.मी.	1000	560
जल निकास	कि.मी.	945	664
पक्की सड़कें	कि.मी.	2000	1865
जीप चलने योग्य सड़कें	कि.मी.	60	18
पुल	संख्या	80	52
सडकों से जुड़े गांव	संख्या	90	37

हिमाचल प्रदेश में दिसम्बर, 2021 तक 10,591 गांव सड़कों से जोड़े गये जिनका ब्यौरा सारणी संख्या 12.2 में दिया जा रहा है:

सारणी 12.2: सडकों से जोड़े गए गांवों की संख्या

सडकों से जुडे गांव	2019—20	2020—21	2021—22 दिसम्बर 2021 तक
1500 से अधिक आबादी वाले गांव	217	219	219
1000—1499	295	296	296
500—999	1306	1318	1324
250—499	3624	3644	3655
250 से कम	5032	5072	5097
कुल	**10474**	**10549**	**10591**

12.10 राष्ट्रीय उच्च मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

वर्तमान में 19 राष्ट्रीय राजमार्ग जिनकी कुल लम्बाई 2,592 किलोमीटर है, राज्य सड़क नेटवर्क की मुख्य जीवन रेखा है जिसमें हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा 1,238 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास और रखरखाव किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 5 राष्ट्रीय राजमार्गों 785 किलोमीटर और सीमा सड़क संगठन द्वारा 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के 569 कि.मी. का विकास व रख—रखाव किया जा रहा है।

12.11 पथ परिवहन

परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 के प्रावधानों के तहत कार्य करता है। परिवहन विभाग की स्थापना मुख्य रुप से मोटर वाहन अधिनियम, 1988, हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए की गई है। हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग परिवहन सुविधाओं के विकास में अन्य संगठनों की सहायता करता है और सड़क मार्ग से यात्रियों और माल की आवाजाही के लिए एक कुशल, पर्याप्त और सस्ती परिवहन सेवा प्रदान करने का प्रयास करता है। वैधानिक कार्यों के निर्वहन में, विभाग ने मोटर वाहनों पर करों के रुप में सरकार को राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों में एक स्थान बनाया है। वर्ष 2020—21 के दौरान राजस्व सृजन ₹382.64 करोड़ था और वर्ष 2021—22 के लिए लक्ष्य ₹487.71 करोड़ है, जबकि दिसम्बर, 2021 तक ₹365.28 करोड़ का राजस्व सृजन किया गया।

वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021) के दौरान विभिन्न अपराधों के लिए 12,433 वाहनों का चालान किया गया और ₹244.20 लाख की राशि दण्ड के रुप में एकत्र की गई। दिसम्बर, 2021 तक विभाग ने 19,05,073 वाहनों को जिलेवार पंजीकृत किया है जो कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

सारणी 12.3: जिलेवार पंजीकृत वाहन

क्रम संख्या	जिला	पंजीकृत वाहन
1	बिलासपुर	100121
2	चम्बा	74440
3	हमीरपुर	139040
4	कांगड़ा	472743
5	किन्नौर	12887
6	कुल्लू	94822
7	लाहौल–स्पति	7384
8	मण्डी	216279
9	शिमला	188957
10	सिरमौर	127925
11	सोलन	262673
12	ऊना	207802
	योग	**1905073**

12.12 परिवहन विभाग की उपलब्धियां

परिवहन विभाग ने वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है:

i. **निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र:**
राज्य द्वारा वाहनों के निरीक्षण एवं प्रमाणन में वैज्ञानिक तरीके से सुधार हेतु बद्दी जिला सोलन में एम.ओ.आर.टी.एच. की वित्तीय सहायता से निरीक्षण एवं

प्रमाणन केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है, इस परियोजना की लागत ₹16.35 करोड़ है। इस कार्य को 01–01–2020 को प्रारम्भ कर प्रशासनिक ब्लॉक पूरा कर लिया गया है तथा सिविल कार्य प्रगति पर है।

ii. **परिवहन नगर का निर्माणः**

राज्य ने सम्बन्धित उपायुक्तों (डी.सी.) की अध्यक्षता में उपयुक्त भूमि को चयनित के लिए एक समिति अधिसूचित की है। जिला हमीरपुर के नादौन में उपयुक्त भूमि को चयनित किया गया, जहां विभाग द्वारा निर्माण प्रक्रिया शुरु की गई है। इसके अलावा परिवहन नगर के लिए काला अम्ब, पांवटा और शिमला में टूटू के पास भी भूमि को चयनित किया है।

iii. **ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल (डी.टी.एस.) और प्रदूषण जांच केन्द्रः**

इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, विभाग ने राज्य में 338 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों को लाइसेंस दिया है, जिसमें 8 आईटीआई के तहत, 10 एच.आर.टी.सी. के तहत और 320 निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल शामिल है। इसके अलावा राज्य में 357 प्रदूषण जांच केन्द्रों को भी अधिकृत किया गया है।

iv. **रोजगार सृजनः**

सरकार ने 30.12.2021 को ''स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार (परिवहन) योजना'' अधिसूचित की है, जो बेराज़गार युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। परिवहन विभाग ने वर्ष 2021–22 में 19,150 युवाओं के लिए रोज़गार का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से दिसम्बर, 2021 तक 10,018 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। जिसका विवरण सारणी 12.4 में दिया गया हैः

सारणी 12.4: स्वरोज़गार की स्थिति

वाहन का प्रकार	प्रति व्यक्ति प्रत्येक परमिट के लिए रोज़गार की संख्या	अप्रैल से दिसम्बर,2021 की अवधि के लिए जारी परमिट	कुल रोजगार
टैक्सी/मैक्सीकैब	2	2539	5078
बस स्टेज कैरिज	3	35	105
ऑटो रिक्शा	1	213	213
ट्रक (माल ढुलाई)	3	1536	4608
यात्री सेवा वाहन (पी.एस.वी.)	2	7	14
कुल योग	**11**	**4330**	**10018**

v. **इलेक्ट्रिक (विद्युत) वाहन नीति 2022**

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक (विद्युत) वाहन नीति, 2022 को अधिसूचित किया है ताकि हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक (विद्युत) वाहन (निजी,

साझा और वाणिज्यिक) की हर श्रेणी में एक मॉडल राज्य बनाया जा सके और टिकाऊ, सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रदान किया जा सके। इस नीति का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं, वाहन निर्माताओं को लाभ पहुंचाना और **इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन** स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप वर्ष 2025 तक राज्य में नए इलेक्ट्रिक (विद्युतीय)वाहनों के लिए सभी नए वाहनों का लगभग 15 प्रतिशत पंजीकरण करना है।

vi. स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए दिशानिर्देश

राज्य सरकार स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और दिशानिर्देश दिनांक 10.10.2018 की अधिसूचना के माध्यम से स्कूली बच्चों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस अधिसूचना में निहित निर्देशों को सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आर.टी.ओ.) और अन्य सम्बन्धित विभागों को सख्ती से लागू करने के लिए परिचालित किया है ताकि स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की जांच शत प्रतिशत की जा सके।

vii. किराए पर एक मोटर साइकिल और मोटर कैब योजना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधान के अन्तर्गत् मोटर वाइक का किराया योजना अधिसूचित किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने अधिसूचना संख्या टी.पी.टी.–ए(4) –9/2015 दिनांक 25.05.2017 के द्वारा अधिसूचित रेंट–ए–बाइक योजना को अपनाया है। जिसे केन्द्र सरकार ने वर्ष 1997 में अधिसूचित किया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या टी.पी.टी.–ए(4)–9/2015 दिनांक 06.03.2019 के माध्यम से राज्य में इस योजना को अधिसूचित किया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने आवेदकों को 990 वाहन खरीद की अनुमति प्रदान की है।

viii. निजी बसों और टैक्सियों के बेड़ों की संख्या

हिमाचल प्रदेश में निजी स्टेज कैरिज बसों की कुल संख्या 3,303 है और टैक्सियों की संख्या 28,034 (बैठने की क्षमता 4+1) है मैक्सी (6+1 और अधिक) कैब की संख्या दिसम्बर, 2021 तक 12,267 है। जिलेवार और आर.टी.ओ. वार विवरण निम्न है:

सारणी 12.5: क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय (आर.टी.ओ.) वार हिमाचल प्रदेश में निजी स्टेज कैरिज बसें 31.12.2021 तक

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	निजी बसों की कुल संख्या
1	आर.टी.ओ. शिमला	252
2	आर.टी.ओ. किन्नौर रामपुर	82
3	आर.टी.ओ. सोलन	220
4	आर.टी.ओ. बद्दी नालागढ़	99
5	आर.टी.ओ. बिलासपुर	304
6	आर.टी.ओ. हमीरपुर	343
7	आर.टी.ओ. कुल्लू	164
8	आर.टी.ओ. ऊना	305
9	आर.टी.ओ. मण्डी	416
10	आर.टी.ओ. धर्मशाला	815
11	आर.टी.ओ. सिरमौर	161
12	आर.टी.ओ. चम्बा	142
	योग	**3303**

हिमाचल प्रदेश में जिलेवार टैक्सी और मैक्सी 31.12.2021 तक

क्रम संख्या	जिले का नाम	टैक्सियों की कुल संख्या (4+1)	मैक्सी की कुल संख्या (6+1 और अधिक)
1	बिलासपुर	925	665
2	चम्बा	1160	845
3	हमीरपुर	1329	651
4	कांगड़ा	4531	2012
5	किन्नौर	27	8
6	कुल्लू	4924	2264
7	लाहौल–स्पिति	8	9
8	मण्डी	2113	1351
9	शिमला	11265	3490
10	सिरमौर	189	144
11	सोलन	1295	586
12	ऊना	268	242
	योग	**28034**	**12267**

12.13 हिमाचल पथ परिवहन निगम (एच.आर.टी.सी.)

सड़क परिवहन प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों का मुख्य पड़ाव है क्योंकि परिवहन के अन्य साधन जैसे रेलवे, वायु सेवा, टैक्सी, ऑटो रिक्शा इत्यादि नगण्य के बराबर है। इसलिए

हिमाचल सड़क परिवहन निगम राज्य में सर्वोपरि है। राज्य के भीतर और बाहर हिमाचल प्रदेश के लोगों को यात्री परिवहन सेवाएं एच.आर.टी.सी. द्वारा 3,023 बसें, 75 इलैक्ट्रिक बसें, 21 टैक्सियां व 50 इलैक्ट्रिक टैक्सियों के साथ प्रदान की जा रही ।

12.13.1 यात्रियों के लाभ के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की योजनाएं

वर्ष के दौरान लोगों की सुविधा के लिए निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं:

i. **ग्रीन कार्ड योजनाः** ग्रीन कार्ड धारकों को किराये में 50 कि.मी. की दूरी तक 25 प्रतिशत तक छूट प्रदान की गई है। इस कार्ड की वैधता दो वर्ष तक है तथा कार्ड की कीमत ₹50 है।

ii. **स्मार्ट कार्ड योजनाः** निगम द्वारा स्मार्ट कार्ड योजना आरम्भ की गई है। इस कार्ड की कीमत ₹50 है व वैधता दो वर्ष है। इस कार्ड पर किराये में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। यह कार्ड निगम की साधारण, सुपरफास्ट, सेमी डीलक्स व डीलक्स बसों में मान्य है और 1 अक्तूबर से 31 मार्च तक बॉल्वो ओर ऐसी बसों में भी छूट प्रदान की जाती है।

iii. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान कार्ड योजनाः** निगम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है के लिए सम्मान कार्ड की सुविधा आरम्भ की गई है इस योजना के अधीन साधारण बसों में किराये में 30 प्रतिशत की छूट दी गई है।

iv. **महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधाः** महिलाओं को “रक्षा बन्धन” तथा “भैया दूज” और मुस्लिम महिलाओं को ईद तथा बकरीद के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही हैं।

v. **महिलाओं को किराये में छूटः** निगम द्वारा साधारण बसों में राज्य के भीतर यात्रा करने पर महिलाओं को किराये में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

vi. **सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले +2 कक्षा तक के छात्रों को हिमाचल परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है।

vii. **गम्भीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** निगम द्वारा कैंसर, रीड की हड्डी व किडनी डायलिसिस ग्रस्त मरीजों को एक अनुचर सहित निगम की साधारण बसों में इलाज के लिए चिकित्सक द्वारा जारी की गई पर्ची के आधार पर राज्य व राज्य के बाहर निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है।

viii. **दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधाः** निगम द्वारा 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को एक अनुचर सहित निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

ix. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** वीरता पुरस्कार विजेताओं को हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर निगम की साधारण बसों के अतिरिक्त डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

x. **लग्जरी बसें**: निगम द्वारा अपनी 56 तथा 32 बसें वेटलिजिंग आधार पर सुपर लग्जरी बसें (वोल्बो/सकेनियां) और 8 लग्जरी वातानुकुलित बसें अन्तर्राज्यीय मार्गों पर यात्रियों की सुविधा हेतु चलाई जा रही है तथा 8 टैम्पों ट्रेवलरों की सुविधा अन्तर्राज्यीय मांगों पर जनता को दी जा रही है।

xi. **24X7 हैल्पलाईनः** निगम व निजी बसों के यात्रियों की शिकायतों व समस्याओं के सामाधान के लिए 24X7 हेल्पलाईन सेवा 94180—00529 व 0177—2657326 शुरू की।

xii. **प्रतिबन्धित मार्गो पर टैक्सियांः** शिमला शहर में लोगों की सुविधा हेतु टैक्सियां शहर के प्रतिबन्धित मार्गों पर निगम द्वारा चलाई जा रही है।

xiii. **युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को बसों में मुफ्त यात्रा सुविधाः** निगम उन सैनिकों तथा पैरा मिलिट्री सैनिकों को जो युद्ध के दौरान शहीद होते हैं कि विधवाओं, माता पिता व 18 वर्ष के बच्चों को निगम की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान कर रहा है।

xiv. **पर्यटक स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवाएंः** निगम द्वारा प्रदेश के पर्यटक स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवाएं आरम्भ की गई है।

xv. **महिलाओं की सुविधा हेतु सेनेटरी पैड वैंडिग मशीनें** : 38 बस अड्डों पर महिलाओं की सुविधा हेतु सेनेटरी पैड वैंडिग मशीनों को स्थापित किया गया है।

xvi. **दिव्यागों की सुविधा हेतु बस अड्डों पर व्हील चेयर उपलब्ध करवानाः** दिव्यागों की सुविधा हेतु 42 बस अड्डों पर व्हील चेयर उपलब्ध करवाई जा रही है।

xvii. निगम ने सार्वजनिक और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए पांच सुपर लग्जरी एसी वॉल्बो बसें और पांच टैंपों ट्रैवलर खरीदे है।

xviii. जनता की मांग पर निगम द्वारा शिमला से चण्डीगढ़ अंराष्ट्रीय हवाई अड्डे और शिमला से कटरा, जम्मू के लिए वॉल्बो बसें शुरू की हैं।

सामाजिक क्षेत्र

13
अध्याय

13.1 शिक्षा

शिक्षा राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा है। शिक्षा आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, मानव संसाधनों का निर्माण करती है, गरीबी को कम करती है और आय में वृद्धि करती है। संयुक्त राष्ट्र सतत लक्ष्य–I के संदर्भ में संख्या 1 में शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य (संख्या 4) समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए जीवन भर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना और ''एजूकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन'' की दिशा में भी लक्ष्य प्रदान करना है जिसका अनुपालन करते हुए सदस्य देश 2030 तक सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने की ओर बढ़ेंगे। एक कुशल और जानकार कार्यबल प्रदान करने में शिक्षा का अर्थव्यवस्था के हर दूसरे क्षेत्र पर उत्प्रेरक प्रभाव पड़ता है जो बदले में उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाता है। हिमाचल प्रदेश के शैक्षिक मापदंड अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहे हैं। जब से प्रदेश का गठन हुआ है, पिछले कुछ दशकों में शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता में जबरदस्त वृद्धि हुई है। अपनी कठोर जलवायु परिस्थितियों और उबड़–खाबड़ इलाकों के बावजूद, राज्य ने अपने शैक्षणिक बुनियादी ढांचे मे एक प्रभावशाली प्रगति की और इसके परिणामस्वरूप छात्र नामांकन और सारक्षरता दर में वृद्धि हुई।

2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत थी जो राष्ट्रीय औसत 74.0 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत अंक से अधिक है। यह दर राज्य में पुरूषों के लिए 89.53 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 75.93 प्रतिशत थी। जनगणना 2001 की साक्षरता दर पुरूषों के लिए 85.35 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 67.42 प्रतिशत और समग्र रूप से 76.48 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 की तुलना में 2011 की साक्षरता दर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। लैंगिक अंतर 2001 में 17.93 प्रतिशत अंक से घटकर 2011 में 13.6 प्रतिशत अंक हो गया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा ''घरेलू सामाजिक उपभोगः शिक्षा'' पर किए गए सर्वेक्षण में हाल ही में आंकड़े, उपलब्ध करवाए जो कि इसके 75वें दौर के सर्वेक्षण के दौरान वर्ष 2017–18 में एकत्रित किए गए थे। रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार राज्य की समग्र साक्षरता दर 2017 में बढ़कर 86.6 प्रतिशत हुई है। इसी तरह पुरूष साक्षरता दर बढ़कर 92.9 प्रतिशत और महिला दर 80.5 प्रतिशत हो गई है तथा लिंग अंतर 12.4 प्रतिशत अंकों का रह गया है।

13.1.1 आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष में सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चों का प्रतिशत

चित्र 13.1 दर्शाता है कि सरकारी स्कूलों में नामांकित 6–14 आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत 2018 में 58.6 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 60.9 प्रतिशत हो गया है। 2020 से 2021 तक सरकारी स्कूलों में नामांकन में 6.8 प्रतिशत अंकों से अधिक की वृद्धि हुई है। 2020 से

2021 तक लड़कियों के नामांकन में 7.1 प्रतिशत अंकों की वृद्धि देखी गई है, जबकि समान आयु वर्ग के लड़कों के नामांकन में 6.2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि देखी गई है।

चित्र 13.1 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चों का प्रतिशत

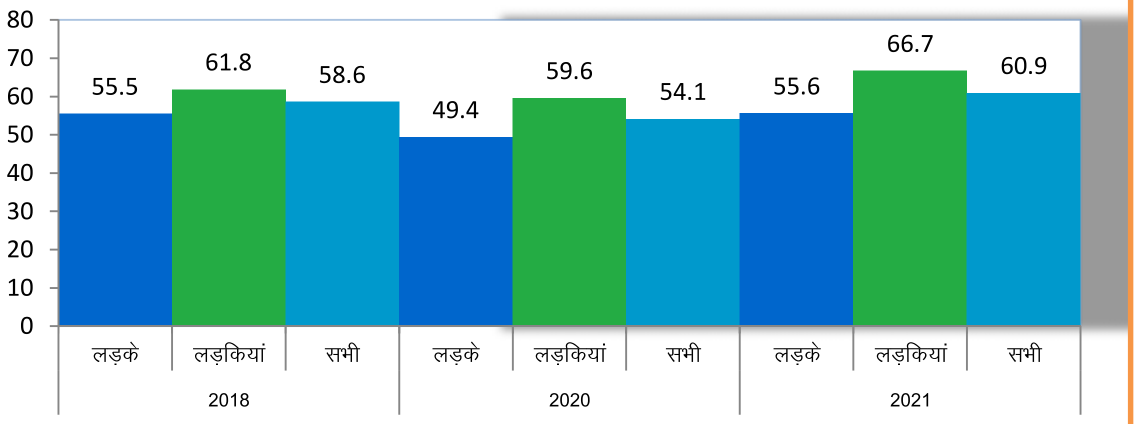

स्रोतः शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (ए.एस.ई.आर), 2021

13.1.2 हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट फोन तक पहुंच वाले बच्चों का प्रतिशत

2018 से 2021 तक बच्चों के घरों में स्मार्ट फोन की उपलब्धता लगभग दोगुनी हो गई है। उदाहरण के लिए 2018 में सरकारी स्कूलों में 58 प्रतिशत बच्चों के पास घर पर कम से कम एक स्मार्ट फोन था। वर्ष 2020 में बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया तथा 2021 में और बढ़कर 95.6 प्रतिशत हो गया। (चित्र–13.2)।

चित्रः 13.2 नामांकित बच्चे जिनके पास घर पर स्मार्ट फोन उपलब्ध है का प्रतिशत

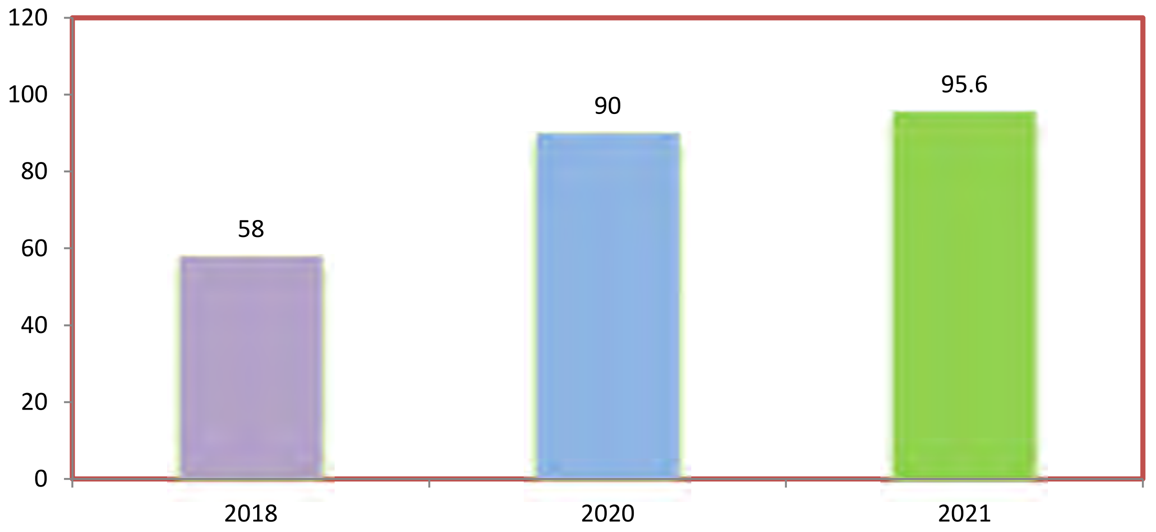

स्रोतः शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (ए.एस.ई.आर), 2021

13.1.3 स्कूल के प्रकार अनुसार नामांकित बच्चे जिन्हें घर पर पढ़ाई में परिवार के सदस्यों द्वारा सहायता मिलती है का प्रतिशत

हम 'लर्निंग स्पोर्ट एट होम' शब्द का इस्तेमाल उन प्रयासों के लिए करते हैं जो परिवार बच्चों को घर पर पढ़ाई के दौरान सीखने की गतिविधियों में मदद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में, निजी स्कूलों में नामांकित 90.4 प्रतिशत बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों से मदद मिली, जबकि सरकारी स्कूलों के केवल 81.8 प्रतिशत बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मदद की जाती है और अगर हम दोनों संस्थानों को एक साथ देखें, तो यह संख्या 84.8 प्रतिशत है (चित्र–13.3)।

चित्रः 13.3 स्कूल के प्रकार अनुसार नामांकित बच्चे जिन्हें घर पर पढ़ाई में परिवार के सदस्यों द्वारा सहायता मिलती है का प्रतिशत

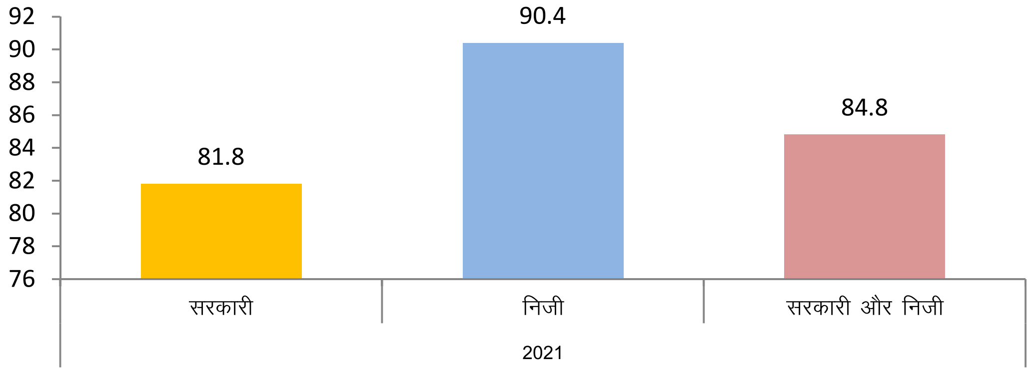

स्रोतः शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (ए.एस.ई.आर), 2021

13.1.4 नामांकित बच्चों का उनके माता पिता के शैक्षणिक स्तर के अनुसार वर्गीकरण

हिमाचल प्रदेश राज्य में बच्चों के वर्ष 2021 के आंकलन तक के अनुसार 65.6 प्रतिशत माता पिता उच्च स्तर में, 30.4 प्रतिशत मध्यम स्तर तथा 4 प्रतिशत निम्न शिक्षा स्तर पर आते हैं। निम्न शिक्षा स्तर में वो माता पिता है जिन्होंने पांचवी या इससे कम स्तर तक की (इसमें बिना स्कूली शिक्षा वाले माता पिता भी सम्मिलित हैं) पढ़ाई की है। उच्च शिक्षा स्तर में वो परिवार आते हैं जिनमें माता पिता दोनों ने कम से कम 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। बाकी सभी माता पिता मध्यम वर्ग के शिक्षा स्तर में सम्मिलित हैं जहां पर की कई प्रकार के सम्भावित संयोजन हो सकते हैं (चित्र–13.4)।

चित्रः 13.4 नामांकित बच्चों का उनके माता पिता के शैक्षणिक स्तर के अनुसार वर्गीकरण

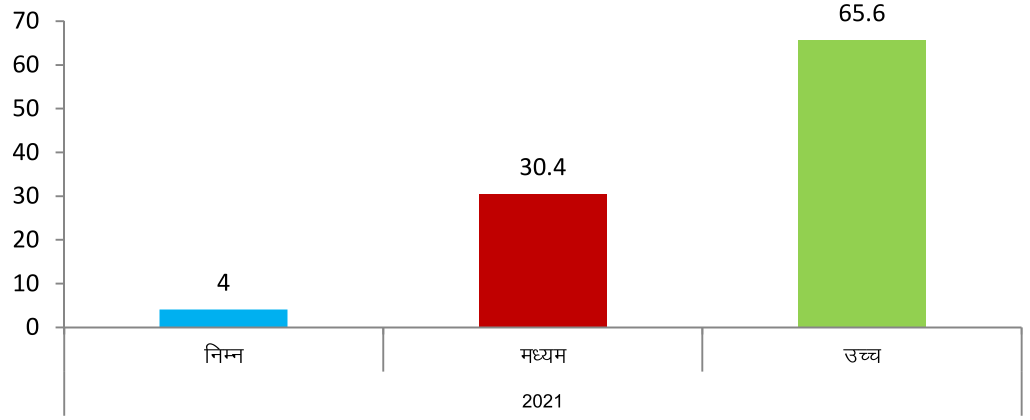

स्रोतः शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (ए.एस.ई.आर), 2021

13.1.5 नामांकित बच्चों का प्रतिशत जिनके अपने वर्तमान स्तर के लिए पाठय पुस्तकें हैं

लगभग सभी नामांकित बच्चों के पास वर्तमान स्तर (97.3 प्रतिशत) के लिए पाठय पुस्तकें हैं। वर्ष 2021 के अनुसार सभी छात्रों में से अपने वर्तमान स्तर के निजी स्कूलों में नामांकित 96.9 प्रतिशत बच्चों की तुलना में सरकारी स्कूलों में नामांकित 97.5 प्रतिशत छात्रों के पास पाठय पुस्तकें हैं जबकि वर्ष 2020 में यह प्रतिशत क्रमशः 96.2 व 96.4 था। यह राज्य सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त पाठय पुस्तकों के कारण ही संभव हो पाया है तथा हिमाचल प्रदेश की स्थिति पड़ोसी राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर है (चित्र–13.5)।

चित्र 13.5 वर्ष 2021 के लिए स्कूल के प्रकार द्वारा अपने वर्तमान स्तर के लिए पाठय पुस्तक रखने वाले नामांकित बच्चों का प्रतिशत

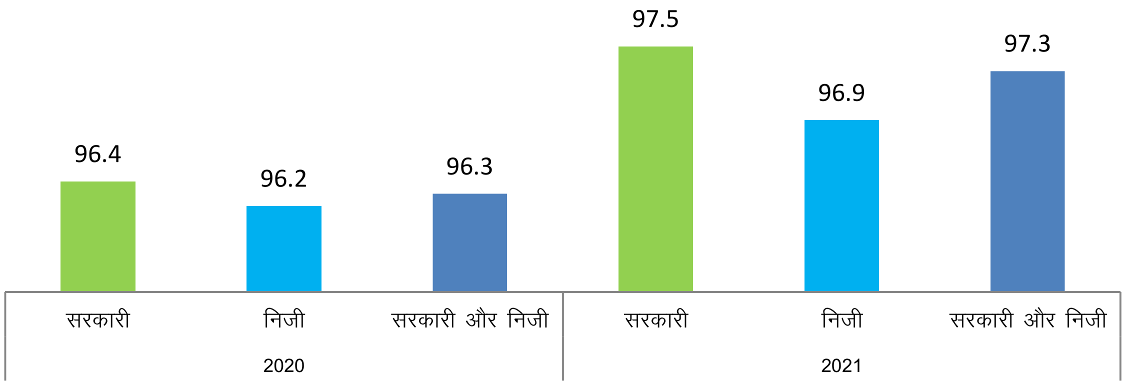

स्रोतः शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (ए.एस.ई.आर), 2021

13.1.6 प्राथमिक शिक्षा

सरकारी क्षेत्र में 31.12.2021 तक 10,734 प्राथमिक पाठशालाएं तथा 2,022 माध्यमिक पाठशालाएं हैं । प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा जरूरत वाले स्कूलों में नई नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सम्बन्धित जरूरतों को पूरा करने के लिए भी प्रयासरत है। प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धित सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन निम्नलिखित उद्देश्य के साथ किया जा रहा है:–

- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
- राज्य में शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना।

13.1.7 राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं

वर्ष 2021–22 में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए हैं:–

सारिणी –13.1: प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं

क. सं.	राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं	योजनाओं का विवरण	लाभान्वित विद्यार्थी
1	मेधावी छात्रवृति योजना	5 वीं कक्षा के छात्र जिन्होंने कम से कम ग्रेड बी हासिल किया है, वे छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 2 लड़कों और 2 लड़कियों को ₹800 प्रतिवर्ष देने के लिए सुनिश्चित किया जाता है, जो सबसे अधिक अंक प्राप्त कर मेरिट में आतें हैं। उसे 7वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए नवीनीकृत किया जाता है।	1,628
2	आई.आर.डी.पी./ बी.पी.एल परिवार से संबंधित बच्चों को छात्रवृति	पहली से 5 वीं कक्षा के छात्रों को प्रति वर्ष ₹150 दिए जाते हैं और छठीं से 8वीं कक्षा के छात्रों को ₹250 प्रति छात्र प्रतिवर्ष और ₹500 प्रति छात्रा प्रति वर्ष दिए जाते हैं ।	75,353
3	छात्रा उपस्थिति	पहली से पांचवीं कक्षा की उन छात्राओं की, जिनकी उपस्थिति कम से कम 90 प्रतिशत है, प्रतिवर्ष ₹20 दिए जाते हैं।	25,275
4	निर्धनता छात्रवृत्ति	पहली से पांचवीं कक्षा के उन छात्रों को जिनके माता–पिता की आय ₹11,000 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, उन्हें प्रति छात्र प्रति वर्ष ₹40 दिए जाते हैं।	2,542
5	सशस्त्र बलों में काम करने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए	पहली से पांचवीं कक्षा के उन छात्रों को जिनके माता–पिता युद्ध के दौरान शहीद हुए या उन्हें 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्राप्त हुई, उन्हें प्रतिवर्ष ₹150 दिए जाते हैं।	3

6	निःशुल्क पाठय पुस्तकें	पहली से आठवीं कक्षा के सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तकें हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं।	सभी विद्यार्थी
7.	**अटल स्कूल वर्दी योजना**		
	(i) नि:शुल्क स्कूल की वर्दी	पहली से 12वीं कक्षा के लिए वर्दी के दो सेट प्रदान किए जा रहे हैं।	8,05,556
	(ii) स्कूल का बस्ता	पहली, तीसरी, छठी और 9वीं के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्कूल के बस्ते प्रदान किए गए हैं।	2,49,769
8	प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय का निर्माण और मुरम्मत	बुनियादी सुविधाओं का विकास करना।	
9	अटल आदर्श विद्यालय योजना	2 और नए अटल आदर्श विद्यालय अधिसूचित किए गए और अब कुल 27 अटल आदर्श विद्यालय (ए.ए.वी.) अधिसूचित हो चुके हैं।	
10	मध्याहन भोजन योजना	i. यह योजना 2004 में प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए लागू की गई थी और 2008 में इस योजना को राज्य में 8वीं कक्षा तक बढ़ाया गया था। ii. इस योजना के अंतर्गत कोविड–19 महामारी के कारण शैक्षणिक संस्थान/स्कूल बंद रहे तथा पका हुआ खाना बच्चों को नहीं दिया गया इसके बदले में खाद्यान राशन की निर्धारित मात्रा अनुसार तथा खाना पकाने की लागत को पात्र विद्यार्थियों के माता पिता/अभिभावकों को इस अवधि के दौरान तथा ग्रीष्म कालीन समय के लिए प्रदान किया गया।	5,19,489
11	स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना	100 चिन्हित कलस्टर स्कूलों में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।	
12	पढ़ना लिखना अभियान	6 जिले क्रमशः चम्बा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल–स्पिति, मण्डी और सिरमौर चयनित किए गए हैं, जिन्हें ₹2.51 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है।	96,228
13	स्वर्ण जयन्ती मिडल मैरिट छात्रवृति योजना	यह योजना छठी, सातवीं व आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले मेधावी बच्चों के लिए है, इसके लिए मेधावी बच्चों का चयन राज्य स्तरीय परीक्षा द्वारा किया जाता है, जिसे एस.सी.ई.आर.टी. सोलन द्वारा आयोजित किया जाता है, इसमें चयनित बच्चों को छठी कक्षा में ₹4,000, सातवीं कक्षा में ₹5,000 तथा आठवीं कक्षा में ₹6,000 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे।	

13.1.8 हर घर पाठशाला

कार्यक्रम को शिक्षा के एक ऑनलाइन मोड द्वारा हर घर पाठशाला के रुप में शुरु किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोविड–19 का शिक्षा पर प्रभाव को कम करना भी रहा, यह एक बहुत ही सफल अध्ययन कार्यक्रम रहा, जिसका लाभ लगभग 8 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने उठाया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1 से 12 कक्षाओं के लिए दैनिक आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए घर पर, शिक्षकों की सुविधा तथा स्वयं शिक्षा कार्यक्रम हेतु निम्न शिक्षण गतिविधियां शुरु की गई हैं:–

- इस महामारी में स्कूलों को बन्द करने के कारण पढने वाले छात्रों की शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचे।
- व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वीडियो और वर्कशीट के रूप में सामग्री का दैनिक प्रसार।
- व्हाट्सएप चैटबॉट पर साप्ताहिक क्विज का आयोजन।
- शिक्षकों द्वारा छात्रों के साथ लाइव कक्षाओं का संचालन।

हर घर की पाठशाला के चरण–1 में राज्य में अनुमानित 6.4 लाख (80% छात्रों) तक पहुंचने में सक्षम हुआ और लगभग 4 लाख (50%) छात्र पिछले 18 महीनों में हर हफ्ते कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के लिए जुड़ाव के प्रमुख बिन्दू इस प्रकार हैं:–

- हर घर पाठशाला वैबसाइट पर प्रतिदिन औसतन 2.5 लाख छात्र सामग्री प्राप्त करते हैं।
- औसतन 4 लाख छात्रों ने साप्ताहिक व्हाट्सएप क्विज में भाग लिया।
- औसतन 25,000 शिक्षकों ने प्रतिदिन लाइव कक्षाएं संचालित की।

13.1.9 ई–पी.टी.एम.

ई–पी.टी.एम. में 94 प्रतिशत छात्रों के अभिभावकों ने भाग लिया तथा यह पाया कि हर घर पाठशाला एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है।

13.1.10 वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है प्रदेश में दिसम्बर, 2021 तक 930 उच्च पाठशालाएं, 1,882 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा 139 सरकारी महाविद्यालय जिसमें 7 संस्कृत महाविद्यालय, 1 राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 1 बी.एड. महाविद्यालय और 1 ललित कला महाविद्यालय शामिल हैं।

13.1.11 छात्रवृति योजनाएं

प्रदेश में समाज के वंचित वर्ग की शिक्षा सुधार के लिए राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे विभिन्न वर्ग के छात्रों को अनेक छात्रवृतियां प्रदान की जा रही है। छात्रवृति योजनाए निम्न प्रकार से हैं:

सारणी 13.2: उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राज्य/केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं 2020–21

क. सं.	योजनाएं	छात्रवृत्ति और बुनियादी ढाँचा	लाभान्वित विद्यार्थी
राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं			
1	डा0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजना	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धित स्कूलों के परिणाम के आधार पर 10वीं कक्षा की परीक्षा के शीर्ष 1,250 अनुसूचित जाति और 1,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को क्रमशः ₹12,000 और ₹10,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं ।	1,430 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 1,657 अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ हुआ है ।
2	स्वामी विवेकानन्द छात्रवृति योजना	10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए सामान्य श्रेणी के शीर्ष 2,000 मेधावी छात्रों को ₹10,000 (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध) दिए जाते हैं।	कुल 3,171 छात्र लाभान्वित हुए हैं ।
3	ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना	हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति से संबंधित रखने वाले शीर्ष 100 लड़कियां और 100 लड़कों को दसवीं कक्षा के आधार पर (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध) ₹11,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।	कुल 231 छात्र लाभान्वित हुए हैं ।
4	महर्षि बाल्मीकि छात्रवृति योजना	बाल्मीकि परिवारों से संबंधित हिमाचली लड़कियों को ₹9,000 मिलते हैं।	1 छात्र लाभान्वित हुआ।
5	इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना	12वीं की मेरिट सूची (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध) के शीर्ष 10 छात्रों को 12वीं के बाद के पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष ₹10,000 दिए जाते हैं।	37 छात्र लाभान्वित हुए।
6	सैनिक स्कूल छात्रवृति	यह छात्रवृति केवल सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा (हमीरपुर) में अध्ययनरत हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी विद्यार्थियों को देय है। यह छात्रवृति छठी कक्षा से जमा दो कक्षा तक प्रदान की जाती है।	148 छात्र लाभान्वित हुए।
7	एन.डी.ए. छात्रवृति योजना	यह छात्रवृति नेशनल अकादमी खडकवासला, पूना मे ट्रेनिंग ले रहे हिमाचल प्रदेश के छात्रों को विभिन्न दरों से प्रदान की जा रही है ।	–
8	कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना	प्रति वर्ष 10+2 की 2,000 छात्राओं को योग्यता के आधार पर ग्रुप वाईज सांईस, कला और वाणिज्य संकाय के आधार पर उतीर्ण अनुपात के अनुसार हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई मैरिट सूची के आधार पर 12वीं के बाद पाठक्रमों के लिए ₹15,000 की राशि प्रदान की जाती है।	1,954 छात्र लाभान्वित हुए हैं ।

9	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	किसी भी भारतीय तकनीकी संस्थान और अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान में डिग्री कोर्स, भारतीय प्रबंधन अनुसन्धान, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स धनबाद, झारखंड में और भारतीय विज्ञान अनुसंधान बैंगलोर के स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्राप्त होने पर एकमुश्त ₹75,000 का पुरस्कार दिया जाता है।	85 छात्र लाभान्वित हुए हैं।
10	राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज छात्रवृत्ति	हिमाचल प्रदेश के छात्र जो यहाँ के मूल निवासी हैं और राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून में 8वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, 20,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है।	8 छात्र लाभान्वित हुए हैं।
11	आई.आर.डी.पी. छात्रवृत्ति योजना	वे छात्र जो आई.आर.डी.पी. परिवारों से संबंधित हैं और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे हैं, 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ₹300, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए ₹800, कॉलेज के अनावासी छात्रों के लिए ₹1,200 और आवासीय छात्रों के लिए ₹2,400 प्रति माह दिया जा रहा है।	4,076 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
12	विभिन्न युद्वों के दौरान मारे गए/दिव्यांग हुए सशस्त्र सेनाओं के बच्चों के लिए छात्रवृति	विभिन्न संक्रियाओं/युद्वो के दौरान मारे गए/दिव्यांग हुऐ सशस्त्र सेनाओं के बच्चे इस छात्रवृति के पात्र हैं। इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, 9वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्र को ₹300, प्रतिवर्ष, छात्रा को ₹600, प्रतिवर्ष, +1 एवं +2 कक्षा के छात्र एवं छात्रा को ₹800, प्रतिवर्ष, महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय के स्तर पर छात्र एवं छात्रा को ₹1,200, प्रतिवर्ष एवं आवासीय छात्र एवं छात्रा को ₹2,400, प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं।	2020–21 के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ
13	मुख्यमंत्री ज्ञान दीप योजना	विद्यार्थियों को 'मुख्यमन्त्री ज्ञानदीप योजना' के अन्तर्गत भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ₹10 लाख तक का शिक्षा ऋण पर चार प्रतिशत की सीमा तक ब्याज सब्सिडी दी जा रही है।	2020–21 के लिए 1,115 विद्यार्थी लाभान्वित हुए है।
केन्द्र प्रायोजित योजनाएं			
1	एस.सी./एस.टी./ओ. बी.सी. के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹2,50,000 तक है और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र जिनके माता–पिता की आय ₹1,50,000 तक है जो सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं, वे सभी पाठ्यक्रमों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति (अर्थात अनुरक्षण भत्ता + पूर्ण शुल्क) के पात्र हैं।	छात्रवृति आबंटन की प्रक्रिया अभी जारी है।

2	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्री–मैट्रिक 9वीं व 10वीं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति	पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना अनुसूचित जाति के 9वीं व 10वीं कक्षा में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक न हो। इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, एक शैक्षणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृति, आवासीय छात्रों को ₹6,250 प्रतिवर्ष, और ₹3,000 अनावासीय छात्रों को प्रतिवर्ष दी जाती है। अनुसूचित जन–जाति वर्ग के लिये पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना 9वीं एवं 10वीं के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹2.00 लाख से अधिक न हो। इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, एक शैक्षिणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृति, आवासीय छात्रों को ₹2,250 और अनावासीय छात्रों को ₹4,500 प्रतिवर्ष दी जाती है। यह छात्रवृति योजना पहली से 10वीं कक्षा तक अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र/ छात्राओं को देय है, जिनके माता–पिता/ संरक्षक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक न हो। यह छात्रवृति पहली से 10वीं कक्षा तक ₹100 प्रतिमाह की दर से, जोकि अनावासीय छात्र हो तथा तीसरी से 10वीं कक्षा तक ₹500 प्रतिमाह की दर से, जो कि आवासीय हो तथा इसके अतिरिक्त एक शैक्षणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृति के साथ प्रतिवर्ष ₹500 की तदर्थ राशि भी देय होगी।	प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 9,077 विद्यार्थी लाभान्वित हुए है। पूर्व अनुसूचित जाति, जन–जाति छात्रवृति आबंटन की प्रक्रिया अभी जारी है।
3	अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना	यह छात्रवृत्ति मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती है। पात्रता के लिए छात्रों के 50 प्रतिशत से कम अंक नहीं होने चाहिए और उनके माता–पिता की आय ₹2.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।	30 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति का आबंटन केन्द्र स्तर पर किया जाता है।
4	अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	यह छात्रवृत्ति 11वीं से पीएचडी तक के अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती है, जिनकी पिछली अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक नहीं हैं और जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹2.00 लाख तक है ।	556 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति का आबंटन केन्द्र स्तर पर किया जाता है।
5	शारीरिक रुप से अक्षम (दिव्यांग) छात्र/छात्राओं के	यह छात्रवृत्ति योजना हिमाचल प्रदेश के उन स्थाई दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए देय है जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो,	इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति का आबंटन केन्द्र स्तर पर

	लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना	जिसे राज्य सरकार के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो तथा जिनके माता पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹2,50,000 से कम हो।	किया जाता है। 84 छात्र/ छात्राएं लाभान्वित हुए हैं।
6	आर्थिक रुप से कमजोर छात्र/छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर डा0 अम्बेडकर छात्रवृति योजना (ई.बी.सी.)	यह योजना उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो सामान्य श्रेणी से सम्बन्ध रखते हैं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति को छोड़कर) तथा अध्ययनरत छात्र यदि रोजगार में है उसकी आय सभी स्त्रोतों से तथा बेरोजगार है तो उसके माता पिता/अभिभावक की आय पूर्ण छात्रवृति प्राप्त करने के लिए ₹1,00,000 से अधिक नहीं होने चाहिए।	छात्रवृति आबंटन की प्रक्रिया अभी जारी है।

13.1.12 संस्कृत शिक्षा का प्रचार

संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

- उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ रहे विद्यार्थियों को संस्कृत छात्रवृति प्रदान करना ।
- सकैण्डरी पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाने हेतु संस्कृत प्रवक्ताओं के लिए वेतन अनुदान प्रदान करना।
- संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण करना।
- प्रदेश सरकार को संस्कृत के उत्थान तथा शोध/शोध परियोजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

13.1.13 अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सोलन और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धर्मशाला ने ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सरकारी विद्यालयों के 156 शिक्षकों और 99 मुख्याध्यापकों व महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण दिया गया है।

13.1.14 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

राज्य सरकार द्वारा नवीं व दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें मुफ्त दी जा रही हैं। वर्ष 2021–22 में इस योजना के अंतर्गत 1,34,626 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

13.1.15 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों को जमा दो स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा शिक्षा शुल्क और फण्ड भी नहीं लिया जा रहा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा शुल्क मे भी छूट प्रदान की गई है।

13.1.16 छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा

प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा बिना किसी शिक्षा शुल्क के प्रदान की जा रही है।

13.1.17 सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा

प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्वयं आर्थिक प्रबन्धन आधार पर विद्यार्थियों द्वारा वैकल्पिक विषय को चयनित कर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान की जा रही है। आई.टी. शिक्षा के लिए विभाग द्वारा ₹110 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी फीस ली जा रही है। अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) परिवारों के छात्रों को 50 प्रतिशत शुल्क की छूट दी जाती है। वर्ष 2021–22 में कुल 90,034 विद्यार्थी आई.टी. शिक्षा के लिए नामांकित हुए जिसमें 4,826 अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) के विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

13.1.18 समग्र शिक्षा

निम्नलिखित योजनाएं समग्र शिक्षा के अन्तर्गत चल रही हैं:

i. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA):**
विभाग ने राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान (RMSA) हिमाचल प्रदेश की देख रेख मे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की 90:10 की सहभागिता में कार्यरत है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत् विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं इसमें प्रदेश की वर्तमान माध्यमिक पाठशालाओं को वार्षिक अनुदान द्वारा आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना, सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण, आत्म रक्षण प्रशिक्षण, कला उत्सव शामिल हैं।

ii. **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) परियोजना**
स्मार्ट कक्षा कक्ष और मल्टीमीडिया शिक्षण साधन का प्रयोग करके पठन–पाठन की गतिविधियों को बेहतर व सुदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा सफलतापूर्वक सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी परियोजना को 2,555 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में वर्ष 2021–22 में लागू कर दिया गया है तथा इस वित्त वर्ष के दौरान 117 अतिरिक्त पाठशालाओं को शामिल किया जाएगा।

iii. **व्यावसायिक शिक्षा**

नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फेमवर्क योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 1,003 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है तथा दिनांक 31.03.2022 तक 97 अतिरिक्त विद्यालयों में भी ये व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी जाएगी । इस योजना के अन्तर्गत ऑटोमोबाइल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आई.टी.)/सूचना एवं प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं. (आई.टी.ई.एस.), पर्यटन और आतिथ्य, दूरसंचार, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा, खुदरा, कृषि, मीडिया और मनोरंजन,बैंकिंग वित्तीय एवं बीमा सेवाएं (बी.एस.एफ.आई.), शारीरिक शिक्षा, परिधान मेकअप व घरेलू सजावट, सौंदर्य और कल्याण, इलेक्ट्रोनिक, हार्डवेयर और पलंबर जैसे व्यावसायिक विषयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

iv. **माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों को समेकित शिक्षा**

इसके अन्तर्गत विशेष जरूरतमन्द बच्चों के लिए 12 आदर्श विद्यालय पहले ही खोले जा चुके हैं जिनमे से 4 विद्यालय आवासीय सुविधायुक्त हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान 7,498 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सरकारी विद्यालयों मे भर्ती किया गया व 28 चिकित्सा मुल्यांकन शिविर भी आयोजित किये गये।

13.1.19 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के सुधार हेतू राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लागू किया है। रुसा अनूदान 70 महाविद्यालयों व हि0प्र0 विश्वविद्यालय को प्रदान की जा रही है।

13.1.20 मुख्यमन्त्री डिजिटल डिवाईस योजना

सीखने की गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमन्त्री डिजिटल डिवाईस योजना के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग, वर्ष 2021–22 के स़त्र के लिए हि0 प्र0 में कक्षा 10वीं व 12वीं (प्रत्येक विद्यार्थी को 4,450) तथा कालेज के अतिंम वर्ष के 900 छात्रों (बी.ए., बी.एस.सी., बी.काम.–300 प्रत्येक) के मेधावी छात्रों को 10,000 स्मार्ट फोन खरीदने व वितरित करने का प्रस्ताव रखा है इस स़त्र की परीक्षा मार्च, 2022 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों के लिए व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में कालेज के छात्रों के लिये आयोजित की जाएगी ।

13.1.21 मेधा प्रोत्साहन योजना

हिमाचल प्रदेश के मेधावी छात्रों को संयुक्त कानून प्रवेश परीक्षा (सी.एल.ए.टी.)/ राष्ट्रीय योग्यता एवं प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी)/ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आई.आई.टी.)/(जे.ई.ई) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान(ए.आई.आई.एम.एस.).

/सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय (ए.एफ.एम.सी.) राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी (एन.डी.ए.)/संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.)/कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी.)/बैंकिंग आदि के लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी। इस योजना के अर्न्तगत 390 छात्र लाभान्वित होंगे।

13.1.22 सी.सी.टी.वी. निगरानी तन्त्र की स्थापना

वर्ष 2021–22 के दौरान, 100 सरकारी विद्यालयों में सी.सी.टी.वी. निगरानी तन्त्र/प्रणाली स्थापित करने हेतु बजट प्रावधान किया जा चुका है ।

13.1.23 स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय तथा उत्कृष्ट महाविद्यालय योजना

इस वित्तीय वर्ष के दौरान , उच्च शिक्षा विभाग , हि0प्र0 द्वारा स्र्वण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अर्न्तगत राज्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 68 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रुप मे नामित कर दिया है । विभाग ने प्रत्येक विद्यालयो के विद्यालय परिसर के विकास और सौंदर्यीकरण, पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएं, के लिये ₹44.00 लाख का बजट प्रावधान कर दिया गया है। इसके साथ ही, विभाग ने ₹75.00 लाख का बजट 18 सरकारी महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालयों के रुप मे नामित करने के लिये स्वीकृत किया है।

13.1.24 खेल से स्वास्थ्य योजना

खेल से स्वास्थ्य योजना के अर्न्तगत वर्ष 2021–22 के दौरान, विद्यालयों और महाविद्यालयों मे खेलों को बढावा देने के लिए 129 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं और 57 राजकीय महाविद्यालयों मे विभिन्न खेलों का सामान जैसे कि कब्बडी खेल के मैटस जूडो मैटस, कुश्ती और भारतोलन व मुक्केबाजी के लिए रींगस प्रदान कियें हैं ।

13.1.25 स्वर्ण जयन्ती सुपर 100 योजना

उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों मे पढनें वाले दसवीं के शीर्ष 100 मेधावी छात्रों को पेशेवर/तकनीकी पाठयक्रमों मे प्रवेश लेने हेतु कोचिगं के लिए ₹1.00 लाख की वितीय सहायता इस योजना के अर्न्तगत् प्रदान करने के लिये प्रक्रिया शुरु कर दी है। वर्ष 2021–22 के दौरान, सरकार द्वारा ₹1.10 करोड़ के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

13.1.26 सी.वी. रमन वर्चुअल कक्षा–कक्ष विद्यालयों/महाविद्यालयों में स्थापित करना

सी.वी. रमन वर्चुअल कक्षा–कक्ष योजना के अर्न्तगत वर्ष 2021–22 के दौरान, 30 विद्यालयों, 20 महाविद्यालयों में वर्चुअल क्लास रुम स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

13.1.27 स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना

माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 05–09–2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर स्कूलों में "स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना" का आरम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत 9वीं से 12वीं कक्षाओं में पढने वाले विद्यार्थियों को जेईई– नीट प्रवेश परिक्षा के लिए निशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। प्रत्येक शनिवार और रविवार को इसके लिए अध्यन सामग्री हर घर पाठशाला पोर्टल पर अपलोड की जा रही है।

13.1.28 बेचुलर ऑफ वोकेशनल डिग्री कोर्स (B. Voc)

वर्ष 2021–22 में, 6 अतिरिक्त महाविद्यालयों बी–वॉक डीग्री प्रोग्राम के अन्तर्गत 2 व्यवसायिक विषय जैसे खुदरा प्रबधंन और आतिथ्य एवं पर्यटन शुरू किए गए है। जिन महाविद्यालयों में यह डीग्री प्रोग्राम शुरू किए गए है वो राजकीय कन्या महाविद्यालय, शिमला, राजकीय डिग्री महाविद्यालय सीमा, जिला शिमला, राजकीय डिग्री महाविद्यालय सरकाघाट, जिला मण्डी, राजकीय डिग्री महाविद्यालय धुमारवीं, जिला बिलासपुर, राजकीय डिग्री महाविद्यालय ढलियारा जिला कागंडा, राजकीय डिग्री महाविद्यालय हरिपुर मनाली, जिला कुल्लू। इसके अलावा वर्ष 2021–22 के दौरान 76 विद्यार्थियों को प्लेसमेंट भी दी गई है।

13.1.29 अटल स्कूल वर्दी योजना

वर्ष 2021–22 के दौरान उच्चतर शिक्षा विभाग, हि0प्र0 ने अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत 11वीं तथा 12वीं कक्षा के 1,72,392 विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी के दो सैट वितरित किए है तथा वर्ष 2021–22 में नंवीं व दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,24,412 विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें वितरित की गईं।

13.1.30 कोविड–19 के दौरान की गई पहल

कोविड–19 स्कूल प्रणाली में शैक्षणिक निवेश, स्वयं अध्ययन, आत्म मूल्यांकन और शिक्षा प्रणाली में परीक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी के मार्ग का लाभ उठाने के लिए एक नया अवसर लेकर आया है। छात्रों को कोविड–19 की अवधि के दौरान डिजिटल शिक्षण पहल का पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। छात्रों द्वारा सुरक्षा उपायों को अपनाकर खुद को कोविड–19 वायरस से सुरक्षित रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

- कोविड–19 के कारण, पिछले 7 महीनों से स्कूल बन्द थें और विभाग ने सभी कक्षाओं के छात्रों को उनके घर पर ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की गई।
- कोविड महामारी के दौरान, उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश ने सफलता पूर्वक परीक्षा आयोजित की और चालू वित्त वर्ष 2021–22 में प्रदेश के महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष में पढ रहे छात्रों का परिणाम घोषित किया।
- बच्चों को कोविड–19 बीमारी से बचाने के लिए राज्य के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले 15–18 आयु वर्ग के छात्रों का टीकाकरण किया गया।

13.1.31 तकनीकी शिक्षा

तकनीकी विभाग द्वारा तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के इच्छुक प्रत्येक विद्यार्थी प्रदेश में ही तकनीकी शिक्षा तथा फार्मेसी में स्नातक, डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट कोर्स के लिए निम्नलिखित संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं:–

सारणी 13.3: संस्थानों की संख्या

कमांक	संस्थान का नाम	संस्थानों की संख्या
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी स्थित कमांद	01
2.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, हमीरपुर	01
3.	राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलोजी संस्थान, कांगड़ा	01
4.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर	01
5.	भारतीय सूचना एंव प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना	01
6.	केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संस्थान (सिपेट), बद्दी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन	01
7.	क्षेत्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) (आर.वी.टी.आई.), जुण्डला, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला ।	01
8.	राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय।	05
9.	राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय ।	04
10.	बी–फार्मेसी महाविद्यालय (निजी क्षेत्र में)	14
11.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय (निजी क्षेत्र में)	12
12.	बहुतकनीकी (सरकारी क्षेत्र में)	15
13.	बहुतकनीकी (निजी क्षेत्र मे)	07
14.	डी0 फार्मेसी कालेज (निजी क्षेत्र में)	11
15.	सैकिण्ड सिफट डिप्लोमा कोर्सिस (निजी क्षेत्र में)	03
16.	सहशिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी क्षेत्र में)	115
17.	स्टेट ऑफ आर्टस आई.टी.आई.	11
18.	मॉडल आई.टी.आई. नालागढ़ एवं संसारपूर, कागड़ा (सरकारी क्षेत्र में)	02
19.	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी क्षेत्र में)	09
20.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यांगों के लिए) सुन्दरनगर (सरकारी क्षेत्र में)	01
21.	मोटर ड्राईविंग स्कूल, ऊना (सरकारी क्षेत्र में)	01
22.	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (निजी क्षेत्र में)	151
23.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	02
	योग	**370**

सारणी 13.4: शिक्षण संस्थानों की प्रवेश क्षमता

कमांक	संस्थानों	संस्थानों की संख्या
1	डिग्री स्तर	2,128
2	बी फार्मेसी	1,260
3	डिप्लोमा स्तर	5,020
4	सरकारी/निजी आई.टी.आई	47,302
	कुल	**55,710**

तकनीकी गुणवता सुधार कार्यक्रम चरण–III (टी.ई.क्यू.आई.पी.–III) अप्रैल, 2017 से शुरू किया गया था, यह सितम्बर. 2021 में समाप्त हुआ। राज्य के तीन कालेजों जवाहर लाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, राजीव गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय तथा हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय को इस परियोजना के अन्तर्गत चुना गया, तीनों चयनित महाविद्यालयों को प्रत्येक को ₹10.00 करोड़ की प्रारम्भिक राशि तथा ₹ 20.00 करोड़ की राशि हि0प्र0 तकनीकी विश्वविद्यालय को स्वीकृत की गई तथा इसी वित्त वर्ष में ₹28.56 करोड़ की राशि तीनों महाविद्यालयों द्वारा तथा ₹10.29 करोड़ की राशि हि0 प्र0 तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा खर्च की गई।

13.1.32 हि.प्र. कौशल विकास परियोजना के अन्तर्गत लघु अवधि प्रशिक्षण

इस कायक्रम के अन्तर्गत् हि.प्र. कौशल विकास निगम द्वारा 61 सरकारी आई.टी.आई. के साथ समझौता किया गया है जिसमें हिमाचली युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना पर आधारित लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत् वर्तमान में 58 सरकारी आई.टी.आई. में 8,398 प्रशिक्षणार्थी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के 3 वर्षों में 38,181 प्रशिक्षुयों को 106 व्यावसायिक कार्य क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

13.1.33 औद्योगिक मूल्य सम्बर्धन हेतु कौशल में सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना

19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्र प्रायोजित योजना स्ट्राइव के तहत चुना गया है, इन संस्थानों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल को बढावा देना ताकि प्रशिक्षुओं को गुणात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और स्ट्राइव परियोजना के तहत चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को ₹30.71 करोड़ आबंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2020–2021 के लिए भारत सरकार द्वारा ₹12.24 करोड़ स्वीकृत हुए हैं और बजट आबंटन के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हस्तांतरित किए गए हैं और राज्य निदेशालय के लिए ₹11.80 करोड़ आबंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य को ₹2.83 करोड़ प्राप्त हुए हैं तथा ₹30.00 लाख़ की राशि राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई के अंतर्गत प्राप्त हुई है।

13.1.34 कोविड–19 के दौरान की गई पहल

- राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इत्यादि द्वारा प्राध्यापक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत् अधिकतर प्राध्यापकों को ऑफलाइन/ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

- वर्ष 2021–22 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद / राज्य सरकार के तय निर्देशों के अनुसार इंजिनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रवेश / परामर्श प्रक्रिया का संचालन किया गया तथा प्रवेश लिए हुए छात्रों की ऑफलाइन मोड और जहॉ तक आवश्यक हो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य चल रहा है।

- शिक्षकों एवं छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित उद्योगों / संस्थानों के साथ औद्योगिक एवं शिक्षण सम्बन्धी वार्ता की गई और व्यावहारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

बॉक्सः 13.1 ऐजूकेशन सैटेलाईट खाते, 2017–18 हिमाचल प्रदेश (अक्तूबर, 2021)

"Give a man a fish and he will eat for a day. Teach a man to fish and he will eat for a lifetime." -Lao Tzu

रणनीतिक निवेश नीतियां बनाने में, क्षेत्र का व्यापक ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि, डेटा की कमी और अपर्याप्त डेटा संग्रह प्रणाली के कारण समस्या उत्पन्न होती है। केवल बजट विवरणों या शिक्षा सर्वेक्षणों को देखकर क्षेत्र के वित्त पोषण की पूरी तस्वीर संभव नहीं है। शिक्षा के वित्त पोषण के महत्व को समझते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला ऐजूकेशन सैटालाईट खाता तैयार करने का निर्णय लिया।

ऐजूकेशन सैटेलाईट एकांउट एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है जिसे विभिन्न स्रोतों से संबंधित आंकड़ो को व्यवस्थित करके शिक्षा क्षेत्र में मुद्दों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐजूकेशन सैटेलाईट एकांउट एक अर्थव्यवस्था में शिक्षा वित्तपोषण पर डेटा संकलित करने के लिए एक रुपरेखा प्रदान करता है और शिक्षा में अधिक अंतदृष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। ई.एस.ए. का उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों के लिए वित्तीय डेटा प्रदान करना है, एक संरचित पद्धति का उपयोग करके एक व्यवस्थित और समझने योग्य तरीके से शैक्षिक प्रदाताओं के प्रकार के लिए वित्त और आंकड़ो के सभी स्रोतों को सम्मिलित करना है। ऐजूकेशन सैटेलाईट एकांउट दो प्रकार के आर्थिक एजेंटों की भी पहचान करता है जो इस डोमेन में आर्थिक लेनदेन से गुजरते है। ये एजेंट इकाइयां और उत्पादन इकाइयां वित्तपोषण कर रहे हैं। ईएसए वित्तीय इकाइयों से (या बीच) धन के प्रवाह को उत्पादक इकाइयों तक लाता है, जो आगे शिक्षा के विभिन्न स्तरों के माध्यम से उत्पादक इकाइयों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए प्रवाहित होता है।

ऐजूकेशन सैटेलाईट एकांउट आम तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह को प्रस्तुत करता है, और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर गतिविधियों और उत्पादों के एक समूह में व्यवस्थित किया जाता है। ये वित्तीय प्रवाह दो प्रकार के आर्थिक एजेंटों, अर्थात वित्तपोषण इकाइयों और उत्पादक इकाइयों के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए ऐजूकेशन सैटेलाईट खाते शिक्षा क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट कार्ड प्रदान करता है और नीति–निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है कि क्या शिक्षा में आवंटित संसाधनों को समान रुप से और प्रभावी ढंग से वितरित किया जा रहा है। यह नीति–निर्माताओं को संसाधनों के वितरण में असमानता होने पर वंचित समूहों को धन आवंटित करने में सक्षम बनाता है।

ऐजूकेशन सैटेलाइट, खाते 2017–18 के मुख्य बिन्दू

सामान्य सरकारी व्यय, परिवारों द्वारा निजी व्यय ओर शिक्षा पर अन्य निजी व्यय का कुल योग अनुमानित रुप से ₹ 12,500 करोड़ है।

शिक्षा पर किया गया कुल व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 9.03 प्रतिशत है। यह प्रभावशाली है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार, शिक्षा पर सार्वजनिक क्षेत्र का

खर्च राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत होने का लक्ष्य है। वित्तीय इकाइयों के वितरण से पता चलता है कि अधिकांश, 51.4 प्रतिशत पर, सामान्य सरकारी व्यय के द्वारा है, निजी परिवार 29.8 प्रतिशत योगदान करते हैं, और अन्य निजी संस्थाएं शेष 18.8 प्रतिशत के भागीदार हैं (चित्र 13.6)।

चित्र:13.6 वित्तीय ईकाईयों के अनुसार कुल शिक्षा व्यय
(प्रतिशत वितरण)

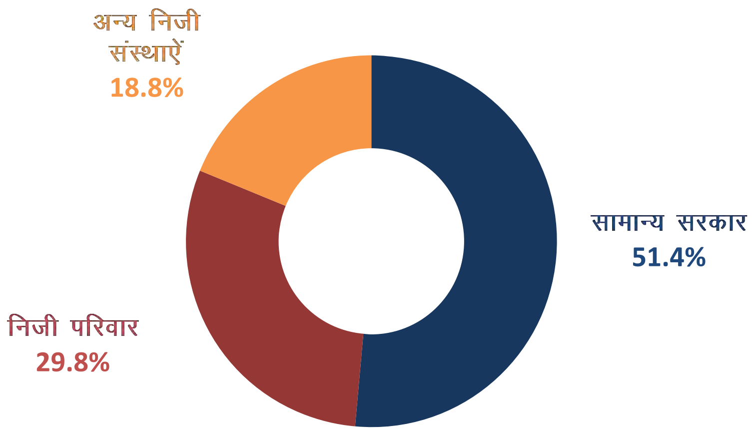

उत्पादन इकाइयों के वितरण से पता चलता है कि सभी वित्तीय इकाइयों द्वारा अधिकतम व्यय, सार्वजनिक इकाइयों या सरकार द्वारा संचालित संस्थानों पर किया जाता है। राज्य में शिक्षा पर होने वाले कुल व्यय में से 58.6 प्रतिशत सार्वजनिक उत्पादन इकाइयों को और शेष 41.4 प्रतिशत निजी इकाइयों को आवंटित किया गया था। (चित्र 13.7)

चित्र:13.7 : उत्पादक इकाईयों के अनुसार कुल शिक्षा व्यय
(प्रतिशत वितरण)

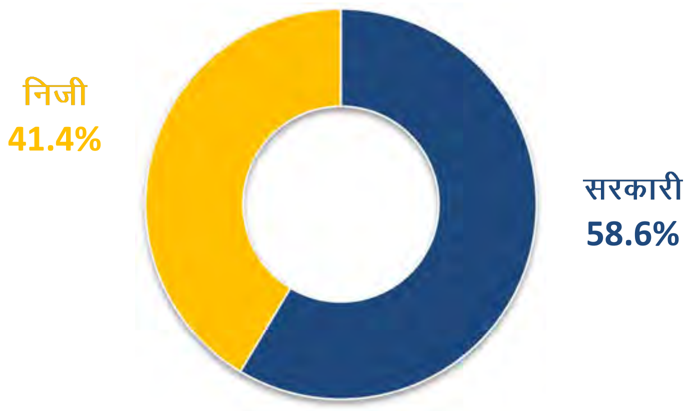

शिक्षा के स्तर द्वारा कुल शिक्षा व्यय का वितरण चित्र 13.8 में प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा के स्कूल स्तर को सभी वित्तीय इकाइयों से कुल व्यय का कुल 26.1 प्रतिशत प्राप्त होता है। उच्च शिक्षा, अर्थात तृतीयक वर्ग का, कुल खर्च में 15.1 प्रतिशत हिस्सा है।

चित्र:13.8: शिक्षा के स्तर के अनुसार कुल शिक्षा व्यय (प्रतिशत वितरण)

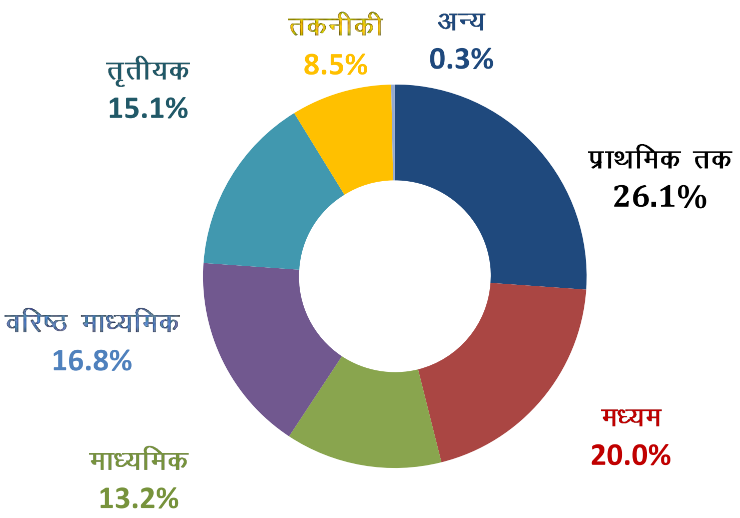

इसके अलावा, गतिविधियों द्वारा वितरण व्यय दर्शाता है कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक (शिक्षण और गैर– शिक्षण दोनों को मिलाकर) कुल शिक्षा व्यय का 51.4 प्रतिशत है। शैक्षणिक संस्थान के बाहर किए गए भुगतान, लेकिन शिक्षा से संबंधित खर्च 10.4 प्रतिशत है। यह खर्च पूरी तरह से उन परिवारों द्वारा किया जाता है जिनके सदस्य किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं। कुल व्यय का एक उल्लखनीय 26.0 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है, जोकि उपयोगिता सेवाओं, पाठय पुस्तकों शिक्षा सामग्री जोकि संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं और अन्य व्यय शामिल हैं। कुल व्यय का 12.2 प्रतिशत शेष भाग पूंजीगत वस्तुएं, सहायक वस्तुएं एवं सेवाएं, सामान्य प्रशासन तथा छात्रवृति पर व्यय किया गया।

13.2 स्वास्थ्य

13.2.1 स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण

राज्य सरकार का दृष्टिकोण राज्य के सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य एवं उनकी देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, संचारित व गैर संचारित रोगों का उन्मूलन तथा इस दशक में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। राज्य ने स्वास्थ्य सम्बन्धी मोर्चे पर काफी प्रगति की है तथा स्वास्थ्य संकेतकों में राष्ट्र की तुलना में बेहतर स्थिति में है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उपचारात्मक, बचाव, प्रोत्साहन एवं पुर्नवास जैसी सेवाएं चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, के माध्यम से प्रदान कर रहा है, जो सारणी में नीचे दिए गए हैं।

सारणी–13.5: स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या

स्वास्थ्य संस्थान एलोपैथिक संस्थानों की संख्या	2019– 20	2020–21	2021–22 (दिसम्बर,2021 तक)
1. चिकित्सालय	98	99	101
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	92	91	99
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	588	574	576
4. कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) औषधालय	16	16	16
योग	**794**	**780**	**792**
5. उपलब्ध बिस्तरों की संख्या	14,527	14,553	14,801

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:

सारणी–13.6: टी.बी. को नियंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आधारभूत संरचना

क्र.स.	टी.बी. नियंत्रण कार्यकम	संख्या
1	क्षय रोग सेनेटोरियम	1
2	जिला क्षय रोग केंद्र	12
3	ब्लॉक क्षयरोग युनिट	77
4	माईक्रोस्कोपिक केंद्र	218
5	माध्यमिक सन्दर्भ प्रयोगशाला	1
6	राज्य दवा भण्डार	1
7	जिला दवा भण्डार	12
8	राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण केन्द्र	1
9	सी.वी. एन.ए.ए.टी.–जांच प्रयोगशालाएं	26

10	कलचर एवं ड्रग टैस्ट प्रयोगशालाए	2
11	नोडल डी.आर. टी.वी. केन्द	4
12	जिला डी.आर. टी. वी. केन्द्र	18
13	ट्रू–एन.ए.ए.टी. साईटस	28
	योग	**401**

सारणी–13.7: राज्य में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रम

क.स.	कार्यक्रम	संक्षिप्त विवरण
1	राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रम	वर्ष 2021–22 के दौरान 1,59,511 स्लाइड्स की जांच की गई, जिनमें से 15 स्लाइड पॉजिटिव पाई गईं। मलेरिया के कारण कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई।
2	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	वर्ष 1995–96 में प्रचलन दर 5.14 थी, जोकि वर्ष 2021–22 में घटकर 0.18 प्रति दस हजार रह गई है। दिसम्बर,2021 तक कुष्ठ रोग के 93 नए मामलों का पता लगा है।
3	राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मुलन कार्यक्रम (एन.टी.इ.पी.) संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.)	वर्ष, 2021 में, 14,465 टी.बी. मामलों का पता चला, जिसमें कि 1296 रोगी निजि क्षेत्र द्वारा अधिसूचित किए गए थे। एम्पलीफीकेशन टेस्ट (सी.वी. नॉट) की दो मशीनें लगाने के उपरान्त राज्य की दवा की सम्वेदनशीलता परीक्षण के प्रदर्शन की सार्वभौमिक प्रतिशतता 95 रही जो कि भारत में सबसे अधिक है। भारत सरकार के सहयोग से राज्य ने निक्षय पोषण योजना के तहत ₹500 प्रति मरीज पोषण सहायता के हिसाब से पोषण सहायता के रुप में ₹17.65 करोड़ टी.बी. के मरीजो को दिए गए है। वर्ष 2021 में सभी मल्टी ड्रग रैसिस्टेंस (MDR.) मरीजों को इस योजना से ₹6.00 करोड की राशि वितरित की गई।
4	राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम	दिसंबर, 2021 तक, 24,400 मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए हैं।
5	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	यह राज्य में सामुदायिक आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत 1,349 नसबंदी, 1,299 पी. पी. आई.यू. सी.डी., 73 पी.ए. आई.यू. सी.डी., 4,765 आई.यू. सी.डी. सम्मिलित किए गए, 3.948 ए.आई.सी. उपयोगकर्ता को नवम्बर, 2021 तक लाभ मिला।
6	व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम	इसे माताओं, बच्चों और शिशुओं में रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। वैक्सीन निवारक रोगों अर्थात, तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, नियो–नेटल, टेटनस, निमोनिया, पोलियोमाइलाइटिस और खसरा और रूबेला में उल्लेखनीय कमी आई है।
7	हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हिमकेयर)	हिमकेयर उन परिवारों के लिए है जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत नहीं आते हैं या सरकारी मेडिकल प्रतिपूर्ति का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। कैशलेस उपचार कवरेज प्रति वर्ष ₹5.00 लाख है। अब तक 5.13 लाख परिवार पंजीकृत किए गए हैं और 2.19 लाख लाभार्थियों ने इस योजना के तहत ₹198.19 करोड़ की राशि का कैशलेस उपचार का लाभ उठाया है।
8	आयुष्मान भारत–प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना	आयुष्मान भारत प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5.00 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 4.78 लाख परिवार कैशलेस इलाज पाने के पात्र हैं। लगभग 4.26 लाख परिवारों ने स्वर्ण कार्ड प्राप्त किए हैं और इस योजना के आरम्भ से 1.19 लाख रोगियों ने ₹143.31 करोड़ की कैशलेस उपचार राशि का लाभ उठाया है।
9	स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र	सभी स्वास्थ्य उप केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और नगरीय उप स्वास्थ्य केन्द्र जो कि संख्या में क्रमशः 553, 1573 व 20 हैं को स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।
10	कैंसर मधुमेह हृदय रोगों तथा स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं: क) टेलस्ट्रोक प्रोजेक्ट ख), नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ग) कैंसर केयर यूनिट्स, घ) ई–हेल्थ कार्ड। पलवेटिव उपचार इकाईयां (2019), ड.)एकीकृत निरोग क्लीनिक (2020), च) स्कूल सम्बन्धी पहलों को प्रोत्साहित करना (2020)

11	किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	वर्ष 2021–22 के दौरान 12,21,166 सेनेटरी नैपकिन लड़कियों को ₹1.00 प्रति पैकेट (6 न0) की दर से दिसम्बर, 2021 तक बेचे गए।
12	राष्ट्रीय एड्स रोकथाम कार्यक्रम	क) एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र (ICTC)– नवम्बर, 2021 तक 78,101 ए.एन.सी. क्लाइंट में से 7 को एच.आई.वी. पॉजिटिव पाया गया। ख) प्रजनन मार्ग संक्रमण (RTI)/यौन संचारित संक्रमण (STI) नवम्बर, 2021 तक 35,989 लोगों ने इन RTI/STI क्लीनिकों की सेवाओं का लाभ उठाया है। ग) रक्त सुरक्षाः नवम्बर, 2021 तक 352 VBD शिविर आयोजित किए गए हैं। घ) एंटी रैट्रोवायरल ट्रीटमेंट प्रोग्राम – राज्य में IGMC शिमला, RH हमीरपुर, RPGMC, टांडा में 4 एंटी रैट्रोवायरल थैरेपी (ART) सेंटर, 2 FART सेंटर ऊना व बिलासपुर में तथा 5 लिंक ART सेंटर एच.आई.वी. /एडस के रोगियों को मुफ्त दवाई प्रदान करने के लिए हैं। ड़) लक्षित हस्तक्षेप– उच्च जोखिम समूह के लिए राज्य में 18 लक्ष्य हस्तक्षेप परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 7,302 लोगों ने RTI/STI सेवाओं का लाभ लिया तथा 11,008 कुल जोखिम समूहों का पता लगाया गया जिनमें से नवबर, 2021 तक 7 एच.आई.वी. मामलों का पता लगाया गया।

13.2.2 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

वर्तमान में प्रदेश में 6 आर्युविज्ञान महाविद्यालय और एक दन्त महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में चल रहे है। इसके साथ एक आर्युविज्ञान महाविद्यालय और चार दन्त महाविद्यालय निजी क्षेत्र में भी चल रहे है। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) संस्थावार आबंटन एवं व्यय का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

सारणी 13.8: संस्थान–वार आबंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

संस्थान का नाम	आंबटन	व्यय
1. इन्दिरा गान्धी चिकित्सा महाविद्यालय (आई.जी.एम.सी.) एवं सम्बद्ध महाविद्यालय	270.46	189.73
2. हि0प्र0 राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय	23.84	20.62
3. डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टाण्डा	181.27	140.69
4. डॉ. यशवन्त सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन	68.27	50.61
5. पं. जवाहर लाल नेहरु राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चम्बा	63.44	48.10
6. डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर	62.10	56.38
7. श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक, मण्डी	85.38	72.62
8. अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेरचौक, मण्डी	10.17	7.63
9. अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशिलिटी, शिमला	5.04	2.65

13.2.3 शैक्षणिक उपलब्धियॉं:

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में शैक्षणिक उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:

i. **एम.बी.बी.एस. और पी.जी. छात्रः** शैक्षणिक सत्र 2021–22 के दौरान कुल 870 एम.बी.बी.एस सीटें सरकारी व निजी क्षेत्र(720 सरकारी व 150 निजी क्षेत्र) में भरी गईं, इसके अतिरिक्त 309 पी.जी. सीटें विभिन्न विशेषताओं में आई.जी.एम. सी, शिमला, डॉ. आर.पी.जी.एम.सी., टांडा तथा महर्षि मार्कण्डेश्वर विश्वविद्यालय, सोलन में भरी गई।

ii. **बी.डी.एस. और एम.डी.एस.**: 355 बी.डी.एस. सीटें तथा 95 एम.डी.एस. की सीटें सरकारी एवं निजी क्षेत्र में शैक्षणिक सत्र 2021–22 के दौरान भरी गई।

iii. **नर्सिंग**: शैक्षणिक सत्र 2021–22 के दौरान 280 ए.एन.एम., 1,540 जी.एन.एम., 1,780 बी.एस.सी. नर्सिंग, 435 पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग और 181 एम. एस.सी. नर्सिंग की सीटें विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों के लिए अनुमोदित की गई हैं।

iv. **छात्रवृतियां/वज़ीफे**: राज्य सरकार ने एम.बी.बी.एस. और बी.डी.एस. इन्टर्न छात्रों के बजीफे को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹17,000 प्रति माह किया ।

v. **डी.एन.बी. पाठयक्रमः** राज्य के सभी नए मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विशिष्टताओं में डी.एन.बी. पाठ्यक्रम शुरू किए गए है। आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी एवं गेस्ट्रोन्लॉजी में सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे है।

संस्थावार दिसम्बर, 2021 तक की उपलब्धियों का विवरण निम्न सारणी 13.9 में दिया गया हैः

सारणी–13.9 संस्थान–वार मुख्य उपलब्धियां

संस्थान	सुविधाएं
इन्दिरा गान्धी चिकित्सा महाविद्यालय (आई.जी.एम.सी.)	क) ट्रॉमा सेंटर लेबल–। निर्माणाधीन। ख) सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक निर्माणधीन रहा, मार्च, 2022 में कार्य पूर्ण होगा । ग) नया ओ.पी.डी. विभाग निर्माण करके शुरु किया गया। घ) डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित की गई । ड़) तृतीयक कैंसर देखभाल केन्द्र के लिए मशीनरी तथा उपकरण प्राप्त किए गए। च) जीनोम सीक्वेनसींग प्रयोगशाला स्थापित की गई। छ) पी.ई.टी.– सी.टी. (PET-CT) सुविधा के स्थापित करने हेतू स्टेज –I का अनुमोदन करवाया गया।
डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टाण्डा	क) ट्रामा केन्द्र (लेबल–।। निर्माणाधीन) ख) 200 बिस्तरों वाला मातृ शिशु हैल्थ केयर सैंटर पूर्ण होने वाला है। ग) 128 स्लाईस सी.टी. स्कैन मशीन स्थापित की गई तथा 1.5 टैस्ला एम.आर.आई. मशीन प्राप्त की गई । घ) जीनोम सीक्वेनसींग प्रयोगशाला स्थापित की गई। ड़) पी.एस.ए. ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया। ड़) उत्कृष्टता केन्द्र निर्माणधीन रहा।
डॉ. यशवन्त सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन	क) डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित की गई । ख) केन्द्रीय पी.एस.ए. ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया। ग) 128 स्लाईस सी.टी. स्कैन मशीन स्थापित की गई। घ) मैनी फोल्ड गैस पाईप लाईन सिस्टम स्थापित किया गया। ड़) मैडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया।
पं0 जवाहर लाल नेहरु राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चम्बा	क) 128 स्लाईस सी.टी. स्कैन मशीन स्थापित की गई तथा 1.5 टैस्ला एम.आर.आई. मशीन प्राप्त की गई । ख) केन्द्रीय पी.एस.ए. ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया। ग) मैनी फोल्ड गैस पाईप लाईन सिस्टम स्थापित किया गया। घ) लैप्रोस्कोपिक सैट को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरु की। ड़) मैडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया।
डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर	क) मैडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। ख) केंद्रीय पी.एस.ए. ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया । ग) मैनी फोल्ड गैस पाईप लाईन सिस्टम स्थापित किया गया। घ) डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित की गई । ड़) लैप्रोस्कोपिक सैट को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरु की गई।
श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक, मण्डी	क) तृतीयक कैंसर देखभाल केन्द्र के लिए मशीनरी तथा उपकरण प्राप्त किए गए। ख) जीनोम सीक्वेनसींग प्रयोगशाला स्थापित की गई। ग) रक्त बैंक पूर्ण रुप से शुरु किया गया।
दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला	क) 11 डैंटल चेयर व 10 ऑटोक्लेव की खरीद व स्थापना की गई। ख) बेहतर दन्त देखभाल सुविधा प्रदान करने हेतू प्रदेश के विभिन्न भागों में डैंटल कैंप आयोजित किए गए जिसमें कि दूर दराज के क्षेत्र भी सम्मिलित थे। ग) मोबाईल डैंटल बैन को खरीदने हेतू आपूर्ति आदेश जारी किए गए।

13.2.4 आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा हामोपैथिक (आयुष)

आयुष विभाग का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 1984 में आयुष विभाग की स्थापना की गई ,राज्य में आयुष स्वास्थ्य ढांचे के माध्यम से आम जनता को स्वास्थ्य देखभाल के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु राज्य आयुष नीति, 2019 को पहली बार 6 नवम्बर, 2019 को तैयार करके अधिसूचित किया गया और इस क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं में सम्भावित निवेशकों के साथ ₹1,335.25 करोड़ के 52 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए। आयुष आधारभूत संरचना का विवरण नीचे दिया गया है।

सारणी–13.10 : हिमाचल प्रदेश में आयुष स्वास्थ्य अधोसंरचना की उपलब्धता

क.सं.	संस्थान	संख्या (दिसम्बर, 2021 तक)
1	पी.जी. आयुर्वेदिक कॉलेज	1
2	फार्मास्युटिकल साइंस कॉलेज	1
3	क्षेत्रीय अस्पताल	2
4	आयुर्वेदिक अस्पताल	31
5	नेचर केयर हॉस्पिटल	1
6	आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र	945
7	आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र	240
8	अनुसंधान संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति/हर्बल गार्डन	4
9	औषधि परीक्षण प्रयोगशाला	1
10	यूनानी स्वास्थ्य केंद्र	3
11	होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र	14
12	अमची क्लीनिक	4
13	आयुर्वेदिक फार्मेसी	3
कुल		**1,250**

सारणी–13.11 : आयुष के अन्तर्गत प्रमुख उपलब्धियां

शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्धियां	उपलब्धियां (दिसम्बर, 2021 तक)
आयुर्वेदिक शिक्षा	शैक्षणिक सत्र 2020–21 में बी.ए.एम.एस. सीटों को 60 से बढ़ाकर 75 किया गया तथा सनात्तकोतर (post graduate) सीटों को बढ़ाकर 39 से 56 किया गया।
पोषण अभियान	**पोषण अभियान** के तहत एनीमिया की रोकथाम के लिए एक परियोजना 3 विकास खण्डों में चलाई जा रही है जिसमें 118 पंचायतों के 842 गांव शामिल हैं और यह कार्यक्रम अभी भी जारी है जसके लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वित्त पोषण किया गया है:– क) बंगाणा, जिला उना ख) तिस्सा, जिला चम्बा ग) भोरंज,जिला हमीरपुर
स्कूल गोद लेने के लिए कार्यक्रम	इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों ने ए.एच.सी. के आसपास के स्कूलों का दौरा किया और छात्रों को व्यक्तिगत स्वच्छता व मादक पदार्थों के सेवन न करने के बारे में जागरुक किया और स्वास्थ्य वार्ता भी आयोजित की ।
साप्ताहिक योग दिवस	697 ए.एस.सी. में प्रत्येक शुक्रवार को 'साप्ताहिक योग दिवस' आयोजित किए गए जिससे कि 78,504 लोग लाभान्वित हुए।
जनमंच	यह प्रदेश सरकार का एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित किए जिससे कि 5,334 लोग लाभान्वित हुए।
टी.बी. मुक्त हिमाचल अभियान	यह कार्यक्रम राज्य में चल रहा है आयुष विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर इसमें काम कर रहा है।
वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त आयुर्वेदिक दवाईयां	माननीय मुख्यमंत्री जी की वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त आयुर्वेदिक दवाईयां प्रदान की गई जिससे कि 2,96,106 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए।
किसानों एवं अन्य को लाभ	➢ औषधीय पौधों की खेती के लिए 152 किसानों को ₹39.37 लाख की सब्सिडी जारी की गई। ➢ आयुर्वेदिक फार्मसी के लिए ऑनलाईन लाइसेंस की प्रक्रिया शुरु की गई जिससे कि विनिर्माण की फर्मों को नये लाइसेंस प्राप्त करने तथा उनके नवीनीकरण के लिए इसे पारदर्शी बनाया जा सके। ➢ आयुर्वेद बोर्ड में डिग्री/डिप्लोमा का ऑनलाईन पंजीकरण किया गया है।
आयुष घर द्वार	➢ आयुष घर द्वार होम आइसोलेशन के तहत कोविड–19 के रोगियों शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आयुष विभाग ने आर्ट ऑफ लिविंग, योग भारती फाउंडेशन के सहयोग से 14 मई 2021 को एक कल्याणकारी कार्यक्रम ''आयुश घर द्वार'' शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में लगभग 31,375 लोगों को होम आइसोलेशन के तहत व्हाट्सएप, जूम आदि पर 1,035 वर्चुअल समूहों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। इस कायक्रम को व्यापक रूप से प्रदेश की जनता द्वारा स्वीकार किया गया और इस कार्यक्रम का दूसरा चरण 7 जून, 2021 को शुरू किया गया ताकि कार्यक्रम की पहुंच अधिक से अधिक जनमानस तक हो सके। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत 1,670 वर्चुअल समूह बनाए गए हैं, जिसके द्वारा लगभग 20,20,401 लोगों को कार्यक्रम में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 83,178 लाइव स्तर आयोजित किए गए हैं और लगभग 7,07,026 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

13.2.5 हर्बल संसाधनों का विकास

सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुष मिशन के औषधीय पौध घटक के अंतर्गत एक मॉडल नर्सरी, जोगिन्द्रनगर में ₹25.00 लाख खर्च करके स्थापित की गई। हिमालय वन अनुसंधान द्वारा जिला कुल्लू व शिमला में ₹12.50 लाख खर्च करके दो छोटी नर्सरियों को भी स्थापित किया गय। 70 हैक्टेयर भूमि में ₹54.44 लाख के अनुदान देकर किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। चरक राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी पपरोला, जिला कॉगड़ा में औषधीय पौधों को सुखाने के लिए एक शैड और एक भण्डारण गोदाम का निर्माण किया गया।

13.2.6 कोविड–19 महामारी की स्थिति

29 जनवरी, 2022 तक पूरे राज्य में कोविड–19 के कुल परीक्षण किए गए मामले 42,64,741 है जिसमें, संक्रमित मामले 2,63,914 पाए गए, कुल स्वस्थ्य हुए मामलों की संख्या 2,48,802 है तथा 3,944 मरीज़ों की कोविड–19 से दुर्भाग्यवश मौत हो गई है।

i कोविड टीकाकरण की स्थिति

- राज्य में कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया 16 जनवरी, 2021 से प्रारम्भ की गई। 30 जनवरी, 2022 को कोविड पोर्टल के अनुसार कुल 1,19,20,817 खुराकें दी गई, जिसमें से पहली खुराक 62,77,737 थी तथा 55,51,179 दूसरी खुराक थी। इसके अतिरिक्त 91,901 एहतियात खुराक (Precaution dose) दी गई।
- 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की टीकाकरण प्रक्रिया 3 जनवरी, 2022 को प्रारम्भ हुई। को–वैक्सीन (COVAXIN) की पहली खुराक 3,88,301 बच्चों को दी गई।
- एहतियात खुराक देने की प्रक्रिया जो कि स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं (एच.सी. डब्ल्यू.) अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (एफ.एल.डब्ल्यू.) तथा 60 वर्ष से अधिक गम्भीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को दी जा रही है का प्रारम्भ 10 जनवरी, 2022 से हुआ। इसमें अब तक 32,658 ए.एच.सी.डब्ल्यू. 14,848 एफएलडब्ल्यू तथा 60 वर्ष से अधिक गम्भीर बीमारियों से ग्रसित 44,395 लोगों को यह खुराक दी गई।

ii कोविड–19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु उठाए गए कदमः

कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने राज्य में इस महामारी की प्रथम व द्वितीय लहर को नियन्त्रित करने के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार महामारी के शुरूआती दौर से विभिन्न कदम उठाए तथा राज्य सरकार तीसरी लहर को भी नियन्त्रित करने के लिए तैयार है। कोविड महामारी को नियन्त्रित करने के लिए समय–2 पर दिशा निर्देश जारी किए गए और मामलों की संख्या के अनुसार तैयारियों को गति दी गई। राज्य में इस महामारी की रोकथाम एवं प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए।

iii निगरानी और संपर्क अनुरेखण (Surveillance and Contact Tracing) :

कोविड–19 के प्रसार के लिए जिलों में संपर्क–ट्रेसिंग टीमों (Contact Tracing Team) का गठन किया गया था। जिलों में नियन्त्रण क्षेत्र (Containment Zone) जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित किए गए थे। नियंत्रण क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा सक्रिय निगरानी तथा बफर जोन में निष्क्रिय निगरानी की गई। कोविड–19 नियन्त्रण क्षेत्र में माइक्रो

प्लान तैयार किए गए। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में होम आइसोलेशन में रह रहे सभी कोविड–19 से ग्रसित मरीज़ों की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से देखभाल की जा रही है। पहली सितम्बर, 2021 से 15 सितम्बर, 2021 में पूरे राज्य में सीरो (Sero) सर्वेक्षण किया गया।

iv सूचना शिक्षा और संचार (Information Education Communication):

राज्य में लोगों को विभिन्न जन मीडिया अभियानों के माध्यम से नियमित रूप से निवारक उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आम जनता की जागरूकता के लिए "सुरक्षा की युक्ति, कोरोना से मुक्ति" का एक विशेष अभियान प्रभावी रूप से पूरे राज्य में शुरू किया गया है। जन प्रतिनिधि अपने–अपने क्षेत्रों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नेतृत्व में नियमित रूप से जागरूकता पैदा कर रहे हैं। राज्य में आने वाले पर्यटकों को नियमित रूप से विभिन्न I.E.C. मीडिया के माध्यम से कोविड–19 से संबंधित निवारक उपायों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाता है।

v परीक्षण (Testing):

सभी कोविड–19 पोजिटिव मामले तथा कोविड–19 संदिग्ध जिन्हें आई.एल.आई./एस.ए.आर.आई. लक्ष्ण हैं उन्हें जांच हेतु लक्षित जनसंख्या माना गया है। जांच का दायरा बढ़ाने हेतु राज्य के सभी मुख्य नगरों के उचित स्थानों पर प्रत्येक दिन उचित समय पर रेपिड एंटीजन जांच हेतु वॉक इन किओस्क स्थापित किए हैं। विभाग द्वारा लोगों के लिए ओटो एसएमएस (Auto SMS) की सुविधा प्रदान की गई है जिसके अन्तर्गत लोगों के नमूनों की जांच की रिपोर्ट एस.एम.एस.द्वारा उन तक पहुंचाई जा रही है। इससे आम जनता को परिणाम के लिए अनावश्यक यात्रा/प्रतीक्षा/चिंता कम हो गई है और परिणामों की रिपोर्टिंग/सांझा करने में अधिक पारदर्शिता लाई है। जीवन धारा–"मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर" को दूरस्थ/दुर्गम, क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों में कोविड संदिग्धों के परीक्षण के लिए भी किया जाता है।

vi उपचार और प्रबंधन (Treatment and Management):

बड़े पैमाने पर सामान्य आबादी की मृत्यु दर और रूगणता को कम करने के लिए, गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाएं सक्षम की गईं। अप्रैल के महीने में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से शुरू किया गया, गैर कोविड सुविधाओं में नियमित सर्ज़री के निर्देश अगस्त महीने में दिए गए, प्रसूति के साथ प्रसूति देखभाल व टीकाकरण निरंतरता में रहीं। बीमारी की गंभीरता के आधार पर कोविड रोगियों के प्रबंधन के लिए समर्पित सुविधाएं बनाई गईं। कोविड –19 की दूसरी लहर के दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया कि

मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होने वाले सभी मरीजों को सर्वोतम चिकित्सा सुविधा मिले और ऑक्सीजन या किसी दवा की कमी न हो।

vii **स्वास्थ्य प्रणाली/अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना (Strengthening of Health System/ Infrastructure)** :

हिमाचल प्रदेश में कोविड–19 रोगियों को गुणवतापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हेतु ऑक्सीजन सिलेण्डर व ऑक्सीजन मैनीफोल्ड का प्रबन्धन करके समय–समय पर सभी कोविड समर्पित सुविधाओं को प्रदान किए गये। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए वेंटीलेटर गम्भीर कोविड रोगियों को स्वास्थ्य सुविधा देने हेतु स्थापित किए गए। पालमपुर में हाई प्रैशर ऑक्सीजन पाईप तथा 50 एल.एम.एस. प्लांट, ऊना में ऑक्सीजन की एनआरवी की पाईप लाईन टौणी देवी तथा भोरंज में पी.एस.ए. प्लांट तथा मैनी फोल्ड सिस्टम स्थापित करने का कार्य प्रगति पर रहा। भविष्य में कोविड–19 मामलों में किसी भी अप्रत्याशित वृद्धि को संभालने के लिए नालागढ़ (सोलन), राधास्वामी सत्संग भवन (सोलन), इन्दिरा गान्धी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टाण्डा (कांगड़ा), समर्पित कोविड स्वास्थ्य (डी.सी.एच.सी.) परौर (कांगड़ा), श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक (मण्डी), समर्पित कोविड स्वास्थ्य केन्द्र(डी.सी.एच.सी.) राधा स्वामी सत्संग व्यास, खलियार (मण्डी) तथा पकवाह (ऊना) में Makeshift अस्पताल स्थापित किए गए। इनका उपयोग क्षेत्र/अस्पताल की आवश्यकता के अनुसार किया गया।

Designed & Developed by
BLOCK -2
(GENERAL WARD)

बॉक्सः 13.2 हैल्थ सैटलाईट खाते, 2017–18 हिमाचल प्रदेश (अक्तूबर,2021)

"The Ultimate resource in economic development is People. It is people. It is people, not Capital or Raw materials that develop an economy" – by Peter Drucker

स्वास्थ्य व्यय एक अर्थव्यवस्था के लिए दो महत्वपूर्ण सामाजिक व्ययों में से एक है और दूसरा शिक्षा है। भारत में, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य, वित्त और स्वास्थ्य सुविधाओं दोनों का प्राथमिक प्रदाता है। इसके अतिरिक्त परिवार, प्रत्यक्ष स्वास्थ्य व्यय पर और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के भुगतान जैसे अप्रत्यक्ष व्यय पर एक उल्लखनीय राशि खर्च करते हैं। सार्वजनिक और निजी संयोजन राज्य की अर्थव्यवस्थाओं में स्वास्थ्य क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करता है।

इस संदर्भ में, हैल्थ सैटेलाईट खाते बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि यह एक व्यवस्थित ढांचे में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित वित्तीय प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है। अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत स्वास्थ्य लेखा प्रणाली (एस.एच.ए.–2011) पर आधारित यह ढांचा उपभोग, प्रावधानों और वित्तपोषण के अनुसार स्वास्थ्य व्यय को वर्गीकृत करने के लिए एक मानक प्रदान करता है। विस्तार से समझने के लिए स्वास्थ्य सैटेलाईट खाते चार अलग–अलग वर्गीकरणों द्वारा स्वास्थ्य व्यय (सार्वजनिक और निजी) प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वित्त के स्रोत, वित्तपोषण योजनाएं स्वास्थ्य देखभाल कार्य और स्वास्थ्य सुविधा के प्रदाता शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के अनुसार, "स्वास्थ्य को सपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रुप मे परिभाषित किया गया है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति"। आर्थिक विकास के ईंजन के रुप में स्वास्थ्य की भूमिका पूरी तरह से निराधार नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल में निवेश से जनता के लिए बेहतर, स्वस्थ जीवन होता है, जो बदले में उत्पादकता में योगदान देता है और एक कुशल कार्यबल बनाता है, जो कि किसी भी देश की सामाजिक व आर्थिक प्रगति को बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने सतत विकास लक्ष्य 3 के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पर भी जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि "स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और 2030 तक सभी उम्र के लोगों की देखभाल को बढ़ावा दें''। स्वास्थ्य क्षेत्र में गतिविधियों का एक बहुत ही विविध समूह है जिसमें न केवल ऐसी सेवाएं शामिल है जो बीमारियों का पता लगाती है बल्कि उसकी रोकथाम और जागरुकता भी प्रदान करती है। इस प्रकार भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र अपनी अतिव्यापी विशेषताओं, कार्य और उद्देश्यों के कारण काफी विशाल है और अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व के साथ –साथ रोजगार सृजन का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करता है। डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा परिकल्पित स्वास्थ्य सैटलाईट खाते, स्वास्थ्य व्यय और देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में धन के प्रवाह को मापने के लिए एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ढांचा है। स्वास्थ्य सैटेलाइट खाते इस क्षेत्र में निहित आंकड़ों को स्पष्ट करने में मद्द करते हैं, जिससे नीति निर्माताओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्लेषण करने या निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

मुख्य बिन्दू

राज्य में कुल स्वास्थ्य देखभाल व्यय, सार्वजनिक और निजी तथा राजस्व और पूंजी व्यय को एक साथ मिलाकर, ₹4351.90 करोड़ अनुमानित किया गया है। 2017–18 के लिए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद ₹1,38,551 करोड़ है। इसलिए स्वास्थ्य व्यय, जी.एस.डी.पी. का 3.14 प्रतिशत है। 2017–18 के लिए अनुमानित जनसंख्या 72.33 लाख के साथ, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय ₹6017.60 आंका गया है।

- राज्य के लिए प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एन.एस.डी.पी.), जो कि प्रति व्यक्ति आय का सूचक है। यह ₹1.65 लाख है।
- राज्य का कुल स्वास्थ्य व्यय ₹4351.90 करोड़, जिसमें से सार्वजनिक व्यय 47.90 प्रतिशत है और परिवार का अपना (जिसमें बीमा योजनाओं के लिए जेब से खर्च और स्वैच्छिक पूर्व भुगतान शामिल है) शेष 52.10 प्रतिशत के लिए हिस्सेदार है। सार्वजनिक व्यय का अनुपात जितना अधिक होगा, घरेलू खर्च पर निर्भरता उतनी ही कम होगी। साथ ही, निजी व्यय का अनुपात जितना अधिक होगा, स्वास्थ्य देखभाल भुगतान के लिए परिवारों के लिए उपलब्ध वित्तीय सुरक्षा की सीमा उतनी ही अधिक होगी।
- कुल वर्तमान स्वास्थ्य व्यय, ₹3731.00 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल पर केवल आवर्ती व्यय को संदर्भित करता है, और कुल शुद्ध पूंजीगत व्यय है। यह परिचालन व्यय को इंगित करता है जो राज्य के स्वास्थ्य परिणाम को प्रभावित करता है। वर्तमान स्वास्थ्य व्यय राज्य के कुल स्वास्थ्य व्यय का 85.7 प्रतिशत है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा व्यय से तात्पर्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के प्रीमियम के भुगतान या सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा आवंटित वित्त से है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा व्यय कुल ₹102.3 करोड़ होने के साथ यह स्वास्थ्य व्यय का सिर्फ 2.4 प्रतिशत है।
- इसके विपरित, निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय कुल स्वास्थ्य व्यय का 0.4 प्रतिशत है जो कि बहुत कम है। यह स्वैच्छिक पूर्व भुगतान योजनाओं को चुनने के लिए परिवारों की कम मंशा को इंगित करता है।
- वर्ष 2017–18 के लिए कुल सामान्य सरकारी व्यय जो कि ₹34,811.21 करोड़ है जिसमें स्वास्थ्य पर व्यय 5.98 प्रतिशत रहा।
- आयुष (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक शिक्षा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपेथी) या टी.सी.ए.एम. (पारम्परिक पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा) पर सार्वजनिक व्यय कुल सार्वजनिक व्यय का 8.90 प्रतिशत है।
- स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण योजनाओं द्वारा कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत वितरण से पता चलता है कि कुल व्यय का 60.4 प्रतिशत परिवारों के जेब खर्च के कारण है। राज्य सरकार की योजनाओं में 27.8 प्रतिशत और केन्द्र सरकार की योजनाओं का राज्य में कुल स्वास्थ्य व्यय का 7.9 प्रतिशत हिस्सा है।

- स्वास्थ्य वित्तपोषण योजनाओं के राजस्व द्वारा कुल स्वास्थ्य व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है कि कुल व्यय का 60.4 प्रतिशत घरों से राजस्व के कारण है। राज्य सरकार का हिस्सा 29.3 प्रतिशत है और केन्द्र सरकार विभिन्न अनुदानों और योजनाओं के माध्यम से लगभग 8.2 प्रतिशत खर्च करती है।
- इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल कार्यों द्वारा कुल स्वास्थ्य व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है कि कुल स्वास्थ्य व्यय का 31 प्रतिशत रोगी की उपचारात्मक देखभाल पर खर्च किया जाता है, जबकि 42.1 प्रतिशत बाह्य रोगी उपचारात्मक देखभाल पर खर्च किया जाता है। निर्वारक देखभाल 5.8 प्रतिशत है। फार्मास्यूटिकल्स पर कुल व्यय, मुख्य रुप से ओवर–द–काउंटर खर्चा का जिक्र है, जो कि कुल स्वास्थ्य व्यय का 4.3 प्रतिशत है, और कुल व्यय का लगभग 60 प्रतिशत गैर–एलोपैथिक या टी.सी.ए.एम. उपचार पर किया जाता है।
- अन्त में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा कुल स्वास्थ्य व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है कि स्वास्थ्य देखभाल राजस्व प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा प्रदाता “खुदरा विक्रेता और चिकित्सा वस्तुओं के अन्य प्रदाता” है। ये कुल खर्च का 41.6 फीसदी है। सामान्य सार्वजनिक अस्पतालों की हिस्सेदारी 17.4 प्रतिशत है जबकि सामान्य निजी अस्पतालों की हिस्सेदारी 5.6 प्रतिशत है।

13.2.7 स्वास्थ्य सूचकांक –हिमाचल प्रदेश की स्थिति

परिचय

नीति आयोग ने 2019–20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है। “स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत” शीर्षक वाली रिपोर्ट राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में साल–दर–साल वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ–साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर रैंक करती है। इसे विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के निकट परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। यह स्वास्थ्य परिणामों, शासन और सूचना और प्रमुख इनपुट प्रक्रियाओं के डोमेन के तहत समूहित बड़े राज्यों के लिए 24 संकेतकों पर आधारित एक समग्र सूचकांक है।

कार्य विधि

- **स्वास्थ्य परिणामः** इसमें नवजात मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम मृत्यु दर, जन्म के समय लिंगानुपात जैसे पैरामीटर शामिल हैं।
- **शासन और सूचनाः** इसमें संस्थागत प्रसव, स्वास्थ्य के लिए निर्धारित प्रमुख पदों पर वरिष्ठ अधिकारियों की औसत व्यस्तता जैसे पैरामीटर शामिल हैं।
- **मुख्य इनपुट/प्रक्रियाएंः** स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की कमी का अनुपात जो कि उपलब्ध किया जाना चाहिए, कार्यात्मक चिकित्सा सुविधाएं, जन्म और मृत्यु पंजीकरण इत्यादि शामिल हैं।

- **राज्यों की रैंकिंग:** समान संस्थाओं के बीच तुलना सुनिश्चित करने के लिए, रैकिंग को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया हैः

  - बड़े राज्य (19 राज्य)
  - छोटे राज्य (8 राज्य)
  - केन्द्र शासित प्रदेश (7 केन्द्र शासित प्रदेश)

इस वर्गीकरण में हिमाचल प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में आता है।

प्रमुख परिणाम (हिमाचल प्रदेश)

- समग्र प्रदर्शन के मामले में, हिमाचल प्रदेश को कुल संदर्भ वर्ष सूचकांक स्कोर 63.17 (2019–20) के साथ 19 बड़े राज्यों की श्रेणी में 7 वें स्थान पर रखा गया है।
- आधार वर्ष (2018–19) से संदर्भ वर्ष (2019–20) में वृद्धिशील परिवर्तन के संदर्भ में, बड़े राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश का वृद्धिशील रैंक 15 है।
- इस संदर्भ में 0.06 का नाकारात्मक वृद्धिशील परिवर्तन है।

अवलोकन

1. हिमाचल प्रदेश को कम हुए रैंक श्रेणी के तहत रखा गया है, क्योंकि इसका समग्र प्रदर्शन रैंक संदर्भ वर्ष (2019–20) में 7वें स्थान तक खिसक गया है, जो की आधार वर्ष (2018–19) में छठा था।
2. आधार वर्ष और संदर्भ वर्ष के बीच समग्र प्रदर्शन और वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया गया हैः

   समग्र प्रदर्शन: राज्यों को संदर्भ वर्ष (2019–20) सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर वर्गीकृत किया गया है : फ्रंट–रनज : शीर्ष एक तिहाई (सूचकांक स्कोर 64.99 से अधिक) एचिवर्स : मध्य एक तिहाई (सूचकांक स्कोर 47.78 और 64.99 के बीच), एस्पाइरेंट्स : सबसे कम एक तिहाई सूचकांक (सूचकांक स्कोर 47.78 से कम)

   वृद्धिशील प्रदर्शन: इसे वृद्धिशील सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर वर्गीकृत किया गया हैः बेहतर नहीं (0 या उससे कम), कम से कम सुधार (0.01–2.0), मामूली सुधार (2.01–4.0) से और सबसे बेहतर (4.0 से अधिक)

3. इसलिए, समग्र प्रदर्शन के मामले में, हिमाचल प्रदेश की एचिवर के रूप में एक उपलब्धि है, लेकिन नकारात्मक वृद्धिशील परिवर्तन के कारण वृद्धिशील प्रदर्शन में सुधार नहीं किए गए राज्यों की श्रेणी में आता है।

4. स्वास्थ्य परिणाम डोमेन में, हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य परिणाम स्कोर 68.76 है जिसमें सकारात्मक वृद्धिशील परिवर्तन 2.26 है।

5 शासन ओर सूचना क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश का शासन ओर सूचना क्षेत्रों में सूचकांक स्कोर 47.99 है, जिसमें 18.02 के नाकारात्मक वृद्धिशील परिवर्तन हैं।

6. प्रमुख इनपुट और प्रक्रिया डोमेन में, हिमाचल प्रदेश का प्रमुख इनपुट और प्रक्रिया स्कोर 4.20 के साकारात्मक वृद्धिशील परिवर्तन के साथ 51.65 है।

13.3 समाज कल्याण कार्यक्रम

13.3.1 समाज कल्याण एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

राज्य का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, शिशुओं, विशेष रूप से दिव्यांग, अनाथ बच्चों, विधवाओं, निराश्रित, गरीब बच्चों और महिलाओं आदि के सामाजिक– आर्थिक और शैक्षिक उत्थान में लगा हुआ है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित पेंशन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

सारणी 13.12: राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं

योजनाएं	पात्रता शर्तें	राशि (₹)प्रति माह
वृद्धावस्था पैंशन	• वे बुजुर्ग जिनकी आयु 60 से 69 वर्ष है और जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से कम है। • वे बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो और बिना किसी आय सीमा के। • 3,14,184 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹607.63 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹467.39 करोड़ की राशि 31.12.2021 तक व्यय की गई।	850 1500
दिव्यांग राहत भत्ता	• जिनकी 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता तथा आय ₹35,000 प्रति वर्ष से कम है। • जिनकी 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता है। • 64,904 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹97.31 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹67.92 करोड़ की राशि 31.12.2021 तक व्यय की गई ।	1000 1500
विधवा/परित्यक्त / एकल नारी पेंशन	• 45 वर्ष से अधिक की महिला जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 प्रति वर्ष से कम है। • 70 वर्ष तथा अधिक • 1,00,945 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹170.48 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹124.60 करोड़ की राशि 31.12.2021 तक व्यय की गई।	1000 1500
लेपर्स को पुनर्वास भत्ता	• 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगी के लिए उम्र और वार्षिक आय की किसी भी सीमा के बिना। • 70 वर्ष और उससे अधिक तक के कुष्ठ रोगी के लिए उम्र और वार्षिक आय की किसी भी सीमा के बिना। • 1,482 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹194.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹100.66 लाख की राशि 31.12.2021 तक व्यय की गई।	850 1500
ट्रांसजेंडर पेंशन	• ट्रांसजेंडर जिनकी आयु 69 वर्ष तक • ट्रांसजेंडर जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है। • 150 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹2.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹0.48 लाख की राशि 31.12.2021 तक व्यय की गई ।	850 1500
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (बी.पी.एल.)	• 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति जो बी.पी.एल. से संबंधित हैं। • 70 वर्ष से अधिक के व्यक्ति जो बी.पी.एल. से संबंधित है। • 1,01,809 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹41.43 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹39.58 करोड़ की राशि 31.12.2021 तक व्यय की गई ।	850 1500
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	• 40 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु की विधवाएं जो बी.पी.एल. से संबंधित हैं। • 24,398 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹9.41 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹7.81 करोड़ की राशि 31.12.2021 तक व्यय की गई ।	1200
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन	• 18 से 79 वर्ष तक के विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्ति के लिए 80 प्रतिशत विशेष क्षमता और बीपीएल से संबंधित है। • 1,128 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹72 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹41.62 लाख करोड़ की राशि 31.12.2021 तक व्यय की गई ।	1500

13.3.2 स्व–रोजगार योजना

विभाग तीन निगमों द्वारा जोकि हि.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हि.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति विकास निगम को विभिन्न स्वंय रोजगार योजनाएं चलाने हेतु निवेश शीर्ष के अन्तर्गत राशि उपलब्ध करवा रहा है। वर्ष 2021–22 के लिए ₹ 13.00 करोड़ का बजट प्रावधान है और 31.12.2021 तक ₹4.495 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

13.3.3 अनुसूचित जाति उप–योजना

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। यद्यपि अनुसूचित जाति समुदाय सामान्य योजना के साथ साथ जनजातीय क्षेत्र विकास योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यक्रमों के तहत विशेष कवरेज प्रदान करने और अनुसूचित जाति केंन्द्रित गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल राज्य योजना आवंटन का 25.19 प्रतिशत अनुसूचित जाति विकास योजना के लिए निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य में अनुसूचित जाति विकास योजना के तहत अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए ₹ 2,369.22 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं।

13.3.4 अनुसूचित जाति/जन–जाति पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण

वर्ष 2021–22 के अर्न्तगत निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गई हैंः

सारणी 13.13: एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. एवं अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए राज्य की विभिन्न योजनाएं

योजनाएं	संक्षिप्त विवरण
अंतर्जातीय विवाह के लिए पुरस्कार	अंतर्जातीय विवाह के लिए ₹50,000 का पुरस्कार दिया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत ₹3.10 करोड़ का बजट प्रावधान प्रदान किया गया तथा 48 दम्पतियों को 31.12.2021 तक ₹24.00 लाख की राशि व्यय करके लाभान्वित किया गया।
स्वर्ण जयन्ती आश्रय/ गृह अनुदान	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को जिनकी आय 35,000 से अधिक नहीं है को गृह अनुदान ₹1,50,000 प्रति परिवार घर निर्माण के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत ₹68.48 करोड़ का बजट प्रदान किया गया है तथा 4,565 व्यक्तियों को 31.12.2021 तक लाभान्वित किया गया।
कंप्यूटर में प्रशिक्षण और प्रवीणता	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, दिव्यांग, एकल महिला और विधवा या जिनकी वार्षिक आय ₹2.00 लाख से कम है, को ₹1350 प्रति माह और दिव्यांगो के लिए ₹1,500 की राशि प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं।

	कंप्यूटर कार्य में प्रवीणता लाने के लिए संगठनों/कार्यलयों में 6 माह की नियुक्ति प्रदान की जाती है, इस अवधि में सामान्य वर्ग को ₹1,500 प्रति माह तथा दिव्यांगो को ₹1,800 प्रति माह प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2021—22 में ₹4.60 करोड़ का बजट प्रावधान प्रदान किया गया है और 4,426 प्रशिक्षुओं को 31.12.2021 तक ₹36.82 लाख़ की राशि व्यय करके लाभान्वित किया गया है।
अनुवर्ती कार्यक्रम	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, उन्हें बढ़ईगीरी, बुनाई, चमड़े के काम आदि के लिए उपकरणों की खरीद के लिए ₹1,300 और सिलाई मशीन की खरीद के लिए ₹1,800 दिए जाते हैं। वर्ष 2021—22 के लिए ₹1.46 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है और 31.12.2021 तक 8,111 के लक्ष्य के मुकाबले 153 व्यक्तियों को लाभान्वित करते हुए ₹2.75 लाख की राशि खर्च की गई है।
एस.सी./एस.टी. पर अत्याचार के शिकार को मुआवजा अत्याचार के निवारण एक्ट — 1989 (POA)	एस.सी./एस.टी. अत्याचार के शिकार लोगों को ₹85,000 से ₹8.25 लाख तक की राहत प्रदान की जाती है। वर्ष 2021—22 के दौरान ₹3.07 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है तथा ₹2.11 करोड़ की राशि 199 व्यक्तियों को 31.12.2021 तक मुआवजे के रुप में प्रदान की गई है।
सिविल सेवा कोचिंग के लिए सहायता	सिविल सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा उतीर्ण करने वाले हिमाचलियों को ₹30,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2021—22 के दौरान ₹5.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध ₹1.80 लाख 6 उममीदवारों को प्रदान किए गए है।
दिव्यांगो के लिए छात्रवृत्ति	सभी वर्गों के बच्चों के लिए जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत है, को यह छात्रवृत्ति ₹625 से ₹3,750 तक तथा आवासी बच्चों के लिए ₹1,875 से ₹5,000 तक की राशी दी जाती है। 31.12.2021 तक ₹1.04 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹57.79 लाख की राशि व्यय कर 352 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।
दिव्यांग व्यक्तियों के साथ विवाह करने वाले को विवाह अनुदान	स्वस्थ पुरूष व महिला को दिव्यांग व्यक्ति से विवाह के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 40 से 69 प्रतिशत की दिव्यांगता पर ₹25,000 दिए जाते है। 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर ₹50,000 दिए जाते हैं। ₹88.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध 31.12.2021 तक ₹43.74 लाख की राशि से 130 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
जागरूकता अभियान	विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों ओर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए खण्ड और जिला स्तरीय संयुक्त शिविर आयोजित करने के लिए वर्ष 2021—22 के लिए ₹7.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।
स्व—रोजगार	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम द्वारा 40 प्रतिशत और उससे अधिक की विशेष दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021—22 के अर्न्तगत 31.12.2021 तक ₹3.24 करोड़ की ऋण राशि 57 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी की गई है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संस्थान	दृष्टिहीन और श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा और व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य में ढली तथा सुंदरनगर में दो संस्थान स्थापित किए गए हैं। ₹180.99 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध 31.12.2021 तक ₹98.40 लाख की राशि व्यय की गई। राज्य सरकार असीम (ASEEM) योजना के अर्न्तगत तथा राज्य के विभिन्न आश्रमों के 158 लाभार्थियों को निशुल्क आवास एवं चिकित्सा सुविधा के लिए ₹5,500 प्रति सहनिवासी प्रति माह की दर से प्रदान कर रही है। ₹106.88 लाख के बजट

	प्रावधान के विरुद्ध 31.12.2021 तक ₹105.37 लाख की राशि व्यय की गई।
दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRCs)	दो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हमीरपुर और धर्मशाला में चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत ₹2.12 लाख की राशि प्रदान की गई।
मानसिक रूप से बीमार लोगों के पुनर्वास के लिए हाफ वे होम	प्रदेश में वर्ष 2021–22 के अर्न्तगत दो हाफ वे होम स्थापित किए गए। इन दो हाफ वे होम के लिए चालु वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ₹1.10 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

13.3.5 महिला एवं बाल विकास

नारी सेवा सदन मशोबरा

इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवा लड़कियों, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय महिलाएं तथा जिनकी अस्मिता को खतरा हो, को निःशुल्क आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दवाईयां तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। वर्तमान में नारी सेवा सदन मशोबरा में बच्चे रह रहे हैं। महिलाओं को सेवा सदन छोड़ने पर पुनर्वास के लिए ₹25,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है तथा शादी करने के लिए उसे ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

13.3.6 वन स्टॉप सेन्टर

वन स्टॉप सेन्टर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ही छत के नीचे निजी तथा सार्वजनिक स्थानो में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करना है तथा महिलाओं के खिलाफ हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए चिकित्सकीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक तथा परामर्श सहायता सहित कई सेवाएं तत्काल आपातकालीन और गैर आपातकालीन स्थितियों में प्रदान करना है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक "वन स्टॉप सेंटर" की स्थापना की गई है।

13.3.7 महिला शक्ति केन्द्र

यह योजना हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में खंड स्तर पर 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के अन्तर्गत स्वीकृत है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी द्वारा सशक्त बनाना है। योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे स्वयं सेवक छात्र विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरुकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगें ।

13.3.8 सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेश

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं/किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए नीतियां बनाना, सुरक्षा से सम्बन्धित एक्ट, नियमों, नीतियों और कार्यक्रमों तथा उत्थान, सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा,

बालिकाओं/किशोरियों के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने हेतु सुझाव देना तथा बालिकाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी पहलुओं में गुणात्मक सुधार करना है।

सारणी–13.14: महिला, बाल एवं लड़कियों के कल्याण के लिए राज्य की विभिन्न योजनाएं

योजनाएँ	संक्षिप्त विवरण
बाल संरक्षण योजना	राज्य में 43 चाइल्ड केयर संस्थान हैं, जिनमें 36 चिल्ड्रन होम, 2 ऑब्जर्वेशन होम–कम–स्पेशल होम एवं होम–कम–प्लेस ऑफ सेफ्टी, 4 ओपन शेल्टर और 1 शिशु गृह शामिल हैं।
मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना	उच्च/व्यावसायिक शिक्षा के लिए बाल देखभाल संस्थानों को छोड़ने के बाद बच्चों को 18 वर्ष की आयु होने के उपरान्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
बाल/बालिका सुरक्षा योजना और दत्तक देखभाल कार्यक्रम	बच्चों के रखरखाव के लिए दतक माता–पिता के पक्ष में ₹2,000 प्रति माह प्रति बच्चे की राशि मंजूर की जाती है और ₹500 प्रति बच्चा प्रति माह राज्य से अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
नाबालिग बलात्कार और बाल दुर्व्यवहार पीड़िता का पुनर्वास	इस योजना का उद्देश्य गहन परामर्श वित्तीय सुरक्षा, कौशल उन्नयन पुनर्वास और आजीविका सहायता के माध्यम से बलात्कार और बाल शोषण के नाबालिग पीड़ितों के आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा लौटाना है। अपराध की पुष्टि होने पर पीड़ित को 21 वर्ष की आयु तक ₹7,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
समग्र बाल विकास सेवाएं	विभाग, केन्द्र और राज्य के 90:10 के आधार पर पूरक पोषण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच रेफरल सेवा और गैर–औपचारिक पूर्व–विद्यालय शिक्षा प्रदान कर रहा है।
अनुपूरक पोषण कार्यक्रम	राज्य के 78 खंडों के 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं, कुपोषित बच्चों और बीपीएल किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा ₹71.10 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा ₹7.90 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	इस कार्यक्रम के तहत बेसहारा लड़कियों के अभिभावकों को उनकी शादी के लिए ₹51,000 का अनुदान दिया जा रहा है, बशर्ते उनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो।
महिलाओं के लिए स्वरोजगार सहायता	इस योजना के तहत 35,000 से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को 5,000 आय सृजन करने वाली गतिविधियों को चलाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
विधवा पुनः विवाह योजना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा पुनः विवाह के बाद पुनर्वास में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अर्न्तगत दम्पति को ₹50,000 का अनुदान दिया जाता है।
मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना	इस योजना का उद्देश्य अपने बच्चों की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रखरखाव के लिए BPL से संबंधित निराश्रित महिलाओं को केवल दो बच्चों के लिए प्रति वर्ष ₹6,000 प्रति बच्चे की सहायता प्रदान की जाती है, बशर्ते पारिवारिक वार्षिक आय 35,000 से अधिक न हो।
विशेष महिला उत्थान योजना	इस योजना के अर्न्तगत् शारीरिक और यौन शोषित महिलाओं को पुर्नवास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के द्वारा ₹3,000 प्रतिमाह वजीफा तथा प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के पश्चात ₹800 प्रति

	प्रशिक्षु परीक्षा शुल्क प्रदान किया जाता है।
बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना	इस योजना को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर ऊना, सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर और मंडी जिलों में लागू किया गया है, जिसमें लैंगिक पक्षपातपूर्ण चयनात्मक उन्मूलन को रोकना है।
बेटी है अनमोल योजना	इस योजना के तहत ₹12,000 की पोस्ट बर्थ ग्रांट में छात्रवृत्ति को सम्मिलित करके 12 अगस्त, 2021 के बाद बढ़ाकर ₹21,000 कर दी गई है। यह राशि केवल दो लड़कियों को प्रदान की जाती है जो बी.पी.एल. परिवारों से संबंधित है।
किशोरियों के लिए योजना	इसका उद्देश्य 11–14 साल की उम्र की स्कूली किशोरियों को औपचारिक स्कूली शिक्षा या ब्रिज लर्निंग में वापस लाने के लिए, केन्द्र और राज्य के (90:10) के आधार पर उनकी पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को ₹5,000 प्रोत्साहन राशि तीन किश्तों में प्रदान करती है। वर्ष 2021–22 के दौरान ₹16.36 करोड़ की राशि को 34,504 महिलाओं के खाते में जमा किया गया।
सशक्त महिला योजना	यह योजना 11–45 वर्ष की ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने और उनके अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें अपने अधिकार का एहसास करने और उन्हें पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए संस्थागत समर्थन की सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है। प्रत्येक विकास खण्ड के स्वयं सहायता समूह को ₹35,000 की एक मुश्त राशि आय सृजन गतिविधियों तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए राशि प्रदान की जाती है तथा प्रत्येक जिले से 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के आधार पर शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली 5 बालिकाओं को ₹5,000 प्रति बालिका अवार्ड राशि के रूप में दी जाती है।

13.3.9 हिमाचल प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र के खर्च के प्रवाह

सामाजिक सेवा क्षेत्र पर खर्च में वृद्धि सरकार की सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के अनुपात के रूप में राज्य द्वारा सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य) पर व्यय 2016–17 से 2021–22 (अग्रिम अनुमान–अ) की अवधि के दौरान बढ़कर 8.48 प्रतिशत से 9.72 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान सभी सामाजिक क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। शिक्षा के लिए वृद्धि इसी अवधि में 4.17 प्रतिशत से बढ़कर 4.72 प्रतिशत और स्वास्थ्य के लिए 1.42 से 1.70 प्रतिशत हो गई। कुल बजटीय व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय का भाग भी वर्ष 2016–17 में 29.52 प्रतिशत (सारणी–13.13) से बढ़कर वर्ष 2021–22(अ) में 33.91 प्रतिशत हो गया।

सारणी–13.15: राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र के खर्च में प्रवाह

संकेतक	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20 वास्तविक	2020–21 संशोधित अनुमान	2021–22 बजट अनुमान
कुल बजटीय व्यय (₹ लाख में)	3607578	3481120	3915427	4306330	5346019	5019163
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	1065099	1147151	1266925	1330535	1612939	1701923
जिसमें से:						
i) शिक्षा	524091	604067	619772	642287	752284	827165
ii) स्वास्थ्य	178685	200583	223790	230683	2953330	297604
iii) अन्य	362323	342501	423363	457565	565326	577154
	जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में					
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	8.48	8.28	8.54	8.36	10.29	9.72
जिसमें से:						
i) शिक्षा	4.17	4.36	4.18	4.04	4.80	4.72
ii) स्वास्थ्य	1.42	1.45	1.51	1.45	1.88	1.70
iii) अन्य	2.88	2.47	2.85	2.87	3.61	3.29
	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में					
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	29.52	32.95	32.36	30.90	30.17	33.91
जिसमें से:						
i) शिक्षा	14.53	17.35	15.83	14.91	14.07	16.48
ii) स्वास्थ्य	4.95	5.76	5.72	5.36	5.52	5.93
iii) अन्य	10.04	9.84	10.81	10.63	10.57	11.50
	सामाजिक सेवाओं के प्रतिशत के रूप में					
i) शिक्षा	49.21	52.66	48.92	48.27	46.64	48.60
ii) स्वास्थ्य	16.78	17.49	17.66	17.34	18.31	17.49
iii) अन्य	34.02	29.86	33.42	34.39	35.05	33.91

स्रोत: राज्य सरकार के बजट दस्तावेज के अनुसार

नोट:

1. सामाजिक सेवाएं: जैसे शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का कल्याण, श्रम और श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत आदि शामिल हैं।

2. शिक्षा पर व्यय: जैसे शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर व्यय से संबंधित है।

3. स्वास्थ्य पर व्यय: जैसे चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और जल आपूर्ति और स्वच्छता इत्यादि।

4. बाजार की प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात आधार वर्ष 2011–12 पर आधारित हैं। वर्ष 2021–22 के लिए जी.डी.पी. पहले बजट अनुमान है।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज

14
अध्याय

14.1 ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है। राज्य में निम्नलिखित राज्य तथा केंद्रीय प्रायोजित विकासात्मक योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:–

14.2 दीनदयाल अन्तोदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) को राज्य में 01–04–2013 से DAY-NRLM में बदल दिया गया है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को दीर्घकालिक आजीविका के लिए लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर गरीबी को कम करना है। यह अभियान सम्पूर्ण प्रदेश के 86 विकास खण्ड़ों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

14.2.1 इस कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्न है:

i. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत् समस्त ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके आजीविका अर्जन की गतिविधियों से जोड़ना है।

ii. इस वित्तीय वर्ष में, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) एवं ग्राम संगठनों (VOs) को प्रशिक्षण और मजबूत करने के लिए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने 390 आंतरिक सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (ICRPs) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में 5 सक्रिय महिलाओं की पहचान की है और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR) हैदराबाद के समन्वय में प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद, इन आंतरिक सामुदायिक संसाधन व्यक्तियो को हर महीने अपने संबंधित ब्लॉक में नए स्वयं सहायता समूह बनाने और मौजूदा स्वयं सहायता समूहों को पंचसूत्र, (बैंक लेनदेन, नियमित बैठकें, नियमित बचत, आपसी उधारी, नियमित कर्ज भुगतान, और लेखा–जोखा) रिकॉर्ड रखने और अन्य विभागों की योजनाओं के बारे में जानकारी देने हेतू समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तैनात किया जाता है।

iii. हिमाचल प्रदेश में 30,987 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह, 873 ग्रामीण संगठन और 15 क्लस्टर स्तरीय संघ (सी.एल.एफ.) का गठन किया गया है। इसके अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को स्टार्ट–अप फंड, रिवालविंग फंड तथा सामुदायिक निवेश राशि के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

14.2.2 स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को दिए जाने वाले प्रोत्साहन निम्न प्रकार से हैं:

i. ब्याज अनुदान

स्वंय सहायता समूह प्रति वर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹3.00 लाख तक के ऋण पर अनुदान के लिए पात्र होंगे। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के अन्तर्गत अपने मौजूदा बकाया ऋण में पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने वाले स्वंय सहायता समूह इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, इस योजना के अन्तर्गत जिलों की दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, श्रेणी–I में चार जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला और ऊना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं और शेष जिले श्रेणी–II में आते हैं और हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषित किए जाते हैं। श्रेणी–I के जिलों के स्वंय सहायता समूह को बैंक 7 प्रतिशत ब्याज पर ₹3.00 लाख की कुल ऋण राशि तक उधार देता है। स्वंय सहायता समूह को तत्काल भुगतान पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी मिलता है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर 4 प्रतिशत हो जाती है। श्रेणी–II के जिलों के लिए बैंक स्वंय सहायता समूह को उनके संबंधित उधार मापदंडों के अनुसार ऋण देते हैं। और स्वंय सहायता समूह के ऋण खातों में हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HPSRLM) द्वारा उधार दरों और 7 प्रतिशत के अंतर को अनुदान 5.5 प्रतिशत की सीमा तक वहन किया जाता है।

ii. रिवालविंग राशि व सामुदायिक निवेश के रूप में दिये जाने वाले वित्तीय अनुदान

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गरीब महिलाओं के स्वंय सहायता समूहों व उच्चस्तरीय महासंघों (ग्राम संगठनों और क्लस्टर/खण्ड स्तर महासंघ) का गठन किया गया है। गठन के तीन महीने बाद प्रदर्शन के आधार पर स्वंय सहायता समूह को यदि वह नियमित रुप से मीटिंग, बचत, आपसी उधारी, नियमित कर्ज भुगतान तथा उचित लेखा–जोखा रखता है, को ₹15 हजार रिवालविंग फंड के रूप में प्रदान किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने ₹32.10 करोड की राशि 17,939 से अधिक स्वंय सहायता समूहों को रिवालविंग फंड के रुप में वितरित की है।जिसके परिणामस्वरूप स्वंय सहायता समूह अब आय सृजन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और अपनी आजीविका और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं।

iii. प्रारम्भिक राशि (स्टार्टअप फंड)

स्टार्टअप फंड की राशि ₹2,500 स्वंय सहायता समूहों व ₹45,000 प्रति ग्राम गठन के उपरान्त तुरन्त प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने वर्ष 2018–19 से स्टार्टअप फंड की राशि स्वयं सहायता समूहों तथा ग्राम संगठनों को वितरित करनी प्रारम्भ की। दिसम्बर, 2021 तक ₹4.40 करोड 17,784 स्वंय सहायता समूहों व ₹2.40 करोड की राशि 532 ग्राम संगठनों को स्टार्टअप फंड के रूप में दी जा चुकी है।

iv. रिवालविंग फंड (आर.एफ.)

दस से पन्द्रह हजार रुपये की राशि उन स्वंय सहायता समूहों को दी जाती है जो गठन के बाद 3 माह से पंचसूत्रों का पालन कर रहे हों। दिसम्बर, 2021 तक ₹32.10 करोड़ की राशि 17,939 स्वयं सहायता समूहों को दी जा चुकी है।

v. सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.)

सामुदायिक निवेश निधि ₹50 हजार तक उन स्वंय सहायता समूहों को प्रदान की जाती है जो गठन के बाद 6 माह से अपनी जमा पूंजी व रिवालविंग राशि से सदस्यों को छोटे ऋण प्रदान कर रहे हों। यह राशि स्वंय सहायता समूहों को ऋण के रूप में ग्राम संगठनों के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके अर्न्तगत 458 ग्राम संगठनों को अच्छा कार्य करने के लिए इस योजना में चुना गया है तथा ₹12.28 करोड़ की अतिरिक्त राशि सामुदायिक निवेश निधि के रुप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदान की गई है।

vi. हिम ईरा स्वंय सहायता समूह की दुकानें

स्वंय सहायता समूह सदस्यों को एक स्थायी आजीविका का अवसर प्रदान करने और उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए बाजार से जुड़ाव प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने 2020–21 के बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महिला स्वंय सहायता समूह सदस्यों द्वारा प्रबन्धित व संचालित हिम ईरा दुकानों को खोलने की घोषणा की है। ग्रामीण विकास विभाग, ने प्रदेश में हिम ईरा स्वंय सहायता समूह की 100 दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। अप्रैल, 2021 से नवंबर, 2021 तक 40 कार्यरत हिम ईरा दुकानों की कुल बिक्री ₹45.00 लाख दर्ज की गई। इसके अलावा विभाग 58 विकास खंडों में हिम ईरा साप्ताहिक बाजारों का आयोजन कर रहा है और अप्रैल से नवंबर, 2021 तक कुल बिक्री ₹44.18 लाख दर्ज की गई।

14.2.3 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक जिलावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अन्तर्गत उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:–

सारणी 14.1: वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लक्ष्य तथा उपलब्धियां (निरन्तर)

जिला का नाम	स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य	उपलब्धियां	रिवालविंग फंड का लक्ष्य		रिवालविंग फंड की उपलब्धियां	
			एस.एच.जी. की संख्या	राशि (₹लाख)	एस.एच.जी. की संख्या	राशि (₹लाख)
बिलासुपर	403	122	321	48.15	173	27.25
चम्बा	733	260	533	79.95	219	33.20
हमीरपुर	623	300	451	67.65	267	51.90
कांगड़ा	1577	1074	1201	180.15	1126	205.80
किन्नौर	293	64	175	26.25	136	21.00
कुल्लू	513	332	411	61.65	324	59.45
लाहौल स्पिति	74	07	88	13.20	01	0.25
मण्डी	1137	889	1473	220.95	729	124.90
शिमला	1137	586	1062	159.30	646	97.70
सिरमौर	623	742	542	81.30	1081	165.40
सोलन	477	163	323	48.45	215	35.55
ऊना	477	239	420	63.00	378	60.40
कुल योग	**8067**	**4778**	**7000**	**1050.00**	**5295**	**882.80**

जिला का नाम	सामुदायिक निवेश का लक्ष्य		सामुदायिक निवेश की उपलब्धियां		बैंकों के साथ एस.एच.जी. का क्रैडिट लिंकेज (₹लाख में)	क्रैडिट की उपलब्धियां (₹लाख में)
	एस.एच.जी. की संख्या	राशि (₹लाख)	एस.एच.जी. की संख्या	राशि (₹लाख)		
बिलासपुर	134	67.00	23	11.60	510	224.88
चम्बा	105	52.50	13	8.00	1100	227.20
हमीरपुर	78	39.00	49	20.08	830	247.13
कांगड़ा	273	136.50	04	2.00	2200	1751.59
किन्नौर	52	26.0	12	6.00	220	43.69
कुल्लू	133	66.50	0	0.00	410	214.92
लाहौल स्पिति	0	0.0	0	0.00	170	0.00
मण्डी	331	165.50	66	36.75	1760	1590.83
शिमला	297	148.50	131	65.95	1600	843.53
सिरमौर	136	68.00	174	75.80	680	229.08
सोलन	102	51.00	22	10.50	690	235.56
ऊना	159	79.50	92	39.07	830	654.97
कुल योग	**1800**	**900.00**	**586**	**275.75**	**11000**	**6263.38**

14.3 मुख्यमंत्री एक बीघा योजना

मुख्यमंत्री एक बीघा योजना मई, 2020 में शुरु की गई थी जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा के बीच एक अभिसरण योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ पंजीकृत स्वंय सहायता समूह की कोई भी महिला ₹1.00 लाख तक इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठा सकती है अगर उसके पास मनरेगा जॉव कार्ड है। इस योजना के अन्तर्गत 11,271 आवेदन स्वीकृत किए गए। आवेदनों के आधार पर 6,649 कार्य शुरु किये जिसमें से 1,756 कार्य, ₹18.72 करोड़ के कुल व्यय के साथ पूरे किये गये।

14.4 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनाः (डी.डी.यू.–जी.के.वाई.)

दीनदयाल उपाध्यय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत् कौशल विकास के लिए चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल प्रदान करना और न्यूनतम मजदूरी या उससे ऊपर नियमित मासिक वेतन प्रदान करने वाली नौकरियां प्रदान करना है। इस योजना के लाभ निम्न वर्णित हैं:–

- परियोजना के अन्तर्गत यह आश्वासन दिया गया है कि 70 प्रतिशत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा।
- योजना के अन्तर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण एवं निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाती है।

- पाठयक्रमों की अवधि 3–12 महीने तक होती है।
- उम्मीदवार की पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग एक वर्ष के लिए की जाती है।

सारणी 14.2: योजना की वर्तमान स्थिति

वर्ष	नामांकित	प्रशिक्षित	जिन्हें नौकरी प्रदान की गई
2017–18	1599	1445	66
2018–19	3040	2554	1102
2019–20	2038	1135	923
2020–21	130	130	682
2021–22(दिसम्बर 2021 तक)	765	152	401
योग	**7572**	**5416**	**3174**

स्त्रोतः ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

14.5 वाटरशैड विकास कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित बंजर भूमि/विकृत भूमि विकास, सूखा ग्रस्त तथा मरूस्थल क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन हेतु भूमि विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में जलागम विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्य के बीच 90:10 के वित्त पोषण आधार पर लागू किया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में नवम्बर, 2021 तक पी.एम.के.एस.वाई. के वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई प्रगति नीचे दर्शाई गई हैः–

सारणी–14.3: वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई प्रगति

राशि(₹ करोड़)		भौतिक उपलब्धियां	
प्राप्तियां	व्यय	उपचारित क्षेत्र (हैक्टेयर)	अर्जित कार्य दिवस
91.58	31.42	8942	298054

14.6 प्रधानमन्त्री आवास योजना– ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई–जी.)

इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण–क्षीर्ण भवनों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना है। इकाई (घर) की लागत 90:10 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सांझा की जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए वर्ष 2019–20 से 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 से भवन इकाई लागत ₹1.30 लाख के अतिरिक्त ₹20 हजार की राशि स्वीकृत की है। MoRD, GoI ने

आवास प्लस सर्वेक्षण के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 3,514 घरों का लक्ष्य आवंटित किया है। दिसम्बर, 2021 तक आवंटित लक्ष्य में से विभाग ने 1,620 आवास स्वीकृत किए हैं।

14.7 मुख्यमंत्री आवास योजना (एम.एम.ए.वाई.)

राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे की सभी श्रेणियों के लिए इस योजना की घोषणा की थी। चालू वर्ष 2021–22 में ₹20.93 करोड़ का नियोजित बजट प्रावधान है तथा राज्य में सभी श्रेणियों के 1,257 आवासों के निर्माण का प्रस्ताव है।

14.8 सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.)

इस योजना का मुख्य लक्ष्य निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में सहायक प्रक्रियाओं में तेजी लाना है। इस योजना का उद्देश्य सभी वर्गो के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता लाने के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार, अधिकतम उत्पादकता, बेहतर मानव विकास, बेहतर आजीविका के अवसर, असमानता में कमी, अधिकारों के लिए पंहुच दिलाना, व्यापक सामाजिक एकजुटता व समृद्ध सामाजिक पूंजी आदि सम्मिलित है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन के दूसरे चरण के तहत निम्नलिखित गांवों को चिन्हित किया गया है:

माननीय सांसद का नाम	आदर्श ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड का नाम	जिले का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम
श्री अनुराग ठाकुर	दारला	सुजानपुर	हमीरपुर	हमीरपुर
श्री अनुराग ठाकुर	टिहरा	घर्मपुर	मण्डी	हमीरपुर
श्री अनुराग ठाकुर	टाली	श्री नैना देवी जी	बिलासपुर	हमीरपुर

14.9 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन:

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM) को प्रधानमंत्री द्वारा 21 फरवरी, 2016 को प्रारम्भ किया गया था। इस मिशन का मूल है कि "गाँवों के एक समूह का विकास करना जो ग्रामीण सामुदायिक जीवन के सार को संरक्षित और पोषित करने के साथ–साथ समानता और समावेश पर ध्यान केंद्रित करता है। परन्तु सुविधा जो अनिवार्य रूप से शहरी प्रकृति की होती है, उनसे कोई समझौता नहीं किया जाता, इस प्रकार "रुर्बन गाँवों" का एक समूह तैयार किया जाता है।

इस मिशन के तहत परिकल्पित परिणाम निम्न हैं:

- हिमाचल प्रदेश में, भारत सरकार द्वारा तीन चरणों में 6 रूर्बन समूहों को मंजूरी दी गई है। मिशन के तहत, प्रत्येक रुर्बन क्लस्टर को लगभग ₹50.00 करोड़ की कुल परियोजना लागत के साथ विकसित किया जाना है, जहां 70 प्रतिशत धनराशि सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से प्रदान की जाएगी और 30 प्रतिशत

क्रिटिकल गैप फंडिंग के रूप में प्रदान की जाएगी। भारत सरकार सीजीएफ के रूप में प्रति क्लस्टर ₹15.00 करोड़ की राशि प्रदान करती है।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छह क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैं:

जिला का नाम	कलस्टर	ग्राम पंचायतें	चरण	क्रिटिकल गैप फंडिंग व्यय	अभिसरण व्यय
किन्नौर	संगला (मार्च 2016)	बतसरी, चांनसु, छितकुल, कामरू रकछम, सांगला, थमग्रेग (बोनिंग सैरिंग)	I	9.00	28.90
सोलन	हिन्नर (मार्च 2016)	बनजानी, चैल, डंगगील, हिन्नर, झाजा, नागली, सकोली	I	6.00	32.90
मण्ड़ी	ऑट (अक्तूबर 2016)	ऑट, झिरी, कोटाधार, नगवाई, किगश, टकोली	II	4.50	10.90
किन्नौर	मुरंग (अगस्त,2017)	मुरंग, थांगी, रिसपा, कुन्नु, चरांग	II	2.20	31.90
चम्बा	सिंहुता (अगस्त,2017)	हाटली, बलाना, गोला, थुलेट	III	1.30	5.60
शिमला	घणाहट्टी (अगस्त,2017)	नेरी, चैली, टुट्टू, मजठाई, बायचरी, घणाहट्टी, गनोग, नेहरा, शकराह	III	4.10	17.20
			योग	**27.10**	**127.40**

14.10 मातृ शक्ति बीमा योजना

यह योजना 10–75 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली सभी महिलाओं को कवर करती है। यह पॉलिसी परिवार के सदस्यों/बीमित महिलाओं को उनकी मृत्यु या किसी भी प्रकार की दुर्घटना सर्जिकल ऑपरेशन जैसे नसबंदी, बच्चे के जन्म/प्रसव के समय दुर्घटना, डूबने, बाढ़ में बहने, भूस्खलन, कीड़े के काटने के कारण होने वाली अक्षमता के मामले में राहत प्रदान करती है। और यह योजना विवाहित महिलाओं को उनके पति की दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में भी लाभ देती है। मुआवजे की राशि इस प्रकार है:

- मृत्यु ₹2.00 लाख।
- स्थायी कुल दिव्यांगता ₹2.00 लाख।
- एक अंग और एक आंख या दोनों आंखों और दोनों अंगों की हानि ₹2.00 लाख।
- एक अंग/एक कान की हानि ₹1.00 लाख।
- पति की मृत्यु के मामले में ₹2.00 लाख।

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 31 दिसम्बर, 2021 तक 103 परिवारों को ₹206.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

14.11 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण कार्यक्रम का प्रारम्भ 02.10.2014 को किया गया और हिमाचल प्रदेश को 28–10–2016 को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) राज्य घोषित किया गया है। अब स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण का फोकस निम्नलिखित गतिविधियों/घटकों पर है:

- खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) सतता।
- खुले में शौच मुक्त अतिरिक्त गतिविधियां (आकांक्षी, राइजिंग और मॉडल)।
- उन व्यक्तिगत घरों को प्रोत्साहन, जिनके पास व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.) के अन्तर्गत, निर्माण के लिए शौचालय नहीं है, और "कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए"।
- ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (गंदा पानी, प्लास्टिक अपशिष्ट और मल कीचड़ प्रबंधन)।
- सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सी.एस.सी.) का निर्माण।
- मासिक धर्म स्वच्छता ।
- गोबर–धन परियोजनाएं।
- सूचना शिक्षा और संचार/क्षमता निर्माण।

भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के कार्यान्वयन के लिए द्वितीय–चरण दिशा–निर्देशों को परिचालित किया है जो राज्य में 01.04.2020 से लागू हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

घटक		वित्तीय सहायता	
बी.पी.एल. और चिन्हित एपीएल के लिए व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल) के निर्माण के लिए प्रोत्साहन		₹12,000 तक (स्वच्छता बनाए रखने के लिए हाथ धोने और स्वच्छता के लिए जल भंडारण सुविधा के प्रावधान सहित)	
ठोस और तरल कचरा प्रबंधन गतिविधियाँ (SLWM)	ग्राम स्तर (SLWM) गतिविधियाँ	गाँव का आकार	वित्तीय सहायता
		5000 जनसंख्या तक	• ठोस और तरल कचरा प्रबंधन: ₹60 प्रति व्यक्ति तक • ₹280 प्रति व्यक्ति तक गंदे पानी के प्रबंधन के लिए
		5000 जनसंख्या से अधिक	• ठोस और तरल कचरा प्रबंधन: ₹45 रुपये प्रति व्यक्ति तक • ₹660 रुपये प्रति व्यक्ति तक गंदे पानी के प्रबंधन के लिए

नोटः– 1) इस राशि का 30 प्रतिशत ग्राम पंचायतें अपने 15वें वित्त आयोग अनुदान से वहन करेंगी। 2) प्रत्येक गांव ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन दोनों के लिए अपनी आवश्यकताओं के आधार पर न्यूनतम ₹1.00 लाख का उपयोग कर सकता है।			
घटक		**वित्तीय सहायता**	
जिला स्तरीय ठोस और तरल कचरा प्रबंधन गतिविधियाँ (SLWM)		गाँव का आकार	वित्तीय सहायता
		प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (प्रत्येक ब्लॉक में एक)	₹16.00 लाख प्रति यूनिट
		मल कीचड़ प्रबंधन (FSM)	₹230 प्रति व्यक्ति
		गोबर–धन परियोजनाएं	₹50.00 लाख प्रति जिले
सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स (CSC)		इसमें से ₹3.00 लाख का वहन ग्राम पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदान से किया जाएगा।	

14.11.1 वर्ष 2021–22 के दौरान उपलब्धियां

- 6,600 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया।
- 178 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी) का निर्माण किया गया।
- 445 गांवों को ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों में शामिल किया गया।
- तरल कचरा प्रबंधन गतिविधियों के लिए 121 गांवों को लिया गया।
- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों के लिए 81 स्थलों की पहचान की गई है, 28 स्थलों पर कार्य प्रगति पर है और 7 इकाइयां चल रही हैं।
- 14 गोबर–धन परियोजनाओं की स्थापना का कार्य मैसर्स बाजवा एनर्जी डेवलपर्स, उत्तराखंड को सौंपा गया है और 5 स्थलों पर काम शुरू कर दिया गया है।

14.12 पंचवटी

पंचवटी योजना वर्ष 2020–21 में शुरु की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मनरेगा के साथ अभिसरण में ऐसे पार्कों और उद्यानों का निर्माण करना है जिनका उपयोग मनोरंजन के उद्देश्य से किया जा सकता है ताकि वरिष्ठ नागरिक इन पार्कों और उद्यानों में टहलने के लिए अपना खाली समय व्यतीत कर सके। इन पार्कों और उद्यानों को वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (जी) और 14वें वित्त आयोग के अभिसरण के साथ न्यूनतम एक बीघा की समतल भूमि पर विकसित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पंचवटी के अंतर्गत 217 स्थलों की पहचान कर 70 स्थलों पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक ₹156.82 लाख की राशि खर्च की जा चुकी है।

14.13 ग्रामीण मॉडल स्कूल

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल) बनाने की दृष्टि से, विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक नई योजना आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल) शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत 166 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की पहचान की गई है।

14.14 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अधिसूचित किया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान की गई प्रगति का सार नीचे दिया गया है:

₹ लाख में

केंद्रीय शेयर	राज्य शेयर	अग्रिम राज्य शेयर	व्यय	सृजित रोजगार (लाख में)	प्रदान किया रोजगार (सं.)
66625.83	8029.91	10000.00	85759.74	255.73	606182

14.15 पंचायती राज

हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद, 81 पंचायत समितियाँ और 3,615 ग्राम पंचायतें गठित हैं। विभाग की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को वर्ष 2020–21 में लागू करना शुरू कर दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा राज्य सरकार को ₹317.00 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से ₹158.50 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं को वितरित किए जा चुके हैं।
2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अर्न्तगत, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार (MoPR,GoI) ने राज्य के लिए ₹164.43 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिसमें से ₹34.42 करोड़ पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों/घटकों के लिए जारी किए गए हैं:

   - पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
   - चार जिला पंचायत संसाधन केन्द्रों (डी.पी.आर.सी.) कांगड़ा, मण्डी, हमीरपुर एवं सोलन की अतिरिक्त सुविधाओं एवं रख–रखाव अनुरक्षण पर आवर्ती लागत।
   - ग्राम पंचायत के साथ कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) का सह–स्थान ।

3. राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पंचायतों को प्रतिबद्ध देनदारियों और पूंजीगत कार्यों को पूरा करने के लिए ₹248.55 करोड़ प्रदान किए गए थे।

4. सरकार पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के यात्रा और दैनिक भत्तों पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान कर रही है।

5. नवगठित 412 ग्राम पंचायतों में से 183 पंचायतों को नये पंचायत घर के निर्माण हेतु ₹20.49 करोड़, 10 पुरानी ग्राम पंचायतों को नये पंचायत सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु ₹1.19 करोड़ तथा 37 पुरानी ग्राम पंचायतों को उनके संबंधित पंचायत घर की मुरम्मत/स्तरोन्नत के लिए ₹3.19 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

6. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 27,000 नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं/ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

7. विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की आई टी एप्लीकेशन शुरू की गई हैं जिसके द्वारा आम जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे परिवार–रजिस्टर, राशन कार्ड, विवाह पंजीकरण इत्यादि का लाभ ऑनलाईन उठा सके। ई–ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के माध्यम से पंचायतों के खातों तक पहुॅच बनाई जा सकती है।

आवास और शहरी विकास

15
अध्याय

15.1 आवास

हिमाचल प्रदेश सरकार, आवास एवम् शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के मकान, फ्लैट और विकसित भूखंड प्रदान कर रही है, ताकि विभिन्न आय समूहों के लोगों की आवास मांग को पूरा किया जा सके। इस वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए हिमुडा द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों के लिए दिसम्बर, 2021 तक ₹33.92 करोड़ व्यय हो चुका है। वित्त वर्ष के दौरान 159 फ्लैटों, 11 आवासों और 180 रिहायशी प्लाट विभिन्न श्रेणियों के लिए विकसित करने का लक्ष्य है जिनमें से 80 फ्लैटों का निर्माण तथा 61 प्लाटों को विकसित किया जा चुका है। हिमुडा का धर्मशाला, सोहाला (सिरमौर) में नई आवासीय कॉलोनियों तथा शिमला में व्यावसायिक परिसर को विकसित करने का प्रस्ताव है। इन कॉलोनियों में अनुमानित 1,007 प्लाटों, 1,076 फ्लैटों और 2 कॉटेज का निर्माण कार्य होगा। शिमला में हवाई अड्डे के समीप नई आवासीय कॉलोनी की योजना प्रगति पर है। फ्लावरडेल, छवरोगटी में (बेसमेन्ट, फ्लैटों), धर्मपुर (सोलन) कामली रोड परवाणू, रामपुर (शिमला), देहरा और रजवाड़ी (मण्डी), में आवासीय कॉलोनियों का कार्य प्रगति पर है।

15.1.1 हिमुडा की पहलः

हिमुडा में इस वर्ष 2021–22 में विभिन्न निर्माण कार्यों में वेतन रोजगार माध्यम से 6,61,330 कार्य दिवसों के सृजन का अनुमान है जिसका निष्पादन हिमुडा द्वारा किया जाता है।

15.2 शहरी विकास

वर्तमान में नगर निगम शिमला, धर्मशाला, सोलन, मण्डी व पालमपुर सहित हिमाचल प्रदेश में 61 शहरी स्थानीय निकाय है। शहरी क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिवर्ष इन शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान राशि प्रदान कर रही है। राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के अनुसार इन शहरी स्थानीय निकायों को ₹161.25 करोड़ की राशि अभी तक प्रदान की जा चुकी है तथा शेष राशि इस वर्तमान वित्त वर्ष में जारी कर दी जायेगी। इस राशि में इन निकायों के लिए विकास कार्यों तथा उनके आय व व्यय के अन्तर को दूर करने के लिए सहायता अनुदान राशि भी सम्मिलित है।

15.2.1 शहरी क्षेत्रों में सड़कों का रख–रखाव

61 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगभग 3,288 किलोमीटर सड़कें, रास्ते गलियों तथा नालियों का रख–रखाव किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष 2021–22 में इन सड़कों के लिए सरकार द्वारा ₹6.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

15.3 दीन दयाल अन्तोदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.एन.यू.एल.एम.)

योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक आर्थिक एवं संस्थागत क्षमता विकास करते हुए प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार अवसर प्रदान करते हुए सतत् तौर पर आजीविका साधनों को सुदृढ़ करना है जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके।

इस योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित हैंः–

i) कौशल प्रशिक्षण एवं प्लैसमेंट के माध्यम से रोजगार।
ii) सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास।
iii) क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षण।
iv) स्वरोजगार कार्यक्रम।
v) शहरी आवासहीनों के लिए आश्रय।
vi) शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता।
vii) प्रगतिशील एवं विशेष परियोजनाएं।

15.3.1 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत ₹5.20 करोड़ की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है। वर्ष 2021–22 की उपलब्धियां निम्नलिखित हैः–

- अब तक 372 स्वंय सहायता समूह बनाए जा चुके हैं।
- इस योजना के अन्तर्गत 1,516 लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 782 लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया है।
- लघु उद्यम स्थापित करने के लिए 204 व्यक्तियों तथा 83 स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया गया है।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत 4,934 ऋण आवेदन बैंकों में जमा कर दिए गए हैं जिसमें से अभी तक 3,824 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 3,634 आवेदकों को ऋण स्वीकृत एवं प्रदान किये जा चुके हैं।

15.4 केन्द्रीय वित्तायोग अनुदान

15वें वित्तायोग ने शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी परिषद् के लिए दो प्रकार की अनुदान राशि स्वीकृत की है। पहली अनुदान राशि (40 प्रतिशत) जोकि बिना शर्त के प्रदान की जाती है। दूसरी अनुदान राशि (60 प्रतिशत) वह है जोकि 15वें वित्तायोग द्वारा सुझाई गई कुछ शर्तों को पूरा करने के उपरान्त जारी की जाती है। इस वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ₹156.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है, इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा 15वें वित्तायोग के अन्तर्गत् ₹5.53 करोड़ की स्वास्थ्य अनुदान राशि शहरी स्थानीय निकायों को इस वित्तीय वर्ष में जारी की गई। वित्तीय वर्ष 2021–22 की सशर्त अनुदान की दूसरी किश्त ₹51.75 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2020–21की सशर्त अनुदान की पहली किस्त ₹46.80 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी परिषदों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में जारी की जा चुकी है।

15.5 शहरी रुपांतरण तथा पुनरावर्तन के लिए अटल मिशन (अमरूत)

इस योजना के अन्तर्गत शिमला और कुल्लू शहरों का चयन किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजना के लिए ₹30.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। कुल 75 परियोजनाओं में से 47 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है।

15.6 स्मार्ट सिटी मिशन (एस.सी.एम.)

स्मार्ट सिटी मिशन जून, 2015 में शुरु किया गया था। इस मिशन के अन्तर्गत नगर निगम धर्मशाला की परियोजना को स्वीकृत किया है। वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा नगर निगम शिमला को भी स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए ₹100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है इसके अतिरिक्त भारत सरकार से ₹68.00 करोड़ की राशि केन्द्रीय भाग के रुप में प्राप्त हुई है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी की कुल 74 परियोजनाओं में से 19 परियोजनाएं पूरी कर ली गई है तथा 28 परियोजाओं का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शिमला स्मार्ट सिटी की कुल 53 परियोजनाओं में से 28 शीघ्र कार्यान्वित होने वाली परियोजनाओं को चुन लिया गया है। इन परियोजनाओं

को आगे 163 घटकों में विभाजित किया गया है जिनमें से 34 घटकों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 71 घटकों का कार्य प्रगति पर है।

15.7 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

स्वच्छ, भारत अभियान (शहरी) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय द्वारा सभी शहरी नगर निकायों में कार्यान्वित है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरों/कस्बों को खुले में शौच मुक्त व नागरिकों को स्वस्थ और रहने योग्य वातावरण प्रदान करना है। इस उद्‌देश्य के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य प्रगति पर हैंः–

i) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के लिए धन संवितरित करना और शहरों में सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना। अभी तक इस अभियान के अन्तर्गत 6,715 व्यक्तिगत शौचालय के लिए बनाए जा चुके हैं, (जिनके पास शौचालय सुविधा नहीं है)। 391 सामुदायिक और 1,273 सार्वजनिक शौचालय शीटें नई व पुनर्निर्मित की जा चुकी है।

ii) राज्य में साधारण जनता को जागरुक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां जिनमें नियमित रुप से जागरुकता, स्वच्छता पखवाड़ा, होडिंग/बैनर, नुक्कड़ नाटक, प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा संचालित की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना को लागू करने के लिए ₹5.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

15.8 प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास (शहरी)

भारत सरकार द्वारा यह नई योजना शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है, जिसको 17.06.2015 से 31.03.2022 तक लागू किया जाना है इस योजना का उद्देश्य शहरों को स्लम मुक्त करके उन्हें आवास में बसाना, निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लिए ऋण आधारित सब्सिडी योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाकर आवासों का निर्माण करना, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के माध्यम से आवासीय मकान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को परिवारों के लिए सुनिशचित करना है तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को स्वयं उनके द्वारा नए आवासों के निर्माण एवं मौजूदा आवास के सुधार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना को लागू करने के लिए ₹5.20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

15.9 पार्किंग का निर्माण

शहरी स्थानीय निकायों में पार्किग की समस्या के समाधान हेतु इस वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹10.00 करोड का बजट प्रावधान है जिसमें से ₹1.73 करोड़ की राशि 3 शहरी स्थानीय निकायों को पार्किंग के निर्माण हेतु जारी की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत

वित्तीय सहायता 50:50 के आधार पर उपलब्ध करवाई जाती है (50 प्रतिशत सरकार द्वारा और 50 प्रतिशत सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा वहन की जाती है)

15.10 पार्कों का निर्माण

शहरी स्थानीय निकायों में चरणवद्ध तरीके से पार्को के निर्माण के लिए इस वित्तीय वर्ष में ₹5.50 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत् 60:40 के अनुपात में निधि जारी की गई है, जिसमें 60 प्रतिशत अनुदान सरकार तथा 40 प्रतिशत भाग सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा व्यय किया जाना है।

15.11 अटल श्रेष्ठ शहर योजना (ए.एस.एस.वाई.)

वर्ष 2020–21 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने ''अटल श्रेष्ठ शहर योजना'' के दायरे को बढ़ाकर शीर्ष तीन नगर परिषदों और शीर्ष तीन नगर पंचायतों को शामिल किया है, जिसमें पुरस्कार राशि के लिए प्रत्येक नगर परिषद और नगर पंचायत को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान दिया जाएगा। नगर परिषदों के लिए पुरस्कार राशि क्रमशः ₹1.00 करोड़, ₹75.00 लाख, ₹50.00 लाख और नगर पंचायतों के लिए पुरस्कार राशि क्रमशः ₹75.00 लाख, ₹50.00 लाख और ₹25.00 लाख है। सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों को हर साल 25 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ए.एस.एस.वाई. 2020 और 2021 के तहत अवार्ड को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि, 2019 के दौरान विजेता का विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी 15.1 : वर्ष–2019 के लिए पुरस्कृत शहरी स्थानीय निकाय

क्र.सं.	श्रेणी	पुरस्कार राशि	शीर्ष अंक प्राप्त करने वाले शहरी स्थानीय निकाय
1.	सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर परिषद	₹ 1.0 करोड	पालमपुर
2.	सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पंचायत	₹ 0.75 करोड	राजगढ़
3.	नगर परिषदों में सैनिटेशन/स्वच्छता के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता	₹ 0.05 करोड	नैना देवी जी
4.	नगर परिषदों में लोक सेवा वितरण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता	₹ 0.05 करोड	बिलासपुर
5.	नगर पंचायतों में सैनिटेशन/स्वच्छता के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता	₹ 0.05 करोड	सरकाघाट
6.	नगर पंचायतों में लोक सेवा वितरण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता	₹ 0.05 करोड	नादौन

15.12 मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना 16.5.2020 को शुरु की गई जिसका ध्येय लोगों को आजीविका सुरक्षा देने हेतू शहरी क्षेत्रों में हर घर को 120 दिनों का गारंटीड रोजगार उपलब्ध कराना है। यह योजना 19.04.2021 को पुनः अधिसूचित की गई तथा 31.03.2022 तक जारी रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत घर के पंजीकृत सदस्य कार्य करने के पात्र होंगे। शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निवासी जो अपने घर या किराए पर रहते हों काम करने के लिए पात्र हैं। कार्य करने के लिए ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष है। शहरी विकास विभाग ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (एम.एम.एस. एजी.वाई.) का ऑनलाईन पोर्टल भी शुरु किया है। लाभार्थी शहरी स्थानीय निकाए के कार्यालय में जाये बिना अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत 6,539 लोग पंजीकृत हुए हैं तथा 3,603 लाभार्थियों को कार्य दिया गया है। इस योजना के लिए ₹295.85 लाख का प्रावधान किया गया है।

15.13 नगर एवम् ग्राम योजना

कार्यात्मक, आर्थिक, पर्यावरणीय सतत् और सौन्दर्यात्मक जीवन सुनिश्चित करने, पर्यावरण के संरक्षण, विरासत और मूल्यवान भूमि संसाधनों के सतत् विकास के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 को 55 योजना क्षेत्रों (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.60 प्रतिशत) है और 35 विशेष क्षेत्र (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.06 प्रतिशत) में लागू किया गया है।

पहलें

1. मानचित्र अनुमोदन प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए अग्निशमन विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड एवं राजस्व विभाग से अपेक्षित अनापति प्रमाण पत्र को स्वतः घोषणा के आधार पर दिनांक 20.08.2020 अधिसूचित कर दिया गया है।

2. नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 के परिशिष्ट–1 के सामान्य विनियम के खण्ड 28 में अधिसूचना दिनांक 26.02.2021 द्वारा साइट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निजी निर्माण में सैट बैक फर्श और भवन की ऊंचाई आदि में छूट के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन किया गया है।

3. हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 के अन्तर्गत् पंजीकृत निजी पेशेवरों को 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड में आवासीय उपयोग के लिए विकास अनुमति प्रदान करने हेतू मानक परिचालन प्रक्रिया का मसौदा प्रस्ताव राज्य भर में अधिसूचित योजना/विशेष क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए तैयार किया गया है।

4. भारत सरकार की अमृत उप–योजना के अन्तर्गत शिमला एवं कुल्लू योजना क्षेत्रों के लिए जी.आई.एस. आधारित विकास योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। यह इन क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापक योजना सुनिश्चित करेगा।

5. अतिरिक्त बिलासपुर योजना क्षेत्र का मौजूदा भू–उपयोग मानचित्र अपना लिया गया है तथा अतिरिक्त हमीरपुर योजना क्षेत्र का मौजूदा भू–उपयोग मानचित्र का कार्य प्रगति पर है।

6. बढ़ती पार्किंग आवश्यकताओं को पूरा करने और शहरों की सभी प्रमुख सड़कों पर यातायात के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 4.12.2020 की अधिसूचना द्वारा राहत प्रदान की है। इस अधिसूचना के अनुसार भवन मालिक भवन के आगे का सैटबैक 50 प्रतिशत तक, बिना छत की पार्किंग बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

7. हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन, संहिता हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम 2014 में परिशिष्ट–II के रुप में केवल वाणिज्यिक भवन हेतु, सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है जिससे ग्रीन बिलडिंग और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।

8. 15 योजना/विशेष क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं नामतः वाकनाघाट, चैल, सुजानपुर चामुंडा, चौपाल, मैहतपुर, जाबली, सराहन, हाटकोटी, धौलाकुंआ माजरा, जोगिन्द्रनगर, नेरचौक, भोटा, चिंतपूर्णी, भरमौर के लिए विकास योजना

तैयार की जा रही है तथा 12 विकास योजनाएं नामतः चम्बा, डलहौजी, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कसौली, पालमपुर, सोलन, नाहन, मण्डी, कुल्लू (अमृत) और शिमला (अमृत) के विकास योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

15.14 रियल इस्टेट नियामक अधिनियम(आर.ई.आर.ए.)

रियल इस्टेट विनियामक प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश ने 01.01.2020 से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। यह प्राधिकरण शिकायतों को दर्ज करने के अतिरिक्त रियल एस्टेट परियोजनाओं तथा रियल एस्टेट एजेंटों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया करता है। इस प्राधिकरण ने दिसम्बर, 2021 तक 19 रियल एस्टेट परियोजनाओं तथा 27 रियल एस्टेट एजेंटों को पंजीकृत किया है। प्राधिकरण के पास अब तक लगभग 50 शिकायतें दर्ज की गई हैं जिनमें से 15 का निपटारा कर दिया गया है तथा शेष 35 में सुनवाई प्रक्रियाधीन है। यह प्राधिकरण रियल एस्टेट परियोजनाओं, रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीकरण और शिकायतों के सभी मामलों को ऑनलाईन माध्यम से निपटा रहा है।

15.15 भवन निर्माण लागत सूचकांक

राष्ट्रीय भवन संगठन ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश को राज्य में भवन सामग्री के भाव एकत्र करने व भवन लागत सूचकांक को संकलित करने का काम सौंपा है। विभाग आधार वर्ष 2011–12 पर राज्य स्तरीय भवन निर्माण लागत सूचकांक (BCCI) तैयार करके जारी कर रहा है। तिमाही सूचकांकों के आधार पर, वार्षिक सूचकांकों को तैयार किया गया है और इन्हें निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया हैः–

सारणी 15.2 : भवन निर्माण लागत सूचकांक

वर्ष	सामग्री लागत सूचकांक	श्रम लागत सूचकांक	अन्य व्यय सूचकांक	समग्र भवन निर्माण लागत सूचकांक
2019–20	120.42	123.05	120.78	121.45
2020–21*	132.64	132.31	131.87	132.44
2021–22*	138.83	138.30	138.24	138.63

* सूचकांक तीन तिमाहियों के औसत है अर्थात जून, सितम्बर और दिसम्बर, 2021

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

उपरोक्त सारणी के अनुसार, सामग्री लागत सूचकांक वर्ष 2020–21 में 120.42 से बढ़कर 132.64 हो गया है जो वर्ष 2021–22 में और भी बढ़कर 138.83 हो गया है, कोविड–19 महामारी के कारण 2020–21 के दौरान भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला बाधित रही, इसलिए निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि हुई। श्रम लागत सूचकांक भी 2020–21 में 123.05 से बढ़कर 132.31 और वर्ष 2021–22 मं बढ़कर 138.30 हो गया है, वर्ष 2020–21 की अवधि में प्रवासी मजदूरों के पलायन के कारण श्रम लागत में ज्यादातर वृद्धि हुई है, जिसके कारण श्रम लागत सूचकांकों में वृद्धि दर्ज हुई। इसी प्रकार घटक अन्य व्यय,

जिसमें संविदात्मक और पर्यवेक्षी शुल्क आदि शामिल है, अन्य व्यय के सूचकांक के अन्तर्गत आता है, यह भी कोविड–19 के कारण 2020–21 में 120.78 से बढ़कर 131.87 हो गया है और वर्ष 2021–22 में बढ़कर 138.24 हो गया है। इन सभी सूचकांकों में वृद्धि के परिणामस्वरुप 2021–22 में समग्र भवन निर्माण लागत सूचकांक 121.45 से बढ़कर 138.63 हो गया है।

सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी

16
अध्याय

16.1 हिमस्वान

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (NeGP) के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश (डी.आई.टी.–एच.पी.) ने हिमस्वान (हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) नामक सुरक्षित नेटवर्क बनाया। हिमस्वान ब्लॉक स्तर पर सभी राज्य सरकार के विभागों को सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है और G2G (सरकार से सरकार), G2C (सरकार से नागरिक) और G2B (सरकार से व्यवसाय) में विभिन्न कुशल इलेक्ट्रोनिक सेवाओं को प्रदान करता है। हिमस्वान की स्थापना फरवरी, 2008 में हुई थी और अब तक राज्य भर में 2,241 सरकारी कार्यालयों को HIMSWAN नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा गया है। विशेष रुप से प्रारभिक बैंडविडथ की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, नवीनतम (MPLS) तकनीक द्वारा हिमस्वान को नया रुप दिया जा रहा है । हिमस्वान ने कोविड–19 महामारी के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फील्ड अधिकारियों के साथ कई सरकारी वर्चअल बैठकें हिमस्वान के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं ।

16.2 हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर

सरकार की विभिन्न वेब एप्लिकेशनों/वेबसाइटों को बिजली कटौती, प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न व्यवधान के दौरान चालू रखने के लिए आपदा रिकवरी साइट को अक्टूबर, 2020 में हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर के लिए दिल्ली में स्थापित किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 17 नये एप्लिकेशनों/वेबसाइटों को HPSDC सुरक्षा ऑडिट के उपरान्त जोड़ा गया है। कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर में विभिन्न विभागों की 187 वेबसाइटों/एप्लिकेशनों को जोड़ा गया है।

16.3 हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल

इस वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा 31 नई सेवाओं को हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए जोड़ा गया। इन 31 सेवाओं में से 28 सेवाएं बागवानी विभाग और 3 सेवाएं शहरी विकास विभाग के लिए हैं। अब इस पोर्टल पर राजस्व, महिला और बाल विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, शहरी विकास आदि के साथ विभिन्न विभागों की 96 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कोविड–19 के फैलने से पहले, पोर्टल पर औसतन लेनदेन की संख्या 100 प्रतिदिन थी जोकि कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान व उसके बाद ऑनलाइन के माध्यम से बड़े पैमाने पर आई.ई.सी. अभियान और सेवा वितरण गुणवत्ता में सुधार के चलते यह लेनदेन की संख्या बढ़कर लगभग 8,500 प्रतिदिन हो गई है।

16.4 ई–ऑफिस

कार्यालयों में बिना कागजों के काम करने के लिए प्रदेश के विभिन्न विभागों में ई–ऑफिस लागू किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान ई–ऑफिस को 77 विभागों एवं सचिवालय की 87 शाखाओं में शुरू किया गया जिसके अन्तर्गत 5,104 अधिकारियों/कर्मचारियों ने काम करना आरम्भ किया और इसके अन्तर्गत 68,792 नस्तियां ई–ऑफिस में बनाई गईं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में पुरानी फाइलों की स्कैनिंग पूर्ण हो चुकी है। सभी कार्यालयों को धीरे–धीरे ई–ऑफिस की कागज रहित प्रणाली में स्थानान्तरित किया जाएगा।

16.5 मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड

राज्य सरकार ने मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड को स्थापित करते हुए सुशासन की दिशा में एक पहल की है। बहुभाषी डैशबोर्ड माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय राज्यपाल, मुख्य सचिवों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को एक मंच पर एकीकृत करेगा। मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड योजना द्वारा मूल्यांकन और निगरानी के लिए अधिकारियों के सभी स्तरों पर राज्य, मंडल, जिला के लिए चयनित सरकारी योजनाओं/परियोजनाओं के प्रदर्शन संकेतक (के.पी.आई.) पर वास्तविक समय डेटा की सुविधा प्रदान करता है।

16.6 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन @1100

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन(एम.एम.एस.एस.) नागरिक कॉल सेंटर और अन्य उपयुक्त तरीकों के माध्यम से हेल्पलाइन सुविधा प्रदान करके नागरिकों तक सक्रिय रूप से पहुंचने और उन्हें सुविधा प्रदान करने का एक प्रयास है जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नागरिकों की सेवा करता है:–

- शिकायत पंजीकरण।
- नागरिकों के सुझाव और मांग का अभिग्रहण।
- सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करना।
- संबंधित कर्मचारियों को समय पर समाधान के लिए निर्देश।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के अन्तर्गत कुल 1,23,703 शिकायतें दिसम्बर, 2021 तक दर्ज की गई जिनमें से 88,510 (71.55 प्रतिशत) शिकायतें नागरिकों की संतुष्टि के आधार पर निपटाई गई हैं।

तालिका 16.1: एम.एम.एस.एस. हेल्पलाइन स्थिति

कुल विभाग	87
कुल प्राप्त कॉलें	3,74,180
शिकायतें	1,23,703
मांग/सुझाव	4,934
सूचना/फॉलो अप कॉल	2,29,999
अधिकारी के हेल्पडेस्क पर कॉल	5,522

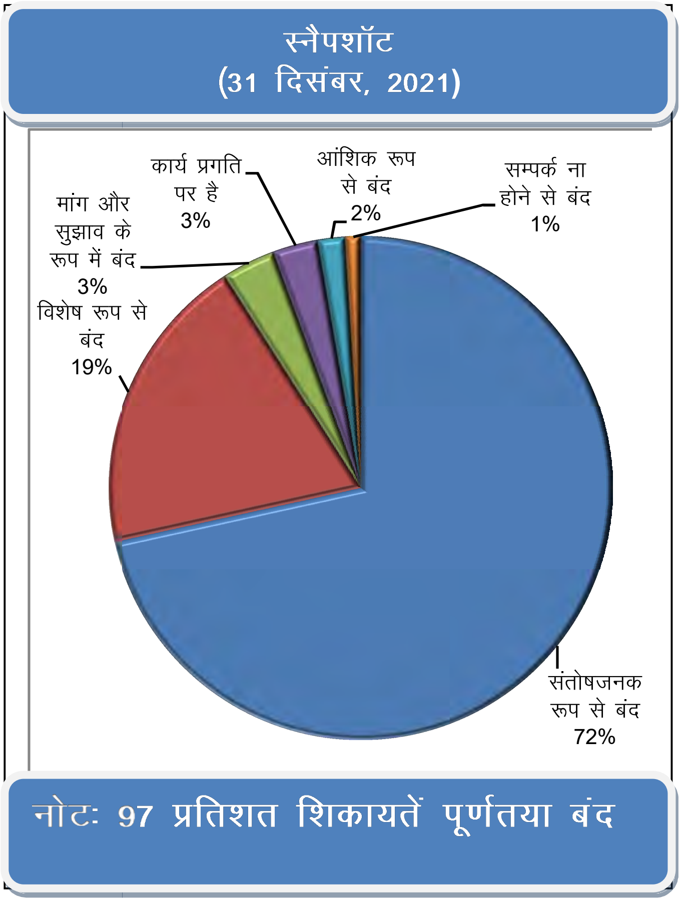

16.7 इन्टेग्रेटिड कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (आई.सी.सी.सी.)

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को उपकरण के रूप में उपयोग करके विभिन्न नागरिक सेवाओं को एक स्थान पर प्रदान करने के उद्देश्य से शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए एक उच्च तकनीक वाला अत्याधुनिक कमांड सेन्टर स्थापित करना प्रस्तावित है। एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर (आई.सी.सी.सी.) का उपयोग विभिन्न नागरिक केन्द्रित सेवाओं से सम्बन्धित डाटा समयबद्ध लेने के लिए किया जाएगा। 'वन सिटी वन ऐप' का उपयोग करके जनता को उपयोगी जानकारी प्रदान करना, आपात स्थिति के साथ–साथ नागरिकों की आपदा प्रबन्धन आदि सेवाएं प्रदान करना भी एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर में शामिल हैं।

16.8 भारत नेट

भारत नेट देश की ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनैक्टिविटी प्रदान करना है। यह ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क द्वारा प्राप्त होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण सम्पर्क योजना है। भारत नेट के द्वितीय चरण के तहत–159 दूरस्थ ग्राम पंचायतों की VSAT

लिंक का उपयोग करके जोड़ा जा रहा है। इसके अन्तर्गत 159 स्थानों पर सम्बन्धित उपकरण पहुंचा दिए गए हैं जिसमें से 156 स्थानों पर कार्य पूर्ण हो चुका है।

16.9 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)

वर्ष 2021–22 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने संबंधित विभागों की 140 (केन्द्र–74, राज्य–66) योजनाओं को चिन्हित किया है जिनमे से 59 योजनाओं (केन्द्र–30, राज्य–29) में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को लागू किया गया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (एन.ए.सी.एच.) के माध्यम से होना है। वित्त वर्ष के दौरान 59 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में से, 16 (केन्द्र–1, राज्य–15) को राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (एन.ए.सी.एच.) प्लेटफार्म में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए इस वित्तीय वर्ष के दौरान 47 योजनाओं के तहत ₹1,186.03 करोड़ की राशि 11.91 लाख लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई है।

16.10 कोविड–19 एप्लिकेशन

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड–19 अवधि के दौरान प्रशासन और नागरिकों के दैनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन को समाधानों के लिए विकसित और कार्यान्वित किया है। राज्य सरकार इन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों की सहायता से विभिन्न स्तरों पर सूचना एकत्र करने, निगरानी और निर्णय लेने के साथ–साथ कार्यालयों में कुशल तरीके से कामकाज करने में सक्षम हुई है। इन ऑनलाईन सम्पर्क रहित सेवाओं की सहायता से नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी तक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य भर में निम्न एप्लिकेशन को चलाया गया है:–

1. **कोविड–19 एकीकृत पोर्टल** : (http://covidportal.hp.gov.in/) बैवसाइट नागरिक और सरकारी अधिकारियों के उपयोग के लिए कोविड–19 सम्बन्धित सूचनाओं, अनुप्रयोगों और पोर्टलों के लिए एक समेकित भण्डार है।

2. **कोविड–19 में सरकारी आदेश**: (http://covidorders.hp.gov.in): बैवसाइट महामारी के दौरान किसी भी सूचना या अफवाहों से बचने के लिए सभी सरकारी आदेशों, सलाह और मीडिया बुलेटिनों से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

3. **हिमाचल ई–पास वेरिफिकेशन ऐप (QR Code स्कैनिग आधारित ऐप)**: इस मोबाइल इस मोबाईल ऐप का विकास QR Code स्कैनिंग की मदद से जिला उपायुक्तों द्वारा जाए ई–पास की वैद्यता की पुष्टि हेतु अन्तर्राज्यीय

बैरियरों पर तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए किया गया है। इस ऐप का प्रयोग अन्तर्राज्यीय बैरियरों पर प्रवेश करने वाले यात्रियों की सूचना प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत रिपोर्ट तैयार करने में किया जाता है।

4. **कोविड क्षमताः** यह (http://covidcapacity.hp.gov.in/). पोर्टल कोविड चिकित्सालयों में बेड की क्षमता /उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता और इसके लॉजिस्टिकस, मरीजों के डेटा और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रेटर्स, पी.एस.ए. प्लांटस आदि जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की वास्तिविक समय उपलब्धता की निगरानी के लिए विकसित किया गया है।

5. **कानून व्यवस्था निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली** :यह http://covid-19lo.hp.gov.in). पोर्टल पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस स्टेशनों को कानून व्यवस्था संबंधित जानकारी अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसा कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वांछित है। यह सूचना पोर्टल पर संकलित रूप में प्राप्त की जा सकती है।

6. **स्वास्थ्य सूची** : यह बैवसाइट (http://covid19 inventory.hp.gov.in/) स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्य में एकांतवास/अलग रहने की सुविधाओं मास्क, पी.पी.ई. किट और वेंटिलेटर आदि महत्वपूर्ण सुविधाओं के भंडार की जानकारी के लिए किया जाता है।

7. **फेक न्यूज पोर्टलः** यह पोर्टल (http://fakenews.hp. gov.in) संवेदनशील समय के दौरान नागरिकों को गलत सूचना/ अफवाहों से बचाने के लिए की गई राज्य सरकार की एक पहल है और प्रदेश सरकार को फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट द्वारा पहचाने गए फर्जी समाचारों की सूची प्रदान करता है।

8. **ईवेन्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल**(covid.hp.gov.in)यह पोर्टल कोविड–19 के दौरान नागरिकों के लिए किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेने की सुविधा प्रदान करता है।

9. **अनुदानः** यह बैवसाइट (http://cmhimachal. nic.in) कोविड–19 महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों में योगदान करने के लिए व सुरक्षित रूप से एकीकृत प्रतिक्रिया कोष (Solidarity Response Fund) में दान करने की सुविधा प्रदान करता है।

10. **मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन @1100** मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन कोविड–19 द्वारा संक्रमित रोगियों से सरकारी सुविधाओं पर उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए और संक्रमण के प्रमुख स्त्रोत/कारण की पहचान हेतु रोगियों से

सम्पर्क किया जा रहा है ताकि कोविड–19 के प्रसार को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके।

16.11 नीतिगत पहल

राइट ऑफ वे पोलिसी (ROW): भारत सरकार के भारतीय टैलीग्राफ "राईट ऑफ वे" नियम–2016, के आधार पर हिमाचल प्रदेश "राईट ऑफ वे" नीति 2021 को राज्य सरकार द्वारा 9 फरवरी, 2021 को अधिसूचित कर दिया गया है।

16.12 नई पहलें

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने महामारी के दौरान विशेष रूप से तीन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करके उनकी आवाजाही को सरकारी विभागों में कम किया गया।
- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा प्रदान की गई।
- महामारी पर नियन्त्रण और निगरानी ।

16.13 सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को सशक्त करना

- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ई–जिला के माध्यम से (हिमाचल ऑनलाईन सेवा पोर्टल/लोकमित्र केन्द्र) सरकार से नागरिकों तक और अधिक सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रहा हैं।
- हिमस्वान के माध्यम से तेज गति की सुरक्षित इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रत्येक कार्यालय तक पहुंचाया जा रहा है, जहां ई–ऑफिस का प्रयोग किया जाना है। ई–ऑफिस के लिए नेटवर्क की निर्वाधित गति बनाए रखने के लिए हिमस्वान के माध्यम से सभी कार्यालयों में न्यूनतम बैंडविडथ को 20 एम.बी.पी.एस तक बढ़ाया जाएगा।
- घर से काम करने की गुणवता को बढ़ाने के लिए सरकारी अधिकारियों को सुरक्षित वी.पी.एन. कनेक्टिविटी आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाएगी।
- सिंगल साइन ऑन (एस.एस.ओ.) राज्य सरकार के सभी प्रमुख पोर्टलों पर लागू किया जाएगा ताकि अधिकारी/ कर्मचारी इन पोर्टलों पर एकल उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड द्वारा (Login) लागइन कर सके।
- नागरिकों को ऑनलाईन भवन निर्माण की अनुमति को सरल करने के लिए ऑटो डी.सी.आर. की राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में सुविधा प्रदान की जाएगी।

परिवर्णी शब्द

ए.ए.वी.	अटल आदर्श विद्यालय
ए.ए.वी.वाई.	अटल आदर्श विद्यालय योजना
ए.ए.वाई.	अंत्योदय अन्न योजना
ए.डी.बी.	एशियाई विकास बैंक
ए.एफ.	अनुकूलन कोष
ए.एफ.एम.सी.	सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज
ए.एच.सी.	शैक्षणिक स्वास्थ्य केंद्र
ए.एच.टी.यू.	मानव तस्करी रोधी इकाइयां
ए.आई.बी.पी.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
ए.आई.सी.टी.ई.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एड्स	एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम
ए.आई.एफ.	कृषि अवसंरचना कोष
ए.आई.आई.एम.एस.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ए.जे.सी.	सेब का रस इकठ्ठा करना
ए.एल	कृषि मजदूर
ए.एम.आर.यू.टी.	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन
ए.एन.एम.	सहायक नर्स दाई
ए.पी.ई.डी.ए.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
ए.पी.एल.	गरीबी रेखा से ऊपर
ए.पी.वाई.	अटल पेंशन योजना
ए.आर.टी.	एंटीरेट्रोवाइरल उपचार
ए.एस.ई.ई.एम.	आत्मानिभर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण
ए.एस.ई.आर.	शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति
ए.एस.एच.ए.	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
ए.वाई.यू.एस.एच.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
बी.ए.	कला स्नातक
बी.कॉम	वाणिज्य स्नातक
बी.एस.सी	विज्ञान स्नातक
बी.वीओसी	बैचलर ऑफ वोकेशन
बी.ए.एम.एस.	बैचलर ऑफ आयुर्वेद, मेडिसिन एंड सर्जरी
बी.सी.सी.आई.	भवन निर्माण लागत सूचकांक
बी.डी.एस.	बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.एफ.एस.आई.	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा
बी.एच.पी.	ब्रेक हॉर्स पावर
बी.ओ.टी.	बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर

बी.पी.एल.	गरीबी रेखा के नीचे
बी.एस.बी.डी.ए.	मूल बचत बैंक जमा खाता
बी.वी.पी.सी.एल.	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सी.ए.	नियंत्रित वातावरण
सी.ए.डी.	कमान क्षेत्र विकास
सी.ए.एफ.आर.आई.	ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन और वित्त
सी.ए.एम.पी.ए.	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
सी.बी.बी.ओ.	क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन
सी.बी.एन.ए.ए.टी.	कार्ट्रिज आधारित न्यूक्लिक एसिड और एम्प्लीफिकेशन टेस्ट
सी.सी.ए.	कृषि योग्य कमान क्षेत्र
सी.सी.ई.ए.	आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति
सी.सी.टी.वी.	क्लोज सर्किट टेलीविज़न
सी.सी.वी.ए.	जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता का आंकलन
सी.डी.ए.सी.	उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र
सी.डी.आर.	क्रेडिट जमा अनुपात
सी.ई.आर.	कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व
सी.जी.एफ.	क्रिटिकल गैप फंडिंग
सी.आई.	कच्चा लोहा
सी.आई.एफ.	सामुदायिक निवेश कोष
सी.आई.पी.ई.टी.	केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान
सी.के.एम.	सर्किट किलोमीटर
सी.एल.ए.टी.	सामान्य कानून प्रवेश परीक्षा
सी.एल.सी.	सिटी लाइवलीहुड सेंटर
सी.एल.एफस.	क्लस्टर स्तर के संघ
सी.एम.	मुख्यमंत्री
सी.ओ.$_2$	कार्बन डाइऑक्साइड
सी.ओ.ई.	उत्कृष्टता का केंद्र
कोविड	कोरोनावाइरस रोग
सी.पी.एच.ई.ई.ओ.	केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन
सी.पी.आई.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक– औद्योगिक कार्यकर्ता
सी.पी.एल.	प्रति लाख की पुष्टि
सी.पी.आर.	सामान्य संपत्ति संसाधन
सी.पी.एस.यू.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
सी.एस.सीज.	कॉमन सर्विस सेंटर
सी.टी. स्कैन	कम्प्यूटरीकृत टोमोग्राफी स्कैन
सी.टी.आर.	दर के माध्यम से क्लिक करें
डी.ए.आर.पी.जी.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम.	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डी.ए.वाई.–एन.यू.एल.एम.	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
डी.बी.टी.	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
डी.सी.	मण्डलीय आयुक्त
डी.सी.एच.सी.	समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र
डी.सी.आर.	विकास नियंत्रण नियम
डी.डी.यू.जी.जे.वाई.	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
डी.जी.जी.आई.	जिला सुशासन सूचकांक
डी.आई.	नरम लोहा
डी.आई.टी.	सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग
डी.एम.	जिला अधिकारी
डीएनबी	राष्ट्रीय बोर्ड के राजनयिक
डी.ओ.एच.ई.	उच्च शिक्षा विभाग
डी.पी.आई.आई.टी.	उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.पी.आर.सी.	जिला पंचायत संसाधन केंद्र
डी.आर.	डिजास्टर रिकवरी
डी.आर.आर.	आपदा जोखिम में कमी
डी.आर.टी.बी.	दवा प्रतिरोधी तपेदिक
डी.एस.सी.एल.	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड
डी.एस.टी.	दवा संवेदनशीलता परीक्षण
डी.टी.आर.	गतिशील परिवर्तन रेटिंग
डी.टी.एस.	ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल
ई.बी.सी.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग
ई.एच.वी.	अतिरिक्त उच्च वोल्टेज
ई–एन.ए.एम.	इलेक्ट्रॉनिक–राष्ट्रीय कृषि बाजार
ई.पी.सी.	इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण
ई.पी.एफ.	कर्मचारी भविष्य निधि
ई–पी.टी.एम.	इलेक्ट्रॉनिक–अभिभावक शिक्षक बैठक
ई.आर.पी.	उद्यम संसाधन योजना
ई.एस.ए.	शिक्षा सैटेलाइट खाता
ई.एस.आई.	कर्मचारी राज्य बीमा
ई.टी.टी.	भरूण प्रत्यारोपण तकनीक
ई.डब्ल्यू.एस.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
एफ.ए.क्यू.	बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न
एफ.ए.आर.टी.	फ़्रीक्वेंसी एक्युएटेड रेक्टल ट्रेमर

एफ.एच.टी.सी.	कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन
एफ.एल.सी.	वित्तीय साक्षरता केंद्र
एफ.एल.डब्ल्यू.	फ्रंट लाइन वर्कर
एफ.पी.एफ.	खाद्य प्रसंस्करण कोष
एफ.पी.ओ.	किसान उत्पादक संगठन
एफ.पी.पी.	फल प्रसंस्करण संयंत्र
एफ.आर.ई.	पहला संशोधित अनुमान
एफ.एस.पी.एफ.	फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड
जी.2बी.	सरकार से व्यापार
जी.2सी.	सरकार से नागरिक
जी.2जी.	सरकार से सरकार
जी.सी.एफ.	हरित जलवायु कोष
जी.डी.पी.	सकल घरेलू उत्पाद
जी.ई.सी.	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
जी.जी.आई.	सुशासन सूचकांक
जी.आई.	जस्ती लोहा
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.आई.जेड	गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसममेनरबीटा
जी.एन.एम.	जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी
जी.ओ.एच.पी.	हिमाचल प्रदेश सरकार
जी.ओ.ई.	भारत सरकार
जी.पी.	ग्राम पंचायत
जी.पी.एस.	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जी.एस.वी.ए	सकल राज्य मूल्य वर्धन
जी.वी.ए	सकल मूल्य वर्धन
एच.सी.डब्ल्यू.	स्वास्थ्य देखभाल केंद्र
एच.डी.एफ.सी	आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड
एच.ई.पी	जल विद्युत परियोजना
हिम.केयर	हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल
हिम.स्वान	हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
हि.मुडा	आवास और शहरी विकास प्राधिकरण
हिपा	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान
एच.आई.वी.	मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु
एच.पी.बी.ओ.एस.ई	हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन
एच.पी.जी.बी.	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
एच.पी.जी.डी.सी.	हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज

एच.पी.एच.डी.पी.	हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना
एच.पी.के.एन.सी.सी.	जलवायु परिवर्तन पर हिमाचल प्रदेश ज्ञान नेटवर्क
एच.पी.के.वी.एन.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम
एच.पी.एम.सी.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड।
एच.पी.पी.सी.एल.	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एच.पी.पी.टी.सी.एल.	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एच.पी.एस.सी.बी.	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक
एच.पी.एस.सी.एस.सी.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
एच.पी.एस.डी.सी.	हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर
एच.पी.एस.डी.पी.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना
एच.पी.एस.ई.बी.एल.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड
एच.पी.एस.आर.एल.एम.	हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
एच.पी.टी.सी.पी.	हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग
एच.पी.टी.डी.सी.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम
एच.पी.टी.एस.ए.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन सैटेलाइट खाता
एच.पी.यू.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
एच.आर.टी.सी.	हिमाचल पथ परिवहन निगम
एच.एस.ए.	स्वास्थ्य सैटालाइट खाता
एच.एस.बी.क्यू.	रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया और ब्लैक क्वार्टर
एच.टी.	उच्च तनाव
एच.डब्ल्यू.सी.	स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
एच.वाई.वी.पी.	अधिक उपज देने वाला किस्म कार्यक्रम
आई.सी.सी.सी.	एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र
आई.सी.डी.एस.	समेकित बाल विकास योजना
आई.सी.आई.सी.आई.	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम
आई.सी.आर.पी.एस.	आंतरिक समुदाय संसाधन व्यक्ति
आई.सी.टी.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आई.सी.टी.सी.	एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र
आई.ई.सी.	सूचना शिक्षा और संचार
आई.जी.एम.सी.	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज
आई.एच.बी.टी.	हिमालय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान
आई.एच.एच.एल.	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
आई.आई.एम.	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आई.आई.एस.	भारतीय विज्ञान संस्थान
आई.आई.टी.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आई.एल.आई.	इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी

आई.एम.सी.	भारतीय मेजर कार्प
आई.एम.डी.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आई.एम.एफ.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आई.पी.डी.एस.	एकीकृत विद्युत विकास योजना
आई.पी.पी.	स्वतंत्र बिजली उत्पादक
आई.पी.पी.पी.	अभिनव कुक्कुट उत्पादकता परियोजना
आई.आर.डी.पी.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
आई.एस.बी.आई.जी.	सिंचाई अंतर को पाटने के लिए प्रोत्साहन योजना
आई.एस.एम.	इंडियन स्कूल ऑफ माइंस
आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
आई.टी.ई.एस.	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं
आई.टी.आई.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आई.यू.सी.डी.	अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण
आई.वी.आर.एस.	इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम
आई.डब्ल्यू.	औद्योगिक श्रमिक
जे.ई.ई.	संयुक्त प्रवेश परीक्षा
जे.एफ.एम.सी.	संयुक्त वन प्रबंधन समिति
जे.आई.सी.ए.	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी
जे.जे.एम.	जल जीवन मिशन
जे.एल.जी.	संयुक्त देयता समूह
के.एल.	किलोलीटर
के.एम.	किलोमीटर
के.सी.सी.	किसान क्रेडिट कार्ड
के.सी.सी.बी.	कांगड़ा सेंट्रल को–ऑपरेटिव बैंक
के.पी.आई.	प्रमुख प्रदर्शन संकेतक
के.एस.वाई.	कृषि से संपदा योजना
के.वी.	किलोवोल्ट
के.वी.आई.बी.	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
के.वी.आई.सी.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
एल.ई.डी.पी.	आजीविका उद्यम विकास कार्यक्रम
एल.एफ.पी.आर.	श्रम बल भागीदारी दर
एल.आई.जी.	कम आय समूह
एल.आई.एल.ओ.	लूप–इन–लूप–आउट
एल.आई.टी.	कम इनपुट प्रौद्योगिकी
एल.पी.सी.डी.	लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन

एल.पी.जी.	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एल.टी.	लो टेंशन
एम.टी.	मीट्रिक टन
एम.बी.बी.एस.	बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी
एम.सी.	नगर निगम
एम.सी.सी.	मॉडल कैरियर सेंटर
एम.डी.जी.	सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
एम.डी.आर.	मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट
एम.डी.एस.	मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी
एम.ई.डी.पी.	सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम
एम.ई.आई.टी.वाई.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एम.आई.डी.एच.	बागवानी के एकीकृत विकास मिशन
एम.आई.जी.	मध्य आय समूह
एम.आई.एस.	बाजार हस्तक्षेप योजना
एम.एल.डी.	न्यूनतम तरल निर्वहन
एम.एम.ए.वाई.	मुख्यमंत्री आवास योजना
एम.एम.एस.ए.जी.वाई.	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना
एम.एम.एस.एस.	मुख्यमंत्री सेवा संकल्प
एम.एम.यू.	महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय
एम.एन.आर.ई.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एम.ओ.ई.एफ.& सी.सी.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
एम.ओ.एच.यू.पी.ए.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
एम.ओ.एल.ई.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
एम.ओ.आर.डी.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एम.ओ.एस.पी.आई.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एम.ओ.यू.	ज्ञापन समझौता
एम.पी.	सांसद सदस्य

एम.पी.आई.	बहुआयामी गरीबी सूचकांक
एम.पी.एल.एस.	मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
एम.पी.पी.	बहुउद्देश्यीय परियोजना
एम.एस.सी.	मल्टी सर्विस सेंटर
एम.एस.एम.ई.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एम.टी.	मीट्रिक टन
एम.यू.	मिलियन यूनिट
एम.यू.डी.आर.ए.	सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी
एम.वी.ए.	मेगा वोल्ट एम्पीयर
एम.डब्ल्यू.	मेगा वाट
एन.ए.ए.टी.	न्यूक्लिक एसिड और एम्प्लीफिकेशन टेस्ट
एन.ए.बी.ए.आर.डी.	नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
नैब.कॉन्स.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज
एन.ए.सी.एच.	नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस
एन.ए.एफ.सी.सी.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष
एन.ए.आई.पी.	राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना
एन.सी.डी.एस.	गैर – संचारी रोग
एन.सी.वी.टी.	व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद
एन.डी.ए.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी
एन.ई.ई.टी.	राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
एन.ई.जी.पी.	राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना
एन.एफ.एस.ए.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एन.एफ.एस.एम.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एन.एच.पी.सी.	राष्ट्रीय जलविद्युत शक्ति निगम
एन.आई.ई.	राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई
एन.आई.ई.एल.आई.टी.	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
एन.आई.एफ.	राष्ट्रीय संकेतक ढांचा
एन.आई.एफ.एम.	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान
एन.आई.एफ.टी.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
एन.आई.एफ.टी.ई.एम.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान
एन.आई.आर.डी. एण्ड पी.आर.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान
एन.आई.टी.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एन.आई.टी.आई.	बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान
एन.आई.टी.टी.टी.आर.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान
एन.एल.एम.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन
एन.एम.ए.ई.टी.	कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन

एन.एम.एस.ए.	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन
एन.एम.एस.एच.ई.	हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन
एन.पी.	नगर पंचायत
एन.आर.एल.एम.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एन.एस.डी.पी.	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद
एन.एस.ओ.	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एन.एस.ओ.पी.	गैर अनुसूची संचालन
एन.एस.क्यू.एफ.	राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा
एन.एस.एस.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
एन.एस.एस.ओ.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
एन.टी.ई.पी.	राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम
एन.टी.एफ.पी.	गैर–इमारती लकड़ी वन उत्पाद
एन.टी.पी.सी.	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एन.यू.एल.एम.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
एन.डब्ल्यू.सी.एम.पी.	राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम
ओ.बी.सी.	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओ.डी.एफ.	खुले में शौच मुक्त
ओ.पी.डी.	आउट रोगी विभाग
ओ.पी.ई.सी.	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
पी.ए.सी.	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति
पी.ए.आई.	पब्लिक अफेयर इंडेक्स
पी.ए.आई.यू.सी.डी.	गर्भपात के बाद अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण
पी.सी.आई.	प्रति व्यक्ति आय
पी.डी.एस.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पी.ई.टी.–सी.टी.	पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी
पी.जी.	पोस्ट ग्रेजुएट
पी.जी.आई.एम.ई.आर.	पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च
पी.जी.टी.	यात्री और माल कर
पी.एच.सी.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पी.एच.एच.	प्राथमिकता वाले परिवार
पी.एच.एल.	पवन हंस लिमिटेड
पी.के.वी.वाई.	परम्परागत कृषि विकास योजना
पी.एल.एफ.एस.	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पी.एम. स्वनिधि	पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि
पी.एम.ए.वाई–जी	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
पी.एम.ई.जी.पी.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पी.एम.एफ.बी.वाई.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

पी.एम.जे.ए.वाई.	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
पी.एम.जे.डी.वाई.	प्रधानमंत्री जन–धन योजना
पी.एम.जे.जे.बी.वाई.	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना
पी.एम.के.वी.वाई.	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पी.एम.एम.वाई.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पी.एम.एस.बी.वाई.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पी.एन.बी.	पंजाब नेशनल बैंक
पी.ओ.ए.	अत्याचारों की रोकथाम
पी.पी.आई.यू.सी.डी.	प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण
पी.पी.आर.	पेस्टेड्स पेटिट्स जुगाली करने वाले
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थान
पी.एस.+एस.एस.	मूल स्थिति + सहायक स्थिति
पी.एस.ए.	दबाव डालकर पोछते हुए सोखना
पी.एस.बी.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पी.डब्ल्यू.डी.	विकलांग व्यक्ति
क्यू.आर.	त्वरित प्रतिक्रिया
आर.ए.	रैपिड एंटीजन
आर.ए.डी.	रेनफैड क्षेत्र विकास
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
आर.डी.एस.एस.	पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना
आर.ई.	संशोधित अनुमान
आर.ई.आर.ए.	रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण
आर.एफ.	परिक्रामी निधि
आर.जी.एम.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन
आर.जी.एस.ए.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आर.एच.	क्षेत्रीय अस्पताल
आर.आई.डी.एफ.	ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष
आर.के.वी.वाई.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आर.एल.	ग्रामीण मजदूर
आर.एल.सी.	ग्रामीण आजीविका केंद्र
आर.एम.एफ.	अनुशंसित पद्धतिगत ढांचा
आर.एम.एस.ए.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
आर.एन.टी.सी.पी.	संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम
आर.पी.एल.	पूर्व सीखने की मान्यता
आर.पी.पी.	पंजीकृत निजी पेशेवर
आर.आर.बी.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आर.एस.ई.टी.आईज.	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आर.टी.आई.	प्रजनन पथ संक्रमण
आर.टी.ओ.	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय
आर.टी.–पी.सी.आर.	रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन – पोलीमरेज चेन रिएक्शन
आर.यू.एस.आर.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
आर.वी.टी.आई.	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान
एस.ए.जी.वाई.	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एस.ए.एन.के.ए.एल.पी.	आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता
एस.ए.पी.सी.सी.	जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएं
एस.ए.पी.–आई.एस.यू.	सिस्टम अनुप्रयोग और उत्पाद – उपयोगिताओं के लिए उद्योग विशिष्ट समाधान
एस.ए.आर.आई.	गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण
एस.ए.एस.ई.	हिमपात और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान
एसबीआई	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एस.बी.एम.–जी.	स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण
एस.सी.	अनुसूचित जाति
एस.सी.ई.आर.टी.	स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग
एस.सी.एम.	स्मार्ट सिटी मिशन
एस.सी.ओ.डी.	अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन तिथि
एस.सी.वी.टी.	व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद
एस.डी.जी.	सतत विकास लक्ष्य
एस.ई.पी.	स्वरोजगार कार्यक्रम
एस.जी.एस.वाई.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एस.एच.ए.	स्वास्थ्य खातों की प्रणाली
एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
एस.एच.एम.	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
एस.जे.एस.आर.वाई.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
एस.जे.वी.एन.एल.	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
एस.एल.बी.सी.	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
एस.एल.एस.सी.	राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति
एस.एल.डब्ल्यू.एम.	तरल अपशिष्ट प्रबंधन
एस.एम.ए.ई.	कृषि विस्तार उप मिशन
एस.एम.ए.एम.	कृषि मशीनीकरण का उप–मिशन
एस.एम.पी.	स्किम्ड मिल्क पाउडर
एस.एम.एस.पी.	बीज और रोपण पर उप मिशन
एस.ओ.पी.	मानक संचालन प्रक्रिया
एस.पी.एम.आर.एम.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

एस.पी.एस.यू.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
एस.पी.वी.	सौर फोटोवोल्टिक
एस.आर.ई.	दूसरा संशोधित अनुमान
एस.आर.टी.	स्पेशल रोड टैक्स
एस.एस.सी.	कर्मचारी चयन आयोग
एस.एस.सी.एल.	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड
एस.एस.ओ.	सिंगल साइन ऑन
एस.टी.	अनुसूचित जनजाति
एस.टी.आई.	यौन संचारित संक्रमण
एस.टी.आर.आई.वी.ई.	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण
एस.टी.यू.	स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी
एस.यू.आई.एस.	स्टैंड–अप इंडिया योजना
एस.यू.टी.	आपूर्ति और उपयोग तालिका
टी.बी.	क्षय रोग
टी.सी.ए.एम.	पारंपरिक पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा
टी.सी.सी.सी.	तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र
टी.डी.एफ.	जनजातीय विकास कोष
टी.डी.जी.वी.ए.	पर्यटन प्रत्यक्ष सकल मूल्य वर्धन
टी.ई.सी.	तकनीकी आर्थिक मंजूरी
टी.ई.क्यू.आई.पी.	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
टी.आई.आर.	पर्यटन उद्योग अनुपात
टी.पी.डी.एस.	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
टी.पी.आर.	टेस्ट सकारात्मकता अनुपात
टी.एस.ए.	पर्यटन सैटालाइट खाता
टी.एस.पी.	प्रशिक्षण सेवा प्रदाता
यू.को.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
यू.डी.ए.एन.	उड़े देश का आम नागरिक
यू.एच.एफ.	बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय
यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय
यू.एन.	संयुक्त राष्ट्र
यू.एन.एफ.सी.सी.सी.	जलवायु परिवर्तन पर यूएनएफसीसीसी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन
यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ.	संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन
यू.पी.एच.सी.	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
यू.पी.एस.सी.	लोक सेवा आयोग
यू.आर.	बेरोजगारी दर
यू.टी.	केंद्र शासित प्रदेश
वी.एफ.डी.एस.	ग्राम वन विकास समितियां

वी.ओज.	ग्राम संगठन
वी.पी.एन.	वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
वी.एस.ए.टी.	वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल
डब्ल्यूडीसी–पीएमकेएसवाई	वाटरशेड विकास घटक – प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
डब्ल्यू.एच.ओ.	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यू.आई.एफ.	वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
वाई–फाई	वायरलेस फिडेलिटी
डब्ल्यू.पी.आई.	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यू.पी.एम.एफ.	वूल प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन
डब्ल्यू.पी.आर.	कार्य भागीदारी दर
वाई.ओ.वाई.	साल दर साल

शब्दावली

मूल कीमत	मूल कीमत वह राशि है जो उत्पादक द्वारा क्रेता से उत्पादित किसी वस्तु या सेवा की इकाई के लिए देय सभी करों को घटाकर और साथ ही उत्पादक द्वारा उसके उत्पादन या बिक्री के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली किसी भी सब्सिडी को जोड़कर प्राप्त की जाती है। इसमें निर्माता द्वारा लिया जाने वाला परिवहन शुल्क शामिल नहीं हैं।
आकस्मिक श्रम	एक व्यक्ति जो आकस्मिक रूप से दूसरों के कृषि या गैर कृषि उद्यमों (घरेलू और गैर घरेलू दोनों) में लगा हुआ था और बदले में दैनिक या आवधिक कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार मज़दूरी प्राप्त करता है उसे आकस्मिक श्रम माना जाता है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) को एक निश्चित स्थान पर एक परिभाषित जनसंख्या समूह के औसत परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के एक निश्चित वस्तुओं के समूह के खुदरा कीमतों के स्तर में समयोपरि परिवर्तन को मापने का तन्त्र है।
स्थिर कीमतें	स्थिर कीमतें मुद्रास्फीति के प्रभावों के लिए समायोजित होती हैं। स्थिर कीमतों का उपयोग हमें उत्पादन में वास्तविक मूल्य परिवर्तन को मापने में सक्षम बनाता है (न कि केवल मुद्रास्फिति के प्रभाव के कारण वृद्धि)।
वर्तमान दैनिक स्थिति	किसी व्यक्ति के लिए वर्तमान दैनिक गतिविधि की स्थिति को प्राथमिकता या अधिक समय मापदंड का उपयोग करते हुए संदर्भ सप्ताह के प्रत्येक दिन उसकी गतिविधि की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
वर्तमान साप्ताहिक स्थिति	व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक गतिविधि स्थिति सर्वेक्षण की तारीख से पहले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी व्यक्ति के लिए प्राप्त गतिविधि की स्थिति है। यह एक निश्चित प्राथमिकता या अधिक समय मापदंड के आधार पर तय किया जाता है। प्राथमिकता मानदंड के अनुसार ''काम नहीं कर रहे बल्कि काम के लिए इच्छुक या उपलब्ध'' की स्थिति पर काम करने वालों की स्थिति को प्राथमिकता मिलती है, और 'न तो काम कर रहा है और न ही काम के लिए उपलब्ध है" की स्थिति पर काम नहीं कर रहे बल्कि काम के लिए इच्छुक या उपलब्ध को प्राथमिकता मिलती है।
प्रचलित मूल्य	प्रचलित मूल्य सकल घरेलू उत्पाद/मुद्रास्फीति/परिसंपति की कीमतों को अर्थव्यवस्था में देखी गई वास्तविक कीमतों का उपयोग करके मापते हैं। वर्तमान कीमतें मुद्रास्फीति के लिए कोई समायोजन नहीं करती हैं। वर्तमान मूल्य वे हैं जो किसी निश्चित समय पर इंगित किए जाते हैं।

जनसंख्या घनत्व	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। भौगोलिक इकाई, वार्ड, शहर, जिला, राज्य, देश और विश्व है।
राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय और उसके राजस्व के बीच का अन्तर है (उस धन को छोड़कर जो उसने उधार लिया है)। किसी देश के राजकोषीय घाटे को आमतौर पर उसके सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।
सकल राज्य आय	सकल राज्य आय जी.एस.डी.पी. से उत्पादन और आयात पर शुद्ध कर घटाकर, कर्मचारियों का मुआवजा घटाकर, शेष दुनिया को देय संपत्ति आय घटाकर,जमा शेष दुनिया से प्राप्त संबंधित वस्तु (दूसरे शब्दों में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद घटाकर गैर–निवासी इकाइयों के लिए प्राथमिक आय जमा अनिवासी इकाइयों से प्राप्त होने वाली प्राथमिक आय) है। बाजार मूल्यों पर जी.एस.आई. को मापने का एक वैकल्पिक तरीका जो सभी क्षेत्रों के लिए सकल प्राथमिक आय के शेष के कुल मूल्य के रूप में है। (ध्यान दें कि सकल राज्य आय सकल राज्य उत्पाद (जी.एस.पी.) के बराबर होती है, जैसा कि पहले आमतौर पर राष्ट्रीय खातों में उपयोग किया जाता था)।
सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए)	सकल मूल्य वर्धित किसी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप है। राष्ट्रीय खातों में जी.वी.ए.,उत्पादन और उत्पादन लागत का अंतर है।
मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन	मूल कीमतों पर वर्धित सकल मूल्य को मूल कीमतों पर मूल्य वर्धित उत्पाद के रूप में परिभषित किया गया है जिसमें उत्पादन से क्रेताओं की कीमतों पर मूल्यांकित मध्यवर्ती उपभोग को घटाया गया है। यहां जी.वी.ए. उस कीमत से जाना जाता है जिसके साथ उत्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। उत्पादक के दृष्टिकोण से इनपुट के लिए साधनों/कारकों की कीमतें और उत्पादन के लिए मूल कीमतें वास्तव में भुगतान और प्राप्त कीमतों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका उपयोग सकल मूल्य वर्धित माप की ओर ले जाता है जो विशेष रूप से उत्पादक के लिए प्रासंगिक है।
शिशु मृत्यु दर	शिशु मृत्यु दर प्रत्येक 1,000 जीवित जन्मों के लिए शिशु मृत्यु (शिशु के पहले जन्मदिन से पहले मृत्यु) की संख्या का अनुमान है।
मुद्रास्फीति	मुद्रास्फीति को वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे वार्षिक प्रतिशत वृद्धि के रूप में मापा जाता है। जैसे–जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, हमारे पास मौजूद प्रत्येक रूपया किसी एक वस्तु या सेवा का एक छोटा सा प्रतिशत खरीदता है।
श्रम बल	श्रम बल वे व्यक्ति जो या तो 'काम कर रहे' (कार्यरत) या 'काम

	की तलाश या उपलब्ध' (या बेरोजगार) थे, श्रम बल का गठन करते हैं।
श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.)	श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल और समूह के कुल आकार (समान आयु सीमा की राष्ट्रीय जनसंख्या) का अनुपात है।
साक्षरता दर	साक्षरता दर से अभिप्राय छः या उससे ऊपर की उम्र की जनसंख्या के प्रतिशत से है जो प्रतिदिन के कार्यों में साधारण वाक्यों को लिखने व पढ़ने की क्षमता रखता है।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक	बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तीव्र बहुआयामी गरीबी का माप है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर मे वंचित रहा को समाहित करके पारंपरिक मौद्रिक गरीबी उपायों को शामिल किया जाता है, जिसका एक व्यक्ति एक साथ सामना करता है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण संपूर्ण भारत में परिवारों के एक प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से व्यापक पैमाने पर अयोजित किया जाने वाला एक बहु–आयामी सर्वेक्षण है।
वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात	इससे अभिप्राय 60 या इससे अधिक आयु वाली जनसंख्या का, 15–59 वर्ष के आयु की जनसंख्या के अनुपात से है।
प्रति व्यक्ति आय	प्रति व्यक्ति द्वारा एक वर्ष के अन्दर अर्जित आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। इसका आकलन किसी क्षेत्र में कुल आय से उस क्षेत्र की जनसंख्या को भाग देकर किया जाता है।
खुदरा मूल्य	किसी वस्तु के खुदरा मूल्य से अभिप्राय, ऐसी कीमत से है जिसे अंतिम उपभोक्ता द्वारा सापेक्षित छोटे वस्तुओं के विनिमय/या लेन–देन के लिए दिया जाता है।
लिंग अनुपात	लिंगानुपात को प्रति 1,000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या के रुप में परिभाषित किया जाता है।
सामान्य प्रधान स्थिति	यह स्थिति 365 दिनों के संदर्भ अवधि के दौरान अपेक्षित लम्बी अवधि की गतिविधि के संदर्भ में निर्धारित की जाती है।
बेरोजगारी की दर	यह अर्थव्यवस्था में उपलब्ध श्रम बल तथा बेरोजगार व्यक्तियों का अनुपात बताता है। इसकी गणना बेरोजगार व्यक्तियों को कुल श्रम बल से विभाजित करके की जाती है।
सामान्य प्रधान स्थिति (यू.पी.एस.) या सामान्य स्थिति (पी.एस.)	जिस गतिविधि पर किसी व्यक्ति ने सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 365 दिनों में अपेक्षाकृत अधिक समय बिताया हों, उसे उस व्यक्ति की सामान्य प्रमुख गतिविधि माना जाता है। सामान्य प्रधान गतिविधि स्थिति (यू.पी.एस.) जिसे सामान्य स्थिति के रुप में लिखा जाता है, को अधिकतम समय मापदण्ड का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है और उस गतिविधि की स्थिति को संदर्भित करता है जिस पर उसने वर्ष का अधिकतम समय बिताया।
सामान्य प्रधान सहायक स्थिति (यू.पी.एस.एस.) या	यह दृष्टिकोण उन लोगों में से 'श्रमिकों' की पहचान करने का प्रयास करता है, जिन्हें यू.पी.एस. दृष्टिकोण के अधिक समय मानदंड के आधार पर 'बेरोजगार' या 'सेवाहर श्रम बल' के रुप में

सामान्य स्थिति	वर्गीकृत किया गया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार वे सभी व्यक्ति जो या तो बेरोजगार हैं या श्रम बल से बाहर हैं, लेकिन संदर्भ वर्ष के दौरान कम से कम 30 दिनों की छोटी अवधि के लिए काम किया है, उन्हें सहायक स्थिति मज़दूर के रूप में वगीकृत किया गया है।
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई)	थोक मूल्य सूचकांक लेनदेन के प्रारम्भिक चरण के स्तर पर थोक बिक्री के लिए वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है।
श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी. आर)	श्रमिक जनसंख्या अनुपात कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिशत को परिभाषित करता है।

भाग – II

सांख्यिकीय सारणी
2021–22

विषय–सूची

सारणी	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
1	चयनित संकेतक 1950–51 से 2020–21	1
2	सकल तथा निवल राज्य घरेलू उत्पाद	2
3	सकलराज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर /निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय	3
4	बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित किमतों पर)	4
5	बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर किमतों पर)	5
6	सकलघरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर	6
7	हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं	7
8	क्षेत्र, जनसंख्या, लिंगानुपात व घनत्व का जिलावार	7
9	लिंगानुपात ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या-2011 जनगणना	8
10	मुख्य फसल का उत्पादन	8
11	पोषक तत्वों के सेवन में उर्वरकों का योगदान	9
12	जिला–वार अमली जोतों कीसंख्या तथा क्षेत्रफल	9
13	पशुधन तथा कुक्कट	10
14	मुख्य एंव गौण वन उपज का उत्पादन व मूल्य	10
15	वनों का क्षेत्रफल	11
16	उचित मूल्य की दुकानें	11
17	हिमाचल प्रदेश में तरल पेट्रोलियम गैस	12
18	हिमाचल प्रदेश में जिलावार पेट्रोल / डीजल की खुदरा दुकानें	12
19	गैस अभिकरणों का जिलावार / कंपनी वार विवरण	13
20	सहकारिता	14
21	विद्युत उत्पादन एवं खपत	15
22	फलों के उत्पादन का क्षेत्रफल	16
23	फलों का उत्पादन	16
24	हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी	17
25	पर्यटक आगमन वर्ष 2020	17
26	शिक्षा	18
27	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	18
28	सड़कें	19
29	राष्ट्रीय सड़क परिवहन	19
30	हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	20
31	थोक मूल्य के सभी भारतीय सूचकांक	20
32	अपराध की घटनाएं	21
33	योजना परिव्यय	22–24

सारणी– 1

चयनित संकेतक 1950-51 से 2020-2021

मद / वर्ष	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आर्थिक संकेतक																
राज्य सकल घरेलु उत्पाद (₹ करोड)																
(i) प्रचलित कीमतों पर	27*	48*	223*	794**	2815**	5661***	72720****	82820	94764	103772	114239	125634	138551	148383	159162	156675
(ii) स्थिर कीमतों पर	..	..	..	794**	1285**	5004***	72720****	77384	82847	89060	96274	103055	109406	116411	121168	114814
प्रति व्यक्ति आय (₹ में)																
(i) प्रचलित कीमतों पर	240	359	651	1704**	4910**	22795***	87721****	99730	114095	123299	135512	150290	165497	174804	185728	183333
(ii) स्थिर कीमतों पर	..	..	..	1704**	2241**	21959***	87721****	92672	98816	105241	112723	122208	129303	136288	140048	133079
उत्पादन																
(a) खाद्यान्न अनाज (लाख टन)				11.58	14.33	11.12	15.44	15.41	15.85	16.08	16.37	15.63	15.81	16.92	15.94	15.28
(b) फलों का उत्पादन (लाख टन)				1.4	3.86	4.28	3.73	5.56	8.66	7.52	9.29	6.12	5.65	4.95	8.45	6.24
(c) बिजली उत्पादन (मिलियन यूनिट)	0.4	..	52.8	245.1	1262	1153	1906	1815	1951	2097	1573	1596	1941	1955	2246	1961
थोक मूल्य सूचकांक (आधार 2011–12 = 100)							100.0	106.9	112.5	113.9	109.7	111.6	114.9	119.8	121.8	123.4
सामाजिक संकेतक																
जनसंख्या (लाख में)	11.09	28.12	34.60	42.81	51.17	60.78	69.01	69.71	70.42	72.26	73.19	74.13	74.87	75.42	76.09	76.76
साक्षरता दर (प्रतिशत)																
(a) पुरुष	7.5	27.2	42.3	53.2	75.4	85.3	89.5									
(b) महिला	2.9	6.2	20.0	31.5	52.1	67.4	75.9									
कुल	4.8	17.1	31.3	42.5	63.9	76.5	82.8									

*निवल राज्य घरेलू उत्पाद। **आधार 1980–81 *** आधार 1999–2000 ****आधार 2011–12

स्त्रोत :– आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

सारणी– 2
सकल तथा निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(₹करोड़)

वर्ष	बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद		बाजार कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद		प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद / प्रति व्यक्ति आय (₹)	
	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर
1	2	3	4	5	6	7
1950-51*	27	27	27	27	240	..
1960-61*	48	35	48	35	359	..
1966-67*	138	91	138	91	440	..
1970-71*	223	223	223	223	651	..
1980-81	794	794	723	723	1704	..
1990-91	2815	1285	2522	1151	4910	..
(आधार 1993-94)						
1994-95	5825	5244	5193	4664	9451	8489
1995-96	6698	5569	5930	4921	10607	8801
1996-97	7755	5955	6803	5199	11960	9140
1997-98	8837	6335	7807	5571	13488	9625
1998-99	10696	6792	9508	5966	16144	10131
(आधार 1999-2000)						
1999-2000	14112	14112	12467	12467	20806	20806
2000-01	15661	15004	13853	13262	22795	21824
2001-02	17148	15786	15215	13938	24608	22543
2002-03	18905	16585	16751	14617	26627	23234
2003-04	20721	17925	18127	15596	28333	24377
(आधार 2004-05)						
2004-05	24077	24077	21189	21189	33348	33348
2005-06	27127	26107	23743	23009	36949	35806
2006-07	30281	28483	26247	24819	40393	38195
2007-08	33963	30917	28873	26362	43966	40143
2008-09	41483	33210	33115	27649	49909	41666
2009-10	48189	35897	39141	29149	58402	43492
2010-11	56980	39054	46216	31590	68297	46682
नई श्रृंखला (आधार2011-12)						
2011-12	72720	72720	60536	60536	87721	87721
2012-13	82820	77384	69432	64519	99730	92672
2013-14	94764	82847	80129	69398	114095	98816
2014-15	103772	89060	87345	74553	123299	105241
2015-16	114239	96274	96850	80563	135512	112723
2016-17	125634	103055	108359	88112	150290	122208
2017-18	138551	109406	119704	93525	165497	129303
2018-19	148383	116411	127257	99218	174804	136288
2019-20 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	159162	121168	136083	102613	185728	140048
2020-21 (प्रथम संशोधित अनुमान)	156675	114814	135189	98132	183333	133079

नोट– *निवल राज्य घरेलू उत्पाद।
राज्य सकल घरेलू उत्पाद व निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1950–51से 2010–11 तक कारक लागत पर।
स्त्रोत :–आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी– 3
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर / निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित तथा स्थिर कीमतों पर)

(प्रतिशत)

वर्ष	बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़)		बाजार कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़)		प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद / प्रति व्यक्ति आय (₹)	
	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर
1	2	3	4	5	6	7
(आधार 1980-81)						
1990-91	15.6	3.9	15.5	2.5	12.3	(-)0.4
1991-92	17.8	0.4	18.0	0.6	15.9	(-)1.3
1992-93	15.3	5.6	14.7	4.6	12.2	2.5
(आधार 1993-94)						
1994-95	21.7	9.6	22.2	9.7	20.8	7.9
1995-96	15.0	6.2	14.2	5.5	12.3	3.7
1996-97	15.8	6.9	14.7	5.7	12.8	3.9
1997-98	13.9	6.4	14.8	7.1	12.8	5.3
1998-99	21.0	7.2	21.8	7.1	19.7	5.2
(आधार1999-2000)						
2000-01	10.9	6.3	11.1	6.4	9.6	4.9
2001-02	9.5	5.2	9.8	5.1	7.9	3.3
2002-03	10.2	5.1	10.1	4.9	8.2	3.5
2003-04	9.6	8.1	8.2	6.7	6.4	4.9
(आधार2004-05)						
2005-06	12.7	8.4	12.1	8.6	10.8	7.4
2006-07	11.6	9.1	10.5	7.9	9.3	6.7
2007-08	12.2	8.5	10.0	6.2	8.8	5.1
2008-09	22.1	7.4	14.7	4.9	13.5	3.8
2009-10	16.2	8.1	18.2	5.4	17.0	4.4
2010-11	18.2	8.8	18.1	8.4	16.9	7.3
नई श्रृंखला (आधार2011-12)						
2012-13	13.9	6.4	14.7	6.6	13.7	5.6
2013-14	14.4	7.1	15.4	7.6	14.4	6.6
2014-15	9.5	7.5	9.0	7.4	8.1	6.5
2015-16	10.1	8.1	10.9	8.1	9.9	7.1
2016-17	10.0	7.0	11.9	9.4	10.9	8.4
2017-18	10.3	6.2	10.5	6.1	10.1	5.8
2018-19	7.1	6.4	6.3	6.1	5.6	5.4
2019-20 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	7.3	4.1	6.9	3.4	6.2	2.8
2020-21 (प्रथम संशोधित अनुमान)	-1.6	-5.2	-0.7	-4.4	-1.3	-5.0

नोट– सकल राज्य घरेलू उत्पाद व निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1950–51 से 2010–11 तक कारक लागत पर।
स्त्रोत –आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी – 4

सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर

(प्रचलित कीमतों पर) **(₹करोड)**

वर्ष	कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	परिवहन संचार तथा व्यापार	बैंकिंग तथा बीमा अचल संपत्ति तथा आवास व्यवसाय सेवाओं का स्वामित्व	लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	आधार कीमतों पर सकल वर्धित मूल्य	उत्पाद कर (-)उत्पाद अनुदान	बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1950-51*	19	2	2	2	2	--	--	27
1960-61*	30	5	3	3	7	--	--	48
1966-67*	104	24	16	6	21	--	--	171
1970-71*	131	37	18	9	28	--	--	223
पुरानी श्रृंखला (आधार **1980-81)**								
1980-81	376	156	67	79	116	--	--	794
1981-82	448	178	79	90	130	--	--	925
1982-83	437	206	85	103	156	--	--	987
1983-84	525	220	102	111	169	--	--	1127
1984-85	489	224	105	121	200	--	--	1139
1985-86	576	312	123	132	228	--	--	1371
1986-87	615	339	145	150	268	--	--	1517
1987-88	627	416	168	162	349	--	--	1722
1988-89	781	549	204	196	427	--	--	2157
1989-90	895	568	229	237	506	--	--	2435
1990-91	987	746	260	266	556	--	--	2815
1991-92	1243	841	316	301	616	--	--	3317
1992-93	1368	1014	378	371	693	--	--	3824
(आधार **1993-94)**								
1993-94	1567	1313	569	502	831	--	--	4782
1994-95	1802	1875	683	570	895	--	--	5825
1995-96	1979	2246	783	622	1068	--	--	6698
1996-97	2229	2690	909	696	1231	--	--	7755
1997-98	2488	2958	1116	727	1548	--	--	8837
1998-99	2930	3560	1303	858	2045	--	--	10696
(आधार **1999-2k)**								
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	--	--	14112
2000-01	3954	5602	2056	1365	2684	--	--	15661
2001-02	4442	6095	2305	1552	2754	--	--	17148
2002-03	4657	6867	2742	1678	2961	--	--	18905
2003-04	5194	7468	2888	2042	3129	--	--	20721
(आधार **2004-05)**						--	--	
2004-05	6197	9176	3468	1767	3469	--	--	24077
2005-06	6858	10373	4007	1918	3971	--	--	27127
2006-07	7010	12101	4235	2177	4758	--	--	30281
2007-08	7887	13507	5027	2405	5137	--	--	33963
2008-09	8316	17848	6141	2778	6400	--	--	41483
2009-10	9166	20679	7471	3268	7605	--	--	48189
2010-11	10914	24040	8347	3672	10007	--	--	56980
नई श्रृंखला (आधार **2011-12)**								
2011-12	11913	30405	7576	9622	9887	69403	3317	72720
2012-13	13443	33935	8660	11346	11524	78908	3912	82820
2013-14	15262	38440	10285	13002	12369	89358	5406	94764
2014-15	15265	41617	11764	14724	13961	97331	6441	103772
2015-16	17393	45652	13141	15936	15135	107257	6982	114239
2016-17	18762	50237	14200	16897	17399	117495	8139	125634
2017-18	16473	56692	15863	18008	19563	126599	11952	138551
2018-19	18207	62381	17513	19686	21197	138984	9399	148383
2019-20 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	22814	62479	18973	21366	23569	149201	9961	159162
2020-21 (प्रथम संशोधित अनुमान)	19893	61004	17151	22107	26086	146241	10434	156675

नोट–*निवल राज्य घरेलू उत्पाद।
राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद व निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1950–51 से 2010–11 तक कारक लागत पर।
स्त्रोत :–आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी – 5
बाजार कीमतों पर राज्य सकलघरेलू उत्पाद
(स्थिर कीमतों पर)

(₹करोड)

वर्ष	कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा पानी की आपूर्ति	परिवहन संचार तथा व्यापार	बैंकिंग तथा बीमा अचल संपत्ति तथा आवास व्यवसाय सेवाओं का स्वामित्व	लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	आधार कीमतों पर सकल वर्धित मूल्य	उत्पाद कर (-) उत्पाद अनुदान	बजार कीमतों लागत पर सकल घरेलू उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1950-51*	19	2	2	2	2	--	--	27
1960-61*	20	5	3	0	7	--	--	35
1966-67*	57	18	9	4	13	--	--	101
1970-71*	131	37	18	9	28	--	--	223
(आधार 1980-81)								
1980-81	376	156	67	79	116	--	--	794
1981-82	405	164	72	84	116	--	--	841
1982-83	355	173	74	88	128	--	--	818
1983-84	396	168	81	92	124	--	--	861
1984-85	343	161	78	95	137	--	--	814
1985-86	387	207	85	100	147	--	--	926
1986-87	417	208	95	113	158	--	--	991
1987-88	360	235	98	119	188	--	--	1000
1988-89	400	288	108	116	212	--	--	1124
1989-90	488	265	112	139	234	--	--	1238
1990-91	484	316	117	141	227	--	--	1285
1991-92	465	323	124	152	226	--	--	1290
1992-93	469	362	135	162	234	--	--	1362
(आधार 1993-94)								
1993-94	1567	1313	569	502	831	--	--	4782
1994-95	1590	1686	625	532	811	--	--	5244
1995-96	1622	1856	669	535	886	--	--	5568
1996-97	1646	2084	712	578	935	--	--	5955
1997-98	1673	2179	791	597	1095	--	--	6335
1998-99	1692	2324	867	631	1278	--	--	6792
(आधार 1999-2000)								
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	--	--	14112
2000-01	3773	5437	1920	1252	2622	--	--	15004
2001-02	4093	5694	2080	1336	2583	--	--	15786
2002-03	4184	6153	2186	1370	2692	--	--	16585
2003-04	4671	6544	2356	1582	2772			17925
(आधार 2004-05)								
2004-05	6197	9176	3468	1767	3469	--	--	24077
2005-06	6578	9960	3820	1958	3791	--	--	26107
2006-07	6539	11315	4078	2270	4282	--	--	28484
2007-08	7118	12371	4488	2513	4427	--	--	30917
2008-09	7059	13547	5179	2625	4800	--	--	33210
2009-10	6340	15390	5757	3040	5370	--	--	35897
2010-11	7496	15987	5999	3578	5994	--	--	39054
नई श्रृंखला (आधार 2011-12)								
2011-12	11913	30405	7576	9622	9887	69403	3317	72720
2012-13	12725	32049	8040	10598	10714	74126	3258	77384
2013-14	13954	34223	9134	11203	10775	79289	3558	82847
2014-15	13525	37551	10099	12354	11573	85102	3958	89060
2015-16	14674	40724	11460	12793	12275	91926	4348	96274
2016-17	14478	44934	12075	13351	13479	98317	4738	103055
2017-18	13748	49485	12684	13688	14525	104130	5277	109407
2018-19	14183	53092	13052	14632	15049	110008	6403	116411
2019-20 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	16369	53137	13972	15170	16011	114659	6509	121168
2020-21 (प्रथम संशोधित अनुमान)	14411	49610	12488	14885	16825	108219	6595	114814

नोट–*निवल राज्य घरेलू उत्पाद।
राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद व निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1950–51 से 2010–11 तक कारक लागत पर।
स्त्रोत :–आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी —6

सकलघरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर)

(प्रतिशत)

वर्ष	कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा पानी की आपूर्ति	परिवहन संचार तथा व्यापार	बैंकिंग तथा बीमा अचल संपत्ति तथा आवास व्यवसाय सेवाओं का स्वामित्व	लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7
(आधार 1980-81)						
1981-82	8.3	5.1	7.7	6.3	0	5.9
1982-83	12.6	5.5	2.8	4.7	10.3	(-) 2.7
1983-84	11.5	2.9	9.5	4.5	3.1	5.3
1984-85	13.4	4.8	3.7	3.3	10.5	(-) 5.5
1985-86	13.1	29.4	8.8	5.3	7.3	13.8
1986-87	7.5	0.5	11.8	13	7.5	7
1987-88	13.7	13	3.2	5.3	18.1	0.9
1988-89	11.1	22.6	10.2	2.5	12.8	12.4
1989-90	22	(-) 8.0	3.7	18.1	10.4	10.1
1990-91	(-)0.8	19.3	4.5	2.9	2.1	3.8
1991-92	3.9	2.2	5.1	7.8	0.4	0.4
1992-93	0.9	12.1	8.9	6.7	3.5	5.6
(आधार 1993-94)						
1994-95	1.2	28.4	9.9	5.9	(-) 2.5	9.6
1995-96	2	10.1	7.1	0.5	9.3	6.2
1996-97	1.5	12.3	6.5	8	5.5	6.9
1997-98	1.6	4.5	10.9	3.3	17.1	6.4
1998-99	1.2	6.6	9.6	5.7	16.6	7.2
(आधार 1999-2k)						
2000-01	15.6	5.3	10.5	(-) 2.6	(-) 1.5	6.3
2001-02	8.5	4.7	8.3	6.7	(-) 1.5	5.2
2002-03	2.2	8.1	5.1	2.5	4.2	5.1
2003-04	11.6	6.4	7.8	15.5	3	8.1
(आधार 2004-05)						
2005-06	6.1	8.5	10.2	10.8	9.3	8.4
2006-07	(-) 0.6	13.6	6.8	15.9	12.9	9.1
2007-08	8.9	9.3	10.1	10.7	3.4	8.5
2008-09	(-) 0.8	9.5	15.4	4.5	8.4	7.4
2009-10	(-)10.2	13.6	11.2	15.8	11.9	8.1
2010-11	18.2	3.9	4.2	17.7	11.6	8.8
श्रृंखला (आधार 2011-12)						
2012-13	6.8	5.4	6.1	10.1	8.4	6.4
2013-14	9.7	6.8	13.6	5.7	0.6	7.1
2014-15	(-)3.1	9.7	10.6	10.3	7.4	7.5
2015-16	8.5	8.4	13.5	3.6	6.1	8.1
2016-17	(-)1.3	10.3	5.4	4.4	9.8	7
2017-18	(-)5.0	10.1	5	2.5	7.8	6.2
2018-19	3.2	7.3	2.9	6.9	3.6	6.4
2019-20(द्वितीय संशोधित अनुमान)	15.4	0.1	7.0	3.7	6.4	4.1
2020-21(प्रथम संशोधित अनुमान)	-12	-6.6	-10.6	-1.9	5.1	-5.2

स्त्रोत : आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग

सारणी–7

हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं

वर्ष	कुल जनसंख्या (लाख में)	दश–वार्षिक विकास दर	लिंगानुपात (महिलाएं प्रति हजार पुरुष)	प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व	साक्षरता प्रतिशत	शहरी जनसंख्या प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1951	23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961	28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971	34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981	42.81	23.71	973	77	42.48	7.6
1991	51.71	20.79	976	93	63.86	8.7
2001	60.78	17.54	968	109	76.48	9.8
2011	68.65	12.94	972	123	82.80	10.0

स्रोत:– भारत की जनगणना 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 तथा 2011.

सारणी–8

क्षेत्र, जनसंख्या, लिंगानुपात व घनत्व का जिलावार 2011 की जनगणना

जिला	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर		जनसंख्या		लिंगानुपात (महिलाएं प्रति हजार पुरुष)	प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व
1.	2.		3.		4.	5.
बिलासपुर	1,167	(2.10)	3,81,956	(5.56)	981	327
चंबा	6,522	(11.71)	5,19,080	(7.56)	986	80
हमीरपुर	1,118	(2.01)	4,54,768	(6.63)	1095	407
कांगड़ा	5,739	(10.31)	15,10,075	(22.00)	1012	263
किन्नौर	6,401	(11.50)	84,121	(1.23)	819	13
कुल्लू	5,503	(9.88)	4,37,903	(6.38)	942	80
लाहौल–स्पीति	13,841	(24.86)	31,564	(0.46)	903	2
मंडी	3,950	(7.09)	9,99,777	(14.56)	1007	253
शिमला	5,131	(9.22)	8,14,010	(11.86)	915	159
सिरमौर	2,825	(5.07)	5,29,855	(7.72)	918	188
सोलन	1,936	(3.48)	5,80,320	(8.45)	880	300
ऊना	1,540	(2.77)	5,21,173	(7.59)	976	338
हिमाचल प्रदेश	**55,673**	**(100.00)**	**68,64,602**	**(100.00)**	**972**	**123**

स्रोत:– भारत की जनगणना, 2011

सारणी–9
लिंगानुपात ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या-2011 जनगणना

जिला	जनसंख्या								
	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
बिलासपुर	179653	177174	356827	13111	12018	25129	192764	189192	381956
चंबा	241963	241009	482972	19357	16751	36108	261320	257760	519080
हमीरपुर	200748	222590	423338	16322	15108	31430	217070	237698	454768
कांगड़ा	705365	718429	1423794	45226	41055	86281	750591	759484	1510075
किन्नौर	46249	37872	84121	0	0	0	46249	37872	84121
कुल्लू	203269	193243	396512	22183	19208	41391	225452	212451	437903
लाहौल–स्पीति	16588	14976	31564	0	0	0	16588	14976	31564
मंडी	466050	471090	937140	32015	30622	62637	498065	501712	999777
शिमला	314295	298364	612659	110744	90607	201351	425039	388971	814010
सिरमौर	246175	226515	472690	30114	27051	57165	276289	253566	529855
सोलन	249736	228437	478173	59018	43129	102147	308754	271566	580320
ऊना	240254	236006	476260	23438	21475	44913	263692	257481	521173
हिमाचलप्रदेश	**3110345**	**3065705**	**6176050**	**371528**	**317024**	**688552**	**3481873**	**3382729**	**6864602**

स्रोत:– भारत की जनगणना-2011

सारणी–10
मुख्य फसल का उत्पादन

('000 टन में)

फसलें	2019-20	2020-21 (अनंतिम)	2021-22 (अनंतिम)	2022-23 (लक्ष्य)
1.	2.	3.	4.	5.
खाद्यान्न (अनाज एंव दाले)				
क. अनाज				
1. चावल	143.66	145.68	135.50	143.00
2. मक्का	729.73	714.67	762.00	741.00
3. रागी	2.06	2.65	2.40	2.01
4. छोटे अनाज	4.77	5.46	4.50	4.50
5. गेहूँ	627.96	569.85	672.00	617.00
6. जौ	30.83	22.69	35.50	29.00
कुल–अनाज	**1539.01**	**1461.00**	**1611.90**	**1536.51**
ख. दालें				
1. चना	0.42	0.45	0.45	0.41
2. अन्य दालें	54.80	66.95	63.00	57.00
कुल दालें	**55.22**	**67.40**	**63.45**	**57.41**
कुल– खाद्यान्न	**1594.24**	**1528.40**	**1675.35**	**1593.92**
वाणिज्यिक फसलें				
1. आलू	196.71	196.30	196.50	195.00
2. सब्जियाँ	1860.67	1867.41	1850.00	1759.00
3. अदरक	33.99	33.89	34.50	34.00

स्रोत:– कृषि निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

सारणी–11

पोषक तत्वों के सेवन में उर्वरकों का योगदान

(मीट्रिक टन)

वर्ष / जिला	खरीफ (एन+पी+के)	रबी (एन+पी+के)	कुल (एन+पी+के)
1	2	3	4
2015-2016	23742	33838	**57580**
2016-2017	22063	34428	**56491**
2017-2018	21156	36404	**57560**
2018-2019	21690	35865	**57555**
2019-2020	25898	35880	**61778**
2020-2021	**29269**	**35973**	**65242**
जिलावार			
बिलासपुर	1243	987	**2230**
चंबा	1438	489	**1927**
हमीरपुर	1934	644	**2578**
कांगड़ा	4364	6440	**10804**
किन्नौर	151	306	**457**
कुल्लू	2257	4162	**6419**
लाहौल–स्पीति	263	148	**411**
मंडी	3838	3929	**7766**
शिमला	4238	9802	**14040**
सिरमौर	2313	1495	**3808**
सोलन	2880	2033	**4913**
ऊना	4351	5538	**9889**

स्रोत :– कृषि निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

सारणी–12

जिला–वार अमली जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल

(2015-16 कृषि गणना)

जिला	संख्या	क्षेत्रफल(हैक्टर)
1.	2.	3.
बिलासपुर	59201	49073
चंबा	72221	54866
हमीरपुर	75950	72943
कांगड़ा	235735	197091
किन्नौर	10983	13684
कुल्लू	77163	39974
लाहौल–स्पीति	4267	6710
मंडी	160500	124429
शिमला	121971	118893
सिरमौर	51815	98095
सोलन	55609	85335
ऊना	71394	83133
हिमाचल प्रदेश	**996809**	**944226**

स्रोतः–भू-अभिलेख निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

सारणी–13

पशुधन तथा कुक्कट (हजारों में)

वर्ग	2003	2007	2012	2019
1.	2.	3.	4.	5.
क .पशुधन				
1. मवेशी	2,196	2,269	2,149	1828
2. भैंस	773	762	716	647
3. भेड़	906	901	805	791
4. बकरियाँ	1,116	1,241	1,119	1108
5. घोड़ा तथा छोटा घोड़ा	17	13	15	9
6. खच्चर तथा गधा	33	26	31	25
7. सूअर	3	2	5	2
8. अन्य पशुधन	2	2	4	3
कुलपशुधन	5,046	5,216	4,844	4413
ख .कुक्कट	764	809	1,104	1342

स्रोतः–पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

सारणी–14

मुख्य एंव गौण वन उपज का उत्पादन व मूल्य

वर्ष	मुख्य उत्पाद		गौण उत्पाद वनोपज (₹'000 में मूल्य)		
	इमारती लकड़ी ('000 घन मीटर)	ईंधन (टन)	बिरोजा	चारा व चराई	अन्य उत्पाद
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2010-11	245.4	143	1,03,258	881	1,17,738
2011-12	146.1	18	1,02,457	947	80,141
2012-13	207.1	33	76,278	918	1,68,374
2013-14	245.1	39	85,451	878	2,10,615
2014-15	242.9	775	83,262	1,035	2,29,280
2015-16	148.2	..	94,249	542	5,69,832
2016-17	225.1	..	84,434	382	4,37,722
2017-18	226.5	..	74,655	646	3,51,587
2018-19	187.6	50	58,809	401	4,14,361
2019-20	230.8	178	59,510	582	6,32,175
2020-21 (संभावित)	**194.07**	**..**	**45938**	**463**	**4,66,280**

स्रोत:– वन विभाग, हिमाचल प्रदेश

*निकाले गए जलाऊ लकड़ी / लकड़ी का कोयला में भी शामिल हैं।

नोट:– औषधीय जड़ी–बूटियों का मूल्य अनुमानित है तथा इसमें पंचायतों के माध्यम से निकाली गई / बेची गई औषधीय जड़ी–बूटियाँ शामिल नहीं हैं।

सारणी–15

वनों का क्षेत्रफल

(वर्ग किलोमीटर)

वर्ष	आरक्षित वन	संरक्षित वन	गैर वर्गीकृत वन	अन्य वन	वन विभाग के नियंत्रण के अधीन न आने वाले वन	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
2009-10	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2010-11	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2011-12	1,896	33,123	886	370	758	**37,033**
2012-13	1,896	33,123	886	370	758	**37,033**
2013-14	1,898	33,123	886	369	750	**37,033**
2014-15	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2015-16	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2016-17	**1,898**	**33,130**	**886**	**369**	**750**	**37,033**
2009-10	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**

वर्ष	आरक्षित वन	संरक्षित वन	अन्य वन	वन विभाग के नियंत्रण के अधीन न आने वाले वन	कुल
2017-18	1,883	28,887	7,160	18	**37,948**
2018-19	1,883	28,887	7,160	18	**37,948**
2019-20	1,883	28,887	7,160	18	**37,948**
2020-21	1,883	28,887	7,160	18	**37,948**

स्रोत:– वन विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी–16

उचित मूल्य की दुकानें

(31-12-2021 तक)

जिला	ग्रामीण	शहरी	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4**
बिलासपुर	231	9	**240**
चंबा	483	18	**501**
हमीरपुर	278	18	**296**
कांगड़ा	1000	80	**1080**
किन्नौर	66	0	**66**
कुल्लू	429	30	**459**
लाहौल–स्पीति	65	0	**65**
मंडी	754	46	**800**
शिमला	500	76	**576**
सिरमौर	314	27	**341**
सोलन	276	42	**318**
ऊना	277	24	**301**
हिमाचल प्रदेश	**4,673**	**370**	**5,043**

स्रोत:- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश.

सारणी –17

हिमाचल प्रदेश में तरल पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) उपभोक्ता

(31.12.2021 तक)

जिला	एस. बी. सी.	डी. बी. सी.	कुल
1.	2.	3.	4.
बिलासपुर	54666	61837	**116503**
चंबा	88644	38994	**127638**
हमीरपुर	67732	88341	**156073**
कांगड़ा	307620	244767	**552387**
किन्नौर	14366	22994	**37360**
कुल्लू	59971	90782	**150753**
लाहौल–स्पीति	2631	6330	**8961**
मंडी	169986	171256	**341242**
शिमला	83476	178629	**262105**
सिरमौर	73367	72839	**146206**
सोलन	61903	130759	**192662**
ऊना	68864	93782	**162646**
हिमाचल प्रदेश	**1053226**	**1201310**	**2254536**

स्रोत:- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश

सारणी–18

हिमाचल प्रदेश में जिलावार पेट्रोल / डीजल की खुदरा दुकानें

(31.12.2021 तक)

जिला	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	हिन्दुतान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	अन्य	कुल
	2.	3.	4.	5.	6.
बिलासपुर	18	10	13	2	**43**
चंबा	10	3	5	0	**18**
हमीरपुर	18	5	12	1	**36**
कांगड़ा	61	23	18	1	**103**
किन्नौर	4	0	2	0	**6**
कुल्लू	13	5	4	1	**23**
लाहौल–स्पीति	2	0	0	0	**2**
मंडी	33	6	15	1	**55**
शिमला	24	5	19	0	**48**
सिरमौर	15	7	9	1	**32**
सोलन	37	15	17	2	**71**
ऊना	37	12	19	0	**68**
हिमाचल प्रदेश	272	91	133	9	**505**

स्रोत: खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश.

सारणी–19

गैस अभिकरणों का जिलावार / कंपनी वार विवरण

(31.12.2020 तक)

जिला	इंडियन ऑयल कॉरपोरशन	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरशन लिमिटेड	हिन्दुतान पेट्रोलियम कॉरपोरशन लिमिटेड	आई. बी. पी. सी.	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	6.
बिलासपुर	10	0	4	0	**14**
चंबा	7	2	1	0	**10**
हमीरपुर	9	0	0	0	**9**
कांगड़ा	23	2	10	0	**35**
किन्नौर	5	0	1	0	**6**
कुल्लू	7	5	2	0	**14**
लाहौल–स्पीति	2	1	0	0	**3**
मंडी	18	3	2	0	**23**
शिमला	24	3	2	0	**29**
सिरमौर	13	1	2	0	**16**
सोलन	11	2	5	1	**19**
ऊना	8	2	2	0	**12**
हिमाचल प्रदेश	**137**	**21**	**31**	**1**	**190**

स्रोत:- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश

सारणी–20
सहकारिता

मद	2018-19	2019-20	2020-21
1.	2.	3.	4.
I. संस्थायें (संख्या):			
कृषि	2132	2132	2139
गैर–कृषि	2659	2662	2670
शहरी बैंक	5	5	5
राज्य तथा केंद्रीय बैंक	4	4	4
अन्य माध्यमिक संस्थायें	40	40	31
II. सदस्यता (‘000)			
कृषि संस्थायें	1262	1256	1307
गैर–कृषि संस्थायें	287	311	326
शहरी बैंक	27	28	28
राज्य तथा केंद्रीय बैंक	119	136	138
अन्य माध्यमिक संस्थायें	4	4	4
III. कार्यशील पूंजी (₹लाखों में)			
कृषि संस्थायें	614600.74	672018.51	784050.37
गैर–कृषि संस्थायें	723145.11	137365.50	245474.32
शहरी बैंक	117651.63	132062.56	136337.33
राज्य तथा केंद्रीय बैंक	2715712.78	2921275.11	3110246.76
अन्य माध्यमिक संस्थायें	4214.21	5003.80	10240.90
कुल	4175324.47	3867725.48	4286349.68
IV. दिए गए ऋण (₹लाखों में)			
कृषि संस्थायें	80685.00	83000.21	75845.73
गैर–कृषि संस्थायें	38703.88	7563.53	10106.29
शहरी बैंक	75590.24	29046.43	14770.51
प्राथमिक भूमि बंधक बैंक			
तथाराज्य तथा केंद्रीय बैंक	771039.79	473160.77	941318.66
V. बकाया ऋण (₹लाखों में)			
कृषि संस्थायें	130745.34	139751.19	175482.56
गैर–कृषि संस्थायें	35142.18	34400.60	38838.39
शहरी बैंक	14538.12	77997.77	82042.80
प्राथमिक भूमि बंधक बैंक			
तथा राज्य तथा केंद्रीय बैंक	1895197.86	1065673.26	1199446.57

स्रोत:- सहकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश.

सारणी–21

विद्युत उत्पादन एवं खपत (मीट्रिक इकाई)

क्र0सं0	मद्	2018-19	2019-20	2020-21 (दिसंबर, 2021 तक)
1	2	3	4	5
1	उत्पादित विद्युत	2246.181	1961.34	1903.395
2	बी.बी.एम.बी. तथा अन्य राज्यों से क्रय की गई विद्युत	12063.327	11845.767	9458.06
3	राज्य में खपत की गई विद्युत	9123.991	8635.308	7422.524
क	घरेलू	2193.693	2356.535	1736.710
ख	गैर घरेलू गैर व्यावसायिक	159.685	124.648	89.499
ग	व्यावसायिक	623.00	518.24	432.130
घ	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	10.745	10.479	7.925
ङ	कृषि	56.728	72.639	69.716
च	उद्योग	5322.870	4769.451	4462.723
छ	सरकारी सिचाई एवं पेयजल योजना	560.467	602.924	486.901
ज	अस्थाई आपूर्ति	45.878	46.897	41.267
झ	बल्क तथा विविध	150.924	133.310	95.654
4	राज्य के बाहर	3545.560	3431.31	2677.10
	कुल खपत/वेची गई	**12669.551**	**12066.618**	**10099.624**

स्रोत: राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश

सारणी–22

फलों के उत्पादन का क्षेत्रफल

(हेक्टेयर)

वर्ष	सेब	अन्य शीतोष्ण फल	मेवे तथा सूखे फल	नींबू प्रजाति	अन्य उप उष्णकटिबंधीय फल	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2006-07	91,804	26,086	11,328	21,118	47,109	**1,97,445**
2007-08	94,726	26,341	11,181	21,373	46,881	**2,00,502**
2008-09	97,438	26,546	11,096	21,588	47,961	**2,04,629**
2009-10	99,564	26,875	11,037	22,050	48,628	**2,08,154**
2010-11	1,01,485	27,091	11,022	22,305	49,392	**2,11,295**
2011-12	1,03,644	27,472	11,039	22,396	50,023	**2,14,574**
2012-13	1,06,440	27,637	10,902	22,809	50,514	**2,18,303**
2013-14	1,07,686	27,792	10,819	23,110	51,298	**2,20,706**
2014-15	1,09,553	27,900	10,621	23,704	52,574	**2,24,352**
2015-16	1,10,679	27,908	10,491	24,063	53,658	**2,26,799**
2016-17	1,11,896	28,163	10,364	24,475	54,304	**2,29,202**
2017-18	1,12,634	28,369	10,301	24,649	54,899	**2,30,852**
2018-19	1,13,154	28,414	10,194	24,869	55,508	**2,32,139**
2019-20	1,14,144	27,956	10,070	25,051	56,079	**2,33,300**
2020-21	1,14,646	27,870	10,029	25,654	56,580	**2,34,779**

स्रोतः- बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी–23

फलों का उत्पादन

(‘000 टन)

वर्ष	सेब	अन्य शीतोष्ण फल	मेवे तथा सूखे फल	नींबू प्रजाति	अन्य उप उष्णकटिबंधीय फल	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2009-10	280.11	37.08	2.81	28.14	34.10	**382.24**
2010-11	892.11	61.38	3.62	28.68	42.04	**1027.82**
2011-12	275.04	31.18	2.49	25.04	39.08	**372.82**
2012-13	412.40	55.03	2.81	24.32	61.16	**555.71**
2013-14	738.72	66.13	3.48	22.27	35.74	**866.34**
2014-15	625.20	43.61	2.41	22.17	58.55	**751.94**
2015-16	777.13	70.26	3.37	26.62	51.45	**928.83**
2016-17	468.13	51.50	2.99	28.05	61.21	**611.88**
2017-18	446.57	45.15	3.38	26.85	43.35	**565.30**
2018-19	368.60	37.15	3.65	29.34	56.62	**495.36**
2019-20	715.25	49.85	4.24	32.11	43.97	**845.42**
2020-21	481.6	40.65	4.69	33.29	64.80	**624.49**
2021-22 (दिसंबर, 2020 तक)	**601.95**	**35.18**	**2.00**	**10.07**	**48.76**	**697.96**

स्रोतः- बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी–24

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी

31मार्च तक	नियमित	अंशकालिक कर्मचारी	वर्क चार्जड	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी
1.	2.	3.	4.	5.
2004	1,46,933	12,881	29,692	32,674
2005	1,45,556	12,357	29,345	31,763
2006	1,61,803	13,312	12,332	31,337
2007	1,74,388	13,219	6,185	21,242
2008	1,82,746	13,168	5,904	14,824
2009	1,89,065	13,050	2,167	11,908
2010	1,90,560	13,088	0	11,551
2011	1,87,604	11,639	0	10,170
2012	1,87,419	11,780	0	9,979
2013	1,84,761	8,153	0	12,337
2014	1,83,600	7,750	0	11,599
2015	1,82,049	6,312	0	11,512
2016	1,78,744	5,687	0	10,950
2017	1,77,338	4,666	0	10,578
2018	1,81,376	4,048	0	7,760
2019	1,81,231	3,334	0	7,253
2020	1,81,379	3,619	0	6,256
2021	1,87,899	3,086	0	4,930

नोटः–अनुबंध, तदर्थ तथा स्वयंसेवी कर्मचारी के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

स्रोतः–आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

P—अनंतिम

सारणी–25

पर्यटक आगमन वर्ष 2021

जिला	भारतीय	विदेशी	कुल
1.	2.	3.	4.
बिलासपुर	253510	0	253510
चंबा	221819	69	221888
हमीरपुर	60123	1	60124
कांगड़ा	234251	2701	236952
किन्नौर	59961	109	60070
कुल्लू	1647329	252	1647581
लाहौल–स्पीति	960532	420	960952
मंडी	397829	149	397978
शिमला	951792	825	952617
सिरमौर	400934	28	400962
सोलन	382362	278	382640
ऊना	61828	0	61828
हिमाचल प्रदेश	5632270	4832	5637102

स्रोतः–पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी–26
शिक्षा

कार्यरत शैक्षणिक संस्थानों की संख्या	2020-21 दिसंबर 2021 तक
1.	2.
1. प्राथमिक	10,734
2. माध्यमिक	2,022
3. उच्च विद्यालय	**930**
4. उच्च माध्यमिक विद्यालय	**1,882**
5. डिग्री महाविद्यालय*	**139**
कुल	**15,707**

1 एन.सी.ई.आर.टी. महाविद्यालय सोलन शामिल , 1 बी.एड. महाविद्यालय धर्मशाला, 1 ललित कला महाविद्यालय तथा 7 संस्कृत महाविद्यालय

स्रोत:–शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश ।

सारणी–27
चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य

मद	2019-20	2020-21	2021-22 (दिसंबर, 2021 तक)
1.	2.	3.	4.
1.एलोपैथिक संस्थान			
(i) संस्थानों की संख्या			
(क)अस्पताल	98	99	101
(ख)सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	92	91	99
(ग)प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	588	574	576
(घ) ईएसआई डिस्पेंसरी	16	16	16
कुल	**794**	**780**	**792**
(ii) उपलब्ध बिस्तर	14,527	14,553	14,801
2. आयुर्वेदिक संस्थान			
(क) स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय			1
(ख) फार्मास्युटिकल साइंस महाविद्यालय			1
(ग) क्षेत्रीय अस्पताल			2
(घ) आयुर्वेदिक अस्पताल	33	33	31
(ङ) प्राकृति चिकित्सा केंद्र	2	1	1
(च) आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र	1182	1182	1185
(छ) अनुसंधान संस्थान हर्बल गार्डन	1	1	4
(ज) औषधि परीक्षण प्रयोगशाला			1
(झ) आयुर्वेदिक फार्मेसी	3	3	3
(ञ) आमची स्वास्थ्य केंद्र			4
(ii) आयुर्वेदिक संस्थानों में उपलब्ध बिस्तर	941	941	941
3. युनानी औषधालयों की संख्या	3	3	3
4. होम्योपैथी औषधालयों की संख्या	14	14	14
कुल			**1250**

स्रोत:–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद निदेशालय, हिमाचल प्रदेश।

सारणी–28

सड़कें

(किलोमीटर में)

सड़क के प्रकार	2020-21	2021-22 (31.12.2021 तक)
1.	2.	3.
1.फोर लेन	189	223
2.दोहरी सड़कें	2,059	2,098
3. एकहरी सड़कें	36,304	36,739
4. जीप चलने योग्य सड़कें	954	954
5. जीप चलने अयोग्य सड़कें	6	6
कुल	39,512	40,020

स्रोत:– लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश।
नोट:– आंकड़ों में राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं।

सारणी–29

राष्ट्रीय सड़क परिवहन

वर्ष	मोटर वाहनों की संख्या							संचालित मार्गों की संख्या	परिचालित की गई दूरी ('000 किलोमीटर)
	बसें	संलग्न बसें	इलेक्ट्रिक बसें	टैक्सियां	इलेक्ट्रिक टैक्सी	अन्य	कुल		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2011-12	2,024	0	0	0	0	93	2,117	2,048	1,65,417
2012-13	2,091	0	0	0	0	54	2,145	2,077	1,66,503
2013-14	2,054	33	0	0	0	52	2,139	2,142	1,71,647
2014-15	2,447	33	0	0	0	50	2,530	2,225	1,79,396
2015-16	2,645	34	0	0	0	85	2,764	2,325	1,88,292
2016-17	3,105	53	0	0	0	77	3,235	2,573	2,11,519
2017-18	3,110	62	0	0	0	86	3,258	2,723	2,27,767
2018-19	3,078	69	40	21	50	92	3,350	2,833	2,31,155
2019-20	3,093	76	75	21	50	95	3,410	2,953	2,22,646
2020-21	3,099	51	75	21	50	92	3,391	2,350	7,63,49
2021-22 जून से दिसम्बर तक	3,103	48	75	21	50	99	3,396	2,170	32,314

स्रोत:– हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला।

सारणी–30
हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

वर्ष/माह	औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार : 2016 = 100	
	सामान्य सूचकांक	खाद्य सूचकांक
1.	**2.**	**3.**
2017 *	254	284
2018 *	261	278
2019 *	274	287
2020	122	121
2021	123	120
जनवरी*	120	115
फरवरी*	121	116
मार्च*	121	116
अप्रैल*	122	117
मई*	122	116
जून*	123	118
जुलाई*	124	120
अगस्त*	124	121
सितंबर	125	**121**
अक्टूबर	127	**126**
नवंबर	128	**128**
दिसंबर	**126**	**123**

स्रोत:– श्रम ब्यूरो भारत सरकार

* आधार वर्ष 2001 = 100

सारणी–31
थोक मूल्य के भारतीय सूचकांक

मद	(आधार : 2011-12=100)		
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
सभी वस्तुएं	**120.0**	**121.8**	**123.4**
I. मुख्य सामग्री :	**134.2**	**143.2**	**145.7**
(क)खाद्य सामग्री :	143.7	155.7	160.7
(ख)गैर–खाद्य सामग्री :	123.1	128.7	130.5
(ग)खनिज	136.5	155.9	164.9
II. ईंधन, बिजली, प्रकाश तथा स्नेहक	**104.1**	**102.4**	**94.0**
III. विनिर्मित उत्पाद	**117.9**	**118.3**	**121.5**
(क) खाद्य उत्पादों	128.6	133.8	141.4
(ख) पेय पदार्थ, तंबाकू तथा तंबाकू उत्पाद	120.7	123.5	124.5
(ग) वस्त्र	117.9	117.8	117.6
(घ) लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	133.5	133.7	134.6
(ङ)कागज एवं कागज के उत्पादों	123.3	121.1	121.7
(च) चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	121.8	118.6	117.9
(छ)रबर एवं प्लास्टिक के उत्पाद	109.6	108.4	111.3
(ज)रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	119.1	117.5	118.2
(झ)गैर–धात्विक खनिज उत्पाद	115.9	116.6	117.6
(ञ)मुख्य धातु, मिश्र धातु एवं धातु उत्पाद	112.2	106.2	111.4
(ट)बिजली मशीनों सहित मशीनें एवं उनके पुर्जे	111.3	113.1	114.0
(ठ)परिवहन उपकरण एवं पुर्जे	111.6	117.9	126.2

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी–32

अपराध की घटनाएं

जिला / अन्य	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2	3	4	5	6
बिलासपुर	1232	1409	1460	1562	1349
चंबा	985	1061	1183	1300	1245
हमीरपुर	858	950	938	1102	901
कांगड़ा	3386	3649	3841	3850	3390
किन्नौर	292	317	338	416	471
कुल्लू	1213	1403	1639	1585	1413
लाहौल–स्पीति	160	172	141	83	130
मंडी	2483	2710	2917	3308	2567
शिमला	2474	2911	2674	2704	2621
सिरमौर	1194	1363	1402	1260	1336
सोलन	1021	1112	1005	1033	953
ऊना	1657	1613	1320	1329	1355
रेलवे एवं ट्रैफिक	11	13	13	10	14
सी.आई.डी.	28	20	82	37	32
बद्दी	805	886	961	1045	1051
पी.एस. साइबर अपराध	5	5	10	06	05
हिमाचल प्रदेश	**17804**	**19594**	**19924**	**20630**	**18833**

स्रोत: पुलिस विभाग, हिमाचल प्रदेश.

सारणी–33
योजना परिव्यय

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विकास के मुख्य /लघु मद	स्वीकृत परिव्यय (2021–22)
1	2	3
I	आर्थिक सेवाएं कृषि तथा संबद्ध सेवाएँ	
	1.कृषि	157.56
	2.बागवानी	250.85
	3.मृदा तथा जल संरक्षण	137.29
	4.पशुपालन	25.71
	5.डेयरी विकास	30.01
	6.मत्स्य	8.72
	7.वानिकी तथा वन्यजीव	297.49
	8.कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	0.00
	9. सहकारिता	1.91
	10. बागवानी विपणन	19.77
	कुल -I	929.31
II	ग्रामीण विकास	
	1. डी.आर.डी.ए. प्रशासन	0.96
	2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	5.00
	3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी।.	140.00
	4. एन.आर.एल.एम.	3.00
	5. डी.डी.यू–जी.के.वाई.	7.68
	6. राष्ट्रीय आर–शहरी मिशन	4.00
	7.पी.एम.के.एस.वाय(डब्ल.डी.सी.)	2.50
	8.राष्ट्रीय बांस मिशन	0.02
	9. अन्य	20.70
	9.भूमि सुधार	20.79
	10.समुदाय विकास तथा पंचायतें	18.12
	कुल -II	222.77
III	विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	2.78
	कुल -III	2.78

जारी.....

सारणी—33 ...

(₹करोड़ में)

1	2	3
IV	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	
	1. प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई	15.14
	2. लघु सिंचाई	192.89
	3. कमांड एरिया डेवलपमेंट	83.13
	4. बाढ़ नियंत्रण	22.22
	कुल - IV	313.38
V	ऊर्जा	
	1. ऊर्जा	889.03
	2. ऊर्जा के गैर–पारंपरिक स्त्रोत	14.54
	कुल - V	903.57
VI	उद्योग तथा खनिज	
	1. ग्राम तथा लघु उद्योग	161.10
	2. अन्य उद्योग (वि एस आई के अलावा)	11.00
	3. खनिज	0.00
	कुल - VI	172.10
VII	परिवहन	
	1. नागर विमानन	908.30
	2. सड़कें तथा पुल	1336.72
	3. सड़क परिवहन	429.30
	4. रेल परिवहन	50.00
	5. परिवहन सेवाओं के अलावा अन्य	0.00
	कुल -VII	2724.32
VIII	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	
	1 .वैज्ञानिक अनुसंधान	16.08
	2. पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	2.40
	3. सूचना प्रौद्योगिकी	27.00
	कुल - VIII	45.48
IX	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	
	1. सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	20.50
	2. उत्पाद शुल्क तथा कराधान	8.00
	3. पर्यटन	66.67
	4. नागरिक आपूर्ति	246.21
	5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	36.00
	6. वजन तथा माप	0.07
	7. जिला योजना / जिला परिषद	395.85
	कुल -IX	773.30

जारी.....

सारणी–33

(₹करोड़ में)

1	2	3
X	B. सामाजिक सेवाएं	
	1. सामान्य शिक्षा	
	a) प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता	177.66
	b)उच्च / माध्यमिक शिक्षा	279.99
	2. तकनीकी शिक्षा	182.88
	3. खेल एवं युवा सेवाएं	24.50
	4. कला एवं संस्कृति	8.13
	5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	426.55
	6. जल आपूर्ति स्वच्छता	611.95
	7. आवास सहित पुलिस आवास	146.01
	8. शहरी विकास	144.10
	9. सूचना एवं प्रचार	0.61
	10. एस.सी, एस.टी एवं ओ.बी.सी. का कल्याण	922.46
	11. श्रम एवं रोजगार	111.36
	12. महिला एवं बाल विकास	177.39
	13. पोषण	7.90
	कुल -X	3221.49
XI	C. सामान्य सेवाएं	
	1. जेल	12.00
	2. लोक निर्माण	34.04
	3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	50.87
	कुल -XI	96.91
	कुल योग	9405.41

स्रोत: – योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश

.............अंत

संपादक का परिचय

डॉ. अक्षय के. रुंचाल, एनालिटिक एंड कम्प्यूटेशनल रिसर्च, इंक. के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वह कम्प्यूटेशनल फ्लूड डायनेमिक्स, दहन मॉडलिंग और दहन प्रणालियों से संबंधित प्रदर्शन विश्लेषण में एक स्थापित और प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग और पर्यावरण विज्ञान से जुड़ी विविध समस्याओं के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग और प्रवाह, गर्मी और जन परिवहन प्रक्रियाओं के संख्यात्मक अनुकरण पर कार्य किया है। उनका औद्योगिक और शहरी परियोजनाओं के डिजाइन, उत्पादन, संचालन और पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित समस्याओं पर विस्तृत अनुभव है। वह कई तकनीकी पत्रिकाओं के नियमित समीक्षक हैं।

डॉ. रुंचाल साधारण व्यक्तित्व के है, जिन्होने आर्थिक सर्वेक्षण के संपादन में हमारा मार्गदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश सरकार डॉ. रुंचाल को उनके बहुमूल्य सुझावों और टिप्पणियों के लिए धन्यवाद देना चाहती है, जिनके योगदान से ये सर्वेक्षण पूर्ण हुआ।

शिखर की ओर
हिमाचल

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
ब्लॉक नंबर 38, एस.डी.ए. कॉम्प्लेक्स कसुम्पटी शिमला
पिन कोड : 171009
फोन एवं फैक्स +91-177-2626302
www.himachalservices.nic.in/economics
ईमेल : ecostat-hp@nic.in

H.P. Govt. Press, Shimla--2002 DES/22--22-02-2022--300 COPIES

Government of Himachal Pradesh

ECONOMIC SURVEY 2021-22

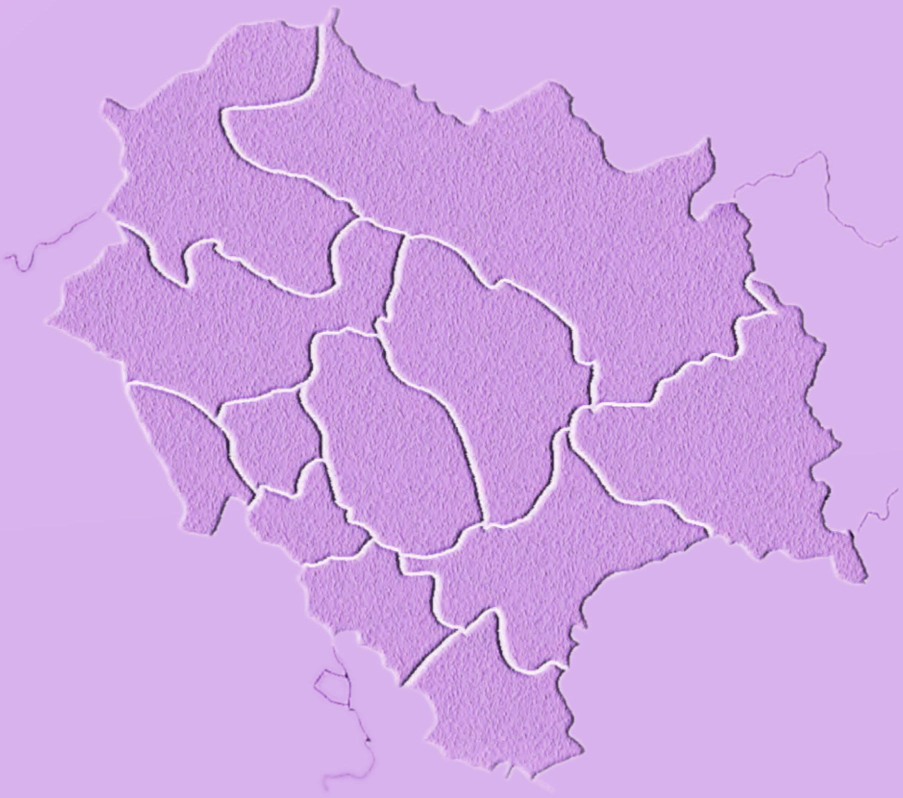

ECONOMIC & STATISTICS DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH

Government of Himachal Pradesh

Economic Survey 2021-22

Economic and Statistics Department

Preface

Every year, the Government of Himachal Pradesh publishes the Economic Survey of the State reflecting the Government's programmes/initiatives and State's progress towards greater development. The Economic Survey not only provides an opportunity to report the State's achievements but also enables us to deliberate on the opportunities ahead.

Economic Survey 2021-22 reviews the economic development in the State over the last one year, analysing and providing statistical data of all the major sectors-social, agricultural, industrial, construction, banking, employment, prices, etc. It covers sixteen chapters focussing attention on growth of different sectors, sections and regions along with their problems and constraints. It highlights the initiatives taken by policy makers in chartering the State economy to the path of prosperity and social welfare for its citizens, in the short and medium term.

In view of the unprecedented situation of the global pandemic, the survey has rightly made an attempt to present the impact of COVID-19 on various sectors of the State's economy also highlighting the response of the State Government in effectively fighting the pandemic.

It is expected that Economic Suvey-2021-22 will provide a roadmap to policy makers and programme managers to fine tune policies and programme strategies to make them more responsive to emerging needs and providing the needed impetus for economic growth and at the same time bolster the State's endeavour to achieve the Sustainable Development Goals stated in "Drishti Himachal Pradesh-2030: Sustainable Development Goals".

I sincerely thank all the Administrative Secretaries, Heads of the Department and Chief Executive Officers of Public Undertakings for their active support and continuous feedback in this exercise, without which it would not have been possible to bring out the document in a timely manner.

My special gratitude to Dr. Akshai Runchal (founder and President of Analytic and Computational Research, Inc.) for editing and review of the draft document.

I compliment the efforts of Economic and Statistics Department, Government of Himachal Pradesh in bringing out Economic Survey 2021-22.

I hope the Economic Survey 2021-22 will serve as a starting point for discourse around the State's development, especially in the aftermath of COVID-19, in our journey towards a prosperous Himachal Pradesh.

(Prabodh Saxena), IAS
ACS (Finance, Economic & Statistics)
to the Government of Himachal Pradesh

Acknowledgements

Economic Survey 2021-22 is the culmination of the collective effort of all departments of the State Government. This task could be accomplished with the active support, cooperation, guidance and contribution of various persons and stakeholders. Their contributions are highly acknowledged.

I wish to express my deep gratitude to Shri Prabodh Saxena, IAS, ACS (Finance, Planning, Economic and Statistics, Personnel, Environment Science and Technology) and Shri Akshay Sood, IAS, Secretary, (Finance, Economic and Statistics, Housing), Government of Himachal Pradesh for their continuous support, valuable guidance and encouragement in preparation of the document.

I thankfully acknowledge the active support provided by officers/ officials of the department, specifically Anupam Kumar Sharma, Chander Mohan Sharma, B.S. Bist, Sukeen Daroch, Kulvinder Singh, Suresh Verma, Alka Thakur, Ghanshyam Sharma, Mridula Saxena, Ashwani Kumar, Rakesh Kumar, Sanjay Sharma, Geetanjali Sharma, Harminder Singh, Rama Gupta and Madhu Bala.

I would like to acknowledge the administrative support given by the officials of the department of Economic and Statistics, particularly, Ugar Sain, Alaukik Sharma, Leela Chauhan, Dharmender Kumar, Tanu Sharma and Sunil Kumar.

I am also grateful to Himachal Pradesh Government Printing press which undertook the printing of the English and Hindi version of the Survey in a stipulated time frame.

Last but not least, I am thankful to Dr. Akshai Runchal (founder and President of Analytic & Computational Research, Inc.), for great editing job on the manuscript.

In this small space it is not possible to mention the contribution of all those who have helped us in bringing out the Economic Survey. I extend my sincere gratitude to all of them who have directly or indirectly extended their assistance in this collective endeavour.

Economic Survey 2021-22 is presented in two parts. Part-I covers the polices, programs and achievements of Government departments and Part-II provides the corresponding data sets.

As this document is relied upon by policy makers, planners, academicians and students, a digital version will be uploaded both in Hindi and English in public domain at www.https://himachalservices.nic.in/economics/in. I would welcome comments/ suggestions for improving this document.

(Dr. Vinod Kumar Rana)
Economic Adviser
Government of Himachal Pradesh

Part-I
Economic Survey
2021-22

Contents

Chapter No.	Name of the Chapter	Page No.
	Preface	
	Acknowledgements	
	Executive Summary	i-vii
1	**General Review**	**1-12**
	A Macro View	1
	Overview: Indian Economy	2
	Overview: Himachal Pradesh Economy	4
2	**State Economy, Public Finance and Taxation**	**13-23**
	State Economy	13
	Estimates of GSDP at Constant Prices	13
	Estimates of GSDP at Current Prices	15
	Per Capita Income	16
	Prospects- 2021-22	17
	Public Finance and Taxation	18
	Fiscal position and Parameters	19
	Revenue Receipts	19
	Composition of revenue expenditure	21
3	**COVID-19 Impact and Recovery of Himachal Pradesh Economy**	**24-35**
	Introduction	24
	COVID-19 Impact on State's Economy	27
	State's response to mitigate COVID-19 adverse effects	32
4	**Sustainable Development Goals and Initiative for Good Governance in the State**	**36-46**
	Introduction	36
	Good Governance Index	41
	Districts Good Governance Index	42
	Status of Multidimensional Poverty Index (MPI) of the State	45
5	**Institutional and Bank Finances**	**47-60**
	Introduction	47
	Financial Inclusion initiatives	49
	Performance under Annual Credit Plan	52
	Implementation of Government Sponsored Schemes	53
	National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)	55
	NABARD Consultancy Services (NABCONS)	59
6	**Price Movement and Food Management**	**61-78**
	Introduction	61
	Current Trends in Inflation	62
	Consumer Price Index-Combined (CPI-C) inflation	62
	Consumer Price Index Industrial Worker (CPI-IW)	66

	Wholesale Price Index (WPI)	67
	Drivers of WPI Inflation	70
	Volatility in Essential Commodity Prices	73
	Food Security and Civil Supplies	74
	Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation (HPSCSC)	76
	Implementation of National Food Security Act, 2013	78
7	**Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Allied Sectors**	**79-114**
	Introduction	79
	Monsoon Season 2021	81
	Crop Performance 2020-21	82
	Crop Prospects 2021-22	82
	Growth in Food Grains Production	83
	Crop Insurance Scheme	85
	Horticulture	92
	Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation Ltd (HPMC)	95
	Animal Husbandry and Dairying	97
	Rashtriya Gokul Mission (RGM)	100
	Livestock Census	103
	Milk Based Industries	104
	Fisheries and Aqua Culture	106
	Forest	109
	Externally Aided Projects	112
	Overview of Agriculture and Allied Sectors	114
8	**Water Resource Management and Environment**	**115-125**
	Jal Jeevan Mission (JJM)	115
	Irrigation	117
	Environment, Science And Technology	118
	State Knowledge Cell on Climate Change	119
	State Level Environment Leadership Awards	124
9	**Industrial Development**	**126-138**
	Introduction	126
	Ease of Doing Business	126
	Prime Minister’s Employment Generation Programme	128
	Status of Industrialization in Himachal Pradesh	130
	Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in Himachal Pradesh	130
	Khadi and Village Industries Commission	131
	Himachal Pradesh Khadi & Village Industries Board	132
	Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation	134
	Trends in Industrial Sector	137
	Index of Industrial Production	138

10	**Labour and Employment**	**139-154**
	Introduction	139
	Building and Other Construction Workers	141
	Skill Development Allowance Scheme	141
	Employment Exchange Information	142
	Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam	143
	Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana	146
	Employment Scenario: Himachal Pradesh, Neighboring States and India	147
	Labour Force in Himachal Pradesh	148
	Worker Population Ratio	150
	Unemployment Rate	152
11	**Power**	**155-169**
	Introduction	155
	Directorate of Energy	156
	Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd	158
	Hydro Electricity Generation and Transmission	160
	Himachal Pradesh Power Corporation Limited	161
	Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited	164
	HIMURJA	166
	Solar Power Plants/Projects	167
12	**Tourism and Transport**	**170-186**
	Tourism	170
	Sustainable Tourism in Himachal Pradesh	172
	Himachal Pradesh Tourism Development Corporation	173
	Himachal Pradesh Tourism Satellite Account	174
	Roads and Bridges (State Sector)	178
	Transport Department	179
	Himachal Road Transport Corporation	184
13	**Social Sector**	**187-231**
	Education	187
	Elementary Education	191
	State Sponsored Schemes for Elementary Education	191
	Har Ghar Pathshala	193
	Senior Secondary Education	194
	Secondary / Higher Education State Sponsored Scholarship Schemes	195
	Information Technology Education	198
	Samagra Shiksha	199
	Technical Education	202
	Education Satellite Account, 2017-18 Himachal Pradesh	205
	Health	208
	Various Programmes of Health Department in the State	209

	Medical Education and Research	211
	Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy	213
	Development of Herbal Resources	215
	Status of COVID-19	215
	Health Satellite Account, 2017–18 Himachal Pradesh	220
	Health Index- Status of Himachal Pradesh	222
	Social Welfare Programme	224
	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	226
	Trends in Social Sector Expenditure in Himachal Pradesh	230
14	**Rural Development and Panchayati Raj**	**232-243**
	Rural Development	232
	Watershed Development Programme	237
	Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission	238
	Swachh Bharat Mission-Gramin	239
	Panchayati Raj	242
15	**Housing and Urban Development**	**244-251**
	Housing	244
	Urban Development	244
	Swachh Bharat Mission (Urban)	247
	Town and Country Planning	249
	Real Estate Regulatory Authority	251
	Building Construction and Cost Index	251
16	**Information and Technology**	**252-257**
	HIMSWAN	252
	Himachal Pradesh State Data Centre	252
	Mukyha Mantri Seva Sankalp Helpline @1100	253
	COVID-19 Applications	255
	Abbreviations	**258-268**
	Glossary	**269-271**

Executive Summary

The State‟s Economic Survey 2021-22 reviews the economic development in the State over the past financial year by analysing and providing detailed statistical data of all the sectors-social, agricultural, industrial, construction, banking, employment, prices, etc. It covers sixteen chapters focussing attention on growth of different sectors, sections and regions along with their problems and constraints. The Economic Survey also discusses the reforms initiated in some of the sectors and measures taken so far to improve the economic situation and pending challenges that have to be faced in coming decades to enhance growth and ensure equity. A brief summary of each chapter is presented below.

Chapter-1 provides a macro overview of Indian and State‟s economy. It also highlights the efforts of the State Government to improve the efficiency and quality of delivery of public services. At the National level, Gross Domestic Product (GDP) at constant (2011-12) prices or real GDP for the year 2020-21 is estimated at ₹135.58 lakh crore as against ₹145.16 lakh crore in 2019-20 with a contraction of 6.6 per cent. The GDP at current prices or nominal GDP for 2020-21 is estimated at ₹198.01 lakh crore as against ₹200.75 lakh crore in the year 2019-20. As per advance estimates for 2021-22 the Indian economy is expected to grow by 9.2 per cent. The Per Capita Net National Income at current prices is estimated at ₹1,26,855 in 2020-21 against ₹1,32,115 for the previous year 2019-20.

At State level, GDP at constant (2011-12) prices in 2020-21 is estimated at ₹1,14,814 crore against ₹ 1,21,168 crore in 2019-20 with a contraction of 5.2 per cent. The State GDP at current prices, is estimated at ₹ 1,56,675 crore in 2020-21 as against ₹1,59,162 crore in 2019-20. The per capita income at current prices for the year 2020-21 is estimated at ₹1,83,333 as compared to ₹1,85,728 in the year 2019-20.

Chapter-2 gives an overview of the Himachal economy and outlines comparative importance and performance of different sectors of the economy. Advance estimates suggest that the State‟s economy is expected to witness real GDP growth of 8.3 per cent in 2021-22 after contracting in 2020-21. In real terms the increase in GSDP pre-COVID and post-COVID i.e. 2019-20 to 2021-22 is 2.7 per cent. The average annual growth rate for last 8 years was 6.6 per cent. In several sectors of the economy, pre-pandemic levels of output have been crossed. Real GDP or GDP at Constant Prices (2011-12) in the year 2021-22 is estimated at ₹ 1,24,400 crore, as against the Provisional Estimate of GDP for the year 2020-21 of ₹ 1,14,814 crore. Nominal GDP or GDP at Current Prices in the year 2021-22 is estimated at ₹ 1,75,173 crore,

as against the provisional estimate of GDP for the year 2020-21 of ₹ 1,56,675 crore.

Per Capita Income at current prices is estimated at ₹ 2,01,854 which is more than the estimated national per capita income for 2020-21 by Rs. 51,528. The growth in Per Capita Income during 2021-22 is estimated at 10.1 per cent.

Agriculture and allied sectors have been the least impacted by the pandemic and the sector is expected to grow by 8.7 per cent in 2021-22. As per advance estimates the Gross Value Added (GVA) of Industry will rise by 11.0 per cent in 2021-22 after contracting 7.3 per cent in 2020-21. The Services sector has been the hardest hit by the pandemic. This sector is estimated to grow by 6.3 per cent during 2021-22..

Tourism is an important source of generation of revenue and diverse employment opportunities. A significant rise was noticed in the domestic as well as foreign tourist inflow during the last few years but due to impact of COVID-19, there was a sharp decrease of 81 per cent in tourist arrivals in 2020. However, on the positive side, there is an increase of 75.44 per cent in tourist inflow upto December 2021

According to the budget estimates for the year 2021-22 the total revenue receipts were estimated at ₹37,028 crore as against ₹35,588 crore in 2020-21 revised estimates. For the financial year 2020-21 the State Excise and Taxation Department collected ₹7044.24 crore taxes under different heads against a target of ₹6886.13 crore which is 2.30 percent more than the target. During the current financial year 2021-22, (up to December 2021) the department has collected ₹6,232.24 crore taxes under different heads against the annual target of ₹6,964.84 crore.

As per the budget estimates the Revenue receipts of the Government for the year 2021-22 were estimated to be 21.14 per cent of the GSDP revised to 22.71 per cent in 2020-21 revised estimates. Similarly, the tax revenue for the year 2021-22 was estimated at 8.45 per cent of GSDP as compared to 7.86 per cent during 2020-21. Non-tax revenue is 1.57 per cent of the GSDP in 2021-22 as compared to 1.45 per cent during 2020-21. Fiscal deficit estimate is 4.45 per cent of the GSDP in 2021-22 as compared to 4.11 per cent in 2020-21. In 2021-22, the total expenditure of the State is estimated at 28.65 percent, revenue expenditure at 21.97 percent and capital expenditure is estimated at 3.43 percent of the GSDP.

Chapter-3 discusses the COVID-19 Impact and Recovery of Himachal Pradesh Economy**.** The impact of coronavirus pandemic on India has been largely disruptive in terms of economic activity as well as loss of human lives. Almost all the sectors have been adversely affected as domestic demand and

exports sharply plummeted with some notable exceptions where high growth was observed. Himachal Pradesh too, like other States, resorted to lockdown and various other restrictions which curbed movement of the people and eventually resulted in contraction in GSDP. Eventually after the opening up of many economic activities, GSDP has started „V‟ shape recovery in all the sectors which saw highest contraction due to lockdown. Himachal Pradesh witnessed abundant tourist arrival which also saw a huge dip, but after relaxation of lockdown, this sector saw 75.43 per cent growth rate from the previous year.

Chapter-4 explains the performance of the State in Sustainable Development Goals (SDGs), Good Governance and Multidimensional Poverty Index. SDGs encompass all the key development sectors including education, health, sanitation, employment, infrastructure, energy, and environment - and set time-bound targets to achieve them. Himachal Pradesh is a frontrunner among the States at national level. It secured consistent top position in assessment of sustainable goals. Though in all indicators, Himachal Pradesh performed better, it secured top position in Affordable and Clean Energy. Himachal also attained lowest score in SDG-2 which is Zero hunger. There are three indicators in SDG-2 in which Himachal Pradesh needs attention namely percentage of children who are underweight, percentage of children who are stunted and percentage of women who are anaemic. State has achieved 2nd rank in overall ranking along with Tamil Nadu in current SDG 3.0. Good Governance Index has been closely related with SDGs in which Himachal Pradesh has been assessed top performer among North East and Hill States.

To assess the reach of the Government and to create healthy competitive environment, District Good Governance Index (DGGI) has been made an annual exercise since 2019 in the State. In DGGI 2020 ranking Hamirpur was the top performer followed by Bilaspur.

In terms of Multidimensional Poverty Index (MPI), Himachal Pradesh has 0.03 percent compared to 0.118 per cent MPI at national level. State has just 7.62 per cent head count ratio compared to 25.01 per cent head count at national level.

Chapter-5 focuses on achievements in the financial sector. The State has a network of 2,244 bank branches of which, more than 76 per cent are in rural areas. From October, 2020 to September, 2021, 13 new branches were opened. At present 1,715 branches are located in rural areas, 414 in semi-urban areas and 115 in Shimla urban. Agriculture loans constitute 19.47 percent of total loans extended by Banks as on September, 2021 as against the national parameter of 18 percent set by the RBI. Advances to weaker sections and women have a proportion of 17.75 and 10.48 per cent in total lending by banks as against the national parameter of 10 and 5 percent,

respectively. Credit Deposit Ratio (CDR) of banks in the State stood at 38.28 per cent upto September, 2021. Under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY), banks have 15.72 lakh subscribers upto September, 2021.

Chapter-6 discusses Price Movement and Food Management. In Himachal Pradesh, Inflation has been moderate since 2014, Consumer Price Index – combined (CPI-C) inflation was 4.6 percent in 2016-17 and 5.2 percent in 2020-21. In current financial year, during April–December, 2021, CPI-C was 6.0 per cent as compared to 5.3 per cent for the same period in 2020-21. In 2021-22, during April-December 2021, CPI-Rural and CPI-Urban indices were 6.1 and 5.2 percent, respectively, as compared to 4.8 and 7.6 per cent in the corresponding period of 2020-21.

Chapter-7 discusses the performance of Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Allied Sectors. The share of agriculture and allied sectors in the Gross Value Added (GVA) of the State at current prices has declined from 15.33 per cent in 2016-17 to 12.44 per cent in 2021-22. This is a natural outcome of development process that leads to faster growth of non-agricultural sectors owing to structural changes taking place in the economy. However, the importance of agriculture for the livelihood of the rural population and food security of large masses is significant in the economy. The foodgrains production was 15.28 lakh MT in 2020-21 as against the food grain production of 15.94 lakh MT in the year 2019-20. The production of Potato was 1.96 lakh MT in 2020-21 as against 1.97 lakh MT in 2019-20. The production of vegetables during the year 2020-21 was 18.67 lakh MT as against 18.61 lakh MT in 2019-20. The contribution of major livestock products during 2020-21 was 15.76 lakh tonnes milk, 1,482 tonnes wool, 1,111 million eggs and 4,306 tonnes of meat which is likely to be of the order of 16.54 lakh tonnes of milk, 1,500 tonnes of wool, 1100 million eggs and 4,500 tonnes of meat during 2021-22. Forests in Himachal Pradesh cover an area of 37,947 Sq. Km. and accounts for 68.16 per cent of total geographical area of the State. Presently 28.60 per cent of the total geographical areas support forest cover.

Chapter-8 explains the performance of State Government in providing safe drinking water, irrigation facilities and environment protection. As on December, 2021, out of 17.28 lakh households, 15.80 lakh were provided Functional Household Tap Connections. In Himachal Pradesh, 91 per cent households have been provided with domestic connection against a national average of 45.50 per cent.

Chapter-9 focuses on the status of industralisation and Investment/Outreach initiatives. State has a well developed industry sector which has witnessed an average contribution to Gross State Domestic Product (GSDP) of around 30

per cent during the last 4 years. The growth rate of GSVA of manufacturing sector at constant prices was 10.1 per cent in 2018-19 and increased at decreasing rate of 0.88 per cent in 2019-20. After showing a negative growth rate of -7.33 per cent in 2020-21 it is expected to grow at 11.3 per cent in 2021-22. As on 31.01.2022, 33,094 enterprises have registered on the Udyam portal in the state, out of which 31,217 are Micro, 1,637 are Small and 240 are Medium enterprises. The State government amended the Industrial Policy 2004 and notified the “Himachal Pradesh Industrial Investment Development Policy 2019” and “Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities for Investment Promotion in Himachal Pradesh-2019” to promote and incentivize industry by creating a conducive environment for sustainable inclusive development that generates income and employment opportunities. The Government signed 703 Memorandum of Understanding (MoUs) in various sectors with proposed investment of ₹96,720.88 crore and proposed employment of 1,96,800 persons in the Global Investors Meet.

Chapter-10 of the Survey highlights the Periodic Labour Force Survey (PLFS) Report for 2019-20. This shows that Labour Force Participation Rate has increased from 52.8 per cent in 2018-19 to 57.7 per cent in 2019-20. A striking feature of the latest PLFS Report 2019-20 is a considerable increase in female workforce participation rate in the State from 44.6 per cent in 2018-19 to 50.3 per cent in 2019-20. Overall workforce participation rate also increased from 50.1 per cent 2018-19 to 55.6 per cent in 2019-20. The unemployment rate in the State declined from 5.2 per cent in 2018-19 to 3.7 per cent in 2019-20.

Chapter-11 of the Economic Survey highlights the progress made by the State in Power sector. Himachal Pradesh has an estimated Hydro Potential of 27,436 Megawatt (MW) out of which about 24,567 MW has been assessed as harness able. Himachal Pradesh recently notified Swaran Jayanti Energy Policy-2021 which envisages clean and green energy development through exploitation of full energy potential specially hydro and solar, and to add additional 10,000 MW green energy though hydro, solar and other green energy sources, by 2030.

Chapter-12 highlights the developments in tourism and transport sector. **T**he contribution of the tourism sector to the State Gross Domestic Product (GDP) is about 7 per cent. Himachal Pradesh is a fast-growing tourist destination that draws visitors from across the globe. 4,011 Tourism Units, 828 Restaurants, 4,400 Travel Agents and 2,934 Home Stays are registered in the department of Tourism and Civil Aviation. As per Tourism satellite accounts, the total share of tourism in the State GVA is estimated at 7.53 per cent and the total share in the number of jobs in the State is estimated at 14.42 per cent. Starting almost from a scratch the State Government has constructed 40,020 kms. of motorable roads (inclusive of jeepable and track) till December, 2021.

In addition, the National Highway Authority of India has developed/ maintained 5 National Highway shaving length of 785 kms. and Border Road Organization has also developed/ maintained 3 National Highways covering of 569 kms.

Chapter-13 explains the status of Education, Health and social Welfare sectors in the State and the trends in Social Sector Expenditure in Himachal Pradesh. In the Survey it is stated that as per Annual Status of Education Report (ASER) 2021, the percentage of children in the age group 6-14 enrolled in Government schools increased by more than 6.8 percentage points from 2020 to 2021 .The increase of 7.1 percentage points has been observed in the girls enrollment, in comparison to 6.2 percentage points increase in boys enrollment in the same age group from 2020 to 2021.

The COVID-19 pandemic put the health infrastructure of Himachal Pradesh to a great test. The pandemic brought forth the inherent strengths of the medical fraternity in effectively managing the spread of the disease. To provide quality health care to COVID-19 patients in Himachal Pradesh, oxygen cylinders and oxygen manifold were procured in a timely manner and provided to all the dedicated COVID-19 facilities. The process of COVID-19 vaccination was started on 16th Janurary, 2021 in the State. As per COVID-19 Portal as of 30th January, 2022 the total number of doses given were 1,19,20,817, of which 1st dose given to 62,77,737 and 2nd dose to 55,51,179. In addition, 91,901 doses were given as precautionary dose.

Himachal has seen significant increase in expenditure on social services. For this sector, the expenditure by the state, as a proportion of GSDP, increased to 9.72 per cent from 8.48 per cent, during the period 2016-17 to 2021-22. Expenditure on education, increased from 4.17 per cent in 2016-17 to 4.72 per cent in 2021-22, and in health from 1.42 per cent to 1.70 per cent in the same period. The share of expenditure on social services out of total budgetary expenditure has increased to 33.91 per cent in 2021-22, from 29.52 per cent in 2016-17.

Chapter-14 highlights the developments in rural sector. Under Pradhan Mantri Awas Yojna-Gramin (PMAY-G), in 2021-22 Government of India has allocated the target of 3,514 numbers of houses out of which department has sanctioned 1,620 numbers of houses. Under Mukhya Mantri Awas Yojna (MMAY) there is a budget provision in year 2021-22 of ₹20.93 crore and 1,257 houses of all categories are proposed to be constructed. Under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) during 2021-22, ₹ 857.59 crore have been utilized and 255.73 lakh mandays generated by providing employment to 6,06,182 households.

Chapter-15 highlights the status and progress made in Housing and Urban Development sector. During 2021-22, Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority, generated 6,61,330 mandays of wage through construction of different works. The Government of Himachal Pradesh, started Mukhya Mantri Shahri Ajeevika Guarantee Yojna (MMSAGY) on 16.05.2020 to enhance livelihood security in urban areas by providing 120 days of guaranteed wage employment to desiring persons. All adult members of the households who register under this scheme are eligible to work.

Chapter-16 highlights the developments in the Department of Information Technology. IT department developed and implemented various IT Applications and solutions to facilitate the smooth operation of day to day business of administration and citizens. The State Government at various levels is using these technology platforms provided by the Department for information gathering, monitoring and decision-making as well as office working in an efficient manner. Several Government meetings with field functionaries are being held virtually. During 2021-22, 17 new Applications / Websites were hosted in HPSDC cloud. Overall, 187 Websites/ Applications have been hosted in HPSDC. Information and Communications Technology (ICT) has played a vital role during the pandemic, specifically in reducing footfall in the Government Offices by providing online services to the citizens.

General Review

1
Chapter

1.1 A Macro View

Reforms in the Indian Economy are a continuing process. Various Ministries and Departments are implementing Government's strategic programs and policies to enhance economic growth. Government is using a bottom-up approach in the process of preparation of an economic policy that best meets the needs of our society. The COVID-19 pandemic engendered a once-in-a-century global crisis in 2020. Faced with unprecedented uncertainty at the onset of the pandemic, India focused on saving lives and livelihoods of its citizens by its willingness to take short-term pain for long-term gain. India's response stemmed from the humane principle that while Gross Domestic Product (GDP) growth will recover from the temporary shock caused by an intense lockdown, the human lives lost cannot be brought back.

The last two years have been difficult for the world economy on account of the COVID-19 pandemic. Repeated waves of infection, supply-chain disruptions and, more recently, inflation has created challenging times for policy-making. Faced with these challenges, the Government of India's immediate response was a bouquet of safety-nets to cushion the impact on vulnerable sections of society and the business sector. It then pushed through a significant increase in capital expenditure on infrastructure to build back medium-term demand as well as aggressively implemented supply-side measures to prepare the economy for a sustained long-term expansion.

Two years into the COVID-19 pandemic, the global economy continues to be plagued by uncertainty, with resurgent waves of mutant variants, supply-chain disruptions and a return of inflation in both advanced and emerging economies. Moreover, the likely withdrawal of liquidity by major central banks over the next year may also make global capital flows more volatile. In this context, it is important to evaluate both the pace of growth revival in India as well as the strength of macro-economic stability indicators. It is also essential to look at progress in vaccination as this is not just a health response but also a buffer against economic disruptions caused by repeated waves of the pandemic.

Vaccination is not merely a health response but is critical for opening up the economy, particularly contact-intensive services. Therefore, it should be treated for now as a macro-economic indicator. Over the course of a year, India delivered 173.86 crore doses that covered 90.6 crore people with at least one dose and 74.5 crore with both doses (as on 16th February, 2022). The administration of 'precaution dose' of COVID-19

vaccine to healthcare, frontline workers and those above 60 years in the country and for the 15-18 year age group is also gathering pace at the time of presenting this survey.

Another distinguishing feature of India's response has been an emphasis on supply-side reforms rather than a total reliance on demand management. These supply-side reforms include deregulation of numerous sectors, simplification of processes, removal of legacy issues like 'retrospective tax', privatisation, production-linked incentives and so on.

The Indian Government continued to focus on economic revival as its priority. Key initiatives taken, inter-alia, include 'Make in India', 'Startup India' and 'Ease of Doing Business' reforms. Digital Technology has been the 'sprint runner' of this year that enabled us to tide over the disruptive effects of the pandemic. Central Government is creating a conducive environment by streamlining the existing regulations and processes. The upturn in the economy, while avoiding a second wave of infections makes India a sui generis case in strategic policymaking, of being fearless to choose the road less travelled. India's human-centric policy response to the pandemic, tailored to India's unique vulnerabilities, demonstrated the power of upholding self-belief under immense uncertainty. India transformed the short-term trade-off between lives and livelihoods into a win-win situation in the medium to long-term by both saving lives and livelihoods. Empowered by vision and foresight, India turned this crisis into an opportunity by ramping up its health and testing infrastructure and implementing a slew of seminal reforms to strengthen the long-term growth potential of the economy. The Union Government launched a support and outreach program for helping growth, expansion of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector. In addition, efficient financial intermediation, and macroeconomic stability through prudent fiscal and monetary policies are other efforts initiated by the Government to increase growth in the country.

1.2 Overview: Indian Economy

The Indian economy, to some extent has resisted the economic slowdown despite continued fall in the global economic indicators. This stability was marked by good governance through major domestic as well as foreign policies catering to the development of the economy. The initiation of various reforms have stimulated Indian economy that registered a steady pace of economic growth. Hence, growth of real GDP has been high with average growth rate of 6.4 per cent in the last 4 years.

The Indian economy showed a contraction of 6.6 per cent in 2020-21 due to COVID-19 pandemic, experienced negative growth in mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas, water supply and other utility services, construction,

trade, hotels, and restaurants, transport, storage, communication and services related to broadcasting and other services when compared to the previous year 2019-20.

GDP at constant (2011-12) prices or real GDP for the year 2020-21 is estimated at ₹135.58 lakh crore as against ₹145.16 lakh crore in 2019-20 with a contraction of 6.6 per cent. The GDP at current prices or nominal GDP for 2020-21 is estimated at ₹198.01 lakh crore as against ₹200.75 lakh crore in the year 2019-20, showing a contraction of 1.4 per cent during 2020-21. The Gross Value Added (GVA) at constant basic prices witnessed a contraction of 4.8 per cent during 2020-21 against the growth rate of 3.8 per cent in the year 2019-20, due to a negative growth in mining and quarrying (-8.6 per cent), manufacturing (-0.6 per cent), electricity, gas, water supply and other utility services (-3.6 per cent), construction (-7.3 per cent), trade, hotels, and restaurants (-22.4 per cent), transport, storage, communication and services related to broadcasting (-15.3 per cent) and other services (-11.5 per cent).

Table 1.1: GVA Growth at Basic Prices (2011-12 Prices)

Industry(s)	**Percentage change over previous year**	
	2019-20	**2020-21**
1. Agriculture, Forestry and fishing	5.5	3.3
2. Mining and Quarrying	-1.5	-8.6
3. Manufacturing	-2.9	-0.6
4. Electricity, Gas, Water Supply and Other Utility services	2.2	-3.6
5. Construction	1.2	-7.3
6. Trade, Hotels, and Restaurants	7.1	-22.4
7. Transport, storage, Communication and services related to Broadcasting	3.6	-15.3
8. Financial Services	3.5	5.1
9. Real Estate and Professional Services	8.0	1.2
10. Public Administration, Defence	5.1	2.3
11. Other Services	7.2	-11.5
GVA at Basic Prices	**3.8**	**-4.8**

Advance estimates suggest that the Indian economy is expected to witness real GDP expansion of 9.2 per cent in 2021-22 after contraction in 2020-21. This implies that overall economic activity has recovered beyond the pre-pandemic levels.

Agriculture and allied sectors were the least impacted by the pandemic and this sector is expected to grow by 3.9 per cent in 2021-22 after growing 3.6 per cent in the previous year. Estimates suggest that the GVA of Industry (including mining and

construction) will rise by 11.8 per cent in 2021-22 after contracting by 7 per cent in 2020-21. The Services sector was the hardest hit by the pandemic, especially segments that involve human contact. This sector is estimated to grow by 8.2 per cent this financial year following last year's 8.4 per cent contraction.

The Per Capita Net National Income at current prices is estimated at ₹1,26,855 in 2020-21 against ₹1,32,115 for the previous year 2019-20 recording a decrease of 4.0 per cent. The per capita income in real terms i.e. at constant (2011-12) prices is estimated at ₹85,110 for 2020-21 as against ₹94,270 in 2019-20 showing a contraction of 9.7 per cent.

Inflation management is the key priority of the Government. The inflation rate, as measured by the Wholesale Price Index (WPI) on year–on-year (YoY) basis inflation has reappeared as a global issue in both advanced and emerging economies The surge in energy prices, non-food commodities, input prices, disruption of global supply chains and rising freight costs stoked global inflation. Wholesale inflation, based on WPI, after remaining benign during the previous financial years, saw a sharp uptick to 12.5 per cent during 2021-22 (April-December). A part of the observed rise in WPI could be attributed to the low base in the previous year. However, rising input costs and global commodity prices also contributed to the rise in wholesale prices.

The Consumer Price Index Industrial Worker (CPI-IW) moderated to 5.0 per cent in 2021-22 (April-December) from 5.2 per cent in the corresponding period of 2020-21.

1.3 Overview: Himachal Pradesh Economy

Government of Himachal Pradesh has initiated several measures for speedy progress in the quality of life for people of the State through efficient policies and cooperation with Central Government. Himachal has a vibrant economy due to steady efforts of the hardworking people of the State and by the implementation of progressive policies and programmes of the Central and State Government. Himachal has become a fast growing economy. During 2020-21 the state economy contracted by 5.2 per cent due to COVID-19 pandemic but as per current estimates is expected to grow by 8.3 per cent during 2021-22 (Figure 1.1).

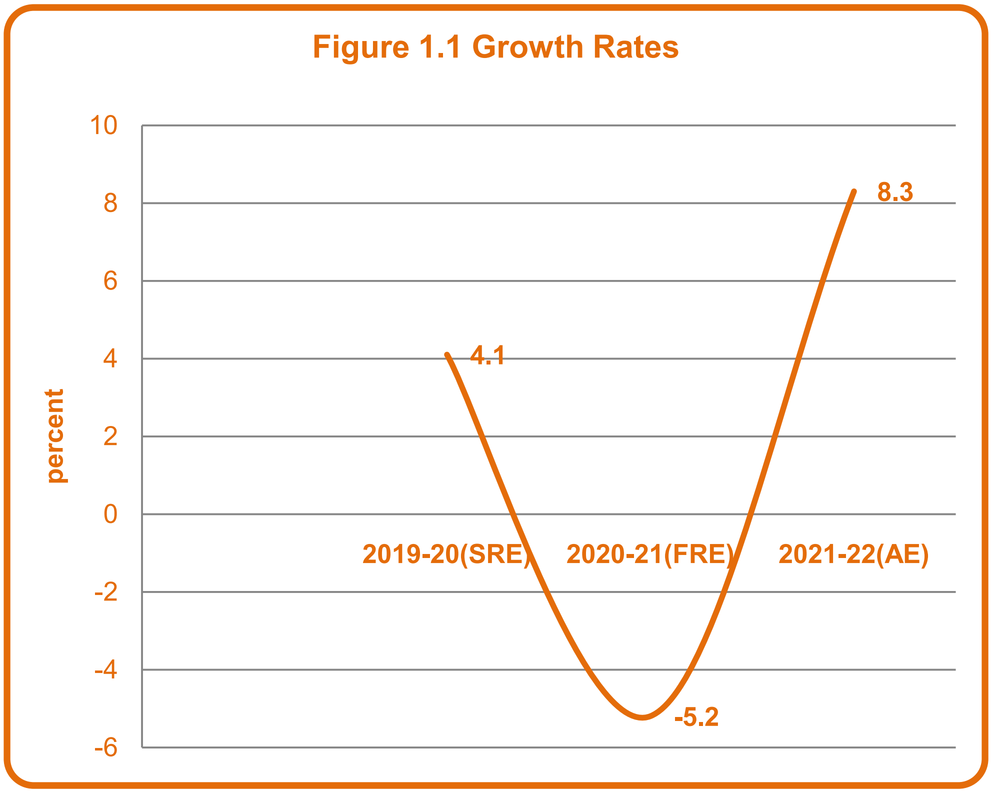

As per the Revised Estimates Gross State Domestic Product (GSDP) at current prices, is estimated at ₹ 1,56,675 crore in 2020-21 First Revised Estimate (FRE) as against ₹1,59,162 crore in 2019-20 Second Revised Estimate (SRE) showed a decrease of 1.6 per cent during the year. GSDP at constant (2011-12) prices in 2020-21 (FRE) is estimated at ₹1,14,814 crore against ₹ 1,21,168 crore in 2019-20 (SRE) registering a negative growth of 5.2 per cent during the year as against the growth rate of 4.1 per cent for the previous year.

The decrease in Gross State Domestic Product at constant prices is mainly attributed to 12.0 per cent decrease in primary sector, 6.6 per cent decrease in secondary sector and 10.6 per cent decrease in transport, communication, trade hotel and restaurants sector. Only two sectors electricity, gas and water supply and community and personal services, registered a positive growth of 4.5 and 5.1 per cent, respectively. Finance and real estate sector decreased by 1.9 per cent, transport and trade increased by 4.6 per cent, manufacturing sector by 0.3 per cent, construction by 3.1 per cent, electricity, gas and water supply decreased by 4.6 per cent. The food grain production, which was 15.94 lakh metric tonnes (MT) during 2019-20 decreased to 15.28 lakh MT in 2020-21 and is anticipated to grow to 16.75 lakh MT in 2021-22. Fruit production decreased to 6.24 lakh MT in 2020-21 as against 8.45 lakh MT in 2019-20, showing a decrease of 26.15 per cent in 2020-21. The fruit production during 2021-22 (up to December, 2022) is 6.98 lakh MT.

Table 1.2: Key Indicators

Indicator(s)	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
	Absolute Value		Percentage change over previous year	
1. G.S.D.P. (₹in crore)				
• **At current prices**	1,59,162	1,56,675	7.3	-1.6
• **At constant prices**	1,21,168	1,14,814	4.1	-5.2
2. Food grains production (lakh tonnes)	15.94	15.28	(-)5.8	(-)4.1
3. Fruit production (lakh tonnes)	8.45	6.24	70.7	(-)26.2
4. Gross Value Added from Industrial Sector (At current price) (₹ in crore)	43,322	42,283	(-)0.82	(-)2.40
5. Electricity generated (Million Units)	2246	1961	14.86	(-)12.69

The per capita income at current prices as per first revised estimates for the year 2020-21 is ₹1,83,333 as compared to ₹1,85,728 in the year 2019-20 which is a decrease of 1.3 per cent.

As per current estimates on the basis of economic conditions up to December, 2021, in spite of the impact of COVID-19, the economy of the State for 2021-22 is expected to grow by ***8.3 per cent.*** This is a remarkable achievement for Himachal.

The economy of the State has shown a shift from agriculture sector to industries and services as the percentage contribution of agriculture in total Gross State Domestic Product has declined from 57.9 per cent in 1950-51 to 55.5 per cent in 1967-68, 26.5 per cent in 1990-91 and 9.64 per cent in 2020-21.

The shares of the industries and services sectors which were 1.1 and 5.9 per cent respectively in 1950-51 increased to 5.6 and 12.4 per cent in 1967-68, 9.4 and 19.8 per cent in 1990-91 and to 28.9 and 44.7 per cent in 2020-21. However, the contribution of remaining sectors declined from 35.1 per cent in 1950-51 to 26.4 per cent in 2020-21.

The declining share of agriculture sector does not affect the importance of this sector in the State economy as the growth in primary sector of the State economy is still determined by the trend in agriculture and horticulture production. It is one of the major

contributors to the total domestic product and has overall impact on other sectors via input linkages, employment, trade and transportation etc. Due to lack of irrigation facilities, agricultural production to a large extent still depends on timely rainfall and weather conditions. High priority has been accorded to this sector by the Government.

The State has made significant progress in the development of horticulture. The topographical variations and altitudinal differences coupled with fertile, deep and well drained soils favour the cultivation of temperate to sub-tropical fruits. The region is also suitable for cultivation of ancillary horticultural produce like flowers, mushroom, honey and hops.

During 2021-22, 1,549 hectares of additional area was planned to be brought under fruit plants against which 1,932 hectares of area has already been brought under plantation and 5.35 lakh fruit plants of different species were also distributed up to December, 2021. Growing of off-season vegetables has also picked up in the State. During 2020-21, 18.67 lakh tonnes of vegetables were produced as against 18.61 lakh tonnes in 2019-20. The production of vegetables will be about 18.50 lakh tonnes in 2021-22.

In the area of climate change mitigation, Himachal Pradesh continued to take various steps to achieve its targets. The State action plans on climate change aim to create institutional capacities and implement sectoral activities to address climate change.

In view of the growing needs of the State economy, Government has taken steps to provide uninterrupted power supply in the State. Several steps have been taken for increasing power generation, transmission and distribution. As a source of energy, hydro power is economically viable since it is non-polluting and is environmentally sustainable. In order to restructure this sector, the Power Policy of the State attempts to address all aspects like capacity addition, energy security, access and availability of power, affordability, environment and assured employment to the people of Himachal. Though the private sector participation in terms of investments in this sector has been encouraging. Smaller projects (up to 2 MW) have been reserved for investors from Himachal Pradesh and preference is given to them for projects up to 5 MW.

Containment of prices is a priority for the Government. Consumer Price Index inflation in Himachal Pradesh during 2021-22 (April to Dec. 2021) was 5.1 per cent.

Tourism is an important source of generation of revenue and diverse employment opportunities. A significant rise was noticed in the domestic as well as

foreign tourist inflow during the last few years but due to impact of COVID-19, there was a sharp decrease of 81 per cent in tourist arrivals in 2020. However, on the positive side, there is an increase of 75.44 per cent in tourist inflow upto December 2021, as compared to the previous year. This is evident from the Table 1.3 below:

Table 1.3: Tourists Inflows (In lakh)

Year	Indian	Foreigners	Total
2010	128.12	4.54	132.66
2011	146.05	4.84	150.89
2012	156.46	5.00	161.46
2013	147.16	4.14	151.30
2014	159.25	3.90	163.15
2015	171.25	4.06	175.31
2016	179.28	4.53	184.51
2017	191.31	4.71	196.09
2018	160.94	3.56	164.50
2019	168.29	3.83	172.12
2020	31.70	0.43	32.13
2021(Up to Dec, 2021)	56.32	0.05	56.37

1.4 The priority of the Government has always been to implement social welfare programmes that improve quality of life. ***Concerted efforts have been made to improve the efficiency and quality of delivery of public services. Some of the major public welfare schemes implemented during the year are:***

- **Social Security:** There are 6.35 lakh social security pensioners in the State under social security pension scheme. Additionally 1,95,003 new pension cases have been approved by the present Government. The State Government in its first cabinet meeting on 27th December, 2017, reduced the age limit for getting old age pension from 80 years to 70 years without any income limit. This Pension is being provided to 3,07,000 old people above 70 years. The pension for the elderly aged 60 to 69 years was increased from ₹ 700 to ₹ 850 per month and for those aged 70 years and above, it was increased from ₹1,250 to ₹1,500 per month.

- **Jan Manch:** It is a program to improve transparency and good governance by establishing direct communication with the general public and solve

their grievances and problems on the spot through public hearing. A total of 232 Jan Manchs have been organised till November, 2021 and of the 53,665 grievances received, 93 per cent have been resolved.

- **Chief Minister Seva Sankalp Helpline:** 1100 helpline aims to solve all the grievances of the people of the State in a time bound manner through telephone and internet portal. Complaints are received through e-mail or service resolution from 7 am to 10 pm Monday through Saturday, in the call centre helpline located in Shimla. A total of 3.21 lakh grievances were received and 86 per cent resolved under this helpline.

- **Swarna Jayanti Nari Sambal Yojana:** A higher social security pension of ₹ 1000 per month is provided to women of age between 65-69 years. 39,641 women have been benefitted under the scheme

- **Mukhyamantri Grihini Suvidha Yojana:** The yojana aims to empower women and protect environment by providing clean and smoke free fuel to the eligible families of the State who could not be included in Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Under the scheme, 3.24 lakh families were provided free connections out of which 2.39 lakh beneficiaries were given an extra gas refill. ₹119.90 crore has been spent.

- **Pradhanmantri Ujjwala Yojana:** The objective of this scheme is to provide free gas connection to BPL families and safeguard the health of women & children by providing them with a clean cooking fuel-liquefied petroleum gas. 1.36 lakh families were provided free gas connections by spending ₹21.86 crore.

- **Himachal Healthcare Scheme (HIMCARE):** The objective of this scheme is to provide free health treatment to the people of the State who are not included in the Ayushman Bharat scheme. Under this scheme, 5.13 lakh families were registered and 2.17 lakh people were given free treatment at a cost of ₹ 196.16 crore.

- **Ayushman Bharat:** This scheme aims to provide free access to health insurance coverage for low income earners. 4.26 lakh families were provided golden cards. 1.16 lakh beneficiaries were given free treatment by spending ₹143.31 crore.

- **Atal Ashirwad Yojna**: Newborn babies born in the hospital are being given 'New Visitor Kit' (Navaagantuk kit) of about ₹1,200 to 2,07,364 beneficiaries costing ₹ 24.36 crore.

- **Chief Minister's Medical Assistance Fund:** This fund has been set up with the objective of providing medical assistance for the treatment of poor people suffering from serious diseases. Towards this objective, all the government hospitals of the State, Postgraduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Government Hospital, Chandigarh and All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Delhi have been authorized. ₹10.46 crore for the treatment of 953 beneficiaries.

- **Chief Minister's Free Medicine Scheme**: Under this scheme, free 1,374 medicines, injection needles and bandages etc. are being provided to patients in government health institutions of the State and about ₹216 crore have been spent.

- **Mukhyamantri Swavalamban Yojana:** The objective of this scheme is to encourage the youth of 18 to 45 years for self-employment. 18 new activities have been included in the scheme by providing relaxation of 5 years in upper age limit to women. 4862 projects sanctioned with an investment of ₹860 crore. 2593 units, with an investment of about ₹430 crore, have been established and provided employment to 7216 people. About ₹147 crore has been provided as subsidy.

- **Mukhyamantri Sahara Yojana**: The yojana aims to provide monthly financial assistance of ₹3000 to the patients suffering from serious diseases and to their attendants from the economically weaker sections directly in their bank accounts. ₹61.39 crore are being provided to 17,546 beneficiaries under the scheme.

- **Mukhyamantri Start-up Scheme**: It aims to promote entrepreneurship among the youth of the State. A livelihood allowance of ₹25,000 per month is provided to the trainees for 1 year and assistance of ₹30 lakh for 3 years to the incubation centers is provided. Under the scheme, 191 start-ups and 12 incubation centers have been benefitted at a cost of ₹11.35 crore.

- **Mukhyamantri Kanyadan Yojana**: Under this scheme a provision has been made to provide assistance of ₹ 51,000 to destitute women/girls for marriage and ₹28.15 crore have been spent on 6,224 beneficiaries.

- **Beti Hai Anmol Yojana**: The yojana aims to change the attitude towards daughters and empower them. ₹21000 is deposited in the names of the daughters for Below Poverty Line (BPL) families. Upto two daughters per family can benefit from this scheme. So far, ₹32.94 crore has been given to 1,07,823 beneficiaries

- **Global Investors Meet:** With the aim of promoting industrialization and investment in the State, Global Investors Meet was organized, in which 703 MoUs worth ₹ 96,721 crore were signed. The first ground breaking ceremony of 236 projects worth ₹13,488 crore was held. The 2nd Ground-Breaking Ceremony was organized on 27th December 2021 at Mandi in which 287 MoUs with a proposed investment of ₹ 28,197 crore grounded. Direct/ indirect employment to 80,000 persons is expected under these projects.

- **Har Ghar Pathshala:** Under this scheme arrangements were made for online education to keep the academic activities smooth in all levels of government schools during the COVID-19 period. 1.92 lakh WhatsApp groups of students were created and 7,69,878 students participated.

- **Swarna Jayanti Super 100 scheme**: 100 meritorious students studying in class 11th, who have secured the highest marks in class 10th, are being provided incentive amount of ₹1 lakh per student for training in vocational or any technical course.

- **Prakritik kheti-Khushhal Kisan Yojana**: Under this scheme emphasis is being laid on reducing the cost of production by promoting natural farming with an aim of eliminating the use of chemical fertilizers and pesticides and increasing the income of the farmers. Under the scheme ₹46.15 crore was spent for the benefit of 1,53,643 farmers covering an area of 9,192 hectare.

- **Jal Se Krishi Ko Bal Yojana:** Under this scheme, financial assistance is given to provide irrigation facility by constructing check dams and ponds at suitable places in the State. The government bears 100 per cent expenditure at the community level. 1,344 farmers have been benefitted and ₹83.40 crore was spent.

- **Chief Minister's Farm Protection Scheme and Mukhyamantri Khet Sanrakshan Yojana:** 80 per cent subsidy on individual solar fencing, 85

per cent subsidy on group based solar fencing, 50 per cent on barbed and chain linked fencing and 70 per cent on composite fencing for protection of crops from wild animals and stray animals is being provided. 4,592 farmers have been benefitted by spending ₹ 150.52 crore.

- **Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana:** Under this scheme, an income support of ₹6,000 per year in three equal instalments will be provided to small and marginal land holding farmer families. About ₹1532.38 crore has been spent on more than 9.37 lakh farmers of the State under this Yojana

- **Jal Jeevan Mission (JJM):** It aims to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connections. So far under JJM, 8.16 lakh of tap connections have been installed. The budget provision of ₹1429.08 crore was made in 2021-22.

- **Himachal Pushp Kranti Yojna**: Under this scheme, up to 85 per cent subsidy is given for setting up of poly house, poly tunnel etc. to promote commercial farming of flowers. Transportation charges for flowers have also been waived off. About ₹27.98 crore have been spent on 1,282 farmers.

State Economy, Public Finance and Taxation

2
Chapter

2.1 State Economy

In spite of hilly terrain and adverse geographical conditions for industrial development, State has achieved new heights in economic growth and development. On the one hand, its growth remained at par with the national growth rate, on the other hand the State has secured higher ranking in development indicators.

2.2 Estimates of Gross State Domestic Product (GSDP) at Constant (2011-12) Prices

The First Revised Estimate (FRE) of the GSDP of Himachal Pradesh at constant (2011-12) prices for 2020-21 is ₹1,14,814 crore as against ₹1,21,168 crore for 2019-20 Second Revised Estimate (SRE) indicating a growth of (-) 5.2 per cent in comparison with the India GDP growth rate of (-) 6.6 per cent for 2020-21.

The economy is classified into three broad sectors that are individually addressed below:

2.3 The Primary Sector

The Primary sector comprises agriculture, horticulture, livestock, forestry and logging, fishing mining and quarrying sub-sectors. The agriculture with its allied sectors supporting about 56.5 per cent of the population as per Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2019-20 registered a growth of (-)12.0 per cent in 2020-21 (FRE) at constant (2011-12) prices with a Gross Value Added (GVA) of ₹14,411 crore as compared to ₹16,369 crore during 2019-20 Second Revised Estimates (SRE).

In Himachal Pradesh, horticulture is no longer treated as a sub sector of agriculture since it has crossed agriculture in terms of value addition. The livestock sector has emerged as an alternative and dependable source of income generation. In 2020-21, the production of milk increased by 2.95 per cent and that of eggs by 4.20 per cent. However, meat production decreased by (-) 9.60 per cent. The livestock and fisheries sectors registered a growth of 5.6 per cent and 9.6 per cent. The forestry and mining sectors have shown growth of (-) 19.6 and (-) 6.8 per cent, respectively in 2020-21 (FRE).

2.4 The Secondary Sector

The Secondary sector broadly comprises manufacturing (organised and un-organised), electricity, gas and water supply and construction. As per FRE for

2020-21 at constant (2011-12) prices, the GVA of the secondary sector is estimated at ₹49,610 crore against ₹53,137 crore, for 2019-20 (SRE) registering growth of (-) 6.6 per cent over the previous year.

2.5 The Tertiary or Services Sector

The Services sector has a significant and fast growing share in the State GVA. It comprises trade, hotel and restaurants, transport, storage and communications, banking and insurance, real estate and professional services and community and social and personal services. It registered growth of (-) 2.1 per cent in 2020-21 (FRE) over the previous year. The GVA of service sector for the year 2020-21(FRE) is estimated at ₹44,198 crore as against ₹45,152 crore in 2019-20 (SRE). Sector wise GVA at Constant (2011-12) Basic Prices is given below:

Primary Sector 2020-21 (FRE) GVA ₹ 14,411 crore, Growth (-12.0%)
(₹ in crore)

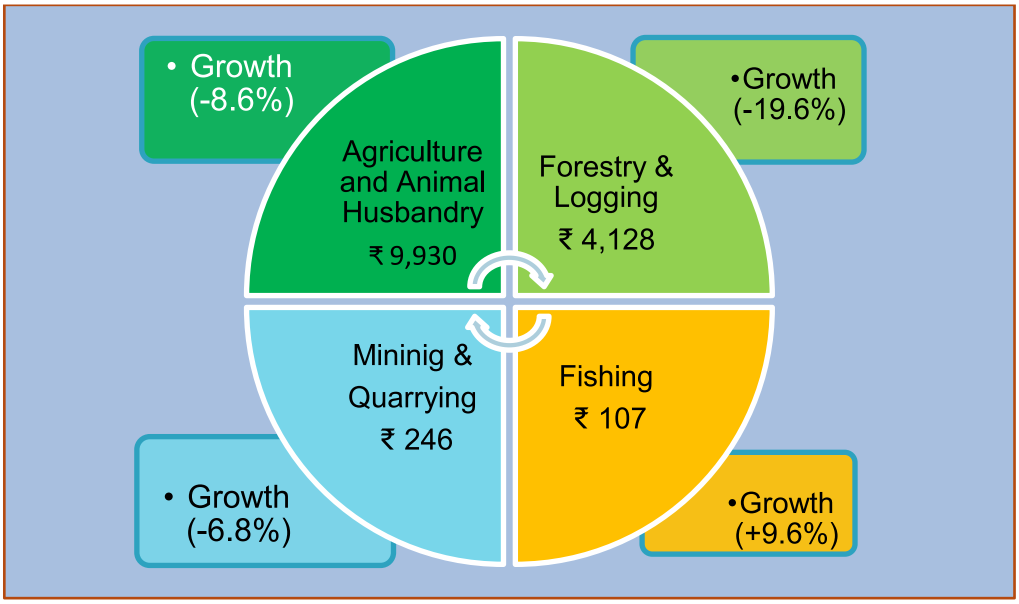

Secondary Sector 2020-21 (FRE) GVA ₹ 49,610 crore, Growth (-)6.6%
(₹ in crore)

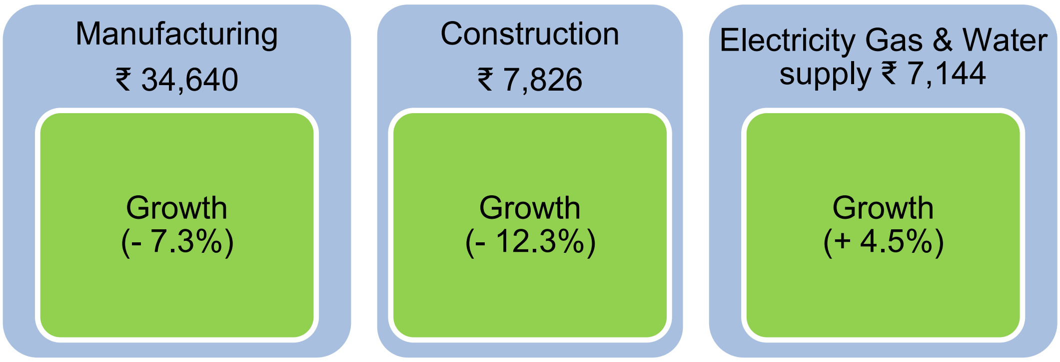

Tertiary Sector 2020-21 (FRE) ₹ 44,198 crore, Growth (-) 2.1%
(₹ in crore)

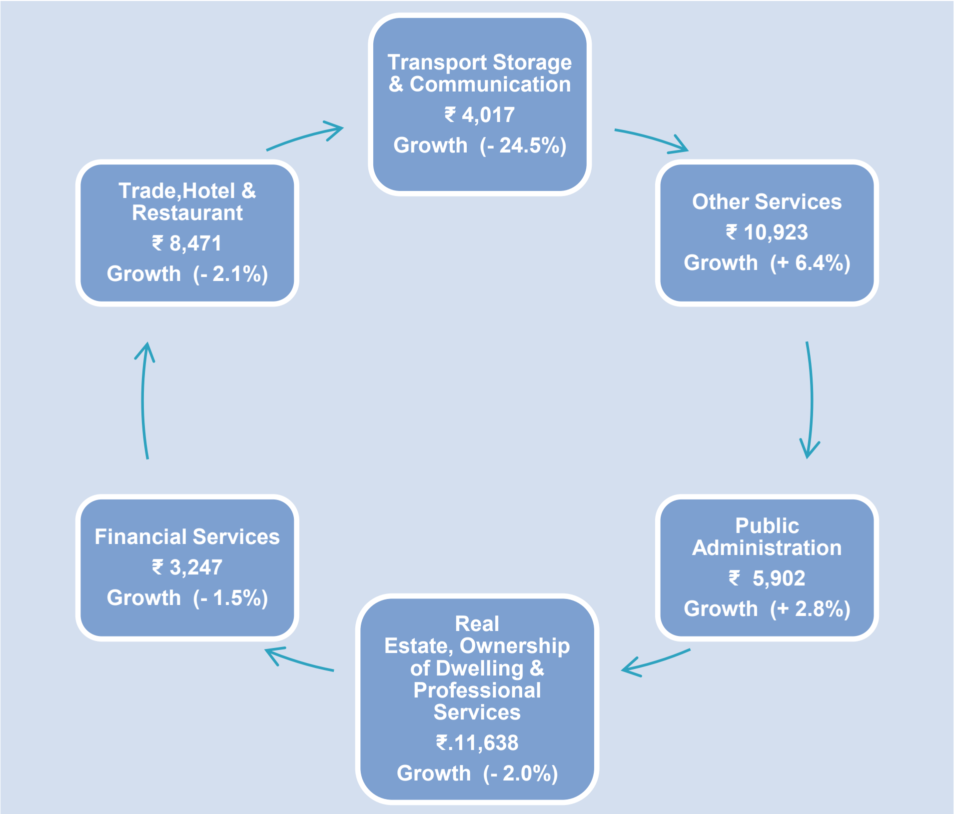

2.6 Estimates of GSDP at Current Prices

The GSDP for the year 2020-21 (FRE) at current prices is ₹1,56,675 crore as against ₹1,59,162 crore for 2019-20 (SRE). The estimates of GVA at current basic prices for the year 2020-21 is ₹1,46,241 crore as against ₹ 1,49,201 crore for 2019-20. The sectoral contribution at current basic prices is given in Table 2.1

Table 2.1: Sector wise Contribution of GVA 2018-19 to 2020-21(FRE) At Current Prices (value in ₹ crore and contribution in per cent)

Sectors	2018-19	2019-20 (SRE)	2020-21 (FRE)
1. Agriculture and allied activities (Primary Sector)	18,207 (13.10%)	22,814 (15.30%)	19,893 (13.61%)
2. Manufacturing and allied services (Secondary Sector)	62,381 (44.88%)	62,479 (41.88%)	61,004 (41.71%)
3. Services (Tertiary Sector)	58,396 (42.02%)	63,908 (42.82%)	65,344 (44.68%)
4. Gross Value Added (GVA) at current Basic Prices	1,38,984 (100.00)	1,49,201 (100.00)	1,46,241 (100.00)
GSDP at Market Prices	**1,48,383**	**1,59,162**	**1,56,675**

Source: Economic and Statistics Department, Government of Himachal Pradesh

As per 2020-21 (FRE) estimates GVA contribution at current prices from the primary sector is ₹19,893 crore (13.61 per cent). For the same period the contribution from the secondary sector stood at ₹61,004 crore (41.71 per cent) while that from the Service sector is ₹65,344 crore (44.68 per cent). The estimates of GDP of Himachal Pradesh and India from 2011-12 to 2020-21 at current and constant (2011-12) prices are given in Table 2.2

Table 2.2: Gross Domestic Product of Himachal Pradesh and India 2011-12 to 2020-21 (FRE) at Current and Constant Prices (value in ₹ crore and growth rate in per cent)

Years	Himachal Pradesh				India			
	GSDP at Current prices	Growth	GSDP at Constant prices (2011-12)	Growth	GSDP at Current prices	Growth	GSDP at Constant prices (2011-12)	Growth
2011-12	72,720		72,720		87,36,329		87,36,329	
2012-13	82,820	13.9	77,384	6.4	99,44,013	13.8	92,13,017	5.5
2013-14	94,764	14.4	82,847	7.1	1,12,33,522	13.0	98,01,370	6.4
2014-15	1,03,772	9.5	89,060	7.5	1,24,67,959	11.0	1,05,27,674	7.4
2015-16	1,14,239	10.1	96,274	8.1	1,37,71,874	10.5	1,13,69,493	8.0
2016-17	1,25,634	10.0	1,03,055	7.0	1,53,91,669	11.8	1,23,08,193	8.3
2017-18	1,38,551	10.3	1,09,407	6.2	1,70,90,042	11.0	1,31,44,582	6.8
2018-19	1,48,383	7.1	1,16,411	6.4	1,88,99,668	10.6	1,39,92,914	6.5
2019-20 (SRE)	1,59,162	7.3	1,21,168	4.1	2,00,74,856	6.2	1,45,15,958	3.7
2020-21 (FRE)	1,56,675	(-) 1.6	1,14,814	(-)5.2	1,98,00,914	(-)1.4	1,35,58,473	(-) 6.6

Source: Economic and Statistics Department, Government of Himachal Pradesh

2.7 Per Capita Income (PCI)

The PCI for Himachal Pradesh at current prices decreased to ₹1,83,333 in 2020-21(FRE) from ₹1,85,728 in 2019-20 (SRE) registering a growth of (-) 1.3 per cent. At constant (2011-12) prices, the per capita income for 2020-21(FRE), was estimated at ₹1,33,079 against ₹1,40,048 in 2019-20 (SRE) resulting a growth of (-) 5.0 per cent. A comparative picture of PCI at current prices of Himachal Pradesh and all India from 2011-12 to 2020-21 is tabulated below:

Table 2.3 Per Capita Income

Years	Per Capita Income at Current Prices (in Rupees)	
	Himachal Pradesh	India
2011-12	87,721	63,462
2012-13	99,730	70,983
2013-14	1,14,095	79,118
2014-15	1,23,299	86,647
2015-16	1,35,512	94,797
2016-17	1,50,290	1,04,880
2017-18	1,65,497	1,15,224
2018-19	1,74,804	1,25,946
2019-20 (SRE)	1,85,728	1,32,115
2020-21 (FRE)	1,83,333	1,26,855

2.8 Prospects- 2021-22

As per the advance estimates based on the economic performance of State up-to December 2021, the economic growth rate of State during 2021-22 is likely to be ***8.3*** per cent showing a sharp recovery after COVID-19 pandemic**.** The State achieved a growth of (-) 5.2 per cent in 2020-21 (FRE) and 4.1 per cent in 2019-20 (SRE). As per Advance Estimate (AE) GSDP at current prices in the year 2021-22 is likely to be about ₹1,75,173 crore.

According to advance estimates, the ***Per Capita Income*** *at current prices for 2021-22 is estimated at* ₹**2,01,854** against ₹***1,83,333*** *in 2020-21 showing a growth of 10.1 per cent**.***

A brief analysis of the economic growth in Himachal Pradesh reveals that the State has kept pace with the India growth rate as shown in Table-2.4 below:

Table 2.4: Comparative Growth Rate of Himachal Pradesh and National Economy

Period		Average Annual Growth Rate (percentage)	
Plan	**Years/Year**	**Himachal Pradesh**	**India**
First Plan	**1951-56**	**(+) 1.6**	**(+) 3.6**
Second Plan	**1956-61**	**(+) 4.4**	**(+) 4.1**
Third Plan	**1961-66**	**(+) 3.0**	**(+) 2.4**
Annual Plans	**1966-67 to 1968-69**	**..**	**(+) 4.1**

Fourth Plan	1969-74	(+) 3.0	(+) 3.4
Fifth Plan	1974-78	(+) 4.6	(+) 5.2
Annual Plans	1978-79 to 1979-80	(-) 3.6	(+) 0.2
Sixth Plan	1980-85	(+) 3.0	(+) 5.3
Seventh Plan	1985-90	(+) 8.8	(+) 6.0
Annual Plan	1990-91	(+) 3.9	(+) 5.4
Annual Plan	1991-92	(+) 0.4	(+) 0.8
Eighth Plan	1992-97	(+) 6.3	(+) 6.2
Ninth Plan	1997-02	(+) 6.4	(+) 5.6
Tenth Plan	2002-07	(+) 7.6	(+) 7.8
Eleventh Plan	2007-12	(+) 8.0	(+) 8.0
Twelfth Plan	2012-17	(+) 7.2	(+) 7.1
Annual Plan (i)	2017-18	(+) 6.2	(+) 6.8
(ii)	2018-19	(+) 6.4	(+) 6.5
(III)	2019-20	(+) 4.1	(+) 3.7
(iv)	2020-21	(-) 5.2	(-) 6.6
(v)	2021-22	(+) 8.3	(+) 9.2

Source: Economic and Statistics Department, Government of Himachal Pradesh

2.9 Public Finance and Taxation

The State Government mobilizes financial resources through direct and indirect taxes, non-tax revenue, share of central taxes and grants-in-aid from Central Government to meet the expenditure for administrative and developmental activities. According to the budget estimates (BE) for the year 2021-22 the total revenue receipts were estimated at ₹ 37,028 crore as against ₹ 35,588 crore in 2020-21 revised estimates (RE).

For the financial year 2020-21 the State Excise and Taxation Department collected ₹7044.24 crore taxes under different heads against a target of ₹ 6886.13 crore. During the current financial year 2021-22, (up to December 2021) the department has collected ₹6,232.24 crore of taxes under different heads against the annual target of ₹6,964.84 crore.

The component wise revenue targets for the financial year 2020-21 and 2021-22 and achievements up to December 2021 are given below:

Table 2.5: Fiscal Position and Parameters (₹ crore)

Item	Target 2020-21	Actual Receipts 2020-21	Target 2021-22	Achievement (December, 2021)
1. Goods and Services Tax	3451.39	3466.58	3106.25	3157.00
2. State Excise	1624.26	1599.74	1867.90	1436.02
3. Value Added Tax	1467.38	1630.11	1614.10	1309.74
4. Other Taxes and Duties	262.76	264.26	288.22	250.44
5. Passenger and Goods Tax	80.34	83.55	88.37	79.04
Total	6886.13	7044.24	6964.84	6232.24

Source: Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh

2.10 Revenue Receipts

Government receipts can broadly be divided into non-debt and debt receipts. The non-debt receipts consist of tax revenue, non-tax revenue, grants-in-aid, recovery of loans and disinvestment receipts. Debt receipts mostly consist of market borrowings and other liabilities, which the government is obliged to repay in the future.

Table 2.6: Major Fiscal parameters of State Government

(₹ in crore)

Item/ year	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (RE)	2021-22 (BE)
1. Revenue Receipts	27,367	30,950	30,742	35,588	37,028
2. Tax Revenue (including central share)	11,909	13,003	12,301	12,312	14,806
3. Non- Tax Revenue	2,364	2,830	2,502	2,268	2,754
4. Disinvestment Receipts	35	9	2	0	0
5. Recovery of Loans	40	22	21	31	41
6. Total Expenditure	34,811	39,154	43,063	53,460	50,192
7. Revenue Expenditure	27,053	29,429	30,730	36,011	38,491
8. Capital Expenditure	3,756	4,584	5,174	5,692	6,013
9. Loans Disbursed	503	468	458	361	354
10. Interest Payments	3,788	4,022	4,234	4,623	5,018

Source: Annual Financial Statement (Budget), Government of Himachal Pradesh.

(As percentage of GSDP)

Item/ year	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (RE)	2021-22 (BE)
1. Revenue Receipts	19.75	20.86	19.32	22.71	21.14
2. Tax Revenue (including central share)	8.60	8.76	7.73	7.86	8.45
3. Non- Tax Revenue	1.71	1.91	1.57	1.45	1.57
4. Disinvestment Receipts	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
5. Recovery of Loans	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02
6. Total Expenditure	25.13	26.39	27.06	34.12	28.65
7. Revenue Expenditure	19.53	19.83	19.31	22.98	21.97
8. Capital Expenditure	2.71	3.09	3.25	3.63	3.43
9. Loans Disbursed	0.36	0.32	0.29	0.23	0.20
10. Interest Payments	2.73	2.71	2.66	2.95	2.86

2.11 Tax Revenue

According to Budget Estimates of 2021-22, the tax revenue (including central taxes) was estimated at ₹14,806 crore as against ₹12,312 crore in 2020-21 RE.

2.12 Non-Tax Revenue

Non-Tax Revenue consists mainly of interest receipts on loans, receipts from sale of power, dividends and profits from public sector undertakings and receipts from services provided by the Government like general services such as those provided by the Public Service Commission, social services such as health and education, economic services such as irrigation etc. The non-tax revenue is likely to increase to ₹ 2,754 crore in 2021-22 as against ₹2,268 crore in 2020-21 showing an increase of 21.43 per cent. This is estimated to be 1.57 per cent of State GSDP.

2.13 Non- Debt Capital Receipts

Non-Debt capital receipts consist of recovery of loans and advances and disinvestment receipts. The budget estimate for 2021-22 envisages ₹41 crore as recovery of loans and no income from disinvestment.

As per budget estimates of 2021-22, total expenditure of the State Government was estimated to be ₹50,192 crore out of which ₹38,491 crore (76.69 per cent) was earmarked for revenue expenditure.

Figure 2.1: Tax as per cent of GSDP

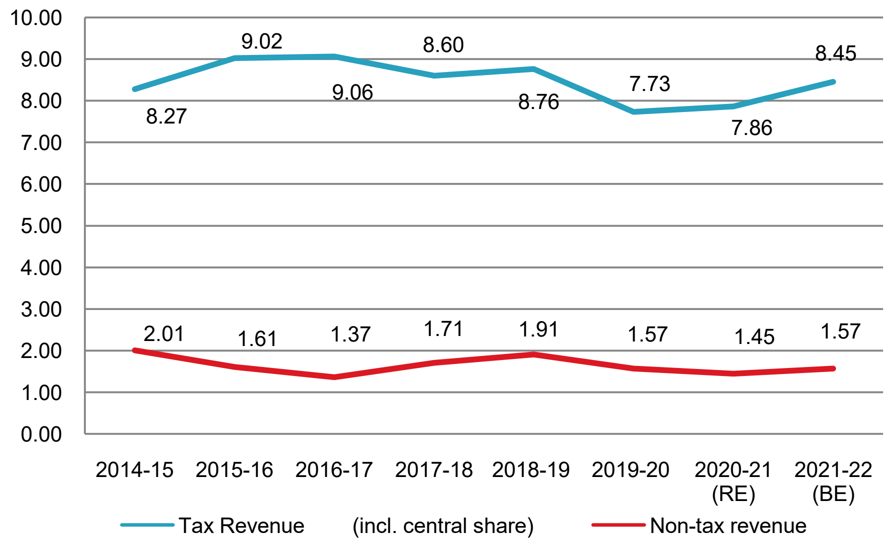

Note: Chart shows that the tax revenue which was 7.73 per cent of the GSDP in 2019-20 increased to 7.86 per cent in 2020-21 (RE), which further increased to 8.45 per cent in 2021-22 (BE)

As per the budget estimates the Revenue receipts of the Government for the year 2021-22 were estimated to be 21.14 per cent of the GSDP as against 22.71 per cent in 2020-21 RE. Similarly, the tax revenue for the year 2021-22 was estimated at 8.45 per cent of GSDP as compared to 7.86 per cent during 2020-21. Non-tax revenue is 1.57 per cent of the GSDP in 2021-22 as compared to 1.45 per cent during 2020-21.

In 2021-22, the total expenditure of the State is estimated to be 28.65 per cent, the estimate for revenue expenditure is 21.97 per cent while that for capital expenditure is 3.43 per cent of the GSDP.

2.14 Trend in Fiscal Indicators

Table 2.7 shows that in 2020-21 the estimates for growth of total expenditure and revenue expenditure for the State were 24.14 and 17.18 per cent, respectively.

Table 2.7: Growth rate of State Government's Fiscal Indicators (in per cent)

Item/ year	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (RE)	2021-22 (BE)
1. Revenue Receipts	4.20	13.09	-0.67	15.76	4.05
2. Tax Revenue (including central share)	4.62	9.18	-5.39	0.08	20.26
3. Non- Tax Revenue	37.67	19.72	-11.61	-9.34	21.41
4. Interest Payments	12.78	6.16	5.28	9.19	8.54
5. Total Expenditure	-3.51	12.48	9.98	24.14	-6.11
6. Revenue Expenditure	6.74	8.78	4.42	17.18	6.89
7. Capital Expenditure	7.34	22.06	12.86	10.01	5.65

Source: Annual Financial Statement of Himachal Pradesh Government Budget

2.15 Government Expenditure

Rationalization and prioritization of Government expenditure is integral to fiscal reforms. As State's tax to GSDP ratio is low, Government faces the challenge of providing sufficient funds for investment and infrastructure expansion while maintaining fiscal discipline. Thus, improving the quality of expenditure towards capital spending is significant.

2.16 Composition of revenue expenditure

The Government spends major chunk of its expenditure on revenue expenditure. In 2021-22 it is estimated that 77 per cent of the total budget spending will be on revenue expenditure. The composition of revenue expenditure is given in Table 2.8 below which reveals that 55 per cent of total expenditure is likely to be spent on salary, pension, interest payment and subsidies in 2021-22 (BE). The expenditure on salary, pension and interest payments is committed expenditure in nature and has limited

headroom for creation of addition fiscal space. The subsidies have been moderated at 2.1 per cent of the total expenditure in 2021-22.

Table 2.8: Item wise composition of Revenue Expenditure (₹ in crore)

Item	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (RE)	2021-22 (BE)
1. Salary and wages	10,671	11,016	11,669	14,836	14,403
• **Salary and wages as % to total expenditure**	30.65	28.13	27.10	27.75	28.70
2. Pension	4,709	4,975	5,490	7,266	7,082
• **Pension as % to total expenditure**	13.53	12.71	12.75	13.59	14.11
3. Interest	3,788	4,022	4,234	4,623	5,018
• **Interest as % to total expenditure**	10.88	10.27	9.83	8.65	10.00
4. Subsidy	907	1283	1068	1158	1081
• **Subsidy Interest as % to total expenditure**	2.61	3.28	2.48	2.17	2.15
Total Expenditure	**34,811**	**39,154**	**43,063**	**53,460**	**50,192**

Source: Annual Financial Statement (Budget), Government of Himachal Pradesh.

The growth of major items of revenue expenditure is given in table 2.9, which shows that the growth of expenditure on salary is increasing year on year. The growth in Salary expenditure over the previous year increased by 27.14 per cent in 2020-21, and is estimated to decrease by 2.92 per cent in 2021-22 (BE). Pension expenditure increased by 14.46 per cent in 2017-18, 6 per cent in 2018-19, 32 per cent in 2020-21. However, in 2021-22 (BE) it is expected to decrease by 2.53 per cent. Growth in interest payments was 13 per cent in 2017-18, 6 per cent in 2018-19 and is likely to increase by 9 per cent in 2021-22 (BE). Growth of subsidy expenditure increased by 19 per cent in 2017-18, 41 per cent in 2018-19. In 2019-20 there was a decrease of 16.77 per cent followed by an increase of 8 per cent in 2020-21. In 2021-22 (BE), it is estimated that there will be decrease of 7 per cent in this component of the expenditure.

Table 2.9: Growth of major items of Revenue Expenditure

Item	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (RE)	2021-22 (BE)
1. Salary and wages	13.27	3.23	5.93	27.14	-2.92
2. Pension	14.46	5.65	10.35	32.36	-2.53
3. Interest	12.78	6.16	5.28	9.19	8.54
4. Subsidy	18.72	41.46	-16.77	8.48	-6.67

Table 2.10: Debt Position of the State Government (₹ in crore)

Items	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
A. Public Debt (A1+A2)	**22,659.48**	**25,198.06**	**27,919.56**	**32,570.27**	**34,670.71**	**36,424.77**	**40,571.41**
A1. Internal Debt	21,647.06	24,127.33	26,860.87	31,493.97	33,591.41	35,363.12	39,527.72
A2. Loans and Advances from Central Government	1,012.42	1,070.73	1,058.69	1,076.30	1,079.30	1,061.64	1,043.69
B. Public Account and Other Liabilities	**8,783.08**	**9,953.54**	**10,648.26**	**11,852.46**	**13,235.49**	**14,348.12**	**15,535.49**
C. Total Liabilities (A+B)	**31,442.56**	**35,151.60**	**38,567.82**	**44,422.73**	**47,906.20**	**50,772.89**	**56,106.90**
GSDP	**94,764**	**1,03,772**	**1,14,239**	**1,25,634**	**1,38,551**	**1,48,383**	**1,59,162**
Debt as %age to GSDP	**33.18**	**33.87**	**33.76**	**35.36**	**34.58**	**34.22**	**35.25**

Source: Finance Department, Government of Himachal Pradesh

Table 2.10 above shows that debt as percentage to GSDP was 35.25 per cent in 2019-20, which was 34.22 per cent in 2018-19.

COVID-19 Impact and Recovery of Himachal Pradesh Economy

3
Chapter

3.1 Introduction

The COVID-19 pandemic has probably given the biggest blow to the world economy since the great depression of 1930s. Around 60 per cent of the world population remained under severe or partial lockdown. With no clear medical remedy, economic activities across countries were either stalled or significantly decelerated affecting millions of livelihoods. Several countries across the world resorted to lockdowns to ―flatten the curve" of infection. These lockdowns meant confining millions of citizens to their homes, shutting down businesses and ceasing most economic activities. According to the International Monetary Fund (IMF), the global economy was expected to shrink by over 3 per cent in 2020, the steepest slowdown since the Great Depression.

The impact of COVID-19 pandemic on India has been immensely disruptive in terms of economic activity in addition to unfortunate loss of human lives. Almost all sectors of economy have been adversely affected as domestic demand and exports sharply plummeted. There were, however, some notable exceptions where high growth was observed.

The pandemic has been a unique economic shock that has triggered both supply and demand-side shocks simultaneously for economies around the world. Increased uncertainty, lower confidence, loss of income, weaker growth prospects, fear of contagion, curtailment of spending options due to closure of all contact-sensitive activities, the triggering of precautionary savings, risk aversion among businesses and resultant fall in consumption and investment-leading to the first order demand shock.

Table 3.1: Spread of COVID-19 in Himachal Pradesh

Population: 73,00,000 (based on 2019 population projection by NCP) Confirmed per lakh (CPL) **3,788** India has 3,171.4 CPL ~3,788 out of every 1 lakh people in Himachal Pradesh have tested positive for the virus.	Active Ratio 2.3 per cent For every 100 confirmed cases,~2 are currently infected.
Recovery Ratio 96.3 per Cent For every 100 confirmed cases, ~96 have recovered from the virus.	Case Fatality Ratio 1.5 per cent For every 100 confirmed cases, ~1 have unfortunately passed away from the virus.
Test Positivity Ratio 9.1per cent 31Jan–06 Feb In the last one week, 9.1 per cent of samples tested came back positive.	Tests Per Lakh 59,556.5 As of 06 February 2022 For every 1 lakh people in Himachal Pradesh, ~59,557 samples were tested.

Source: COVID-19 India Portal.

The State has seen recent uprising in COVID-19 cases which can be termed as third wave which is given in Figure 3.1.

Figure 3.1

Acceleration in Test Positivity Ratio (TPR) v/s Cases Detected (Himachal Pradesh)

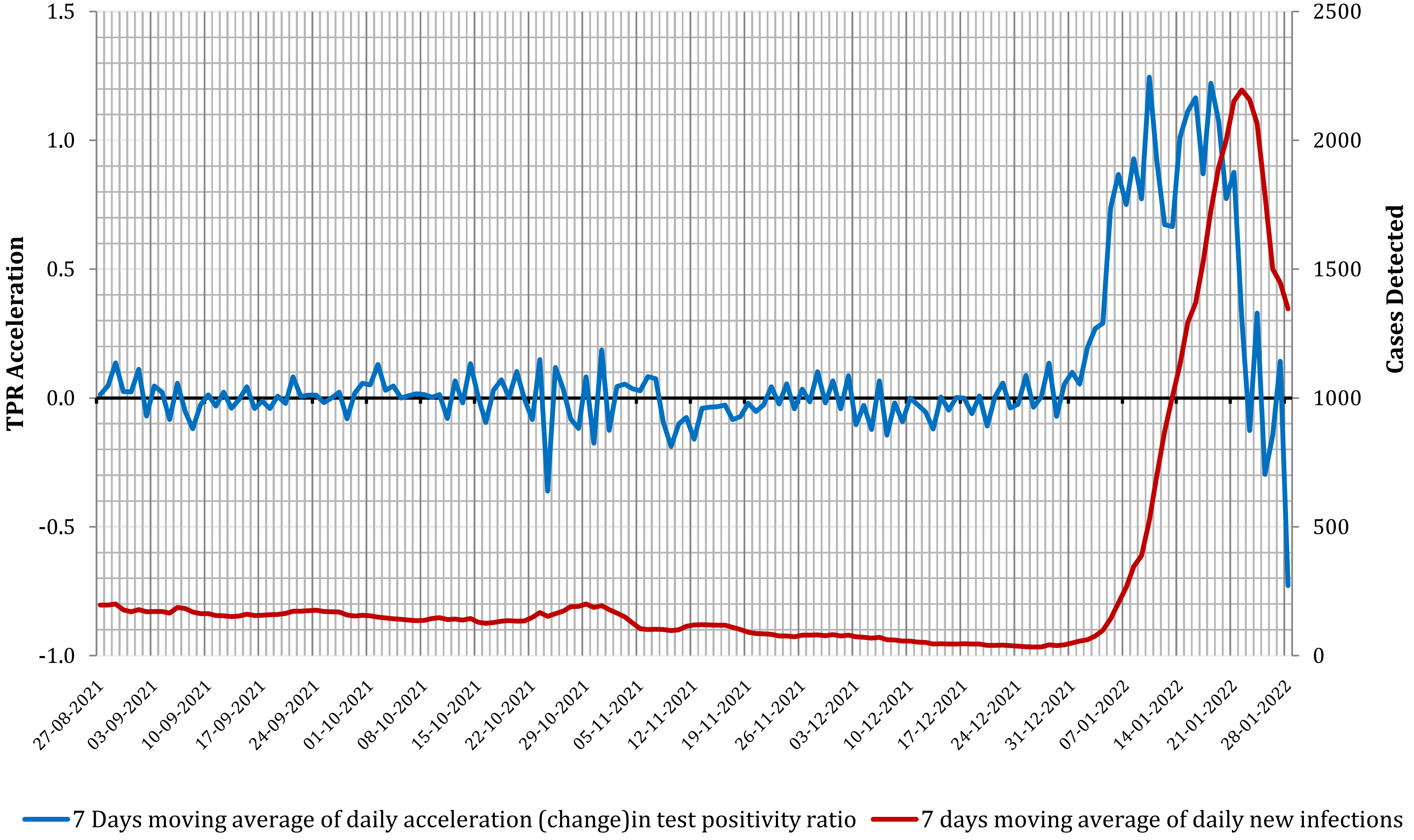

The sudden closure of businesses around the world has contributed to a massive economic shock, and policy makers have scrambled to try to contain the damage. To many, it has seemed a clear supply shock—the term for what happens when an event interrupts the production of goods and services. COVID-19 has disrupted supply chains and this has generated spill over effects throughout different levels of supplier networks. Trade-in 2020 has fallen in every region and this has brought restraint to all Sectors of the economy.

Himachal Pradesh witnessed multiple effects on its economy which are given under the following heads.

Figure 3.2
Twin Economic Shocks by the Pandemic

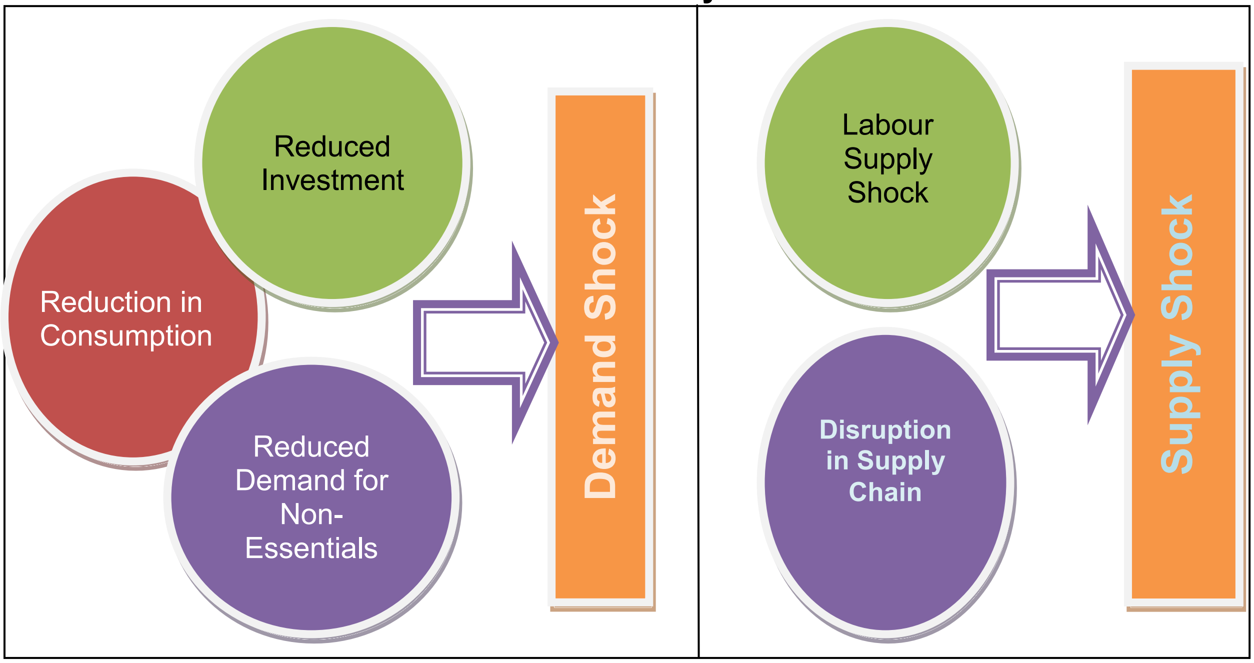

3.2 COVID-19 Impact on State's Economy

COVID-19 has had many effects on almost all sector of the economy ranging from acute to minor. Present chapter analyses its impact on the main components of state economy under the primary, secondary and tertiary sectors.

1. **Primary Sector: Crops, Livestock and Forestry and Logging**

   Since agriculture is the backbone of the country and a part of the government announced essential category, the impact is likely to be low on both primary agricultural production and usage of agro-inputs. Several state governments have already allowed free movement of fruits, vegetables, milk etc. Himachal Pradesh

has abundant supply of forest resources that are included in the primary sector. The COVID-19 Lockdown has had a strong impact on its growth which is given in following figure:

Figure 3.3
Growth Rate of Crops, Livestock and Forestry and Logging

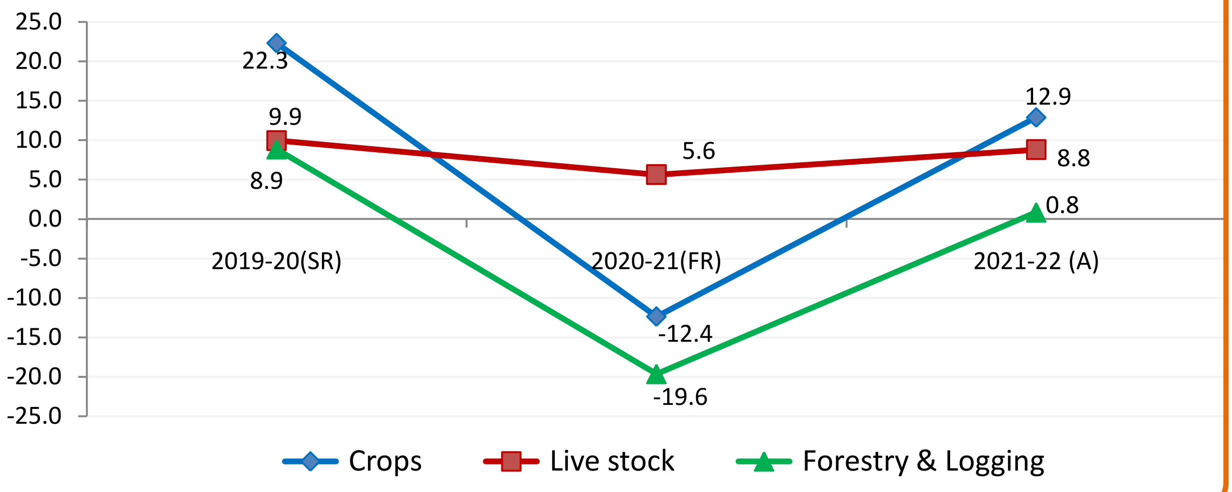

The livestock sector has seen no significant impact of coronavirous lockdown in the State. As far as crop sector is concerned, it saw major fall in the year 2020-21 which was due to the production impact of horticulture crops. The crop sector has seen a growth rate of 12.9 per cent in 2021-22 (Advance Estimate) which is also due to the seasonal factor. The rise in horticulture production has positive impact on growth rate of crop sector also.

Forestry and logging had fall in growth rate due to lockdown. The reason was closure of activities and unavailability of labour. After lockdown the migrant labour in Himachal Pradesh returned to their homes. After lifting of the restrictions, gradually these migrant workers returned and growth started that can be seen in ‗V' shape revcovery in the forestry and logging sector.

2. Secondary Sector: Manufacturing (Organised and un-organised) and Construction

The real estate and construction activities faced a disruption during the second wave as a large number of migrant workers left the urban areas. Manufacturing and construction are the backbone of any economy. These are the main components of the secondary sector which accounts for the second highest percentage share in Gross State Domestic Product (GSDP). .The labour shortage has hit both housing

and construction projects in urban areas and states, where the virus is spreading fast. This is likely to lead to significant delays in the completion of pending projects.

The following diagram shows contraction in this sector:

Figure 3.4
Growth Rate of Manufacturing (Organised and un-organised) and Construction

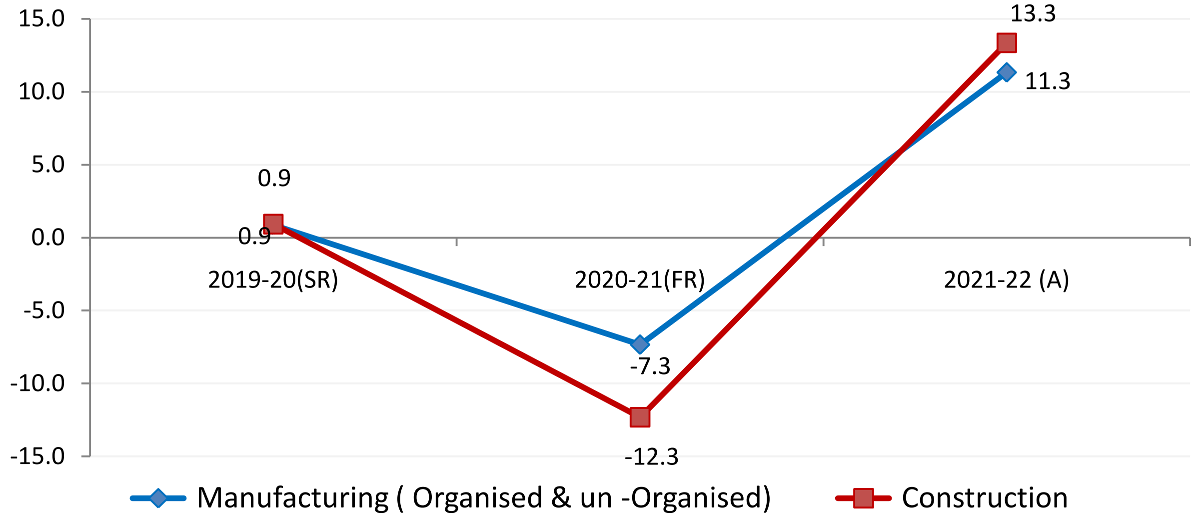

The unavailability of manpower and raw material due to lockdown is the main reason behing the fall in the growth rate of manufacturing and construction in the State. Manufacturing (Organised and un-organised) and Construction sector has same impact in which both demand and supply shocks worked togather. Construction and manufacturing activities were stopped due to the lockdown and, on the other hand, there was lack of labour and law material. After opening up of the economy this sector also saw a ‗V' shape recovery.

3. Tertiary Sector

Tertiary sector comprises various essential services. Administration and financial services saw no or very little impact due to lockdown. However, some other sub-sectors saw major impact due to the lockdown and then later reported recovery. Analyses of such sectors are given in consequent sections:

- **Transport Storage and Communication and Services Incidental to Transport**

  Transportation is part of the tertiary sector and has important role in the economy of the State. Absence of other means of transportation, such as by

air and trains, makes road transportation play an important role in hilly terrain. Following figure gives the impact on this sector:

Figure 3.5
Growth Rate of Transport, Storage and Communication and Services Incidental to Transport

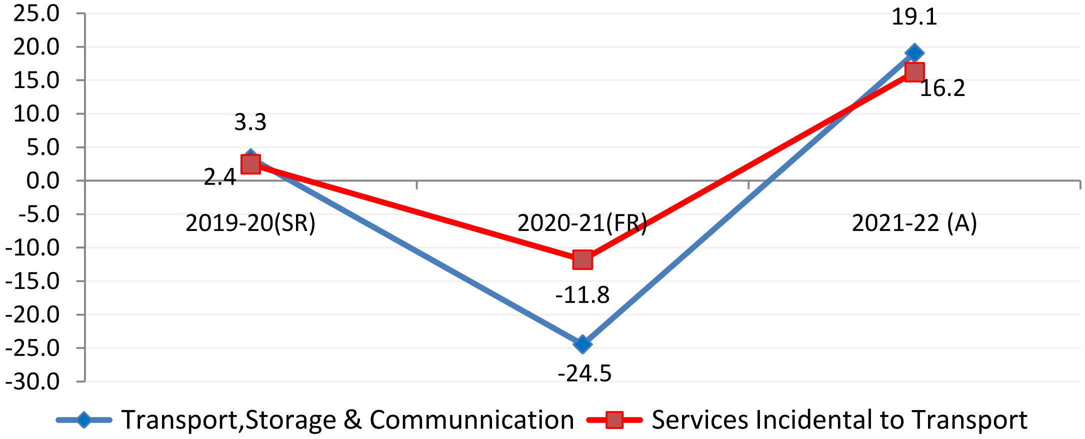

Transport storage and communication had the highest drop of 24 per cent whereas, services incidental to transport fell by 11.8 per cent in 2020-21 due to COVID-19 forced lockdown. After relaxation of restrictions, these sectors started recovering and saw a steep recovery of 19.1 per cent in Transport Storage and Communication. For Services Incidental to Transport, 16.2 per cent growth was estimated.

- **Trade and Repair Services and Hotel and Restaurants**

The impact of the lockdown on Trade and repair sector was virtually non-existent. Whereas, hotel and restaurant sector was among few sectors which were most affected. Restriction on movements of the people first impacted the transport and then the hotel and tourism sector. The restrictions due to the second wave crippled the tourism sector, which was already struggling to recover the initial loss suffered by the businesses in 2020. As economy resorted to reopen after the initial lockdown, it started recovering sharply. While, growth rate of hotel and restaurant was (-) 78.7 per cent in 2020-21 it increased to 56.5 per cent in 2021-22 (Figure-3.6).

Figure 3.6
Growth Rate of Trade and Repair Services and Hotel and Restaurants

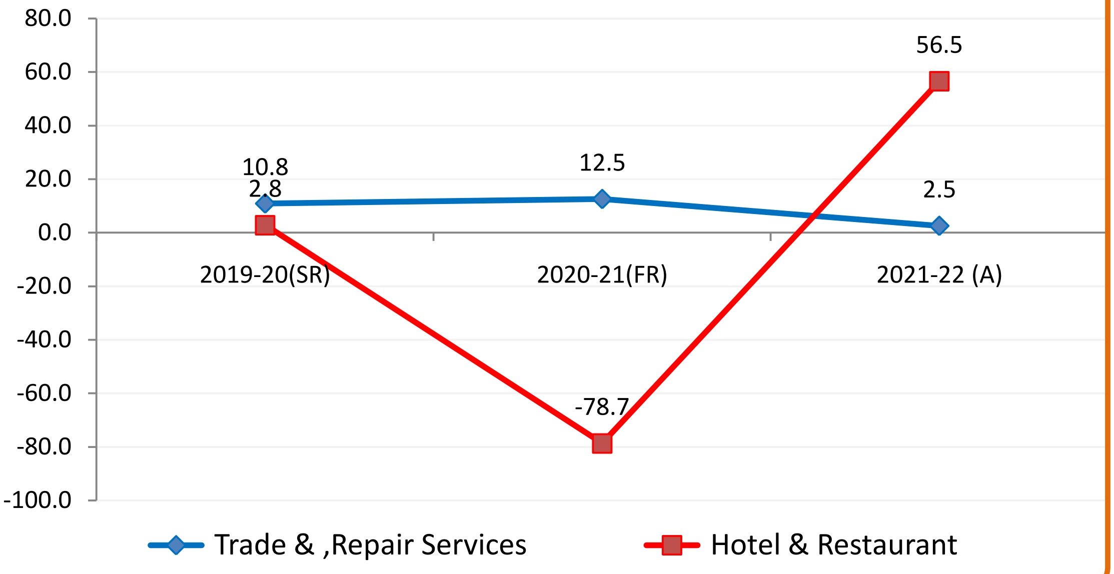

- **Tourism and Hospitality Sector**

Aviation and Tourism were the first industries that were hit significantly by the pandemic. The sector that has contributed to a large portion of India's annual GDP has been hit hard by restrictions and curfews imposed by the states. The hospitality sector is linked to the tourism sector.

Tourism remains the main source of revenue generation and employment in the State. COVID-19 forced lockdown which caused the worst hit to the tourism sector in the State. Geographical advantages place the State at win-win situation for tourism sector, but there was a huge decrease in the tourist arrival, when restrictions on movements were imposed in view of COVID-19 pandemic.

Arrival of tourists sees a variation in terms of year-on-year growth rate in the state. However, a large variation in the growth rate is seen in the time of countrywide lockdown which not only forced domestic tourists to stay locked in their homes, but led to foreign tourists staying back in their countries due to ban on international flights. The figure 3.7 shows the highest (-81.33 per cent) contraction in the arrival of tourists compared to the previous year. The tourist arrival hugely improved after the initial lockdown. It reached to 75.43 per cent in 2021 (Figure-3.7).

Figure 3.7
Year-on-Year Growth Rate of Tourist Inflow

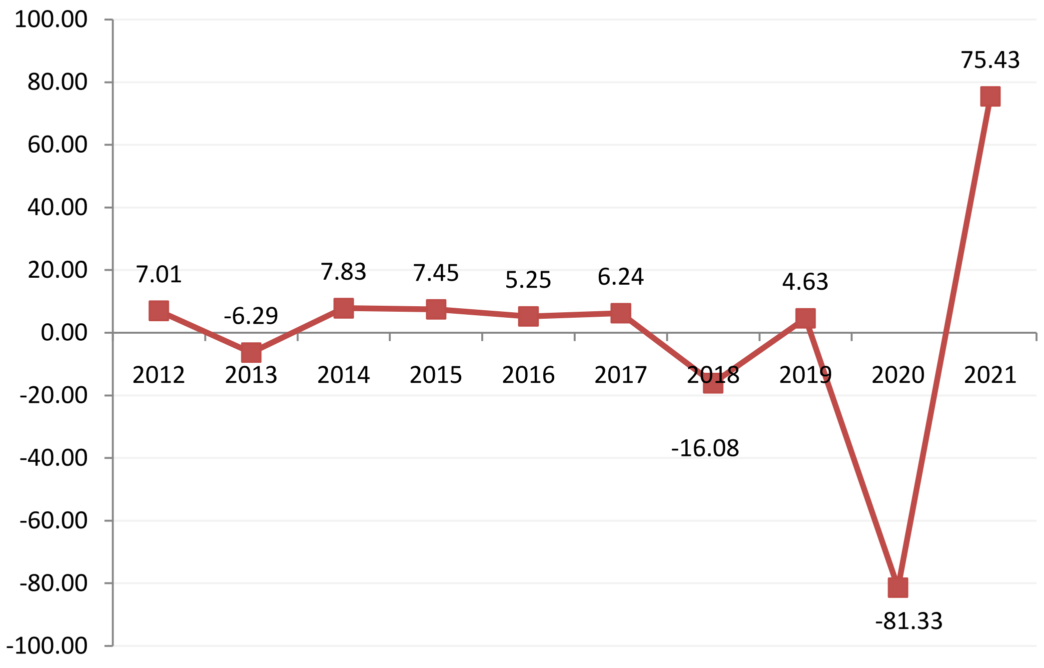

Note: The data for these figures pertains to calendar year
Source: Tourism Department, Government of Himachal Pradesh

3.3 State's response to mitigate COVID-19 adverse effects

The State has taken various steps to combat COVID-19 by providing assistance to different sectors are given as follows:

- State Government provided relief of about ₹153 crore (Table-3.2) as Token Tax, Special Road Tax (SRT), and Passengers and Goods Tax (PGT) to the transport sector, which was one of the worst hit sectors. This includes an interest Subvention Scheme on working capital of stage carriage operators, under which a loan of ₹2 lakh per bus and maximum amount upto ₹20 lakh is provided to the bus operators as working capital. The duration of the loan is be 5 years, in which one year is of moratorium period, there is 75 per cent interest subvention to paid by the State Government, in the second year, there is an interest subvention of 50 per cent on interest which to borne by the State Government. About ₹11 crore relief has been provided by the Government on this scheme.

Apart from this, relief accorded to the transport sector in the form of Grant-in-Aid (GIA) for salary, GIA for non-salary, subsidy and fund for investment was also provided as per details given below (Table 3.2).

Table 3.2: Relief to Transport Sector

S.N.	Relief	2020-21	2021-22	Total (3+4)
1	2	3	4	5
1	Token Tax (₹in crore)	29.59	19.73	49.32
2	SRT (₹ in crore)	40.28	26.85	67.13
3	PGT (₹ in crore)	22.00	14.67	36.67
	Total (1+2+3)	**91.87**	**61.25**	**153.12**
1	GIA for salary (₹in crore)	345.50	309.96	655.46
2	GIA non salary	12.50	-	12.50
3	Subsidy (₹ in crore)	171.20	171.20	342.4
4	Investment (₹ in crore)	62.0	117.50	179.5
	Total (1+2+3+4)	**591.20**	**598.66**	**1189.86**

- Government has provided 100 per cent relief on Special Road Tax and Token Tax during the period from 1st April 2020 to 30th November, 2021, benefitting stage carriages, taxis, maxi, autorikshaw, contract carriage buses and institution buses.

- Tourism being worst hit sector in the pandemic; the State Government has revised scheme for interest subvention on working capital loan for hospitality industry to ensure that Tourism unit operators could get easier access to working capital at interest rate lower than the prevailing market rates. This scheme provides for interest subversion of 75 per cent in the first year and payment period has also been increased to five years. Some other categories like Rope Way and Travel Agents have also been included in the new scheme.

- The total relief to tourism sector as Token Tax, PGT, GIA for salary and fund for investment was also provided as per details given below (Table-3.3).

Table 3.3: Relief to Tourism Sector

S.N.	Relief	2020-21	2021-22	Total (3+4)
1	2	3	4	5
1	Token Tax (₹in lakh)	1.53	4.61	6.14
2	PGT (₹in lakh)	2.57	7.76	10.33
	Total (1+2)	**4.10**	**12.37**	**16.47**
1	GIA for salary (₹ in crore)	40.21	20.0	60.21
2	Fund for investment (₹ in crore)	-	2.0	2.0
	Total (1+2)	**40.21**	**22.0**	**62.21**

- The size of State Annual Credit Plan for the year 2020-21 was worth ₹23,625 crore out of which ₹22,110 crore was allocated to Priority Sectors, such as agriculture and allied, MSME, education and housing.
- Insurance cover of ₹30 lakh given by the State Government to the people who died due to COVID-19 and who were not eligible under Prime Minister Garib Kalyan Yojana.

Wage rates of various category Part time workers/Para workers etc. have been increased since 4 years. Though, the Table 3.4 presents the rates for various categories increased since four years but a major increase was in Covid time. Following Table lists such job categories:

Table 3.4: Increment in Wages of Various Categories (amount in ₹)

Sr. no.	Post Name	Rates in 2021 (Per Month)	Total increase in last 4 years (Per Month)
1	Anganwari Workers	7300	2850
2	Mini Anganwari Workers	5200	2200
3	Anganwari Helpers	3800	1700
4	Special Police Officer	6000	1000
5	ASHA Worker	2750	1750
6	Panchayat Chowkidars	5600	1450
7	Silai Teachers	7100	800
8	Water Carrier	3000	1100
9	Water Guards/Jal Rakshak	3600	1900
10	Para Pump Operator/Para Fitter	4600	1600
11	Daily Wage/Part time	300 (daily)	90 (daily)
12	Mid Day Meal worker	2600	1100
13	Revenue Chowkidar/part timer	4100	1100
14	Revenue Lamberdar	2300	800
SMC Teachers			
15	PGT	13978	4678
16	DPE	13978	4678
17	TGT	13978	4678
18	C & V	10609	3589
19	JBT	8362	2902

- Government directed Forest department to provide free wood for cremation of Corona deceased. All Municipal Corporations were allowed to hire dead body vans.

- Government included the families under Food Security Act (Priority Households Category), where death occurred due to COVID-19 pandemic. The guidelines for identification of Priority Households under National Food Security Act, 2013 issued on 1st August, 2013 were relaxed to give them immediate relief and such families are included by Gram Panchyats and Urban Local Bodies under National Food Security Act (Priority Household (PHH) categories) on simply getting COVID-19 death certificate of such persons.

- Provided abatement/relaxation of toll fees for the year 2020-21 of Toll at the toll barriers.

4
Chapter

Sustainable Development Goals and Initiative for Good Governance in the State

4.1 Introduction

The Sustainable Development Goals (SDGs) encompass all the key development sectors including education, health, sanitation, employment, infrastructure, energy, and environment - and set time-bound targets to achieve them. The need for India to achieve these targets remains imperative. Significant progress has already been made across the country in recent years but the tempo of progress must be modulated to fully achieve the SDGs. A very popular Statement of Kofi Annan, former Secretary General of the United Nation is that “Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating ***poverty and promoting development.”***

In September, 2015, the world community designed an International Framework on new developments. The SDGs, officially known as “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, are the inter-Governmental set of 17 aspiration goals with 169 targets and more than 300 indicators. UN member countries are expected to use it as development framework to shape their political policies for next 15 years. The SDGs are expanded on the Millennium Development Goals (MDGs), which were agreed to by the countries in 2001 and which expired in 2015. The SDGs have come into existence on 1st January, 2016 and will end by 31st December, 2030.

The agenda for Sustainable Development-2030, aims at „Leaving No One Behind‟ in sharing the benefit of development. The SDGs have been designed to

integrate global ambitions on tackling poverty, reducing inequality, combating climate change and protecting ecosystem including forest and biodiversity.

The SDGs have been signed for and adopted by the Government of India. For realization of its Goals and Targets, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, has developed 309 Indicators that are measurable and monitor able. NITI Aayog continues to be the Nodal Agency for the implementation of SDGs in India and has the twin mandate of overseeing the adoption of SDGs in the country and promote competitive and cooperative federalism among States and UTs.

The first edition of the SDG India Index was launched in December 2018, using 62 indicators from 39 targets across 13 SDGs; Goals 12, 13, 14, and 17 had to be left out owing to the lack of indicators for which State-wise data was available. The second edition of the Index covering all the 17 Goals and 54 targets, launched in December 2019, was more broad in coverage with 100 indicators: 68 completely aligned with the National Indicator Framework (NIF), 20 refined, and 12 from other official government sources. The third and current edition (Index 3.0) marks an improvement over the 2019-20 edition with a wider coverage of targets. The Index offers insights into social, economic, and environmental status of the country and the States/UTs in their march towards achieving the SDGs. The Index has been designed in such a way that it is accessible to everyone – policymakers, civil society, businesses, and the general public.

The current index has the following main objectives:

- To rank the States/UTs based on their performance across the 16 SDGs. A composite score was also calculated, which ranked the States/ UTs based on their overall performance across multiple Goals.
- To promote healthy competition among the States/UTs in their journey towards achieving the Global Goals.
- To support the States/UTs in identifying priority areas which demand more attention.
- To enable the States/UTs to learn from the good practices of their peers
- To highlight data gaps in the statistical system of the States/UTs and identify the sectors in which robust and more frequent data needs to be collected.

NITI Ayog categorized all the States under following categories according to their scores:

Table 4.1: Categorization of States as per Performance by NITI Ayog

Sr. No	Achievement Categories	Range of the score
1	Aspirant	0-49
2	Performer	50-64
3	Front Runner	65-99
4	Achiever	100

Source: SDG INDIA Index and Dashboard 2020-21

- The SDG India Index computes goal-wise scores on the 16 SDGs for each State and Union Territory.
- These scores range between 0–100, and if a State/UT achieves a score of 100, it signifies it has achieved the 2030 targets.
- The higher the score of a State/UT, the closer it is to its final target.
- The composite score for each State/UT was computed by aggregating their performance across the goals, by taking the arithmetic mean of individual goal scores.

In the SDG India Index 3.0, out of the 115 indicators, 75 are common to Index 2.0. Of these, for 57 indicators, updated values have been used, compared to 2019. Out of the 115 indicators, 76 are completely aligned with National Indicator Framework (NIF), 31 are referred from NIF, and 8 are constructed in consultation with the Line Ministries. A total of 109 indicators were used for Index estimation. 5 indicators under SDG 14 were not included as they relate only to the 9 coastal States, while one indicator in Goal 10 has not been used for computation due to lack of comparability.

Unforeseen and unprecedented, the Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic has challenged the progress towards SDGs around the world. India put forward a systematic pandemic management plan, which included system-wide measures and initiatives focused on specific groups.

Himachal Pradesh is a frontrunner among the States at national level. It secured consistent top position in assessment of sustainable goals. Though in all indicators Himachal Pradesh performed better, it secured top position in Affordable and Clean Energy. Himachal also attained lowest score in SDG 2 which is Zero hunger. Further, there are three indicators in SDG 2 in which Himachal Pradesh needs attention namely a) percentage of children who are underweight, percentage of children who are stunted and percentage of women who are anaemic. State has achieved 2nd rank in overall ranking along with Tamil Nadu as per SDG 3.0.

Table 4.2: Himachal Pradesh in National Sustainable Goals (top five states)

Sr. No.	States	Combined Score	Gain in score from previous year
1	Kerala	75	+5
2	Himachal Pradesh	74	+5
3	Tamil Nadu	74	+7
4	Andhra Pradesh	72	+5
5	Goa	72	+7

Source: SDG INDIA Index and Dashboard 2020-21

Table 4.3: Performance of Top five States in SDG

SDG Goals	Kerala	Tamil Nadu	Andhra Pradesh	Goa	Himachal Pradesh
SDG 1: No Poverty	83	86	81	83	80
SDG 2: Zero Hunger	80	66	52	78	52
SDG 3: Good Health and Well-being	72	81	77	72	78
SDG 4: Quality Education	80	69	50	71	74
SDG 5: Gender Equality	63	59	58	55	62
SDG 6: Clean Water and Sanitation	89	87	92	100	85
SDG 7: Affordable and Clean Energy	100	100	100	100	100
SDG 8: Decent Work and Economic Growth	62	71	67	76	78
SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure	60	71	52	68	61
SDG 10: Reduced Inequalities	69	74	74	75	78
SDG 11: Sustainable Cities and Communities	75	79	78	89	79
SDG 12: Responsible Consumption and Production	65	78	94	47	77
SDG 13: Climate Action	69	61	63	44	62
SDG 15: Life on Land	77	63	69	59	68
SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions	80	71	77	63	73

*__SDG 14-__ only for coastal states

Himachal Pradesh has scored lowest on Sustainable Development Goal (SDG) - 2 which is related to hunger and malnutrition. The Goal no 2 has seven indicators and

out of seven indicators Himachal Pradesh has lower performance in percentage of children under five years who are underweight, percentage of children under five years who are stunted, percentage of women aged 15-49 years who are anaemic and percentage of adolescent aged 10-19 years who are anaemic.

Planning Department is the Nodal Department in the State to facilitate implementation of the SDGs framework in Himachal Pradesh and it has published a State vision document i.e. “Drishti Himachal Pradesh-2030 Sustainable Development Goals” to implement & monitor the progress of SDGs in the State. The progress on 17 identified SDGs indicators is being monitored and is further being updated every 3 years. This document has identified indicators achievable by 2022. Due to COVID-19 pandemic, 2020 was the year of social distancing; Planning Department organized a capacity building training programme for line departments on SDGs, sponsored by Economic and Statistics Department at State Apex Training Institute (HIPA) on 23rd to 27th, November 2020.

State has shortlisted 138 key indicators and targets for monitoring progress on SDGs, out of which 12 have been achieved, 39 are to be achieved by 2022 and 87 are planned to be achieved by 2030. The State is also considering development of a dashboard for monitoring progress on the indicators. These indicators have been finalized in consultation with the line departments. SDGs goals-wise Nodal departments in Himachal Pradesh are described at Table 4.4.

Table 4.4: SDGs and Nodal Department

Sustainable Development Goal	Goal	Nodal Department
Goal No. 1	No Poverty	Rural Development
Goal No. 2	Zero Hunger	Agriculture
Goal No. 3	Good Health and Well-being	Health
Goal No. 4	Quality Education	Education
Goal No. 5	Gender Equality	Social Justice & Empowerment
Goal No. 6	Clean Water and Sanitation	Jal Shakti
Goal No. 7	Affordable and Clean Energy	MPP & Power
Goal No. 9	Industry, Innovation & Infrastructure	Industries
Goal No. 11	Sustainable Cities and Communities	Urban Development
Goal No. 12 & 13	Sustainable Consumption & Production, Climate Change	Environment, Science & Technology
Goal No. 15	Save the Forests & Biodiversity	Forest
Goal No. 16	Peace and Justice Strong Institutions	Home
Goal No. 8 & 10	Decent Work and Economic Growth Reduced Inequality	Planning

Source: Drishti Himachal Pradesh -2030, (SDGs), Planning Department

4.2 Good Governance Index (GGI)

GGI is a comprehensive and implementable framework to assess the State of Governance across the States and UTs which enables ranking of States/Districts. The objective of GGI is to create a tool that can be used uniformly across the States to assess the impact of various interventions taken up by the Central and State Governments including UTs. Based on the GGI Framework, the Index provides a comparative picture among the States while developing a competitive spirit for improvement. The GGI 2019 encompassed 10 Governance Sectors and 50 Governance Indicators. For GGI 2020-21 the same 10 Governance Sectors are retained while indicators have been revised to 58.

Union Minister of Home Affairs Amit Shah released the Good Governance Index 2021 prepared by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) on 25 December 2021. 25th December is celebrated as Good Governance Day marking the auspicious occasion of late former Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee‟s birth anniversary. Good Governance is the key component of the economic transformation and with the present government‟s focus on „minimum government and maximum governance,‟ the Index assumes more significance.

Further, the GGI 2020-21 categorizes States and UTs into four categories, i.e., (i) Other States – Group A; (ii) Other States – Group B; (iii) North-East and Hill States; and (iv) Union Territories.

Table 4.5: Top ranking States in the sectors as well as indicator of GGI 2020-21

Sectors	Group A	Group B	NE & Hill States	UTs
1. Agriculture & Allied Sector	Andhra Pradesh	Madhya Pradesh	Mizoram	D & N Haveli
2. Commerce and Industry	Telangana	Uttar Pradesh	J & K	Daman & Diu
3. Human Resource Development	Punjab	Odisha	**Himachal Pradesh**	Chandigarh
4. Public Health	Kerala	West Bengal	Mizoram	A & N Island
5. Public Infrastructure and Utilities	Goa	Bihar	**Himachal Pradesh**	A & N Island
6. Economic Governance	Gujarat	Odisha	Tripura	Delhi
7. Social Welfare and Development	Telangana	Chhattisgarh	Sikkim	D & N Haveli
8. Judiciary and Public Safety	Tamil Nadu	Rajasthan	Nagaland	Chandigarh
9. Environment	Kerala	Rajasthan	Manipur	Daman & Diu
10. Citizen Centric Governance	Haryana	Rajasthan	Uttarakhand	Delhi
Composite ranking	**Gujarat**	**Madhya Pradesh**	**Himachal Pradesh**	**Delhi**

Source: GGI-2020-21, Department of Administrative Reforms & Public Grievances Government of India.

Himachal Pradesh has been assessed top performer in terms of Human Resource Development and Public Infrastructure among Hill States.

Table 4.6: Himachal Position in Good Governance Index 2020-21 on Various Sectors and Indicator

Sectors	Sectors Score and Position
1. Agricultural and allied sector	0.371 (8th Position)
2. Commerce and industry sector	0.669 (2nd Position)
3. Human resource development sector	0.649 (1st Position)
4. Public health sector	0.693 (6th Position)
5. Public infrastructure and utilities sector	0.822 (1st Position)
6. Economic governance sector	0.291 (6th Position)
7. Social welfare and development sector	0.580 (2nd (Position)
8. Judiciary and public safety sector	0.428 (3rd Position)
9. Environment sector	0.312 (3rd Position)
10. Citizen centric governance sector	0.480 (4th Position)
Composite ranking score of HP among North East and Hill States	**5.084 (1st Position)**

Source: GGI-2020-21, Department of Administrative Reforms & Public Grievances Government of India.

Himachal position on GGI 2020-21, demonstrates that Himachal improved sectors are: Public infrastructure & utilities and Social welfare & development and ranked first among northeast and hill state which is depicted Table 4.6 which also showed that Human resource development and public infrastructure and utilities sector are best performing sectors of Himachal in Agricultural and allied sector Himachal, ranked 8th which is a matter of concern.

4.3 Districts Good Governance Index (DGGI)

Good Governance is the key component of the economic transformation and with the present government‟s focus on „Minimum Government and Maximum Governance‟ the Index assumes more significance.

The idea of DGGI arose when Himachal Pradesh was ranked first among 12 small States consistently in 2016, 2017, 2018 and 2019 on the Public Affair Index (PAI) by the Public Affair Centre (PAC), Bengaluru.

To make DGGI an annual exercise in Himachal Pradesh, it was decided in January, 2019 that DGGI will be a regular exercise of the Department of Economic and Statistics. In compliance to the above, the department has prepared DGGI-2019. In the Budget Speech of 2020-21 Chief Minister, Himachal Pradesh, Sh. Jai Ram Thakur announced to take up the exercise of assessment of the governance to sub-state level and proposed to award the top three ranked Districts i.e. 1st- ₹50 lakh, 2nd- ₹35 lakh and 3rd- ₹25 lakh on Good Governance Index in order to promote competition among districts to perform better. On the basis of DGGI-2020, top three districts were awarded 1st, 2nd and 3rd prize for 2021.

District Good Governance Index (DGGI) as a part of ongoing endeavor to promote good governance, DGGI 2020 has been developed with some relevant changes in the parameters as compared to DGGI 2019 for the purpose of more inclusiveness in policy making. The ranking of the districts would bring about healthy competition among districts from which citizens would benefit immensely. The DGGI 2019-20 encompassed 7 themes, 19 focus subject and 45 governance indicators and for DGGI 2020-21 the same 7 themes, and 19 focus subjects and 75 indicators have been revised. The comparative situation of various districts is presented below in table 4.7.

Table 4.7: Comparative performance of all districts on the basis of Good Governance Index

Districts	DGGI (2020)		DGGI (2019)	
	Score	Rank	Score	Rank
Hamirpur	0.674	1	0.645	3
Bilaspur	0.634	2	0.758	1
Kullu	0.617	3	0.621	6
Mandi	0.613	4	0.702	2
Shimla	0.608	5	0.568	10
Una	0.604	6	0.633	4
Kangra	0.598	7	0.612	7
Solan	0.561	8	0.573	9
Sirmour	0.558	9	0.575	8
Kinnaur	0.543	10	0.625	5
Chamba	0.529	11	0.559	11
Lahul-Spiti	0.471	12	0.555	12

Source: DGGI-2019 & 2020, Economic and Statistics Department, Government of Himachal Pradesh.

Table 4.7 demonstrated that District Hamirpur improved its position from 3rd to 1st rank and district Kullu improved its position from 6th rank (2019) to 3rd rank in 2020. District Mandi has however deteriorated its position and slipped from 2nd to 4th position and Bilaspur slipped from 1st position to 2nd position. Shimla district, ranks 05th in 2020 against 10th in the previous year. Table 4.8 present Individual score of districts for each of the theme. Hamirpur gain is attributed to Support to Human Development Index and Social protection index. Where it was at the 6th place in previous year, it improved its position to 2nd in terms of support to Human development and for Social protection it has at the 9th place in previous year, it gained to 2nd place in 2020. Hamirpur has also improved its position to the 4th in current year from 9th position in previous year in terms of Transparency and accountability index.

Table 4.8: Individual score of district for each of the theme

District	Essential Infrastructure Index	Support to Human Development Index	Social Protection Index	Women and Children Index	Crime, Law and Order Index	Environment Index	Transparency and Accountability	Composite Score	Rank
Hamirpur	0.691 (2)	0.685 (2)	0.769 (2)	0.631 (5)	0.676 (5)	0.762 (3)	0.501 (4)	0.674	1
Bilaspur	0.681 (3)	0.706 (1)	0.568 (7)	0.702 (2)	0.441 (11)	0.873 (1)	0.471 (6)	0.634	2
Kullu	0.625 (5)	0.629 (5)	0.519 (9)	0.595 (6)	0.895 (1)	0.516 (11)	0.536 (3)	0.617	3
Mandi	0.566 (9)	0.664 (3)	0.630 (4)	0.469 (11)	0.611 (9)	0.716 (5)	0.634 (1)	0.613	4
Shimla	0.580 (7)	0.649 (4)	0.623 (5)	0.679 (3)	0.623 (7)	0.623 (10)	0.480 (5)	0.608	5
Una	0.771 (1)	0.542 (8)	0.459 (10)	0.585 (7)	0.804 (2)	0.731 (4)	0.335 (9)	0.604	6
Kangra	0.676 (4)	0.545 (7)	0.521 (8)	0.461 (12)	0.758 (3)	0.648 (8)	0.576 (2)	0.598	7
Solan	0.575 (8)	0.612 (6)	0.364 (12)	0.709 (1)	0.613 (8)	0.709 (6)	0.342 (8)	0.561	8
Sirmaur	0.402 (12)	0.508 (10)	0.787 (1)	0.534 (8)	0.585 (10)	0.652 (7)	0.436 (7)	0.558	9
Kinnaur	0.603 (6)	0.515 (9)	0.692 (3)	0.672 (4)	0.170 (12)	0.830 (2)	0.319 (10)	0.543	10
Chamba	0.480 (10)	0.473 (12)	0.622 (6)	0.511 (10)	0.671 (6)	0.638 (9)	0.310 (11)	0.529	11
L-Spiti	0.419 (11)	0.486 (11)	0.458 (11)	0.517 (9)	0.752 (4)	0.377 (12)	0.287 (12)	0.471	12
HP	**0.589**	**0.584**	**0.584**	**0.589**	**0.633**	**0.673**	**0.436**	**0.584**	

Source: DGGI-2020, Economic and Statistics Department, Government of Himachal Pradesh.

4.4 Status of Multidimensional Poverty Index (MPI) of the State

MPI is designed keeping in view Sustainable Development Goal (SDG) 1 in its entirety which states to "end poverty in all its forms everywhere". The MPI is used by UNDP in its flagship HDR since 2010 and is the most widely employed non-monetary poverty index in the world. It captures overlapping deprivation in health, education and living standards on twelve indicators pertaining to: a) nutrition, b) child adolescent and mortality, c) Antenatal care d) years of schooling, e) school attendance, f) cooking fuel, g) sanitation, h) drinking water, i) electricity, j) housing, k) assets and l) bank account. It complements income poverty measurements because it measures and compares deprivations directly.

MPI = H * A

Where: H = head count, means the percentage of people who are multidimensionally poor and A = is percentage of weighted deprivations, the average multidimensionally poor person suffers from.

Comparative overview of the achievements in Multidimensional Poverty Index of Himachal Pradesh and India as a whole on the basis of NITI Ayog report on MPI 2021 is given below in Table 4.9.

Table 4.9: Comparative Status of MPI in Himachal Pradesh with MPI in India

	Head Count Ratio	Intensity	MPI (H * A)
India	25.01	47.13	0.118
Rural	32.75	47.38	0.155
Urban	8.81	45.25	0.04
Himachal	7.62	39.43	0.03
Rural	8.24	39.28	0.032
Urban	1.46	48.24	0.007

Source: National Multidimensional Poverty Index, NITI Aayog, Government of India.

There are broadly two steps involved in computing MPI namely: i) Identifications and ii) Aggregation. It is important here to note that "Identification" is one of the important steps that can vary from the calculation of MPI from nation to nation and from state to state depending on the prevailing socio-economic conditions of a particular nation/state. Identification of indicators is at the root of MPI which shows the intensity and deprivation picture of a Nation/State.

Two districts of Himachal Pradesh namely, Chamba and Sirmour have secured lowest and second lowest rank among all districts of Himachal Pradesh in national MPI. The deprivation was most in the following indicators viz. Nutrition, Maternal Health and cooking fuel. Sirmour and Chamba have 9.51 per cent and 9.69 per cent Head count

ratio for Nutrition which is highest among all district of the State. Similarly these two districts are most lacking in cooking fuel where the head count is 10.96 for Chamba, whereas, Sirmour has 10.58 per cent. In terms of Housing also the head count is 7.95 per cent for Chamba and 6.99 per cent which is highest among all other districts of the State. maternal health is also is an issue in the State where these two district performs lower than other districts. Where Chamba has Head count Ratio of 9.63 per cent and Sirmour has 6.92 per cent. The situation in front is also worrying for Solan and Mandi where Head count ratio has 7.1 per cent and 6.68 per cent.

At last it can be observed that where Chamba and Sirmour have been reported as highest in terms of MPI, these two districts have also been observed as lower ranking in terms of DGGI where, Chamba is at 11th and Sirmour is at 9th place. The gain in DGGI is reflected in MPI also.

Institutional and Bank Finances

5
Chapter

5.1 Introduction

The Lead Bank responsibility for Himachal has been distributed among three banks: Punjab National Bank (PNB) in Hamirpur, Kangra, Kinnaur, Kullu, Mandi and Una; United Commercial Bank (UCO) Bank in Bilaspur, Shimla, Solan and Sirmour and State Bank of India (SBI) in Chamba and Lahaul-Spiti. Of these, UCO is the Convener Bank of State Level Bankers Committee (SLBC). The State has a network of 2,244 bank branches of which, more than 76 per cent are in rural areas. From October, 2020 to September, 2021, 13 new branches were opened. At present 1,715 branches are located in rural areas, 414 in semi-urban areas and 115 in Shimla - the only Urban Centre in the State classified by Reserve Bank of India.

As per 2011 census, the average population per branch in the State was 3,059 against the national average of 11,000. As of September, 2021, Public Sector Banks (PSBs) have 1,165 branches constituting more than 51 per cent of the total branch network of banking sector in the State. PNB has the largest network of 350 branches followed by SBI with 329 and UCO with 173 branches. Private Sector Banks have 188 branches with the largest presence of HDFC with 75 followed by ICICI with 32 branches. Four Small Finance Banks are functional in the State and have a network of 16 branches. India Post Payment Bank and Financial Inclusion Network and Operations (Fino) Payments Bank are two Payment Banks functioning in the State with a network of 13 branches.

There is a Regional Rural Bank (RRB) sponsored by PNB, namely Himachal Pradesh Gramin Bank (HPGB), with a network of 265 branches as of September 2021. The Co-operative Sector Banks have 571 branches. The State Apex Co-operative Bank i.e. Himachal Pradesh State Co-operative Bank (HPSCB) with 241 branches and Kangra Central Co-operative Bank (KCCB) has 217 branches. Five Urban Co-op. Banks with 26 branches are also operating in the State. In terms of district-wise spread of bank branches. Kangra district has the highest number of 423 bank branches and Lahaul-Spiti has the lowest number of 23 branches. The outreach of bank services has further increased by installation of 2,049 ATMs by various banks.

Banks have deployed Business Correspondent Agents (known as “Bank Mitras”) in sub service areas to provide Banking services to the far-flung areas, where Brick and Mortar Branches are not financially viable. At present 5,969 Bank Mitras are deployed in the State by various banks for providing basic Banking services in villages. The Public sector Banks in the State namely, PNB, SBI, UCO, Canara Bank, Central Bank of India & Union Bank of India have full-fledged

Regional Zonal and Circle Offices in the State. Reserve Bank of India (RBI) has its Regional Office headed by a Regional Director and National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has its Regional Office headed by a Chief General Manager at Shimla.

The role and responsibility of banks is well recognized as a partner for accelerating the socio-economic growth of the State. The flow of credit in all priority areas has been enhanced. As of September, 2021 banks in the State have achieved 6 out of the 7 National Parameters by the RBI for Lending to Priority Sectors, which include Agriculture Sector, Small and Marginal Farmers, Micro Enterprises, Weaker Sections and Women. At present, banks have extended 59.86 per cent of their total loans to the Priority Sector Activities.

Agriculture loans constitute19.47per cent of total loans extended by Banks as on September, 2021 as against the National parameter of 18 per cent set by the RBI. Advances to Weaker Sections and Women have a proportion of 17.75 and 10.48 per cent of total lending as against the national goals of 10 and 5 per cent, respectively. Credit Deposit Ratio (CDR) of banks in the State is 38.28 per cent. The National Parameters are given in Table-5.1 below:

Table 5.1: Position of Key Banking Business National Parameters In Himachal Pradesh

Sl. No.	Sector	Percentage of advances as on 30.09.2020	Percentage of advances as on 30.09.2021	National Parameter in Percentage
1.	Priority sector advances	56.14	59.86	40
2.	Agriculture advances	17.06	19.47	18
3.	Advances to Small & Marginal Farmers	12.10	14.89	8
4.	Advances to Micro Enterprises	10.78	12.49	7.5
5.	Advances to weaker sections	36.09	17.75	10
6.	Advances to women	10.77	10.48	5
7.	C.D.Ratio (Thorat)	42.33	38.28	60
8.	Advances under DRI Scheme	0.01	0.03	1
9.	MSME Advances(PSC)	41.73	45.80	-
10.	Advances to SC/ST (PSC)	7.95	5.98	-
11.	Advances to Minorities (PSC)	2.06	2.83	-

Source: SLBC Shimla HP

5.2 Financial Inclusion initiatives

Financial Inclusion denotes delivery of financial services and products at an affordable cost to the excluded sections of our society and low income groups. Government of India has launched a comprehensive Financial Inclusion Campaign- “Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana” (PMJDY) throughout the country to bring the excluded sections of our society in formal banking system. This special campaign has completed more than seven years and several initiatives are being taken upto empower the weaker sections of the society, including women, small and marginal farmers and labourers both in rural and urban areas.

5.3 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY)

Banks in the State have covered all the households with at least one Basic Saving Bank Deposit Account (BSBDA) of each household. Banks with a total of 17.53 lakh accounts under the scheme as of September, 2021. Out of these accounts, 15.34 lakh accounts are in rural areas and 2.19 lakh in urban areas. Banks have issued RuPay Debit Cards to 11.73 lakh PMJDY account holders and covered more than 66 per cent of these accounts. Banks have taken initiative to link the bank account with Aadhaar and Mobile Number and have linked 83 per cent of PMJDY accounts upto September, 2021.

5.4 Universal Social Security Initiatives under PMJDY Scheme

In the 2nd phase of implementation of the Scheme, Government of India has launched three Social Security Schemes as a comprehensive social security initiative targeted mainly at the poor and underprivileged. The present status of Social security schemes is mentioned below:

i) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY):

This scheme is providing renewable one year accidental death cum special ability cover of ₹2.00 lakh (₹1.00 lakh for partial and permanent special ability) to all the saving bank account holders in the age group of 18 to 70 years for a premium of ₹12.00 per annum per subscriber, renewable from 1st June every year. Banks have 15.72 lakh subscribers under PMSBY upto September, 2021. The Insurance Companies have settled 909 insurance claims under the scheme upto 30th November, 2021.

ii) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY):

This scheme is providing a renewable one year life cover of ₹2.00 lakh to all the saving bank account holders in the age group of 18 to 50 years, covering death due to any reason for a premium of ₹330.00 per annum per subscriber and renewable from 1st June every year. Banks have 4.32 lakh subscribers under this scheme as of September, 2021. The Insurance Companies have settled 1,902 insurance claim upto 30th November, 2021 since inception.

iii) Atal Pension Yojana (APY):

Atal Pension Yojana is focused on the unorganized sector and it provides subscribers a fixed minimum pension of ₹1,000, 2,000, 3,000, 4,000 or ₹5,000 per month starting at the age of 60 years, depending on the contribution option exercised on entering an age between 18 and 40 years. The fixed minimum pension is guaranteed by the Government, if regular contribution is made for 20 years. The State Government has also contributed in the APY. The co-contribution from State Government toward subscribers of APY is made in eligible accounts subject to 50 per cent of the total contribution by the subscriber or ₹2,000 whichever is lower. The State Government is focusing on MGNREGA workers, Mid Day Meal workers, Agriculture and Horticulture labourers and Anganwari workers to adopt the APY. Banks have focused on aggressive awareness campaign under the scheme through camps, press, media publicity etc. In the APY, banks have enrolled 2,02,666 subscribers under the scheme upto September, 2021.The Department of Posts and Telegraph is also participating in the APY Scheme.

5.5 Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY)

Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) was rolled out in the country including Himachal Pradesh. The smaller micro enterprises mainly consist of non-farm enterprises in Manufacturing, Trading and services whose credit needs are below ₹10.00 lakh and all the loans given to these segments for income generation are known as MUDRA loans. All advances granted on or after 8thApril, 2015 falling under this category are classified as MUDRA loans under the scheme. As on September, 2021, banks in Himachal Pradesh have sanctioned fresh loans to the tune of ₹775.90 crore to 36,509 new micro entrepreneurs under the Scheme in the 2021-22. For this period, a cumulative total of disbursed loans is ₹2566.70 crore covering 1,72,048 entrepreneurs.

5.6 Stand-Up India Scheme (SUIS)

Stand up India scheme has been formally launched throughout the Country that aims to encourage entrepreneurial culture among unserved and underserved segments of the society represented by SC, ST and Women.

The Scheme facilitates loans of ₹10.00 lakh to ₹1.00 crore from Banks to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up of a new enterprise in the field of construction, business or service sector (also termed as green field enterprise). Banks have sanctioned ₹297.56 crore to 1445 new enterprises set up by SC/ST and Women entrepreneurs under the scheme upto September, 2021.

5.7 Financial Awareness and Literacy Campaigns

Financial Literacy and Awareness campaign plays a significant role in reaching the target groups. Banks are conducting financial Literacy campaign through the Financial Literacy Centers (FLCs) and through its Bank Branches in Himachal Pradesh.

5.8 Business Volume of Banks

The Aggregate Deposits of all banks operating in the State increased from ₹1,39,352 crore on September, 2020 to ₹1,50,098 crore by September, 2021. The deposits of banks have grown at year-to-year growth of 7.70 per cent. The Aggregate advances have decreased from ₹56,308 crore on September, 2020 to ₹54,423 crore on September, 2021 which implies a year-to-year decline of (-) 3.35 per cent. The total banking business ₹2,04,511 crore has registered growth of 4.52 per cent.

Public Sector Banks (PSBs) have the largest market share of 63 per cent, RRB a share of 5 per cent, Private Banks at 12 per cent and Co-operative Sector Banks at 20 per cent. The comparative data is given in the Table-5.2.

Table 5.2: Comparative Data of Banks in Himachal Pradesh

(₹in crore)

Sl.No.	Item	30.09.2020	30.09.2021	Variation in September, 2021. over September, 2020	
				absolute	per cent
1.	**Deposit PPD**				
	Rural	85300.62	90648.39	5347.77	6.27
	Urban/SU	54051.68	59439.96	5388.28	9.97
	Total	**139352.30**	**150088.35**	**10736.10**	**7.70**
2.	**Advances (O/S)**				
	Rural	31358.65	28196.62	(-)3162	(-)10.08
	Urban/SU	24949.06	26226.32	1277.26	5.12
	Total	**56307.71**	**54422.94**	**(-)1884.80**	**(-)3.35**
3.	**Total Banking Business (Dep+Adv)**	**195660.01**	**204511.29**	**8851.28**	**4.52**
4.	CD RATIO as per Throat Committee	42.33	38.28	(-)4.05	(-)9.57
5.	**Priority Sector Advances (O/S) is as under:**	**31613.47**	**29749.13**	**(-)1863.30**	**(-)5.89**
	I. Agriculture	9603.96	9627.44	23.48	0.24
	ii. MSME	13193.82	13656.09	462.27	3.51
	iii. OPS	8815.69	6465.60	(-)2350.10	(-)26.66
6.	Weaker Section Advs.	20322.94	8840.66	(-)11482	(-)56.50
7.	DRI Advances	3.23	17.09	13.86	429.10
8.	Non Priority Sec. Adv.	24695.24	19996.25	(-)4699	(-)19.03
9.	No. of Branches	2195	2244	49	2.23
10.	Advances to Women	6062.55	5221.49	(-)841.06	(-)13.87
11.	Credit to Minorities	649.94	842.42	192.48	29.62
12.	Advances to SCs/STs	2513.44	1782.40	(-)731.04	(-)29.09

Source: State Level Bankers' Committee (SLBC) Shimla HP

5.9 Performance under Annual Credit Plan

Banks have prepared Annual Credit Plan for 2021-22 for disbursement of fresh loan on the basis of potentials worked out for various priority sector activities by NABARD. The financial targets under Annual Credit Plan 2021-22 have been increased by 10.24 per cent over the last plan outlay and fixed at ₹30,538 crore. Banks have disbursed fresh loans to the tune of ₹14,115.30 crore upto September, 2021 and achieved 46.25 per cent of the annual commitment. The Sector-wise target viz-a-viz achievement upto 30.09.2021 is given in Table 5.3.

Table 5.3: Position as on September, 2021 at a glance

(₹ in crore)

S.N.	Sector	Annual Targets 2021-22	Targets September, 2021	Achievement September, 2021	Percentage Achievement September, 2021
1.	Agriculture Direct	12253.73	6126.87	3874.74	63.24
2.	MSME	9522.44	4771.22	4803.85	100.68
3.	Education	480.74	240.37	37.74	15.70
4.	Housing	1787.43	893.72	451.87	50.56
5.	Others-PS	1916.99	958.50	265.61	27.71
6.	**Total Priority Sector Loans (1 to 5)**	**25961.33**	**12990.68**	**9433.81**	72.62
7.	Total Non Priority Sector loans	4556.87	2278.44	4681.49	205.47
	Total Loans (6+7)	**30518.20**	**15269.12**	**14115.30**	**92.44**

Source: SLBC Shimla HP

5.10 Implementation of Government Sponsored Schemes:

i) National Rural Livelihoods Mission (NRLM)

The Ministry of Rural Development, launched flagship programme of Government of India for promoting poverty reduction through building strong institutions of the poor, particularly women enabling these institutions to access a range of financial services and livelihoods services. This scheme is implemented in the State through HP State Rural Livelihoods Mission (HPSRLM), Rural Development Department, Government of Himachal Pradesh. Banks in the Himachal have been allocated the annual target of ₹110 crore covering 8,000 beneficiaries under this Scheme. Banks have sanctioned 1,683 loan to the tune of ₹30.47 crore upto September, 2021 under NRLM scheme.

ii) National Urban Livelihoods Mission (NULM)

The Government of India, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (MoHUPA), restructured the existing Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY) and launched the National Urban Livelihoods Mission (NULM). The Self Employment Programme (SEP) is one of the components (Component 4) of NULM which focus as on providing

financial assistance through a provision of interest subsidy on loans to support establishment of Individual and Group Enterprises and Self-Help Groups (SHGs) of urban poor. Himachal Pradesh by Urban Development Department, and various Banks have disbursed ₹2.78 crore as loans the NULM upto September, 2021.

iii) Pradhan Mantri Employment Generation Programme (PMEGP)

Prime Minister‟s Employment Generation Programme (PMEGP) is a credit linked subsidy programme administered by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is the nodal agency at national level for implementation of the scheme. At State level the scheme is implemented through KVIC, Khadi and Village Industries Board (KVIB) and District Industries centre. In 2021-22, a target of financing 1,451 new units under the scheme was allocated to Banks. The implementing agencies have been targeted to provide margin money disbursement to the tune of ₹43.73 crore under the scheme. Banks have sanctioned ₹12.50 crore as margin money to the entrepreneurs of 469 units till September, 2021.

5.11 Kisan Credit Cards (KCC):

Banks are implementing KCC scheme through their rural branches to provide adequate and timely credit support from the banking system under a single window to the farmers to meet the short-term credit requirements for cultivation of crops and other needs. Banks have disbursed fresh KCCs to 1,04,020 farmers amounting to ₹1,658.74 crore upto September, 2021. Banks have financed 3,92,757 farmers under KCC with an aggregate amount of ₹6,769.74 crore upto September, 2021.

5.12 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) are an initiative of Ministry of Rural Development (MoRD) to have dedicated infrastructure at district level to impart training and skill up-gradation of rural youth geared towards entrepreneurship development. The Lead Banks i.e. UCO Bank, PNB and SBI have set up RSETIs in 10 districts of the State (except Kinnaur and Lahaul & Spiti). These RSETIs are conducting Electronic Data Processing (EDPs) under various Government sponsored programmes for poverty alleviation and to develop entrepreneurship under PMEGP. RSETIs have set a target of organizing total 220 training programmes in the year 2021-22 and total 5,730 candidates will be trained in the current financial year.

5.13 Special drive for Aadhaar linkages with Bank account and verification of Aadhaar in all existing Bank Accounts:

In Himachal Pradesh, 97 Aadhaar Enrollment and Updation Centres are identified by various Banks to provide facility of Aadhaar enrollment and updation facility.

5.14 National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD):

NABARD has strengthened its association with the developmental process substantially for Integrated Rural Development in the recent years by the initiatives encompassing a wide range of activities viz. Development of Rural Infrastructure, Micro Credit, Farmer Producer Organizations, Rural Farm and Non-Farm Sector, skill development, increased Refinance, besides strengthening the rural credit delivery system in the State. In addition, NABARD is also implementing or is associated with certain centrally sponsored credit linked subsidy schemes of Government of India.

5.14.1 Rural Infrastructure

Since its inception in 1995-96, the development of infrastructure in rural areas through Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), has emerged as NABARD‟s major intervention in partnership with the State Governments. Under this scheme, concessional loans are given to State Government and State owned Corporations for completion of ongoing projects and also to start new projects in certain selected sectors. Financing over the years has become broad based covering 39 eligible activities into agriculture and related sectors, social sector and rural connectivity.

From an initial allocation of ₹15.00 crore under RIDF-I from 1995-96, the allocation to the State has now reached the level of ₹1000 crore under RIDF-XXVII (2021-22). RIDF has played an important role in development of diversified sectors like irrigation, roads and bridges, flood protection, drinking water supply in addition to primary education, veterinary services, watershed development, IT infrastructure etc. In recent years, innovative project for development of Poly-Houses and Micro Irrigation Systems and Solar irrigation have been supported, which would facilitate the development of agri-business and sustainable farming on commercial lines. Financial assistance of ₹8890 crore has been sanctioned under RIDF as on March,2021 to the state including rural roads/bridges, irrigation, rural drinking water, education, animal husbandry etc. an amount of ₹965 crore has been sanctioned under RIDF-XXVII and ₹410 crore has been disbursed upto December,2021. After implementation/completion of the sanctioned projects, 11,790 kms roads will become motorable, 25,743 metre bridges will be constructed and 1,58,030 hectares land will be benefited through irrigation projects. In addition, 2,921 rooms in Primary Schools,

64 Science Laboratories in Secondary Schools, 25 IT Centres and 397 Veterinary Hospitals will be constructed.

5.14.2 Ware house Infrastructure Fund (WIF)

NABARD has sanctioned ₹4.18 crore to the State Government for the financial year 2019-20. One Controlled Atmosphere (CA) Store Project at Churah, Chamba with 500 MT capacity is being implemented by HPMC. For Modernization and Upgradation of Cold Stores into CA stores at Rohru, Oddi and Patlikuhal with capacity of 3,480 MT and ₹8.54 crore has been sanctioned upto December,2021.

5.14.3 Food Processing Fund (FPF)

NABARD has established a Food Processing Fund (FPF) with a corpus of ₹2,000 crore in 2014-15 for providing financial assistance for establishing the designated food parks and also for setting up of individual food/agro processing units. M/s Cremica Mega Food Park has been extended financial assistance of ₹37.94 crore out of total project cost of ₹103.85 crore in the State**.** The farmers of the state are expected to benefit from the hub and spoke model of this project and it is expected to create employment opportunities in the State.

5.14.4 Refinance Support

NABARD extended Long Term Refinance for diverse activities viz. rural housing, small road transport operators, land development, minor irrigation, dairy development, selgroup, farm mechanization, poultry, plantation, horticulture, sheep/goat/ piggery rearing, packing and grading house activity and other sectors to the tune of ₹646.00 crore during 2021-22.Himachal Pradesh Gramin Bank and Cooperative Banks also released ₹219.19 crore under long term refinance and ₹69.44 crore to Commercial Banks as on December,2021. In addition, ₹6.02 crore as refinance has been released to Commercial Banks.

NABARD has also supplemented the efforts of Cooperative Banks and RRBs for crop loan disbursement by sanctioning Short Term (ST) credit limit of ₹1,960 crore against which the banks have drawn refinance assistance of ₹1,960 crore during 2020-21. Further, ₹1,060 crore was sanctioned in the current year out of which ₹960 crore has been drawn as of December,2021.To mitigate the impact of Covid-19, NABARD has provided Special Liquidity Facility of ₹660 crore to Cooperative and Rural Banks in H.P.

5.14.5 Special Refinance Schemes

To give boost to the agriculture and rural sector in the post Covid era, NABARD launched 4 new schemes:

a) **Transformation of PACS (Primary Agricultural Cooperative Societies) as MSCs (Multi Service Centres):**

The scheme aims to convert around 35000 PACS to Multi Service Centres (MSCs) across the country in the next three years in a structured manner. Under this scheme, an amount of ₹11.15 crore has been sanctioned to 42 PACS in the State as on December,2021.

b) **Special Refinance Scheme in NABARD watershed and WADI Project areas:**

The scheme aims to promote sustainable economic activities, livelihood and employment opportunities in watershed and WADI areas by providing concessional refinance facility @3 per cent to the banks for extending cheaper credit to the ultimate beneficiaries.

c) **Special Refinance Scheme for Promoting Micro Food Processing Enterprises:**

The scheme aims to provide a fillip to the Formalization of Pradhan Mantri Micro Food Processing Enterprise Scheme. NABARD will extend concessional long term refinance to all eligible banks/FIs at 4 per cent to accelerate capital formation in Micro Food processing enterprises.

d) **Schematic Refinance for Water Sanitation and Hygiene Activities:**

The Scheme aims to meet credit requirement of banks/FIs to enable them to provide timely and hassle free credit to eligible beneficiaries /entrepreneurs to facilitate WASH activities.

5.14.6 Government Sponsored Schemes

a) Under National Livestock Mission ₹1.48 crore subsidy has been released in the financial year 2019-20, ₹2.36 crore in 2020-21 and ₹25.85 lakh in 2021-22 as on December,2021in the State.

b) The New Agricultural Marketing Infrastructure Scheme has been extended for the term loans sanctioned upto March, 2022.

5.14.7 Micro Credit

The Self Help Group (SHG) movement has spread across the Himachal Pradesh and is now on a firm base. The movement has given added support in human resources and financial products. As of 31st March 2021 the cumulative number of credit linked SHGs stood at 60,293 and the number of credit linked SHGs with loans outstanding was 13,367 with an amount of ₹14,508.14 lakh. The announcement in Union Budget 2014-15, of financing of Joint Farming Groups

"Bhoomi Heen Kissan" (landless farmers) has given further credence to effort of NABARD in innovating and reaching out to the landless farmers through Joint Liability Groups (JLGs) mode of financing. As on March,2021, 11,661 Joint Liability Groups have been provided loan disbursement of ₹16485.65 lakh. During the year 2020-21, NABARD sanctioned ₹40.00 lakh each to Himachal Pradesh Gramin Bank (HPGB), State Bank of India and UCO Bank for promotion and credit linkage of 1,000 JLGs over a period of 3 years. Further, NABARD facilitates short duration skill development training for SHGs members having availed credit facility from the bank. During 2020-21 and 2021-22, 39 Micro Entrepreneurship Development Programme (MEDPs) have been sanctioned and1170 SHG members were trained individually or in group mode. In another Livelihood Enterprise Development Programme (LEDP) 1,470 SHG members were trained during the year 2021-22 as on December,2021.

5.14.8 Promotion of Farmers' Producer Organization

A Farmer Producer Organization (FPO) is a legal entity formed by primary producers, viz. farmers/milk producers, fishermen. An FPO can be a producer company, a cooperative society or any other legal form which provides for sharing of profits/benefits among the members. The main aim of FPO is to ensure better income for the producers through an organization of their own. In Himachal Pradesh, NABARD has sanctioned a grant of ₹10.89 crore for formation / promotion of 107 FPOs in all the 12 districts. These FPOs will undertake production, primary processing and marketing of vegetables, medicinal and aromatic plants, milk and flowers on aggregation basis. As on December,2021, ₹6.59 crore has been released for these FPOs. These FPOs cover around 15,000 farmers across the state with an annual turnover of ₹27.00 crore. In another Central Sector Scheme, NABARD will be implementing agency for 10,000 FPOs formation and Promotion with the concept of "One District One Product". FPOs will be promoted and nurtured through Cluster Based Business Organizations (CBBOs) in the State. NABARD has formed 16FPOs under the scheme with total sanctioned grant of ₹2.88 crore.

5.14.9 Watershed Development

NABARD has sanctioned 38 Watershed Development Projects (Watershed and spring shed Project) in ten districts of the State. As on December,2021, an amount of ₹17.99 crore has been disbursed under these projects covering 35,127 hectares benefitting 237 villages with 78,031beneficiaries.These projects will enhance the availability of water, environment protection, increase productivity and income of the farmers and conserve diminishing pastures and facilitate animal husbandry. The remaining two districts i.e. Kinnaur and Lahaul-Spiti shall be covered in next financial year.

5.14.10 Tribal Development through the Tribal Development Fund (TDF)

NABARD has sanctioned 12 Tribal Development projects till 31.12.2021 with a total grant of ₹18.33 crore covering 3,355 families. These projects aim at setting up of WADIs (small orchards) as well as dairy units in selected villages covering about 2,355 acres of area for plantation of Mango, Kinnow, Lemon, Apple, Walnut, Pear, Wild Apricot. These projects are providing tribal people with an opportunity to raise their income level through the WADIs and Dairy initiatives.

5.14.11 Support through the Farm Sector Promotion Fund (FSPF)

Under FSPF, till now a cumulative grant assistance of ₹32.13 crore for 31 projects has been sanctioned benefitting around 16087 farmers. During the year 2021-22 one project has been sanctioned with a grant support of ₹19.88 lakh with an objective to promote millets and traditional crops in district Kangra. More projects that shall enhance the income as well as productivity of the farmers shall be given priority under the fund.

5.14.12 NABARD Consultancy Services (NABCONS)

NABARD Consultancy Services (NABCONS) is a wholly owned subsidiary of NABARD and is engaged in providing consultancy in all spheres of agriculture, rural development and allied areas. NABCONS leverages on the core competence of NABARD in the areas of agricultural and rural development, especially multi disciplinary projects, banking, institutional development, infrastructure, training, etc. NABCONS is involved in the following major assignments during current financial year:

- Project Management Consultancy for Integrated Cold Chain Project at Parala and Kharapathar to H.P State Agricultural Marketing Board.

- Setting up PMU (Project Management Unit) under Agri-Infrastructure Fund (AIF) at State Level in Himachal Pradesh.
- Third party Impact Assessment of PM Adarsh Gram Yojna.
- Impact Evaluation Study of FPOs in Himachal Pradesh.
- Comprehensive Study of Handloom Sector in Himachal Pradesh.
- NABCONS is Central Technical Support Agency for DDU-GKY in Himachal Pradesh.
- Third Party Survey of Toilets constructed by SJVN in four States.
- Third Party Inspection of Border Area Development Programme.

5.14.13 NABARD's Initiatives for Climate Change in H.P.

NABARD has been designated National Implementing Entity (NIE) for Adaptation Fund (AF), Green Climate Fund (GCF) set up under United Nation‟s Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC) set up by Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC). NABARD in its efforts to meet the future challenges of climate change has facilitated the preparation, development and sanction of a projection „Sustained Livelihoods of Agriculture dependent communities in drought prone district of Himachal Pradesh through climate smart solutions‟ in Sirmour district from the executing entity i.e. department of Environment, Science and Technology, Government of Himachal Pradesh. MoEF&CC has sanctioned ₹20.00 crore for the project. ₹19.12 crore has since been released by NABARD till December, 2021.

Price Movement and Food Management

6
Chapter

6.1 Introduction

The last two years were unprecedentedly hit by the global pandemic of COVID-19 that induced social distancing and disrupted economic activity globally. The stimulus spending in major economies, to counter the impact of pent-up consumer spending due to COVID-19 has pushed the prices up in many advanced and emerging economies. On the domestic front, two opposing forces were at play. On the one hand, there was a dampening of demand owing to lower economic activity; on the other, supply chain disruptions caused spikes in food inflation and continued to persist during the unlocking of the economy. The surge in energy, food and non-food commodities and prices coupled with disruptions of global supply chain and rising freight costs across the globe stoked global prices during the year. Crude oil prices also witnessed an upswing during the year on the back of increased demand from recovering economies and production restrictions by the Organization of Petroleum Exporting Countries and its allies. A system of regular weekly monitoring of prices of essential commodities was done so that effective measures can be taken in time to check undue price rise.

Table 6.1: General inflation based on different price indices (in per cent)

Indices	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21^	2021-22*(P)
Wholesale Price Index (WPI) All India	1.7	3.0	4.3	1.7	1.3	0.0	12.5
Consumer Price Index-Rural (CPI-R)	4.7	4.5	-0.4	3.1	4.7	4.8	6.1
Consumer Price Index-Urban (CPI-U)	4.1	5.4	4.9	5.4	7.1	7.6	5.2
Consumer Price Index-Combined (CPI-Com)	4.6	4.6	0.5	3.5	5.2	5.3	6.0
Consumer Price Index - Industrial worker (CPI-IW)#	4.7	4.1	3.1	4.9	5.5	5.5	5.1
Consumer Price Index - Agricultural Labour (CPI-AL)	4.8	2.7	1.2	4.3	4.2	4.8	4.7
Consumer Price Index-Rural Labour (CPI-RL)	5.6	2.6	1.3	4.3	4.2	4.8	4.8

Source: O/O Economic Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, (DPIIT) for WPI, National Statistical Office (NSO) Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India (MoSPI, GoI) for CPI (Combined, Rural, Urban) and Labour Bureau for CPI Industrial Workers (IW), Agricultural Labourers (AL), Rural Labourers (RL), #CPI-IW inflation for 2020-21 onwards is based on new series 2016=100

^ April to December, 2020-21

*April to December, 2021-22

P= Provisional

6.1.1 Current Trends in Inflation

The Consumer Price Index measures the average change in prices over time when consumers pay for a basket of goods and services, commonly known as inflation. Containment of inflation is an important priority of the Government. Inflation hurts the common person the most since individual income is not indexed to prices. Inflationary tendencies are measured by different indices such as Wholesale Price Index, Consumer Price Index (Rural), Consumer Price Index (Urban), Consumer Price Index (Combined), Consumer Price Index (Industrial worker), Consumer Price Index for (Agriculture Labourers) and Consumer Price Index for (Rural Labourers).

Figure 6.1: Trends in CPI-C, CPI-R and CPI-U inflation

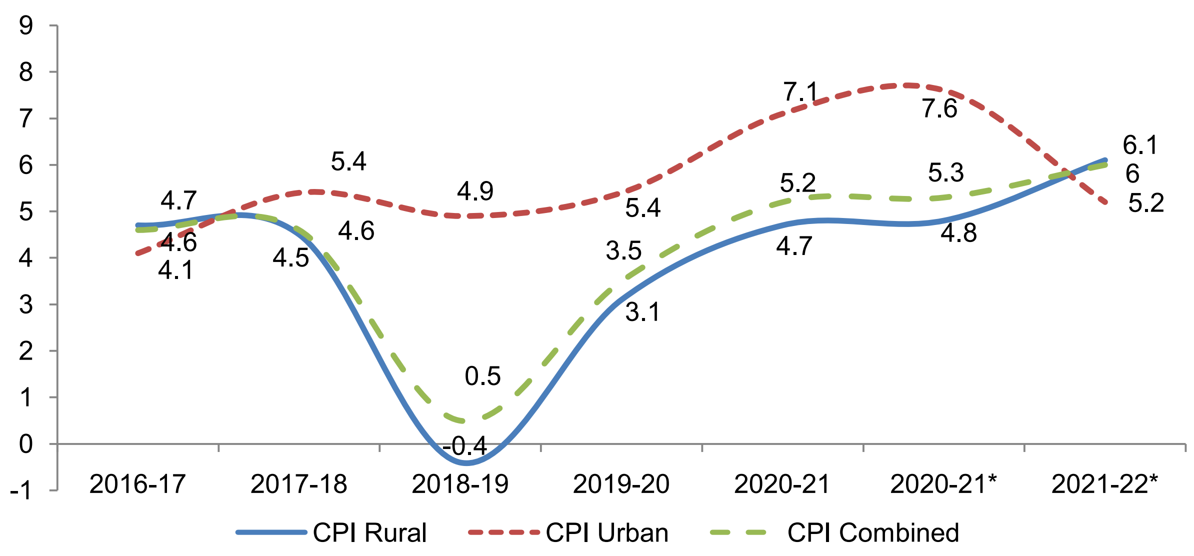

Source: Ministry of Statistics and Programme Implementations (MOSPI), Government of India

6.1.2 Consumer Price Index-Combined (CPI-C) inflation

CPI-Combined inflation was 4.6 per cent in 2016-17 and 5.2 per cent in 2020-21 in the State. In the current financial year during the months of (April-December) CPI-Combined was 6.0 per cent as compared to 5.3 per cent in 2020-21 (April to December). This inflation was mainly due to a spike in food inflation, which continued to persist during the unlocking of the economy, though recently there has been a moderation in retail inflation.

Given below **(Figure-6.2)** is the comparative analysis between the calendar year 2017 and 2021. General inflation in 2021 is 5.8 per cent against 5.0 per cent in 2017. Inflation in the group, clothing and footwear, increased from 5.4 per cent in 2017 to 7.2

per cent in 2021. This is due to import restriction in clothing and footwear. Inflation in the fuel and light group came down from 13 per cent in 2017 to 9.3 per cent in 2021. Pan, tobacco and intoxicants also came down from 11.9 per cent in 2017 to 4.2 per cent in 2021.

Figure 6.2: Component-wise comparision between 2021 vs 2017 (CPI-C) inflation base year (2012=100)

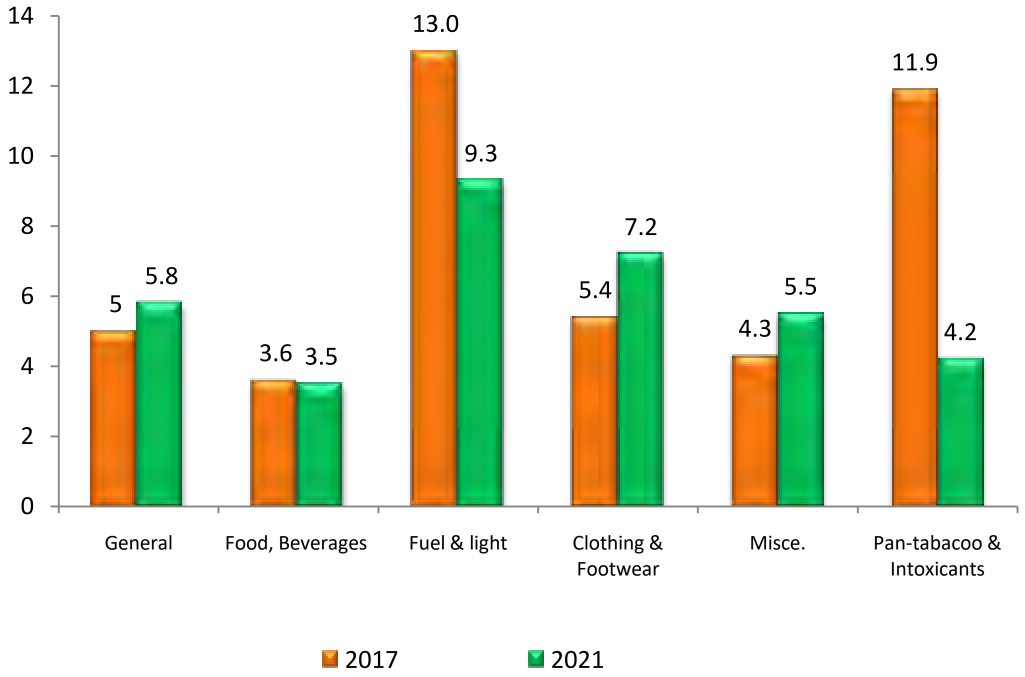

6.1.3 Consumer Price Index-Rural (CPI-R) inflation

CPI-R inflation was 4.7 per cent in 2016-17 which remained constant at 4.7 per cent in 2020-21. This is due to supply management response by the Government through the Public Distribution System (PDS) system which resulted in easing the food prices. In current Financial Year, 2021-22, during (April-December), CPI-R index was 6.1 per cent as compared to the corresponding period in 2020-21. This was mainly driven by the rural demands. (Figure-6.1)

6.1.4 Consumer Price Index-Urban (CPI-U) Inflation

CPI-U was 4.1 per cent in 2016-17 and increased to 7.1 per cent in 2020-21. In financial year 2021-22 from (April to December), this index was 5.2 per cent as compared to the same period in 2020-21 (Figure-6.1).

6.1.5 Components wise Consumer Price Index inflation (rural-urban) (April – December 2021)

Rural inflation is 6.1 per cent from April to December, 2021 as compared to urban inflation at 5.2 per cent. The large gap witnessed between rural and urban CPI inflation from 2017-18 to 2020-21 was largely on account of differential rates of fuel and light group. The gap, sustained up to 2021-22 (Table 6.1) is now increasing. The divergence observed at sub group level in rural and urban inflation, is not just in a single component but multiple components. Figure 6.3 shows the component-wise rural and urban inflations. It was observed that from April to December, 2021 the variability of rural inflation in three sub group"s i.e. food and beverage, clothing and footwear and miscellaneous groups, is high as compared to that of urban sub group inflation. Fuel and light group in urban sector show the highest inflation of 22.4 per cent as compared to 12.5 per cent in rural inflation.

Figure 6.3 Component-wise rural and urban inflation in 2021-22 (April to December)

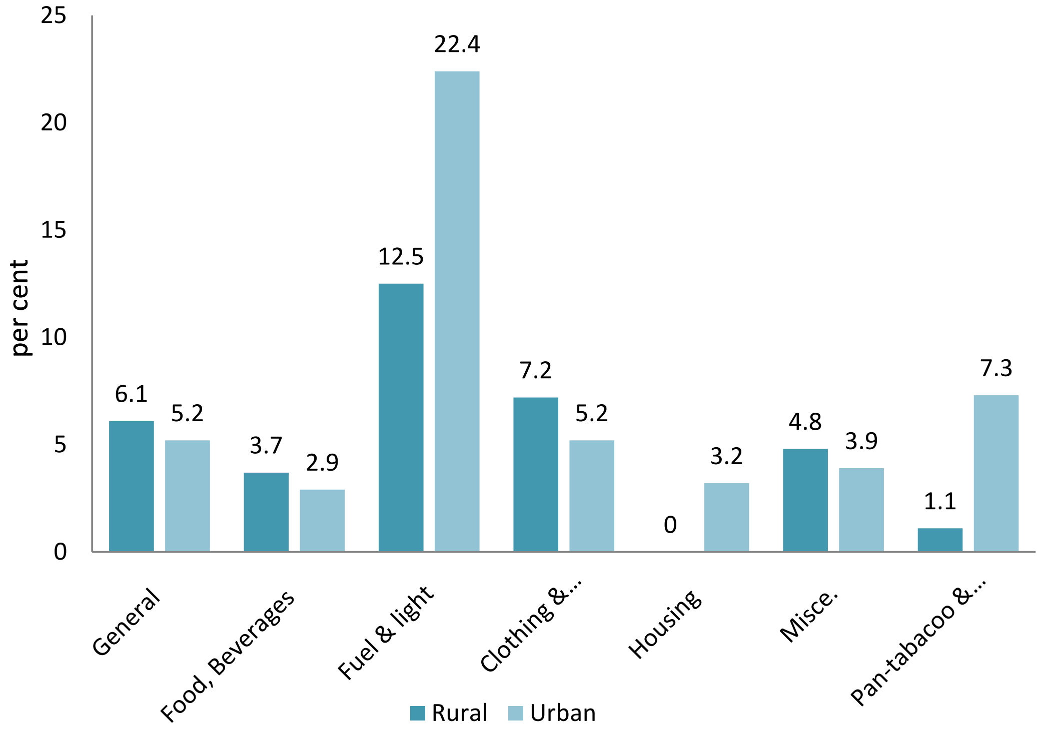

Source: Ministry of Statistics and Programme Implementations (MoSPI), Government of India

Figure 6.4 Contribution of groups to CPI-R inflation in 2020-21(April-December) to 2021-22 (April-December) in per cent

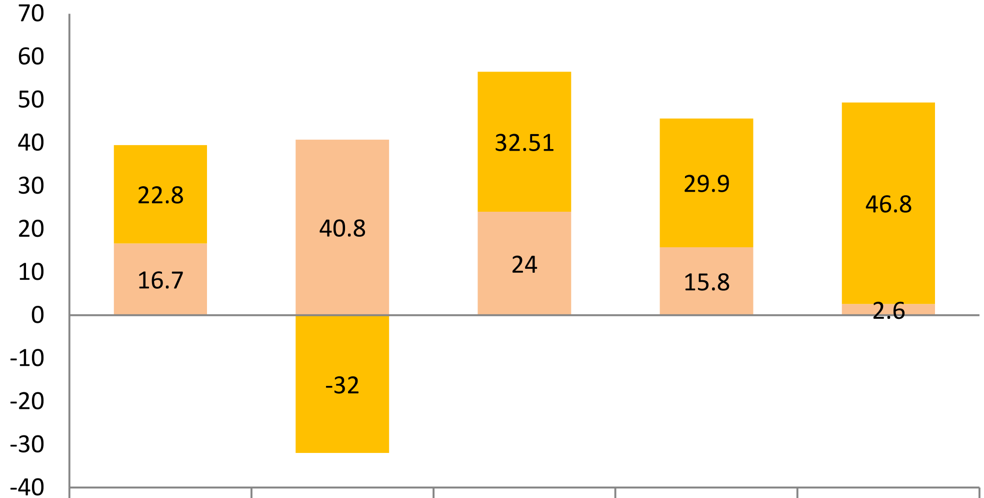

	food beverages	Fuel & light	clothing & Footwear	miscellaneous	Pan Tabacoo & Intoxicants
2020-21	22.8	-32	32.51	29.9	46.8
2021-22	16.7	40.8	24	15.8	2.6

Source: Ministry of Statistics and Programme Implementations (MoSPI), Government of India 2021-22 (Provisional)

6.1.6 Drivers and contributors to rural inflation

The major driver of rural inflation was fuel and light which was 40.84 per cent as compared to other components of total inflation in April to December, 2021-22. Clothing and footwear is the second largest contributor to the total inflation and its contribution is 24.0 per cent. Pan, tobacco and intoxicants component is the smallest contributor of 2.6 per cent (Figure-6.4)

6.1.7 Drivers and contributors to urban inflation

During 2021-22 (April to December) the major driver of urban inflation is fuel and light which contribute almost half of the total inflation 46.5 per cent. The second largest contributor in the urban inflation is the Pan, tobacco and intoxicants group which is 15 per cent though its contribution has decreased from 29.3 per cent to 15per cent in 2021-22. (Figure-6.5)

Figure 6.5 Contribution of groups to CPI-U inflation in 2020-21 (April-December) to 2021-22 (April-December) in per cent

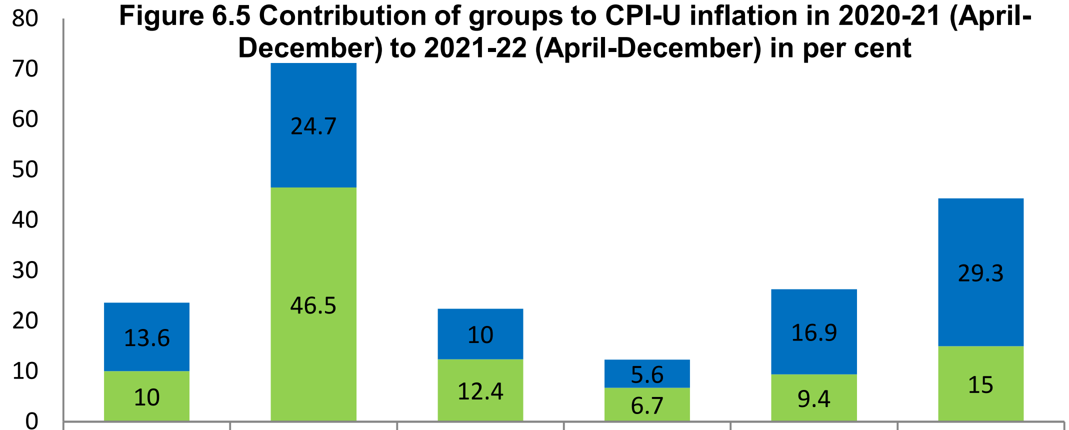

	food beverages	Fuel & light	clothing & Footwear	housing	miscellaneous	Pan Tabacoo & Intoxicants
2020-21	13.6	24.7	10	5.6	16.9	29.3
2021-22	10	46.5	12.4	6.7	9.4	15

Source: Ministry of Statistics and Programme Implementations (MoSPI), Government of India 2021-22 (Provisional)

6.1.8 Consumer Price Index Industrial Worker (CPI-IW)

CPI-IW is a price index released by the Labour Bureau to measure the impact of price rise on the cost of living for working-class families spread across certain selected industries. The base year has been revised from 2001 to 2016 in September 2020, CPI-IW The new series of CPI-IW covers the industrial workers from the existing seven sectors viz. Factories, mines, plantation, railways, public motor transport undertaking, electricity generating and distribution establishments and ports & docks. In Himachal Pradesh, the CPI-IW inflation was lower as compared to the National average during the month of December, 2021 as shown in Table 6.2, 6.3 and Figure 6.6.

Figure 6.6: Variability in Himachal Pradesh and All India Inflation of Industrial Worker 2021-22 (April-December) Base year 2016=100

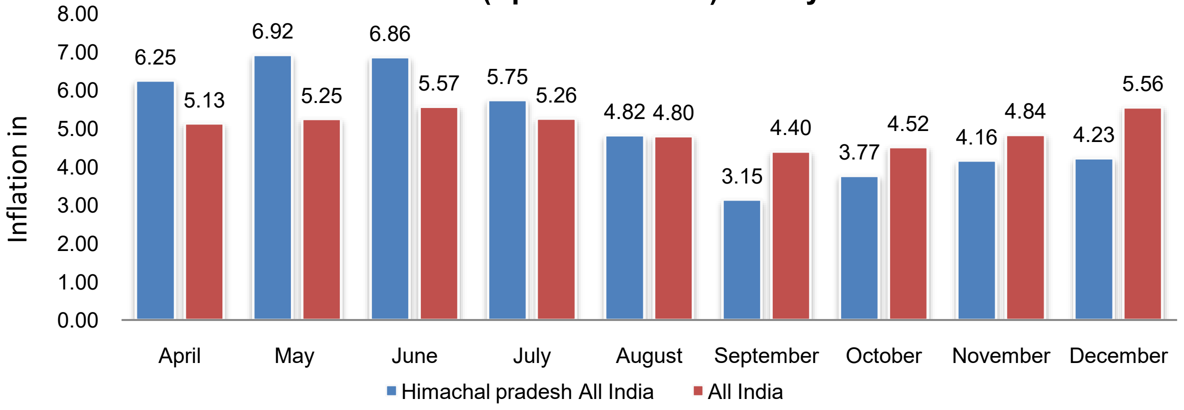

Source: Ministry of Labour and Employment, Government of India

Table 6.2: Consumer Price Index for Industrial Workers in H.P. (Base 2001 and 2016*)

Month	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	Percentage change over previous year
April	237	248	257	270	282	121.8	6.25
May	238	247	256	271	280	121.7	6.92
June	241	250	258	272	282	122.5	6.86
July	246	257	265	274	288	123.8	5.75
August	246	259	267	275	291	124.0	4.82
September	245	258	266	277	120.8*	124.6	3.15
October	248	258	267	280	122.1*	126.7	3.77
November	248	260	266	281	122.5*	127.6	4.16($)
December	246	259	265	283	120.6*	125.7	4.23($)
January	251	258	266	282	120.0*	..	..
February	252	256	266	280	120.5*	..	..
March	253	256	267	281	121.4*	..	..
Average	**246**	**256**	**264**	**277**	**118.9** ($)	**124.3($)**	**..**

Source: Ministry of Labour and Employment, Government of India
* Base Year =2016,
$ Provisional

Table 6.3: Consumer Price Index for Industrial Workers of All India (Base 2001 and 2016*)

Month	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	Percentage change over previous year
April	271	277	288	312	329	120.1	5.13
May	275	278	289	314	330	120.6	5.25
June	277	280	291	316	332	121.7	5.57
July	280	285	301	319	336	122.8	5.26
August	278	285	301	320	338	123.0	4.80
September	277	285	301	322	118.1*	123.3	4.40
October	278	287	302	325	119.5*	124.9	4.52
November	277	288	302	328	119.9*	125.7	4.84($)
December	275	286	301	330	118.8*	125.4	5.56($)
January	274	288	307	330	118.2*	..	..
February	274	287	307	328	119.0*	..	..
March	275	287	309	326	119.6*	..	..
Average	**276**	**284**	**300**	**323**	**117.6($)**	**123.1($)**	**..**

Source: Ministry of Labour and Employment, Government of India
* Base Year =2016,
$ Provisional

6.1.9 Wholesale Price Index (WPI)

Wholesale Price Index (WPI) measures and tracks the changes in the price of goods before they reach consumers – the goods that are sold in bulk and traded between businesses rather than between consumers. It is called the Business to

Business (B2B) price variation. The WPI is one indicator of a country's level of inflation. While WPI inflation has been higher in the current financial year compared to the previous year in all the three major groups, it was above 20 per cent in „fuel and power" group reflecting the higher international petroleum prices as mentioned (Table 6.4). Within the primary articles group, „Crude Petroleum and Natural Gas" sub-group has witnessed very high inflation and stood at 55.7 per cent in December 2021. Similarly, mineral component has also witnessed high inflation throughout the year. Impact of rising international prices in WPI manufacturing was clearly visible, especially in food products. Within the manufacturing food products, edible oils were a major contributor to inflation. During 2021-22 (April to December), edible oils inflation in WPI was 36.4 per cent. The high import dependency on edible oils has meant that high international prices in these products are also reflected in the domestic prices.

Consequent to the impact of the COVID-19 pandemic, production activity remained muted in 2020-21 and global crude oil prices reached record lows due to less demand. Therefore, the WPI based inflation rate touched a low of 1.3 per cent in 2020-21. With the economic activity picking up in 2021-22 and edging up of high global crude oil prices, the low base of 2020-21 led to WPI inflation reaching a peak of 14.2 per cent in November, 2021 and 12.5 per cent during April to December 2021-22 (as against 0.04 per cent April to December, 2020-21). Therefore, the high WPI based inflation rate in 2021, is largely attributable to the low base of the previous year. On the other hand, retail inflation that had remained high during 2020-21 due to the supply chain disruptions and high food inflation and remain moderated in 2021-22 on the account of effective supply side management, resulting in a divergence between WPI and CPI based inflation.

6.1.10 Monthly Wholesale Price Index (WPI):

The Wholesale Price Index, at National level during December 2020 was 125.4 which increased to 142.4 in December, 2021 showing an inflation rate of 13.6 per cent. The month-wise average WPI for the year 2021-22 is given in Table 6.4

Figure-6.7 shows the monthly WPI inflation comparison between (April to December) 2021-22 and (April to December) 2017-18. The WPI inflation stayed between the ranges of 0.9 to 4.0 per cent from April to December 2017. The WPI inflation increased from 10.7 to 14.2 per cent during April to December 2021. This is a sizeable increase in WPI inflation and indicates that the retail prices will remain high throughout India in the coming months.

Figure 6.7: Monthly WPI inflation comparison between (April to December) 2021 and (April to December) 2017

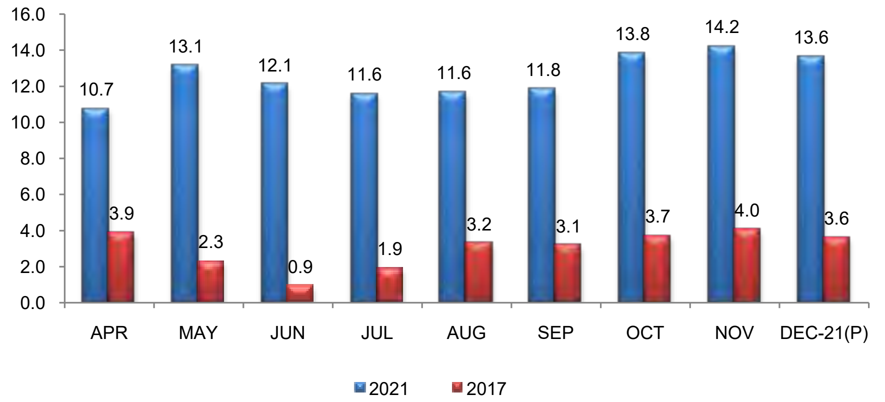

Source: O/O Economic Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India (DPIIT)

Table 6.4: Inflation in selected group of WPI Base 2011-12(in per cent)

	Weight	2019-20	2020-21	2020-21*	2021-22#	April-21	May-21	June-21	July-21	August-21	September-21	October-21	November-21 (P)	Decemebr-21 (P)
All Commodities	100	1.7	1.3	0.0	12.5	10.7	13.1	12.1	11.6	11.6	11.8	13.8	14.2	13.6
Primary Articles	22.6	6.8	1.7	1.3	8.6	9.9	9.4	8.6	6.3	5.9	6.0	7.4	10.3	13.4
Food Articles	15.3	8.4	3.2	4.0	2.5	4.6	4.2	3.3	0.1	-0.8	-2.6	1.0	4.9	9.6
Cereals	2.8	7.5	-2.6	-1.4	0.1	-3.1	-2.6	-2.8	-2.9	-1.1	1.3	3.2	4.0	5.1
Pulses	0.6	15.9	11.6	12.1	8.1	10.7	12.1	11.6	8.4	9.5	9.3	5.0	2.9	3.9
Vegetables	1.9	31.1	3.4	7.6	-6.6	-9.0	-7.2	-0.8	-8.3	-12.6	-32.3	-17.4	3.9	31.6
Non-Food Articles	4.1	4.6	1.3	-0.4	20.4	15.6	18.4	18.6	22.9	28.7	29.5	18.4	13.8	19.0
Minerals	0.8	13.2	6.8	3.5	15.3	20.6	13.3	15.3	12.6	7.2	30.8	16.6	20.9	3.8
Crude Petroleum and Natural Gas	2.4	-7.6	-17.4	-25.2	57.9	80.8	59.5	47.0	42.3	34.5	49.0	86.4	76.6	55.7
Fuel and Power	13.2	-1.8	-8.0	-11.6	31.4	21.3	36.7	29.3	27.0	28.2	29.5	38.6	39.8	32.3
Manufactured Products	64.2	0.3	2.8	1.5	11.3	9.4	11.3	11.0	11.5	11.6	11.6	12.9	11.9	10.6
Food Products	9.1	4.1	5.6	5.0	12.5	13.1	15.6	13.3	13.1	12.7	12.9	12.8	10.3	8.7
Edible oils	2.6	1.5	20.3	17.5	36.4	44.5	51.9	43.6	42.7	40.7	37.4	33.2	23.2	16.8
Food Index	24.4	6.9	4.0	4.3	5.9	7.5	8.2	6.7	4.5	3.8	2.6	4.3	6.7	9.2
Non-Food manufactured Products(Core)	55.1	-0.4	2.2	0.8	11.1	8.7	10.4	10.5	11.1	11.3	11.3	12.9	12.3	11.0

Source: O/O Economic Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India (DPIIT)

P: Provisional

April to December, 2021-22

* April to December, 2020-21

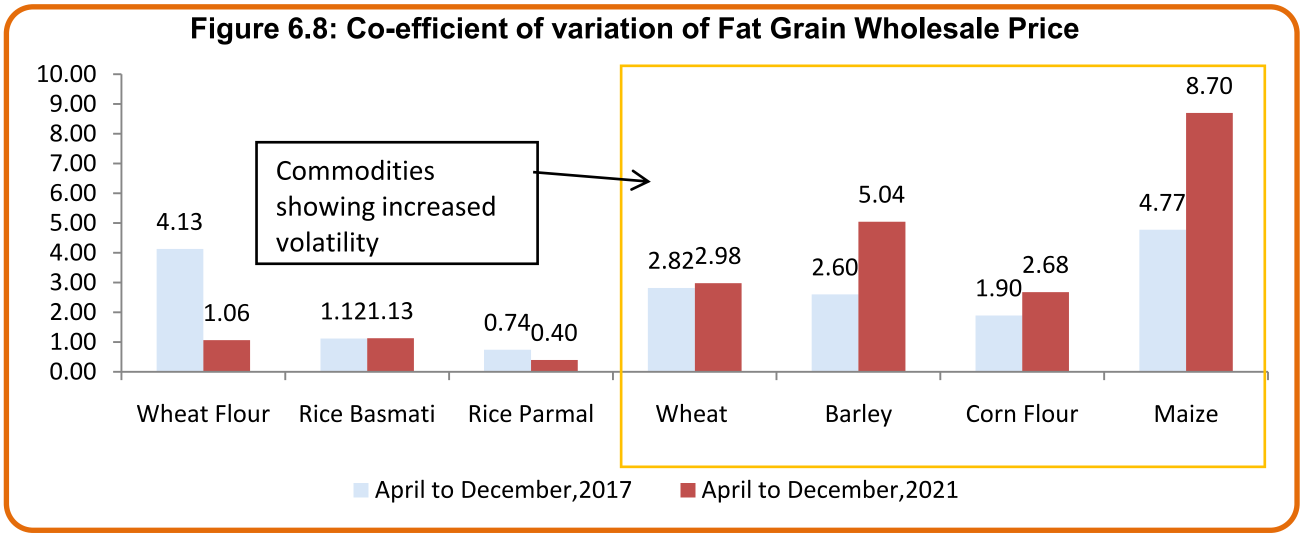

Source: Department of Economic and Statistics, Government of Himachal Pradesh

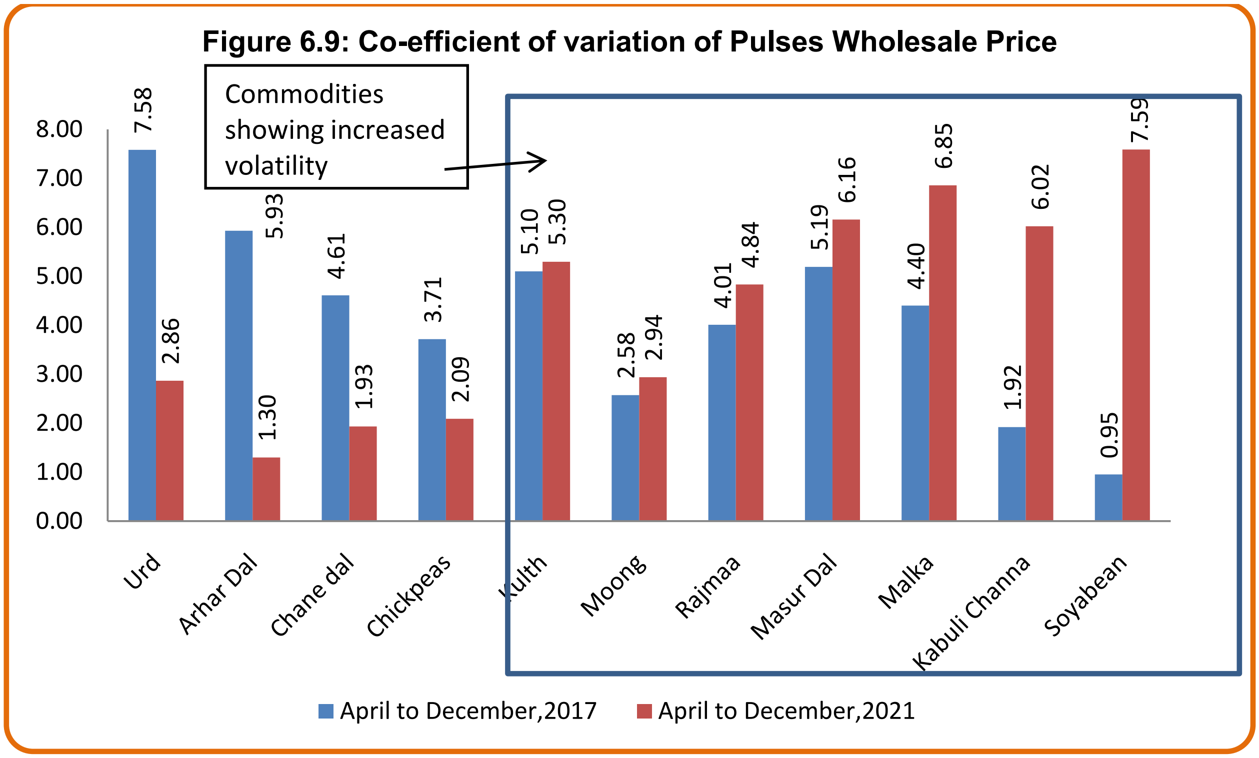

Source: Department of Economic and Statistics, Government of Himachal Pradesh

6.1.11 Drivers of WPI Inflation

There can be many reasons that could have contributed to the volatility in inflation in the emerging market economies such as the adoption of more resilient monetary and Fiscal Policy framework, structural reforms of labour and product markets that strengthen competition, and adoption of Monetary Policy framework for targeting

inflation. Twenty-four emerging markets and developing economies have been witnessing moderation in inflation since 2014 backed by low food inflation. During the current financial year, however, inflation trends have been different for fuel, power and non-food manufactured products. Food inflation has been on an upward trend, mainly backed by rising vegetables and pulses prices while inflation in non-food has decreasing trend from 2019-20 to 2020-21 but after May, 2021 onwards a sharp increase has been noticed due to restart of industrial activities (Table 6.4).

6.1.12 Monthly Wholesale Price

Department of Economic and Statistics collects, compiles and analyses the data on 104 commodities through a network of District Statistical Offices. The prices are collected every first Friday of the month from the selected shops in the district. After scrutiny at headquarters, these prices are made available to the stakeholder. Figures 6.8, 6.9 and 6.10, show the volatility between April to December 2017 and April to December, 2021 in these commodities.

(Figure 6.8) The fat grain wholesale prices co-efficient of variation in 2017 (April to December), and 2021(April to December) are analyzed by the statistical tools of co-efficient of variation and it is found that the commodities of maize, barley, corn flour and wheat are highly volatile during 2021-22.

As is apparent from Figure 6.9, the pulses wholesale prices co-efficient of variation in 2017 (April to December), and 2021(April to December) are calculated and the commodities like soyabean, kabuli channa, malka, masur dal, rajmaa, moong and kulth are found to be more volatile.

(Figure 6.10) The vegetable wholesale prices co-efficient of variation of methi, green coriander, cauliflower, tomato, capsicum, petha, cucumber, tinda, pea, spinach and ginger remain volatile from April to December 2021.

Figure 6.10: Co-efficient of variation of Vegetables Wholesale Price

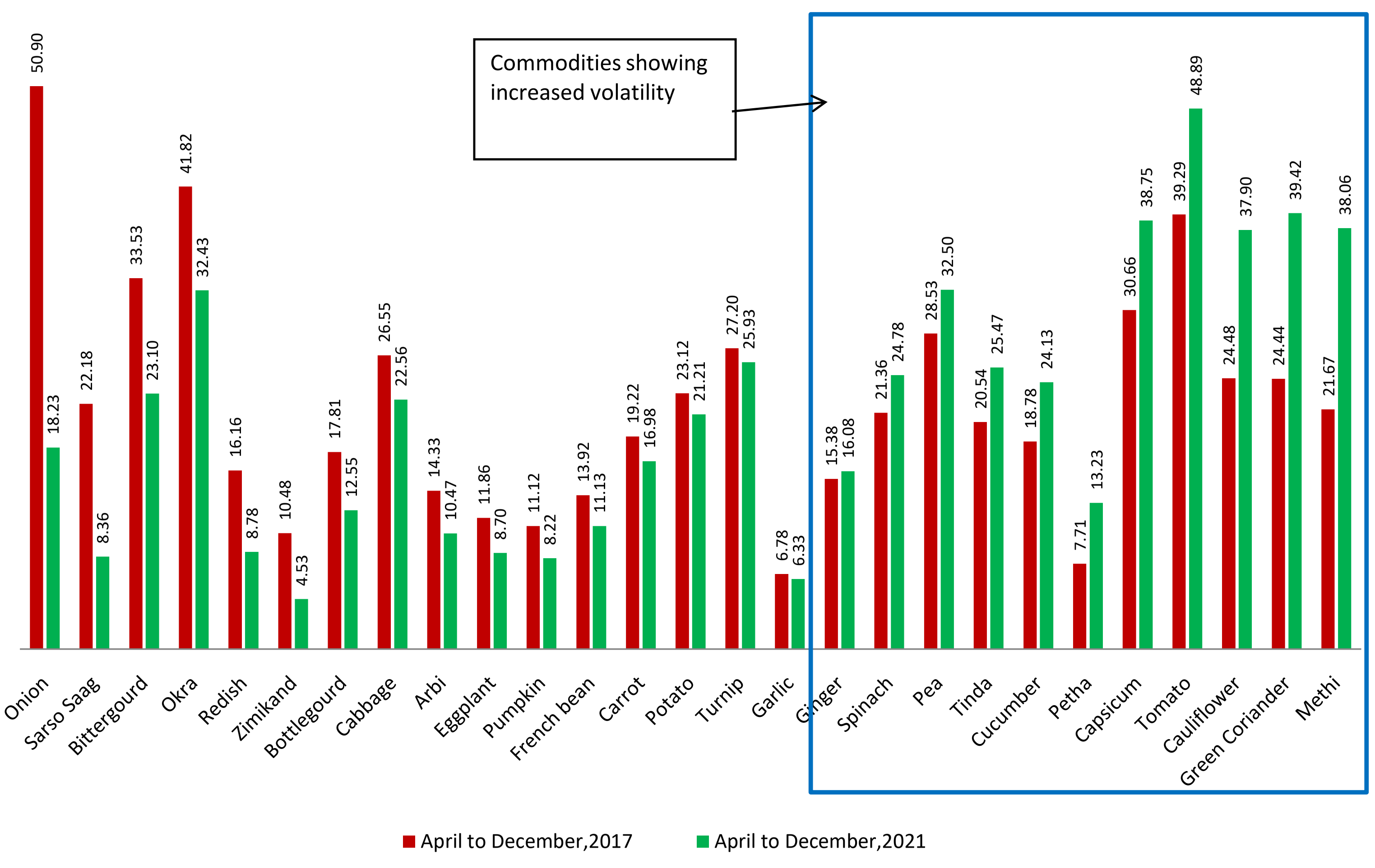

Source: Department of Economic and Statistics, Government of Himachal Pradesh

6.1.13 Weekly Retail Price

The Department of Economic and Statistics collects, compiles and analyses data on essential commodities through a network of District Statistical Offices. Weekly prices are collected every Friday from specified shops in the district and after scrutiny, are uploaded to the website www.weeklyprices.hp.gov.in. These weekly prices are compiled, analysed and a report is sent to the Director, Food Supplies and Consumer Affairs Department and to the Government of H.P. (Volatility in essential commodities Figure 6.11)

6.1.14 Volatility in Essential Commodity Prices

An escalation in the retail price was also witnessed after the COVID-19 restrictions, possibly due to labour shortage. Price volatility was analysed for various essential commodities over two time periods April to December of 2017 and 2021. Co-efficient of variation, a measure of spread of data about the mean, has been used as a measure of volatility. The prices of urd dal, gur, wheat kalyan, sugar packet, wheat atta and rice parmal remained stable since April 2017 due to adequate supply arising out of adequate domestic production and also due to maintenance of adequate buffer stock of rice and wheat for meeting the food security requirements. There was a significant rise in volatility for cement, kerosene oil, ground nut oil, vanspati ghee, rice parmal, sugar, mustard oil and tea brooke bond during April-December of 2017 and 2021.

Figure 6.11: Co-efficient of variation of 16 retail essential commodities

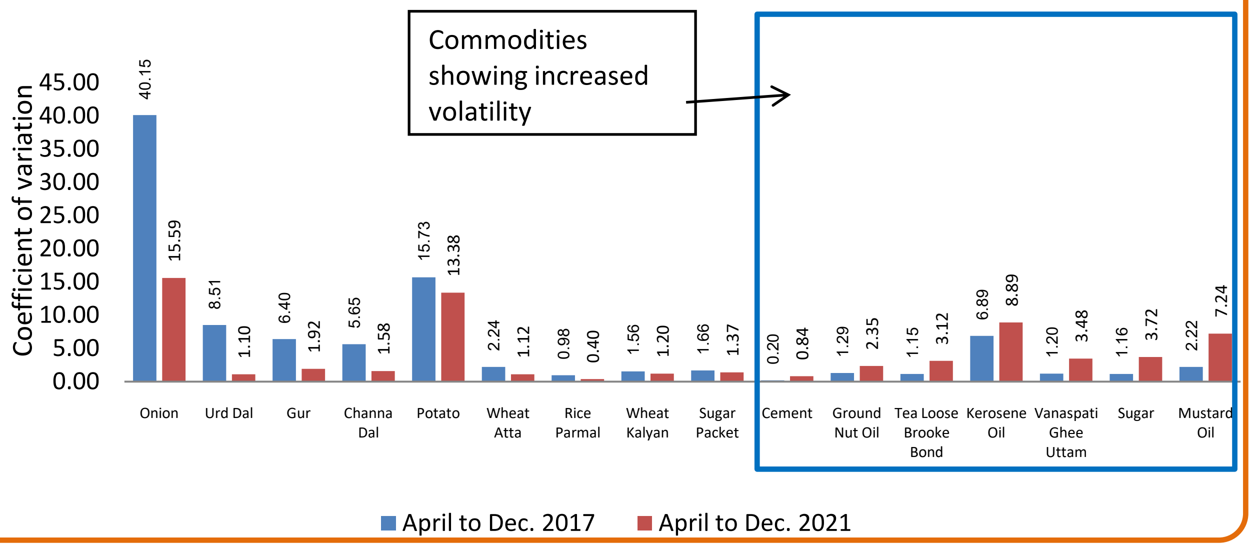

Source: Department of Economic and Statistics, Government of Himachal Pradesh

6.2 Food Security and Civil Supplies

One of the main constituents of the Government strategy for poverty alleviation is Targeted Public Distribution System (TPDS) which ensures availability of essential commodities like Wheat, Wheat Atta, Rice, Sugar etc. through a network of 5,043 Fair Price Shops. The total families for distribution of essential items have been divided into two categories viz.

i. **National Food Security Act, 2013 (NFSA-2013)**

- Antyodaya Anna Yojana (AAY)
- Priority Households

ii. **Other than NFSA (Above Poverty Line (APL)**

In the State, the TPDS has 19,30,866 ration cards and covering 73,89,337 cards population from digitized record. These card holders are provided with essential commodities through 5,043 Fair Price Shops that include 3,275 Cooperative Societies, 15 Panchayats, 59 Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation (HPSCSC), 1,673 Individual and 1 Self Help Group and 20 Mahila Mandals. Distribution of essential commodities during the year 2021-22 is (upto December, 2021) shown in Table 6.6.

Table 6.6: Distribution of Essential commodities

Sl. No.	Name of Commodity	Unit	Distribution of items (Including Backlogs)
1	2	3	4
1.	Wheat/Atta APL	M.T.	**1,16,907**
2.	Rice APL	M.T.	**58,171**
3.	Wheat /Atta BPL/ PHH/AAY /NFSA	M.T.	**1,01,856**
4.	Rice BPL/PHH/AAY/NFSA	M.T.	**79,023**
5.	Rice Annapurna	M.T.	**1**
6.	Sugar	M.T.	**31,183**
7.	Pulses	M.T.	**33,324**
8.	Iodized Salt	M.T.	**8,534**
9.	Mustard Oil	K.L.	**22,863**
10.	Refined Oil	K.L.	**4,994**

Presently, following food items are being distributed under Himachal Pradesh State Specially Subsidized Scheme TPDS and which is as per Table 6.7

Table 6.7: Distribution of food under State Specially Subsidized Scheme TPDS

Scale and Rates of distribution of Commodity Per ration card/Per family/Per Person/Per month

The Government of Himachal Pradesh has launched a Specially Subsidized State scheme to all ration card holders w.e.f. 1.4.2007, which has been modified from time to time. The consumers have been given choice to opt for three pulses out of four pulses.

S. No.	Commodity	Unit	NFSA Rate @ in ₹	Other then NFSA (APL) Rate@ in ₹	APL Tax Payer Rate@ in ₹	Scale
1	Dal Channa	Per kg	37	47	70	3 kg. per family per month for all ration card holders
2	Dal Urd Sabut	Per kg	55	65	89	
3	Moong Sabut	Per kg	54	64	88	
4	Dal Malka	Per kg	64	74	98	
5	Edible Oil	Per Ltr	151	156	175	1 ltr. per ration card having 1and 2 members and 2 ltrs. having 3 and above family members per month.
6	Edible Oil (fortified refined oil)	Per Ltr	135	140	157	
7	Double Fortified Salt	Per kg	8	8	16	1kg. per family per month for all ration card holders
8	Sugar	Per kg	13	30	43	500 grams per member per month Note: In case of AAY families having 1 member and 2 members, 1 Kg. Sugar will be provided per month and for more than 2 members, 500 gram additional sugar will be provided to each AAY family member @ ₹13 per Kg.
9	**Other than NFSA**					
APL and APL Tax Payers			11-13 kg. Fortified. W/Atta @ ₹9.30 per kg, 3 kg. Wheat @ ₹7.60 per Kg. and 5-6 Kg. Rice @ ₹10 per Kg. Per family per month.			

Note:- The APL consumers of the Tribal Areas of the State are being provided 20 Kg. Wheat/F. Wheat Atta and 15 Kg. Rice per family per month w.e.f. September, 2014

10	**NFSA**	
(i)	For AAY ration card holder	18.800 kg. Fortified Wheat Atta @ ₹3.20 per kg / 20 kg. Wheat @ ₹2.00 per Kg. and 15 Kg. Rice @ ₹3 per kg. per family per month
(ii)	For Priority Households (PHh)	2.8 kg. Fortified Wheat Atta @ ₹3.20 per kg, Wheat @ ₹2.00 per kg and 2 Kg. Rice @ ₹3 per kg. per member per month. The PHh families having 1,2,3 member are also provided additional food grains (Wheat and Rice) From OTNFSA allocated of the State at OTNFSA (APL) rates to make their entitlement 10,15,20 Kg. Per card respectively
	BPL (In addition to NFSA entitlement at BPL rates)	see below
	For Annapurna Card holder	10 kg. Rice free of cost

BPL (In addition to NFSA entitlement at BPL rates)

Wheat/ Fortified Wheat Atta	₹5.25 / ₹ 7 per Kg			As mentioned below:-		
Rice	₹6.85 per Kg.					
Scheme	1 BPL family member (FM)	2 BPL FM	3 BPL FM	4 BPL FM	5 BPL FM	6 BPL FM
Wheat/ Wheat Atta	17 kg.	14 kg.	11 kg.	8 kg.	5kg.	2 kg.
Rice	13 Kg.	11 Kg.	9 Kg.	7 Kg.	5 Kg.	3 Kg.

6.2.1 Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation (HPSCSC)

The Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation is a "Central Procurement Agency" for all controlled and non- controlled essential commodities in the state and procuring and distributing food grains and other essential commodities under the TPDS and NFSA. During the current financial year, upto December, 2021 the Corporation procured and distributed various commodities under TPDS to the tune of ₹1,442.12 crore as compared to ₹1,221.38 crore during the corresponding period of last year.

Presently, the Corporation is also providing other essential items like LPG, Diesel/ Petrol/ Kerosene Oil and lifesaving drugs/ medicines at reasonable rates to the consumers of the State through its 117 wholesale godowns, 59 retail shops, 54 LPG agencies, 4 petrol pumps and 36 medicine shops. In addition to this, the procurement and distribution of non- controlled commodities like sugar, pulses, rice, atta, detergents, tea leaves, exercise note books, cement, CGI sheets, medicines, furniture. Items under supplementary nutritional programme, MGNREGA cement and petroleum products etc. through wholesale godowns and retail shops of the Corporation which certainly has played an important role in stabilising prices of these commodities prevailing in the open market. During the current financial year, upto December, 2021 the Corporation procured and distributed various commodities under the scheme to the tune of ₹746.00 crore as compared to ₹687.81 crore during corresponding period of last year.

The Corporation is arranging the supplies of rice and other supplementary items under the mid-day-meal scheme to primary and upper primary schools as per the allocation made by the concerned Deputy Commissioner. During 2021-22 (upto December, 2021) the Corporation arranged the distribution of 10,724.42 metric tonne (MT) rice as compared to 10,054.32 MT during the corresponding period of last year under this scheme. The Corporation is also arranging the supplies of specially subsidized items (pulses of various kinds, fortified mustard and refined oil and iodised salt) under the State Sponsored Scheme as per the decisions of the purchase committee constituted by the Government. During 2021-22, (up to December, 2021) the Corporation has distributed these commodities under the said scheme to the tune of ₹655.80 crore as compared to ₹513.31 crore during corresponding period of last year to the ration card holders as per the scale fixed by the State Government. During the year 2021-22 for the implementation of this scheme, a budget provision of ₹220 crore has been made as State subsidy. During the year 2021-22 the corporation is likely to achieve a total turnover of over ₹1,550 crore as compared to ₹1,500 crore during the year 2020-21.

6.2.2 Government Supplies

HPSCSC is managing the procurement and supplies of ayurvedic medicines to Government hospitals, cement to Government Departments/ Boards/ Corporations and other Government institutions and galvanized iron (GI)/ductile iron (DI)/cast iron (CI) pipes to Jal Shakti Department, school uniform to Education Department of Government of Himachal Pradesh. During the current financial year, 2021-22 the tentative position of Government supply remain as under:

Items	₹ in crore
1. Supply of Ayurvedic Medicines to Government hospitals	**8.17**
2. Supply of Cement to Government Departments/Boards/ Corporations	**64.56**
3. Supply of School Uniform	**56.10**
4. GI/DI/CI pipes to Jal Shakti Department	**382.35**
5. **Total**	**511.18**

6.2.3 MNREGA Cement Supplies

During 2021-22, (upto December), the Corporation managed the procurement and distribution of 64,10,960 bags cement amounting to ₹163.01 crore to various panchayats for developmental work in the State.

6.2.4 Food Security in Tribal and inaccessible Areas of the State

The Corporation is committed to provide all essential commodities, petroleum products including kerosene oil and Liquefied Petroleum Gas (LPG) in tribal and inaccessible areas, where private traders do not venture to undertake these operations due to economic non-viability of the trade. During the current financial year, 2021-22 the supplies of essential items and Petroleum products to tribal and snow bound area were arranged as per the tribal Action Plan of the Government.

6.2.5 Dividend

The Corporation is earning profit since its inception i.e. 1980. During 2020-21 a net profit of ₹1.11 crore was earned and a sum of ₹35.15 lakh was proposed to be paid as dividend to the Government of Himachal Pradesh.

6.2.6 Implementation of National Food Security Act, 2013 (NFSA-2013)

Under the task and responsibilities assigned by the Government of India to States for implementation of NFSA-2013, the HPSCSC is playing major role in implementing the scheme through timely procurement, storage and supply of allocated food grains through its 117 wholesale centres to Fair Price Shops for further distribution among the beneficiaries of the State. During 2021-22 (up to December, 2021), 62,472 MT rice and 364 MT wheat at the rate of ₹3.00 and ₹2.00 per kg per month have been distributed to the identified beneficiaries. In addition to above, in the absence of separate Warehouse Corporation of the State Government, the HPSCSC is managing storage capacity itself, through 22,945 MT owned and 37,111 MT hired godowns in the State. In view of successful implementation of the NFSA, 2013 additional storage capacity is being created and efforts are being made for construction of godowns. Seven godowns capacity of 550 MT at Nerwa, District Shimla, 1000 MT at Siddhpur Sarkari District Kangra, 300 MT at Rajgarh, District Sirmaur, 500 MT Bilaspur (first phase), 907.47 MT at Chamba, 500 MT at Chetru District Kangra, and 500 MT at Sandhol District Kangra is complete and possession has been taken over from the executing agency. The construction work at Bilaspur (second phase), and Thunag is in progress and Khandaghat, Paonta Sahib and Kala Amb will soon be started. Hence, approximately 5,000 MT own storage capacity will be available soon for the storage of various items.

Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Allied Sectors

7
Chapter

7.1 Introduction

Agriculture and allied sectors hold a significant position in any development process with its role in engaging and employing people, providing food and ensuring food security and raw materials. Agriculture is a pivotal sector for the economy to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) of no poverty, zero hunger, and good health and well-being.

Crops, livestock, fishing, and forestry contributed 13.31 per cent to State‟s Gross State Value Added (GSVA) in 2020-21 (constant prices). The share has been falling steadily over the years. The agricultural sector in Himachal has undergone significant structural changes in the form of decline in share of Gross State Domestic Product (GSDP) indicating a shift from the agrarian economy. Agricultural performance is subject to year to year fluctuations due to vagaries of nature as well as price volatility.

At the State level, the share of crops, livestock, forestry, and fishing sector in Gross Value Added (GVA) has shown decline over the years from 15.89 per cent in 2015-16 to 13.31 per cent in 2020-21. The share of crops in GVA declined from 8.99 per cent in 2015-16 to 7.85 per cent in 2020-21. The growth rate of agriculture and allied sectors has been fluctuating as seen in Figure 7.1. However, the importance of agriculture for the livelihood of the rural population and food security of large masses is significant in the economy.

Figure-7.1: Percentage change in GVA in agriculture and allied sectors

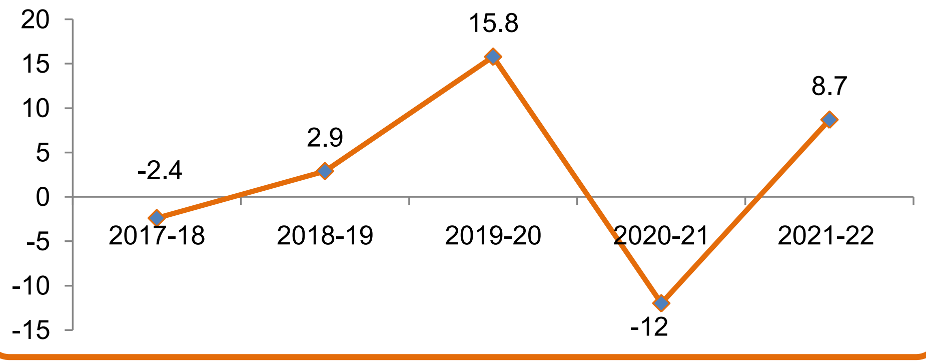

Out of the total geographical area of Himachal (55.67 lakh hectare), the area of operational holdings is about 9.44 lakh hectares and is operated by 9.97 lakh farmers with an average holding size of 0.95 hectare. Distribution of land holdings according to 2015-16 Agricultural Census shows that 88.86 per cent of the total holdings belong to

small and marginal farmers. About 10.84 per cent of holdings are owned by semi medium and medium farmers and only 0.30 per cent by large farmers. The distribution of land holdings in Himachal Pradesh has been depicted in Table-7.1.

Table 7.1: Distribution of Land Holdings

Size of Holdings (Hectare)	Category (Farmers)	No. of Holdings (lakh)	Area (lakh Hectare)	Average size of Holding (Hectare)
Below 1.0	Marginal	7.12 (71.41%)	2.86 (30.30%)	0.40
1.0-2.0	Small	1.74 (17.45%)	2.42 (25.63%)	1.39
2.0-4.0	Semi Medium	0.82 (8.23%)	2.23 (23.62%)	2.72
4.0-10.0	Medium	0.26 (2.61%)	1.46 (15.47%)	5.62
10.0-Above	Large	0.03 (0.30%)	0.47 (4.98%)	15.67
	Total	**9.97**	**9.44**	**0.95**

About 80 per cent of the total cultivated area in the State is rainfed. Rice, Wheat and Maize are important cereal crops of the State. Groundnut, Soyabean Sunflower, Rapeseed / Mustard, Urd, Bean, Moong and Rajmash are Kharif and on the other hand Toria, Gram and Lentil are the Rabi season‟s important crops. Agro-climatically, the State can be divided into four zones viz.:

- Sub-Tropical, sub-mountain and low hills.
- Sub- Temperate, Sub humid mid hills.
- Wet -Temperate high hills.
- Dry Temperate high hills and cold deserts.

The Agro-climatic conditions in the State are congenial for the production of cash crops like seed potato, off-season vegetables and ginger. The State Government is laying emphasis on production of off-season vegetables, potato, ginger, pulses and oilseeds besides increasing production of cereal crops, through timely and adequate supply of inputs, demonstration and effective dissemination of improved farm technology, replacement of old variety seed, promoting integrated pest management, bringing more area under efficient use of water resources and implementation of wasteland development projects. There are four distinct seasons with respect to rainfall. Almost half of the precipitation is received during the Monsoon season and rest is distributed among other seasons. The State receives an average rainfall of 1,251milimeter. Kangra district gets the highest rainfall followed by Chamba, Sirmaur and Mandi.

7.1.1 Monsoon Season 2021

The performance of agriculture is closely related to the pattern of monsoon. As per report from Indian Metrological Department (IMD), during the monsoon season of 2021 (June-September), in Himachal Pradesh the rainfall received was "Excess" in district Kullu, "Normal" in districts Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Kinnaur, Mandi, Shimla, Sirmour, Solan, Una, "Deficient" in district Chamba, and "Scanty" in Lahul/Spiti. For Himachal as a whole, the total rainfall during the entire monsoon season was 10 per cent below the annual normal rainfall. Table 7.2 and 7.3 give southwest monsoon rainfall data in various districts.

Table 7.2: Monsoon Season Rainfall (June- September, 2021)

District	Actual (mm)	Normal (mm)	Excess or Deficient	
			(mm)	%age
Bilaspur	881	874	7	1
Chamba	589	1052	(-)463	(-)44
Hamirpur	993	1019	(-)26	(-)3
Kangra	1468	1596	(-)128	(-)8
Kinnaur	236	252	(-)16	(-)6
Kullu	708	504	204	40
Lahaul/Spiti	123	395	(-)272	(-)69
Mandi	1174	1062	(-)112	(-)11
Shimla	699	644	(-)55	(-)9
Sirmaur	1161	1350	(-)189	(-)14
Solan	875	983	(-)109	(-)11
Una	709	820	(-)111	(-)14
Average	**686**	**764**	**(-)77**	**(-)10**

Table 7.3: Post Monsoon Season Rainfall Datafor the period from (October-December, 2021)

District	Actual (mm)	Normal (mm)	Excess or Deficient	
			(mm)	%age
Bilaspur	60	65	(-)5	(-)7
Chamba	85	132	(-)47	(-)36
Hamirpur	43	69	(-)26	(-)37
Kangra	82	85	(-)3	(-)4
Kinnaur	96	75	21	28
Kullu	114	89	25	28
Lahaul /Spiti	84	114	(-)30	(-)26
Mandi	42	64	(-)22	(-)34
Shimla	63	79	(-)16	(-)20
Sirmaur	56	64	(-)8	(-)12
Solan	66	70	(-)4	(-)5
Una	68	53	15	(-)29
Average	**76**	**93**	**(-)17**	**(-)18**

Note: Normal = -19% to +19%,
Excess = 20% and above,
Deficient = -20% to –59%,
Scanty = -60% to –99%.

7.1.2 Crop Performance 2020-21

The economy of Himachal Pradesh is largely dependent on agriculture and any fluctuation in the production of foodgrains affects the economy significantly. The year 2020-21 remained an average year and against the production target of 9.21 lakh Mitric Tonne (MT) for Kharif, 2020 season, the total production of 8.89 lakh MT is estimated to be achieved. As per reports of IMD, during Dec 2020, Jan, Feb and Mar 2021, the departure of rainfall was to the extent of 22 per cent, 57 per cent, 81 per cent, 62 per cent respectively, which was deficient resulting into dry spell in the state and as such, the Rabi crops, mainly Wheat and Barley, were badly affected during the growth period therefore low production in Rabi season is to be expected. Total production is estimated to be 6.39 lakh MT. The foodgrains production was 15.28 lakh MT in 2020-21 as against the food grain production of 15.94 lakh MT in the year 2019-20. The production of Potato was 1.96 lakh MT in 2020-21as against 1.97 lakh MT in 2019-20. The production of vegetables during the year 2020-21 was 18.67 lakh MT as against 18.61 lakh MT in 2019-20.

7.1.3 Crop Prospects 2021-22

The target of foodgrains production for 2021-22 is 16.35 lakh MT which includes 9.21 lakh tonne for Kharif, 2021 season and 7.54 lakh tonne during Rabi, 2021-22 seasons. Kharif production mainly depends upon the behaviour of south west monsoon because about 80 per cent of the total cultivated area is rainfed. The sowing of Kharif crops starts from the end of April and goes up to the mid of June. During this season, Maize and Paddy are the principal crops and other minor crops include Ragi, Millets and pulses. During this season, about 20 per cent of area is sown in the month of April-May whereas remaining area is sown in the month of June and July which is a peak Kharif sowing period. Due to normal rains in most parts of the state, the sowing was done on time and the overall crop condition was normal. However, during the month of Aug, 2021, there was heavy rainfall in some pockets of the state and standing Kharif crops, particularly Maize and Vegetables crops, were affected and therefore production is anticipated to be below target.

The sowing of Rabi Season normally starts in October and goes up to the first fortnight of December. During sowing season, normal rainfall occurred in the State. The per cent departure of rainfall in the months of October, November and December, 2021 was to the extent of 106 per cent, 95 per cent, and 60 per cent, respectively as per reports of IMD. If the rains are received during the month of Jan, 2022, the crop conditions will be normal. The crop wise production of foodgrains and commercial crops in Himachal Pradesh during last years is shown in Table 7.4.

Table 7.4: Foodgrains Production

(in '000 MT)

Crop	2018-19	2019-20	2020-21 (Estimated)	2021-22 (Tentative)
I.Foodgrains				
Rice	146.68	143.66	145.68	135.20
Maize	771.11	729.73	714.67	762.00
Ragi	1.82	2.06	2.65	2.40
Millets	4.12	4.77	5.46	4.50
Wheat	682.63	627.96	569.86	672.00
Barley	32.08	30.83	22.69	35.50
Gram	0.40	0.42	0.45	0.45
Pulses	53.60	54.80	66.96	63.00
Foodgrains	**1692.44**	**1594.23**	**1528.40**	**1675.35**
II.Commercial Crops				
Potato	186.80	196.71	196.30	196.50
Vegetables	1722.14	1860.67	1867.41	1850.00
Ginger (Green)	33.74	33.99	33.89	34.50

7.1.4 Growth in Foodgrains Production

There is limited scope of increasing production through expansion of cultivable land. Like rest of the country, Himachal too has almost reached a plateau in so far as cultivable land is concerned. Hence, emphasis has to be on increasing productivity levels besides diversification towards high value crops. Due to an increasing shift towards commercial crops, the area under food-grains production is gradually declining. In 1997-98, this area was 853.88 thousand hectares which has declined to 727.69 thousand hectares in 2020-21. The foodgrains area and production is reflected at Table 7.5

Table 7.5: Foodgrains Area and Production

Year	Area („000 Hect.)	Production („000 M.T.)	Productivity per Hectare (M.T.)
2016-17	752.88	1562.73	2.07
2017-18	748.72	1581.42	2.11
2018-19	732.62	1692.44	2.31
2019-20	735.04	1594.23	2.17
2020-21 (Estimated)	727.69	1528.40	2.10
2021-22 (Target)	763.25	1675.35	2.19

7.1.5 High Yielding Varieties Programme (H.Y.V.P)

To increase production of foodgrains, emphasis has been laid on distribution of seeds of high yielding varieties to the farmers. Area brought under high yielding varieties of principal crops viz. Maize, Paddy and Wheat for, 2018-19, 2019-20, 2020-21 and targeted for 2021-22 is given in table 7.6.

There are 20 Seed Multiplication Farms from where foundation seed is distributed to registered farmers. In addition, there are 3 Vegetable Development Stations, 12 Potato Development Stations and 1 Ginger Development Station in the State.

Table 7.6: Area Brought Under HighYieldingVarieties

(„000 Hectares)

Year	Maize	Paddy	Wheat
2017-18	280.81	71.61	342.68
2018-19	280.69	74.32	343.62
2019-20	205.00	62.00	330.00
2020-21	207.00	62.00	330.00
2021-22 (Target)	207.00	62.00	330.00

7.1.6 Plant Protection Programme

To increase the production of crops, adoption of plant protection measures is of paramount importance. During each season, campaigns are organised to fight the menace of crop disease, insects and pest etc. The scheduled castes/ scheduled tribes, farmers of backward areas and small and marginal farmers are provided plant protection chemicals and equipments at 50 per cent cost. Agriculture Department is making attempts to reduce consumption of plant protection chemicals by gradually switching to biological control of pests/diseases. Distribution of chemicals is shown in Table 7.7.

Table 7.7: Distribution of Chemicals

Year	Distribution of Chemicals(M.T.)
2017-18	103.54
2018-19	109.83
2019-20	84.25
2020-21	64.48
2021-22 (upto 31st December 2021)	77.73

7.1.7 Soil Testing Programme

To maintain fertility of the soil, soil samples are collected from the farmers‟ fields and analysed in the soil testing laboratories. Soil testing laboratories have been established in all the districts (except Lahaul and Spiti), and four mobile soil testing vans/labs out of which one, exclusively for the tribal areas, is in operation for testing soil samples at site. At present 11 soil testing labs have been strengthened,10 mobile labs and 47 mini labs have also been setup by the department.The Government of India has launched a new scheme based on which the sample of soil shall be drawn on Global Positioning System (GPS) basis. Soil testing service has also being included under Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011 in which the soil health cards are being made available to the farmers through online service within prescribed time limit.

7.1.8 Prakritik Kheti Khushal Kisan Yojana under Zero Budget Natural farming

The State Government has launched the "Prakritik Kheti Khushal Kisan Yojana" in the State. Government intends to encourage "Zero Budget Natural Farming", so as to bring down the cost of cultivation. The use of chemical fertilizers and chemical pesticides is being discouraged. The budget provided for pesticides/ insecticides to the department of Agriculture and Horticulture will be used for providing bio-pesticides and bio- insecticides. A budget provision of ₹20.87 crore has been kept for 2021-22.

7.1.9 Fertilizer Consumption and Subsidy

Fertilizer consumption in 1985-86 was 23,664 MT which has increased to 65,241MT in 2020-21. To promote balanced use of chemical fertilizers, a subsidy of ₹1,000 per MT on complex fertilizers has been allowed. Use of water-soluble fertilizers is promoted in a big way for which subsidy has been allowed to an extent of 25 per cent of cost and targeted consumption of fertilizer consumption for the year 2021-22 will be 56,500 MT.

7.1.10 Crop Insurance Scheme

The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) was launched in the State from Kharif, 2016 season. In this insurance scheme, Maize and Paddy crops have been covered during Kharif season and Wheat and Barley crop during Rabi season. The different stages of risk leading to crop loss due to delayed sowing, post harvest losses, localized calamities and losses to standing crops (from sowing to harvest) have been covered under this new scheme. From kharif 2020 onwards the scheme is now optional for both the loanee and non-loanee farmers. Under PMFBY, claims beyond 350 per

cent of premium collected or percentage of claims to sum insured exceeds 35 per cent whichever is higher at the national level, of all the companies combined and is paid by Center and State equally. Under PMFBY and Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS), a total of 1,76,510 farmers have been covered in Kharif 2020 and Rabi, 2020-21 seasons. A budget provision of ₹9.30 crore has been made for the year 2021-22 which is utilized for the payment of State share of premium subsidy.

7.1.11 Agriculture Marketing

For the regulation of agricultural produce in the State, Himachal Pradesh Agricultural/ Horticulture Produce Marketing Act, 2005 has been enforced and the Himachal Pradesh Marketing Board has been established. Himachal Pradesh has been divided into ten notified market areas to safeguard the interest of the farming community. The regulated markets established in different parts of the State provide useful services to the farmers. A modernised market complex at Solan is functional for marketing of agricultural produce, besides construction of market yards in different area. At present 10 market committees are functioning and 63 markets have been made functional. Market information is being disseminated through different media i.e. AIR, Doordarshan, print media and internet to farmers. 19 wholesale markets of states are connected through electronic-National Agriculture Market (e-NAM).

7.1.12 Tea Development

Total area under tea cultivation is 2,310.71 hectares with a production level of 11.45 lakh kilograms in 2020-21. Small and Marginal farmers are provided agriculture inputs on 50 per cent subsidy basis. Tea is mainly cultivated in district Kangra, Mandi and Chamba and at present there are 5,900 tea growers in the State.

7.1.13 Soil and Water Conservation

Two soil and water conservation schemes are being implemented under State sector. The schemes are:

- Soil Conservation Works.
- Water Conservation and Development.

Agriculture department has prepared a plan to harvest rain water by constructing tanks, ponds, check-dams and storage structures. Besides this, low lifting water devices and efficient irrigation system through sprinklers are also being popularized.

7.1.14 Mukhya Mantri Nutan Polyhouse Yojana

To achieve faster and more inclusive growth in agriculture sector, Government of Himachal Pradesh has started "Mukhya Mantri Nutan Polyhouse Yojana covering an area of 100 hectare in the State and 5,000 polyhouses are being constructed under this scheme. This scheme will be implemented in two phases. In first phase it will be implemented from 2020-21 to 2022-23 and 2,522 polyhouses will be constructed with an outlay of ₹78.57 crore. Under this project 85 per cent assistance for setting up of polyhouses is provided and this scheme a budget provision of ₹22.00 crore has been made for the year 2021-22.

7.1.15 Rashtriya Krishi Vikas Yojana -Remunerative Approaches for Agriculture and Allied sector Rejuvenation (RKVY-RAFTAAR)

RKVY-RAFTAAR was initiated in 2007 as an umbrella scheme for ensuring holistic development of agriculture and allied sector. The Projects worth ₹14.20 crore have been approved for the year 2021-22. The main objectives of the scheme are as under:

- To strengthen the farmer‟s efforts through creation of required pre- and post-harvest agri-infrastructure that increases access to quality inputs, storage, market facilities etc. and enable farmers to make informed choices.
- To provides flexibility and autonomy to States in the process of planning and executing Agriculture and Allied sector schemes.
- To promote value chain addition linked production models that will help farmers increase their income as well as encourage production/productivity.

- To mitigate risk of farmers with focus on additional income generation activities-like integrated farming, mushroom cultivation, bee keeping, aromatic plant cultivation, floriculture etc.
- To attend National priorities through several sub schemes.
- To empower youth through skill development, innovation and agri-entrepreneurship based agri business models that attract them to agriculture.

7.1.16 National Mission on Agricultural Extension and Technology (NMAET)

NMAET has been launched to make the extension system farmer-driven and farmer arrangement of technology dissemination.It"s a Centrally Sponsored Scheme with 90:10 ratio in Centre and State share, respectively. This scheme has been divided into three sub-missions.

- Sub Mission on Agriculture Extension (SAME): A budget provision of ₹16.67 crore has been made for the year 2021-22.
- Sub Mission on Seed and Planting Material (SMSP): A budget provision of ₹4.79 crore has been made for the year 2021-22.
- Sub Mission on Agriculture Machanization (SMAM): A budget provision of ₹21.58 crore has been made for the year 2021-22.

7.1.17 National Mission on Sustainable Agriculture (NMSA)

National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) has been formulated for enhancing agricultural productivity especially in rain fed areas.There are three different components of this scheme.

- Rainfed Area Development (RAD): A budget provision of ₹5.33 crore has been made for the year 2021-22.
- Soil Health Management (SHM).A budget provision of ₹2.16 crore has been made for the year 2021-22.
- Parampragat Krishi Vikas Yogna (PKVY), Enhasing water Use efficiency. A budget provision of ₹10.64 crore has been made for the year 2021-22.

7.1.18 National Food Security Mission (NFSM)

NFSM is a Centrally Sponsored Scheme that was launched in 2007. Under this Mission, 11 Districts in Wheat (except Shimla), two Districts Kangra and Mandi under Rice and nine districts except Shimla, Kinnaur and Lahaul & Spiti under Maize and all districts under pulses viz. Mash, Moong, Pea, Lentil and Gram have been selected in

the State. All Districts have also been selected for Nutri-Cereals (Jawar, Bajra, Kodomillet, Prosomillet, Foxtailmillet, Littelmillet, and Fingermillet). The Mission provides assistance for laying cluster demonstrations, distribution of certified seed, micro-nutrients, plant and soil protection material, improved implements and machinery. Under this scheme a budget provision of ₹15.00 crore has been made for the year 2021-22.

7.1.19 Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY)

To improve agricultural productivity, Government of India has started a scheme, called PMKSY. Micro-irrigation projects ("Har Khet Ko Pani") and end-to-end irrigation solutions are the key focus of this scheme. The major objectives of this scheme is to achieve convergence of investments in irrigation at the field level, expand cultivable area under assured irrigation, improve on-farm water use efficiency to reduce wastage of water, enhance adoption of precision-irrigation and other water-saving technologies. Under this scheme a budget provision of ₹10.00 crore has been made for the year 2021-22 under State Plan.

7.1.20 Efficient Irrigation through Micro-Irrigation Scheme

For efficient system of irrigation, the Government has launched a scheme named „Efficient Irrigation through Micro-Irrigation Systems" with an outlay of ₹154.00 crore. Through this project 8,500 hectare area will be brought under Drip/Sprinkler Irrigation System benefitting 14,000 farmers. Subsidy at 80 per cent for the installation of sprinkler and drip irrigation system would be provided to the farmers.

7.1.21 Uttam Chara Utpadan Yojana

To increase fodder production, the State Government has launched a scheme; „Uttam Chaara Utpadan Yojana for fodder development by bringing an area of 42,000 hectare under fodder production. Quality seed of fodder grasses, cuttings, and seedings of improved fodder varieties is supplied on subsidized rates to the farmers. Subsidy on Chaff Cutters is available to the Schduled Caste / Schduled Tribe and Below Poverty Line farmers. The State Government is also encouraging for the cultivation of Azola Grass among the farmers. The State Government is providing 50 per cent assistance for the preparation of pit. A provision of ₹7.10 crore has been made for year 2021-22 under this scheme.

7.1.22 Mukhya Mantri Khet Sanrakshan Yojana

Monkey and wild life menace causes huge loss to crops annually. Present practices of crop protection by manual guarding not ensure 100 per cent protection. Therefore, Himachal Pradesh has introduced a "Mukhya Mantri Khet Sanrakhshan Yojana". Under this scheme, subsidy of 80 per cent is provided to individual farmer and 85 per cent for group of farmers for solar fencing. Government of Himachal Pradesh from 2019 -20 has also approved installation of barbed and chain link fencing as well as composite fencing. The subsidy for installation of barbed and chain link (Woven Mesh) fencing system and for composite fencing would be respectively 50 per cent and 70 per cent for individual farmers. For the year 2020-21 a budget provision of ₹40.00 crore has been provided.

7.1.23 Mukhya Mantril Kisaan Evam Khetihar Mazdoor Jeevan Surakhsha Yojana

To provide Insurance cover to the farmers and agricultural labourers in the event of sustaining injury or death due to operation of farm machinery, the State Government has launched „Mukhyamantri Kisaan Evam Khetihar Mazdoor Jeevan Surakhsha Yojana in 2015-16. In case of death ₹3.00 lakh, permanent disability ₹1.00 lakh and for partial disabilities ₹10,000 to ₹40,000 is provided to the affected farmers. A budget provision of ₹40.00 lakh has been made for the year 2021-22.

7.1.24 Flow Irrigation Scheme

Under this scheme, besides renovating the source location of Kuhls, strengthening of Kuhls in common area will be undertaken and 100 per cent expenditure would be borne by the Government on community-based work. Government has decided to grant 50 per cent subsidy for construction of Bore-Wells and shallow wells by individual for irrigation purposes under this scheme. A budget provision of ₹15.00 crore has been kept for the year 2021-22.

7.1.25 Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evem Utthan Mahabhiyan Yojana (PM-KUSUM)

State Government has introduced a new scheme called PM-KUSUM with a view to provide assured irrigation to crops, enhance the production and productivity where electricity accessibility in remote areas is costly in comparison to solar power vehicle pumps. Under this scheme, 85 per cent assistance will be provided to small and marginal groups of farmers and 80 per cent will be provided to medium and large groups of farmers on individual and community basis for installation of solar pumping

machinery. A budget provision to the tune of ₹12.51 crore has been kept for the year 2021-22.

7.1.26 Jal Se Krishi Ko Bal Yojana

Government has launched a new scheme "Jal Se Krishi Ko Bal Yojana". Under this scheme check dams and ponds will be constructed. A budget provision of ₹25.01 crore has been kept for 2021-22. Under this scheme, 100 per cent expenditure would be borne by the Government for implementation of community based small water saving scheme.

7.1.27 Mukhya Mantri Krishi Kosh Yojana

Farmers Producer Organizations (FPOs) are require basic inputs during sowing, harvesting and post harvest infrastructure like grading and packaging machines, transport vehicles, storage godowns and pack house etc. for which long term capital is required. Considering this fact, State Government has introduced a new scheme viz. Krishi Kosh for supporting seed money, interest subvention and credit guarantee cover to the farmers. A budget provision of ₹5.00 crore has been made for the year 2021-22.

7.1.28 Krishi Utpadan Sarankshan Yojana (Anti Hail Net)

To save crops from hailstorms, the State Government has started Krishi Utpadan Sanrakshan Yojana (Anti Hail net) from the year 2020-21. Under this scheme, the State Government will provide 80 per cent subsidy to farmers on purchase of anti-hail nets. All the vegetable producing farmers of the state are provided anti-hail nets to protect their crops from natural calamity like hailstorms, stray animals and monkeys. A budget provision of ₹10.00 crore has been made for the year 2021-22.

7.2 Horticulture

The rich diversity of agro-climatic conditions, topographical variations and altitudinal differences coupled with fertile, deep and well drained soils favour the cultivation of temperate to sub-tropical fruits in Himachal. The region is also suitable for cultivation of ancillary horticultural produce like flowers, mushroom, honey and hops.

This particular suitability of Himachal has resulted in shifting of land use pattern from agriculture to fruit crops in the past few decades. The area under fruits, which was 792 hectares in 1950-51 with total production of 1,200 tonnes increased to 2,34,779 hectares during 2020-21 with total fruit production of 6.24 lakh tonnes, while during 2021-22 (up to December, 2021) it has been reported as 6.97 lakh tonnes. During 2021-22, it was envisaged to bring 1,549 hectares of additional area under fruit plants against which 1932.49 hectares of area was brought under plantation and 5.35 lakh fruit plants of different species were distributed up to 31st December, 2021.

Apple is the most important fruit crop of Himachal Pradesh, which constitutes about 49 per cent of the total area under fruit crops and about 85 per cent of the total fruit production. Area under apple has increased from 400 hectares in 1950-51 to 3,025 hectares in 1960-61 and 1,14,646 hectares in 2020-21.

The area under temperate fruits, other than apple has increased from 900 hectares in 1960-61 to 27,870 hectares in 2020-21. Nuts and dry fruits exhibit area increase from 231 hectares in 1960-61 to 10,029 hectares in 2020-21, citrus and other sub tropical fruits have increased from 1,225 hectares and 623 hectares in 1960-61 to 25,654 hectares and 56,580 hectares in 2020-21 respectively. The fluctuations in the production of apple during last few years have attracted the attention of the Government. The State is trying to explore and harness the vast horticulture potential of the hill State through diversified horticulture production in varied agro-ecological zones. During the year 2021-22 for promotion of mechanized farming 8,900 Power Sprayers, 584 Power Tiller {<8 brake horsepower (BHP)} and 136 Power Triller (>8BHP) are being distributed on subsidy among the orchardist under Horticulture Development Scheme.

7.2.1 Sub-Mission of Agriculture Mechanisation (SMAM)

Under SMAM assistance is provided to the farmers for the purchase of various modern farm tools and machinery in form of back ended subsidy. Department of Agriculture, Himachal Pradesh is nodal department of the scheme. During the year 2020-21 funds amounting to ₹21.50 crore has been allocated to the Department of Horticulture out of which ₹12.00 crore has been spend under this scheme and 4,000 farmers have benefitted upto 31st December 2021.

During 2021-22, 73216.67 MT C-grade Apple fruit valued at ₹69.55 crore and 15.02 MT valued to ₹1.43 lakh have been procured.

In warmer areas of the state, Mango has emerged as an important fruit crop. Litchi is also gaining importance in certain regions. Mango and Litchi are fetching better market prices. In the middle zone, the agro-climatic conditions are highly suitable for the successful cultivation of new fruits like Kiwi, Olive, Pomegranate, Pecan and Strawberry. The production of fruits is given in table 7.8

Table 7.8: Fruit Production

("000 tonnes)

Crop	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 upto December, 2021
Apple	368.60	715.25	481.06	601.95
Other temperate fruits	37.15	49.85	40.65	35.18
Nuts and dry fruits	3.65	4.24	4.69	2.00
Citrus fruits	29.34	32.11	33.29	10.07
Other sub tropical fruits	56.62	43.97	64.80	48.76
Total	**495.36**	**845.42**	**624.49**	**697.96**

To bring diversification in horticulture, a total area of 373.57 hectares has been brought under flower cultivation up to 31.12.2021. To promote flower cultivation, two Tissue Culture Laboratories have been established under Model Flower Cultivation Centres at Mahogbagh (Chail, District Solan) and Palampur, District Kangra. Ten Farmers Cooperative Societies are functioning for the production and marketing of flowers in district Shimla, Kangra, Lahaul and Spiti, Solan, Hamirpurand Chamba. Ancillary horticultural activities like Mushroom and Bee keeping are also being promoted. During 2021-22 up to December, 2021, 524.72 MT of pasteurized compost for Mushroom was prepared and distributed from the department units located at Solan, Rampur, Bajoura and Palampur. A total of 18,308.03 MT of Mushroom, 1,566.08 MT of Honey has been produced upto 31st December 2021.

7.2.2 The Weather Based Crop Insurance Scheme was initially launched in Himachal Pradesh in 6 Blocks for Apple crop and in 4 Blocks for Mango crop during Rabi season 2009-10 on pilot basis. In view of the popularity of this scheme, the coverage under this scheme has been extended to consecutive years. Presently, the scheme is being implemented in 42 Blocks for Apple, 39 Blocks for Mango, 18 Blocks for citrus, 14 Blocks for Plum and 5 Blocks for Peach crops. In addition, to protect Apple fruit crop from hailstorm 19 Blocks have been covered under Add-on cover scheme. From the year 2016-17 name of the scheme has changed to Restructured Weather Based Crop

Insurance Scheme (R-WBCIS) and sum insured has been revised and bidding system has been introduced. During Rabi season 2019-20, 84,624 farmers have been covered under R-WBCIS for apple, peach, plum, mango and citrus fruit crops, who have insured their 64,33,231 trees for which the state government has borne premium subsidy of ₹20.31 crore.

7.2.3 For the implementation of Centrally Sponsored Scheme, KVY-RAFTAAR during the year 2021-22, funds amounting to ₹374.64 lakh have been approved by State Level Sanctioning Commette (SLSC) on 30-09-2021.

7.2.4 Himachal Khumb Vikas Yojana (HKVY) was launched during 2019-20 to promote mushroom cultivation in the State. During the year 2021-22 ₹5.00 crore were received and ₹65.85 lakh has been spent. Under the scheme 168 units were established and 411 farmers were benefited. The district wise status is shown as in the table 7.9.

Table 7.9: District wise number of units established and beneficiaries uner HKVY

Sr. No	Name of District	No. of unit established Under HKVY	No. of beneficiaries Under HKVY
1.	Bilaspur	10	111
2.	Chamba	3	3
3.	Hamirpur	15	45
4.	Kangra	62	122
5.	Kinnaur	0	0
6.	Kullu	0	0
7.	Lahaul Spiti	0	0
8.	Mandi	18	18
9.	Shimla	31	31
10.	Sirmour	25	25
11.	Solan	1	53
12.	Una	3	3
	Total	**168**	**411**

Source: Department of Horticulture, Himachal Pradesh.

7.2.5 For providing employment to the skilled and unskilled unemployed youth and promoting Commercial Floriculture Farming in the State, funds have been allocated under „**Himachal Pushp Kranti Yojana**" amounting to ₹11.00 crore during the year 2021-22, out of which 1.82 crore have been spent and also 99 farmers benefited upto 31st of December 2021. Similarly, to produce quality fruit crops and increasing production, to increase honey production and other bee products, „**Mukhya Mantri**

Madhu Vikas Yojana" has been started and fund of ₹6.20 crore have been allocated during the year 2020-21. Under the scheme „**Krishi Utpaad Sarankshan**" an amount of ₹20.00 crore was allocated for the year 2020-21 for construction of permanent supports(Steel and Bamboo) out of which ₹19.62 lakh have been spent and 79 farmers were benefitted upto 31st December 2021.

7.2.6 Centrally sponsored scheme, "**Mission for Integrated Development of Horticulture"** (MIDH) is being implemented in the State under which assistance is provided as subsidy ranging from 40-85 per cent to farmers for carrying out various horticultural activities like cultivation of fruits, flowers, vegetables, species and establishment of new gardens, mushroom production, green house cultivation of high value flowers and vegetables, Anti Hail Nets, horticulture mechanization, post harvest management etc. funds amounting to ₹48.89 crore have been approved in the year 2021-22 out of which ₹12.22 crore have been received from Government of India as first installment and a total number of 2,60,421 farmers have benefited from the year 2003-04 to December, 2021 under this Mission.

7.2.7 Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana-Per Drop more crop (PMKSY-PDMC) is a Centrally Sponsored Scheme which is being implemented in the State since 2015-16. In the year 2017-18, the PMKSY-PDMC guidelines were modified with a provision of subsidy at 55 per cent for small and marginal farmers and 45 per cent for big farmers. The State is providing 25 per cent additional state share to give 80 per cent subsidy to small and marginal farmers. For the year 2020-21, Government of India has sanctioned ₹1,200 lakh for PMKSY-PDMC. Till date (2015-16 to December, 2021) 5,813.71 hectare area has been covered under micro-irrigation benefitting 24,306 farmers.

7.3 Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation Ltd (HPMC)

HPMC, a State Public Undertaking, was established with the objective of marketing fresh fruits and vegetables, processing the unmarketable surplus and marketing the processed products. Since its inception, HPMC has been playing pivotal role in the life of fruit growers of the State by providing them remunerative returns of their produce.

During the year 2020-21 HPMC had registered overall turnover of ₹70.93 crore. Under Market Intervention Scheme, during the year 2021-22 the State Government continued the policy of **Market Intervention Scheme (MIS)** of Mango, Apple and citrus fruit in the State with the support price as under:

Table 7.10: Procurement price of fruits

Sr.No.	Name of fruit	Procurement Price (₹ Per Kg.)
1	**Mango (Grafted varieties)**	9.50
2	**Mango (Seeding varieties)**	9.50
3	**Mango (Unripe Anchari)**	9.50
4	**Apple**	9.50
5	**Kinnow, Malta and Orange (B grade)**	8.50
6	**Kinnow, Malta and Orange (C grade)**	8.00
7	**Galgal (All grade)**	7.00

- The Corporation has successfully commissioned 5 Controlled Atmosphere (CA) Stores in the following Apple growing areas of District Shimla and Kullu namely Jarol Tikker, (Kotgarh) 640 MT, Gumma (Kotkhai) 640 MT, Oddi (Kumarsain) 700 MT and Rohru 700 MT, capable to store total 2,680 MTs.

- Grant in aid to the tune of ₹8.00 crore for the up gradation of Apple Juice Concentrate (AJC) Plant at Parwanoo has been received from Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) and work of up gradation has been successfully completed in the year 2018 by undertaking trial production in the same year. Plant was set up for commercial production in 2019 and during that production of Apple Juice Concentrate (AJC) stood at 1,012 MT. During apple season 2021 a total 617.83 MT of AJC was produced at Food Processing Plant (FPP) Parwanoo.

- At Fruit Processing Plant (FPP), Jarol Sundarnagar during the calendar year 2019-20 total 235 MT of AJC and 2020-21, 112 MT of AJC was produced. Further, during the latest apple season of 2021 a total of 81.27 MT AJC was produced.

- HPMC has entered into a MoU with the parties M/S PH4 (PH4 Food and Beverages Private Limited) for manufacturing of Apple Cider at Food Processing Park (FPP) Parwanoo and manufacturing of Fruits and Red Wine at FPP Jarol with M/S Mountain Barrel.This will help to boost the sale as well as profit margin of the HPMC in the coming years.

- HPMC has planned to enhance its existing capacity of grading storage and processing of different fruit produced in the State from the World Bank funded Himachal Pradesh Horticulture Development Project (HPHDP). Under the post harvest support infrastructure component of this project, the process of

enhancing the existing storage capacity of CA Stores Jarol Tikker, Gumma and Rohru from existing 2,680 MT to 6,618 MT shall be completed by March, 2022.

7.4 Animal Husbandry and Dairying

Rearing of Livestock is an integral component of rural economy. In Himachal Pradesh, there is a dynamic relationship between Common Property Resources (CPRs) such as forests, water and grazing land, livestock and crops.

Livestock is integral to the sustainability of economy of Himachal Pradesh. The contribution of major livestock products during the year 2020-21 was 15.76 lakh tonnes of milk, 1,482 tonnes of wool, 1,111 million eggs and 4,306 tonnes of meat which is likely to be of the order of 16.54 lakh tonnes of milk, 1,500 tonnes of wool, 1100 million eggs and 4,500 tonnes of meat during 2021-22. Milk Production and per capita availability shown in Table 7.11.

Table 7.11: Milk Production and Per Capita Availability

Year	Milk Production (lakh tonne)	Per Capita Availability (Gram/day)
2020-21	15.76	630
2021-22 (Estimated)	16.54	660

Animal Husbandry plays an important role to boost the rural economy and as such for livestock development programme attention is paid in the State by way of:

- Animal Health and Disease control
- Cattle Development
- Sheep Breeding and Development of Wool
- Poultry Development
- Feed and Fodder Development
- Veterinary Education
- Livestock Census

Under Animal Health and Disease Control Programme, 1 State level Veterinary Hospital, 3 Zonal Hospitals,10 Polyclinics, 60 Sub-Divisional Veterinary Hospitals, 362 Veterinary Hospitals, 30 Central Veterinary Dispensaries, 6 Veterinary Check posts and 1,759 Veterinary Dispensaries are functioning in the State as on 31st December, 2021 to provide veterinary and animal husbandry services to the farmers for their livestock.

For improving the quality of sheep and wool, Government Sheep Breeding Farms at Jeori (Shimla), Tal (Hamirpur), and Karachham (Kinnaur) are supplying improved sheep to the breeders of the State. One Ram centre at Nagwain in district Mandi is also functioning where improved Rams are reared and supplied to breeders for cross breeding. The flock strength of these farms are 1,312 during the year 2021-22 up to December, 2021 In view of the increasing demand for pure Hoggets and the established popularity of the Soviet Marino and American Rambouillet in Himachal, the State has switched over to pure breeding at the existing Government farms and 9 Sheep and wool Extension Centres continue to function for the welfare of shapheards. During 2021-22, the wool production is likely to be 1,500 tonnes. Angora rabbit farms are functioning at Kandwari (Kangra) and Nagwain (Mandi) for distribution of rabbits to the breeders.

Table 7.12: Status of Artificial Insemination

(Figure in lakh)

S.N.	Particular	2020-21	2021-22 (Target)
1	Semen straws produced for Cows (lakh)	6.23	11.50
2	Semen straws produced for Buffaloes(lakh)	1.94	3.50
3	Liquid Nitrogen (LN2) (lakh littre)	1.82	9.00
4	Artificial Insemination Cows (lakh)	6.09	9.50
5	Artificial Insemination Buffaloes (lakh)	1.60	3.40

One Horse Breeding Farm at Lari in Lahaul and Spiti district has been established with the objective to preserve Spiti breed of horses. 67 horses have been kept in this farm during the year 2021-22 up to December, 2021. One Yak breeding farm has been also established in the premises of horse breeding Lari. During the year 2021-22 up to December, 2021 the strength of yaks was 62 in this farm. Under feed and fodder development scheme, 16.00 lakh fodder roots, 64,000 fodder plants have been distributed during 2021-22 up to December, 2021.

7.4.1 Welfare scheme for the Livestock Owners

I. Scheme for General BPL farmers

The livestock breeders belonging to BPL families of general category are provided pregnancyration for their indigenous/ crossbred cows at 3 kg per day for last three months of the pregnancy on 50 per cent subsidy. The Budget provision for the year 2021-22 is ₹266.41 lakh.The main objective of the scheme is as under:

- Increase the milk production.
- To reduce inter calving period.
- To improve the health of pregnant cows.

II. **"Uttam Pashu Puraskar Yojana"** During 2021-22 the Uttam Pashu Puraskar Yojana is being implemented with the provision of ₹50.00 lakh to the farmer"s having milch cattle/buffaloes with milk production of 15 liters or more per day. Under this scheme incentive of ₹1,000 per beneficiary per animal is provided.

7.4.2 Poultry Development Scheme:

To develop poultry sector in Himachal Pradesh, department has instituted following poultry development schemes especially in rural areas of the State:

I. **Backyard Poultry Project:** 50-100 numbers of chicks of 3 week old Low Input Technology (LIT) birds" are distributed among the poultry breeders on cost price. During 2021-22 under this Scheme 3,31,055 lakh chicks were distributed among the 8,249 beneficiaries.

II. **200-Chick Scheme**: Under this scheme the 900 poultry breeders belonging to BPL Families of Schedule Cast Category are to be provided with inputs (like 200 days old LIT birds, feed for initial feeding, feeders and drinkers) worth ₹10,000 per beneficiaries. Under this scheme 545 beneficiaries have been provided assistance till December, 2021.There is also provision of training regarding poultry management for the beneficiaries.

III. **Him Kukkut Palan Yojana:** There is a provision of budget of ₹396.00 lakh for the establishment of 100 poultry units in the State. The beneficiaries are provided 3000 number day-old-broiler chicks, feed, feeders and drinkers. The beneficiaries are provided 60 per cent subsidy on both Capital Investment (construction of shed, provision of feeders and drinkers) and Recurring cost (Cost of chicks, feed etc.)

IV. **Innovative Poultry Productivity Project (IPPP)-LIT Bird (Under National Livestock Mission):** In this scheme 200 beneficiaries are to be provided with 400 four-week-old LIT birds (in two installments of 200 LIT birds each at an interval of 72 weeks) and assistance of ₹15,000 will be provided to beneficiaries for provision of shelter, feed and miscellaneous expenditure.

V. **Innovative Poultry productivity Project (IPPP)-Broilers (Under National Livestock Mission):** Under this scheme 200 beneficiaries are to be provided with 600 four week old LIT birds (in four installments of 150 LIT birds each installment) feed and funds will be also provided to beneficiaries for construction of shed.

7.4.3 Rashtriya Gokul Mission (RGM)

RGM is important in enhancing milk production and productivity of bovines to meet growing demand of milk and making dairying more remunerative for the rural farmers of the country. The various initiatives that are currently being undertaken and implemented in the State of Himachal Pradesh under RGM are:

I. Establishment of Murrah Breeding Farm under National Livestock Mission or promotion of Murrah in the State

With a motive to produce High Genetic Merit Murrah Buffalo bulls for use at Sperm Stations across the Country and in order to provide elite Murrah Buffalo Heifers/Adult Buffaloes for sale to the farmers and for commercial use within and outside the State, it was envisaged to set up a breeding farm of high pedigree Murrah Buffaloes in Himachal Pradesh. An amount of ₹ 506.45 lakh has been received from the Government of India for the establishment of breeding farm of Murrah buffalo in District Una, under Rashtriya Gokul Mission.

II. Establishment of Gokul Gram

In order to promote indigenous cattle rearing in the State, and with an objective of conservation, propagation and development of indigenous breeds to enhance productivity of local cattle and increase economic returns from animal products in a sustainable manner, to propagate high genetic merit bulls of indigenous breeds and to optimize modern farm management practices, promote Common Resource Management and utilize raw material from indigenous cattle as Natural Farming (Subash Paleker Natural Farming) inputs, "Gokul Gram" is proposed to be established under the Rashtriya Gokul Gram Mission. Funds amounting ₹ 995.10 lakh has been sanctioned by the Government of India on January 1, 2019, for the establishment of Gokul Gram in district Una.

III. **Nationwide Artificial Insemination Scheme (NAIP)**

With an objective of delivery of quality artificial insemination services at farmers doorstep, enhancement in milk production and productivity of bovines and thereby increasing farmers income and in order to increase acceptability of artificial insemination services among farmers. This objective is achieved through implementation of organized farmers awareness programme. This component will be implemented in all the Districts of the State over a period of 5 years from 2021-22 to 2025-26, covering all breedable cattle and buffalo population. A total amount of 3058.36 lakh has been received from Government of India under first, second and third phases. Total 11,31,681 free artificial insemination have been done in the State under this scheme in all three phases.

IV. **Progeny Testing (Jersey) Program in District Kangra**

The programme is being implemented in approximately 800 revenue villages in District Kangra through a network of 115 veterinary institutions of the Department, with the following objective.

- To achieve a steady genetic progress with respect to milk, fat, solids not fat and protein yields, fertility traits and type characters in Jersey cattle population.
- To establish a system of genetic evaluation and selection of bull mothers and bull sires for production of future generation of bull calves.
- To produce the required number of genetically evaluated bull calves for semen stations through progeny testing.

Under the programme, amount of ₹168.25 lakh has been received from the Government of India through National Diary Development Board and so far, a sum of ₹ 48.25 lakh has been utilized under various components.

V. **Introducing Embryo Transplantation Technique (ETT) under Rashtriya Gokul Mission for the conservation and propagation of Sahiwal and Red Sindhi breeds of cows.**

The Government of India has released funds to the tune of ₹195.00 lakh for the establishment of Embro Transfer Technology Laboratory at Palampur District Kangra for Conservation and Propagation of Sahiwal and Red Sindhi breeds through Embryo Transfer Technology.

VI. Centre of excellence cum Training Center

To popularize Automation of dairy farm operations like Milk collection and storage, feeding system, manure management and sanitation, health management, integrated herd management including that of young stock and adult stock management and data storage for bringing the Indian Dairy industry at international level, Himachal Pradesh Livestock Development Board has received an amount of ₹1292.21 lakh in this project on 1.07.2021 for the establishment of a Center of Excellence cum Training Centre at Una district in Himachal Pradesh under Rashtriya Gokul Mission from the Government of India.

7.4.4 National Livestock Mission (NLM)

I. Rural Backyard Goat Development scheme

This is a centrally sponsored scheme under National Livestock Mission (90 per cent Central share, 5 per cent State Share and 5 per cent farmer share). Under this scheme funds to the tune of ₹504.90 lakh has been received from the Government of India during the year 2021-22

5.. Rural Backyard Pig Development Scheme

This is a centrally sponsored scheme under National Livestock Mission (90 per cent Central Share, 5 per cent State share and 5 per cent farmer share). During 2021-22, 1,995 pig units will be established with funds of ₹397.95 lakh.

III Risk Management and Livestock Insurance Scheme

60 per cent subsidy is provided on the insurance premium of cattle and pack animal of APL farmers while 80 per cent subsidy is provided to farmers belonging to BPL families/ SC/ ST categories. During the year 2021-22, there is provision of ₹318.95 lakh for insurance of 20,000 animals in eight district of Himachal Pradesh namely, Bilaspur, Chamba, Hamirpur, Kullu, Mandi, Solan, Sirmour and Una. Till date 1,005 animals were insured of 817 beneficries.

7.4.5 Assistance to States for Control of Animal Diseases

For prevention and control of some major diseases of livestock funds are being provided by the Government of India on the pattern of 90 per cent Central Share and 10 per cent State Share to provide free vaccination facility against contagious disease namely, Haemorrhagic Septicaemia and Black Quarter (HSBQ), Enterotoxaemia,

Pestedes Petits Ruminants (PPR), Ranikhet, Marek‟s and Rabies. With implementation of this scheme, outbreaks of above-mentioned diseases are prevented thereby saving livestock owner from losses.

7.4.6 Provision of Subsidized Rams to Sheep Breeders of all categories in Himachal Pradesh

Under this scheme, a 60 per cent subsidy is provided to breed rams to sheep breeders of all categories of Himachal Pradesh having flocks of minimum of 50 sheep (maximum 2 ram per beneficiary). Budget provision for the year 2021-22 is ₹14.50 lakh. Objectives of the Scheme are:

- Genetic improvement of indigenous sheep breeds and dissemination of superior germplasm amongst the migratory flocks of sheep in Himachal Pradesh.
- To improve quality and quantity of meat and wool being produced in the state, ensuring better economic returns to sheep breeders.
- To resolve the problem of inbreeding amongst the migratory sheep flocks of sheep breeders of all categories.

7.4.7 Krishak Bakri Palan Yojana

To improve the socio-economic status of all categories of goat farmers under this scheme, it has been proposed to distribute units of 11 goats (10 females+1 male), 5 goats (4 female+1 male) and 3 goats (2 female + 1 male) of Beetal/Sirohi/Jamnapari and White Himalayan long hared breeds on 60 per cent subsidy to goat farmers. There is also a provision of insurance besides feed and fodder for goats during the last trimester of pregnancy. Budget provision of ₹ 54.75 lakh had been kept for the year 2020-21 under the scheme.

7.4.8 Rural Backyard Sheep Development Scheme

Under this scheme, sheep unit of 10+1 at 95 per cent subsidy will be provided to poor/marginal farmers in State of Himachal Pradesh. Under this scheme funds to the tune of ₹1188.00 lakh has been received from the Government of India during the year 2021-2022.

7.4. 9 Livestock Census

Livestock census is being conducted quinquennially by the Government of India. So far, 20 such Censuses have been conducted. Livestock Census is significant for the

development of Animal Husbandry in State. New policies related to animal development are prepared based on the exact number of livestock and poultry.

Table 7.13: Livestock and Poultry

(In thousands)

S. No.	Category	2019*
A	**Livestock**	
1.	Cattle	1828
2.	Buffaloes	647
3.	Sheep	791
4.	Goat	1108
5.	Horses and Ponies	9
6.	Mules and Donkeys	25
7.	Pigs	2
8.	Other Livestock	3
	Total Livestock	**4413**
B.	**Poultry**	1342

Source: Directorate of Land Records and Directorate of Animal Husbandry, Himachal Pradesh

7.5 Milk Based Industries

Himachal Pradesh Milkfed has 1,084 milk producers Co-operative Societies. The total membership of these societies is 46,973 out of which 220-woman dairy co-operatives are also functioning. At present the Milkfed is running 22 milk chilling centres having a total capacity of 91,500 litres milk per day and 11 milk processing plants having a total capacity of 1,00,000 litres milk per day. One milk powder plant of 5 MT per day at Duttnagar in Shimla district and one cattle feed plant of 16 MT per day capacity at Bhor in District Hamirpur is functioning. The average milk procurement is about 1,37,000 litres per day from the villages through village dairy co-operatives.

Milkfed is marketing approximately 23,000 litres of milk per day which includes milk supply to various prestigious dairies in bulk and supply to army units in Dagshai, Shimla, Palampur and Yol, Dharamshala areas. Milkfed is also manufacturing Milk Powder, Ghee, Butter Dahi, Paneer and Sweetened Flavoured Milk, Khoa under the brand name of „Him".

7.5.1 New Innovations of Himachal Pradesh Milkfed

- Himachal Pradesh Milkfed is manufacturing Panjiri, Bakery Biscuit, Sevian and Pasta to Welfare Department under Integrated Child Development Scheme (ICDS) Project. During 2020-21 Milkfed has manufactured and

supplied 23,750 quintal of Fortified Panjiri, 5,050 quintals of Skimmed Milk Powder (SMP) and 26,500 quintals of Fortified Bakery Biscuit and 10,590 Wheat Seviyan to Anganwadis of the State.

- A training programme to around 1,000 milk producers at village level for educating them to produce good quality of milk.
- Deposited about 11,134 Kisan Credit Card (KCC) forms of the farmers in the concerned banks and around ₹8.00 crore of credit has been distributed through KCC to the milk producers/farmers.
- Milkfed equipped its labs with modern equipment under National Programme for Dairy Development Scheme.
- During the year 2021-22, to improve dairy activities in the State one new plant of 50,000 litres per day capacity milk at Milk Processing Plant Mandi shall be made operational, thereby providing benefit to dairy co-operative of the state.
- One new plant of 50,000 litres per day capacities at Milk Processing Plant Chakkar District Mandi is being established thereby providing benefit to dairy cooperative of Mandi, Kullu, Bilaspur and other districts.
- Distributed incentive ₹2,000 to 937 milk producers of Mandi, Shimla and Kullu Districts under National Programme of Dairy Development by Chief Minister on 29.12.2021 using Digital Platform.
- A new Bakery Biscuit Plant of capacity of about 6 MT per day to be functional in Milk Processing Plant Kangra.

Table 7.14: Achievement of Himachal Pradesh Milkfed

Sl. No.	Particulars	2020-21	(up to 30.11.21)
1	Organized Societies	1084	1097
2	Membership	46973	47259
3	Milk procured (lakh liters)	346.13	286.83
4	Milk Marketing (lakh liters)	73.13	70.02
5	Ghee sold (MT)	232.20	198.70
6	Paneer sold (MT)	125.55	101.72
7	Butter sold (MT)	30.80	28.10
8	Dahi sold (MT)	210.06	122.07
9	Cattle Feed (in quintal)	34325.98	30902.20

7.6 Wool Procurement and Marketing Federation (WPMF)

The main objective of WPMF is to promote the growth and development of wool industry in the state of Himachal Pradesh and to free wool growers from exploitation by the middlemen/traders. In pursuance to the above objective, the WPMF is actively involved in procurement of sheep and angora wool, sheep shearing at pasture level with the imported automatic machines sheep wool scouring and marketing of wool. During the year 2021-22 up to December, 2021, 43617 sheep has been shorn and the sheep wool procurement amounts to 1,13,764 kg and the value of the same was ₹72.09 lakh.

The Federation is also implementing a new Centrally Sponsored Scheme for the benefit and upliftment of the sheep breeders in the state with the technical assistanance of Animal Husbandry Department. Under health care, particularly dipping and de-worming, 3,75,000 sheep and goats shall be covered in the districts of Chamba, Kangra, Mandi, Kullu, Shimla and Kinnaur with an outlay of ₹1.20 crore and also 1,25,000 in "goat clusters" in the districts of Chamba, Kangra, Mandi, Hamirpur, Una, Solan, Bilaspur and Sirmaur under health care component alongwith nutritional supplementation with an outlay of ₹1.00 core. During current financial year the benefits of these schemes is likely to percolate to approximately 18,000 breeders.

7.7 Fisheries and Aqua Culture

The Beas, Satluj and Ravi rivers receive many streams during their downstream journey and 106ones106 precious cold water fish fauna such as Schizothorax, Golden Mahseer and exotic Trouts. Cold water resources of the State have shown their potential with the successful completion of ambitious Indo-Norwegian Trout farming project and tremendous interest shown by the hill populace for the adoption of evolved technology. The commercially important fish species in Gobind Sagar and Pong Dam reservoirs, Chamera and Ranjeet Sagar Dam have become a tool for the upliftment of local population.

About 5,902 fishermen in the State depend directly on reservoir fisheries for their livelihood. During 2021-22, up to December, 2021, cumulative fish production was 9,897.82 MT valued at ₹138.92 crore. Around 7.78 tonne trout has been sold from the State farms and ₹135.09 lakh has been earned during current financial year up to December, 2021. The sale of fish in the last year is shown in Table 7.15.

Table 7.15: Trout Production

Year	Production (in 107one)	Revenue (₹in lakh)
2018-19	8.34	118.22
2019-20	7.71	91.16
2020-21	6.73	101.72
2021-22(up to Dec.,21)	7.78	135.09

The Department of Fisheries has constructed carp as well as trout seed production farms in the State to cater to the requirement of reservoirs, rural ponds and commercial farms in public and private sector. Up to December, 2021, total of 18.42 lakh fingerlings of 70 mm and above of common carp, 8.63 lakh of the same size of Indian Major Carp (IMC) and 11.33 lakh of Rainbow Brown Trout have been produced in the State. The approximate value of total seed production produced during the year 2021-22 up to December, 2021 is ₹83.70 lakh. The department is implementing various schemes for the promotion of Fisheries and Aquaculture which are as under:

7.7.1 Insurance and Welfare Schemes

The Department of Fisheries has initiated many welfare schemes for the upliftment of fishermen. Fishermen are covered under Insurance Scheme, where ₹5.00

lakh is given (in case of death/ permanent disability) and even losses to their gear and crafts are also being borne by the State Government to the extent of 50 per cent under Risk Fund Scheme. A contributory saving scheme has been initiated by the State Government and matching state‟s shares of deposited saving is provided to them during the close season. The amount so generated is paid to fisherman in two equal installments. During the year 2021-22 an amount of ₹160.06 lakh, (₹53.35 lakh contributed by the fisherman plus ₹106.71 lakh as financial assistance from the State and Centre Government) will be provided to 3,557 fisherman under Saving–cum–Relief Fund Scheme now renamed as *"Livelihood and nutritional support for socio-economically backward active traditional fishers families for conservation of fisheries resources during fishing ban/lean period"* under the Centrally Sponsored Scheme Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.

7.7.2 Trout Livestock Insurance Scheme

During the financial year 2020-21, State government has started this new scheme with an objective to provide insurance cover to livestock of cold water fish farmers of the state. The premium amount is shared between State Government and the beneficiary in the ratio of 65:35, respectively. The wide insurance cover is being provided through United India Insurance Company Limited. During 2021-22, Government has insured 24 trout units constructed by 15 trout farmers. Each trout unit is covered for maximum input cost of ₹2.50 lakh per annum with a premium of ₹19,175. There are 625 trout growers with 1,244 raceways/units that get direct benefit from this initiative.

7.7.3 Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana

Government of India has launched this scheme and state government is implementing this scheme during 2021-22. Under the umbrella of this scheme, state government has submitted various projects amounting to ₹4,950.31 lakh for funding approval to the Government of India. Of this amount, ₹2,879.53 lakh is the Central share, ₹331.15 lakh State share and ₹1,739.63 lakh beneficiaries share. Approval for current year is still awaited from the Government of India.

Achievements of the fisheries sector during the financial year 2021-22 up to December, 2021 and proposed targets for 2021-22 are shown in Table 7.16.

Table 7.16: Achivements and Targets

Sl.No	Items	Achieved up to December, 2021	Targets fixed for the year 2021-22
1.	Fish Production from all sources (in 109ones)	9897.82	16377.00
2.	Fish Seed Production Carp farms (lakh)	251.56	758.00
3.	Table size trout production (in 109ones) Government sector	7.78	16.00
4.	Table size trout production (in 109ones) Private Sector	452.48	833.70
5.	Employment generated (nos.)	537	500
6.	Total Revenue of the department (lakh)	327.37	407.00

7.8 Forest

Forests in Himachal Pradesh cover an area of 37,947 Sq. Km. and account for 68.16 per cent of total geographical area of the State. However, presently 28.60 per cent of the total geographical areas support forest cover. The main objective of Himachal Pradesh Forest Policy is proper utilization of forests, and their conservation and extension. The aim of the Forest Department is to enhance the forest cover in the State to 30 per cent of its geographical area by 2030 to meet the Sustainable Development Goals (SDGs). The plan programme taken up by the Forest Department aims at fulfilling these policy commitments. Some of the important plan programme activities are as under:

7.8.1 Forest Plantation

Forest plantation is being carried out under various State plan schemes such as Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) as well as Centrally Sponsored Schemes “National Afforestation Programme”. Pasture and grazing lands of the state are being managed under state scheme Development of Pasture and Grazing lands. Van Mahotsava at State, Circle and Division levels is also celebrated for educating the masses and creating awareness amongst all stakeholders regarding forestry and environmental concerns under New Forestry Scheme (Sanjhi Van Yojana). Apart from this, the Department is organizing plantation drive involving local communities like Mahila Mandals, Yuvak Mandals, local people and public representatives since 2018-19. Target of planting 10 lakh plants was fixed for 20th to 24th, July 2021. This drive has a huge success and 33,454 people enthusiastically participated in the campaign and 13,27,691 plants were planted at 464 selected places. Apart from this, 95,728 plants have been planted at 80 selected places through Red Cross Society and 4,688 people have participated in this campaign. For the year 2021-22 plantation target of 14,000 hectares including CAMPA and Centrally Sponsored Schemes has been fixed out of which 13,000 hectares target stands achieved upto December, 2021.

7.8.2 Forest Management (Forest Fire Prevention and Management Scheme)

Forests in the State are subject to increasing biotic pressure due to increase in human populations, changing animal husbandry practices, and developmental activities. Forests are exposed to perils of fire, illicit felling, encroachments and other forest offences. Forest protection is being strengthened by equipping check posts at sensitive places with CCTVs to ensure electronic surveillance to curb forest offences. Fire fighting equipment and improved techniques are also being introduced and made available to all the forest divisions where fire is a major destructive element. Communication network for effective management and protection of forest wealth is very important. Keeping these factors in view, Centrally Sponsored Scheme- Forest Fire Prevention and Management Scheme (earlier known as Intensification of Forest Management Scheme) is being implemented in the state. During the financial year 2021-22 an outlay of ₹407.00 lakh has been approved as Central share (90 per cent) and ₹45.00 lakh as State share under this Scheme. Also, another scheme under State plan namely “Forest Fire Management Scheme” has been introduced with a budget provision of ₹214.00 lakh during 2021-22.

7.8.3 Experimental Silvicultural Felling/Subsidiary Silviculture operations

Forest wealth of Himachal Pradesh is estimated at more than ₹1.50 lakh crore. Supreme Court of India has allowed the State for silviculture green felling of three

species, Khair, Chil and Sal, on experimental basis in three ranges- Nurpur range of Nurpur Forest Division, Bharari range of Bilaspur Forest Division and Paonta range of Paonta Forest Division. The felling of trees was carried out during 2018-19 and during current financial year fencing, plantation, recuperation of areas is being carried out as per recommendations of the Supreme Court Monitoring Committee.

7.8.4 New Schemes

In order to sensitize the local communities, students and general public about the importance of forests and their role in environmental conservation, for sustainable harvest handling and value addition the following new schemes have been launched:

i) Samudayik Van Samvardhan Yojana

The main objective of this scheme is to ensure participation of local communities in conservation and development of Forests through plantation improving quality of forest and increasing the forest cover. The scheme will be implemented through existing Joint Forest Management Committee/Village Forest Development Societies (JFMCs/VFDSs). During the year 2018-19, 20 sites were selected and 11 new sites have been reserved for 2021-22. During current year, plantation and soil conservation activities will be carried out in all the 31 selected sites (JFMCs/VFDSs) as per approved Micro Plan.

ii) Van Samridhi Jan Samridhi Yojana

This scheme has been started to strengthen the Non-Timber Forest Products (NTFP) resource base in the State through active community participation to, empower the local rural communities to collect conserve and market the NTFPs to augument their income. An outlay of ₹250.00 lakh has been kept under this scheme during the year 2021-22.

iii) Ek Buta Beti ke Naam

To sensitize people about the importance of daughters and forest conservation, a new scheme "Ek Buta Beti Ke Naam" has been launched during 2019-20. It is believed that by planting a sapling in the name of a girl-child and with the effort of nurturing each sapling into a tree, communities would be sensitized to be more committed towards the rights of the girl-child leading to realization of her full potential. Upon the birth of a girl-child anywhere in the State, the Forest Department would gift 5 saplings of identified species alongwith a planting „kit‟ to grow robust and healthy tall

plants. These are planted by parents of the girl during monsoon or winter season either on their homestead land or forest land. During the year 2021-22 a provision of ₹651.00 lakh has been kept under this scheme.

iv) Swarim Vatika

Himachal Pradesh is celebrating the Golden Jubilee of Purana Rajatva Diwas from 25th January, 2021. This program will last for one year. On the occasion of this auspicious occasion, the Forest Department constructed 68 Swarim Vatika during the year 2021-22. The objectives are to make people aware of the importance and protection of forests, create awareness about and increase the forest cover in urban areas and to establish recreation places for the people.

v) Jal Bhandaran Scheme

In the year 2021-22, under this scheme, 120 places have been identified for construction of dams, in which water conservation can be done, for this work in the year 2021-22, an amount of about ₹25 crore has been kept.

Externally Aided Projects

7.8.5 Himachal Pradesh Forest Eco-systems Climate Proofing Project (KfW assisted)

Himachal Pradesh Forest Ecosystems Climate Proofing Project with the assistance of KfW Bank (Credit Institute for Reconstruction), Germany is being implemented in Chamba and Kangra districts of the State for the period of 7 years w.e.f. 2015-16. The outlay of the project is ₹308.45 crore. The Funding pattern of the project is 85.10 per cent loan and 14.90 per cent State share. The main objective of this project is the rehabilitation, protection and sustainable use of the selected forest ecosystems in HP, to increase and secure the resilience of forest ecosystems against climate change and ensure flow of forest based products and other services, which benefit the forest dependent communities. In the long run this will contribute to strengthening the adaptive capacity of forest ecosystems to climate change, protection of biodiversity, stabilization of catchment areas, conservation of natural resource base and at the same time result in better livelihoods for the people of Himachal Pradesh. Provision of ₹55.00 crore has been kept for the current financial year out of which ₹ 24.20 crore have been spent.

7.8.6 Himachal Pradesh Forest Eco systems Management and Livelihood Improvement Project

A new Project, namely "Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihood Improvement Project" for 8 years (2018-2019 to 2025-26) amounting to ₹800 crore has been started with the assistance of Japan International Cooperation Agency (JICA). The Funding pattern of the project is 80 per cent loan and 20 per cent State share. The project will be implemented in Bilaspur, Kullu, Mandi, Shimla, Kinnaur, Lahaul & Spiti districts and tribal areas of Pangi and Bharmour Sub-divisions of Chamba districts with Project headquarter at Kullu/Shamshi, district Kullu and Regional office at Rampur, district Shimla. The objectives of the project are to conserve the forest and mountain ecosystem and improve livelihood of the forest and pasture dependent communities by increasing forest cover, density and productive potential using scientific and modern forest management practices; enhancing biodiversity and forest ecosystem conservation and to reduce pressure/stress on forest resources by providing the village communities with alternative livelihood opportunity. During the financial year 2021-22, the Government has provided ₹45.00 crore under this project and expenditure to the tune of ₹29.50 crore has been incurred upto 31.12.2021.

7.8.7 World Bank Aided Integrated Development Project for Source Sustainability and Climate Resilient Rain-fed Agriculture

The World Bank has agreed to support this new project (Source Sustainability and Climate Resilient Rain-fed Agriculture) at a cost of ₹650.00 crore. The funding pattern of the project is 80 per cent loan and 20 per cent is State share. The project period is 7 years. The project would be implemented in 900 Gram Panchayats in Shiwalik and Mid Hills agro-climatic zones spread across various watershed in the state. The key objectives of this project include comprehensive treatment of around 2 lakh hectare non-arable and 20,000 hectare arable lands; and enhancement of water productivity/ efficiency, milk production and livelihood improvement in the project area. An outlay of ₹79.99 crore has been approved under this project during the current financial year out of which expenditure of ₹41.57 crore have been incurred upto 31.12.2021.

7.8.8 Environment Forestry and Wildlife

Himachal Pradesh is home to a very impressive, diverse and unique fauna– many of which are rare. The scheme aims at protection, improvement of environment and wildlife, development of wildlife sanctuaries/national parks and improvement of wildlife habitat so as to provide protection to various species of birds and animals facing extinction. An outlay of ₹31.98 crore has been approved for year 2021-22.

Box 7.1 Overview of Agriculture and Allied Sectors

The share of agriculture and allied sectors in the Gross Value Added (GVA) of the State at current prices has declined from 15.33 per cent in 2016-17 to 12.44 per cent in 2021-22 and its growth has increase from (-) 3.9 to 8.7 per cent for the same period. The share of agriculture and allied sectors in the total GVA of the State has been declining on account of relatively higher growth performance of non-agricultural sectors. This is a natural outcome of development process that leads to faster growth of non-agricultural sectors owing to structural changes taking place in the economy.

Share of Agriculture and Allied Sectors in total GVA of the State at Current basic Prices

Items	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
GVA of agriculture and allied sectors (₹ in Crore)	18007	16105	17767	22352	19458	20437
Share in GVA of agriculture & allied sectors in GVA of total economy (per cent)	15.33	12.72	12.78	14.98	13.31	12.44
Share of crops	8.23	7.63	7.40	8.92	7.85	7.43
Share of livestock	1.26	1.31	1.77	1.73	1.79	1.62
Share of forestry & logging	5.73	3.65	3.48	4.21	3.52	3.26
Share of fishing	0.11	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13
Growth in GVA of agriculture & allied sectors	-3.9	-2.4	2.9	15.8	-12.0	8.7

Water Resources Management and Environment

8
Chapter

8.1 Jal Jeevan Mission (JJM)

With the aim of providing Functional Household Tap Connections (FHTC) to every rural family by the year 2024, Jal Jeevan Mission has been launched by the Government of India, on 15th August, 2019. ₹3.5 lakh crore has been proposed to implement this mission across the country. The programme focuses on the service delivery system at the household in sufficient quantity (55 Litre Per Capita per Day) on a regular basis and of prescribed quality.

In Himachal Pradesh, it is targeted to include every rural household in this scheme by July, 2022. Out of 17.28 lakh households, 15.80 lakh were provided FHTC up to December, 2021. In Himachal Pradesh, 91 per cent of the households have been provided with domestic connection against a national average of 45.50 per cent. This places Himachal at 8th position in the country.

In the functional Assessment done by the Third Party Inspection Agency selected by the Government of India, the quantity and quality of drinking water available at the consumer level was checked on different parameters in which Himachal Pradesh has been observed as best. In overall functionality, the state is at the forefront of the country and overall performance of the state is even better than those states, whose percentage of taping is more than Himachal Pradesh.

To ensure participation of the general public, training for water quality testing is being given at the Gram Panchayat level and to the Rural Drinking Water Sanitation Committee through field test kits. In order to bring transparency, all water quality laboratories of the State have been opened to the general public, where water samples are tested at the affordable rates.

8.1.2 Urban Water Supply Schemes

There are 61 Towns/Urban Local Bodies (ULB) in Himachal Pradesh. The water supply schemes of 59 Towns/ULBs are under Jal Shakti Vibhag, Shimla Town is under Shimla Jal Prabandhan Board and Parwanoo under HIMUDA. The improvement of water supply schemes of 48 towns including Shimla and Parwanoo town is now complete. Rewalsar and Jawali are in progress.

8.1.3 Status of Sewerage Scheme

Out of 61Towns/ULBs in Himachal Pradesh, Sewerage schemes of 60 Towns/ULBs are under Jal Shakti Vibhag and Shimla Town is under Shimla Jal Prabandhan Board. Jal Shakti Vibhag has completed sewerage schemes in 32 towns and has installed 62 Sewage Treatment Plants throughout the State with treatment capacity of 85.61 MLD against which 56.05 MLD (65.47per cent) is being treated at present. At present, construction/up-gradation of sewerage schemes for 19 Towns is in progress and proposals for the rest of the 18 towns are being prepared.

8.1.4 Command Area Development

During the year 2021-22, ₹83.16 crore has been provided by Government of Himachal Pradesh which includes ₹ 83.10 crore for Himachal Pradesh Command Area

Development (HIMCAD) activities in minor irrigation schemes to bridge the gap of potential created and utilized and rest of amount is for major/medium irrigation and minor irrigation schemes ongoing in the state including central share. There is a physical target of 3,640 hectare Culturable Command Area (CCA) for providing Command Area Development (CAD) activities, out of which 1,735.77 hectare has been achieved by November 2021 with an expenditure of ₹13.57 crore upto September, 2021. The Government of India has been launched the Incentivisation Scheme for Bridging Irrigation Gap (ISBIG) for providing CAD activities in the completed/ongoing irrigation projects since 2016-17 and accordingly the 6 projects of Command Area Development and Water Management (CADWM) have been considered under the programme. Detailed Project Report (DPRs) of these 6 projects have been submitted to Government of India for inclusion under this scheme.

8.1.5 Hand Pump Programme

The Government has an active programme to provide hand pumps to regions facing scarcity of water during summer season. A total of 40,624 hand pumps have been installed as of January, 2022. Government has announced a new scheme for providing hand pumps to individual beneficiaries at 75 per cent cost.

8.1.6 Irrigation

Adequate and timely supply of Irrigation water to crops is a pre-requisite in the agriculture production process, particularly in areas where rainfall is scanty and irregular. Out of a total geographical area of 55.67 lakh hectare of Himachal Pradesh, only 5.83 lakh hectare is cultivated. It is estimated that irrigation potential of the state is

approximately 3.35 lakh hectare, out of this, 0.50 lakh hectare can be brought under irrigation through major and medium irrigation projects and the balance of 2.85 lakh hectare through minor irrigation schemes. As of November 2021, a total of 2.92 lakh hectares has been brought under the irrigation.

8.1.7 Major Irrigation

The only major irrigation project in the state is Shahnehar Project in Kangra District. The project has been completed and irrigation facility to 15,287 hectare land is being provided. The Command Area Development (CAD) works are in progress and out of 15,287 hectare, 9998.50 hectare land has been brought under CAD activities up to November, 2021 against target of 3,640 hectares.

8.1.8 Medium Irrigation

Medium Irrigation Projects Changer area Bilaspur 2350 hectares, Sidhatha Kangra, 3,150 hectares and Balh Valley Left Bank 2,780 hectare have been completed. The work of CAD Sidhatha is in progress and 2,705.10 hectare land has been brought under CAD activities as of November 2021. At present work of Medium Irrigation Project Phinna Singh Cultivated Command Area (4,025 hectares) and the Nadaun area in District Hamirpur (2,980 hectares) is in progress.

8.1.9 Minor Irrigation

During 2021-22, there is a budget provision of ₹315.24 crore in the state sector to provide irrigation facilities to an area of 8,000 hectare against which up to November, 2021 5,653.62 hectare has been covered with an expenditure of ₹18.59 crore up to September, 2021.

8.2 Environment, Science and Technology

8.2.1 Plastic Waste Management

The State Government has banned use and littering of plastic items by notifications from time to time under Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995. A fine of ₹3.43 lakh has been collected from 385 violators in the year 2021-22. Under this Act, polythene bags, plastic & thermocol cutlery single use plastic spoons, bowls, katories, stirring sticks, forks, knives, straws has been completely banned in Himachal Pradesh. Under Buy-back Policy for non-recyclable plastic waste in the year 2021-22, ₹42.17 lakh has been paid on purchase of 1.00 lakh kg of specified plastic waste to the households and 804 registered rag pickers at ₹75 per kg in the State. The State Government is promoting use of biodegradable Pattals (leaf plates)

and donas (leaf bowls) made of plant leaves. To support artisans/poor families involved in making traditional pattal and dona making machines are being provided under Corporate Environmental Responsibility (CER). Till December, 2021 the provision of providing 100 pattal & dona making machines has been made under CER. In addition, it plastic waste shredders & compactors are being provided to all ULBs. Till December, 2021 the provision of more than 200 plastic waste shredders & compactors have been made under CER.

8.2.2 State Knowledge Cell on Climate Change

A State Knowledge Cell on Climate Change (HPKCCC Phase-I) has been set up in the Department of Environment, Science and Technology, Himachal Pradesh with the assistance of Department of Environment, Science and Technology, Government of India under National Mission for Sustaining Himalayan Ecosystems (NMSHE) . Funding of ₹ 1.12 crore has been mobilized from Government of India to implement the activities under HPKCCC in Phase-II. The Climate Change vulnerability assessment of Beas River Basin has been completed and another study of Satluj River Basin covering 1,800 panchayats &12,500 villages of Kinnaur, Shimla, Kullu, Solan, Mandi and Bilaspur has been initiated with the financial outlay of ₹88.50 lakh. The CC Vulnerability Assessment & Adaptation Plans for Kinnaur & Lahaul-Spiti districts have been prepared as a part of this initiative.

8.2.3 HP Climate Change Conclave - 2021 - "SECURE HIMALAYA- SAFE INDIA" Act for Himalaya

In order to promote multi-stakeholder engagement in the State including neighboring States in the Himalayan region as well as in the downstream and deliberate on the challenges associated with impact of climate change and disaster risk reduction, GoHP organized a two-day conference- "Secure Himalaya- Safe India" on 18th to 19th December, 2021 at Shimla, with focus on reducing climate change induced risks & vulnerabilities in the Western Himalayan region and a Resolution has been made for entire Himalayan Region to combat impact of Climate Change.

8.2.4 State Climate Change Action Plan 2021-2030

The Government of has prepared and adopted revised State Climate Change Action Plan Version-II 2021-2030. The Chief Minister released the Action Plan from Shimla on 18th December, 2021. This document will provide strategic action points for different stakeholders.

8.2.5 Climate Adaptation and Finance in Rural India (CAFRI) project

To support implementation of Himachal Pradesh SDG Vision 2030 targets and State Action Plan on Climate Change with special attention to vulnerable target groups such as women's self-help groups and women Farmer Producer

Organizations (FPO) and their associations, Climate Adaptation and Finance in Rural India (CAFRI) project was launched in the State.

CAFRI is a continuation of commitment from GIZ India for the state under the bilateral programme wih MoEF&CC, Government of India supplemented with various activities related to capacity development and planning, implementing, financing, monitoring adaptation initiatives at different level of governance.

8.2.6 Setting up of Knowledge Network on Climate Change and Disaster Risk Reduction (HPKNCC & DRR)

To implement SDG-13 Vision 2030 targets the State Government has decided to setup Knowledge Network on Climate Change and Disaster Risk Reduction (HPKNCC & DRR) in the State. This knowledge network will bring together policymakers, adaptation researchers, private and other non-governmental sectors at State and regional levels to support the objectives outlined in the State Mission for Climate Change, Strategic Knowledge and Information.

8.2.7 Setting up of Digital Climate Change Reference centre

Foundation stone has been laid to setup Digital Climate Change Reference Centre for adaptation and mitigation of climate change impacts in collaboration with the Government of India and GIZ in the Department of Environment, Science and Technology and work is likely to be completed by 31st March, 2022.

8.2.8 Implementation of Project Sanctioned under National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC) MoEF&CC, GoI

Under this project drought prone areas of three Developmental Blocks of Sirmaur District have been covered with outlay of ₹20.00 crore. The rural small and marginal farmers including rural women are being provided a package of Climate Smart Farming Technologies along with required social engineering and capacity building which leads to improved food security and enhanced livelihood options to enhance resilience.

Under this project following targets have been achieved:

- 3 major lift irrigation schemes, 1 solar based LIS, 35 Minor Irrigation Schemes, 21 small ponds & 23 Kuhls (Irrigation channels) constructed & made functional.
- 7 Training Modules (in regional language and English) developed and distributed among stakeholders.
- Training of 332 Extension Officers from all 12 districts (Horticulture and Agriculture) Completed.

- A total of 6 Trainings has been conducted at Block level (Pachhad, Poanta Sahib & Sangrah) and training imparted to 240 lead farmers.
- 696 trainings conducted & 30,880 farmers trained on climate change adoption.
- 3 Farmer Producer Organizations (FPOs) in three Blocks registered.
- Assurance Fund created in line with insurance schemes for farmers.
- Moisture Management for vegetables- provision of drip and sprinkler irrigation – 4.1 hectare under drip irrigation and 2.68 hectare under sprinkler irrigation covered.
- Promotion of Inter-cropping of maize and pulses and System of Rice Intensification (SRI) Cultivation in late but excess moisture condition- 787 quintal of maize, wheat, mustard and vegetables seed distributed.
- 243.74 quintal green fodder (sorghum & bajra), 40 quintal oats & 35 quintal berseem distributed, 22.78 quintal maize, 6.60 quintal ginger. 20 quintal garlic distributed 4.32 ha. under early on setting cultivars of fruit (pomegranate, kiwi, strawberry, guava, litchi

8.2.9 Capacity Building of marginal Farmers in rural areas

Government of India has sanctioned a project titled as "Capacity building of marginal farmers in rural areas of Himachal Pradesh on biotechnological interventions for Climate Change Adaption to ensure sustainable livelihood" for Lamba Thach Panchayat of Seraj block, district Mandi. Government of India has sanctioned ₹59.00 lakh for different programmes of Capacity Building.

8.2.10 State Level Environment Leadership Awards

Himachal Pradesh Environment Leadership Awards scheme is one of regular scheme of the Department of Environment, Science & Technology. ₹25.00 lakh have been earmarked to be utilized during the year 2021-22 and 24 applications have been received for awards in different sectors.

8.2.11 Creation of Model Eco Villages

The State Government through Department of Environment, Science & Technology is implementing Model Eco Villages scheme in the State. This scheme is focusing towards the perspective of developing low impact lifestyle as to reduce the "ecological footprint" by as much as 50% of the base assessment from the launch of the scheme. Under this scheme, ₹ 50.00 lakh will be utilized over a period of 5 years by the identified village for adoption of Model Eco village scheme. Till date 15 villages have been included under this scheme and ₹ 1.84 crore has been utilized under this scheme upto December, 2021.

8.2.12 Research & Development Projects

To promote research & development, "H.P. Specific Research & Development Projects 2021-22" are being funded to develop Academic institutions, National laboratories and other recognized R&D Institutions in different fields of the State. Upto December, 2021 ₹ 21.80 lakh has been spent under the scheme.

8.2.13 Setting up of Demonstration Micro Municipal Solid Waste Management Facilities

State Government has started the process for setting up of 10 demonstration Municipal Solid Waste Management Facilities as pilot projects in the State. Municipal solid waste management facilities through expert agencies having capacity to dispose of approximately 0.5 ton to 5 ton of waste are being installed at 10 different locations in Himachal Pradesh as pilot projects on PPP mode. ₹4.48 crore under NMHS (National Mission on Himalayan Studies) by MoEF&CC, Government of India has been approved for the purpose Technical Staff has been deployed in each ULBs to help implement the programme.

The ten sites identified for the Solid Waste Management are as follows:

Sr. No.	Municipal Solid Waste (Tons per day)/ Kitchen Waste (Kg per day)	Name of the Local Body/Nagar Panchayat /Gram Panchayat /Municipal Council/Temple Committee
1.	1.8	M.C.Theog
2.	0.80	N.P. Narkanda
3.	0.50 to 1.00	N.P.Kasol
4.	0.50 to 5.00	G.P. Dharampur,Solan
5.	1.5 to 2.0	M.C. Sarkaghat,Mandi
6.	50 to 200 (Kitchen Waste)	Temple Committee at Chintpurni
7.	50 to 200 (Kitchen Waste)	Temple Committee at Naina Devi
8.	50 to 200 (Kitchen Waste)	Temple Committee at Maa Bala Sundari, Trilokpur, Nahan
9.	2.0 to 2.5	M.C. Joginder Nagar
10.	3.0 to 4.0	N.P. Baijnath Paprola

Industrial Development

9
Chapter

9.1 Introduction

Himachal Pradesh has made significant achievements in industrialization in the past few years. The State has a well developed industry sector which has witnessed an average contribution to Gross State Domestic Product (GSDP) of around 30 per cent during the last 4 years. The state is an emerging manufacturing hub for pharmaceuticals, textiles, light engineering goods, health, power, telecom and information technology. The State has laid emphasis on public private partnerships for investments in hydro power projects. The state government has recently announced various measures to promote industrialization in the state. To promote Ease of Doing Business (EoDB) in the State, the State government has announced online application filing for speedy approvals.

Further, the present government in the state has initiated significant reforms in the recent times that have put the state on high growth path. The State government amended the Industrial Policy 2004 and notified the “Himachal Pradesh Industrial Investment Development Policy 2019” and “Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities for Investment Promotion in Himachal Pradesh 2019” to promote and incentivize industry by creating a conducive environment for sustainable inclusive development that generates income and employment opportunities, and encourages skill development thereby establishing Himachal Pradesh as a model industrial hill State of India.

The vision statement in the industrial policy 2019 is, ***“To create an enabling ecosystem to enhance the scale of economic development & employment opportunities; ensure sustainable development and balanced growth of industrial and service sectors to make Himachal as one of the preferred destination for investment”***

9.2 Development of Industrial Areas/ Estates

Creation and maintenance of high quality industrial infrastructure is a prime pre-requisite for industrial development. Industries department has developed 62 Industrial areas and estates for industrial development in State. During the current financial year, the State Government has notified Chak village in District Una as industrial area.

9.3 Ease of Doing Business (EoDB)

State Government has been taking numerous steps to improve business climate with an aim to make it more conducive to start new businesses and create enabling ecosystem to operate. State Government has implemented number of

reforms aiming at improving the business environment and has been widely acknowledged. Himachal has embarked on a mission to leverage technology to complement the governance framework.

Himachal Pradesh has adopted Ease of Doing Business as its top priority area to offer industry a stable, predictable, and fair playing field besides increasing access to information and transparency for industrial development.

Himachal registered a quantum jump of 9 points i.e. from 16th position to 7th position in the rankings announced by Department for Promotion on Industry and Internal Trade (DPIIT), Government of India (GoI) on 05th September 2020. This made "Himachal top ranking State amongst Hilly States" of the Country. Also, Himachal was recognized as "Top Improvers since 2015" by DPIIT, GoI in this ranking.

Single Window System (SWS) has been made fully operational and all the industry related services has been integrated with the Single Window portal of the Industries Department which will act as one stop interface with the investor.

9.4 Minimizing Regulatory Compliance Burden (MRCB)

In a major bid to realize the nation's goals of improving "Ease of Living" and "Ease of Doing Business", DPIIT has also introduced "Reducing Compliance Burden" initiative across country. Key objectives behind the MRCB exercise are to identify/ reduce/ eliminate all the burdensome compliance, minimize physical touch points between Government to Business (G2B)/Government to Citizen (G2C) and provide hassle-free delivery of services by Government. As part of the initiative taken by the State for minimizing regulatory compliances in the State, active measures have been taken.

The Directorate of Industries is a Nodal Agency to implement and coordinate with all departments in the State of Himachal Pradesh. A State Task Force is constituted in this regard under the Chairmanship of Chief Secretary with other Administrative Secretaries as members to minimize the various regulations in the State.

9.5 Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFMFPE)

Under Atama Nirbhar Bharat, "Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFMFPE)"scheme has been launched, with an objective to assist Food Based Micro Enterprises of unorganized sector and bring them to organized sector. The Department is working proactively to implement this scheme in the state.

Seed Capital of ₹70.98 lakh was disbursed to 185 self help groups' members during 2020-21. 3 Incubation Centers (one incubation centre will be established in Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan and other two will be established under Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidayalya (CSKHPKV) at Palampur and at Krishi Vigyan Kendra (KVK) Kukumseri with grant of ₹3.72 crore, ₹2.59 crore and ₹2.52 crore respectively) has been sanctioned by Ministry of Food Processing Industries, Government of India (MoFPI, GoI). Under this scheme 126 individual applications have been sanctioned for credit-linked capital subsidy.

9.6 Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)

Prime Employment Generation Programme (PMEGP) is a credit linked subsidy programme of Central Government. This scheme was launched on 15th August, 2008 by merging of two schemes, Prime Minister Rozgar Yojna and Rural Employment Generation Programme. Under the scheme the maximum cost of the project in manufacturing sector is ₹25 lakh and ₹10 lakh under Service Sector. General Category Candidate get 15-25 per cent subsidy depending upon the location of the proposed venture/unit and contribution towards project cost is 10 per cent. For other category candidates gets 25-35 per cent depending upon the location of the proposed venture/unit and their own contribution is only 5 per cent. Under this scheme, as of January, 2022 loans worth ₹ 21.45 crore have been sanctioned for 725 cases against a target of 1,451 cases.

The objectives of PMEGP are:

- To generate employment opportunities in rural as well as urban areas of the country through setting up of new self-employment ventures/projects/micro enterprises.
- To bring together widely dispersed traditional artisans/ rural and urban unemployed youth and give them self-employment opportunities to the extent possible at their place.
- To provide continuous and sustainable employment to a large segment of traditional and prospective artisans and rural and urban unemployed youth in the country, so as to help arrest migration of rural youth to urban areas.
- To increase the wage earning capacity of artisans and contribute to increase in the growth rate of rural and urban employment.

9.7 Mukhya Mantri Swavalamban Yojana (MMSY)

MMSY is one of the important flagship programmes of the State Government. It is an ambitious scheme of the State Government to provide self-employment opportunities for youth of Himachal Pradesh. This scheme became very popular in spite of "COVID-19 Pandemic" with a phenomenal increase in the sanctioned cases.

The scheme has been made available online with the provision of 60 per cent “Front Loading” of subsidy. The scheme has been recently amended by adding activities related to agriculture, animal husbandry, sericulture and mining in order to provide benefits to rural youth. The age limit for women has been revised from 18-45 years to 18-50 years, so that more women could take the benefit of the scheme and become self-dependent. This scheme is being regularly monitored at higher level and is very popular amongst the youth.

Under MMSY, upto December, 2021, more than 5,000 projects have been sanctioned by the Banks, which have generated 15,073 self-employment opportunities.

9.8 Himachal State Food Mission

Ministry of Food Processing Industries (MFPI) had launched a Centrally Sponsored Scheme (CSS) National Mission on Food Processing (NMFP) during the 12^{th} Plan (2012-13) for implementation through States/ UTs. Further, the Government of India has approved continuation of the Mission during the remainder of 12^{th} Five Year Plan (2013-17). The basic objective of NMFP is decentralization of implementation of Ministry’s schemes, which will lead to substantial participation of State governments/Union Territories (UTs). This scheme has been delinked from central assistance and has been continued by the State Government from 2015-16 onwards. During 2021-22, under “Himachal State Food Mission” 14 Projects were sanctioned involving Grant-in-Aid of ₹ 2.27 crore.

9.9 Sericulture Industry

Sericulture activities are providing part time employment to the weaker section of the State. In order to promote silk worm rearing in the State, 146 community based organizations and **“Resham Sathi”** have been nominated under various projects.

9.10 Mining

To bring transparency and save time, the entire process of sanctioning the mining lease is now online. Strict provisions have been made to check illegal mining. The penalty has been raised from ₹25,000 to ₹50,000 and the provision for imprisonment has been modified to provide for up to 2 years or both for an offence. On one hand, Government is committed to check illegal mining and punish the offenders with the strict provisions made in the rules, on the other hand, it is making all efforts to make mining material available for legal activities. The border Districts of State viz: Kangra, Una, Solan and Sirmaur are prone to illegal mining. In order to curb illicit mining a complete ban for grant of mineral leases for open/free sale has been imposed. Further, 5 mining check posts in District Una and one in District Solan

have been established to check illegal mining as well as overloading. During the last 04 years, the department has auctioned more than 220 mining sites through tender-cum-auction mode.

9.11 Status of Industrialization in Himachal Pradesh

As on 31.01.2022, 33,094 enterprises have registered on the Udyam portal in the state, out of which 31,217 are Micro, 1,637 are Small and 240 are Medium enterprises**.** In addition to this 48 large industrial units are also working in the state. District wise data of registration on Udyam portal including manufacturing and services enterprises is listed in table 9.1.

Table 9.1: Udyam Registration-Manufacturing and Services Enterprises

District	Udyam Registration (Manufacturing and Services Enterprises)				Dominance by sector
	Total	Micro	Small	Medium	
Bilaspur	1,310	1,273	34	3	Food Industry
Chamba	1,364	1,338	26	0	Food Industry
Hamirpur	1,660	1,622	36	2	Furniture Industry
Kangra	5,708	5,519	178	11	Food Industry
Kinnaur	271	270	1	0	Handloom Industry
Kullu	2,426	2,358	65	3	Handloom Industry
Lahul Spiti	149	149	0	0	Wool Based Industry
Mandi	3,783	3,679	101	3	Food Industry
Shimla	3,767	3,627	132	8	Food Industry
Sirmaur	2,369	2,084	217	68	Pharmaceutical Industry
Solan	7,769	6,890	744	135	Pharmaceutical Industry
Una	2,518	2,408	103	7	Food Industry
Total	**33,094**	**31,217**	**1,637**	**240**	

Source: Ministry of MSME, Government of India

9.12 Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in Himachal Pradesh

MSMEs contribute significantly to the economic and social development of the state by fostering entrepreneurship and by generating employment opportunities. The government has taken several initiatives to nurture and promote the MSMEs. The revision in the definition of MSMEs brought in w .e. f. 1st July, 2020 as part of the Atma Nirbhar Bharat package introduced a composite-criteria of investment and annual turnover-and identical limits for manufacturing and services sector (Table 9.2).

Table 9.2: Definition of MSMEs Old and New

Existing MSME Classification-Criteria- Investment in plant/machinery/equipment			
Classification	**Micro**	**Small**	**Medium**
Manufacturing enterprises	Investment < ₹ 25 lakh	Investment < ₹ 5 crore	Investment < ₹ 10 crore
Services enterprises	Investment < ₹ 10 lakh	Investment < ₹ 2 crore	Investment < ₹ 5 crore
Revised definition of MSMEs			
Composite criteria : Investment in Plant and Machinery or Equipment and Annual Turnover			
Classification	**Micro**	**Small**	**Medium**
Manufacturing enterprises and enterprises rendering Services	Investment < ₹ 1 crore	Investment < ₹ 10 crore	Investment < ₹ 50 crore
	Turnover < ₹ 5 crore	Turnover < ₹ 50 crore	Turnover < ₹ 250 crore

Source: Ministry of MSME, Government of India

The modified definition of MSMEs will facilitate expansion and growth of these enterprises. The resulting economies of scale can enhance productivity without the MSMEs losing out on several government incentives including market support, export promotion, preferential procurement in the public sector and incentives through the Micro Small Enterprises- Cluster Development Programme (MSE-CDP), Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) and Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) and enabling of information technology ecosystems. This enabling environment will promote competition and avoid dwarfism among MSMEs. The recent measures taken by the Government to improve the ease of doing business for the MSMEs include the launch of the new Udyam Registration Portal in July 2020. The registration process under this is fully online, digital, paperless and is based on self-declaration. New registration process has boosted the ease of doing business for MSMEs by reducing transaction time and costs.

9.13 Khadi and Village Industries Commission (KVIC)

KVIC is a statutory body formed in April 1957 (During 2nd Five Year plan) by the Government of India, under the Act of Parliament, 'Khadi and Village Industries Commission Act of 1956'. It is an apex organisation under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, with regard to khadi and village industries within India, which seeks to - "plan, promote, facilitate, organize and assist in the establishment and development of khadi and village industries in the rural areas in coordination with other agencies engaged in rural development wherever necessary." The KVIC has its state wing at Shima and having 13 working Khadi Institutions in the State. The status of production and sale through KVIC affiliated/registered Societies and Institutions is shown in table 9.3.

Table 9.3: Status of production and sale through KVIC/KVIB affiliated/registered Societies and Institutions

Year	Production Value	Sale Value	Employment (in No.)
	(₹ in lakh)		
2017-18	440.58	796.99	1418
2018-19	370.10	828.55	1615
2019-20	559.95	856.16	1668
2020-21	234.61	568.73	1804
2021-22	329.00	763.00	1804

Source: HPKVIC, Himachal Pradesh.

In addition to Khadi Programme, KVIC is also implementing PMEGP. Under this programme Credit Linked Back ended subsidy scheme is under implementation all over India with the involvement of Khadi & Village Industrial Board (KVIB) and Directorate of Industries in the respective State. With the active support of local Government agencies and Banks, KVIC is implementing PMEGP scheme since 2009 and generating employment opportunities to educated and uneducated youth. The status of industrial units, utilisation of subsidy and employment generation is depicted in table 9.4.

Table 9.4: Status of subsidy and Employment (under PMGEP)

Year	No. of Project	Subsidy Utilized (₹ in lakh)	Employment Generated
2017-18	886	2042.50	7088
2018-19	1399	4135.61	11192
2019-20	1216	3213.86	9728
2020-21	1208	3381.10	9664
2021-22	796	2312.49	6368

Source: HPKVIC, Himachal Pradesh.

KVIC has also identified clusters for regeneration of traditional industries in the state. Under SFURTI Sirmour Beekeeping Cluster has been identified and Mahila Samaj Kalyan Samiti, Rajgar, Sirmour will be the implementing Agency. With the technical support of Lee Bee International institute of Bee Keeping and Agro Enterprises, Ludhiana, 300 artisans will be covered involving project cost of ₹ 255.76 lakh.

9.14 Himachal Pradesh Khadi & Village Industries Board (HPKVIB)

The HPKVIB is a statutory body created by an act of Legislative assembly (Number 8 of 1966). It came into existence on 8th January, 1968. The original Act of 1966 has been subsequently amended during the year 1981 and 1987. The

department of Industry is administrative department of KVIB. The objectives of the board are broadly given as under:

- The social objective of providing employment.
- The economic objective of producing saleable articles.
- The wider objective of creating self-reliance amongst the poor and building up of a strong rural community spirit.

The Board is playing a pivotal role in rural industrialization and employment generation by encouraging rural artisans/entrepreneurs to establish micro/village industries at their doorsteps thereby, utilizing locally available raw material and skills.

9.15 Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation (HPSIDC)

It is a major agency in the State to promote the setting up of small, medium, and large-scale industrial units. The Corporation also acts as a State-level financial institution. HPSIDC is the major agency for the promotion and establishment of industrial units is Himachal Pradesh. It is also the major State-level financial Institution and provides long-term loans for industrial projects. The important activities of the Corporation are:

- Stimulate industrialization throughout HP.
- Promotion, Development & Financing of Industries
- Development of Industrial Infrastructure
- Facilitator – providing guidance & assistance to entrepreneurs
- Marketing of Steel & Bitumen as dealer of Central Public Sector Undertakings (PSUs) like Steel Authority of India Limited (SAIL)/ Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) and Indian Oil Corporation Limited (IOCL).
- Development of industrial areas/ estates.

The HPSIDC has been engaged as State implementing agency for execution of two prestigious projects viz State of art industrial areas at Kandrori, district Kangra and Pandoga, district Una, under the Modified Industrial Infrastructure Upgradation Scheme (MIIUS) of the Government of India. The projects has an outlay of ₹275.00 crore.

The HPSIDC likely to earn a gross profit of ₹1494.95 lakh during 2021-22 and after making a provision for taxation and dividend of ₹480.48 lakh, net profit of ₹1014.47 lakh is expected in 2021-22.

Chief Minister has launched the portal UNNATI and mobile App of HPSIDC. This portal would give users the ability to work in collaboration with others and focus on individual projects. Apart from real time collaboration, UNNATI portal would allow users to share and work on documents together from any place and any time.

9.16 Himachal Pradesh Infrastructure Development Board (HPIDB)

HPIDB has been established for furtherance the purpose of Himachal Pradesh Infrastructure Development Act-2001 and to provide for framework for participation by persons other than the State Government and Government agencies in financing, construction, maintenance and operation of infrastructure projects and to raise resources on behalf of the State Government for infrastructure projects development. At present, the investments raised through this organization are bridging the gap of the expenditure under State Plan. So far, various developmental works in the following sectors have been undertaken.

- State Roads and Bridges Projects.
- Irrigation and Public Health Projects.
- Health infrastructure.
- Power projects.
- Urban Local Bodies and other infrastructures.

HPIDB is also acting as Public Private Partnership (PPP) cell of the State Government in addition to its existing activities. The HPIDB has successfully

awarded 20 projects on PPP mode and other projects which are in pipeline for different sectors as shown in table 9.5 and 9.6:

Table 9.5: Projects awarded on PPP mode

Sectors	No of projects awarded
1. Urban	12
2. Tourism	5
3. Health	2
4. Environment	1
Total	**20**

Table 9.6: Projects in the pipeline to be developed under PPP mode

Sectors	No of projects in the pipeline
1. Tourism	9
2. Urban	4
3. Horticulture	2
4. Transport	2
5. Public Works	1
Total	**18**

During the year 2020-21, HPIDB has awarded Consultancy Assignments in Urban Infrastructure sector for Operation and Maintenance (O&M) of Shri Chintpurni Sadan, Block C, Chintpurni and Operation, Maintenance and Management (OMM) of High End Restaurant in ground floor of Town Hall, The Mall, Shimla of Municipal Corporation and one in Transport Sector for Development of Bus Stand and Car Parking complexes at Hamirpur in Himachal Pradesh on PPP mode.

9.17 Investment/Outreach initiatives

- To attract investment in the State, the Government organized 1st Global Investors Meet-2019 on 07th and 08th November, 2019 at Dharamshala. The objective was to attract investment in the sectors of Agriculture Business, Food Processing and Post Harvest Technology, Manufacturing and Pharmaceuticals, Tourism, Hospitality and Civil Aviation, Hydro and Renewable Energy, Wellness, Healthcare and Ayush, Housing, Urban Development, Transport, Infrastructure and Logistics, Information Technology, Information Technology Enabled Services (ITES) and Electronics, Education and Skill Development.
- Before organizing the main event, State Government organized three international road shows at Germany, Netherland and United Arab Emirates (UAE) under the leadership of the Chief Minister, Himachal Pradesh. Apart from international road shows, six domestic road shows

were organized at Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, New Delhi, Ahmadabad and Chandigarh and two mini conclaves at Manali and Shimla.

- The Government signed 703 Memorandum of Understanding (MoUs) in various sectors with proposed investment of ₹96,720.88 crore and proposed employment of 1,96,800 persons in the Global Investors Meet.

- **1st Ground Breaking Ceremony (GBC) was organized on 27-12-2019 at Shimla, in which 236 MoUs worth ₹13,488 crore were grounded.**

- Despite COVID-19 pandemic situation, 102 projects with investment of ₹4,483 crore has been commissioned and civil works/machinery installation is in progress in 87 projects with investment of ₹ 6,917 crore. Approximately 84 per cent of total investment grounded has materialized.

Table 9.7: Status of MoUs grounded in 1st GBC

Department	No. of MoUs Grounded	₹ in crore	Production Started / Operation Started		Civil Work in progress		Civil Work not started yet	
			No. of MoUs	₹ in crore	No. of MoUs	₹ in crore	No. of MoUs	₹ in crore
1. Industries	112	3157	74	1692	27	1224	11	241
2. Ayurveda	18	357	3	12	11	322	4	24
3. Elementary Education	2	4	2	4	-	-	-	-
4. Health and Family Welfare	2	60	1	20	1	40	-	-
5. Higher Education	9	345	1	250	7	91.5	1	3
6. Housing	9	1696	-	-	7	1648.5	2	47
7. Information Technology	4	2090	4	2090	-	-	-	-
8. MPP and Power	2	2395	-	-	2	2395	-	-
9. Tourism	76	3134	17	415	32	1196	27	1523
10. Urban Development	2	250	-	-	-	-	2	250
Total	**236**	**13488**	**102**	**4483**	**87**	**6917**	**47**	**2088**

Source: Department of Industries, Government of Himachal Pradesh.

- The Government of Himachal Pradesh organized a roadshow at Chandigarh on 05.09.2021 to attract fresh investment in the State across various sectors. Total 27 MoUs were signed with a proposed investment of ₹3,307 crore.

- ***2nd Ground-breaking Ceremony (2nd GBC) was organized on 27th December 2021 at Mandi in which 287 MoUs with a proposed investment of ₹ 28,197 crore grounded. Direct/ indirect employment to 80,000 persons is expected under these projects. Below is the summary of confirmed MoUs (Table-9.8).***

Table 9.8: Status of MoUs grounded in 2nd GBC

Departments	No. of MoUs	Amount (₹crore)
1. Industries	133	11,847.42
2. MPP and Power	15	12,457.80
3. Himurja	46	1,414
4. Tourism	65	1,747
5. Housing	4	275
6. Urban Development	2	160
7. Ayurveda	8	128
8. Higher Education	9	121
9. Information Technology	2	34
10. Health and Family Welfare	1	10
11. Horticulture	1	1.45
12. Elementary Education	1	0.6
Total	**287**	**28,197**

Source: Department of Industries, Government of Himachal Pradesh.

9.18 Trends in Industrial Sector

Industrial sector performance in terms of its contribution in Gross State Value Added (GSVA) has increased in 2021-22 over 2020-21 with 1.54 percentage point. The contribution of manufacturing sector in GSVA at Current Prices has decreased from 31.43 per cent in the year 2018-19 to 29.04 per cent in the year 2019-20 (Table 9.9). It has decreased to 28.91 per cent in the year 2020-21, this has occurred due to lockdown measures taken under second wave of COVID-19 pandemic, which has hampered the industrial production. State Government is taking many initiatives such as Incentives to Investors, and enabling EoDB etc. to increase its contribution. The contribution of mining and quarrying sector in GSVA at Current Prices has decreased from 0.32 per cent in the year 2018-19 to 0.25 per cent in the year 2021-22, due to the effect of COVID-19 and more contribution from the other sectors of the economy. It is also the result of stringent action taken to check illegal mining by the State Government. The details are as shown in Table 9.9 below:

Table 9.9: Contribution of Industries and Mining in Gross State Value Added at Current Prices (in Per cent)

(Base: 2011-12)

Sector	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Manufacturing	**31.43**	**29.04**	**28.91**	**30.51**
Mining and Quarrying	**0.32**	**0.31**	**0.32**	**0.25**

Source: Department of Economic and Statistics, Government of Himachal Pradesh.

The trend in growth rate of GSVA of manufacturing sector in Himachal Pradesh (at constant prices) for the period 2017-18 to 2021-22 is shown in figure 9.1. The growth rate of GSVA of manufacturing sector at constant prices was 10.1 per cent in 2018-19 and decreased to 0.88 per cent in 2019-20. After showing a negative growth rate of -7.33 per cent in 2020-21 it became 11.3 per cent in 2021-22.

Figure 9.1 GSVA in Manufacturing and Mining Sector along with Growth Rate of respective sector

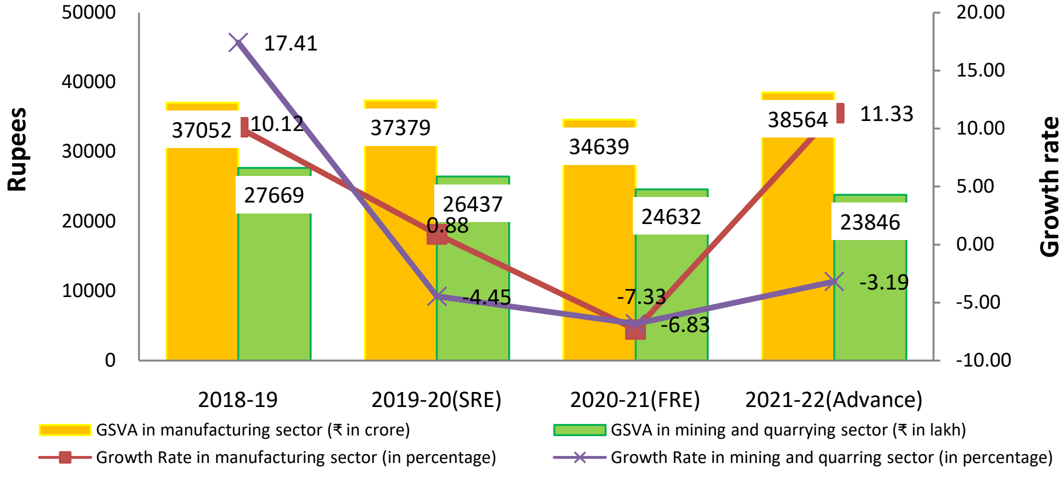

Source: Department of Economic and Statistics, Government of Himachal Pradesh.

9.19 Index of Industrial Production (IIP)

The Index of Industrial Production (IIP) is a yardstick for measuring industrial growth, it includes the relative change of physical production in the field of Industry during specific period as compared to the previous period. The main objective of this index is to estimate the contribution of Industrial sector to the Gross State Domestic Product. IIP in the State is being compiled on base year 2011-12. The IIP is estimated quarterly by collecting data from selected units of Manufacturing, Mining, Quarrying and Electricity, on the basis of quarterly indices, annual indices have been worked out and are shown in table 9.10.

Table 9.10 : Index of Industrial Production

Year	Mining	Manufacturing	Electricity	General
2019-20	89.1	157.8	478.0	223.9
2020-21	102.0	153.9	482.7	221.9
2021-22*	99.7	173.4	664.9	274.7

*Indices are average of two quarters viz. June and September, 2021.

Source: Department of Economic and Statistics, Government of Himachal Pradesh.

The General Index has slightly decreased from 223.9 to 221.9 in the year 2020-21 showing a marginal decrease of 0.9 per cent mainly due to the dip in manufacturing indices in the June quarter, when the lockdown measures were enforced under COVID-19 pandemic. As regards the indices for year 2021-22, these have been worked out on the basis of two quarters (June and September, 2021). As compared with the quarterly indices of June and September quarter of 2020-21 with the same quarter of 2021-22, an increase of 5.9 per cent has occurred. This is attributed to increase in Industrial production, which is a healthy sign for growth in manufacturing sector as well as in economy of the State.

Labour and Employment

10
Chapter

10.1 Introduction

As stated in the Annual Report of Ministry of Labour and Employment 2019-20, Government of India, economic development means not only creation of jobs but also working conditions in which one can work with freedom, safety and dignity. The free and safe working conditions in the State are attributable to State‟s planned interventions in the forms of policies and social security networks. Compared to other parts of the country, reported wage rate of workers in both agricultural and non-agricultural sectors in Himachal Pradesh is higher (Periodic Labour Force Surveys). The higher wage rates in Himachal Pradesh attract in-migrants into the State, especially from States where wage rates are very low. The State now needs to create additional employment opportunities and employment-intensive growth for which the labour force has to move from low-value-added to high-value-added activities. The State aims to achieve job induced inclusive growth in the economy to create new jobs in both urban and rural areas of the State.

The employment assistance/ information service to job seekers is provided through 3 Regional Employment Exchanges, 9 District Employment Exchanges, 2 University Information and Guidance Bureaus, 65 Sub Office Employment Exchanges, one Special Employment Exchange for Physically Handicapped and Central Employment Cell. For Vocational Guidance and Employment Counseling to the youth as well as in the matter of collection of Employment Market information all 77 Employment Exchanges have been computerized and are online.

10.1.1 Minimum wages

Himachal Pradesh Government has constituted a Minimum Wages Advisory Board under the Minimum Wages Act-1948 for the purpose of advising the State Government in the matter of fixing and revising the minimum rates of wages for the workers. The State Government has enhanced the minimum wages for unskilled category of workers from ₹275 to ₹300 per day or ₹8,250 to ₹9,000 per month w.e.f. 01.04.2021, working in all existing 19 scheduled employment under the provisions of Minimum Wages Act, 1948.

10.1.2 Employment Market Information Programme

At the district level, the employment data is being collected under the Employment Market Information Programme since 1960. The total employment in the

State as on 31-03-2020 in Public Sector was 2, 75,526 and in private sector was 1,83,293. The establishments in Public Sector and Private Sector are 4,407 and 1,814 respectively.

10.1.3 Vocational Guidance

The Department of Labour and Employment provides Vocational/ Career Guidance to the youth and also organizes guidance camps as well in Schools/Colleges/ITIs/Polytechnics etc. Accordingly apart from providing information about Schemes/Welfare programmes being implemented for the youth, information about skill development, career options, employment/ self employment opportunities etc., is also provided by the officers/competent officials of the department and officers / representatives from different departments/organizations. During this financial Year, due to covid-19, the desired results could not be achieved by the Department. However, applicants visiting Employment Exchanges were provided vocational guidance and upto 31.12.2021, 10,708 youth were provided individual/group counseling by the competent officials of the Department.

10.1.4 Central Employment Cell

To provide technical and highly skilled manpower to all the industrial units, Institutions and establishments, the Central Employment Cell which has been set up in the Directorate of Labour and Employment of the State remained engaged in rendering its services during the year 2021-22. Under this scheme, assistance is provided to the employment seekers, in finding suitable jobs in private sector according to their qualifications. The Central Employment Cell organizes Campus Interviews for Private Sector Employers for their requirement of unskilled labour. During this financial year, upto 31.12.2021 Central Employment Cell has organized 1 job fair and 138 Campus Interviews wherein 1,663 candidates were selected by employers.

10.1.5 Special Employment Exchange for specially abled

The special employment exchange for the placement of disabled persons (physically, visually, hearing and locomotor impaired) was set-up in the Directorate of Labour and Employment in 1976. This special employment exchange renders assistance to the specially abled candidates in the field of vocational guidance and also provides employment assistance in Public and Private Sector. The Physically disabled persons who are among the weaker section of society have been provided a number of facilities or concessions which include free of cost medical examination through the Medical Boards constituted at the State and District level, relaxation of age by 5 years, exemption for qualifying type test for those who suffer from disability in the upper limbs extremities with 5 per cent reservation for appointment in Class-III & Class-IV posts. During the financial year 2021-22 (upto November, 2021) 531 specially abled persons

were brought on the Live Register of the Special Employment Exchange bringing the total number to 19,205 and 119 specially abled persons were provided employment.

10.1.6 Employees Insurance and Provident Fund Scheme

The Employees State Insurance (ESI) is applicable in the areas of Solan, Parwanoo, Barotiwala, Nalagarh, Baddi in Solan District, Mehatpur, Bathri & Gagret in Una District, Paonta Sahib & Kala Amb in Sirmour District, Golthai in Bilaspur District, Mandi, Ratti, Ner Chowk, Bhangrotu, Chakkar & Gutkar in Mandi District and Industrial Area Shoghi and Municipal area of Shimla in District Shimla. About 13,325 establishments with an estimated 3,15,331 insured persons are covered under ESI Scheme in Himachal Pradesh and under Employees Provident Fund (EPF) scheme about 17,28,643 workers have been brought under this scheme working in 23,363 establishments.

10.1.7 Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) ACT-1996 and Cess Act- 1996

Under this Act, various provisions have been made to implement welfare schemes such as providing Maternity/Paternity Benefits, Disability Pension, Retirement Pension, Family Pension, Medical Assistance, Financial Assistance for marriage of self and upto two children, Skill Development Allowance, providing bicycles and washing machines to women workers, providing induction heater or solar cooker and solar lamps to beneficiaries. About 2,236 establishments are registered with the Department of Labour & Employment and 3,39,049 beneficiaries are registered with the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board. Benefits amounting to ₹317.19 crore under various welfare schemes have been provided to the eligible beneficiaries and ₹737.27 crore has been deposited with Himachal Pradesh Building & Other Construction Welfare Board, Shimla upto December, 2021.

10.1.8 Skill Development Allowance Scheme

During this financial year, ₹80 crore has been made under Skill Development Allowance Scheme. Under this scheme there is provision of allowance to the eligible un-employed youth of the State for their skill up gradation and increasing their employability. This allowance is payable @ ₹1,000 per month and for 50 per cent or more permanent physically challenged @ ₹1,500 per month for duration of Skill Development Training subject to maximum period of two years, is provided. During the financial year, 2021-22 (upto December, 2021) ₹15.01 crore Skill Development Allowance has been disbursed amongst the 32,182 beneficiaries. The department is also implementing Industrial Skill Development Allowance Scheme, 2018. Under this

scheme there is a provision allowance to the eligible employed youth engaged in private industrial establishment of the State for their job skill upgradation and better employment opportunities. The disbursement criteria under this scheme are the same as for the Skill Development Allowance Scheme, 2013 and under this head an amount of ₹1.74 crore was disbursed among 2,398 beneficiaries.

10.1.9 Unemployment Allowance Scheme

During this financial year 2021-22, budgetary provision of ₹29.00 crore has been made under Unemployment Allowance Scheme. Under this scheme, there is provision of allowance to the eligible unemployed youth of the state @ ₹1,000 per month and for 50 per cent or more permanent physically challenged @ ₹1,500 per month for a maximum period of 2 years to enable them to sustain themselves for a certain period. During the period upto December, 2021, total 51,613 beneficiaries have benefitted under this scheme and ₹20.38 crore has been disbursed.

10.1.10 Employment Exchange Information

During this financial year (upto December, 2021) 1,68,239 applicants were registered under Employment Exchange Scheme. Of these, 616 placements were made in Government sector against 1,301 notified vacancies and 2,183 placements in private sector against 6,629 notified vacancies. The consolidated number on live registers of all employment exchanges as on December, 2021 is 8,73,060. The district-wise registration and placements done by the employment exchanges with effect from April to December, 2021 is given in Table 10.1 below:

Table 10.1: Employment Exchange Information

District	Registration	Vacancies notified	Placement		Live Registration
			Govt.	Private	
Bilaspur	3,329	0	1	318	59,248
Chamba	14,749	1,796	28	96	64,684
Hamirpur	13,678	275	80	130	67,340
Kangra	38,694	976	102	129	1,84,793
Kinnaur	3,669	0	0	0	0
Kullu	9,474	0	28	109	57,696
Lahaul&Spiti	830	0	0	0	5,290
Mandi	34,032	66	148	501	1,66,051
Shimla	14,011	1,027	86	18	79,735
Sirmaur	11,818	963	8	247	63407
Solan	12,799	2,765	10	191	55,684
Una	11,156	62	125	444	69,132
H.P	**1,68,239**	**7,930**	**616**	**2,183**	**8,73,060**

Note: Placement figures do not include the figures of placement given by Departments, Corporations, Boards and H.P. Public Service Commission and H.P State Staff Selection Board through direct and open competition.

10.2 Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam (HPKVN)

Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam (HPKVN) is a State Government Corporation incorporated on 14th September, 2015 under the Companies Act, 2013 as a State Skill Mission. It is implementing three major projects for imparting training to the youth of Himachal Pradesh i.e (i) Asian Development Bank (ADB) assisted Himachal Pradesh Skill Development Project (HPSDP) (ii) State component under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna (PMKVY) scheme & (iii) Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP).

10.2.1 Asian Development Bank (ADB) Assisted Himachal Pradesh Skill Development Project (HPSDP)

Contracts amounting to ₹429 crore were awarded and an amount of ₹163 crore were claimed as disbursement.

i. Setting up of Center of Excellence (CoE)

In order to create institutional framework for long term skill development needs of the state, a CoE is being setup at Waknaghat, in district Solan with an estimated cost of ₹68 crore under ADB assisted HPSDP. This institute shall provide high quality training in Hospitality & Tourism and Information and Technology (IT) sector.

ii. MoU"swith reputed Government Training Institutions

With a view to focus on high and aspirational skilling, HPKVN has signed MoU"s with various Government Institutions and Public Universities like National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT), Centre for Development of Advanced Computing (CDAC), Click-Through Rate (CTR), National Institute of Financial Management (NIFM), Himachal Pradesh University (HPU), Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), University of Horticulture & Forestry (UHF) and National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM) for imparting training to around 9,170 Himachali youth in higher aspiration industry driven job roles like Artificial Intelligence, Web Designing, Machine Learning, Advanced Tax law etc. More than 1167 candidates have been enrolled for the said courses.

iii. Up-gradation of Tools & Equipment"s in 50 ITI"s, Women Polytechnic (Rehan, district Kangra) and Government Engineering Colleges

The Himachal Pradesh Skill Development Project is also facilitating the up-gradation of 50 ITIs where 23 trades shall convert from State Council for Vocational Training (SCVT) to National Council for Vocational Training (NCVT) certificates and this will benefit 23,000 students. The process for procurement of requisite equipment"s is in progress. This includes equipment"s for various trades such as Mechanical, Electrical, Electronics, Hand Tools, Embroidery, Information and Technology and Beauty & Wellness etc. Additionally, equipment"s for Women Polytechnic (Rehan, district Kangra) and Government Engineering Colleges is also to be procured. Construction of Women Polytechnic, Rehan has been completed and trainings are underway. The Women Polytechnic, Rehan will have a residential facility for 300 candidates/trainees.

iv. Short Term Training Programmes through Government Industrial Training Institutions (ITI"s) of Himachal Pradesh:

HPKVN under its Himachal Pradesh Skill Development Project has started short term up skilling and multi skilling training in 54 ITI"s and more than 8,347 students have been enrolled in various sectors such as Automotive, Construction, Plumbing, IT-ITes, Capital Goods, Apparel & Made-ups, Electronics & Hardware, Beauty & Wellness, Iron & Steel, Media & Entertainment etc. This is aimed at creating a multi skilled workforce with higher employability potential, both in industry and self-employment sectors.

v. **Graduate Job Training Programs**

To increase the employability of final year graduating students of 25 Government Degree Colleges, HPKVN has introduced a National Skills Qualifications Framework (NSQF) aligned graduate add on training program in sectors complementing their core studies. For example- Banking, Financial Services, and Insurance sector (BFSI), Electronics, IT, Tourism Beauty & Wellness, Apparel, Media and Entertainment sectors. More than 1,850 students of 13 colleges have completed their training during the year 2019-2020 and 2020-2021. During the academic year 2020-21, 15 more Government Degree Colleges have been earmarked for imparting training to 5,500 students under Graduate Job Training Programme. The current cumulative enrolment figures stood at 5,947 (inclusive of 2,216 enrolments of 2019-20 & 2020-21 academic years).

vi. **Bachelor of Vocation (B.Voc) Degree Programme**

The B.Voc. Program is a joint effort of HPKVN and Department of Higher Education (DoHE). This 3 Years full-time Degree Programme is running in 18 Government Degree Colleges of the State in 2 sectors (Retail and Tourism & Hospitality). Presently more than 4,638 students have been enrolled till date.

vii. **Other Short-Term Training Programmes through Training Service Providers (TSP"s)**

HPKVN has on-boarded training service providers to impart skills training to more than 9,000 youth of Himachal Pradesh in various sectors such as Automobile, Manufacturing, Power, Construction and Plumbing, BFSI, IT-

ITeS, Electronics, Healthcare, Tourism & Hospitality etc. During the year 2021-22 the cumulative enrollment figures under various short-term trainings was more than 2,648.

viii. Livelihood based Skill training of Persons with Disability (PwD)

HPKVN has launched **„Nav Dharaana‟** a livelihood-based training programme for persons with disabilities for nurturing employment and entrepreneurship skills amongst the differently abled persons. The process for selection of training service provider for training approximately 300 PwDs in Retail, Hospitality, Agriculture and Food Processing sectors has been completed.

ix. City Livelihood Centres (CLCs), Rural Livelihood Centres (RLCs) and Model Career Centres (MCC)

Construction of CLCs, RLCs and MCCs are in progress to provide institutional support for skill development activities across the state. The construction work of CLCs (Sundarnagar, Nahan, Sidbhari, Shamshi), RLCs (Sadayana, Pragatinagar) has been completed and training in these CLCs and RLCs are to be started soon. The construction work of 1 CLC (Bilaspur) and 5 RLCs (Nalagarh, Nagrota Bagwan, Bangana, Seraj and Chaupal) is still in progress. Apart from this, 11 MCCs (Dharamsala, Chamba, Hamirpur, Bilaspur, Mandi, Baddi, Solan, Dadasiba, Udaipur and Kaza) are being constructed/renovated to provide appropriate career counseling support to Himachali youth as per their aspirations and to give them access to National Career Portal. The construction work in respect of MCC, Hamirpur has been completed.

10.2.2 Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)

HPKVN is the implementing agency for the state component of PMKVY 2.0 and 3.0. To fulfill the said mandate, HPKVN has enrolled more than 16,200 youth in 22 sectors under PMKVY 2.0 since the financial year 2018-19. Out of these training of more than 9,000 youth has been completed. During the financial year 2021-22, training through 5 government ITI‟s (with 303 enrollments) has commenced under PMKVY 3.0 state component and 1,800 Recognition of Prior Learning (RPL) trainings have been completed.

10.2.3 Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)

HPKVN is implementing World Bank assisted Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP) with sanctioned funds of ₹2.1 crore and aimed at strengthening institutional mechanism and skilling ecosystem across the state. HPKVN has signed an MoU with Handicrafts and Handloom Corporation Limited on 12th October, 2021 amounting to ₹44.80 lakh vide which capacity enhancement endeavors pertaining to skill upgradation, design intervention and marketing of state specific arts and crafts targeting 200 stakeholder artisans are to commence from February, 2022 in Bilaspur, Chamba, Kullu, Mandi, Shimla, Solan, Hamirpur and Kangra districts in Chamba Rumal, Wood Craft, Kullu Caps, Pottery Craft, Kangra Painting, Bamboo Craft, Pine Needle Training and Hand Knitting job roles with preferential enrollment of women, SC, ST, PwD‟s and other weak sections of the society.

10.2.4 Awareness Creation and Publicity

HPKVN has prepared an elaborate promotional and brand building plan to reach out to all Himachali youth who are seeking vocational education. Under this plan, widespread publication and distribution of Information, Education and Communication (IEC) material such as Frequently Asked Questions (FAQ), counseling booklets, program brochures, videos, posters and leaflets etc. is being developed. Regular TV and Radio programs are being broadcasted to create awareness about the various programs and schemes of HPKVN. Social networking sites such as Facebook, Twitter and Instagram are also widely used.

10.3 Employment Scenario: Himachal Pradesh, Neighboring States and India

The Periodic Labour Force Survey (PLFS), a new series launched by the Government of India in 2017, discontinuing the quinquennial employment and unemployment surveys of National Sample Survey Organization (NSSO), now National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI), provides labour force data on an annual basis. The PLFS data is now the primary source of data on employment and unemployment at national and State level. The Government of India released the first Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2017-18 Report in May 2019 based on the survey conducted by NSO from July 2017 to June 2018 and second PLFS 2018-19 Report in June 2020 which is based on the survey conducted by NSO from July 2018 to June 2019. The Present report is the third annual report being brought out by NSO based on the survey conducted during July 2019 – June 2020. Estimates of the labour force indicators based on the usual status (principal status (ps) + subsidiary status (ss)) approach and Current Weekly Status (CWS)

approach adopted in the survey for classification of the population by activity statuses. The reference period for usual status (ps+ss) approach is one year and for current weekly status approach, it is one week.

10.3.1 Labour Force in Himachal Pradesh

The situation of the labour force in Himachal Pradesh can be gauged from various indicators such as Labour Force Participation Rate (LFPR), Worker Population Rate (WPR), Daily Wage Rate and trends in industrial relations. According to Periodic Labour Force Survey 2019-20 (PLFS), "Persons who were either „working" (or employed) or „seeking or available for work" (or unemployed) constitute the labour force". Labour force or in others words, the „economically active" population, refers to the population which supplies or seeks to supply labour for production and, therefore, includes both „employed" and „unemployed" persons. The Labour Force Participation Rate is defined as "the percentage of persons in the labour force among the persons in the population".

Table 10.2 presents the LFPR in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, and India in 2018-19 and 2019-20 as per the PLFS. As compared to 2018-19, LFPR of all ages has increased in 2019-20, in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, and India. In 2019-20, LFPR (all ages) for Himachal Pradesh (57.7) is higher than Uttarakhand (41.0), Punjab (40.8), Haryana (34.3) and India (40.1).

Table 10.2: Labour Force Participation Rate (LFPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss) for Himachal Pradesh

Sl. No.	Age Groups	Rural			Urban			Rural+Urban			Rural			Urban			Rural+Urban		
		PLFS (2018-19)									PLFS (2019-20)								
		Himachal Pradesh									Himachal Pradesh								
		M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P
1	15-29 years	53.1	45.5	49.5	55.1	25.4	42.2	53.3	43.1	48.6	67.9	54.1	61.1	64.8	31.5	50.0	67.3	50.9	59.4
2	15-59 years	80.3	67.5	73.8	78.4	34.1	58.0	80.1	64.1	72.1	85.6	74.3	79.8	82.5	43.2	63.7	85.2	70.3	77.6
3	15 years and above	76.1	62.1	68.9	73.4	31.4	53.8	75.8	59.2	67.4	82.4	68.2	75.0	79.5	40.6	60.8	82.0	65.0	73.2
4	**All ages**	**59.1**	**49.0**	**54.0**	**56.7**	**25.8**	**42.7**	**58.8**	**46.9**	**52.8**	**64.5**	**54.7**	**59.4**	**60.6**	**30.9**	**46.3**	**63.9**	**51.8**	**57.7**
		Uttarakhand									Uttarakhand								
1	15-29 years	48.9	15.4	31.5	56.4	18.1	40.1	51.3	16.1	33.9	58.0	26.4	43.6	59.7	17.5	38.9	58.4	23.8	42.3
2	15-59 years	74.9	23.2	48.4	77.7	17.4	49.2	75.8	21.6	48.6	78.1	40.9	59.9	79.9	19.5	50.0	78.6	34.8	57.1
3	15 years and above	71.3	20.8	45.4	72.7	15.5	45.6	71.7	19.4	45.4	74.6	37.3	56.1	74.5	17.5	46.1	74.6	31.8	53.4
4	**All ages**	**52.3**	**16.1**	**34.2**	**54.6**	**11.8**	**34.3**	**53.0**	**15.0**	**34.3**	**56.5**	**28.8**	**43.0**	**56.5**	**13.9**	**35.9**	**56.5**	**24.8**	**41.0**
		Punjab									Punjab								
1	15-29 years	59.7	13.8	39.0	65.4	19.7	45.2	61.9	16.0	41.4	68.4	24.4	49.2	65.5	22.6	45.7	67.4	23.7	47.9
2	15-59 years	77.9	20.9	50.5	83.1	21.3	54.2	80.0	21.1	51.9	82.5	27.7	56.6	83.6	25.1	55.5	82.9	26.7	56.2
3	15 years and above	72.0	18.9	46.3	77.0	19.3	50.0	73.9	19.1	47.7	76.6	24.8	51.9	78.1	21.9	51.1	77.2	23.7	51.6
4	**All ages**	**56.7**	**15.0**	**36.6**	**59.1**	**15.0**	**38.6**	**57.7**	**15.0**	**37.4**	**61.5**	**19.9**	**41.6**	**59.8**	**17.2**	**39.6**	**60.9**	**18.9**	**40.8**
		Haryana									Haryana								
1	15-29 years	61.5	8.2	37.9	58.8	15.5	40.3	60.6	10.6	38.7	59.9	7.1	34.3	59.8	17.6	41.5	59.8	10.5	36.8
2	15-59 years	80.0	15.1	49.3	79.3	21.0	52.5	79.7	17.1	50.4	79.7	15.1	48.5	80.2	23.3	54.4	79.9	18.0	50.6
3	15 years and above	74.7	13.7	45.3	73.9	18.5	48.0	74.4	15.3	46.2	73.9	13.4	44.2	73.3	20.2	48.7	73.7	15.7	45.8
4	**All ages**	**53.7**	**10.1**	**32.9**	**56.8**	**14.4**	**37.2**	**54.8**	**11.5**	**34.3**	**53.8**	**10.1**	**32.8**	**55.8**	**15.4**	**37.2**	**54.5**	**11.9**	**34.3**
		All India									All India								
1	15-29 years	58.8	15.8	37.8	58.6	17.1	38.7	58.8	16.2	38.1	60.8	20.7	41.3	58.3	20.3	40.0	60.0	20.6	40.9
2	15-59 years	80.6	28.3	54.5	79.6	22.5	51.6	80.3	26.5	53.6	81.5	35.4	58.5	80.6	25.7	53.5	81.2	32.3	56.9
3	15 years and above	76.4	26.4	51.5	73.7	20.4	47.5	75.5	24.5	50.2	77.9	33.0	55.5	74.6	23.3	49.3	76.8	30.0	53.5
4	**All ages**	**55.1**	**19.7**	**37.7**	**56.7**	**16.1**	**36.9**	**55.6**	**18.6**	**37.5**	**56.3**	**24.7**	**40.8**	**57.8**	**18.5**	**38.6**	**56.8**	**22.8**	**40.1**

Source: Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2018-19 and 2019-20

10.3.2 Worker Population Ratio (WPR)

WPR is an indicator used for analyzing the employment situation and knowing the proportion of the population actively contributing to production of goods and services in the economy. "WPR is defined as the percentage of employed persons in the population". Table 10.3 shows the worker population ratio in the Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, and India. It is clear at all ages the WPR of Himachal Pradesh in 2019-20 (55.6) is better than Uttarakhand (38.1), Punjab (37.8), Haryana (32.1) and India (38.2). It is evident from the survey results that more women (50.3 per cent) in Himachal Pradesh are actively participating in the economic activities than their counterparts, at all India level and among neighboring states (Figure 10.1). The WPR in usual status (ps+ss) was about 50.1 per cent at the all-Himachal level in 2018-19 which has increased to 55.6 per cent in 2019-20. It was about 51.4 per cent in rural areas and 39.0 per cent in urban areas in 2018-19 which increased to 57.4 per cent and 43.5 per cent respectively. The WPR in usual status (ps+ss) for rural males increased to 61.6 per cent in 2019-20 from 56.0 in 2018-19 and for rural females, it has increased to 53.5 per cent in 2019-20 from 46.9 per cent in 2018-19.

Figure 10.1 Female Work Participation Rate (Rural+Urban) all ages in 2020-21

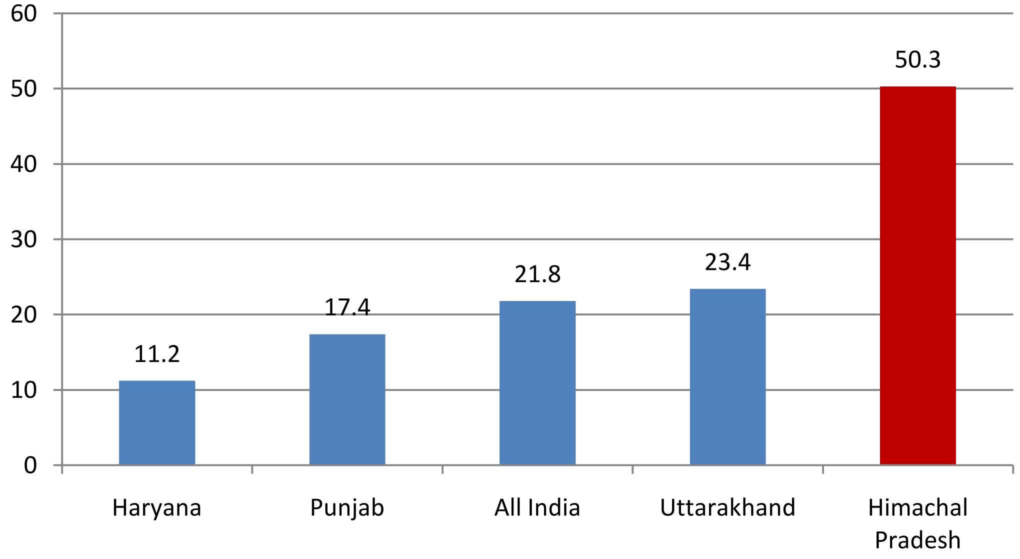

Table 10.3: Worker Population Ratio (WPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss) for Himachal, neighboring states and all India

Sl. No	Age Groups	Rural			Urban			Rural+Urban			Rural			Urban			Rural+Urban		
		PLFS (2018-19)									PLFS (2019-20)								
		Himachal Pradesh									Himachal Pradesh								
		M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P
1	15-29 years	42.1	38.2	40.3	46.7	17.2	33.9	42.7	35.7	39.5	57.3	49.4	53.5	57.0	23.4	42.1	57.3	45.7	51.7
2	15-59 years	75.4	64.2	69.8	73.0	28.8	52.6	75.1	60.6	67.9	81.2	72.4	76.7	78.8	38.8	59.6	80.9	68.1	74.4
3	15 years and above	72.1	59.4	65.6	68.6	26.7	49.0	71.7	56.3	63.9	78.7	66.7	72.4	76.2	36.7	57.2	78.4	63.1	70.5
4	**All ages**	**56.0**	**46.9**	**51.4**	**53.0**	**21.9**	**39.0**	**55.6**	**44.6**	**50.1**	**61.6**	**53.5**	**57.4**	**58.1**	**27.9**	**43.5**	**61.1**	**50.3**	**55.6**
		Uttarakhand									Uttarakhand								
1	15-29 years	42.3	9.0	25.0	43.5	8.0	28.4	42.7	8.8	26.0	45.7	22.7	35.3	48.9	11.8	30.6	46.6	19.5	34.0
2	15-59 years	70.6	19.9	44.6	69.5	12.1	42.4	70.3	17.8	44.0	71.3	39.2	55.6	73.6	16.5	45.3	72.0	32.7	52.7
3	15 years and above	67.6	18.1	42.1	65.3	10.8	39.5	66.9	16.2	41.4	68.7	35.8	52.4	68.8	14.8	41.9	68.8	30.1	49.5
4	**All ages**	**49.6**	**14.0**	**31.8**	**49.1**	**8.2**	**29.7**	**49.4**	**12.5**	**31.2**	**52.1**	**27.7**	**40.1**	**52.2**	**11.8**	**32.6**	**52.1**	**23.4**	**38.1**
		Punjab									Punjab								
1	15-29 years	47.0	9.1	29.9	55.1	14.7	37.3	50.1	11.2	32.7	56.0	20.2	40.3	53.2	17.1	36.5	55.0	19.1	39.0
2	15-59 years	71.5	19.1	46.2	77.8	18.8	50.2	74.0	19.0	47.8	75.9	25.9	52.2	77.8	22.1	51.1	76.6	24.5	51.8
3	15 years and above	66.6	17.3	42.7	72.4	17.1	46.5	68.8	17.3	44.2	70.9	23.3	48.2	73.0	19.4	47.2	71.7	21.8	47.8
4	**All ages**	**52.4**	**13.8**	**33.8**	**55.5**	**13.3**	**35.9**	**53.6**	**13.6**	**34.6**	**56.9**	**18.7**	**38.6**	**55.9**	**15.2**	**36.5**	**56.5**	**17.4**	**37.8**
		Haryana									Haryana								
1	15-29 years	45.9	6.3	28.4	49.5	12.5	33.7	47.1	8.3	30.1	49.0	5.7	28.0	51.0	13.4	34.7	49.8	8.1	30.3
2	15-59 years	71.4	14.0	44.3	72.1	19.1	47.8	71.7	15.7	45.5	74.2	14.4	45.3	75.2	21.3	50.7	74.6	16.8	47.3
3	15 years and above	67.2	12.8	41.0	67.5	16.8	43.8	67.3	14.1	41.9	69.1	12.7	41.4	68.9	18.5	45.5	69.0	14.7	42.9
4	**All ages**	**48.3**	**9.4**	**29.8**	**51.9**	**13.2**	**34.0**	**49.5**	**10.6**	**31.1**	**50.1**	**9.6**	**30.7**	**52.5**	**14.1**	**34.8**	**51.0**	**11.2**	**32.1**
		All India									All India								
1	15-29 years	49.1	13.6	31.7	47.6	12.7	30.9	48.6	13.3	31.5	52.5	18.6	35.9	47.7	15.2	32.1	51.0	17.6	34.7
2	15-59 years	75.8	27.2	51.5	73.7	20.2	47.5	75.1	25.0	50.3	77.5	34.4	55.9	75.1	23.3	49.6	76.7	30.9	53.9
3	15 years and above	72.2	25.5	48.9	68.6	18.4	43.9	71.0	23.3	47.3	74.4	32.2	53.3	69.9	21.3	45.8	73.0	28.7	50.9
4	**All ages**	**52.1**	**19.0**	**35.8**	**52.7**	**14.5**	**34.1**	**52.3**	**17.6**	**35.3**	**53.8**	**24.0**	**39.2**	**54.1**	**16.8**	**35.9**	**53.9**	**21.8**	**38.2**

Source: Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2018-19 and 2019-20

10.3.3 Unemployment Rate

"Unemployment Rate (UR) is defined as the percentage of persons unemployed among the persons in the labour force". It is measured in terms of usual status (ps+ss) and weekly status in the PLFS surveys, shown in table 10.4. This gives the portion of the labour force actively seeking or available for work. According to the Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2020-21, unemployment under usual status (ps+ss) for persons of all ages among the neighboring states and India, shows that Himachal has an unemployment rate of 3.7 per cent (least) as against the India of 4.8 per cent, Uttrahakand 7.1 per cent, Punjab 7.4 per cent, Haryana 6.5 per cent (Figure 10.2).

Figure 10.2 Unemployment Rate (UR) according to usual status (ps+ss) for persons of all ages in per cent

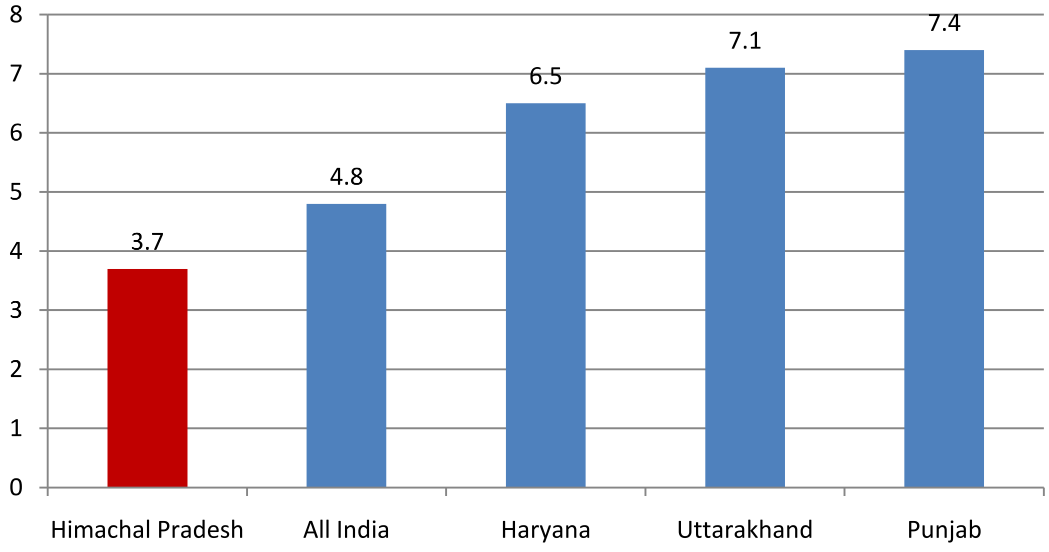

The unemployment rate in Himachal Pradesh has declined from 5.2 per cent in 2018-19 to 3.7 per cent in 2019-20. The unemployment rate in the usual status (ps+ss), was 4.4 per cent among males and 2.3 per cent among females in rural areas, while the rates were 4.1 per cent among males and 9.7 per cent among females in urban areas (Table 10.4).

Table 10.4: Unemployment Rate (UR) (in per cent) according to usual status (ps+ss) for Himachal, neighboring states and all India

Sl. No.	Age Groups	Rural			Urban			Rural+Urban			Rural			Urban			Rural+Urban		
		PLFS (2018-19)									PLFS (2019-20)								
		Himachal Pradesh									Himachal Pradesh								
		M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P
1	15-29 years	20.7	15.9	18.6	15.2	32.2	19.6	20.0	17.0	18.8	15.5	8.8	12.6	12.0	25.8	15.9	15.0	10.3	13.0
2	15-59 years	6.1	4.8	5.5	6.9	15.7	9.3	6.2	5.4	5.8	5.2	2.6	3.9	4.4	10.2	6.3	5.1	3.2	4.2
3	15 years and above	5.3	4.3	4.8	6.5	14.9	8.8	5.4	4.8	5.1	4.5	2.3	3.4	4.1	9.7	5.9	4.4	2.8	3.7
4	**All ages**	**5.3**	**4.3**	**4.8**	**6.5**	**14.9**	**8.8**	**5.4**	**4.8**	**5.2**	**4.4**	**2.3**	**3.4**	**4.1**	**9.7**	**5.9**	**4.4**	**2.8**	**3.7**
		Uttarakhand									Uttarakhand								
1	15-29 years	13.5	41.3	20.6	22.9	55.8	29.2	16.8	45.3	23.5	21.1	13.8	19.1	18.1	32.5	21.3	20.3	17.9	19.7
2	15-59 years	5.7	14.0	7.8	10.5	30.2	13.8	7.2	17.5	9.5	8.7	4.2	7.2	7.9	15.5	9.4	8.5	6.0	7.7
3	15 years and above	5.2	13.3	7.1	10.2	30.2	13.4	6.7	16.8	8.9	7.9	3.9	6.5	7.6	15.5	9.1	7.8	5.6	7.1
4	**All ages**	**5.3**	**13.3**	**7.2**	**10.2**	**30.0**	**13.4**	**6.7**	**16.8**	**8.9**	**7.8**	**3.9**	**6.5**	**7.6**	**15.5**	**9.1**	**7.8**	**5.6**	**7.1**
		Punjab									Punjab								
1	15-29 years	21.3	34.3	23.4	15.7	25.2	17.5	19.0	30.2	21.0	18.1	17.2	17.9	18.8	24.3	20.1	18.4	19.7	18.7
2	15-59 years	8.3	8.9	8.4	6.4	11.8	7.4	7.5	10.0	8.0	8.1	6.5	7.7	6.9	12.0	8.0	7.6	8.4	7.8
3	15 years and above	7.6	8.3	7.7	6.0	11.3	7.0	6.9	9.4	7.4	7.4	6.1	7.1	6.5	11.7	7.5	7.1	8.0	7.3
4	**All ages**	**7.6**	**8.3**	**7.7**	**6.1**	**11.3**	**7.0**	**7.0**	**9.4**	**7.4**	**7.4**	**6.4**	**7.2**	**6.6**	**11.6**	**7.7**	**7.1**	**8.2**	**7.4**
		Haryana									Haryana								
1	15-29 years	25.3	22.9	25.1	15.9	19.4	16.5	22.2	21.2	22.1	18.1	20.5	18.4	14.6	24.0	16.3	16.8	22.4	17.6
2	15-59 years	10.7	7.3	10.2	9.0	9.0	9.0	10.1	8.0	9.8	6.9	5.2	6.7	6.2	8.5	6.7	6.6	6.7	6.7
3	15 years and above	10.0	6.7	9.6	8.7	8.9	8.7	9.6	7.6	9.3	6.5	4.9	6.3	6.0	8.4	6.5	6.3	6.5	6.4
4	**All ages**	**10.0**	**6.7**	**9.5**	**8.6**	**8.9**	**8.7**	**9.6**	**7.6**	**9.2**	**6.8**	**4.9**	**6.5**	**6.0**	**8.4**	**6.5**	**6.5**	**6.5**	**6.5**
		All India									All India								
1	15-29 years	16.6	13.8	16.0	18.7	25.7	20.2	17.2	17.7	17.3	13.8	10.3	12.9	18.2	24.9	19.9	15.1	14.6	15.0
2	15-59 years	6.0	3.8	5.4	7.4	10.3	8.0	6.5	5.5	6.2	5.0	2.8	4.3	6.8	9.4	7.4	5.5	4.5	5.2
3	15 years and above	5.5	3.5	5.0	7.0	9.8	7.6	6.0	5.1	5.8	4.5	2.6	3.9	6.4	8.9	6.9	5.0	4.2	4.8
4	**All ages**	**5.6**	**3.5**	**5.0**	**7.1**	**9.9**	**7.7**	**6.0**	**5.2**	**5.8**	**4.5**	**2.6**	**4.0**	**6.4**	**8.9**	**7.0**	**5.1**	**4.2**	**4.8**

Source: Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2018-19 and 2019-20

Table 10.5: The architecture of key labour force indicators are given below

Activity profile	key labour force indicators
Workers	• Labour force participation rate (LFPR) = number of employed persons+ number of unemployed persons /total population*100
	• Worker Population Ratio (WPR) = number of employed persons/total population*100
Unemployed	• Proportion Unemployed (PU) = number of unemployed persons /total population*100
Not in labour force	• Unemployment Rate (UR) = number of unemployed persons / number of employed persons+ number of unemployed persons /total population*100

Figure 10.3 Unemployment rates (per cent) according to usual status (ps + ss) during PLFS (2018-19) and PLFS (2019-20)

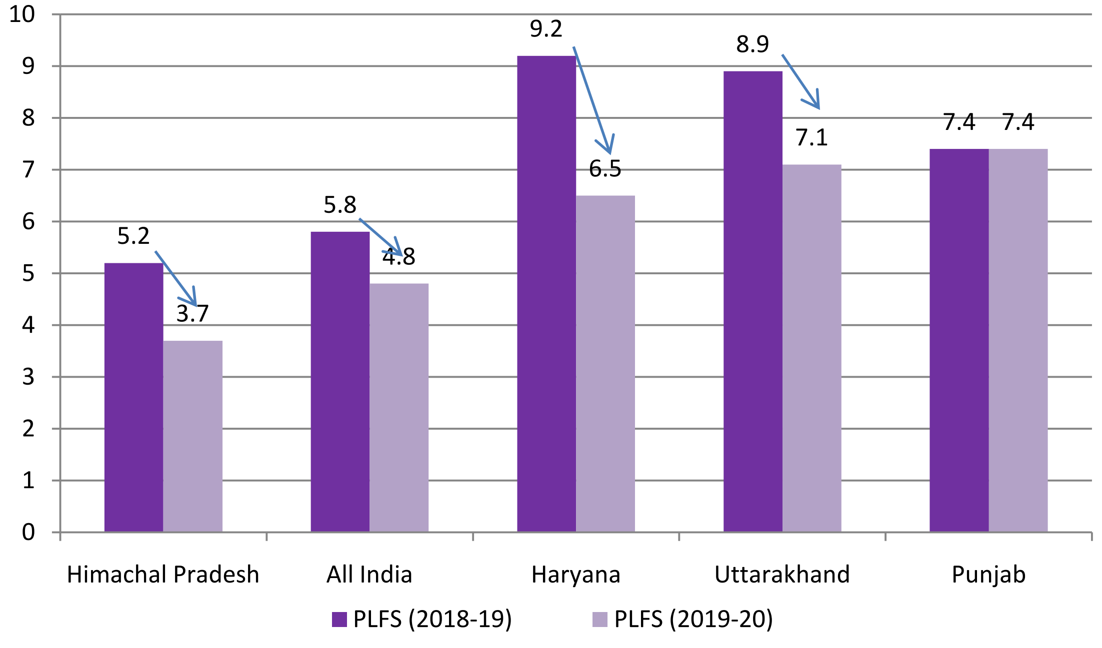

Source: PLFS 2018-19 & 2019-20

Power

11
Chapter

11.1 Introduction

Power is lifeblood of any economy. It is crucial input for nearly all the goods and services of the modern world. Himachal Pradesh has traditional and renewable sources of energy such as hydro, solar and fuel wood.

Himachal Pradesh has immense potential for hydropower as it is naturally blessed with abundant streams and rivers flowing down from towering mountains. Hydro power generation is the engine for the economic growth of the Himachal, as it makes a direct and significant contribution to economy in terms of revenue generation, employment opportunities and enhancing the quality of life. Himachal Pradesh has an estimated Hydro Potential of 27,436 Megawatt (MW) out of which about 24,567 MW has been assessed as harness able. The Government has decided to forgo the rest to safeguard the environment, to maintain ecological balance and protect social concerns. The State has been accelerating the pace of Hydropower development through the active involvement of both the public and the private sector. Table 11.1 below summarizes the status of generation and consumption of Electric power in the state.

Table 11.1: Generation and Consumption of Electricity (Million Units (MU)

Sr . No.	Item	2020-21	2021-22 (Upto December, 2021)
1	Electricity Generated	1961.134	1903.395
2	Electricity purchased from BBMB and others	11845.767	9458.06
3	Energy Consumed: Within the State		
(a)	Domestic	2356.535	1736.710
(b)	Non-Domestic Non Commercial	124.648	89.499
(c)	Commercial	518.424	432.130
(d)	Industrial	4769.451	4462.723
(e)	Public Lighting	10.479	7.925
(f)	Agricultural	72.639	69.716
(g)	Bulk and Misc.	133.310	95.654
(h)	Government Irrigation and water supply scheme	602.924	486.901
(i)	Temporary Supply	46.897	41.267
	Total (3)	**8635.308**	**7422.524**
4	Energy Sold Outside the State	3431.31	2677.10
	Total Consumed/Sold	**12066.618**	**10099.624**

11.2 Directorate of Energy

An independent Directorate of Energy was created during the year 2009; prior to this, it was a part of Himachal Pradesh State Electricity Board. Directorate of Energy is nodal office of Department of Multi Purpose Project (MPP) and Power Government of Himachal Pradesh (GoHP), it works for effective and prompt coordination between all power utilities of power sector of the State of Himachal Pradesh. It looks after the allotment of Hydroelectric Projects above 5MW capacity and its functions include, monitoring of Hydro Power Projects above 5 MW, grant of Techno Economic Clearance (TEC), issues related to Hydro Power Safety, environmental and social issues, management of Local Area Development Fund, quality control, management of power flow, sale of GoHP Power share received from various Central, State and private Hydro Electric Projects, implementation of Energy Conservation activities in the state and safety aspects for all large Dams in the capacity of DAM Safety Organisation for the State.

11.2.1 Major Achievements

The major achievements of the Directorate of Energy are the completion of projects with a total capacity of 438.4 MW as described. First 6 numbers of projects with aggregated capacity of 233.4 MW have been commissioned during 01.04.2021 to 31.12.2021 and last 2 numbers of projects with aggregated capacity of 205 MW likely to be commissioned during 01.01.2022 to 31.03.2022 (Table 11.2).

Table 11.2: Capacity Addition in Hydro Electric Projects (in MW)

Sr. No.	Project Name	Capacity in MW	District	Basin
1	Chanju - II	13.2	Chamba	Ravi
2	Sorang	100	Kinnaur	Satluj
3	Kareri	4.80	Shimla	Satluj
4	Sawra Kuddu	111	Shimla	Yamuna
5	Jail	2.4	Kullu	Beas
6	Manihar	2	Kullu	Beas
7	Bajoli Holi	180	Chamba	Ravi
8	Lambadug	25	Kangra	Beas

- 7 projects with aggregated capacity of 3.25 MW were commissioned between 01/04/2021 and 31/12/2021; whereas, two projects of 0.90 MW solar power projects are likely to be commissioned during 01/01/2022 and 31/03/2022.

- The realization of Capacity Addition Charges/Upfront Premium was ₹218.055 lakh in 2020-21.

- During the period 01/04/2021 to 31/12/2021, ₹41.16 crore has been transferred to various Deputy Commissioners/LADCs for further disbursement to project affected families.

- Swaran Jayanti Energy Policy-2021 of the State envisages clean and green energy development through expeditious of full energy potential specially hydro and solar, add additional 10,000 MW of green energy though hydro, solar and other green energy sources by 2030, expeditious development of green energy sources, a four pronged strategy by way of participation of State, Joint, Central and Private sectors. It also aimed at developing adequate and efficient transmission network in the State by creating transmission Master Plan to facilitate planning and timely execution of hydro and solar projects. It also lays stress on renewal energy sources viz. solar, wind, biomass and other non-conventional energy sources.

- Revenue received from sale of GoHP share of power up to 31st December 2021 is ₹936.70 crore and anticipated from January 2022 to March 2022 is ₹77.00 crore.

11.3 Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd (HPSEBL)

HPSEBL is responsible for the supply of uninterrupted and quality power to all consumers in Himachal Pradesh. Power is being supplied through a network of transmission, sub transmission and distribution lines. Since its inception, Board has made big strides in executing the targets entrusted to it as per table 11.3.

Table 11.3: District Wise Generation of Power from HPSEBL's Own Power Houses (in MU)

Name of District	2020-21	2021-22 (Upto Dec., 2021)
1. Bilaspur	-	-
2. Chamba	6.68	10.18
3. Hamirpur	-	-
4. Kangra	168.30	132.75
5. Kinnaur	487.67	602.36
6. Kullu	616.21	506.84
7. Lahul and Spiti	8.16	7.11
8. Mandi	304.40	275.83
9. Shimla	205.00	207.88
10. Sirmaur	164.71	160.94
11. Solan	-	-
12. Una	-	-
Total	1961.13	1903.39

Table 11.4: Centrally Sponsored and Departmental Schemes (HPSEB Ltd)

Sr. No.	Schemes	Status
1	Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna (DDUGJY)	GoI launched this scheme on 2014 for electrification of rural households. The work of Nine districts is completed. Till date, total Government of India / State contribution / loan from financial institutions received is ₹127.23 Crore and the same has been utilized.
2	Integrated Power Development Scheme (IPDS)	GoI launched this scheme for urban towns on 2014 for strengthening of transmission, distribution networks and efficient metering. The works in all 12 IPDS circles have been completed.
3	Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)	Ministry of Power, GoI has launched “Revamped Distribution Sector Scheme: A Reforms Based and Results Linked

		Scheme. This scheme has two parts covering metering, distribution infrastructure works, project management and training and capacity building.
4	Himachal Hydropower and Renewable Power Sector Development Program	It has been in-principally approved by the Centre Level Screening Committee, Department of Economic Affairs in its 106th meeting held on 20.05.2020 for Externally aided World Bank Project for loan assistance of USD 200 million (i.e approximately ₹1500 crore). Including State equity. The total cost of the project will be around ₹1800 Crore out of which the HPSEBL share would be 600 Crore. Under this project the Smart Grid technologies will be adapted.
5	System Improvement (S.I.) Scheme for Low Voltage	In order to resolve low voltage problem of the people residing in remote areas of the state, a scheme amounting to Rs. 158 Crore has been sanctioned during FY 2019-20 and is under implementation throughout the state. Under this scheme 919 number Dynamic Transformation Rating (DTRs), 574.99 km High Tension (HT) Lines and 366.646 km Low Tension (LT) lines have been installed till 31st December, 2021.
6	Mukhyamantri Roshni Yojana	This scheme was announced by Chief Minister of the State in 2019-20 budget speech for releasing 17,550 electricity connections to poor families of the State. During 2019-20, 4,898 families and 2020-2021, 6,186 families have been benefitted and for 2021-22, 1,748 eligible families have been benefitted upto 31st December, 2021.
7	Enterprise Resource Planning (ERP) Project	Payroll of 13,500 employees, Pensions of 14400 and GPF of 11000 employees is being processed through System Application and Products- ERP System.
8	I.T. Initiatives	Computerization of various activities of Operation Electrical Sub-Divisions of HPSEBL was started in the year 2006-07. System Application and Products-Industry Specific Solution for Utilities (SAP-ISU) billing was implemented in 45 Electrical Sub Divisions from January, 2020 to November 2022. SAP-ISU based Computerised Billing stands implemented in all 238 Operational Electrical Subdivisions of HPSEBL.

The following initiatives have also been started by the HPSEBL:

- HPSEBL has started the process for installation of Smart Meters in Shimla and Dharamshala towns of Himachal Pradesh. 1,51,740 Smart Meters are to be installed in both towns out of which 1,18,581 Smart Meters will be installed in Shimla and 33,159 in Dharamshala. Total project cost is ₹168.35 crore. As of 31.12.2021, 20,365 Smart Meters have been installed in Shimla and 14,438 in Dharamshala.

- The GIS/GPS Mapping of electrical infrastructure and consumers is integrated with Billing Software for working out Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses.

- To provide better services to consumers, HPSEBL is setting up new Consumer Call Centre with IVRS (Interactive Voice Response System) facility computer telephony. Call Centre Solution implementation is under process and work has already been awarded to the firm. Further Consumer Call Centre shall be integrated with System Application and Products – Industry Specific Solution for Utilities Customer Relationship Management (SAP-ISU CRM) system, so that the complaint logging and consumer data shall be stored in one location and call centre agents are easily able to see consumer related data in a single screen so that they can answer the queries accurately.

11.3.1 Hydro Electricity Generation and Transmission

i. Hydro Electricity Generation

27 hydro electric projects with installed capacity of 489.35 MW are under operation in HPSEBL. One project, Uhl Stage-III (100 MW), is under construction by Beas Valley Power Corporation Limited (BVPCL), a subsidiary company of HPSEBL. During current Financial Year 2020-21, 1,961.13 MU of energy has been generated by HPSEBL's own power houses and additional 1903.39 MU of energy is expected to be generated during 2021-22 (up to December 2022).

ii. Transmission

The transmission wing of HPSEBL has installed 54 Extra High Voltage (EHV) Sub-Stations with a transformation capacity of 4,974.89 Mega Volt Ampere (MVA) and 3,630.47 Circuit Kilometres (CKM) EHV lines till financial year-2020-21. During 2021-22 upto December, 2021, 1.39 CKM EHV lines have been commissioned

Table 11.5: New Hydro Electric Project under HPSEB Ltd.

Sr. No	Projects	Capacity (MW)	Status
1	Sai Kothi Stage-I,II and Devi Kothi and Hail	67	All the No Objection Certificates (NOC's) including FRA's (Forest Right Act) for these projects have been obtained. The FCA stage–I approval has been accorded for Saikothi-I, whereas, cases of remaining projects are pending.
2	Rasion and New Nogli Tikkar and Kuthar	18, 11, 5, 5	The DPR of the project has been submitted to GoHP for techno economic clearances. The process for obtaining NOCs from various departments, Gram Panchayats, FRA and FCA has been initiated.

11.4 Himachal Pradesh Power Corporation Limited (HPPCL)

Himachal Pradesh Power Corporation Limited (HPPCL), was incorporated in December 2006 under the Companies Act 1956, to plan, promote and organize the development of all aspects of hydroelectric power. HPPCL the technical and organizational capabilities at par with other generating companies like National Thermal Power Corporation Limited (NTPC)/ Satluj Jal Vidyut Nigam Limited (SJVNL)/ National Hydroelectric Power Corporation (NHPC).

11.4.1 Projects under Operation/ Execution stage are as under:

- The proposal of Triveni Mahadev Hydro Electric Project (HEP) (78 MW) has been found viable from techno commercial angle in preliminary studies hence HPPCL is preparing the Detailed Project Report (DPR) of this project jointly with HPSEBL.

- DPRs of Kashang Stage-IV (48 MW). Bara Khamba (45 MW) in district Kinnaur are being prepared.

- For Gyspa Dam project (300 MW) fresh terms of Reference for obtaining permission for investigation works from Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) has been requested. Tender will be flouted after ToR are issued.

- Bara Khamba HEP (45 MW) in District Kinnaur. DPR is being prepared in house jointly with HPSEBL.

Table 11.6: Projects under Operation/Execution

Sr. No	Projects	Capacity (MW)	Status
1	Integrated Kashang	243	It envisages development of Kashang and Kerang streams of the Sutlej. From the date of commissioning, 781.53 MU has been generated from the Project upto 31.12.2021 and targets of generation up to 31-03-2022 are 793.53 MU. In this Financial Year (FY) 2021-22 Kashang (Stage-I) Hydro Electric Project (HEP) has generated 194.91 million units up to 31-12-2021 against Generation Target of 185 MU for Financial Year () 2021-22 of electricity and ₹72.28 crore of revenue generated from the sale of electricity. Project work for II and III stage is in progress.
2	Sainj	100	Sainj HEP has been executed on Engineering, Procurement and Construction (EPC) mode. In this FY 2021-22 Sainj HEP has generated 386.65 million units against Generation Target of 340 MU for FY 2021-22 and ₹146.90 crore of revenue was generated by sale of electricity.
3	Sawra Kuddu	111	The Project is under commercial operation since 21.01.2021. From the date of commissioning, 295.55 MU has been generated from the Project upto 31.12.2021and targets of generation up to 31-03-2022 is 335.55 MU. In this FY 2021-22 Sawra Kuddu HEP has generated 278.32 million units against Generation Target of 296 MU for FY 2021-22 and ₹117.54 crore of revenue generated by sale of electricity.
4	Shongtong Karcham	450	Work of the project is in progress and scheduled commissioning date of the project is March, 2025.
5	Chanju-III HEP and Deothal Chanju	48.30	French Development Agency has given its consent for financing of these projects. The tenders of both the projects are expected to be awarded soon. HPPCL would be able to start the construction works of both Projects by beginning of financial year 2022-23.
6	Renuka ji	40	Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) has granted its approval for the funding of the Project under Pradhan Mantri Kisan Sinchayi Yojana- Accelerated Irrigation Benefit Program (PMKSY-AIBP) on 15-12-2021. The Prime Minister of India has laid the Foundation Stone of the Project on 27-12-2021.
7	Surgani Sundla	48	Proposal for project funding was submitted to GoI and discussed in 78th screening committee meeting of Department of Economic Affairs (DEA), GoI on 19.12.2017, wherein, committee suggested to revisit the project proposal in view of

			high cost i.e. ₹768.17 crore. Due to high cost of the project the design has since been reviewed and cost brought down to ₹581.86 crore at October 2019 level.
8	Thana Plaun	191	Techno Economic Clearance (TEC) of Thana Plaun HEP has been accorded by Central Electricity Authority (CEA) on 07.09.2021. Project funding through Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ("Credit Institute for Reconstruction") and Power Finance Corporation Limited (PFC) is in process. The construction work of the project will be started as soon as the financial arrangement for the project is achieved.
9	Nakthan	460	Forest right claims have been filed by both Nakthan and Tosh ward and matter regarding FRA certificates is under consideration.
10	Kishau Multipurpose Project	660	The Consultancy Services for Preparation of revised, Updated, Comprehensive and Bankable DPR of Kishau MPP has been awarded by M/s Kishan Corporation Ltd. on dated 07-01-2022 and DPR updation work will start.

11.4.2 Other areas of Power development:

In addition to hydro power, H.P. Power Corporation intends to diversify its power development activities to include other renewable sources such as solar to meet the growing energy demands for the development of the State and the Nation.

i. **Berra- Dol Solar Power Project (5 MW):**
HPPCL has constructed Berra-Dol solar power project of 5 MW capacity near Shri Naina Devi Ji Shrine in District Bilaspur. This was the first Solar Power Project in the State which was built in the Government sector. From the date (04/01/2019) of operation of the project 24.69 MU has been generated from the project upto 31/12/2021.

ii. **Aghlor Solar Power Project (10 MW):**

HPPCL has also decided to set up another solar power plant of 10 MW capacities at Aghlor in District Una. The Detailed Project Report of the scheme has been also prepared. HPPCL is pursuing the matter of transfer of land with Industry Department.

11.4.3 Financial Achievements in Respects of Projects under Construction/Implementation Stage:

Following table presents achievements of the projects under construction/implementation stage of Himachal Pradesh Power Corporation Limited are hereunder:

Table 11.7: Financial Achievements

(₹ in crore)

Sr. No.	Name of Project	Budget 2021-22	Expenditure (April 2021-Dec 2021)	% Utilization
1	Shongtong Karchham	277.09	104.56	37.74
2	Integrated Kashang HEP Stage 2 and3	44.11	16.83	38.15
Total		**321.2**	**121.39**	**37.95**

Table 11.8: Revenue Generation by Sale of Power

(₹ in crore)

Sr. No.	Name of Project	Revenue Generation by Sale of Power till 31.03.2021	Revenue Generation by Sale of Power w.e.f. 01.04.2021 to 31.12.2021	G. Total
1	Integrated Kashang HEP Stage-1	144.15	72.28	216.43
2	Sainj HEP	421.70	146.90	568.60
3	Sawra Kuddu HEP	7.33	117.54	124.87
4	Barra Dol Solar Project	7.95	2.68	10.63
	Total	**581.13**	**339.40**	**920.53**

HPPCL had generated total revenue of ₹920.53 crore till December, 2021, whereas, out of which ₹581.13 crore was generated till 31/03/2021 and ₹339.40 crore was generated during 01/04/2021 to 31/12/2021.

11.5 Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited (HPPTCL)

This corporation is an undertaking of Government of Himachal Pradesh established with an aim to strengthen the transmission network and to facilitate evacuation of power from upcoming generating plants. The tasks entrusted to Corporation by Government of Himachal Pradesh include execution of all new works; both Transmission Lines and Sub-Stations of voltage rating 66 KV and above, formulation, up-gradation, and execution of Transmission Master Plan of Himachal Pradesh for strengthening of transmission network, and evacuation of power. HPPTCL is discharging the functions of a State Transmission Utility (STU) and coordinating the transmission related issues with Central Transmission Utility, Central Electricity Authority, Ministry of Power (Government of India), Himachal Pradesh Government and HPSEB Ltd. Besides, Corporation is also responsible for planning and coordination of

transmission related issues with Independent Power Producers (IPPs), Central Public Sector Undertakings (CPSUs), State Public Sector Undertakings (SPSUs), HPPCL and other State/Central Government Agencies. Government of India has approved (Asian Development Bank) ADB loan for implementation of transmission projects covered in Power system Master plan (PSMP) of Himachal Pradesh. The loan was split into Tranche I, II and III respectively. All these three Tranches have been successfully closed up to 29.09.2021. Table 11.9 presents the details of commissioned projects by HPPTCL under GEC-1.

Table 11.9: Commissioned Projects upto FY 2020-21

Sr. No.	Work	MVA	Ckt Kms	Cost (₹ in crore)
1	220/66/22 kv, Sub-station at Bhoktoo	31.5		32
2	400/220/66 kv, Sub-station at Wangtoo	830		363
3	220/400 kv, 1x315 MVA sub Station at Pragtinagar	315		161
4	33/132 kv, Sub-station at Pandoh	31.5		36
5	33/132 kv, Sub-station at Chambi	63		45
6	LILO of both circuits of 400 KV Jhakhri-Abdullapur D/C Line at Gumma and 220 Kv d/c tl FROM Hatkoti to Gumma		58.4	105
	ADB Tranche-II			
7	66 KV Switching substation Urni	0		27
8	33/220/400 KV Lahal sub station	693		280
9	220 KV Cjaror-Banala TL		36	57
10	220 KV Lahal Budhil TL		1.9	6
11	132 KV LILO Kangra-Dehra TL at Chambi		30	21
	GEC - KfW			
12	132/33 KV additional Pandoh SS	31.5		20
13	400/220 KV additional Gumma SS	315		44
14	220 KV Snail-Hatkoti TL		26.8	26
	Domestic Funding (REC)			
15	220/33 KV Karian sub Station	63		52
16	220/33 KV Phojal sub Station	100		72
17	220 KV Karian –Rajera TL		6	11
18	220 KV LILO Phojal – Patlikuhal TL		20	17
19	220 KV Kashang - Bhaba TL		76	87
	Total	**2473.5**	**255.1**	**1462**

In addition to the above, Green Energy Corridor-I (GEC-I) scheme has been initiated for developing economical transmission system in order to encourage green renewable energy generation. The scheme has been funded partly (40 per cent) as

grant from Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) and partly (40 per cent) as low fixed interest rate loan from German Development Bank, KFW, and rest from equity. With financial assistance from Rural Electrification Corporation Limited, HPPTCL has commissioned 5 projects. Completion of these has resulted in the addition of 163 MVA transformation capacity and 102 CKM of transmission line in the existing State transmission network of districts of Chamba, Kullu and Kinnaur.

Under GEC-I, HPPTCL has awarded 10 transmission projects out of which 3 projects have been commissioned and remaining 7 projects are under various stages of execution. Completion of all these projects shall result in addition of 847 MVA transformation capacity and 183.88 CKM of transmission lines in various districts.

11.5.1 Major Achievements

In the FY 2021-22, HPPTCL has commissioned 2 transmission lines with approximate cost of ₹106 crore, till 31st December 2021, which has resulted in the addition of 73 circuit kilometres to the existing transmission network. In addition to this 5 transmission lines having total length of 205 circuit kilometres and 6EHV substations having transformation capacity of 651.5 MVA are on the completion, which is amounting to ₹556.25 crores. In FY 2021-22 HPPTCL has incurred capital expenditure of approximately ₹300 crore till 31st December 2021 and targeted additional expenditure of ₹60.00 crore by 31st March 2022.

11.6 HIMURJA

HIMURJA has made concerted efforts to popularize renewable energy programmes throughout the State with financial support of MNRE, Government of India and the State Government. HIMURJA is also assisting the Government for exploitation of Small Hydro projects (upto 5 MW) in the State. Following programmes are launched by Himurja:

Table 11.10: Programmes of HIMURJA

Solar Thermal and Solar Photovoltaic Programme		
Sr. No	**Programme**	**Achievements/Prospects**
1	Solar Cooker	During the current financial year 29 box type/dish type solar cookers have been provided up to December, 2021. A target of 50 box type/dish type solar cookers has been anticipated upto March2022.
2	Solar Water Heating System	In 2021-22 solar water heating systems of 63,700Lt. Per day capacity have been installed upto December 2021. A

		target of 20,000 ltrs. per day capacity solar water heating systems installation has been anticipated upto March 2022.
3	SPV Street Lighting System	In 2021-22, 16,278 No. SPV Street Lighting Systems have been installed up to December, 2021. A target of 20,000 SPV Street Lightening Systems has been anticipated upto March 2022.
4	SPV Domestic Light	In 2021-22, 1,698 Nos. Solar Home lightening System has been distributed upto December, 2021 and anticipated cumulative achievement upto March, 2022 will be about 5,000.

11.6.1 Solar Power Plants/Projects

Following Solar Power Plants are the main Himurja projects run all over the State.

Table 11.11: Solar Power Plants of Himurja

Sr. No	**Solar Power Plant**	
	Plants	**Achievements**
1	Off-Grid Solar Power Plants	In 2021-22, Solar Power Plants of 232.00 kWp capacity have been commissioned up to December, 2021. A target of 500 kWp capacity Solar Power Plants has been anticipated upto March 2022. Apart from above, solar Off-Grid power plants of 250 Watt capacity (each household) have been provided to 1,162 BPL families households in remote and tribal area of Pangi valley in Chamba district. Also, 533 off Grid Solar Power Plants of 250 watt capacity each have been distributed in other tribal areas of the State.
2	Grid-connected Solar Roof Top Power Plants	Solar Power Plants of 0.709 MW capacity has been commissioned up to December, 2021 and anticipated achievement up to March 2022 will be about 1.00 MW.
3	Ground Mounted Grid-connected Solar Power Projects	5.90 MW capacity Ground Mounted Solar Power Projects ranging from 250 to 500 kilowatts-peak (kWp) have been commissioned up to December, 2021. 10.00 MW cumulative achievement is also anticipated upto March 2022.

11.6.2 Small Hydro Electric Projects Upto 5 MW Capacity Being Executed Through Private Sector Participation

During the current financial year, up to December, 2021,4.80 MW capacity has been commissioned and anticipated to have an installed capacity of 9.80 MW by March 2022.

The allotted projects up to 5 MW capacity up to December, 2021, are mentioned in the Table 11.12.

Table 11.12: Small Hydro Electric Projects (Private)

Projects (Private)	No	Capacity (MW)
Total allotted Projects (in existence)	743	1786.49
(A) Implementation Agreement Stage	296	873.75
• Commissioned	91	334.25
• Under Construction	35	109.69
• IA signed work yet to be started	170	429.81
(B)Pre-implementation Agreement Stage	447	912.74
No. of Projects allotted	55	5.5

11.6.3 Micro Hydel Projects up to 100 KW programme and Projects under State Sector:

Under State sector 12 projects of 32.24 MW capacity were sanctioned up to December, 2021. Out of 12 projects 4 were commissioned, 3 were allotted on Build-Operate-Transfer (BOT) basis and 5 were on Pre-Implementation Agreement Stage.

11.6.4 Important Policy Initiatives:

- Hydro Power Policy amended.
- Free Power royalty rationalized.
- Mandatory purchase of power by HPSEBL for projects up to 10MW.
- The tariff determination process streamlined.
- Exemption in open access charges for projects up to 25MW.
- Allocation of projects up to 10MW for captive use of industrial units.
- Reduction in upfront premium and capacity addition charges.
- Nominal charges for Government/Forest land announced.

- One time Amnesty to the project developers by redefining zero date for projects which are under investigation and clearance stage where IAs have already been signed and by redefining Scheduled Commercial Operation Date (SCOD) for projects under construction stage.

Tourism and Transport

12
Chapter

12.1 Tourism

Himachal Pradesh is a major tourism destination and tourism contributes considerably to the growth, development and economy of the State. The contribution of the tourism sector to the State Gross Domestic Product (GDP) is about 7 per cent which is quite significant. Himachal Pradesh is a fast-growing tourist destination that draws visitors from across the globe. However, the economy of the State was hit hard by the COVID-19 pandemic in the year 2020-21. After emerging from the COVID-19, State was able to attract about 52 lakh tourists during 2021.

4011 Tourism Units, 828 Restaurants, 4400 Travel Agents and 2,934 Home Stays are registered in the department of Tourism and Civil Aviation.

The department, with the financial assistance of Asian Development Bank (ADB) Project-2 under Infrastructure Investment Program for Tourism in Himachal Pradesh, has submitted a proposal of $291.04 Million (ADB financing US $233.00 Million), to Government of India, which has been approved by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India. Consultants have been hired to prepare DPRs for projects to be taken under Tranche-I. The new project will have two Tranches. The infrastructure created under these projects will provide better facilities to the tourists and will increase the tourist inflow and has potential to increase per visitor spending and length of stay in the State.

12.2 Interest Subvention Scheme

Due to COVID-19 impact on tourism industry the Government of Himachal Pradesh has notified Interest Subvention Scheme on Working Capital Loan for Hospitality Industry on 02-07-2020 to support business investment and economic growth over the short term by providing loans for immediate needs like running day to day business, paying wage, rent and utility bills etc. The Revised Interest Subvention scheme was notified on 17-06 2021 and is valid upto 31-03-2022.

12.3 Swadesh Darshan Scheme

The Government of India, Ministry of Tourism has sanctioned the "Swadesh Darshan Scheme" in the year 2017 for Himachal Pradesh. The following projects are being executed:

- Convention Center at Kiarighat Distt. Solan.
- Construction of Heliport at Shimla.
- Beautification of Dal Lake at Distt. Kangra.
- Villlage Haat at Kangra.
- International Standard free standing artificial climbing wall.
- Light and Sound Show at Town square Mall Road Shimla.
- Construction of Paragliding Centre at Bir Billing Distt. Kangra.
- Art and Craft Centre at Bhalei Mata Chamba.
- Development of Maa Hateshwari Temple Hatkoti Shimla.
- Signases, Ganteries, CCTV and WiFi for the entire Circuit.

12.4 Publicity

Tourism Department prepares different types of promotional publicity material like brochures/pamphlets, folders, Monal magazine, calendars, guide map and coffee table book etc. and participates in various tourism fairs, marts and exhibition organized at the national and international level.

12.5 Civil Aviation

To attract high end tourist in the State, regular flights are scheduled from the three airports at Jubbarhatti (Shimla), Bhunter (Kullu) and Gaggal (Kangra) in Himachal Pradesh. The Government is making sincere efforts for expansion of airstrips of Gaggal, Kangra Airport. Proposal for the construction of Greenfield Airport in Mandi District is under consideration of the Central Government. Under the Regional Connectivity Scheme (RCS) Ude Desh ka Aam Naagrik-2 (UDAN), five heliports are being

developed in Himachal Pradesh-Shimla and Rampur (District Shimla), Baddi (District Solan) Kangnidhar (District Mandi) and Snow and Avalanche Study Establishment (SASE) (Manali, District Kullu). Out of these, heliports at Shimla and Baddi have been completed. At present M/S Pawan Hans Ltd. (PHL) has been running helicopter service under UDAN-2 on the Chandigarh-Shimla-Chandigarh sector and also on Shimla-Kullu and Shimla-Dharmshala. In order to increase helicopter services in the State, PHL has also started Non schedule Operation (NSOP) from Rampur and Kangnidhar Heliports under UDAN-2.

12.6 Nai Raahein Nai Manzilein

The State Government has launched a new scheme "Nai Raahein Nai Manzilein" in the year 2018-19 with an amount outlay of ₹50.00 crore for the development of unexplored areas from tourism point of view. Under the scheme amount of ₹50.00 crore was provided every year 2018-19 to 2021-22 and total ₹200.00 crore has been provided since inception.

In order to provide more facilities to the tourist/visitors, the Department has developed the following places from tourism point of view under this scheme:

- Billing, District Kangra as Paragliding Destination.
- Chansal District Shimla as Ski Destination.
- Janjehli District Mandi as Eco-tourism destination.
- Infrastructure for Promotion of Water Sports activities at Larji, Tatapani and Pong Dam.
- Paragliding Destination at Ser Jagas District Sirmaur and Eco-Tourism in Churdhar from Nohradhar valleys.
- Tourism related public facilities at both ends of Atal Rohtang Tunnel.
- Construction of Shiv Dham.

12.7 Sustainable Tourism in Himachal Pradesh

The State Government, being very conscious of the ecological sensitivity of the region, has resolved to protect and enhance its natural resources and to follow the path of sustainable development in all sectors can be seen from the State's Hydropower policy, sustainable tourism policy, sustainable forest management policies and environmental master plans. The State also plans to encourage investors who see sustainability as a viable economic venture. The Tourism Sector Policy 2019 is designed in such a manner that it will accelerate economic development, minimize social inequality, reduce poverty, conserve tangible and intangible heritage (by making use of state-of-the-art technologies) all in a sustainable manner. One of the most

important objectives of this policy is “to create an enabling environment for investments for sustainable tourism”. This policy has been framed to achieve Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDGs 8 and 12 through various objectives directed towards the socio-economic growth of host communities, offering quality experience to travelers, protection of the natural-cultural environment and State’s destinations, and creating an investment friendly environment for private investors.

12.8 Himachal Pradesh Tourism Development Corporation (HPTDC)

The Himachal Pradesh Tourism Development Corporation (HPTDC) is a pioneer in the development of tourism infrastructure in Himachal Pradesh. It provides complete package of tourism services, including accommodation, catering, transport, conferencing and sports activities. It has the largest chain of finest hotels and restaurants in the State with 54 hotels with 1047 rooms and 2,370 beds.

The Tourism Industry in India and across the globe has been hit hard by COVID 19 Pandemic as such the Tourism Industry of the State as well as the HPTDC was also adversely affected. Hotels of the Corporation were closed in the month of May, 2020 due to lockdown imposed by the State Government. HPTDC has started the operation of a newly constructed Hotel New Ros Common at Kasauli which consists of 32 rooms having a total capacity of 66 beds and also opened a ‘Café Atal’ at Sishu, District Lahaul & Spiti. In the current financial year HPTDC generated a turnover of ₹ 55.76 crore up to December, 2021 against the target of ₹68.00 crore.

Box 12.1 : Himachal Pradesh Tourism Satellite Account (HPTSA), 2018–19

"Tourism refers to the activity of visitors. A visitor is a traveller taking a trip to a main destination outside his/her usual environment for less than a year, for any main purpose (business, leisure or other personal purpose) other than to be employed by a resident entity in the country or place visited." UN World Tourism Organization (UNWTO)

Tourism is a multi-faceted phenomenon associated with the movement of people to places outside their usual places of residence. The tourism sector calls for collaboration among the economic, social, cultural, and environmental sectors. In recent decades, tourism has expanded from being an activity carried out by a few privileged members of the society to being undertaken by a large mass for not only the purpose of recreation, which may be considered as the prime motive of tourism, but also other motives such as business, health, religious and educational reasons, and in recent times, even shopping, for a period of not more than a year.

Owing to the rapidly increasing tourism activities across the globe and the significantly high foreign exchange earnings accruing from such activities, it has become a task of primary preference across nations to measure tourism statistics (both monetary and non-monetary). For a vast country like India, with each State exhibiting different economic dynamics and offering a variety of tourism destinations, the measurement of tourism statistics is of utmost importance at the State level too. The UNWTO recommends placing the relevant tourism statistics in an accounting framework so as to integrate these statistics with the System of National Accounts, and to show the linkages between the demand and supply for goods and services with regard to tourism. This accounting framework is called the Tourism Satellite Account (TSA) and UNWTO's recommendations are documented in TSA: Recommended Methodological Framework, 2008 (TSA: RMF 2008). The systems of tourism statistics and tourism satellite accounts are tools by which the role of tourism in the economy can be better understood and more accurately measured. This framework also presents the linkages between the demand and supply for goods and services in respect of tourism.

The TSA for the State has been prepared for 2018-19 in order to facilitate a better understanding of the quantification of the economic value of tourism, in absolute terms and also in terms of its share in the State's Gross Domestic Product (GDP) and employment.

The outcome of the TSA, which has been created by using this framework, is the estimated contribution of tourism to the GDP and to employment in the State economy. This is referred to as the direct share of tourism to the economy. In addition, this study estimates the indirect share of tourism, which results from its linkages with other sectors of the economy.

The key highlights of the HPTSA are as follows:

- As per the latest data available for 2018, the number of international tourists arriving in the State of Himachal Pradesh from abroad is recorded at 3.56 lakh. Besides, as many as 27.4 lakh tourists are estimated to have visited the State from other states of India. Both of these figures put together constitute the total inbound tourist arrivals in the State

- Meanwhile, a much higher number of tourists are estimated to have undertaken a trip within the State of Himachal Pradesh, accounting for the intra-state movement or domestic tourism in the State. This number is estimated at 88.83 lakh.

- The number of outbound tourists or tourists who are the residents of the state and have travelled abroad are estimated at 46,822.

- The total inbound tourism expenditure incurred by the tourists visiting the State from other countries is estimated at ₹3337.67 crore, with the average per-tourist expenditure being ₹93,605.

- The total inbound tourism expenditure incurred by tourists from other States is estimated at ₹5480.83 crore, with the average per-trip expenditure being ₹20,011.

- The domestic tourism expenditure incurred by tourists from within the State is estimated at ₹3256.24 crore, with the average per-trip expenditure being ₹3665.

- The outbound pre-trip tourism expenditure is estimated at ₹62.01 crore and on an average, an outbound tourist spends ₹13,243 in the preparation of the international trip, before leaving the country.

- All the above-mentioned tourism expenditures incurred by all types of tourists within the State, put together, constitute the Total Internal Tourism Expenditure. This works out to be ₹12136.74 crore for 2018-19. The shares of inbound tourism expenditure incurred by tourists from other countries; expenditure incurred by tourists from other States; expenditure incurred by tourists from within the State; and the outbound pre-trip expenditure stand at 27.5 per cent, 45.2 per cent, 26.8 per cent and 0.5 per cent, respectively.

- On addition of the values of the imputed tourism consumption, the total Internal Tourism Consumption works out to be ₹15,185.78 crore for 2018-19.

- This represents the total demand of goods and services generated by the tourism sector, by different tourism-characteristic and tourism-connected products and services. The total supply of these products and services is obtained from the State's Supply and Use Table (SUT). The ratio of the value of demand to the value of supply for each product and service is termed as the Tourism Product Ratio (TPR).

- The TPR is the highest for air passenger service, at 95.3 per cent. This means that out of the total¬ output of this service, 95.3 per cent is consumed by tourists and is hence on account of tourism activities.

- This is followed by travel agents and other reservation services, with the TPR at 90.5 per cent. Other goods and services that are highly dependent on tourism activities are transport equipment rental services, road passenger transport services, accommodation services, and railway passenger services.

- Among tourism-connected goods, the TPR is notably high for readymade garments and is estimated at 74.2 per cent.

- Further, the Tourism Industry Ratios (TIR) is derived by applying the TPRs on each industry column in the SUT framework.

- However, in the case of tourism-connected industries, only the activity by which they are made available to visitors generates the tourism direct value added. Hence, only the associated retail trade margin generates a share. Consequently, in the case of goods, the values of tourism shares are very small, as compared to the total supply. Hence, in such cases, the TIRs are very small and almost equal to zero.

- The summation of the tourism components extracted from each industry, through the TIRs, forms the Tourism Direct Gross Value Added (TDGVA). The TDGVA for the Himachal Pradesh economy is estimated at ₹4895.30 crore, which translates into 3.46 per cent of the total Gross State Value Added (GSVA). This is the direct share of tourism in the State's GVA.

- As regards employment, tourism employment refers to the number of jobs in tourism characteristic industries in the State. This is estimated at 1.86 lakh for 2018-19. The total number of jobs in the State is 47.88 lakh. Hence, the direct share of tourism employment to the total employment works out to be 3.89 per cent.

- This share is 1.83 per cent in the case of the self-employed status of work and is much higher at 7.79 per cent in the case of employees, which include casual workers and salaried or regular wage-earners.

- The indirect impact of tourism is also assessed in this study. This is captured through the input output model. The model has helped generate the output, GVA, and employment multipliers. These multipliers, when multiplied with the direct impact or direct shares, give the total impact or share, including the indirect impact.

- Consequently, the total share of tourism in the State GVA is estimated at 7.53 per cent and the total share in the number of jobs in the State is estimated at 14.42 per cent. Figure 12.1 presents the direct, indirect, and total shares of tourism in the State economy.

Figure 12.1: Shares of Tourism in GVA and Employment of the State

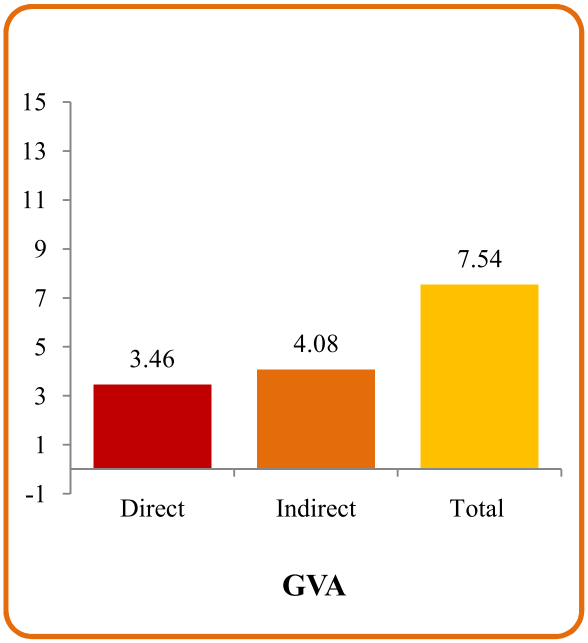

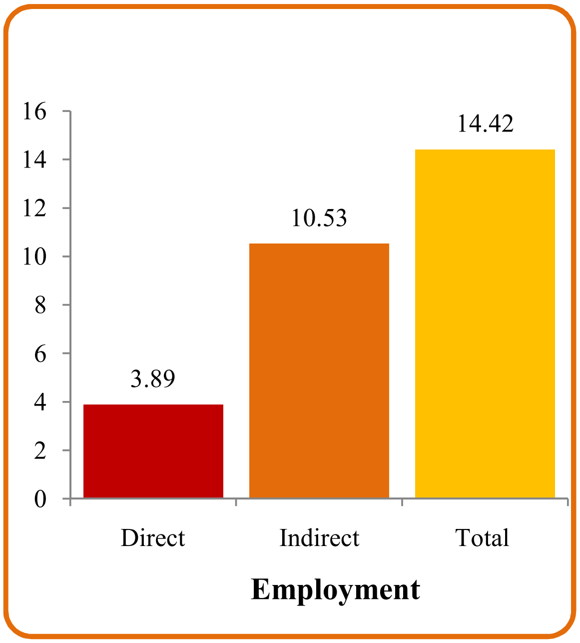

12.9 Roads and Bridges (State Sector)

Roads are a very vital infrastructure for rapid economic growth of the State. The development of important sectors of economy such as Agriculture, Horticulture, Industry, Mining and Forestry depends upon efficient road network. In the absence of any other suitable and viable modes of transportation like railways and waterways, roads play a vital role in boosting the economy of the hilly State like Himachal Pradesh. Starting almost from a scratch the State Government has constructed 40,020 kms. of motorable roads (inclusive of jeepable and track) till December, 2021. The State Government has been assigning a very high priority to road sector.

The target fixed for 2021-22 and achievements made up to December, 2021 are given as under in table 12.1:

Table 12.1: Roads and Bridges

Item	Unit	Target for 2021-22	Achievement upto December, 2021
Motorable road	Kms	1000	560
Cross- drainage	”	945	664
Metalling and Tarring	”	2000	1865
Jeepable	”	60	18
Bridges	Nos	80	52
Villages connectivity	”	90	37

In the State10,591 villages as shown in table 12.2 are connected with roads as of December, 2021:

Table 12.2: Villages connected with road

Villages connected with road	2019-20	2020-21	2021-22 Up to December, 2021
Population more than 1500	217	219	219
1000-1499	295	296	296
500-999	1306	1318	1324
250-499	3624	3644	3655
Below 250	5032	5072	5097
Total	**10474**	**10549**	**10591**

12.10 National Highways (Central Sector)

At present, 2,592 kms., 19 National Highways are the main lifelines of the State Road network out of which 1,238 kms. are maintained/ developed by State Public Works Department. In addition, the National Highway Authority of India has developed/ maintained 5 National Highway shaving length of 785 kms. and Border Road Organization has also developed/ maintained 3 National Highways covering of 569 kms.

12.11 Transport Department

The Transport department functions under the provisions of section 213 of the Motor Vehicle act, 1988. The Transport department is primarily established for enforcement of the provisions of the Motor Vehicle Act, 1988, Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 and the rules framed thereunder. The Transport Department of Himachal Pradesh assists other organizations in the development of transport facilities and endeavors to provide an efficient, adequate and economic transport service for the movement of passengers and goods by road. In discharging statutory functions, the department has shaped up as one of the major revenue earning departments to the Government in the shape of taxes on motor vehicles. The revenue generation during the year 2020-21 was ₹382.64 crore whereas ₹365.28 crore is generated for the year 2021-22 (December, 2021) against the target of ₹487.71 crore.

During 2021-22 (December, 2021) 12,433 vehicles were challaned for various offences and ₹244.20 lakh amount was realized as compounding fee. As of December, 2021, the department has registered 19,05,073 vehicles with the district wise distribution as shown in the table below:

Table 12.3: District wise Registered Vehicles

Sr. No.	District	Registered Vehicles
1	Bilaspur	100121
2	Chamba	74440
3	Hamirpur	139040
4	Kangra	472743
5	Kinnaur	12887
6	Kullu	94822
7	Lahaul-Spiti	7384
8	Mandi	216279
9	Shimla	188957
10	Sirmaur	127925
11	Solan	262673
12	Una	207802
	Total	**1905073**

12.12 Achievements of Transport Department

The Transport Department has attained the following remarkable achievements during the year 2021-22:

i. Inspection and Certification Centre:

In order to improve the inspection and Certification of vehicles in a scientific way, State has started the process for establishment of Inspection and Certification centre at Baddi District Solan under the financial assistance of MoRTH, The project cost is ₹16.35 Crores.The work was started on 01-01-2020 and the administrative block has been completed and civil work is in progress.

ii. Creation of Transport Nagar:

State has notified a Committe for identification of suitable land under the Chairmanship of respective Dputy Commistioners (DCs) Suitable land has been identified at Nadaun in District Hamirpur where the process has been initiated by the Department. Further, the land has also been identified at Kala Amb, Paonta, and near Totu at Shimla for Transport Nagar.

iii. Driving Training School (DTS) and Pollution Check Centre:

In order to impart training to aspirant candidates, department has given licenses to 338 driving training schools in the State which include 8 under ITI, 10 under HRTC and 320 Private Driving Training Schools. Beside this 357 Pollution Check Centre has also been authorized in the state.

iv. Employment Generation:

Government has notified " Swarn Jayanti Gram Swarojgar (Parivahan) Yojna" on 30.12.2021. which will help to privide employment opportunities to unemployed youth. Transport Department has fixed a target of employment generation for the year 2021-22 to 19,150 out of which employment to 10,018 persons has been provided up to December, 2021. The detail is as under:

Table 12.4: Status of Employment Generation

Time of permit	No.of Employment against each permit per person	Permit issued for the period April to December, 2021	Total Employment
Taxi/Maxi Cab	2	2539	5078
Bus Stage Carriage	3	35	105
Auto Rikshaws	1	213	213
Trucks(Goods Carriage)	3	1536	4608
Passenger Service Vehicle (PSV)	2	7	14
Total	11	4330	10018

v. Electric Vehicle Policy-2022

Himachal Pradesh State Government has notified Electric Vehicle Policy, 2022 to make Himachal Pradesh a model state in every category of electric vehicle (private, shared and commercial) and to provide sustainable, safe, eco-friendly, inclusive and modern transport. The main object of this policy is to provide benefit to the consumers, vehicle manufacturers and to set up electric charging stations. The policy aims to cover about 15 per cent of all new vehicle registrations in the State for electric vehicles upto year 2025, in line with the United Nations' Sustainable Development Goals (SDG) and the Government of India's vision.

vi. Guidelines for safe Transportation of School Children

The State government is seriously concerned with the safety of School children and has issued detailed guidelines for School buses vide notification dated 10-10-2018. The directions contained in this notifications have been circulated to all Regional Transport Offices (RTOs) and other concerned departments for strict implementation with the directions for achievement of 100% target for checking of vehicles ferrying School Children.

vii. Rent a Motor Cycle & Motor Cab Scheme

The rent a Motor Bike scheme is a notified Scheme under the provision of Motor Vehicle Act, 1988. The State of Himachal Pradesh vide notification no tpt-A(4)9/2015 dated 25.05.2017 adopted the Rent-A Bike Scheme notified by

Central Government in the year 1997. Thereafter State of HP vide notification no.Tpt-A(4)9/2015 dated 06-03-2019 notified this scheme in the State.The State Transport Authority granted 990 vehicle purchase permission to the applicants.

viii. Fleet Strength of Private buses and Taxies

In Himachal Pradesh total strength of Private Stage Carriage Buses is 3303 and the Strength of Taxies (Seating Capacity 4+1) is 28034, Maxi (6+1 and above) is 12267 upto December, 2021. The District wise and RTO Wise Detail is as under:

Table 12.5: Fleet Strength of Private buses and Taxies

RTO Wise Pvt. Stage Carriage Busses in HP up to 31-12-2021		
Sr. No.	**Name of RTO**	**Total No. of Private Buses**
1	RTO Shimla	252
2	RTO Kinnaur at Rampur	82
3	RTO Solan	220
4	RTO Baddi at Nalagarh	99
5	RTO Bilaspur	304
6	RTO Hamirpur	343
7	RTO Kullu	164
8	RTO Una	305
9	RTO Mandi	416
10	RTO Dharamshala	815
11	RTO Sirmour	161
12	RTO Chamba	142
Total		**3303**

District wise Taxi and Maxi in HP up to 31-12-2021			
Sr. No.	**Name of District**	**Total no. of Taxies (4+1)**	**Total no. of Maxi (6+1) and above**
1	Kullu	4924	2264
2	Shimla	11265	3490
3	Solan	1295	586
4	Sirmour	189	144
5	Kangra	4531	2012
6	Hamirpur	1329	651
7	Una	268	242

8	Mandi	2113	1351
9	Lahaul-Spiti	8	9
10	Kinnour	27	8
11	Bilaspur	925	665
12	Chamba	1160	845
Total		**28034**	**12267**

12.13 Himachal Road Transport Corporation (HRTC)

Road Transport is the main stay of economic activity in the Pradesh as other means of transport namely Railways, Airways, Taxies, Auto Rickshaw etc. are negligible therefore, the Himachal Road Transport Corporation assumes paramount importance in the State. The passenger transport services to the people of Himachal Pradesh, within and outside the State are being provided by HRTC with a fleet strength of 3,023 buses, 75 Electric Buses, 21 Taxies & 50 Electric Taxies.

12.13.1 HRTC Schemes for the benefits of Passengers:

For the benefit of the people, the following schemes are in operation during the year:

i) **Green Card Scheme:-**Green cardholder is allowed 25 per cent discount in fare, if the journey under taken by passenger is of 50 km. The cost of this card is ₹50 with a validity of two years.

ii) **Smart Card Scheme:** Corporation has introduced Smart Card Scheme. The cost of the card is ₹50 with a validity of Two years. This provides a discount of 10 **% on** fare and is valid in HRTC Ordinary, Super Fast, Semi Deluxe and Deluxe buses. In Volvo and AC Buses discount is allowed from 1st October to 31st March.

iii) **Samman Card Scheme for Senior Citizen:** Corporation has introduced Samman Card Scheme for the senior citizen of the age of the 60 years or above. Under this scheme, the discount of 30 per cent in fare is allowed in ordinary buses.

iv) **Free Facility to Women:** Women have been allowed free travelling facility in HRTC ordinary buses on the occasion of “Raksha Bandhan” and “Bhaiya Dooj”. Muslim women have been allowed free travelling facility on occasion of “Id” and “Baker Id”.

v) **Discount in fare to Women:** The Corporation has also allowed 25 per cent discount in fare in ordinary buses within the State to the women.

vi) **Free Facility to Students of Government Schools:** The students of Government schools up to +2 classes have been allowed free travelling facility in HRTC ordinary buses for travel to and fro between theri their residence and School.

vii) **Free Facility to the person suffering from serious disease:** Free travelling facility is provided to cancer, spinal injury, kidney and dialysis patients along with one attendant in HRTC buses for the purpose of medical treatment on referral slip issued by the Doctor within and outside the State.

viii) **Free Facility to the Special abled persons:** The Corporation is providing free travelling facility to special abled persons having disability of 70 per cent or more along with one attendant within State.

ix) **Free Facility to the Gallantry Awardees:** The Gallantry Award winners have been allowed free travelling facility in HRTC's ordinary buses in addition to Delux Buses in the State.

x) **Luxury Buses**: The Corporation is plying 56 owned and 32 buses super luxury (Volvo / Scania) and 08 luxury AC buses under Wet-Leasing scheme to Inter State routes and 08 Tempo Traveler Interstate to provide better transport facility to the public.

xi) **24X7 Helpline**: 24x7 HRTC/ Private Bus Passenger's helpline No.94180-00529 and 0177-2657326 have been introduced to lodge and address the complaints of passengers.

xii) **Taxies on sealed roads:** Taxies Services have also been introduced by the Corporation in Shimla Town for public on sealed/ restricted roads.

xiii) **Free travelling facility to the families of Martyrs**: HRTC extended free travelling facility to War Widows, Parents and Children up to the age of 18 years of Armed forces personnel martyred in War and Widows, Parents and Children up to the age of 18 years parents of Armed Forced Personnel and Para Military Troops, who were martyred on duty.

xiv) **Facility of electric buses to tourist place**: The Corporation has introduced electric buses for the tourists and visitors to the famous tourist places.

xv) **Facility of sanitary pad vending machines for women**: For the benefit of women sanitary pad vending machines have been installed at 38 Bus Stands.

xvi) **Facility of wheelchair to special abled person at Bus Stands:** For the benefit of special abled person, wheel chair has been provided at 42 Bus Stands.

xvii) The Corporation Purchased Five Super Luxury AC Volvo buses and five Tempo Traveller to provide better transport facility to the public and remote area.

xviii) On the demand of public Corporation started Volvo buses from Shimla to Chandigarh International Airport and Shimla to Katra (Jammu).

Social Sector

13
Chapter

13.1 Education

Education has been the most critical aspect of nation-building. Education boosts economic growth, builds human resources, reduces poverty and increases income. United Nations Sustainable Goal-1 on education (number-4), which aims to "Ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning opportunities for all" and also towards the "Education 2030 Framework for Action", provides a set of targets to be followed by member countries to provide universal education by 2030. Education has a catalysing impact on every other sector in the economy by providing a skilled and knowledgeable workforce which in turn boosts productivity and efficiency. Himachal Pradesh‟s educational parameters have been better than the national averages since its inception. There has been a tremendous growth in the availability of educational institutions in the last few decades. Despite its harsh climatic conditions and rough terrains, the state made an impressive progress in its educational infrastructure and resulted in the rise of student enrolment and literacy rate.

According to Census 2011, the literacy rate in Himachal Pradesh was 82.80 per cent which is 8.8 percentage points higher than the national average at 74.0 per cent. These rates were 89.53 per cent for men and 75.93 per cent for women in the state. These are significant improvement from the Census 2001 rates, which were 85.35 per cent for men, 67.42 per cent for women and 76.48 per cent overall. The gender gap reduced from 17.93 percentage points in 2001 to 13.6 percentage points in 2011. The more recent numbers are provided in the survey conducted by National Sample Survey Office (NSSO) on "Household Social Consumption: Education", which was conducted as its 75th round of survey during 2017–18. The report estimates the state‟s overall literacy rate to improve to 86.6 per cent in 2017. Similarly, male literacy rate increased to 92.9 per cent and female rate to 80.5 per cent, with gender gap 12.4 percentage points.

13.1.1 Percentage children aged 6-14 enrolled in Government school

Figure 13.1 shows that percentage of children in the age group 6-14 enrolled in Government schools have increased from 58.6 per cent in 2018 to 60.9 per cent in 2021. Enrollment in government schools increased by more than 6.8 percentage points from 2020 to 2021. The increase of 7.1 percentage points has been observed

in the girls enrollment from 2020 to 2021, whereas the increase of 6.2 percentage points has been noticed in the enrollment of boys in the same age group.

Figure 13.1 Percentage children aged 6-14 enrolled in Government schools

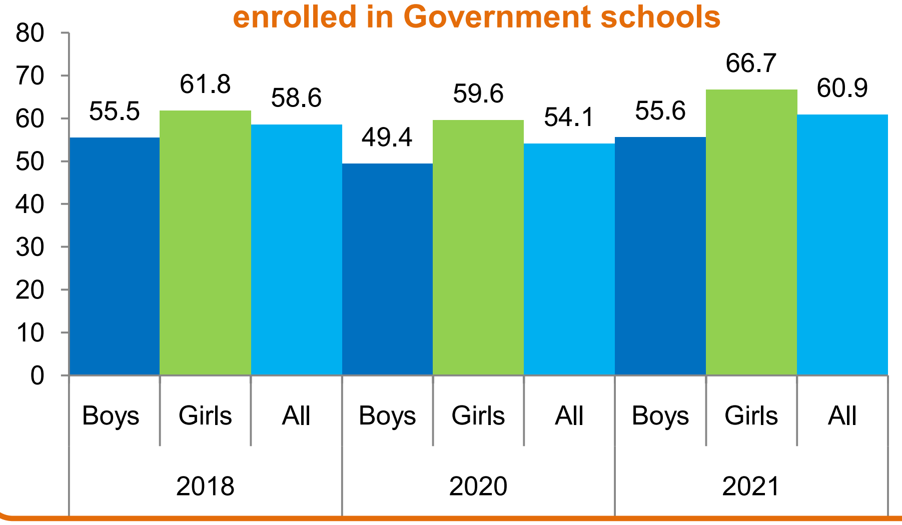

Source: Annual Status of Education Report (ASER), 2021

13.1.2 Percentage Enrolled children with access to smart phones in Himachal Pradesh.

The availability of smart phones in children"s homes has almost doubled from 2018 to 2021. For example, in 2018, 58 per cent of children in government schools had at least one smart phone at home. This proportion increased to 90 per cent in 2020 and grew further to 95.6 per cent in 2021 (Figure- 13.2).

Figure 13.2 Percentage enrolled children with a smartphone available at home

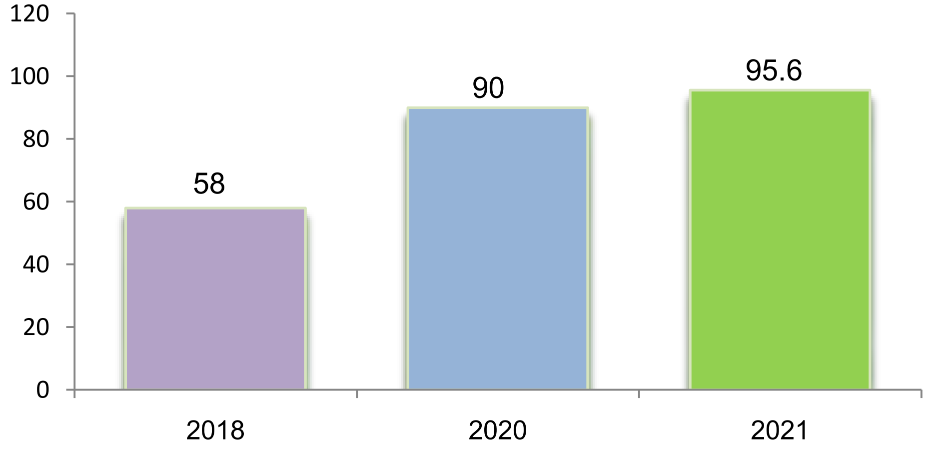

Source: Annual Status of Education Report (ASER), 2021

13.1.3 Percentage enrolled children who receive help from family members while studying at home by school type

We use the term „learning support at home" to refer to the effort that families put into helping children with learning activities when they are studying at home In Himachal Pradesh, 90.4 per cent children enrolled in private schools received help from their family members while studying at home, whereas only 81.8 per cent children of Government schools are helped by their family members and if we look at both the institutions together, this number is 84.8 per cent (Figure-13.3).

Figure 13.3 Percentage enrolled children who receive help from family members while studying at home by school type

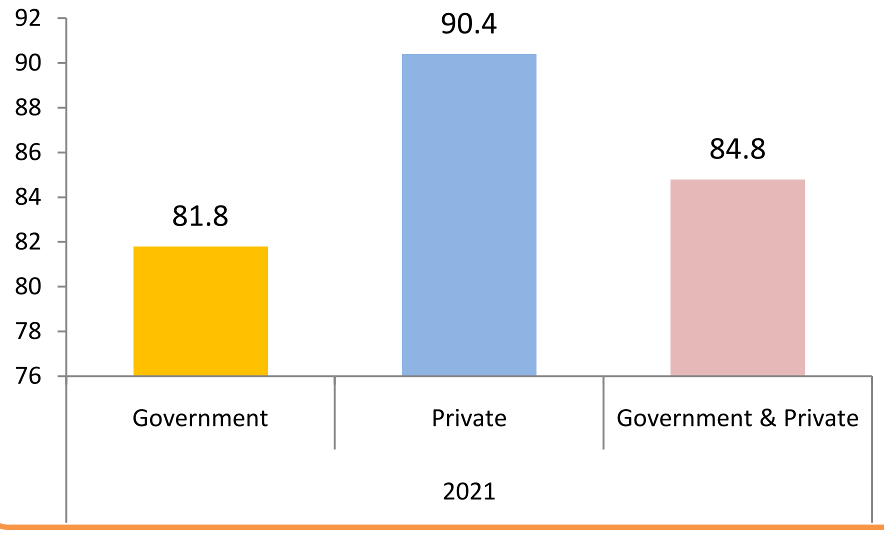

Source: Annual Status of Education Report (ASER), 2021

13.1.4 Distribution of enrolled children by parent's education

If we look at the education level of parents of these children in Himachal Pradesh, 65.6 per cent have high, 30.4 per cent medium and 4 per cent low level of education. „Low" parental education includes families where both parents have completed Standard V or less (including those with no schooling). At the other end of the spectrum, the „high" parental education category comprises families where both parents have completed at least Standard IX. All other parents are in the „medium" category for the year 2021 (Figure 13.4)

Figure 13.4 Distribution of enrolled children by parent's education

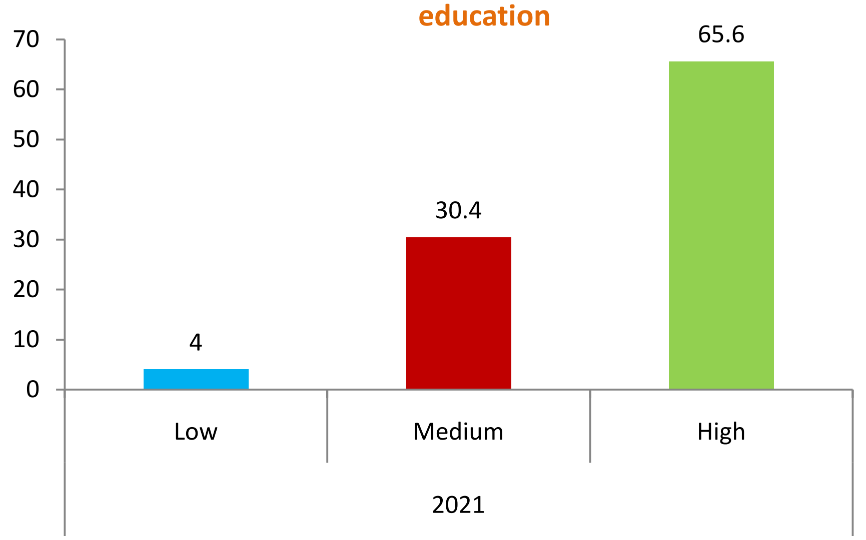

Source: Annual Status of Education Report (ASER), 2021

13.1.5 Percentage enrolled children who have text books for their current grade

Almost all enrolled children have textbooks for their current grade (97.3%). Of all the students, 97.5 per cent enrolled in Government schools have text books compared to 96.9 per cent enrolled in Private schools in the year 2021. In 2020, the same numbers were 96.4 per cent and 96.2 per cent, respectively. This became possible due to the initiatives of State Government to provide free textbooks and in this respect, the position of Himachal Pradesh is far better than the adjoining States(Figure 13.5).

Figure 13.5 Percentage enrolled children who have text books for their current grade

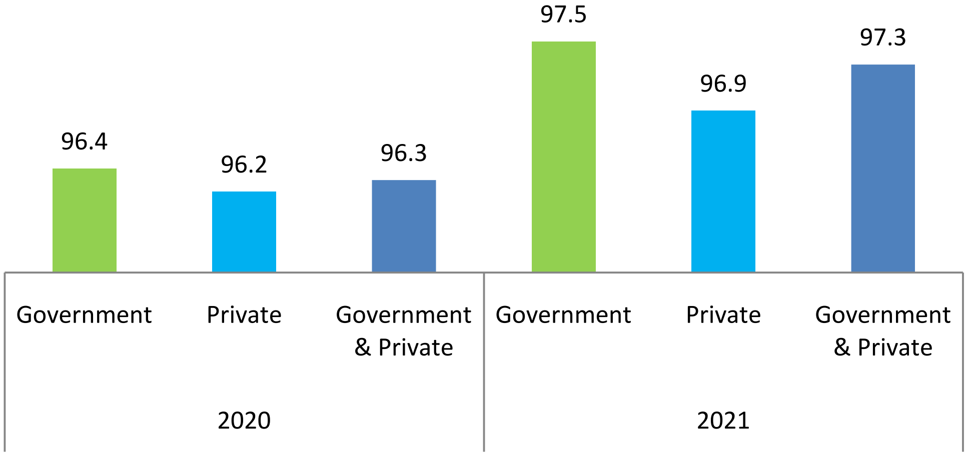

Source: Annual Status of Education Report (ASER), 2021

13.1.6 Elementary Education

As on 31.12.2021 there are 10,734 Primary Schools and 2,022 Middle Schools in Government Sector. To overcome shortage of trained teachers, efforts are being made to make fresh appointments of teachers in the schools regularly. An attempt has also been made to cater to the educational needs of specially abled children. The policies of the Government in the field of elementary education are implemented with following aims:

- To achieve the goal of universalization of Elementary Education.
- To provide Quality Elementary Education.
- Access of education to every child in the State.

13.1.7 State Sponsored Scholarship Schemes

The following incentives were provided during the year 2021-22:

Table 13.1: State Sponsored Schemes in Elementary Education

Sr. No	State Sponsored Scheme	Detail of Schemes	Benefitted Students
1.	**Medhavi Chhatarvriti Yojana**	Students of 5th standard who secured at least grade B are eligible to appear for scholarship exam. 2 Boys and 2 Girls at each block level are ensured to give ₹800 per annum who score highest marks in the merit list and renewal for 7th and 8th Classes.	1,628
2.	**Scholarship for Integrated Rural Development Programme (IRDP)/Below Poverty Line (BPL) Children**	1st to 5th standard students are given ₹150 per annum and students from 6th to 8th standard are given ₹250 per annum per boy and ₹500 per annum per girl.	75,353
3	**Girls Attendance**	Girl students of 1st to 5th standard whose attendance is at least 90 per cent are given ₹ 20 per annum.	25,275
4.	**Poverty Scholarship**	Students of 1st to 5th standard whose parents income does not exceed ₹ 11,000 per annum are given ₹40 per annum.	2,542
5.	**Scholarship for Children of Armed Forces**	Students of 1st to 5th standard whose parents dies during the war or got more than 50 per cent disability are given ₹ 150 per annum	3
6.	**Free Text Books**	Free books for students of all categories from 1st	All

		to 8th standard are provided by the Department of Elementary Education through Himachal Pradesh Board of School Education (HPBoSE).	Students
7.	**Atal School Vardi Yojana**		
	(i) Free School Uniform	(i) Two sets of uniform is being provided for class 1st to 12th	8,05,556
	(ii) School Bags	Students of 1st, 3rd, 6th and 9th are provided free school bags.	2,49,769
8.	**Construction and Repair of Elementary and Middle school**	Infrastructure facilities developed	-
9.	**Atal Adarsh Vidyalya Yojana (AAVY)**	2 more new Atal Adarsh Vidyalyas (AAV) have been notified and till now 27 AAV are notified.	-
10.	**Mid Day Meal Scheme**	i) This scheme was implemented in 2004 for primary school children and in 2008 this scheme was extended up to 8th standard students.	5,19,489
		ii) During COVID-19 pandemic all the Educational Institutions /Schools remained closed and the cooked meal could not be served. In lieu of this the entitled quantity of food grains and payment of cooking cost is being provided to the parents/guardians of all eligible students under this scheme for the closure period as well as for summer period.	
11.	**"Swarn Jayanti" Gyanodya Cluster Srestha Vidyalaya Scheme**	The scheme is being implemented in identified 100 cluster schools.	
12	**Padhna Likhna Abhiyan**	6 district viz. Chamba, Kinnaur ,Kullu, L&S, Mandi and Sirmour have been identified with a financial assistance of ₹2.51 crore.	96,228
13	**Swaran Jayanti Middle Merit Scholarship Scheme**	This scholarship scheme is for the students studying in 6th, 7th and 8th class in the Government schools, the meritorious students will be selected through a State level examination by State Council of Educational Research and Training (SCERT), Solan and selected student will get an award benefit of ₹4,000/- per month in class 6th, ₹5,000/ per month in class 7th and ₹6,000 per month in class 8th.	

13.1.8 Har Ghar Pathshala

The programme has been launched as "Har Ghar Pathshala" as an online mode of education. Aiming to minimize the effect of COVID-19 on education, this is a very successful learning programme which has benefitted about 8 lakh Government school students. It is a home based, teacher facilitated, self study programme on a daily basis, for class 1st to 12th with the following objectives:

- To ensure students learning is not hampered due to closure of schools in this pandemic.
- Dissemination of content in the form of videos and worksheets through WhatsApp groups on daily basis.
- To conduct weekly quizzes on a WhatsApp and Chatbot.
- Conduction of live classes by teachers with students:

Har Ghar Pathshala Phase-1 has been able to reach out to an estimated 6.4 lakh (80%) students in the State and about 4 lakh (50%) students remained engaged with the programme every week over the last 18 months. Key engagement metrics for the programme are as under:

- Average of 2.5 lakh students watch content on the Har Ghar Pathshala website on a daily basis.
- Average of 4 lakh students participated in weekly WhatsApp quiz.
- 25,000 teachers conduct daily live classes on an average.

13.1.9 e-Parent Teacher Meet (e-PTM)

The e-PTM drive has been extremely successful; the parents of around 94 per cent of students participated in the meeting, and found that Har Ghar Pathshala programme was useful.

13.1.10 Senior Secondary Education

Highest Priority is being given to education in the State. Up to December, 2021, there are 930 Government High schools, 1,882 Government Senior Secondary Schools and 139 Government Degree Colleges including 7 Sanskrit Colleges, 1 State Council of Educational Research and Training (SCERT), 1 B.Ed. College and 1 Fine Art College, running in the State.

13.1.11 Scholarship Schemes

To improve the educational status of the deprived sections of the society, various scholarships/ stipends are being provided by the State/ Central Governments at various stages. The scholarship schemes are as under:

Table 13.2: Secondary / Higher Education State/Centre Sponsored Scholarship Schemes during 2020-21

Sr. No.	Name of the Scheme	Scholarship and Infrastructure	Total Benefitted Students
		State Sponsored Schemes	
1.	**Dr. Ambedkar Medhavi Chattarvriti Yojana**	Top 1,250 students of Scheduled Castes (SCs) and 1000 meritorious student of Other Backward Classes (OBC) from Matriculation Examination of HPBoSE and are given ₹12,000 per year for SC students and ₹10,000 per year to OBC student.	1,430 OBC and 1657 SC students have been benefitted.
2.	**Swami Vivekanand Utkrisht Chhatervritti Yojana**	Top 2,000 meritorious students of General category from Matriculation Examination of HPBSE are given ₹10,000 per year.	3,171 students have been benefitted.
3.	**Thakur Sen Negi Utkrisht Chhatervritti Yojana**	Top 100 Girls and 100 Boys (HPBoSE) students of Matric belonging to the Tribal Community of HP are given ₹11,000 per year.	231 students have been benefitted.
4.	**Maharishi Balmiki Chattarvriti Yojana**	Himachali girl students belonging to Balmiki Families are given₹9,000	1 student has been benefitted.
5.	**Indira Gandhi Utkrisht Chhatervritti Yojana**	Top 10 students from the merit list of 10+2 (affiliated from HPBSE) and for post 10+2 courses are given ₹10,000 per annum.	37 students have been benefitted.
6.	**Sainik School Sujanpur Tihra Scholarship**	This Scheme is applicable to the students who are studing in Sainik School Sujanpur Tihra and are bonafied resident of Himachal Pradesh from class VI to XII	148 students have been benefitted.
7.	**National Defence Academy (NDA) Scholarship Scheme**	The NDA scholarship at different rates is being given to the Cadets of Himachal Pradesh who are getting training at NDA, Khadakwasla.	-
8.	**Kalpana Chawla Chhatravriti Yojana**	Under this Scheme the top 2000 meritorious girl students of all study groups i.e. Science, Arts and Commerce streams based on passing ratio in each as per merit list supplied by the HPBoSE for post 10+2 courses are given ₹15,000 per year.	1,954 students have been benefitted.
9.	**Mukhya Mantri Protsahan Yojana**	A degree course in any Indian Institutes of Technology (IITs) All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), for PG Diploma Course in Indian Institute of Management (IIMs), Indian School of Mines (ISM) Dhanbad at Jharkhand and Indian Institute of Science (IISc) at Banglore. One time award of ₹75,000 is being given.	85 students have been benefitted.
10.	**Rashtriya Indian Military College Scholarship**	All students who are bonafide residents of H.P. and are studying from VIII to XII in Rashtriya Indian Military College,	8 students have benefitted.

		Dehradun. The amount of scholarship is ₹20,000 per annum.	
11.	**IRDP Scholarship Scheme**	Those students who are belonging to the IRDP families and are studying in Government and Government Aided institutions, ₹300 for 9th and 10th class students, ₹800 for 10+1 and 10+2 class and ₹1,200 for college day scholar and ₹2,400 for hostellers per month are being given.	4,076 students have benefitted.
12	**Financial Assistance to the children of the Armed Forces Personnel skilled/ disabled during the different War/Operations**	A sum of ₹ 300/-(boys) and 600/-(girls) per month for 9th and 10th class, ₹ 800/- per month for +1 and +2 class , ₹1200 /- per month for colleges /Day scholar Students and ₹2400/- per month for hostellers is being given to Children of Armed Forces Personnel killed / disabled in the different wars /operations .	No student applied for this scholarship during the year 2020-21.
13	**Mukhya Mantri Gyandeep Yojana (Educational Loan Subsidy Scheme) :**	Under this scheme, Interest subsidy is admissible on Education loan availed up to the maximum of ₹ 10 lakh only for pursing Higher Studies in India. The Interest subsidy to the extent of 4% p.a. on education loan is being allowed.	1,115students have been benefitted under this scheme during the year 2020-21.
Central Sponsored Schemes			
1	**Post Matric Scholarship to SC/ST/OBC students**	Students SC and ST whose parents annual income is up to ₹2,50,000, The students (OBC) whose parents annual income is up to ₹1,50,000, are eligible for full scholarship (i.e. maintenance allowance +full fee) for all courses if they are studying in Government/ Government Aided Institutions	The disbursement is under process.
2	**Pre Matric Scholarship to SC, ST and OBC students of 9th and 10th Class**	Pre matric Scholarship for SC students will be paid to students whose parents Income/guardians from all sources does not exceeds ₹2,50,000 p.a. The scholarship will be awarded for 10 months in an academic year for day scholars ₹3000 per annum. and hostellers ₹ 6250 P.A., Pre matric Scholarship to ST, will be paid to those students whose parents / guardians income from all sources does not exceed ₹ 2,00,000/- per annum. The scholarship is awarded ₹ 2250/- p.a. to Day scholars and ₹4500 per annum to hostellers of Class IX and X. and Pre matric Scholarship to OBC will be given to those students from 1st to 10th classes whose parents annual income does not exceed to ₹2,50,000. The	9,077 students have been benefitted under Pre matric SC scholarship scheme and disbursement of Pre SC and OBC scholarship is under process.

		scholarship will be awarded ₹100 per month for 10 months for day scholars and for Hostellers ₹500 per month for 10 months from Class III to X and ₹500 per student per annum and one time adhoc grant is also given under this scheme.	
3	**Merit cum means Scholarship Scheme for Students belonging to Minority Community**	This Scholarship is for the Minority students belonging to Muslim, Sikh, Christian, Budhhist communities. Student should have not less than 50 per cent marks and income of their parents should not exceed ₹2.50 lakh per annum.	30 students have been benefitted. The Scholarship amount is being disbursed at Government of India level.
4	**Post–Matric Scholarship Scheme to students belonging to Minority community**	This scholarship is given from XI to Ph.D. for minority students who have not less than 50 per cent marks in the previous final examination and whose parents annual income should not exceed ₹2.00 lakh.	556 students have been benefited. The Scholarship amount is being disbursed at Government of India level.
5	**Post Matric Scholarship to Disabled Students**	All students having more than 40% disability, certified by the Competent medical authority of the state Government and whose parental Income from all sources does not exceed ₹2,50,000/- per annum are eligible for full scholarship.	Total 84 students have been benefitted under this scheme. The Scholarship amount is being disbursed at Government of India level.
6.	**Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for Economically Backward Classes (EBC)**	All students belonging to Genaral Category (other than SC, ST, OBC) whose total income from all sources in case of the employed candidate and in case of un-employed candidate, his/her parents/ guardians income shall not exceed ₹1,00,000 are eligible for full scholarship.	The disbursement is under process.

13.1.12 Promotion of Sanskrit Education

Continuous efforts are being made by the State, as well as Central Government to promote Sanskrit Education. The details are as under:

- Award of scholarships to students of High/ Senior Secondary Schools studying Sanskrit.
- Providing grant for the salary of Sanskrit Lecturers for teaching Sanskrit in Secondary Schools.
- Modernization of Sanskrit Schools.
- Grant for various schemes for promotion of Sanskrit and for research/ research projects.

13.1.13 Teachers Training Programmes

During 2021-22 the State Council of Educational Research and Training Solan and Government College of Teacher Education Dharamshala, Himachal Pradesh organized online Training Programmes and 156 teachers of Government Schools and 99 Principals / Headmasters of colleges and schools have been given training.

13.1.14 Free Text Books

The State Government provides free text books to all students of 9^{th} and 10^{th} classes. 1,34,626 students have benefitted under this scheme, during 2021-22.

13.1.15 Free Education to Handicapped Children

Free and compulsory education for children with 40 per cent or above disabilities is being provided in the State upto 10+2 level and they have been exempted from paying any fee and funds upto 10+2 level . Further, Children with special needs are exempt from paying fees up to university level.

13.1.16 Free Education to Girls

Free education, without any tuition fee, is being provided to girl students in the State up to University level.

13.1.17 Information Technology Education

Information Technology education is being imparted in all Government Senior Secondary Schools on self finance basis where students have opted for IT education, as an optional subject. The department is charging Information Technology fee of ₹110 per month per student. The students of SC (BPL) families get a 50 per cent fee concession. In 2021-22, 90,034 students are enrolled in

Information Technology education out of which 4,826 SC (BPL) students have benefitted from this scheme.

13.1.18 Samagra Shiksha

Following schemes are running under Samagra Shiksha:

i. **Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)**
The RMSA is running in sharing pattern of 90:10 (90% GOI and 10 % State Government)The activities under RMSA are being taken up to strengthen infrastructure in the existing secondary schools, training in service teachers, self defense training and Kala Utsav with annual grant to schools in the State.

ii. **Information and Communication Technology (ICT) Project**
To improve and strengthen the teaching and learning activity by using smart class rooms and multi-media teaching aids, department has successfully implemented ICT in 2,555 Government High/ Senior Secondary Schools up to 2021-22 and 117 Government schools are being covered during this financial year.

iii. **Vocational Education**
Under the National Skill Qualification Framework Scheme (NSQF), vocational education is being provided in 1,003 schools and 97 more schools will also be covered before 31.03.2022. Under this scheme: trades i.e. Automobile, **Information Technology** (IT)/ **Information Technology Enabled Services** (ITeS), Tourism & Hospitality, Telecom, Healthcare, Security, Retail, Agriculture, Media & Entertainment, Banking Finance Services and Insurance, Physical Education , Apparels, Makeups & Home Furnishing, Beauty & Wellness, Electronics & Hardware and plumbing are being taught to the students .

iv. **Inclusive Education for Specially abled at Secondary Stage**
Under this scheme, 12 model schools have already been established in all the districts out of which 4 schools are with residential facilities. 7,498 children with special need have been enrolled in Government schools and 28 medical Assessment Camps have also been organized in 2021-22.

13.1.19 Rashtriya Ucchtar Shiksha Abhiyan (RUSA)

The Rashtriya Ucchtar Shiksha Abhiyan has been implemented in the State to improve the higher education system. Under this scheme RUSA grant is being given to 70 colleges and Himachal Pradesh University (HPU).

13.1.20 Mukhya Mantri Digital Device Yojana

Under this scheme, department has proposed to procure 10,000 Smart Phones to be distributed to the meritorious students of class 10^{th} and 12^{th}(4450 students each class) and 900 college students of final year (B.A., B.Sc., B.Com 300 each) with the aim to strengthen the learning activities in schools for the academic session 2021-22. The examination of this session will be held in March, 2022 under Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala for school students and under HPU, Shimla for college students.

13.1.21 Medha Protsahan Yojana

The objective of the scheme is to assist meritorious students of Himachal Pradesh by providing them coaching for Common Law Admission Test (CLAT)/ National Eligibility cum Entrance Test (NEET)/ Indian Institutes of Technology-Joint Entrance Examination (IIT-JEE)/ All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)/ Armed Forces Medical College (AFMC)/National Defence Academy (NDA)/ Union Public Service Commission (UPSC)/ Staff Selection Commission (SSC)/Banking etc. In total 390 students will benefit from this scheme.

13.1.22 Installation of Closed Circuit Television (CCTV) Surveillance System

Budget provision has been made to install CCTV Surveillance System in 100 Government Schools during the year 2021-22.

13.1.23 Swaran Jayanti Utkrisht Vidalaya and Utkirsht Mahavidyalaya Yojana

The Higher Education Department, Himachal Pradesh has identified 68 schools of each assembly constituency and designated as Utkrisht Vidyalayas under Swaran Jayanti Utkrisht Vidyalaya Yojana in the current financial year and approved budget of ₹44.00 lakh for each school for the development and beautification of school campus and environmental friendly features. Beside this, 18 Government Degree colleges have been designated as Utkrisht Mahavidyalya and a budget of ₹75.00 lakh has been approved for these colleges.

13.1.24 Khel Se Swasthaya Yojana

Sports accessories such as Kabbaddi mats, JUDO mats, Wrestling, Weight lifting and Boxing rings have been provided to 129 Sr. Sec. Schools and 57 Government Colleges to encourage the students for the participation in sports activities under this Yojana in 2021-22.

13.1.25 Swaran Jayanti Super 100 Yojana

The department has started the process to provide financial assistance of ₹1.00 lakh each to the top 100 meritorious students of 10th class of Government schools for undergoing coaching for admission in professional / technical courses under this Yojana and for the same an amount of ₹1.10 crore has been sanctioned during the financial year 2021-22.

13.1.26 C.V Raman Virtual Class rooms for schools and Colleges

Under CV Raman Virtual Classroom Yojana, the process of establishing virtual class rooms in 30 schools and 20 colleges is under way in the current financial year 2021-22.

13.1.27 Swaran Jayanti Vidyarthi Anushikshan Yojana

The Scheme "Swaran Jayanti Vidyarthi Anushikshan Yojana" was launched by the Hon'ble Governor on 05-09-2021 on the occasion of Teachers Day, under which students of Government schools studying in 9th to +2 classes, get free coaching for JEE-NEET Entrance Exams. For this, study material is being uploaded on "Har Ghar Pathshala Portal" every Saturday and Sunday.

13.1.28 Bachelor of Vocational Degree courses (B.Voc)

B.Voc Degree Program started in 6 more colleges in 2021-22 in two sectors "Retail Management" and Hospitality & Tourism. These colleges are Rajkiya Kanya Mahavidyalaya Shimla, Government Degree College Seema, district Shimla, Government Degree College Sarkaghat, district Mandi, Government Degree College Ghumarwin, district Bilaspur, Government Degree College Dhaliara, district Kangra and Government Degree College Haripur Manali, district Kullu. In addition to this, placement has been provided to 76 students during the year 2021-22.

13.1.29 Atal School Vardi Yojana

The department has distributed two sets of school uniforms to 1,72,392 students of 11thand 12th class under Atal School Vardi Yojana and also distributed free text books to 1,24,412 students studying in 9th and 10th class of Government schools during the year 2021-22.

13.1.30 Other initiatives taken by the department during COVID -19

COVID-19 provided new opportunities to leverage path of technology for students in the field of academic inputs, self study, self assessment and examination in the school system. The students are encouraged to make full use of Digital Learning Initiatives and are also encouraged to keep themselves safe from COVID-19 virus by adopting various safety measures.

- Due to COVID-19, the schools were closed for the last 7 months and the department has provided online education to the students of all classes at their home.
- During COVID-19 pandemic, the department of Higher Education, H.P. has successfully conducted the examination and declared result of the students studying in the Final year of the colleges in the state in the current financial year 2021-22.
- In order to protect the children from COVID-19 disease, all the students aged between 15-18 studying in all the schools in the State have been vaccinated.

13.1.31 Technical Education

The department is providing Technical Education, Vocational and Industrial Training and has reached a stage where aspiring students of the State can get admission in Engineering/ Pharmacy in diploma and degree as well as certificate courses in following institutions in Himachal Pradesh:

Table 13.3: Name and Number of Institutions

Sl. No.	Names of Institute	Number of Institutes
1.	Indian Institute of Technology (IIT), Mandi at Kamand	01
2.	National Institute of Technology, Hamirpur	01
3.	National Institute of Fashion Technology (NIFT), Kangra	01
4.	Indian Institute of Management (IIM), Sirmour	01
5.	Indian Institute of Information Technology, Una	01

6.	Central Institute of Plastic Engineering and Technology (CIPET), Baddi, Tehsil Nalagarh, district Solan.	01
7.	Regional Vocational Training Institute (RVTI) for Women at Jhundla, Tehsil Shimla Rural, district Shimla	01
8.	Government Engineering Colleges	05
9.	Government Pharmacy College	04
10.	B-Pharmacy Colleges (Private Sector)	14
11.	Engineering Colleges (Private Sector)	12
12.	Polytechnics (Government Sector)	15
13.	Polytechnics (Private Sector)	07
14.	D-Pharmacy Colleges (Private Sector)	11
15.	2^{nd} Shift in Diploma Courses (Private Sector)	03
16.	Co-educational Industrial Training Institutes (Government Sector)	115
17.	State of the Art ITIs	11
18.	Model Industrial Training Institute (ITI) Nalagarh and Sansarpur (Government Sector)	02
19.	Industrial Training Institutes (women) (Government Sector)	09
20.	ITI for Persons with specially abled at Sundernagar (Government Sector)	01
21.	Motor Driving School at Una in Government Sector	01
22.	ITIs (Private Sector)	151
23.	Vocational Training Centre	02
	Total	**370**

Table 13.4: Intake of Students in the Existing Institutions

Sr. No.	Description of Institution	Number
1	Degree Level	2,128
2	B-Pharmacy	1,260
3	Diploma Level	5,020
4	Government/Private ITI‟s	47,302
	Total	**55,710**

Technical Education Quality Improvement Programme Phase-III (TEQIP-III) was started from April, 2017 which ended in September, 2021. Three colleges of the State viz Jawaharlal Nehru Government Engineering College, Rajiv Gandhi Government Engineering College, Atal Bihari Vajpayee Government Engineering College and Himachal Technical University have been selected under this project with an initial project cost of ₹10.00 crore to each of the selected Institution and ₹20.00 crore sanctioned to Himachal Pradesh Technical University and an amount

of ₹28.56 crore has been spent by the three engineering colleges and ₹10.29 crore has been spent by the Himachal Pradesh Technical University during this financial year.

13.1.32 Short Term Training under Himachal Pradesh Skill Development Project

Under Himachal Pradesh Skill Development Project (HPSDP), Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam (HPKVN) has signed a MoU with 61 Government Industrial Training Institutes (ITIs) for providing National Skills Qualifications Framework (NSQF) aligned Short Term Skill Training to youth of Himachal Pradesh. At present, 8,398 candidates of 58 Government ITIs are undergoing training. Under this project, the target for 3 years is 38,181 trainees for 106 of job roles.

13.1.33 Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) Project

19 ITIs have been selected under Centrally Sponsored Scheme namely STRIVE to upgrade the infrastructure of these ITIs, so that quality training could be imparted to the trainees and an amount of ₹30.71 crore has been allocated under this scheme. For 2020-21, ₹12.24 crore have been sanctioned by Government of India and transferred to ITIs as per their allocation and ₹11.80 crore has been allocated for State directorate. The funds to the tune of ₹2.83 crore have been received in the State in the financial year 2021-22 and a sum of ₹30.00 lakh has been received under State Project Implementation Unit.

13.1.34 Initiatives taken in view of COVID-19

- More faculties have been trained through offline/online Faculty development Programme conducted by National Institute of Technical Teachers Training and Research (NITTTR), Indian Institute of Technology (IIT), National Institute of Technology (NIT) etc.

- Conducted online/offline admission and counselling process with respect to engineering and pharmacy courses for the year 2021-22 and started the classes of admitted students as per All India Council for Technical Education (AICTE)/State Government institutions. Besides, the classes of existing students are being arranged offline mode and wherever required online mode.

- Signing of workable MOUs with the reputed Industries/Institutions for better Industry-Academic Interactions in order to provide training to both faculty and students.

Box: 13.1 Education Satellite Account, 2017-18 Himachal Pradesh (October, 2021)

"Give a man a fish and he will eat for a day. Teach a man to fish and he will eat for a lifetime." -Lao Tzu

In making strategic investment policies, a comprehensive knowledge of the sector is very important. However, the problem arises due to the paucity of data and insufficient data collection system. A complete picture of the financing of the sector is not possible only by looking at budget statements or education surveys. Realizing the importance of understanding financing of education, the government of Himachal Pradesh decided to prepare the state"s first ever Education Satellite Account (ESA)

The Education Satellite Account is an accounting framework designed to address the issues in education domain by organizing the related multiple data from different sources. The education account or ESA provides a framework to compile data on education financing in an economy and helps in gaining more insight into education. ESAs aim to provide the financial data for all levels of education, cover all sources of finances and data for types of educational providers in a systematic and comprehensible manner by using a structured methodology. The ESA also identifies two types of economic agents which undergo the economic transactions in this domain. These agents are financing units and producing units. The ESA brings out the flow of money from (or between) the financing units to the producing units, flowing further to the activities carried out by the producing units through the various levels of education.

Education Satellite Account typically presents the financial flows within the domain of education, and is organised into a set of activities and products across various levels of education. These financial flows are presented for the two types of economic agents, that is, financing units and producing units. The Education Satellite Account, hence, provides a report card on the financial health of education and is instrumental in policy-making. It offers answers to questions on whether the resources allocated in education are being equitably and effectively distributed. It enables the policy-makers to allocate funds to the disadvantaged groups if there is disparity in the distribution of resources.

Key Highlights of Education Satellite Account, 2017-18

The sum total of general government expenditure, private expenditure by households and other private expenditure on education is estimated at ₹12,500 crore.

This total expenditure on education works out to be 9.03 per cent of the state GDP. This is impressive as according to the National Education Policy-2020, public sector spending on education is targeted to be 6 per cent of GDP, at national level. The distribution by financing units reveals that the majority, at 51.4 per cent, is on account of general government expenditure; private households contribute another 29.8 per cent; and the other private entities account for the remaining 18.8 per cent (Figure 13.6).

Figure 13.6 Total Education Expenditure by Financing Units (% Distribution)

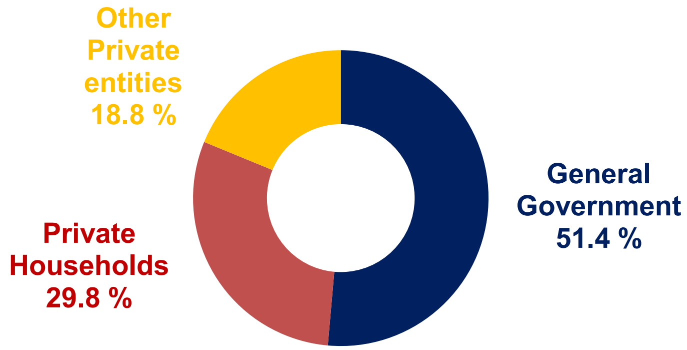

The distribution by producing units shows that maximum expenditure by all financing units, put together, is incurred on public units or the government-run institutes. Of the total expenditure incurred on education in the state, 58.6 per cent was allocated to public producing units and the remaining 41.4 per cent on private units (Figure 13.7).

Figure 13.7 Total Education Expenditure by Producing Units (% Distribution)

The distribution of total education expenditure by levels of education is presented in Figure 13.8. The up primary level of education receives a total of 26.1 per cent of total expenditure from all the financing units, put together. Higher education, that is, tertiary account for 15.1 per cent of the total expenditure.

Figure 13.8 Total Education Expenditure by Levels of Education (% Distribution)

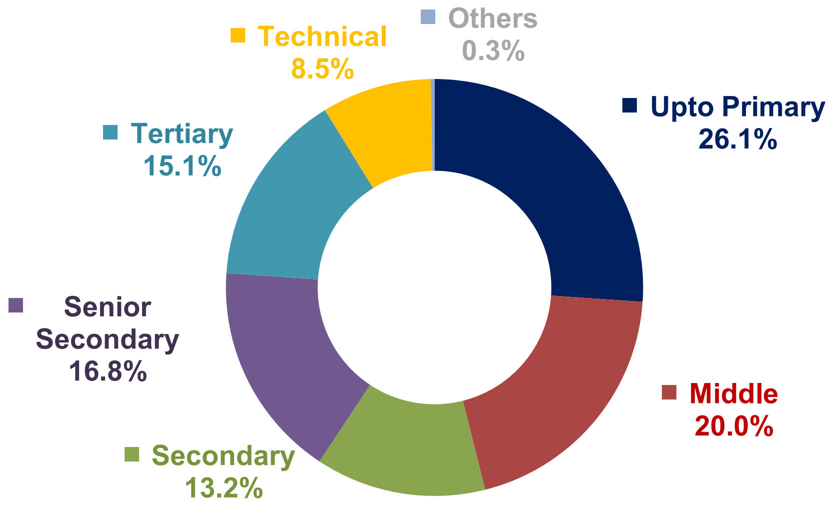

Further, the distribution of expenditure by activities shows that staff remuneration (both teaching and non-teaching taken together) accounts for 51.4 per cent of total education expenditure. Payments made outside the educational institutions, but related to education, accounts for another 10.4 per cent. This expenditure is incurred entirely by the households whose members are enrolled in an educational institution. A notable 26.0 per cent of the total expenditure is incurred on goods and services, which are recurrent expenditure on utility services, textbook and teaching material provided by institute, other office supplies, etc. The remaining share of 12.2 per cent of total expenditure is spent on capital goods, ancillary goods and services, general administration and scholarships.

13.2 Health

13.2.1 Health and Family Welfare

State Government‟s vision is to ensure good health and well being of all citizens of the State by providing good health services, elimination of communicable and non-communicable diseases and also expanding its health care service in this decade. State has made considerable progress on this front and is in better position in health indicators than the rest of the Nation. In Himachal Pradesh, Health and Family Welfare department is providing services which include curative, preventive, primitive and rehabilitative services through a network of Hospitals, Community Health Centers etc. which are given below in the table.

Table 13.5: Number of Health Institutions

Health Institutions	2019-20	2020-21	2021-22 (up to Dec. 2021)
No. of Allopathic institutions			
1. Hospitals	98	99	101
2. Community Health Centers	92	91	99
3. Primary Health Centers	588	574	576
4. Employees State Insurance (ESI) Dispensaries	16	16	16
Total	**794**	**780**	**792**
5. Beds Available	14,527	14,553	14,801

A brief description of various health and family welfare programs carried out in the State during 2021-22 are as under:

Table 13.6: Infrastructure to Control T.B. in Himachal Pradesh

Sr. No.	Tuberculosis (TB) Control Programme	No
1	TB Sanitarium	1
2	District TB Control cell	12
3	Block TB Units	77
4	Designated Microscopy Centers	218
5	Intermediate Reference Laboratory	1
6	State Drug Store	1
7	District Drug Stores	12
8	State TB Training Center	1
9	Cartridge based Nucleic Acid and Amplification Test (CBNAAT) laboratories	26
10	Culture and Drug Sensitivity Laboratories	2

11	Nodal Drug-Resistant (DR)-TB Centers	4
12	District Drug-Resistant (DR)-TB Centers	18
13	True NAAT(Nucleic Acid and Amplification Test) Sites	28
Total		**401**

Table 13.7: Various Programmes of Health Department in the State

Sr. No.	Programme	Brief Description
1	National Vector Borne Disease Control Programme	1,59,511 slides were examined out of which 15 slides were found positive during 2021-22.No death due to malaria was reported during this period.
2	National Leprosy Eradication Programme	While the prevalence rate was 5.14 during 1995-96 which has been reduced to 0.18 per ten thousand during 2021-22. New cases of Leprosy detected were 93 till December, 2021.
3	National T.B. Elimination Programme (NTEP)/ Revised National TB Control Programme (RNTCP)	Total 14,465 new patients including 1296 patients notified from private sector were diagnosed during the year 2021. After installation of 2 Cartridge based Nucleic Acid and Amplification Test (CBNAAT) machines State has got universal Drug Susceptibility Testing (DST) performance of 95 per cent, one of the highest in India. State has rolled out the incentives of ₹500 per patient to all TB patients for nutritional support as per GoI mandate. Till date over 17.65 crore has been transferred through Direct Benefit Transfer (DBT) under Nikshay Poshan Yojana to all Tuberculosis (TB)/ (Drug Resistant Tuberculoses (DRTB) patients. In the year 2021 the state has paid ₹6.00 crore to all Multiple Drug Resistant (MDR) patients from this scheme.
4	National Programme for Control of Blindness	Upto December, 2021, 24,400 cataract operations have been performed.
5	National Family Welfare Programme	This is carried out in the State on the basis of community needs assessment approach. Under this programme, 1,349 sterilizations, 1,299 Postpartum Intrauterine Contraceptive Device (PPIUCD), 73 Post Abortion Intrauterine Contraceptive Device (PAIUCD), 4,765 Intra-Uterine Contraceptive Device (I.U.C.D). insertions were done and 3,948 Antara Injectable Contraceptive users got benefitted upto November, 2021.
6	Universal Immunization Programme	This is implemented with an aim to reduce the morbidity and mortality among mothers, children and infants. The vaccine preventable diseases viz. Tuberculosis, Diphtheria, Pertusis, Neo-natal, Tetanus, Pneumonia, Poliomyelitis and Measles and Rubella have shown remarkable reduction.
7	Himachal Health Care Scheme (HIMCARE)	Himachal Health Care (HIMCARE) Scheme is for the families which are not covered under Ayushman Bharat or are not entitled

		to avail the Government Medical Reimbursement. The cashless treatment coverage is ₹5.00 lakh per year. Till date 5.13 lakh families have been registered and 2.19 lakh beneficiaries have availed cashless treatment amounting to ₹198.19 crore since the inception of the scheme.
8	Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)	Ayushman Bharat provide health insurance coverage of ₹5.00 lakh per family per year. In Himachal Pradesh approximately 4.78 lakh families are entitled to get cashless treatment. About 4.26 lakh families have received the golden cards and 1.19 lakh beneficiaries have availed cashless treatment amounting to ₹143.31 crore since the inception of the scheme.
9	Health and Wellness Centres	All health Sub-Centres and Primary Health Centres (PHCs) and Urban Primary Health Centres (UPHCs) which are 553,1573 and 20 in number have been notified as HWCs.
10	National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes and Stroke	Under this programme following schemes have been running: a) Tele stroke Project b) National Dialysis Programme c) Cancer Care Units d) e-health card e) Palliative Care Units (2019) f) Integrated Nirog Clinic (2020) g) Promoting School Initiative (2020)
11	Adolescent Health Programme	During the year 2021-22, 12,21,166 Sanitary Napkins were sold to adolescent girls @ ₹1.00 per pact (6 napkins) upto December, 2021.
12	National AIDS Control Programme	a) Integrated Counseling and Testing Centre (ICTC) - Up to November, 2021 out of total tested persons, 78,101 were ANC clients, 7 were diagnosed as Human Immunodeficiency Virus (HIV) positive. b) Reproductive Tract Infection/Sexually Transmitted Infection (RTI/STI) up to November, 2021, 35,989 people have availed services of these Reproductive Tract Infection/Sexually Transmitted Infection (RTI/STI) clinics. c) Blood Safety - up to November, 2021, 352 VBD camps have been organized. d) Anti Retroviral Treatment Programme - State has four Antiretroviral Therapy (ART) centres at Indira Gandhi Medical College (IGMC) Shimla, Regional Hospital (RH) Hamirpur, Medical College, Nerchowk, Mandi, Dr. Rajinder Prashad Government Medical College (Dr.RPGMC) Tanda and 2 Frequency Actuated Rectal Tremor (FART) centres at Una & Bilaspur and 5 link Antiretroviral Therapy (ART) Centers to provide free drugs to HIV/AIDS patients e) Targeted interventions - 18 targeted interventions project are being implemented in the State for high risk groups, 7,302 people have availed the Reproductive Tract Infection/Sexually Transmitted Infection (RTI/STI) services and 11,008 high risk groups were screened and out of these 7 Human Immunodeficiency Virus (HIV) positive cases were detected up to November, 2021.

13.2.2 Medical Education and Research

Presently six Medical Colleges and one Dental College are functioning under this Directorate of Medical Education and Research in Government sector, besides, this one medical college and four Dental Colleges are there in private sector. The institution wise allocation and expenditure of funds during 2021-22 up to December, 2021 is given in the following table:

Table 13.8: Institution wise Allocation and Expenditure

(₹in crore)

Name of Institution	Allocation	Expenditure
1. Indira Gandhi Medical College (IGMC) and Associate Hospitals	270.46	189.73
2. Himachal Pradesh Government Dental College (HPGDC)	23.84	20.62
3. Dr. Rajinder Prashad Government Medical College(Dr. RPGMC) ,Tanda	181.27	140.69
4. Dr. Yashwant Singh Parmar Government Medical College (Dr. YSPGMC) Nahan	68.27	50.61
5. Pt. Jawahar Lal Nehru Government Medical College (Pt. JLNGMC), Chamba	63.44	48.10
6. Dr. Radhakrishnan Government Medical College (Dr. RK GMC), Hamirpur	62.10	56.38
7. Sh. Lal Bahadur Shastri Government Medical College (SLBSGMC), Nerchowk, Mandi	85.38	72.62
8. Atal Medical and Research University, Mandi at Nerchowk	10.17	7.63
9. Atal Institute of Medical Super Specialities at Shimla	5.04	2.65

13.2.3 Academic Achievements

Academic achievements in Medical Education and Research are as follows:

i. **Bachelor of Medicines and Bachelor of Surgery (MBBS) and Post Graduate (PG):** During academic session 2021-22, total 870 MBBS seats were filled in Government and Private Sector (720 in Government and 150 in (Private Sector). Another 309 Post Graduate (PG) seats in various specialties were allotted in Indira Ghandhi Medical College (IGMC) Shimla, Dr. Rajinnder Prashad Government Medical College (Dr. RPGMC) Tanda and Maharishi Markandeshwar University (MMU), Solan.

ii. **Bachelor of Dental Surgery (BDS) and Master of Dental Surgery (MDS):** 355 Bachelor of Dental Surgery (BDS) seats and 95 Master of Dental Surgery (MDS) seats were filled in both Government and Private sector during Academic Session 2021-22.

iii. **Nursing :** 280 seats for Auxiliary Nurse Midwife (ANM) training course, 1,540 seats for General Nursing and Midwifery(GNM) course, 1,780 B.Sc. Nursing, 435 Post Basic B.Sc Nursing and 181 seats for M.Sc Nursing Degree course have been approved in various Government and Private institutions during academic session 2021-22,

iv. **Scholarship/Stipend:** State Government has enhanced the stipend of Bachelor of Medicines and Bachelor of Surgery (MBBS) and Bachelor of Dental Surgery (BDS) Intern students from ₹15,000 to ₹17,000 per month.

v. **Diplomate of National Board (DNB) Courses:** DNB Courses in various specialties have been started in all the new Medical Colleges of the State. Super Specialty courses in cardiology, Neurosurgery, Neurology and Gastrology are being run in IGMC Shimla and Dr. RPGMC Tanda.

The Institution wise major achievements up to December, 2021 are given at Table 13.9:

Table 13.9: Institution wise major achievements

Institution	Facilities Developed
Indira Gandhi Medical College (IGMC), Shimla	a)Trauma Centre level-I under construction b) Super Specialty Block remained under construction completion in March,2022 c) New Out Patient Department (OPD) Block constructed and inaugurated. d) Digital X-Ray machine installed. e) Procurement of Machinery and Equipment for Tertiary Cancer Care Centre (TCCC). f) Setting up of Genome Sequencing Laboratory. g) Stage-1 clearance obtained to set up Positron Emission Tomography and Computed Tomography (PET-CT) facility
Dr. Rajinder Prashad Government Medical College (Dr. RPGMC), Tanda	a)Trauma Centre (level-II) under construction b) Mother and Child health Care Centre with 200 beds nearing completion c) 128 slice CT Scan Machine installed and 1.5 Tesla Magnetic Resonance Imaging (MRI) Machine is being procured. d) Pressure Swing Adsorption (PSA) Oxygen Generation Plant installed. e) Setting up of Genome Sequencing Lab. f) Centre of Excellence is under construction.
Dr. Yashwant Singh Parmar Government Medical College (Dr. YSPGMC), Nahan	a) Digital X-Ray machine installed. b) Central PSA oxygen generation plant installed. c) 128 slice Computerized Tomography (CT) Scan Machine installed. d) Manifold Gas Pipe Line System Installed. e) Construction of New building for Medical college started.
Pt. Jawahar Lal Nehru Government Medical College (Pt. JLNGMC), Chamba	a). 128 slice Computerized Tomography (CT) Scan Machine installed and Procurement of 1.5 Tesla Magnetic Resonance Imaging (MRI) machine b) Central PSA oxygen generation plant installed. c) Manifold Gas Pipe Line System Installed. d) Proposal to procure Laparoscopic set. e) Construction of New building for Medical college started.
Dr. Radhakrishnan Government Medical College (Dr. RK GMC), Hamirpur	a) Construction of New building for Medical college started. b) Central PSA oxygen generation plant installed. c) Manifold Gas Pipe Line System Installed. d) Digital X-Ray machine installed. e) Proposal to procure Laparoscopic set.
Sh. Lal Bahadur Shastri Government Medical College (SLBSGMC), Mandi	a) Procurement of Machinery and Equipment for Tertiary Care Centre (TCCC).b) Setting up of Genome Sequencing Lab. c) Full –fledged blood bank started.
H.P. Government Dental College and Hospital Shimla	a).11 Dental Chairs and 10 Autoclaves were procured and installed. b) Dental camps have been organized in various places of the State including far flung areas to provide better dental care facility. e) Supply order to purchase Mobile Dental Van has been placed.

13.2.4 Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH)

AYUSH Vibhag plays a vital role in the Health Care System of the State of Himachal Pradesh. AYUSH was established in 1984, Health Care services are being provided to the general public through AYUSH health infrastructure in the State. To meet out this objective, State AYUSH Policy, 2019 was framed and notified on 6th November, 2019. Under this policy, 52 MoUs worth ₹1,335.25 crore were signed with

prospective Investors in AYUSH Sector. Overall view of the AYUSH infrastructure is given below:

Table 13.10: Availability of AYUSH Health Infrastructure in Himachal Pradesh

Sr. No.	Institution	Numbers (upto December, 2021)
1	Post Graduate (PG) Ayurvedic College	1
2	College of Pharmaceutical Science	1
3	Regional Hospitals	2
4	Ayurvedic Hospitals	31
5	Nature Cure Hospital	1
6	Ayurvedic Health Centres	945
7	AYUSH Health and Wellness Centres	240
8	Research Institute in Indian System of Medicines/Herbal Gardens	4
9	Drug Testing Laboratory	1
10	Unani Health Centers	3
11	Homoeopathic Health Centers	14
12	Amchi clinics	4
13	Ayurvedic Pharmacies	3
	Total	**1250**

Table 13.11: Major Achievements under AYUSH

Achievements under the head	Achievements in 2021-22 (upto December, 2021)
Ayurvedic Education	Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery (BAMS) seats were enhanced from 60 to 75 and Post Graduate seats were enhanced from 39 to 56 in the academic session 2020-21.
Poshan Abhiyan	A project for prevention of Anemia under **Poshan Abhiyan** is being run in 3 Development Blocks, covering 842 villages of 118 Panchyats this programme is still in continuation, which is funded by Women and Child Development Department: a) Bangana, District Una. b) Tissa, District Chamba. c) Bhoranj, District Hamirpur
School Adoption Programme	Underthis Programme Ayurvedic Medical Officers visited schools nearby to Academic Health Centre (AHC) and made aware students on personal hygiene, drug abuse and also organized health talks.
Weekly Yog Divas	The „Weekly Yog Divas" in 697 Academic Health Centres (AHCs) on every Friday have been managed benefiting 78,504 persons.
Jan Manch	This is a very popular programme of State Government in which free medical camps have been organized and benefited 5,334 persons.
T.B. Mukt Himachal	This programme is going on in the State and AYUSH Vibhag is working in

Abhyan	convergence with Health department.
Free Ayurvedic Medicines to Senior Citizens	As per the budget announcement of the Chief Minister during 2021-22, free Ayurvedic Medicines were provided to the senior citizens of the State and benefited 2,96,106 senior citizens.
Benefits to Farmers and Others	➢ Subsidy of ₹39.37 lakh was released to 152 farmers for cultivation of medicinal Plants. ➢ Online License for Ayurvedic Pharmacy has been started facilitating Manufacturing Firms to get new License as well as its renewal in a transparent manner. ➢ Registration of Degree/Diploma in Ayurveda Board has been done online.
Ayush Ghar Dwar	In order to overcome the physical and mental stress of COVID-19 patients under Home Isolation, AYUSH Department in association with Art of Living, Yog Bharti Foundation initiated a wellness programme "AYUSH Ghar Dwar "on 14th May 2021. In the first phase the programme nearly catered to 31,375 people under home Isolation through 1,035 virtual groups on WhatsApp, Zoom etc. The programme was widely accepted by the population and the second phase of the Programme was launched on 7th June 2021 so that the outreach of the programme could be increased and the general population was also included into the programme. At present 1,670 virtual groups have been formulated under the programme ad nearly 20,20,401 people have been covered in the programme. Nearly 83,178 live sessions have been organized under the programme and nearly 7,07026 participants have been recorded.

13.2.5 Development of Herbal Resources

One Model Nursery in public sector is being established Under Medicinal Plant Component of National Ayush Mission by spending ₹25.00 lakh at Jogindernagar and two small nurseries were established by spending ₹12.50 lakh at Kullu and Shimlaby Himalayan Forest Research Institute. The cultivation of Medicinal Plants is also being promoted in 70 hectare area in farmers land with subsidy component of ₹54.44 lakh. One drying shed and one storage Godown has been constructed for medicinal plants in Charak Government Ayurvedic Pharmacy- Paprola, District Kangra.

13.2.6 Status of COVID-19

As of 29th January, 2022, a total of 42,64,741 persons were tested for COVID -19 and 2,63,914 were found to be COVID-19 positive. Of these, 2,48,802 recovered but unfortunately, there were 3,944 COVID-19 deaths.

i. Status of COVID-19 Vaccination

- The process of COVID-19 vaccination was started on 16th Janurary, 2021 in the State. As per COVID-19 Portal as of 30th January, 2022 the total number of doses given were 1,19,20,817, of which 1st dose given to 62,77,737 and

2nd dose to 55,51,179. In addition to this 91,901 doses were given as precautionary dose.

- The vaccination process for the age group 15 to 18 years has started from 3rd January, 2022. The 1st dose of COVAXIN has been given to 3,88,301 children.
- The Precautionary vaccination process for Health Care Workers (HCW), Frontline Workers (FLW) and 60+ comorbidities group has started from 10th January, 2022. As of now 32,658 HCW, 14,848 FLW and 44,395 persons of the age group of 60 plus suffering from comorbidities have been vaccinated.

ii. Initiatives taken to effectively deal with COVID-19 Pandemic

Keeping in view the on-going COVID-19 Pandemic, State Government had taken various steps from onset of the pandemic as per the Government of India directions to control the spread of this pandemic in 1st and 2nd wave and the State Government is well prepared to tackle the 3rd wave also. In order to curb COVID-19 Pandemic, the guidelines have been issued from time to time and preparedness is ramped up as per case load. The following initiatives have been taken for containment and management of COVID -19 in the State.

iii. Surveillance and Contact Tracing

Contact tracing teams was formulated in the districts for containing of the spread of COVID-19. The containment Zones in the districts were notified by the district administration. The active surveillance is being carried out at containment zones and passive surveillance in the buffer zones by health workers. Micro plans for containing local transmission of Corona Virus Disease (COVID)-19 were formulated. All the COVID-19 patients in the home isolation in rural and urban areas are being regularly monitored by the Accredited Social Health Activist (ASHA) Worker in the respective areas. COVID-19 Sero Survey has been conducted all over the state from 1st September 2021 to 15th September 2021.

iv. Information Education and Communication (IEC)

The people in the State are being made aware of preventive measures regularly through mass media campaigns. A special campaign of "**Suraksha Ki Yukti- Corona Se Mukti"** has effectively being launched throughout the state for awareness of the general public. The Public representatives are generating awareness in the respective areas regularly under leadership of the Chief Minister and Cabinet Ministers. The tourists visiting the State are regularly made aware through different IEC media to follow preventive measure relating to COVID -19.

v. Testing

All contacts of COVID-19 positive cases and COVID-19 suspects with Influenza-Like Illness/Severe Acute Respiratory Infection symptoms are target population for testing. In order to further increase the testing in the state, walk in kiosks were established at the suitable places in all major towns of the state for rapid antigen testing during preferred timing every day. Auto SMS to all persons being tested for COVID-19 by Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) and Rapid Antigen are being sent as soon as result is available. This has reduced the unnecessary travel/wait/anxiety for want of result by general public and has brought more

transparency in reporting/sharing of result. Jeevan Dhara- Mobile Health and Wellness Centre have been initiated to provide healthcare services for the populations living in remote, inaccessible underserved areas. It is also used for testing the COVID-19 suspects in remote areas.

vi. Treatment and Management

In order to minimize mortality and morbidity of the general population non COVID-19 Health services were enabled. Essential Health services were resumed in the month of April, directions for routine surgeries in non COVID-19 facilities were given in the month of August, Maternal and obstetric care services alongwith immunization were in continuation. Dedicated facilities were created for management of COVID-19 patients depending upon severity of illness. During the second wave of COVID-19, it was ensured that all the patients being admitted to the medical colleges received the best Medical care and there was no shortage of oxygen or any medicines.

vii. Strengthening of Health systems/infrastructure

To provide quality health care to COVID-19 patients in Himachal Pradesh, oxygen cylinders and oxygen manifold were procured in a timely manner and provided to all the dedicated COVID-19 facilities. Also ventilators provided by GOI were installed in the facilities in order to manage the critical COVID-19 patients. Installation of High Pressure Pipe of Oxygen and 50 LMS Oxygen Plant at Palampur, NRV Pipe line of Oxygen at Una, PSA Plant and Manifold System at Tauni Devi and Bhoranj is under process. To handle any unanticipated increase in COVID-19 cases Makeshift Hospitals were established at Nalagarh (Solan), Radha Swami Satsang Bhawan Solan, Indira Gandhi Medical College Shimla, Dr. Rajendra Prasad Government Medical College Tanda (Kangra), Dedicated Covid Health Centre (DCHC) Parour Kangra, Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College & Hospital Nerchowk (Mandi), DCHC Radha Soami Satsang Beas Khaliyar Mandi and Pakawah Una. These facilities are utilized as per the need of the area/hospital.

Box: 13.2 Health Satellite Account, 2017–18 Himachal Pradesh (October, 2021)

"The Ultimate resource in economic development is People. It is people, not Capital or Raw materials that develop an economy" – by Peter Drucker

Health expenditure is one of the two significant social expenditures, other being education, for an economy. In India, public expenditure on health is incurred by central government as well as state and local governments, with state being the primary provider of both finances and healthcare facilities. Additionally, households end up spending a notable amount on direct healthcare expenditure and also on indirect expenditure such as payments towards health insurance schemes. A combination of the two - public and private expenditure - presents the financial status of the health sector in the state economies.

In this context, Health Satellite Account assumes great significance as it provides the information on financial flows related to healthcare in a systematic framework. This framework, based on the internationally accepted System of Health Accounts (SHA-2011), provides a standard for classifying health expenditures according to consumption, provisions and financing. To be specific, the HSA presents the health expenditure (public and private) by four different classifications, namely, sources of finance, financing schemes, healthcare functions and providers of healthcare facilities...

According to the World Health Organization (WHO), health is defined as "a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity." The role of health as an engine of economic growth is not entirely unsubstantiated, as an investment in health care leads to better, healthier lives for the populace, which in turn, increases productivity, and creates an efficient workforce, thereby significantly adding to the social and economic progress of any country. Universal health care has also been stressed by the UN under its Sustainable Development goal #3 which states "Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages" by 2030. The health sector includes a very diverse set of activities that not only includes services that detect diseases but also its prevention and awareness. The health sector thus in India due to its overlapping features, function, and objectives is quite vast and provides a rich source of revenue as well as employment generation for the economy. Heath Satellite Account, conceptualised by the World Health Organistion (WHO), is a globally recognized framework to measure health expenditure and the flow of funds in the country‟s health sector. Health Satellite Account helps in making explicit, the implicit data in this area, thereby aiding policymakers in analysis and/or decision making in the health sector.

Key Highlights

The total healthcare expenditure in the state, taking public and private together and also current and capital, is estimated at ₹4351.90 crore. The state Gross Domestic Product for 2017-18 is ₹1,38,551 crore. Health expenditure, therefore, amounts to 3.14 per cent of GSDP. With an estimated population of 72.33 lakh for 2017-18, the per capita health expenditure works out to be ₹6017.60.

- The per capita Net State Domestic Product (NSDP), indicator of per capita income, for the state is ₹1.65 lakh.
- The state‟s total health expenditure is estimated at ₹4351.90 crore, of which public expenditure constitutes 47.90 per cent and private households (comprising out-of-pocket expenditure and voluntary prepayments for insurance schemes) account for the remaining 52.10 per cent. The higher the proportion of public expenditure, the lesser is the dependence on household out-of-pocket expenditure. At the same time, the higher the proportion of private expenditure, the higher is the extent of financial protection available for households towards healthcare payments.
- Total current health expenditure, ₹3731.00 crore refers to only recurrent expenditure on healthcare, net of all capital expenditure. This indicates the operational expenditure which impacts the health outcome of the state. The current health expenditure works out to be 85.7 per cent of the total health expenditure of the state.
- Public Health insurance expenditure refers to the finances allocated by the government towards payment of premiums for health insurance schemes or reimbursements of government employees‟ health expenditure. At, ₹102.30 crore, public health insurance expenditure is just 2.4 per cent of total health expenditure.
- On the contrary, private health insurance expenditure is much lower at 0.4 per cent of total health expenditure. This indicates the lower intent of households to opt for voluntary prepayment plans.
- Of the total general government expenditure for the year 2017-18, at ₹ 34811.21 crore, expenditure on healthcare stood at 5.98 per cent.
- Public expenditure on AYUSH (Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy) or TCAM (Traditional complementary and alternative medicine) is 8.90 per cent of the total public expenditure.
- The Percentage distribution of Total Health Expenditure by Healthcare Financing Schemes reveals that 60.4 per cent of the total expenditure is on account of households‟ out-of-pocket expenditure. State government schemes constitute another 27.8 per cent while union government schemes account for 7.9 per cent of the total health expenditure in the state.
- The Percentage distribution of Total Health Expenditure by Revenues of Healthcare Financing Schemes reveals that 60.4 per cent of the total expenditure is on account of revenues from households. The state government‟s share is 29.3 per cent and the union government spends about 8.2 per cent through various grants and schemes.
- Further, the Percentage distribution of Total Health Expenditure by Healthcare Functions shows that 31 per cent of total health expenditure is incurred on in-patient curative care, while 42.1 per cent is incurred on out-patient curative care. Preventive care accounts for 5.8 per cent. Total expenditure on pharmaceuticals, primarily referring to over-the-counter expenses, accounts for 4.3 per cent of total health expenditure, and close to 60 per cent of the total expenditure is incurred on non-allopathic or TCAM treatment.
- Lastly, the Percentage distribution of Total Health Expenditure by Healthcare Providers shows that the largest healthcare provider receiving healthcare revenues is “Retailers and other providers of medical goods”. These account for 41.6 per cent of total expenditure. General public hospitals account for 17.4 per cent while general private hospitals account for about 5.6 per cent.

13.2.7 Health Index- Status of Himachal Pradesh

Introduction

National Institution for Transforming India (NITI) Aayog has released the Fourth Edition of the State Health Index for 2019–20.The report, titled "Healthy States, Progressive India", ranks states and Union Territories on their year-to-year incremental performance in health outcomes as well as their overall status. It is developed by NITI Aayog, with technical assistance from the World Bank, and in close consultation with the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). It is a weighted composite index based on 24 indicators for larger states grouped under the domains of „Health Outcomes", „Governance and Information", and „Key Inputs/Processes".

Methodology

- Health Outcomes: It includes parameters such as neonatal mortality rate, under-5 mortality rate, sex ratio at birth.
- Governance and Information: It includes parameters such as institutional deliveries, average occupancy of senior officers in key posts earmarked for health.
- Key Inputs/Processes: It consists of proportion of shortfall in health care providers to what is recommended, functional medical facilities, birth and death registration.
- **Ranking of States:** To ensure comparison among similar entities, the ranking is categorized as:

  - Larger States (19 states)
  - Smaller States (8 states)
  - Union Territories (7 UTs)

In this classification, Himachal Pradesh falls under the category of Larger States.

Key Results (H.P)

- In terms of overall performance, Himachal Pradesh has been ranked 7thamong 19 larger states category with Overall Reference Year Index Score (2019-20) of 63.17.
- In terms of incremental change from Base Year (2018-19) to Reference Year (2019-20), H.P"s incremental rank in larger states category is15.
- There"s a negative incremental change of 0.06 (see below).

Observations

1. H.P is placed under Deteriorated rank category as its overall performance rank has slipped to 7th in reference year (2019-20) from 6th in the Base Year (2018-19).
2. The categorization of States has been done based upon Overall Performance and Incremental Performance between Base Year and Reference Year:

   Overall Performance: States are categorised on the basis of Reference Year (2019-20) Index Score range: Front-runners: top one-third (Index Score>64.99), Achievers: middle one-third (Index Score between 47.78 and 64.99), Aspirants: lowest one-third (Index Score<47.78).

   Incremental Performance: It is categorised on the basis of Incremental Index Score Range: Not Improved (0 or less), Least Improved (0.01-2.0), moderately Improved (2.01-4.0) and Most Improved (more than 4.0)

3. Therefore, in terms of Overall Performance, Himachal Pradesh is an Achiever but falls in the category of not improved states in Incremental Performance due to negative incremental change.
4. In Health Outcome Domain, H.P‟s Health outcome score is 68.76 with a positive incremental change of 2.26.
5. In Governance and Information Domain, H.P‟s Governance and Information Index score is 47.99 with a negative incremental change of 18.02.
6. In Key Inputs and Processes Domain, H.P‟s Key Inputs and Processes score is 51.65 with a positive incremental change of 4.20.

13.3 Social Welfare Programme

13.3.1 Social Welfare and Welfare of Other Backward Classes:

The Social Justice and Empowerment Department of the State is engaged in socio-economic and educational upliftment of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, infirms, specially abled, orphans children, widows, destitute, poor children and women etc. The following pension schemes are being implemented under social welfare programmes:

Table 13.12: Social Security Pension Schemes of the State

Schemes	Eligibility/Budget provision	₹ Amount per month
Old Age Pension	• 60 to 69 years having annual income below ₹35,000. • 70 years and above without income criteria. • An amount of₹467.39 crore have been spent up to 31.12.2021 against the budget provision of ₹607.63 crore for the target of 3,14,184 pensioners.	850 1,500
Special Ability Relief Allowance	• Who are having 40 per cent of special ability earns less than 35,000 per annum. • Those having special ability above 70 per cent. • An amount of ₹67.92 crore have been spent up to 31.12.2021against the budget provision of ₹97.31 crore for the target of 64,904 pensioners.	1,000 1,500
Widow / Deserted/ Ekal Nari Pension	• Females above 45 years whose annual income is less than 35,000 per year • 70 years and above • An amount of ₹124.60 crore have been spent up to 31.12.2021 against the budget provision of ₹170.48 crore for the target of 1,00,945 pensioners.	1,000 1,500
Rehabilitation allowance to Lepers	• To the patient of leprosy up to 69 years irrespective of their age and annual income. • To the patient of leprosy above 70 years and above irrespective of their age and annual income. • An amount of ₹100.66 lakh have been spent up to 31.12.2021 against the budget provision of ₹194.00 lakh for the target of 1,482 pensioners.	850 1,500
Transgender Pension	• Pension to transgender up to 69 years of age • Pension to transgender above 70 years of age • An amount of ₹0.48 lakh have been spent up to 31.12.2021 against the budget provision of ₹2.00 lakh for the target of 150 pensioners.	850 1,500

Indira Gandhi National Old Age Pension (BPL)	• Persons 60 years and above belong to BPL household • 70 years and above belong to BPL household pension • An amount of ₹39.58 crore have been spent up to 31.12.2021 against the budget provision of ₹41.43 crore for the target of 1,01,809 pensioners.	850 1,500
Indira Gandhi National Widow Pension	• Widows between age group 40 to 79 years belong to BPL • An amount of ₹7.81 crore have been spent up to 31.12.2021 against the budget provision of ₹9.41 crore for the target of 24,398 pensioners.	1,200
Indira Gandhi National Specially Abled Pension	• To the specially abled person above 18 to 79 years having 80 per cent of special ability and belong to BPL • An amount of ₹41.62 lakh have been spent up to 31.12.2021 against the budget provision of ₹72 lakh for the target of 1,128 pensioners.	1,500

13.3.2 Self Employment Scheme

The Department is also providing funds to three Corporations viz; Himachal Pradesh Minorities finance and Development Corporation, Himachal Pradesh Backward Classes Finance and Development Corporation and Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribe Corporation under the head investment for the running of various self employment schemes. There is budget provision of ₹13.00 crore for the year 2021-22 and upto 31.12.2021 an amount of ₹4.495 crore have been released.

13.3.3 Scheduled Caste Sub-Plan

The various programmes for the welfare of Scheduled Castes are being implemented effectively. Although the Scheduled Castes communities are deriving benefits under the normal Plan as well as Tribal Area Development Plan, yet in order to provide special coverage under individual beneficiaries programmes and development of infrastructure in Scheduled Castes concentrated villages, 25.19 per cent of the total State Development plan allocation is earmarked for Scheduled Castes Development Plan.

During 2021-22 of ₹2,369.22 crore is being spent under Scheduled Castes Development Plan for the welfare of scheduled castes in the state.

13.3.4 Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes

The important schemes implemented during 2021-22 are as under:

Table 13.13: Various Schemes of the State for the Welfare of SC/ST, OBCs and Minorities

Schemes	Brief description
Award for Inter-caste Marriage	₹50,000 is being given for inter caste marriages. During the year 2020-21 a budget provision of ₹3.10 crore has been provided and 48 couples were benefited with an amount of ₹24.00 lakh up to 31.12.2021.
Swaran Jayanti Ashray Yojana /Housing Subsidy	SC, ST, OBC are given subsidy of ₹1,50,000 per family for house construction for those whose annual income is less than ₹35,000. During the year 2021-22 an amount of ₹68.48 crore has been provided in the budget and 4,565 persons were benefited up to 31.12.2021.
Training and Proficiency in Computer Applications and Allied Activities	Candidates belonging to SC, ST OBC, BPL, Minorities, Specially Abled, single woman and widow or those whose annual income is less than ₹2.00 lakh. ₹1,350 per month and ₹1,500 for specially abled are provided by State government for training. Six month placement is provided in the organization/offices to gain proficiency in computer applications. During this period ₹1,500 per month per candidate is provided and ₹1,800 per month for specially abled student. During the year 2021-22 a budget provision of ₹4.60 crore has been provided and an amount of ₹36.82 lakh has been spent up to 31.12.2021 against the target of 4,426 candidates.
Follow up Programme:	SC, ST and OBC whose annual income does not exceed from ₹35,000 per annum are given ₹1,300 for purchase of tools for carpentry, weaving, lather work etc. and ₹1,800 for purchase of sewing machine. For the year 2021-22, a budget provision of ₹1.46 crore has been provided and an amount of ₹2.75 lakh has been spent benefitting 153 persons against target of 8,111 up to 31.12.2021.
Compensation to Victims of Atrocities on Scheduled Caste/ Scheduled Tribe (SC/ST) Prevention of Atrocities (POA) Act-1989	Relief amounting to₹85,000 to₹8.25 lakh is provided to the victims of atrocity. During the year 2021-22 a budget provision of₹3.07 crore has been provided and an amount of ₹2.11 crore was spent up to 31.12.2021 for providing compensation to 199 victims.
Assistance to Civil Services Coaching	One time financial assistance of ₹30,000 to Bonafide Himachalis who qualify the preliminary examination for Civil Services. During the year 2021-22, budget provision of ₹5.00 lakh has been provided against which ₹1.80 lakh has been provided to 6 aspirants.
Specially Abled Scholarship	To all categories children of having special ability of 40 per cent. Scholarship has been given from ₹625 to ₹3,750 per month for day scholars and₹1,875 to ₹5,000 per month for boarders. Against the budget provision of₹1.04 crore up to 31.12.2021 an amount of ₹57.79 lakh has been spent for providing scholarship to 352 students.
Marriage Grant to Individuals Marrying	To encourage able bodied young men or girls to marry the specially abled of having 40 to 69 per cent special ability are

with Special Abled persons	given ₹25,000 and above 70 per cent special ability are given ₹50,000. Against the budget provision of ₹88.00 lakh up to 31.12.2021 an amount of ₹43.74 lakh has been spent benefitting to 130 beneficiaries.
Awareness Generation and Orientation	The budget provision of ₹7.00 lakh for the year 2021-22 has been made to organize block and district level composite camps for representative of SHGs, NGOs and PRI working for persons with disabilities.
Self Employment	Specially abled persons having special ability of 40 per cent and above are provided loans by the Himachal Pradesh Minorities Finance and Development Corporation for setting up small ventures. During 2021-22 up to 31.12.2021 loan amounting to ₹3.24 crore have been released and 57 special ability persons have been benefitted.
Institutions of Children with Special Needs	Two institutes at Dhalli and Sundernagar have been set up in the State for providing education and vocational rehabilitation services to visually and hearing impaired children. Against the budget provision of ₹180.99 lakh up to 31.12.2021 an amount of ₹98.40 lakh has been spent. State Government is providing grant under Atmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping (ASEEM) scheme & Free boarding lodging & Medical Facilities to 158 inmates of different Ashrams of the state @ ₹5,500 per inmate per month. A budget provision of ₹106.88 lakh has been made against which ₹105.37 lakh has been spent up to 31.12.2021.
Special ability Rehabilitation Centres	Two Special ability Rehabilitation Centres have been set up at Hamirpur and Dharamshala. During the year 2021-22 an amount of ₹2.12 lakh has been provided.
Half Way Homes for Rehabilitation of Mentally ill	Two half way homes have been established in the State during Financial Year 2021-22. A budget provision of ₹1.10crore has been made for these 2 half way Homes during current financial year.

13.3.5 Women State Home Mashobra

The main purpose of the scheme is to provide free shelter, food, clothing, education, health and medicines, counseling and vocational training to the young girls, widows, deserted, destitute and women who are in moral danger. At present children inmates are living in State home, Mashobra. For rehabilitation of such women after leaving State Home, financial assistance up to ₹25,000 per woman is provided. In case of marriage financial assistance of ₹51,000 is also provided to women.

13.3.6 One Stop Centre

One Stop Centre is a Central Sponsored Scheme. The main objectives of the scheme are to provide integrated support and assistance to women affected by violence, in both private and public spaces under one roof; and to facilitate immediate,

emergency and non-emergency access to a range of services including medical, legal, psychological and counselling support. Presently one “One Stop Centre” has been set up in Head Quarter of each District in Himachal Pradesh.

13.3.7 Mahila Shakti Kendra

Mahila Shakti Kendra scheme is approved under Beti Bachao Beti Padhao at Block level in all the districts of Himachal Pradesh. The objective of the scheme is to empower rural women through community participation. Student volunteers will play an instrumental role in awareness generation regarding various important government schemes/programmes as well as social issues.

13.3.8 Saksham Gudiya Board

The main objective of the scheme is to make recommendations for the policies for empowerment of girl child/ adolescent girls, acts, rules, policies and programme related to safety and security to review the implementation of various programmes being run by different departments for upliftment and empowerment and for protection of crime against girl child/adolescent girl.

Table 13.14: Various Schemes of the State for the Welfare of Women, Child and Girl

Schemes	Brief description
Child Protection Scheme	The State has 43 Child Care Institutions, comprising of 36 Children Homes, 2 Observation Home-cum-Special, Home-cum-Place of safety, 4 Open shelters and 1 Shishu Grih.
Mukhymantri Bal Udhar Yojana	Financial assistance is provided to children after leaving Child Care Institutions after completing age of 18 years for pursuing Higher/professional education.
Bal/Balika Surksha Yojana and Foster Care Programme	An amount of ₹2,000 per child per month is sanctioned in favor of foster parents for maintenance of children and ₹500 per child per month are sanctioned on account of additional assistance from the State.
Rehabilitation Support to Minor Victims of Rape and Child Abuse and Objectification Background	The objective of this scheme is to restore self-confidence and dignity of minor victim of rape and child abuse through intensive counseling, financial security, skill up-gradation, rehabilitation and livelihood support. On confirmation of the crime, financial assistance of ₹7,500 per month is provided to the victim till the age of 21 years.
Integrated Child Development Services	The department is providing Supplementary Nutrition, Nutrition and Health Education, Immunization, Health check-ups Referral Services and Non Formal Pre-School Education based on 90:10 ratio by Centre and State.
Supplementary Nutrition Programme	Supplementary nutrition is provided in Anganwari Centres to children, pregnant/ lactating mothers and severely malnourished children through 78 blocks in 18,925 Anganwadi Centres. For the

	year 2020-21 under supplementary Nutrition Programme there is a budget provision of ₹71.10 crore as Central Share and ₹ 7.90 crore as state share.
Mukhya Mantri Kanyadaan Yojana	Under this programme marriage grant of ₹51,000 is being given to the guardians of the destitute girls for their marriages provided their annual income does not exceed ₹35,000.
Self Employment Assistance for Women	Under this scheme ₹5,000 are provided to the women having annual income less than ₹35,000 for carrying income generating activities.
Widow Re-marriage Scheme	The main objective of the scheme is to help in rehabilitation of widow after re-marriage, ₹ 50,000 is given to couple under this scheme.
Mother Teresa Asahay Matri Sambal Yojana	The aim of this scheme is to provide assistance of ₹6,000 per child per annum only for two children to the destitute women belonging to the BPL family for the maintenance of their children till they attain the age of 18 years and whose family income does not exceed ₹35,000.
Vishesh Mahila Utthan Yojana	The scheme has been formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through Technical and vocational Training. There is a provision to provide of stipend @ ₹3,000per month and a test fee of ₹800per trainee at the end of the training period.
Beti Bachao Beti Padhao scheme	This is implemented in Kangra, Hamirpur, Una, Solan, Sirmour, Shimla, Bilaspur and Mandi districts of Himachal Pradesh with the objective of preventing gender biased sex selective elimination.
Beti Hai Anmol Yojana	Under this scheme Post Birth Grant has been increased from ₹12,000 to ₹21,000w.e.f. 12.08.2021 by merging the scholarship into post birth grant component for two girls only belonging to BPL families.
Scheme for Adolescent Girls	This aims to support out of school Adolescent Girls of 11-14 years age to back to formal schooling or bridge learning, improving their nutritional and health status on the basis of 90:10 between Centre and State Government.
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana	This scheme provides ₹5,000 incentive to the pregnant women and lactating mothers in three installments. During 2021-22 an amount of ₹16.36 crore has been credited in the bank accounts of 34,504 women.
Sashakat Mahila Yojana	This scheme covers 11-45 years females and focus on promotion of socio-economic empowerment of rural women by creating awareness about their right and -facilitating institutional support for enabling them to realize their right and develop/utilize their full potential. One time seed money of ₹35,000 per SHG per development block is granted for income generating activities to make them self reliant and award money of ₹5,000 per girl child is granted to 5 topper girls each from 10th and 12th board examination basis from each district.

13.3.9 Trends in Social Sector Expenditure in Himachal Pradesh

The increase in expenditure on social services sector affirms the commitment of the government towards social well-being. The expenditure on social services (education, health and others) by the State as a proportion of Gross Domestic Product (GDP) increased to 9.72 per cent from 8.48 per cent, during the period 2016-17 to 2021-22 (Advanced Estimate-A). An increase is witnessed across all social sectors during this period. For education, it increased from 4.17 per cent in 2016-17 to 4.72 per cent in 2021-22 and for health from 1.42 to 1.70 per cent during the same period. The share of expenditure on social services out of total budgetary expenditure increased to 33.91 per cent in 2021-22 (A) from 29.52 per cent in 2016-17 (Table 13.15).

Table 13.15: Trends in Social Service Sector Expenditure by State Government

Indicators	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	2020-21 (RE)	2021-22(BE)
(₹ in lakh)						
Total Budgetary Expenditure	3607578	3481120	3915427	4306330	5346019	5019163
Expenditure on Social Services	1065099	1147151	1266925	1330535	1612939	1701923
of which:						
i) Education	524091	604067	619772	642287	752284	827165
ii) Health	178685	200583	223790	230683	295330	297604
iii) Others	362323	342501	423363	457565	565326	577154
As percentage to GDP						
Expenditure on Social Services	8.48	8.28	8.54	8.36	10.29	9.72
of which:						
i) Education	4.17	4.36	4.18	4.04	4.80	4.72
ii) Health	1.42	1.45	1.51	1.45	1.88	1.70
iii) Others	2.88	2.47	2.85	2.87	3.61	3.29
As percentage to total expenditure						
Expenditure on Social Services	29.52	32.95	32.36	30.90	30.17	33.91
of which:						
i) Education	14.53	17.35	15.83	14.91	14.07	16.48
ii) Health	4.95	5.76	5.72	5.36	5.52	5.93
iii) Others	10.04	9.84	10.81	10.63	10.57	11.50
As percentage to Social Services						
i) Education	49.21	52.66	48.92	48.27	46.64	48.60
ii) Health	16.78	17.49	17.66	17.34	18.31	17.49
iii) Others	34.02	29.86	33.42	34.39	35.05	33.91

Source: Budget Documents of State Government.

Note:

1. Social services: It includes, education, sports, art and culture, medical and public health, family welfare, water supply and sanitation, housing, urban development, welfare of Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Other Backward Classes (OBCs), labour and labour welfare, social security and welfare, nutrition, relief on account of natural calamities etc.

2. Expenditure on „Education‟ pertains to expenditure on „Education, Sports, Arts and Culture‟.

3. Expenditure on „Health‟: It includes expenditure on „Medical and Public Health‟, „Family Welfare‟ and „Water Supply and Sanitation‟.

4. The ratios to Gross Domestic Product (GDP) at current market prices are based on 2011-12 base year. GDP for 2021-22 is BE Estimates.

Rural Development and Panchayati Raj

14
Chapter

14.1 Rural Development

Rural Development Department implements poverty alleviation, employment generation and area development programmes in the rural areas of the State. The following State and Centrally sponsored developmental schemes and programmes are being implemented in the State.

14.2 Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)

The Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) has been replaced by the DAY-NRLM w.e.f 01-04-2013 in the State. This programme is one of the flagship programmes of the Ministry of Rural Development, Government of India (MoRD, GoI) which aims to reduce poverty by enabling the poor households to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities for sustainable livelihoods. NRLM is being implemented across the State in 86 blocks.

14.2.1 The main features of this programme are as under:

i. Women employment through providing opportunities for livelihood earnings of all rural households by giving them necessary training under NRLM.

ii. In this Financial Year, to impart training and to strengthen Self-Help Groups (SHGs) and Village Organizations (VOs), State Rural Livelihood Mission has imparted training to 390 Internal Community Resource Persons (ICRPs). State has identified 5 active women from each block of the State and after imparting training in coordination with National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD&PR) Hyderabad, these ICRPs are deployed in their respective block every month to form new SHGs and to impart training to existing SHGs from time to time about panchsutra (regular meetings, regular savings, internal lending, regular repayment and bookkeeping) bank transactions, record keeping and schemes of other departments.

iii. In Himachal Pradesh more than 30,987 women SHGs, 873 VOs and 15 Cluster Level Federations (CLFs) have been formed. Under the NRLM Programme, women SHGs have been provided with financial assistance in

the form of Start-up Fund, Revolving Fund (RF) and Community Investment Fund (CIF).

14.2.2 The incentives being provided to the women SHGs are as under:

i. **Interest Subvention:**

SHGs will be eligible for interest subvention on credit upto ₹3.00 lakh at 7 per cent rate of interest per annum. SHGs availing capital subsidy under SGSY in their existing credit outstanding will not be eligible for benefit under this scheme. In addition to this, the scheme has been segregated into two categories of districts, category-I comprises of four districts (Kangra, Mandi, Shimla and Una) and are covered under MoRD, GoI and remaining districts are covered under Himachal Pradesh State Rural Livelihood Mission (HPSRLM) and will fall in category-II. For category-I districts banks will lend to SHGs at 7 per cent of interest upto an aggregated loan amount of ₹3.00 lakh. The SHGs will also get additional interest subvention of 3 per cent on prompt payment reducing the effective rate of interest to 4 per cent. For category-II districts banks will charge the SHGs as per their respective lending norms and the difference between the lending rates and 7 per cent subject to maximum limit of 5.5 per cent will be subverted by HPSRLM in the loan accounts of the SHGs.

ii. **Financial aid through Revolving Fund (RF) and Community Investment Fund (CIF):**

Under NRLM, SHGs and higher level Federations (village organizations and cluster/block level federation) of poor women have been formed. On performance basis, three months after the formation, SHGs are provided with Revolving Fund amounting to ₹15 thousand, if the group regularly holds meetings, keeps records of savings, inter-person loans and repayments. HPSRLM has disbursed RF amounting to ₹32.10 crore to more than 17,939 SHGs. As a result the SHGs are now actively participating in the income generation activities and initiating their own startup to improve their livelihoods and social status.

iii. **Startup Funds:**

All SHGs are provided ₹2,500 and VOs are provided ₹45,000 on Startup fund instantly after its formation. HPSRLM has started disbursing Startup Funds from 2018-19 and as of December, 2021, ₹4.40 crore has been disbursed to 17,784 SHGs and ₹2.40 crore to 532 VOs.

iv. **Revolving Fund (RF):** Revolving fund of ten to fifteen thousand would be provided to those SHGs who have been practicing Punchsutra for the last 3 months and as of December, 2021, ₹32.10 crore has been disbursed to 17,939 SHGs.

v. **Community Investment Fund (CIF):** Community Investment Fund of ₹50 thousand would be provided to each SHG who have adopted regular internal lending of savings and revolving fund to the members by small loans for the last 6 months. These funds will be routed through the VOs to the SHGs in the shape of loan, 458 VOs, who are performing well, are covered under this scheme and are given additional funds amounting to ₹12.28 crore as CIF from NRLM.

vi. **Him Ira SHG Shop:** To provide a sustainable livelihood opportunity to the SHG members and market linkage to the product produced by Self-Help groups, the state Government in the budget 2020-21 had announced to open the Him Ira shops managed and operated by the women SHG member, in every Assembly Constituency. The Rural Development department has decided to open 100 Him Ira SHG shops in the State. From April, 2021 to November, 2021 total sale recorded of 40 operational Him Ira shops is

₹45.00 lakh. In addition the department is organizing Him Ira weekly markets in 58 Development Blocks and total sale recorded ₹44.18 lakh from April to November, 2021.

14.2.3 The district-wise targets and achievements during the year 2021-22 under NRLM up to December, 2021 are as under:

Table 14.1: Targets and Achievement during the year 2021-22 under NRLM (continued)

Name of District	SHG formation Target	Achievement	Revolving Fund Target		Revolving Fund Achievement	
			No. of SHGs	Amount ₹ in lakh	No. of SHGs	Amount ₹ in lakh
Bilaspur	403	122	321	48.15	173	27.25
Chamba	733	260	533	79.95	219	33.20
Hamirpur	623	300	451	67.65	267	51.90
Kangra	1577	1074	1201	180.15	1126	205.80
Kinnaur	293	64	175	26.25	136	21.00
Kullu	513	332	411	61.65	324	59.45
L/Spiti	74	07	88	13.20	01	0.25
Mandi	1137	889	1473	220.95	729	124.90
Shimla	1137	586	1062	159.30	646	97.70
Sirmaur	623	742	542	81.30	1081	165.40
Solan	477	163	323	48.45	215	35.55
Una	477	239	420	63.00	378	60.40
Total	**8067**	**4778**	**7000**	**1050.00**	**5295**	**882.80**

Table 14.1 concluded

Name of District	CIF Target		CIF Achievement		SHGs Credit Linkage with Banks ₹ in lakh.	Achievement of Credit ₹ in lakh
	No. of SHGs	Amount ₹ in lakh	No. of SHGs	Amount ₹ in lakh		
Bilaspur	134	67.00	23	11.60	510	224.88
Chamba	105	52.50	13	8.00	1100	227.20
Hamirpur	78	39.00	49	20.08	830	247.13
Kangra	273	136.50	04	2.00	2200	1751.59
Kinnaur	52	26.00	12	6.00	220	43.69
Kullu	133	66.50	0	0.00	410	214.92
L/Spiti	0	0.00	0	0.00	170	0.00
Mandi	331	165.50	66	36.75	1760	1590.83

Shimla	297	148.50	131	65.95	1600	843.53
Sirmaur	136	68.00	174	75.80	680	229.08
Solan	102	51.00	22	10.50	690	235.56
Una	159	79.50	92	39.07	830	654.97
Total	1800	**900.00**	**586**	**275.75**	**11000**	**6263.38**

14.3 Mukhya Mantri One Bigha Scheme

Mukhya Mantri One Bigha Scheme, launched in the month of May 2020, is a convergence scheme between NRLM & Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). Any woman of a registered SHG with NRLM can avail the benefit of this scheme up to ₹1.00 lakh if she holds MGNERGA job card. Under this scheme, 11,271 applications were sanctioned. On the basis of sanctioned applications, 6,649 works were started and 1,756 works completed with total expenditure of ₹18.72 crore.

14.4 Deen Dyal Upadhyaya-Grameen Kaushalya Yojna (DDU-GKY)

Deen Dyal Upadhyaya-Grameen Kaushalya Yojana is being implemented in the State through Rural Development Department and is the flagship scheme of MoRD, GoI. The main purpose is to provide skills to rural youth, who are poor and provide jobs with regular monthly wages at or above the minimum wages. The benefits under this scheme are:

- 70 per cent of the trained candidates get placements in various Sectors.
- Training and Hostel facility is given free of cost.
- Course duration varies from 3-12 months.
- Candidate’s post placement tracking is done for one year.

Table 14.2: Status of the scheme

Year	Enrollment	Trained	Appointed on Job
2017-18	1599	1445	66
2018-19	3040	2554	1102
2019-20	2038	1135	923
2020-21	130	130	682
2021-22 (Up to December, 2021)	765	152	401
Total	**7572**	**5416**	**3174**

Source: Rural Development Department, Government of Himachal Pradesh.

14.5 Watershed Development Programme

With the objective to develop wasteland/ degraded lands, drought-prone and desert areas and to restore the ecological balance by harnessing, conserving and developing natural resources, integrated wastelands development programme is being implemented on watershed approach in the State. This programme is being implemented on the funding pattern of 90:10 between Centre and State. Up to November, 2021, the progress made under Watershed Development Component - Prime Minister Krishi Sinchayee Yojna (WDC-PMKSY) is given below:

Table14.3: Progress under WDC-PMKSY

Amount (₹ in crore)		Physical Achievement	
Received	**Expenditure**	**Area Treated (Hact.)**	**Mandays Generated**
91.58	31.42	8942	298054

14.6 Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin (PMAY-G)

The PMAY-G aims to provide a pucca house with basic amenities to all homeless households and households living in kutcha and dilapidated buildings, by 2022. The cost of unit (house) is shared between Central and State Government in the ratio of 90:10. Under this scheme, a financial assistance of ₹1.50 lakh from 2019-20 is being provided to the beneficiaries for construction of a house. The State Government has sanctioned an amount of ₹20 thousand in addition to building unit cost of ₹1.30 lakh, from 2019-20. The MoRD, GoI has allocated the target of 3,514 numbers of houses for the financial year 2021-22 under Awas plus survey. As of December, 2021 out of allocated target department has sanctioned 1,620 numbers of houses.

14.7 Mukhaya Mantri Awaas Yojana (MMAY)

The State Government had announced this scheme for all categories of Below Poverty Line. There is a planned budget provision in current year 2021-22 of ₹20.93 crore and 1,257 houses of all categories have been proposed to be constructed in the State.

14.8 Saansad Adrash Gram Yojana (SAGY)

The main objective of the SAGY is to ensure to holistic development of the identified Gram Panchayats and quality through improved basic amenities, higher

productivity, enhanced human development, better livelihood opportunities and reduced disparities, access to rights and entitlements, wider social mobilization and enriched social capital. Under Phase-II of SAGY implementation, the following Villages have been identified:

Name of Member of Parliament (MP)	Name of Village/GP Selected under SAGY	Name of Dev. Block	District	Parliamentary Constituency
Sh.Anurag Thakur	Darla	Sujanpur	Hamirpur	Hamirpur
Sh.Anurag Thakur	Tihra	Dharampur	Mandi	Hamirpur
Sh.Anurag Thakur	Tali	Sh. Naina Devi Ji	Bilaspur	Hamirpur

14.9 Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM)

Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission (SPMRM) was launched by the Prime Minister on 21st February, 2016 and follows the vision of "Development of a cluster of villages that preserve and nurture the essence of rural community life with focus on equity and inclusiveness without compromising the facilities perceived to be essentially urban in nature, thus creating a cluster of "Rurban villages".

The larger outcomes envisaged under this Mission are:

- In Himachal Pradesh, 6 Rurban Clusters have been approved by Government of India in three phases. Under the mission, every Rurban Cluster is to be developed with a total Project cost of about ₹50.00 crore where 70 per cent of funds shall be provided through convergence with other schemes of the Government and 30 per cent shall be provided as Critical Gap Funding (CGF). GoI provides an amount of ₹15.00 crore per cluster as CGF.
- Six clusters have been sanctioned by the Ministry of Rural Development, Government of India, which are given below:

District	Cluster	Gram Panchayats	Phase	CGF Expenditure	Convergence Expenditure
Kinnaur	Sangla (March 2016)	Batseri, Chansu, Chhitku, Kamru, Rakchham, Sangla, Themgrang (Boning Saring)	I	9.00	28.90
Solan	Hinner (March 2016)	Banjani, Chail, Dhangeel, Hinner, Jhajha, Nagali,Sakoli	I	6.00	32.90
Mandi	Aut (Oct. 2016)	Aut, Jhiri, Kotadhar, Nagwin, Kigash, Takoli	II	4.50	10.90

Kinnaur	Moorang (August 2017)	Moorang, Thangi, Rispa, Kunnu, Charang	II	2.20	31.90
Chamba	Sihunta (August 2017	Hatali, Balana, Gola, Thulet	III	1.30	5.60
Shimla	Ghannahatti (August 2017)	Neri, Chaily, Totu Majthai, Bycheri, Ghannahatti, Ganeog Nehra, Shakarah.	III	4.10	17.20
		Total		**27.10**	**127.40**

14.10 Matri Shakti Bima Yojana

The scheme covers all women living below the poverty line within the age group of 10-75 years. The policy provides relief to family members/insured women in case of their death or disablement arising due to any kind of accident surgical operations like sterilization, mishap at the time of child birth/delivery, drowning, washing away in floods, landslide, insect bite and the scheme also gives benefit to married women in case of accidental death of her husband. The compensation amount is as under:

- Death ₹2.00 lakh.
- Permanent total disability ₹2.00 lakh.
- Loss of one limb and one eyes or both eyes and both limbs ₹2.00 lakh.
- Loss of one limb/one ear ₹1.00 lakh.
- In case of death of husband ₹2.00 lakh.

During 2021-22, 103 numbers of families have been provided financial assistance of ₹206.00 lakh till 31st December, 2021 under the scheme.

14.11 Swachh Bharat Mission-Gramin (SBM-G)

The Government of India has launched the Swachh Bharat Mission-Gramin on 02.10.2014 and Himachal Pradesh has been declared as Open Defecation Free (ODF) State on 28-10-2016. Now the focus of SBM-G is on following activities/components:

- ODF sustainability
- ODF Plus activities (Aspiring, Rising & Model).
- Incentive to those individual households who do not have toilets for construction of Individual household Latrine (IHHL) under No one left behind.
- Solid and Liquid Waste Management (SLWM) (Grey Water, Plastic Waste & Faecal Sludge Management).

- Construction of Community Sanitary Complex (CSCs).
- Menstrual Hygiene
- GOBAR-Dhan Projects.
- IEC/capacity building.

The Government of India has circulated phase-II guidelines for the implementation of SBM-G which are applicable w.e.f. 01.04.2020 in the State and the salient features are as under:

Components		**Financial Assistance**	
Incentive for construction of Individual Household Latrine (IHHLs) for BPLs and Identified APLs		Upto ₹12,000/- (including provision for water storage facility for hand washing and cleaning to maintain hygiene)	
Solid and Liquid Waste Management activities (SLWM)	**Village level SLWM activities**	**Village Size**	**Financial support**
		Upto 5000 Population	• Solid and Liquid Waste Management: Upto ₹60 per capita • Grey Water Management upto ₹280 per capita
		Above 5000 Population	• Solid and Liquid Waste Management: Upto ₹45 per capita • Grey Water Management upto ₹660 per capita
Note:- 1) 30 per cent of this amount will be borne by the Gram Panchayats (GPs) from their 15th Finance Commission Grants **2) Each Village can utilize a minimum of ₹1.00 lakh based on their requirements for both solid waste and grey water management.**			

Components		**Financial Assistance**	
District level SLWM activities		**Village Size**	**Financial support**
		Plastic Waste Management unit (One in each Block)	Upto ₹16.00 lakh per unit
		Faecal Sludge Management (FSM)	Upto ₹230 per capita.
		GOBAR –Dhan Projects	Upto ₹50.00 lakh per district
Community Sanitary Complex (CSC)		₹3.00 lakh of this will be borne by GPs from 15th Finance Commission Grant.	

14.11.1 Achievements during the year 2021-22

- 6,600 Individual Household Latrines have been constructed.
- 178 Community Sanitary Complex (CSCs) have been constructed.
- 445 villages have been taken up Solid Waste Management activities.
- 121 villages have taken up for Liquid Waste Management activities.
- 81 sites for Plastic Waste Management Units have been identified, work on 28 sites is in progress and 7 units are running.
- The work for establishment of 14 GOBAR-Dhan Projects has been awarded to M/s Bajwa Energy Developers, Uttrakhand and work has been started on 5 sites.

14.12 Panchwati

Panchwati Yojana was started during the year 2020-21. The main objective of this yojana is to construct such parks and gardens that create places, which could be used by the elderly for recreational purpose. These parks and gardens are being developed on leveled land of minimum one bigha with convergence of MGNREGA, Swachh Bharat Mission (G) and 14th Finance Commission. Under this scheme 217 sites were identified for development of Panchwati and work has been started on 70 sites in the financial year 2021-22. So far an amount of ₹156.82 lakh has been spent.

14.13 Rural Model School:

With a view to provide the modern facilities in the Government Primary Schools in the rural areas of the State and to make them as Aadarsh Vidyalaya (Model School), the department has launched a new scheme Aadarsh Vidyalaya (Model School) during the current financial year. Under this scheme 166 Government Primary Schools have been identified.

14.14 Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS):

The Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was notified by the Government of India on September, 2005. Progress made during the year 2021-22 is summarized below:

					₹ In lakh
Central Share	State Share	Advance State Share	Expdt.	Mandays generated (In lakh)	Employment Provided (No.)
66625.83	8029.91	10000.0	85759.74	255.73	606182

14.15 Panchayati Raj

There are 12 Zila Parishads, 81 Panchayat Samities and 3,615 Gram Panchayats constituted in this State. The major achievements of the department are as below:

i. Implementation of 15th Finance Commission recommendations has started in the year 2020-21. During this financial year ₹317.00 crore has been approved by Centre to State Government out of which ₹158.50 crore has been distributed to the Panchyati Raj institutions.

ii. Under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA), Ministry of Panchayti Raj, Government of India (MoPR,GoI) has approved ₹164.43 crore for the State out of which ₹34.42 crore has been released by MOPR for the following activities/components:

- Capacity building and training of elected representatives and officials of PRIs.
- Recurring cost on additional facilities and maintenance of four District Panchayat Resource Centre (DPRCs) Kangra, Mandi, Hamirpur and Solan.
- Co-location of Common Service Centre (CSCs) with the Gram Panchayat.

iii. As per recommendation of State Finance Commission, ₹248.55 crore was provided to Panchayats for meeting committed liabilities and capital works.

iv. The Government is providing Grant-in-Aid to Panchayati Raj Institutions (PRIs) for meeting the expenditure on travelling and daily allowances of the elected representatives of PRIs.

v. Out of 412 newly created Gram Panchayats ₹20.49 crore has been provided to 183 newly constituted Gram Panchyats for construction of new Panchayat Ghar, ₹1.19 crore has been provided to 10 old Gram Panchayats for construction of its new Panchayat Community Centre and ₹3.19 crore has been provided to 37 old Gram Panchayats for repair/upgradation of their respective Panchayat Ghar.

vi. Training has been imparted to 27,000 newly elected PRIs/officials during Financial Year 2021-22.

vii. Various IT applications have been introduced by the department whereby the general public can avail various online facilities relating to pariwar register, ration cards, marriage registration etc. Access to the accounts of the panchayats is available through e-Gram Swaraj application.

Housing and Urban Development

15
Chapter

15.1 Housing

Government of Himachal Pradesh through the Housing and Urban Development Authority (HIMUDA) is providing houses, flats and plots of various categories to meet the housing demand of the people of various income groups. In the current financial year 2021-22, an expenditure of ₹33.92 crore was incurred up to December, 2021. During the current year there is a target to construct 159 flats, 11 houses and, to develop 180 plots of different categories. Construction work of 80 flats has been completed. Additionally, 61 plots have been developed. HIMUDA proposes to develop new housing colonies in Dharamshala, Sohala (Sirmaur), and a commercial complex in Shimla. An estimated 1,007 plots, 1,076 flats and 2 cottages would come up in these colonies. Planning of new housing colony in Shimla near airport is in progress. Construction work of Housing colonies at Flowerdale, Chhabrogti (basement flats), Dhrampur (Solan), Kamli Road Parwanoo, Rampur (Shimla), Dehra and Rajwari (Mandi) is in progress.

15.1.1 HIMUDA's Initiatives:

In HIMUDA 6,61,330 person days of wage employment is estimated to be generated during the year 2021-22 through construction of different works which are being executed by HIMUDA.

15.2 Urban Development

There are 61 Urban Local Bodies (ULBs) in Himachal Pradesh including Municipal Corporations at Shimla, Dharamshala, Solan, Mandi and Palampur. The Government is providing grants-in-aid every year to these local bodies to enable them to provide civic amenities to the general public. As per the recommendations of the State Finance Commission, ₹161.25 crore has been released to the ULBs so far and balance funds will be released during the current financial year. This includes development grant and gap filling grant between income and expenditure.

15.2.1 Maintenance of Roads in Municipal Areas:

About 3,288 kms of roads, paths, streets and drains are being maintained by 61 Urban Local Bodies. In the current Financial Year 2021-22 funds of ₹6.00 crore have been provided by the Government for these Roads.

15.3 Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM)

The main objective of NULM is to reduce poverty among the urban poor through the promotion of diversified and gainful self-employment and skill wage employment opportunities, resulting in an appreciable improvement in their livelihood on a sustainable basis.

This scheme has following main components:

i) Employment through skill training and placement.
ii) Social Mobilization and Institution Development.
iii) Capacity Building and Training.
iv) Self Employment Programme.
v) Shelter for Urban Homeless.
vi) Support to Urban Street Vendors.
vii) Innovative and special Projects.

15.3.1 For current Financial Year, Government of India has released the 1st installment amounting to ₹5.20 crore under this scheme Progress during 2021-22 is as follows:

- 372 Self Help Groups (SHGs) have been formed.
- 1516 beneficiaries were provided skill training under this scheme and 782 candidates have been provided placement.
- 204 individuals and 83 SHGs were provided loan assistance on subsidized interest for setting up their micro enterprises.
- Around 4,934 loan applications have been submitted to banks under PM SVANidhi Scheme out of which 3,824 applications have been sanctioned and loan to 3,634 applicants have been sanctioned and disbursed.

15.4 Central Finance Commission Grant

The 15th Finance Commission has recommended two types of grants to be released to Urban Local Bodies and Cantonment Boards. First is the Untied Grant (40 per cent) to be released unconditionally and the second is Tied Grant (60 per cent) subject to fulfillment of certain conditions as laid down in the 15th Finance Commission Report. There is a budget provision of ₹156.00 crore for 2021-22. In addition, the Government of India has also provided Health Sector Grant amounting to ₹5.53 crore under 15th Finance Commission to the Urban Local Bodies in the state during current financial year. The 2nd installment of Tied Grant amounting to ₹51.75 crore for the Financial Year 2020-21 and the 1st installment of ₹46.80 crore for the current Financial Year 2021-22 has been released to the Urban Local Bodies and Cantonment Boards during 2021-22.

15.5 Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)

Shimla and Kullu have been included under this mission. During 2021-22 there is a budget provision of ₹30.00 crore. Out of total 75 projects, 47 projects have been completed.

15.6 Smart City Mission (SCM)

Smart City Mission was launched in June, 2015. Municipal Corporation, Dharamshala was approved by Government of India under the mission. In 2017-18, Municipal Corporation, Shimla was also selected under Smart City Mission by Government of India. During the current financial there is a budget provision of ₹100 crore as under this Mission. In addition the Government of India has released Central share of amounting ₹68.00 crore. Out of 74 projects in Dharamshala Smart City Limited

(DSCL) 19 projects have been completed and 28 more have been initiated. In Shimla Smart City Limited (SSCL) out of 53 projects, 28 most do-able projects have been identified. These are further bifurcated into 163 components, out of which 34 components have been completed and for 71 components, work is in progress.

15.7 Swachh Bharat Mission (Urban)

Swachh Bharat Mission (Urban) is a flagship Programme of Government of India and is being implemented in all notified towns by Ministry of Housing Affairs, Government of India. The main aim of Swachh Bharat Mission is to make cities/towns open defecation free and provide a healthy and livable environment to all. Following actions/ progress has been made under the Mission:

- **i.** Funds have been disbursed to ULBs for construction of individual household toilets and Community/Public toilets for providing adequate toilet facilities in the towns. Till date more than 6,715 individual toilets for the households not having toilet facilities, have been constructed under the mission and 391 Community & 1,273 public toilet seats have been installed newly or renovated.
- **ii.** For Awareness, Various Information, Education and Communication (IEC) activities are being conducted regularly in the State to make general public aware through Swachhta pakhwada, hordings/ banners, nukkadnataks, print & electronic media etc. For the year 2021-22 there is a budget provision of ₹5.00 crore for implementation of this scheme.

15.8 Pradhan Mantri Awas Yojna Housing for all (Urban)

A new mission “Housing for all” (Urban) has been launched by the Government of India effective from 17.06.2015 to 31.03.2022. The aim of this scheme is to provide houses for slum dwellers under in-situ slum rehabilitation component providing affordable houses for Economically Weaker Sections (EWS), Low Income Group (LIG) and Middle Income Groups (MIG) through credit linked subsidy component, providing houses through public private partnership component. The Government is also providing funds for construction of beneficiary houses through subsidy for beneficiary-led individual house component. For the current financial year 2021-22, there is a budget provision of ₹5.20 crore for implementation of this scheme.

15.9 Construction of Parking

To solve the parking problems in the urban areas of the Pradesh ₹10.00 crore has been provided during the current financial year 2021-22 out of which ₹1.73 crore has been released to 3 Urban Local Bodies, so far for the construction of Parking Places. The funds under this scheme are released in the ratio of 50:50 (i.e. 50 per cent is provided by the Government and 50 per cent by the concerned ULBs).

15.10 Development of Parks

For construction of parks in Urban Local Bodies manner, ₹5.50 crore has been provided in the budget during the current financial year. The funds under this scheme are released in the ratio of 60:40 (i.e.), 60 per cent is provided by the Government and 40 per cent by the concerned Urban Local Body.

15.11 Atal Shresth Shahar Yojana (ASSY)

the Budget Speech for the year 2020-21 the Chief Minister Himachal Pradesh has enlarged the scope of "**Atal Shreth Shahar Yojana"** to cover top three Municipal Councils and top three Nagar Panchayats for Puruskar in which each Municipal Council and Nagar Panchayat will be ranked for prize money for 1st, 2nd & 3rd position. The prize money for Municipal Councils given is ₹1.00 crore, ₹75.00 lakh, ₹50.00 lakh respectively and for Nager Panchayats the prize money is ₹75.00 lakh, ₹50.00 lakh and ₹25.00 lakh, respectively. The best performing Urban Local Bodies are felicitated with **Atal Shreth Shahar Puruskar** by the Hon'ble Chief Minister on 25th December every year. Award

under ASSY 2020 and 2021 are being finalised. However, details of winner during 2019 are appended below:

Table 15.1: Winning ULBs for year- 2019

S.No.	Category	Prize Money	Top Scoring ULBs
1	Best Performing Municipal Council	₹ 1.00 crore	Palampur
2	Best Performing Nagar Panchayat	₹ 0.75 crore	Rajgarh
3	Best Performer in sanitation/cleanliness amongst Municipal Councils	₹ 0.05 crore	Naina Devi ji
4	Best Performer in Public Service Delivery amongst Municipal Councils	₹ 0.05 crore	Bilaspur
5	Best Performer in sanitation/cleanliness amongst Nagar Panchayat	₹ 0.05 crore	Sarkaghat
6	Best Performer in Public Service Delivery amongst Nagar Panchayats	₹ 0.05 crore	Nadaun

15.12 Mukhya Mantri Shahri Ajeevika- Guarantee Yojana (MMSAGY)

The Government of Himachal Pradesh, keeping in view the COVID-19 pandemic has notified a scheme known as Mukhya Mantri Shahri Ajeevika Guarantee Yojana (MMSAGY) on 16.05.2020 to enhance livelihood security in urban areas by providing 120 days of guaranteed wage employment to every household in the financial year. The scheme has been re-notified on 19-4-2021. All adult members of the households who register under this scheme will be eligible to work. Local residents of the ULBs residing within the jurisdiction of the ULB either in their own house or on rent are eligible. The upper age limit for providing work is 65 years. The Urban Development Department has developed online portal for MMSAGY. The beneficiary can register himself without visiting municipality office. Under this scheme 6,539 beneficiaries have been registered and 3,603 beneficiaries have been given wage employment. ₹295.85 lakh have been budgeted for the scheme.

15.13 Town and Country Planning

To ensure functional, economical, sustainable and aesthetical living environment through planned, equitable and regulated development, the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 has been enforced in 55 Planning Areas (1.60 per cent of the total geographical area of the State) and 35 Special Area (2.06 per cent of the total geographical area of the State).

Initiatives

1. For simplification of map approval process, requisite NOCs i.e from Fire Development, Jal Shakti Vibhag, Public Works Department, Forest Department, State Electricity Board, State Pollution Control Board and

Revenue Department has been changed to self declaration vide notification dated 20.08.2020.

2. Necessary amendment have been done vide notification dated 26.02.2021in the clause 28 of the General Regulations, Appendix-1 of the HPTCP Rules, 2014 regarding relaxation in set-backs, height of floors and building etc. in private constructions, by the competent authority, keeping in view the site conditions.

3. The draft proposal of Standard Operating Procedure (SOP) for delegation of powers to the Registered Private Professionals (RPP) empanelled under Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 for grant of development permission upto 500 square metres of plot area for residential use only in all notified Planning/ Special Area and Urban Local Bodies (ULB,s) across the state have been prepared.

4. The work for preparation of GIS-based Development Plans for Shimla Planning Area and Kullu Valley Planning Areas under AMRUT Sub-Scheme of GOI is under finalization. This will ensure comprehensive planning for the development of these Areas.

5. The existing land use map of additional Bilaspur planning area has been adopted and for additional Hamirpur planning area is under process.

6. In order to meet the increasing parking requirement and ensure smooth flow of traffic on all major roads of the towns, relief has been granted by the state Government vide notification dated 04.12.2020. As per the notification now building owners can utilize 50% frontage of such setback for developing uncovered parking.

7. Himachal Pradesh energy conservation building code in shape of Appendix-11 in the Himachal Pradesh Town and country Planning Rules, 2014 for commercial building is being considered in order to promote Green Building and energy conservation concept.

8. New Development Plans for 15 Planning/ Special Areas namely Waknaghat, Chail, Sujanpur, Chamunda, Chopal, Mehatpur, Jabli, Sarahan, Hatkoti Dhualakuan- Majra, Jogindernagar, Nerchowk, Bhota, Chintpurni, Bharmour are under preparation and 12 Development Plans namely Chamba, Dalhausie, Bilaspur, Una, Hamirpur, Kasauli, Palampur, Solan, Nahan, Mandi, Kullu (AMRUT) and Shimla (AMRUT) are under revision.

15.14 Real Estate Regulatory Authority (RERA)

Himachal Pradesh Real Estate Regulatory Authority started its functioning from 01-01-2020. This authority is in the process of registering Real Estate projects and Real Estate Agents besides attending complaints. This Authority has registered 19 Real Estate Projects and 27 Real Estate Agents upto December, 2021. About 50 complaints have been registered with the authority so far out of which 15 have been disposed of and hearings in the remaining 35 are under process. This Authority is dealing all the cases of registration of Real Estate Projects, Real Estate Agents and complaints through online mode.

15.15 Building Construction and Cost Index

National Building Organization has entrusted the Department of Economic and Statistics, Government of Himachal Pradesh to collect and compile the Building Construction Cost Index (BCCI) of the State. Department has been preparing and releasing the State level BCCI with base year 2011-12. These indices are collected and compiled on quarterly basis, on the basis of quarterly indices, annual indices have been worked out and are shown in following table.

Table 15.2: Building Construction Cost Index

Year	Material cost Index	Labour cost Index	Index of other Exp.	Overall Building Construction Cost Index
2019-20	120.42	123.05	120.78	121.45
2020-21	132.64	132.31	131.87	132.44
2021-22*	138.83	138.30	138.24	138.63

*Indices are average of three quarters viz. June, September and December, 2021.
Source: Economic & Statistics Department, Himachal Pradesh

As per the above table, the material cost index has increased from 120.42 to 132.64 in 2020-21 which has further increased to 138.83 in the year 2021-22, due to COVID-19 pandemic the supply chain of building material remained disrupted during 2020-21 hence resulted increase in building material prices. The labour cost index has also increased from 123.05 to 132.31 in 2020-21 and increased to 138.30 in the year 2021-22, due to the out migration of labourers in pandemic period the labour cost increased mostly in the year 2020-21, caused the increase in the labour cost indices. Similarly the component other expenditure, which includes contractual and supervisory charges etc. comes under the index of other expenditure, this has also increased due to COVID effect from 120.78 to 131.87 in 2020-21, and increased to 138.24 in the year 2021-22. Increase in all these indices have resulted an increase in overall BCCI from 121.45 to 138.63 in the year 2021-22.

Information and Technology

16
Chapter

16.1 HIMSWAN

Under National e-Governance Plan (NeGP), Department of Information and Technology, Himachal Pradesh (DIT-HP) created secure network called HIMSWAN (Himachal State Wide Area Network). HIMSWAN provides secured network connectivity to all State Government Departments upto block level and provides efficient electronic delivery of G2G (Government to Government), G2C (Government to Citizen) and G2B (Government to Business) services. HIMSWAN was set-up in February, 2008 and now 2,241Government Offices across the State are connected through this network. Considering the growing demand, the bandwidth has been upgraded with the latest Multiprotocol Label Switching (MPLS) technology. It has played a pivotal role during COVID-19 pandemic. Several Government meetings with field functionaries were held virtually using HIMSWAN.

16.2 Himachal Pradesh State Data Centre (HPSDC)

To keep the Government applications / websites running in the event of a power outage, natural disaster or any other disruption, a disaster recovery (DR) site of HP State Data Centre has been setup for Himachal Pradesh State Data Centre (HPSDC) at Delhi in October 2020. During financial year 2021-22, 17 new Applications/ Websites have been hosted in HPSDC cloud, after successful security audit closure. Overall, 187 Websites/ Applications have been hosted in HPSDC.

16.3 Himachal Online Seva Portal

During current financial year, the Department has added 31 new services in Himachal Online Seva portal for online delivery. Out of these 31 services, 28 are for the horticulture Department and 3 for the Urban Development Department. A total of 96 online services for various departments including Revenue, Women & Child Development, Panchayati Raj, Rural Development, Urban Development etc. are now being provided through this portal. Before COVID-19 period, there were around 100 transactions per day on the portal. However, during COVID-19 lockdown and thereafter owing to massive IEC campaign and improvement in service delivery quality through online platform, the transactions, on the average, have increased from 100 to 8500 per day.

16.4 E-Office

E-Office is being implemented in various departments of the State to enable paper-less offices. During this year, 77 departments and 87 branches of HP Secretariat covering 5,104 officers / officials have started e-Office and 68,792 files have been created in e-Office. The scanning of old files in HP Secretariat has been completed. All offices will gradually shift to paperless mode by using e-office.

16.5 CM Dashboard

The State Government has taken an initiative towards Good Governess by setting up the CM Dashboard. It is a configurable multilingual Dashboard platform for Chief Minister, Governor, Chief Secretary, Divisional Commissioners and DMs/DCs. This CM Dashboard facilitates presentation of real time data on Key Performance Indicators (KPIs) of selected government schemes/projects to all State, Division, and District level officers for planning, evaluation and monitoring.

16.6 Mukyha Mantri Seva Sankalp Helpline @1100 (MMSS)

Mukhya Mantri Seva Sankalp Helpline is an effort to reach out to citizen proactively and facilitating them by providing the Helpline facility through Citizen Call Centre and other appropriate modes which serves the citizens for the following purposes:

- Grievance registration.
- Capturing the suggestion and demands from citizens.
- Provide information related to Government Schemes.
- Escalation to concerned officials for timely resolution.

A total of 1,23,703 complaints have been registered in the MMSS helpline in this financial year till December 2021, out of which 88,510 (71.55 per cent) have been resolved to the satisfaction of the citizens. Status snapshot and table is appended below:

Table 16.1: MMSS helpline status

Total Department	87
Total Calls Received	3,74,180
Complaints	1,23,703
Demand/Suggestions	4,934
Information/Follow up calls	2,29,999
Calls on Officer’s Helpdesk	5,522

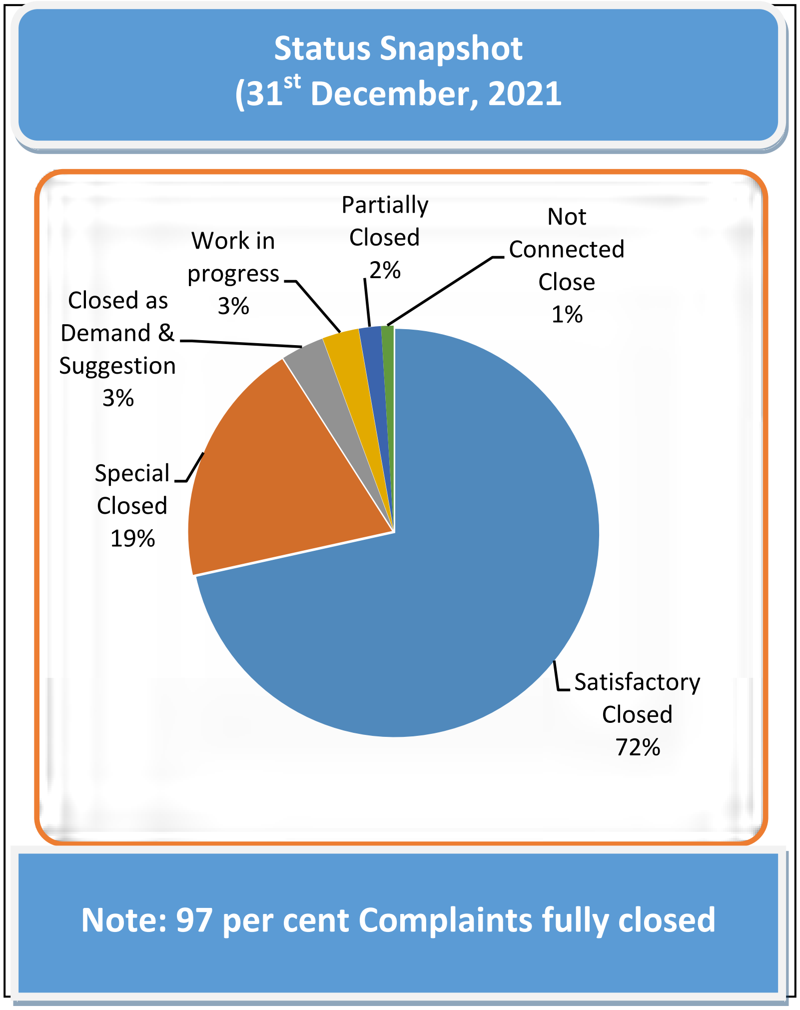

16.7 Integrated Command and Control Centre (ICCC)

High-tech state-of-the-art Command and Control Centers are proposed to be setup in Shimla and Dharamshala with the aim to ensure convergence of various citizen services at one place using Information and Communication Technology (ITC) as a tool. ICCC would be utilized to capture data pertaining to various citizen centric services in real time manner and provide useful information to the public using One City One App and to provide emergency as well as disaster management services to the citizen.

16.8 Bharat Net

Bharat Net is an initiative of Government of India to provide broadband services to the Gram Panchayats of the country. It aims to provide broadband connectivity especially in rural areas. It is the world's largest rural connectivity scheme to be

connected by the optical fiber network. Under Phase II of Bharat Net-159 remote Gram Panchayats are being connected using very-small-aperture terminal (VSAT) links. Material has been delivered in 159 locations, out of which VSAT have been installed at 156 locations.

16.9 Direct Benefit Transfer (DBT)

The IT Department has identified 140 (Centre-74; State-66) schemes with concerned departments during financial year 2021-22, out of which DBT has been implemented in 59 schemes (Centre-30; State-29). As per guidelines of Department of Expenditure, Ministry of Finance, the DBT for all the schemes is to be routed through National Automated Clearing House (NACH). Out of the 59 DBT schemes, 16 (Centre-1; State-15) have been converted to NACH platform during this financial year. Further, as per directions of MeitY, GoI, the notifications under section 7 of Aadhaar Act 2016 are to be issued for enabling Direct Benefit Transfer (DBT) for different identified schemes. During the current financial year, an amount of ₹1,186.03 crore has been transferred through DBT to 11.91 lakh beneficiaries under 47 schemes.

16.10 COVID-19 Applications

IT Department developed and implemented various IT Applications and solutions to facilitate the smooth operation of day-to-day business of administration and citizens during the COVID-19 period. The State Government at various levels is using these technology platforms provided by the Department for information gathering, monitoring and decision- making as well as office working in an efficient manner. The citizens are using them for getting contactless services online without the need to visit Government offices. Till now, following applications have been rolled out across the State by IT Department:

1. **COVID-19 Integrated Portal:** The website (http://covidportal.hp.gov.in/) is a consolidated repository for COVID-19 related information, applications and portals developed for the use of Citizens and Government Officials.

2. **COVID Government Orders:** A website (http://covidorders.hp.gov.in) has been created as a common platform for all Government Orders, Advisories and Media Bulletins to avoid any misinformation or rumours during pandemic

3. **Himachal e-Pass Verification App (Android based QR Code scanning app):** This Mobile app was developed and provided to police personnel at inter-state barriers to verify the validity of e-Passes by scanning QR codes on

e-Passes issued by DCs. It was also used to generate MIS report regarding the persons who entered the State at the barriers.

4. **COVID Capacity:** This portal (http://covidcapacity.hp.gov.in/) was developed to monitor the real time availability of critical items like Hospital Bed capacity/availability, Oxygen availability and logistics related to these activities, such as patient data and other critical items like Oxygen Concentrators, PSA Plants etc. in dedicated Covid Hospitals.

5. **Law & Order Monitoring & Reporting System:** The portal (http://covid19lo.hp.gov.in) provides facility to SPs and Police Stations to upload Law and Order related information, as desired by MHA (GoI) and consolidate the same on the above portal.

6. **Health Inventory:** This website (http://covid19inventory.hp.gov.in) was developed for use by Health Department Officials to maintain inventory Isolation/Quarantine facilities in the State and stock of critical items such as Masks, PPE Kits and Ventilators etc.

7. **Fake News Portal:** The Portal (http://fakenews.hp.gov.in) is an initiative by State Government to protect Citizens from misinformation/rumours during this sensitive time. This portal provides list of fake news identified by Fake News Monitoring Unit of State Government.

8. **Event Registration Portal (covid.hp.gov.in):** This portal is developed for citizens to seek online permission to organize any event during COVID-19.

9. **Donation:** This functionality was provided on the CM portal (https://cmhimachal.nic.in/) to donate securely in the Himachal Pradesh COVID-19 Solidarity Response Fund.

10. **MMSS helpline@1100:** The MMSS Helpline is contacting Covid-19 positive patients to seek their feedback on Government facilities and to identify the major source/cause of infection so that government may take necessary steps to control the spread of COVID-19.

16.11 Policy Initiatives Undertaken

Right of Way (RoW) Policy Based on Indian Telegraph Right of Way Rules 2016 of Government of India, Himachal Pradesh RoW Policy 2021 has been notified by the State Government on 9th February, 2021.

16.12 New Initiatives

Information and Communications Technology (ICT) has played a vital role during the pandemic, specifically in the following three areas:

- Reducing footfall in the Government Offices by providing online services to the citizens.
- Facilitating the concept of Work from home for the Government officers/ officials.
- Monitoring, controlling and tracking the pandemic.

16.13 Strengthening the digital infrastructure in the following areas of State with the help of Information &Technology:

- DIT is working to add more Government to Citizen Services through the e-District (Himachal Online Seva portal/ Lok Mitra Kendra).
- High-speed secure internet connectivity through HIMSWAN is being extended to every Government office/ location. In order to maintain flawless/ uninterrupted speed of network for e-office, the minimum bandwidth in all offices through HIMSWAN being increased to 20Mbps.
- On requirement basis, secured VPN connectivity will be provided to Government officials in order to increase productivity during work from home.
- Single Sign On (SSO) will be implemented across all major portals of State Government to allow officers/ officials to login with the single username and password on these portals.
- Facilitating the citizens for online building permissions with auto DCR are proposed to be created across all the ULBs.

Abbreviations

AAV	Atal Adarsh Vidyalya
AAVY	Atal Adarsh Vidyalya Yojana
AAY	Antyodaya Anna Yojana
ADB	Asian Development Bank
AF	Adaptation Fund
AFMC	Armed Forces Medical College
AHC	Academic Health Centre
AHTU	Anti Human Trafficking Units
AIBP	Accelerated Irrigation Benefit Program
AICTE	All India Council for Technical Education
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AIF	Agriculture Infrastructure Fund
AIIMS	All India Institute of Medical Sciences
AJC	Apple Juice Concentrate
AL	Agricultural Labourers
AMRUT	Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation
ANM	Auxiliary Nurse Midwife
APEDA	Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
APL	Above Poverty Line
APY	Atal Pension Yojana
ART	Antiretroviral Therapy
ASEEM	Atmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping
ASER	Annual Status of Education Report
ASHA	Accredited Social Health Activist
AYUSH	Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy
B.A.	Bachelor of Arts
B.Com	Bachelor of Commerce
B.Sc	Bachelor of Science
B.Voc	Bachelor of Vocation
BAMS	Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery
BCCI	Building Construction Cost Index
BDS	Bachelor of Dental Surgery
BE	Budget Estimates
BFSI	Banking, Financial Services, and Insurance
BHP	Brake Horsepower
BOT	Build-Operate-Transfer
BPL	Below Poverty Line
BSBDA	Basic Saving Bank Deposit Account
BVPCL	Beas Valley Power Corporation Limited

CA	Controlled Atmosphere
CAD	Command Area Development
CAFRI	Climate Adaptation and Finance in Rural India
CAMPA	Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
CBBO	Cluster Based Business Organizations
CBNAAT	Cartridge Based Nucleic Acid and Amplification Test
CCA	Culturable Command Area
CCEA	Cabinet Committee of Economic Affairs
CCTV	Closed Circuit Television
CCVA	Climate Change Vulnerability Assessment
CDAC	Centre for Development of Advanced Computing
CDR	Credit Deposit Ratio
CER	Corporate Environmental Responsibility
CGF	Critical Gap Funding
CI	Cast iron
CIF	Community Investment Fund
CIPET	Central Institute of Plastic Engineering and Technology
CKM	Circuit Kilometers
CLAT	Common Law Admission Test
CLC	City Livelihood Centre
CLFs	Cluster Level Federations
CM	Chief Minister
CO2	Carbon Dioxide
CoE	Center of Excellence
COVID	Corona Virus Disease
CPHEEO	Central Public Health and Environmental Engineering Organisation
CPI	Consumer Price Index
CPI-IW	Consumer Price Index- Industrial Worker
CPL	Confirmed Per Lakh
CPR	Common Property Resource
CPSU	Central Public Sector Undertakings
CSCs	Common Service Centre
CT Scan	Computerized Tomography Scan
CTR	Click-Through Rate
DARPG	Department of Administrative Reforms and Public Grievances
DAY-NRLM	Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission
DAY-NULM	Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission
DBT	Direct Benefit Transfer
DC	Divisional Commissioner

DCHC	Dedicated Covid Health Centre
DCR	Development Control Rules
DDUGJY	Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna
DDU-GKY	Deen Dyal Upadhyaya-Grameen Kaushalya Yojna
DGGI	Districts Good Governance Index
DI	Ductile Iron
DIT	Department of Information and Technology
DM	District Magistrate
DNB	Diplomate of National Board
DoHE	Department of Higher Education
DPIIT	Department for Promotion of Industry and Internal Trade
DPR	Detailed Project Report
DPRC	District Panchayat Resource Centre
DR	Disaster Recovery
DRR	Disaster Risk Reduction
DRTB	Drug Resistant Tuberculoses
DSCL	Dharamshala Smart City Limited
DST	Drug Susceptibility Testing
DTR	Dynamic Transformation Rating
DTS	Driving Training School
EBC	Economically Backward Classes
EHV	Extra High Voltage
e-NAM	Electronic-National Agriculture Market
EPC	Engineering, Procurement and Construction
EPF	Employees Provident Fund
e-PTM	Electronic-Parent Teacher Meeting
ERP	Enterprise Resource Planning
ESA	Education Satellite Account
ESI	Employee State Insurance
ETT	Embryo Transplantation Technique
EWS	Economically Weaker Sections
FAQ	Frequently Asked Question
FART	Frequency Actuated Rectal Tremor
FHTC	Functional Household Tap Connection
FLC	Financial Literacy Center
FLW	Front Line Worker
FPF	Food Processing Fund
FPO	Farmer Producer Organization
FPP	Fruit Processing Plant
FRE	First Revised Estimate
FSPF	Farm Sector Promotion Fund
G2B	Government to Business
G2C	Government to Citizen

G2G	Government to Government
GCF	Green Climate Fund
GDP	Gross Domestic Product
GEC	Green Energy Corridor
GGI	Good Governance Index
GI	Galvanised Iron
GIS	Geographic Information System
GIZ	Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GNM	General Nursing and Midwifery
GoHP	Government of Himachal Pradesh
GoI	Government of India
GP	Gram Panchayat
GPS	Global Positioning System
GSDP	Gross State Domestic Product
GSVA	Gross State Value Added
GVA	Gross Value Added
HCW	Health Care Worker
HDFC	Housing Development Finance Corporation Limited
HEP	Hydro Electric Project
HIMCARE	Himachal Health Care
HIMSWAN	Himachal Pradesh State Wide Area Network
HIMUDA	Housing and Urban Development Authority
HIPA	Himachal Pradesh Institute of Public Administration
HIV	Human Immunodeficiency Virus
HPBoSE	Himachal Pradesh Board of School Education
HPGB	Himachal Pradesh Gramin Bank
HPGDC	Himachal Pradesh Government Dental College
HPHDP	Himachal Pradesh Horticulture Development Project
HPKNCC	Himachal Pradesh Knowledge Network on Climate Change
HPKVN	Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam
HPMC	Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation Ltd
HPPCL	Himachal Pradesh Power Corporation Limited
HPPTCL	Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited
HPSCB	Himachal Pradesh State Co-operative Bank
HPSCSC	Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation
HPSDC	Himachal Pradesh State Data Centre
HPSDP	Himachal Pradesh Skill Development Project
HPSEBL	Himachal Pradesh State Electricity Board Limited
HPSRLM	Himachal Pradesh State Rural Livelihood Mission
HPTCP	Himachal Pradesh Town and Country Planning
HPTDC	Himachal Pradesh Tourism Development Corporation
HPTSA	Himachal Pradesh Tourism Satellite Account

HPU	Himachal Pradesh University
HRTC	Himachal Road Transport Corporation
HSA	Health Satellite Account
HSBQ	Haemorrhagic Septicaemia and Black Quarter
HT	High Tension
HWC	Health and Wellness Centre
HYVP	High Yielding Varieties Programme
ICCC	Integrated Command and Control Centre
ICDS	Integrated Child Development Scheme
ICICI	Industrial Credit and Investment Corporation of India
ICRPs	Internal Community Resource Persons
ICT	Information and Communication Technology
ICTC	Integrated Counseling and Testing Centre
IEC	Information Education and Communication
IGMC	Indira Gandhi Medical College
IHBT	Institute of Himalayan Bio Technology
IHHL	Individual Household Latrine
IIM	Indian Institute of Management
IIS	Indian Institute of Science
IIT	Indian Institutes of Technology
ILI	Influenza-Like Illness
IMC	Indian Major Carp
IMD	Indian Metrological Department
IMF	International Monetary Fund
IPDS	Integrated Power Development Scheme
IPP	Independent Power Producer
IPPP	Innovative Poultry Productivity Project
IRDP	Integrated Rural Development Programme
ISBIG	Incentivisation Scheme for Bridging Irrigation Gap
ISM	Indian School of Mines
IT	Information Technology
ITES	Information Technology Enabled Services
ITI	Industrial Training Institute
IUCD	Intra-Uterine Contraceptive Device
IVRS	Interactive Voice Response System
IW	Industrial Workers
JEE	Joint Entrance Examination
JFMC	Joint Forest Management Committee
JICA	Japan International Cooperation Agency
JJM	Jal Jeevan Mission
JLG	Joint Liability Groups
K.L	Kiloliter
K.M	Kilometre

KCC	Kisan Credit Card
KCCB	Kangra Central Co-operative Bank
KPI	Key Performance Indicators
KSY	Krishi Se Sampannta Yogna
KV	Kilovolt
KVIB	Khadi and Village Industries Board
KVIC	Khadi and Village Industries Commission
LEDP	Livelihood Enterprise Development Programme
LFPR	Labour Force Participation Rate
LIG	Low Income Group
LILO	Loop-In-Loop-Out
LIT	Low Input Technology
LPCD	Litre Per Capita Per Day
LPG	Liquefied Petroleum Gas
LT	Low Tension
M.T.	Metric Tonne
MBBS	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
MC	Municipal Corporation
MCC	Model Career Centre
MDGs	Millennium Development Goals
MDR	Multiple Drug Resistant
MDS	Master of Dental Surgery
MEDP	Micro Entrepreneurship Development Programme
MeitY	Ministry of Electronics and Information Technology
MGNREGA	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MHA	Ministry Home Affairs
MIDH	Mission for Integrated Development of Horticulture
MIG	Middle Income Group
MIS	Market Intervention Scheme
MLD	Minimal Liquid Discharge
MMAY	Mukhaya Mantri Awaas Yojana
MMSAGY	Mukhya Mantri Shahri Ajeevika Guarantee Yojna
MMSS	Mukyha Mantri Seva Sankalp
MMU	Maharishi Markandeshwar University
MNRE	Ministry of New and Renewable Energy
MoEF&CC	Ministry of Environment, Forest and Climate Change
MoHFW	Ministry of Health and Family Welfare
MoHUPA	Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation
MoLE	Ministry of Labour and Employment
MoPR	Ministry of Panchayati Raj
MoRD	Ministry of Rural Development
MOSPI	Ministry of Statistics and Programme Implementation
MOU	Memorandum of Understanding

MP	Member of Parliament
MPI	Multidimensional Poverty Index
MPLS	Multiprotocol Label Switching
MPP	Multi Purpose Project
MSC	Multi Service Centre
MSME	Micro, Small and Medium Enterprises
MT	Metric Tonnes
MU	Million Units
MUDRA	Micro Units Development & Refinance Agency
MVA	Mega Volt Ampere
MW	Mega Watt
NAAT	Nucleic Acid and Amplification Test
NABARD	National Bank For Agriculture And Rural Development
NABCONS	NABARD Consultancy Services
NACH	National Automated Clearing House
NAFCC	National Adaptation Fund for Climate Change
NAIP	Nationwide Artificial Insemination Scheme
NCDs	Non-Communicable Diseases
NCVT	National Council for Vocational Training
NDA	National Defence Academy
NEET	National Eligibility cum Entrance Test
NeGP	National e-Governance Plan
NFSA	National Food Security Act
NFSM	National Food Security Mission
NHPC	National Hydroelectric Power Corporation
NIE	National Implementing Entity
NIELIT	National Institute of Electronics & Information Technology
NIF	National Indicator Framework
NIFM	National Institute of Financial Management
NIFT	National Institute of Fashion Technology
NIFTEM	National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management
NIRD&PR	National Institute of Rural Development and Panchayati Raj
NIT	National Institute of Technology
NITI	National Institution for Transforming India
NITTTR	National Institute of Technical Teachers Training and Research
NLM	National Livestock Mission
NMAET	National Mission on Agricultural Extension and Technology
NMSA	National Mission on Sustainable Agriculture
NMSHE	National Mission for Sustaining Himalayan Ecosystem
NP	Nagar Panchayat
NRLM	National Rural Livelihood Mission

NSDP	Net State Domestic Product
NSO	National Statistical Office
NSOP	Non Schedule Operation
NSQF	National Skill Qualification Framework
NSS	National Sample Survey
NSSO	National Sample Survey Office
NTEP	National Tuberculosis Elimination Programme
NTFP	Non-Timber Forest Products
NTPC	National Thermal Power Corporation Limited
NULM	National Urban Livelihoods Mission
NWCMP	National Wetland Conservation & Management Program
OBC	Other Backward Classes
ODF	Open Defecation Free
OPD	Out Patient Department
OPEC	Organization of Petroleum Exporting Countries
PAC	Primary Agricultural Cooperative Society
PAI	Public Affair Index
PAIUCD	Post Abortion Intra Uterine Contraceptive Device
PCI	Per Capita Income
PDS	Public Distribution System
PET-CT	Positron Emission Tomography and Computed Tomography
PG	Post Graduate
PGIMER	Postgraduate Institute of Medical Education and Research
PGT	Passengers and Goods Tax
PHC	Primary Health Centre
PHH	Priority Households
PHL	Pawan Hans Limited
PKVY	Parampragat Krishi Vikas Yogna
PLFS	Periodic Labour Force Survey
PM SVANidhi	PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi
PMAY-G	Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin
PMEGP	Prime Minister’s Employment Generation Programme
PMFBY	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
PMJAY	Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna
PMJDY	Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
PMJJBY	Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
PMKSY	Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana
PMKSY	Pradhan Mantri Kisan Sinchayi Yojana
PMKVY	Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
PMMY	Pradhan Mantri Mudra Yojana
PMSBY	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
PNB	Punjab National Bank
POA	Prevention of Atrocities

PPIUCD	Postpartum Intra Uterine Contraceptive Device
PPR	Pestedes Petits Ruminants
PRI	Panchayati Raj Institutions
PS+SS	Principal Status + Subsidiary Status
PSA	Pressure Swing Adsorption
PSB	Public Sector Banks
PwD	Persons with Disability
QR	Quick Response
RA	Rapid Antigen
RAD	Rainfed Area Development
RBI	Reserve Bank of India
RDSS	Revamped Distribution Sector Scheme
RE	Revised Estimates
RERA	Real Estate Regulatory Authority
RF	Revolving Fund
RGM	Rashtriya Gokul Mission
RGSA	Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan
RH	Regional Hospital
RIDF	Rural Infrastructure Development Fund
RKVY	Rashtriya Krishi Vikas Yojana
RL	Rural Labourers
RLC	Rural Livelihood Centre
RMF	Recommended Methodological Framework
RMSA	Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
RNTCP	Revised National TB Control Programme
RoW	Right of Way
RPL	Recognition of Prior Learning
RPP	Registered Private Professional
RRB	Regional Rural Bank
RSETIs	Rural Self Employment Training Institutes
RTI	Reproductive Tract Infection
RTO	Regional Transport Office
RT-PCR	Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction
RUSA	Rashtriya Ucchtar Shiksha Abhiyan
RVTI	Regional Vocational Training Institute
SAGY	Saansad Adrash Gram Yojana
SANKALP	Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion
SAPCC	State Action Plans on Climate Change
SAP-ISU	System Application and Products – Industry Specific Solution for Utilities
SARI	Severe Acute Respiratory Infection
SASE	Snow and Avalanche Study Establishment

SBI	State Bank of India
SBM-G	Swachh Bharat Mission-Gramin
SC	Scheduled Caste
SCERT	State Council of Educational Research and Training
SCM	Smart City Mission
SCOD	Scheduled Commercial Operation Date
SCVT	State Council for Vocational Training
SDG	Sustainable Development Goal
SEP	Self Employment Programme
SGSY	Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana
SHA	System of Health Accounts
SHG	Self Help Group
SHM	Soil Health Management
SJSRY	Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana
SJVNL	Satluj Jal Vidyut Nigam Limited
SLBC	State Level Bankers' Committee
SLSC	State Level Sanctioning Committee
SLWM	Liquid Waste Management
SMAE	Sub Mission on Agriculture Extension
SMAM	Sub-Mission of Agriculture Mechanisation
SMP	Skimmed Milk Powder
SMSP	Sub Mission on Seed and Planting
SOP	Standard Operating Procedure
SPMRM	Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission
SPSU	State Public Sector Undertakings
SPV	Solar Photovoltaic
SRE	Second Revised Estimate
SRT	Special Road Tax
SSC	Staff Selection Commission
SSCL	Shimla Smart City Limited
SSO	Single Sign On
ST	Scheduled Tribe
STI	Sexually Transmitted Infection
STRIVE	Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement
STU	State Transmission Utility
SUIS	Stand-Up India Scheme
SUT	Supply and Use Table
TB	Tuberculosis
TCAM	Traditional Complementary and Alternative Medicine
TCCC	Tertiary Cancer Care Centre
TDF	Tribal Development Fund
TDGVA	Tourism Direct Gross Value Added
TEC	Techno Economic Clearance

TEQIP	Technical Education Quality Improvement Programme
TIR	Tourism Industry Ratios
TPDS	Targeted Public Distribution System
TPR	Test Positivity Ratio
TSA	Tourism Satellite Account
TSP	Training Service Providers
UCO	United Commercial Bank
UDAN	Ude Desh ka Aam Naagrik
UHF	University of Horticulture & Forestry
ULB	Urban Local Body
UN	United Nations
UNFCCC	United Nation's Framework Convention on Climate Change
UNWTO	United Nations World Tourism Organization
UPHC	Urban Primary Health Centre
UPSC	Public Service Commission
UR	Unemployment Rate
UT	Union Territory
VFDS	Village Forest Development Societies
VOs	Village Organizations
VPN	Virtual Private Network
VSAT	Very Small Aperture Terminal
WDC-PMKSY	Watershed Development Component - Prime Minister Krishi Sinchayee Yojna
WHO	World Health Organization
WIF	Warehouse Infrastructure Fund
Wi-Fi	Wireless Fidelity
WPI	Wholesale Price Index
WPMF	Wool Procurement and Marketing Federation
WPR	Work Participation Rate
YoY	Year–on-Year

Glossary

Basic Price	Basic price is the amount receivable by the producer from the purchaser for a unit of a good or service produced as output minus any tax payable, and plus any subsidy receivable, on that unit as a consequence of its production or sale. It excludes any transport charges invoiced separately by the producer.
Casual labour	A person who was casually engaged in others' farm or non-farm enterprises (both household and non-household) and, in return, received wages according to the terms of the daily or periodic work contract, is considered as a casual labour.
Consumer Price Index (CPI)	Consumer Price Index (CPI) is designed to measure the changes overtime in the level of retail prices of a fixed set of goods and services (consumption basket) consumed by an average family of a defined population group at a particular place.
Constant prices	Constant prices adjust for the effects of inflation. Using constant prices enables us to measure the actual change in output (and not just an increase due to the effects of inflation. Constant price are in real value i.e. corrected for changes in prices in relation to a base line.
CDS	The Current Daily activity Status for a person is determined on the basis of his/her activity status on each day of the reference week using a priority-cum-major time criterion.
CWS	The Current Weekly activity Status of a person is the activity status obtained for a person during a reference period of 7 days preceding the date of survey. It is decided on the basis of a certain priority cum major time criterion. According to the priority criterion, the status of 'working' gets priority over the status of 'not working but seeking or available for work', which in turn gets priority over the status of 'neither working nor available for work'.
Current Prices	Current Prices measures GDP/ inflation/asset prices using the actual prices we notice in the economy. Current prices make no adjustment for inflation. Current prices are those indicated at a given point of time.
Density of Population	Density of population is defined as the number of persons per square kilometre. The geographical unit is ward, town, district, State, country and world.
Fiscal Deficit	Fiscal deficit is the difference between the government's expenditures and its revenues (excluding the money it has borrowed). A country's fiscal deficit is usually communicated as a percentage of its Gross Domestic Product (GDP).
Gross State Income (GSI)	Gross State Income is GSDP less net taxes on production and imports, less compensation of employees less property income payable to the rest of the world plus the corresponding items receivable from the rest of the world (in other words, GSDP less

	primary incomes payable to non-resident units plus primary incomes receivable from non-resident units); an alternative approach to measuring GSI at market prices is as the aggregate value of the balances of gross primary incomes for all sectors; (note that GSI is identical to GSP as previously used in national accounts generally).
Gross Value Added (GVA)	GVA is the measure of the value of all goods and services produced in an area by an individual producer, industry or sector of an economy. In national accounts, GVA is output minus intermediate consumption.
GVA at Basic prices	Gross Value Added at basic prices is defined as output valued at basic prices less intermediate consumption valued at purchasers' prices. Here the GVA is known by the price with which the output is valued. From the point of view of the producer, purchasers' prices for inputs and basic prices for outputs represent the prices actually paid and received. Their use leads to a measure of gross value added that is particularly relevant for the producer.
Infant Mortality	The infant mortality rate is an estimate of the number of infant deaths (death before the first birthday of an infant) for every 1,000 live births.
Inflation	Inflation is defined as a sustained increase in the general level of prices for goods and services. It is measured as an annual percentage increase. As inflation rises, every rupee we own buys a smaller percentage of a good or service.
Labour force	Persons who were either 'working' (or employed) or 'seeking or available for work' (or unemployed) constituted the labour force.
Labour Force Participation Rate (LFPR)	Labour Force Participation Rate is the ratio between the labour force and the overall size of their cohort (national population of the same age range).
Literacy Rate	Literacy rate is defined as the percentage of population aged 6 years and above who can both read and write with understanding a short simple statement on his/her everyday life.
MPI	The Multidimensional Poverty Index (MPI) is a measure of acute multidimensional poverty covering traditional monetary poverty measures by capturing the acute deprivations in health, education, and living standards that a person faces simultaneously.
National Family Health Survey	National Family Health Survey (NFHS) is a large-scale, multi-round survey conducted in a representative sample of households throughout India.
Old age dependency ratio	The number of persons in age group 60 years and above divided by the number of persons in age group 15-59 years.
Per capita income	Per capita income is the average income earned per person in a given area in a specified year. It is calculated by dividing the area's total income by its total population. Per capita income is national income divided by population size.

Retail Price	Retail Price of a commodity is defined as the price which the ultimate consumer pays for relatively small transactions of the commodity.
Sex Ratio	Sex ratio is defined as the number of females per 1000 males.
Usual Principal Status (UPS)	Here the activity status is determined with reference to a relatively longer period during a reference period of 365 days.
Unemployment Rate	It indicates percentage of unemployed individuals in an economy among individuals currently in the labour force. It is calculated as unemployed individuals / total labour
Usual Principal Status or Usual Status (PS)	The activity on which a person has spent relatively longer time of the preceding 365 days prior to the date of survey is considered to be the usual principal activity status of the person. The Usual Principal Activity status (UPS), written as Usual Status (PS), is determined using the majority time criterion and refers to the activity status on which he/she spent longer part of the year.
Usual Principal Subsidiary Status (UPSS) or Usual Status (SS)	This approach seeks to identify 'workers' out of those who were classified as 'unemployed' or as 'outside labour force' on the basis the majority time criterion of the UPS approach. According to this approach all individuals who are either unemployed or outside the labour force, but have worked for a minor period of not less than 30 days during the reference year are classified as subsidiary status workers
Wholesale Price Index (WPI)	Wholesale Price Index measures the changes in the prices of commodities for bulk sale at the level of early stage of transaction.
Worker Population Ratio (WPR)	WPR is defined as the percentage of employed persons in the population.

.

Part-II
Statistical Tables
2021-22

Contents

Sr.No.		Page No
1	Selected Indicators 1950-51 to 2020-21	1
2	Gross and Net State Domestic Product	2
3	Annual Growth Rate of Gross State Domestic Product/Net State Domestic Product & Per Capita Income	3
4	Gross State Domestic Product at Factor cost at current prices	4
5	Gross State Domestic Product at Factor cost at Constant prices	5
6	Annual Growth Rate of Gross Domestic Product at constant prices	6
7	Salient Features of Population in Himachal Pradesh	7
8	District-wise Area, Population, Sex Ratio and Density of Population	7
9	Sex wise Rural- Urban Population-2011 Census	8
10	Production of Principal Crops	8
11	Consumption of Fertilizers in Terms of Nutrients	9
12	District-wise Number and Area of Operational Holdings, 2010-11	9
13	Livestock and Poultry	10
14	Outturn and Value of Major & Minor Forest Produce	10
15	Area under Forests	11
16	Fair Price Shops	11
17	L.P.G. Consumer in H.P.	12
18	District –wise Petrol / Diesel Retail Outlets in H.P.	12
19	District –wise / Company-wise Detail of Gas Agencies	13
20	Co-operation	14
21	Generation and Consumption of Electricity	15
22	Area Under Fruits	16
23	Production of Fruits	16
24	Himachal Pradesh Government Employees	17
25	Tourist Arrival for the year 2020	17
26	Education	18
27	Medical and Public Health	18
28	Roads	19
29	Nationalized Road Transport	19
30	Consumer Price Index Numbers in H.P.	20
31	All-India Index Numbers of Wholesale Prices	20
32	Incidence of Crimes	21
33	Plan Outlays	22-24

TABLE – 1
SELECTED INDICATORS 1950-51 TO 2020-21

Items/Year	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ECONOMIC INDICATORS																
Gross State Domestic Product (₹ crore)																
(i) At current prices	27*	48*	223*	794**	2815**	5661***	72720****	82820	94764	103772	114239	125634	138551	148383	159162	156675
(ii) At constant prices	..	..	..	794**	1285**	5004***	72720****	77384	82847	89060	96274	103055	109406	116411	121168	114814
Per capita Income (₹)																
(i) At current prices	240	359	651	1704**	4910**	22795***	87721****	99730	114095	123299	135512	150290	165497	174804	185728	183333
(ii) At constant prices	..	..	..	1704**	2241**	21959***	87721****	92672	98816	105241	112723	122208	129303	136288	140048	133079
Output																
(a) Food grains (lakh Tons)				11.58	14.33	11.12	15.44	15.41	15.85	16.08	16.37	15.63	15.81	16.92	15.94	15.28
(b) Fruit production (lakh Tons)				1.4	3.86	4.28	3.73	5.56	8.66	7.52	9.29	6.12	5.65	4.95	8.45	6.24
(c) Electricity Generated (Million units)	0.4	..	52.8	245.1	1262	1153	1906	1815	1951	2097	1573	1596	1941	1955	2246	1961
All India WPI (Base 2011-12=100)							100.0	106.9	112.5	113.9	109.7	111.6	114.9	119.8	121.8	123.4
SOCIAL INDICATORS																
Population (In lakh) (Projected 2011-12 onwards)	11.09	28.12	34.60	42.81	51.17	60.78	69.01	69.71	70.42	72.26	73.19	74.13	74.87	75.42	76.09	76.76
Literacy rate (Percentage)																
(a) Male	7.5	27.2	42.3	53.2	75.4	85.3	89.5									
(b) Female	2.9	6.2	20.0	31.5	52.1	67.4	75.9									
Total	4.8	17.1	31.3	42.5	63.9	76.5	82.8									

* Net State Domestic Product   ** Base 1980-81   ***Base 1999-2000   ****Base 2011-12

Source: Department of Economic and Statistics, Himachal Pradesh

TABLE – 2
GROSS AND NET STATE DOMESTIC PRODUCT

Year	Gross State Domestic Product at Market Prices (₹crore)		Net State Domestic Product at Market Prices (₹crore)		Per Capita Net State Domestic Product/Per Capita income (₹)	
	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant prices
1	2	3	4	5	6	7
1950-51*	27	27	27	27	240	..
1960-61*	48	35	48	35	359	..
1966-67*	138	91	138	91	440	..
1970-71*	223	223	223	223	651	..
1980-81	794	794	723	723	1704	..
1990-91	2815	1285	2522	1151	4910	..
(Base 1993-94)						
1994-95	5825	5244	5193	4664	9451	8489
1995-96	6698	5569	5930	4921	10607	8801
1996-97	7755	5955	6803	5199	11960	9140
1997-98	8837	6335	7807	5571	13488	9625
1998-99	10696	6792	9508	5966	16144	10131
(Base1999-2k)						
1999-2000	14112	14112	12467	12467	20806	20806
2000-01	15661	15004	13853	13262	22795	21824
2001-02	17148	15786	15215	13938	24608	22543
2002-03	18905	16585	16751	14617	26627	23234
2003-04	20721	17925	18127	15596	28333	24377
((Base2004-05)						
2004-05	24077	24077	21189	21189	33348	33348
2005-06	27127	26107	23743	23009	36949	35806
2006-07	30281	28483	26247	24819	40393	38195
2007-08	33963	30917	28873	26362	43966	40143
2008-09	41483	33210	33115	27649	49909	41666
2009-10	48189	35897	39141	29149	58402	43492
2010-11	56980	39054	46216	31590	68297	46682
New series (Base2011-12)						
2011-12	72720	72720	60536	60536	87721	87721
2012-13	82820	77384	69432	64519	99730	92672
2013-14	94764	82847	80129	69398	114095	98816
2014-15	103772	89060	87345	74553	123299	105241
2015-16	114239	96274	96850	80563	135512	112723
2016-17	125634	103055	108359	88112	150290	122208
2017-18	138551	109406	119704	93525	165497	129303
2018-19	148383	116411	127257	99218	174804	136288
2019-20(SRE)	159162	121168	136083	102613	185728	140048
2020-21(FRE)	156675	114814	135189	98132	183333	133079

* Net State Domestic Product

Note: GSDP and NSDP from 1950-51 to 2010-11 are at factor cost.

Source: Department of Economic and Statistics, Himachal Pradesh

TABLE – 3
ANNUAL GROWTH RATE OF GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT/ NET STATE DOMESTIC PRODUCT & PER CAPITA INCOME
(At current & constant prices)

(Per cent)

Year	Gross State Domestic Product at Market Prices		Net State Domestic Product at Market Prices		Per Capita Net State Domestic Product/ Per Capita income	
	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant prices
1	2	3	4	5	6	7
(Base 1980-81)						
1990-91	15.6	3.9	15.5	2.5	12.3	(-)0.4
1991-92	17.8	0.4	18.0	0.6	15.9	(-)1.3
1992-93	15.3	5.6	14.7	4.6	12.2	2.5
(Base 1993-94)						
1994-95	21.7	9.6	22.2	9.7	20.8	7.9
1995-96	15.0	6.2	14.2	5.5	12.3	3.7
1996-97	15.8	6.9	14.7	5.7	12.8	3.9
1997-98	13.9	6.4	14.8	7.1	12.8	5.3
1998-99	21.0	7.2	21.8	7.1	19.7	5.2
(Base1999-2000)						
2000-01	10.9	6.3	11.1	6.4	9.6	4.9
2001-02	9.5	5.2	9.8	5.1	7.9	3.3
2002-03	10.2	5.1	10.1	4.9	8.2	3.5
2003-04	9.6	8.1	8.2	6.7	6.4	4.9
(Base2004-05)						
2005-06	12.7	8.4	12.1	8.6	10.8	7.4
2006-07	11.6	9.1	10.5	7.9	9.3	6.7
2007-08	12.2	8.5	10.0	6.2	8.8	5.1
2008-09	22.1	7.4	14.7	4.9	13.5	3.8
2009-10	16.2	8.1	18.2	5.4	17.0	4.4
2010-11	18.2	8.8	18.1	8.4	16.9	7.3
New series (Base2011-12)						
2012-13	13.9	6.4	14.7	6.6	13.7	5.6
2013-14	14.4	7.1	15.4	7.6	14.4	6.6
2014-15	9.5	7.5	9.0	7.4	8.1	6.5
2015-16	10.1	8.1	10.9	8.1	9.9	7.1
2016-17	10.0	7.0	11.9	9.4	10.9	8.4
2017-18	10.3	6.2	10.5	6.1	10.1	5.8
2018-19	7.1	6.4	6.3	6.1	5.6	5.4
2019-20(SRE)	7.3	4.1	6.9	3.4	6.2	2.8
2020-21(FRE)	-1.6	-5.2	-0.7	-4.4	-1.3	-5.0

Note: GSDP and NSDP from 1950-51 to 2010-11 are at factor cost.

Source: Department of Economic and Statistics, Himachal Pradesh

TABLE – 4

GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES
(At current prices)

(₹in crore)

Year	Agriculture forestry & logging, fishing, mining & quarrying	Manufactu-ring, construction, electricity, gas & water supply	Transp-ort commu-nication & trade	Banking & insurance, real estate & ownership of dwelling & business services	Public administ-ration & defense & other services	Gross Value Added at Basic Prices	Plus Product Taxes less Subsidies	Gross State domestic product at market prices
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1950-51*	19	2	2	2	2	--	--	27
1960-61*	30	5	3	3	7	--	--	48
1966-67*	104	24	16	6	21	--	--	171
1970-71*	131	37	18	9	28	--	--	223
Old series Base 1980-81)								
1980-81	376	156	67	79	116	--	--	794
1981-82	448	178	79	90	130	--	--	925
1982-83	437	206	85	103	156	--	--	987
1983-84	525	220	102	111	169	--	--	1127
1984-85	489	224	105	121	200	--	--	1139
1985-86	576	312	123	132	228	--	--	1371
1986-87	615	339	145	150	268	--	--	1517
1987-88	627	416	168	162	349	--	--	1722
1988-89	781	549	204	196	427	--	--	2157
1989-90	895	568	229	237	506	--	--	2435
1990-91	987	746	260	266	556	--	--	2815
1991-92	1243	841	316	301	616	--	--	3317
1992-93	1368	1014	378	371	693	--	--	3824
(Base 1993-94)								
1993-94	1567	1313	569	502	831	--	--	4782
1994-95	1802	1875	683	570	895	--	--	5825
1995-96	1979	2246	783	622	1068	--	--	6698
1996-97	2229	2690	909	696	1231	--	--	7755
1997-98	2488	2958	1116	727	1548	--	--	8837
1998-99	2930	3560	1303	858	2045	--	--	10696
(Base1999-2k)								
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	--	--	14112
2000-01	3954	5602	2056	1365	2684	--	--	15661
2001-02	4442	6095	2305	1552	2754	--	--	17148
2002-03	4657	6867	2742	1678	2961	--	--	18905
2003-04	5194	7468	2888	2042	3129	--	--	20721
(Base2004-05)						--	--	
2004-05	6197	9176	3468	1767	3469	--	--	24077
2005-06	6858	10373	4007	1918	3971	--	--	27127
2006-07	7010	12101	4235	2177	4758	--	--	30281
2007-08	7887	13507	5027	2405	5137	--	--	33963
2008-09	8316	17848	6141	2778	6400	--	--	41483
2009-10	9166	20679	7471	3268	7605	--	--	48189
2010-11	10914	24040	8347	3672	10007	--	--	56980
New series (Base2011-12)								
2011-12	11913	30405	7576	9622	9887	69403	3317	72720
2012-13	13443	33935	8660	11346	11524	78908	3912	82820
2013-14	15262	38440	10285	13002	12369	89358	5406	94764
2014-15	15265	41617	11764	14724	13961	97331	6441	103772
2015-16	17393	45652	13141	15936	15135	107257	6982	114239
2016-17)	18762	50237	14200	16897	17399	117495	8139	125634
2017-18	16473	56692	15863	18008	19563	126599	11952	138551
2018-19	18207	62381	17513	19686	21197	138984	9399	148383
2019-20(SRE)	22814	62479	18973	21366	23569	149201	9961	159162
2020-21(FRE)	19893	61004	17151	22107	26086	146241	10434	156675

* Net State Domestic Product

Note: GSDP and NSDP from 1950-51 to 2010-11 are at factor cost.

Source: Department of Economic and Statistics, Himachal Pradesh.

TABLE – 5
GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES
(At constant prices)

(₹ crore)

Year	Agriculture forestry & logging fishing, mining & quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas & water supply	Transport communi-cation & trade	Banking & insurance, real estate & owner-ship of dwelling & business services	Public administ-ration, & defence & other services	Gross Value Added at Basic Prices	Plus Product Taxes less Subsidies	Gross domestic product at market prices
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1950-51*	19	2	2	2	2	--	--	27
1960-61*	20	5	3	0	7	--	--	35
1966-67*	57	18	9	4	13	--	--	101
1970-71*	131	37	18	9	28	--	--	223
(Base 1980-81)								
1980-81	376	156	67	79	116	--	--	794
1981-82	405	164	72	84	116	--	--	841
1982-83	355	173	74	88	128	--	--	818
1983-84	396	168	81	92	124	--	--	861
1984-85	343	161	78	95	137	--	--	814
1985-86	387	207	85	100	147	--	--	926
1986-87	417	208	95	113	158	--	--	991
1987-88	360	235	98	119	188	--	--	1000
1988-89	400	288	108	116	212	--	--	1124
1989-90	488	265	112	139	234	--	--	1238
1990-91	484	316	117	141	227	--	--	1285
1991-92	465	323	124	152	226	--	--	1290
1992-93	469	362	135	162	234	--	--	1362
(Base 1993-94)								
1993-94	1567	1313	569	502	831	--	--	4782
1994-95	1590	1686	625	532	811	--	--	5244
1995-96	1622	1856	669	535	886	--	--	5568
1996-97	1646	2084	712	578	935	--	--	5955
1997-98	1673	2179	791	597	1095	--	--	6335
1998-99	1692	2324	867	631	1278	--	--	6792
(Base1999-2000)								
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	--	--	14112
2000-01	3773	5437	1920	1252	2622	--	--	15004
2001-02	4093	5694	2080	1336	2583	--	--	15786
2002-03	4184	6153	2186	1370	2692	--	--	16585
2003-04	4671	6544	2356	1582	2772			17925
(Base2004-05)								
2004-05	6197	9176	3468	1767	3469	--	--	24077
2005-06	6578	9960	3820	1958	3791	--	--	26107
2006-07	6539	11315	4078	2270	4282	--	--	28484
2007-08	7118	12371	4488	2513	4427	--	--	30917
2008-09	7059	13547	5179	2625	4800	--	--	33210
2009-10	6340	15390	5757	3040	5370	--	--	35897
2010-11	7496	15987	5999	3578	5994	--	--	39054
New series (Base2011-12)								
2011-12	11913	30405	7576	9622	9887	69403	3317	72720
2012-13	12725	32049	8040	10598	10714	74126	3258	77384
2013-14	13954	34223	9134	11203	10775	79289	3558	82847
2014-15	13525	37551	10099	12354	11573	85102	3958	89060
2015-16	14674	40724	11460	12793	12275	91926	4348	96274
2016-17	14478	44934	12075	13351	13479	98317	4738	103055
2017-18	13748	49485	12684	13688	14525	104130	5277	109407
2018-19	14183	53092	13052	14632	15049	110008	6403	116411
2019-20(SRE)	16369	53137	13972	15170	16011	114659	6509	121168
2020-21(FRE)	14411	49610	12488	14885	16825	108219	6595	114814

* Net State Domestic Product

Note: GSDP and NSDP from 1950-51 to 2010-11 are at factor cost.

Source: Department of Economic and Statistics, Himachal Pradesh

TABLE – 6

ANNUAL GROWTH RATE OF GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT

(At constant prices)

(Per cent)

Year	Agriculture forestry & logging fishing, mining & quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas & water supply	Transport communi-cation & trade	Banking & insurance, real estate & owner-ship of dwelling & business services	Public administ-ration & defence & other services	Gross state domestic product at Market prices
1	2	3	4	5	6	7
(Base 1980-81)						
1981-82	8.3	5.1	7.7	6.3	0	5.9
1982-83	12.6	5.5	2.8	4.7	10.3	(-)2.7
1983-84	11.5	2.9	9.5	4.5	3.1	5.3
1984-85	13.4	4.8	3.7	3.3	10.5	(-)5.5
1985-86	13.1	29.4	8.8	5.3	7.3	13.8
1986-87	7.5	0.5	11.8	13	7.5	7
1987-88	13.7	13	3.2	5.3	18.1	0.9
1988-89	11.1	22.6	10.2	2.5	12.8	12.4
1989-90	22	(-) 8.0	3.7	18.1	10.4	10.1
1990-91	(-)0.8	19.3	4.5	2.9	2.1	3.8
1991-92	3.9	2.2	5.1	7.8	0.4	0.4
1992-93	0.9	12.1	8.9	6.7	3.5	5.6
(Base 1993-94)						
1994-95	1.2	28.4	9.9	5.9	(-)2.5	9.6
1995-96	2	10.1	7.1	0.5	9.3	6.2
1996-97	1.5	12.3	6.5	8	5.5	6.9
1997-98	1.6	4.5	10.9	3.3	17.1	6.4
1998-99	1.2	6.6	9.6	5.7	16.6	7.2
(Base1999-2000)						
2000-01	15.6	5.3	10.5	(-) 2.6	(-)1.5	6.3
2001-02	8.5	4.7	8.3	6.7	(-)1.5	5.2
2002-03	2.2	8.1	5.1	2.5	4.2	5.1
2003-04	11.6	6.4	7.8	15.5	3	8.1
(Base2004-05)						
2005-06	6.1	8.5	10.2	10.8	9.3	8.4
2006-07	(-)0.6	13.6	6.8	15.9	12.9	9.1
2007-08	8.9	9.3	10.1	10.7	3.4	8.5
2008-09	(-)0.8	9.5	15.4	4.5	8.4	7.4
2009-10	(-)10.2	13.6	11.2	15.8	11.9	8.1
2010-11	18.2	3.9	4.2	17.7	11.6	8.8
New series (Base2011-12)						
2012-13	6.8	5.4	6.1	10.1	8.4	6.4
2013-14	9.7	6.8	13.6	5.7	0.6	7.1
2014-15	(-)3.1	9.7	10.6	10.3	7.4	7.5
2015-16	8.5	8.4	13.5	3.6	6.1	8.1
2016-17	(-)1.3	10.3	5.4	4.4	9.8	7
2017-18	(-)5.0	10.1	5	2.5	7.8	6.2
2018-19	3.2	7.3	2.9	6.9	3.6	6.4
2019-20(SRE)	15.4	0.1	7.0	3.7	6.4	4.1
2020-21(FRE)	-12.0	-6.6	-10.6	-1.9	5.1	-5.2

Source: Department of Economic and Statistics, Himachal Pradesh

TABLE-7
SALIENT FEATURES OF POPULATION IN HIMACHAL PRADESH

Year	Total population (in lakh)	Decennial growth rate	Sex ratio (females per thousand males)	Density per sq. kilometre	Literacy percentage	Urban population percentage
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1951	23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961	28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971	34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981	42.81	23.71	973	77	42.48	7.6
1991	51.71	20.79	976	93	63.86	8.7
2001	60.78	17.54	968	109	76.48	9.8
2011	68.65	12.94	972	123	82.80	10.0

Source: Census of India 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 and 2011.

TABLE-8
DISTRICT-WISE AREA, POPULATION, SEX RATIO AND DENSITY OF POPULATION 2011 CENSUS

District	Area sq. kilometres		Population		Sex ratio (females per thousand males)	Density per sq. kilometer
1.	2.		3.		4.	5.
Bilaspur	1,167	(2.10)	3,81,956	(5.56)	981	327
Chamba	6,522	(11.71)	5,19,080	(7.56)	986	80
Hamirpur	1,118	(2.01)	4,54,768	(6.63)	1095	407
Kangra	5,739	(10.31)	15,10,075	(22.00)	1012	263
Kinnaur	6,401	(11.50)	84,121	(1.23)	819	13
Kullu	5,503	(9.88)	4,37,903	(6.38)	942	80
Lahaul-Spiti	13,841	(24.86)	31,564	(0.46)	903	2
Mandi	3,950	(7.09)	9,99,777	(14.56)	1007	253
Shimla	5,131	(9.22)	8,14,010	(11.86)	915	159
Sirmaur	2,825	(5.07)	5,29,855	(7.72)	918	188
Solan	1,936	(3.48)	5,80,320	(8.45)	880	300
Una	1,540	(2.77)	5,21,173	(7.59)	976	338
H.P.	**55,673**	**(100.00)**	**68,64,602**	**(100.00)**	**972**	**123**

Source: Census of India, 2011 Census.

TABLE-9
SEX WISE RURAL-URBAN POPULATION-2011 CENSUS

District	Population								
	Rural			Urban			Total		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Bilaspur	179653	177174	**356827**	13111	12018	**25129**	192764	189192	**381956**
Chamba	241963	241009	**482972**	19357	16751	**36108**	261320	257760	**519080**
Hamirpur	200748	222590	**423338**	16322	15108	**31430**	217070	237698	**454768**
Kangra	705365	718429	**1423794**	45226	41055	**86281**	750591	759484	**1510075**
Kinnaur	46249	37872	**84121**	0	0	**0**	46249	37872	**84121**
Kullu	203269	193243	**396512**	22183	19208	**41391**	225452	212451	**437903**
L-Spiti	16588	14976	**31564**	0	0	**0**	16588	14976	**31564**
Mandi	466050	471090	**937140**	32015	30622	**62637**	498065	501712	**999777**
Shimla	314295	298364	**612659**	110744	90607	**201351**	425039	388971	**814010**
Sirmaur	246175	226515	**472690**	30114	27051	**57165**	276289	253566	**529855**
Solan	249736	228437	**478173**	59018	43129	**102147**	308754	271566	**580320**
Una	240254	236006	**476260**	23438	21475	**44913**	263692	257481	**521173**
H.P.	**3110345**	**3065705**	**6176050**	**371528**	**317024**	**688552**	**3481873**	**3382729**	**6864602**

Source: Census of India-2011

TABLE-10
PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS

(In '000 tonnes)

Crops	2019-20	2020-21 (Tentative)	2021-22 (Tentative)	2022-23 (Target)
1	2	3	4	5
FOODGRAINS (Cereals & Pulses)				
A. Cereals				
1. Rice/Paddy	143.66	145.68	135.50	143.00
2. Maize	729.73	714.67	762.00	741.00
3. Ragi	2.06	2.65	2.40	2.01
4. Small Millets	4.77	5.46	4.50	4.50
5. Wheat	627.96	569.85	672.00	617.00
6. Barley	30.83	22.69	35.50	29.00
Total Cereals	**1539.01**	**1461.00**	**1611.90**	**1536.51**
B. Pulses				
1. Gram	0.42	0.45	0.45	0.41
2. Other Pulses	54.80	66.95	63.00	57.00
Total Pulses	**55.22**	**67.40**	**63.45**	**57.41**
Total Foodgrains	**1594.24**	**1528.40**	**1675.35**	**1593.92**
C. Commercial Crops				
1. Potato	196.71	196.30	196.50	195.00
2. Vegetables	1860.67	1867.41	1850.00	1759.00
3. Ginger(Green)	33.99	33.89	34.50	34.00

Source: Directorate of Agriculture Himachal Pradesh.

TABLE-11

CONSUMPTION OF FERTILIZERS IN TERMS OF NUTRIENTS

(MT)

Year/District	Kharif (N+P+K)	Rabi (N+P+K)	Total (N.P.K.)
2015-2016	23742	33838	**57580**
2016-2017	22063	34428	**56491**
2017-2018	21156	36404	**57560**
2018-2019	21690	35865	**57555**
2019-2020	25898	35880	**61778**
2020-2021	**29269**	**35973**	**65242**
District Wise			
Bilaspur	1243	987	**2230**
Chamba	1438	489	**1927**
Hamirpur	1934	644	**2578**
Kangra	4364	6440	**10804**
Kinnaur	151	306	**457**
Kullu	2257	4162	**6419**
L/Spiti	263	148	**411**
Mandi	3838	3929	**7766**
Shimla	4238	9802	**14040**
Sirmour	2313	1495	**3808**
Solan	2880	2033	**4913**
Una	4351	5538	**9889**

Source: Directorate of Agriculture, Himachal Pradesh.

TABLE-12

DISTRICT-WISE NUMBER AND AREA OF OPERATIONAL HOLDINGS (2015-16 Census)

District	Number	Area (hectares)
1.	**2.**	**3.**
Bilaspur	59201	49073
Chamba	72221	54866
Hamirpur	75950	72943
Kangra	235735	197091
Kinnaur	10983	13684
Kullu	77163	39974
Lahaul & Spiti	4267	6710
Mandi	160500	124429
Shimla	121971	118893
Sirmaur	51815	98095
Solan	55609	85335
Una	71394	83133
Himachal Pradesh	**996809**	**944226**

Source: Directorate of Land Records, H.P.

TABLE-13
LIVESTOCK AND POULTRY

(In thousands)

Category	2003	2007	2012	2019
1.	2.	3.	4.	5.
A. Livestock:				
1. Cattle	2,196	2,269	2,149	1,828
2. Buffaloes	773	762	716	647
3. Sheep	906	901	805	791
4. Goats	1,116	1,241	1,119	1,108
5. Horses and ponies	17	13	15	9
6. Mules and donkeys	33	26	31	25
7. Pigs	3	2	5	2
8. Other livestock	2	2	4	3
Total-Livestock	5,046	5,216	4,844	4,413
B. Poultry	764	809	1,104	1,342

Source: Directorate of Animal Husbandry, Himachal Pradesh.

TABLE-14
OUTTURN AND VALUE OF MAJOR AND MINOR FOREST PRODUCE

Year	Major produce		Minor produce (Value in ₹'000)		
	Timber(Standing volume '000 cu. Meters)	Fuel* (tonnes)	Resin	Fodder and grazing	Other produce
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2010-11	245.4	143	1,03,258	881	1,17,738
2011-12	146.1	18	1,02,457	947	80,141
2012-13	207.1	33	76,278	918	1,68,374
2013-14	245.1	39	85,451	878	2,10,615
2014-15	242.9	775	83,262	1,035	2,29,280
2015-16	148.2	..	94,249	542	5,69,832
2016-17	225.1	..	84,434	382	4,37,722
2017-18	226.5	..	74,655	646	3,51,587
2018-19	187.6	50	58,809	401	4,14,361
2019-20	230.8	178	59,510	582	6,32,175
2020-21 (tentative)	**194.07**	**..**	**45938**	**463**	**4,66,280**

Source: Forest Department, Himachal Pradesh.
*Firewood extracted/collected includes charcoal also.

Note: Value of Medicinal-herbs is estimated and does not include Medicinal-herbs extracted/sold through Panchayats.

TABLE-15
AREA UNDER FORESTS

(Sq. Kilometres)

Year	Reserved forests	Protected forests	Un-classed forests	Other forests	Forest not under the control of Forest Deptt.	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2009-10	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2010-11	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2011-12	1,896	33,123	886	370	758	**37,033**
2012-13	1,896	33,123	886	370	758	**37,033**
2013-14	1,898	33,123	886	369	750	**37,033**
2014-15	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2015-16	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2016-17	**1,898**	**33,130**	**886**	**369**	**750**	**37,033**
Year	**Reserved forests**	**Protected forests**	**Other forests**		**Forest not under the control of Forest Deptt.**	**Total**
2017-18	1,883	28,887	7,160		18	**37,948**
2018-19	1,883	28,887	7,160		18	**37,948**
2019-20	1,883	28,887	7,160		18	**37,948**
2020-21	1,883	28,887	7,160		18	**37,948**

Source: Forest Department, Himachal Pradesh.

TABLE-16
FAIR PRICE SHOPS

(As on 31-12-2021)

District	Rural	Urban	Total
1.	2.	3.	0.
Bilaspur	231	9	**240**
Chamba	483	18	**501**
Hamirpur	278	18	**296**
Kangra	1000	80	**1080**
Kinnaur	66	0	**66**
Kullu	429	30	**459**
Lahaul-Spiti	65	0	**65**
Mandi	754	46	**800**
Shimla	500	76	**576**
Sirmaur	314	27	**341**
Solan	276	42	**318**
Una	277	24	**301**
Total	**4,673**	**370**	**5,043**

Source: Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh.

TABLE-17
L.P.G. CONSUMER IN HIMACHAL PRADESH

(As on 31.12.2021)

District	SBC	DBC	Total
1.	**2.**	**3.**	**0.**
Bilaspur	54666	61837	**116503**
Chamba	88644	38994	**127638**
Hamirpur	67732	88341	**156073**
Kangra	307620	244767	**552387**
Kinnaur	14366	22994	**37360**
Kullu	59971	90782	**150753**
Lahaul & Spiti	2631	6330	**8961**
Mandi	169986	171256	**341242**
Shimla	83476	178629	**262105**
Sirmaur	73367	72839	**146206**
Solan	61903	130759	**192662**
Una	68864	93782	**162646**
Himachal Pradesh	**1053226**	**1201310**	**2254536**

Source: Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh.

TABLE-18
DISTRICT- WISE PETROL/ DIESEL RETAIL OUTLETS IN HIMACHAL PRADESH

(As on 31.12.2021)

District	IOC	BPC	HPC	OTHER	Total
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
Bilaspur	18	10	13	2	**43**
Chamba	10	3	5	0	**18**
Hamirpur	18	5	12	1	**36**
Kangra	61	23	18	1	**103**
Kinnaur	4	0	2	0	**6**
Kullu	13	5	4	1	**23**
Lahaul & Spiti	2	0	0	0	**2**
Mandi	33	6	15	1	**55**
Shimla	24	5	19	0	**48**
Sirmaur	15	7	9	1	**32**
Solan	37	15	17	2	**71**
Una	37	12	19	0	**68**
Himachal Pradesh	272	91	133	9	**505**

Source: Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh.

TABLE-19

DISTRICT- WISE / COMPANY- WISE DETAIL OF GAS AGENICIES

(As on 31.12.2021)

District	IOC	BPC	HPC	IBPC	Total
1.	**2.**	**3.**	**0.**	**5.**	**6.**
Bilaspur	10	0	4	0	**14**
Chamba	7	2	1	0	**10**
Hamirpur	9	0	0	0	**9**
Kangra	23	2	10	0	**35**
Kinnaur	5	0	1	0	**6**
Kullu	7	5	2	0	**14**
Lahaul & Spiti	2	1	0	0	**3**
Mandi	18	3	2	0	**23**
Shimla	24	3	2	0	**29**
Sirmaur	13	1	2	0	**16**
Solan	11	2	5	1	**19**
Una	8	2	2	0	**12**
Himachal Pradesh	**137**	**21**	**31**	**1**	**190**

Source: Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh.

TABLE-20
CO-OPERATION

Item	2018-19	2019-20	2020-21
1.	2.	3.	4.
I.Societies(No):			
Agricultural	2132	2132	2139
Non-Agricultural	2659	2662	2670
Urban banks	5	5	5
State and Central banks	4	4	4
Other secondary societies	40	40	31
II.Membership('000)			
Agricultural societies	1262	1256	1307
Non-Agricultural Societies	287	311	326
Urban banks	27	28	28
State and Central banks	119	136	138
Other secondary societies	4	4	4
III.Working Capital (₹ lakh)			
Agricultural Societies	614600.74	672018.51	784050.37
Non-Agricultural Societies	723145.11	137365.50	245474.32
Urban banks	117651.63	132062.56	136337.33
State & Central banks	2715712.78	2921275.11	3110246.76
Other secondary societies	4214.21	5003.80	10240.90
TOTAL	4175324.47	3867725.48	4286349.68
IV.Loans Advanced (₹ lakh)			
Agricultural societies	80685.00	83000.21	75845.73
Non-Agricultural societies	38703.88	7563.53	10106.29
Urban banks	75590.24	29046.43	14770.51
Primary Land Mortgage Bank			
& State & Central Banks	771039.79	473160.77	941318.66
V.Loans outstanding(₹ lakh)			
Agricultural societies	130745.34	139751.19	175482.56
Non-Agricultural societies	35142.18	34400.60	38838.39
Urban banks	14538.12	77997.77	82042.80
Primary Land Mortgage Bank			
& State & Central Banks	1895197.86	1065673.26	1199446.57

Source: Co-operative Department, Himachal Pradesh.

Table-21
GENERATION & CONSUMPTION OF ELECTRICITY

(MU)

Sr . No.	Item	2019-20	2020-21	2021-22 (up to December,2021)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Electricity Generated**	2246.181	1961.34	1903.395
2	**Electricity purchased from BBMB & other States**	12063.327	11845.767	9458.06
3	**Energy Consumed: Within the State**	9123.991	8635.308	7422.524
(a)	**Domestic**	2193.693	2356.535	1736.710
(b)	**Non-Domestic & Non-Commercial**	159.685	124.648	89.499
(c)	**Commercial**	623.00	518.24	432.130
(d)	**Public Lighting**	10.745	10.479	7.925
(e)	**Agriculture**	56.728	72.639	69.716
(f)	**Industries**	5322.870	4769.451	4462.723
(g)	**Govt. Irrigation & Water Supply Scheme**	560.467	602.924	486.901
(h)	**Temporary Supply**	45.878	46.897	41.267
(i)	**Bulk & Misc**	150.924	133.310	95.654
4	**Outside the State**	3545.560	3431.31	2677.10
	Total Consumed/ Sold	**12669.551**	**12066.618**	**10099.624**

Source: State Electricity Board, Himachal Pradesh.

TABLE-22
AREA UNDER FRUITS

(Hectares)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other sub-tropical fruits	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2006-07	91,804	26,086	11,328	21,118	47,109	**1,97,445**
2007-08	94,726	26,341	11,181	21,373	46,881	**2,00,502**
2008-09	97,438	26,546	11,096	21,588	47,961	**2,04,629**
2009-10	99,564	26,875	11,037	22,050	48,628	**2,08,154**
2010-11	1,01,485	27,091	11,022	22,305	49,392	**2,11,295**
2011-12	1,03,644	27,472	11,039	22,396	50,023	**2,14,574**
2012-13	1,06,440	27,637	10,902	22,809	50,514	**2,18,303**
2013-14	1,07,686	27,792	10,819	23,110	51,298	**2,20,706**
2014-15	1,09,553	27,900	10,621	23,704	52,574	**2,24,352**
2015-16	1,10,679	27,908	10,491	24,063	53,658	**2,26,799**
2016-17	1,11,896	28,163	10,364	24,475	54,304	**2,29,202**
2017-18	1,12,634	28,369	10,301	24,649	54,899	**2,30,852**
2018-19	1,13,154	28,414	10,194	24,869	55,508	**2,32,139**
2019-20	1,14,144	27,956	10,070	25,051	56,079	**2,33,300**
2020-21	1,14,646	27,870	10,029	25,654	56,580	**2,34,779**

Source: - Horticulture Department, Himachal Pradesh

TABLE-23
PRODUCTION OF FRUITS

('000 tonnes)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other Sub-tropical fruits	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2009-10	280.11	37.08	2.81	28.14	34.10	**382.24**
2010-11	892.11	61.38	3.62	28.68	42.04	**1027.82**
2011-12	275.04	31.18	2.49	25.04	39.08	**372.82**
2012-13	412.40	55.03	2.81	24.32	61.16	**555.71**
2013-14	738.72	66.13	3.48	22.27	35.74	**866.34**
2014-15	625.20	43.61	2.41	22.17	58.55	**751.94**
2015-16	777.13	70.26	3.37	26.62	51.45	**928.83**
2016-17	468.13	51.50	2.99	28.05	61.21	**611.88**
2017-18	446.57	45.15	3.38	26.85	43.35	**565.30**
2018-19	368.60	37.15	3.65	29.34	56.62	**495.36**
2019-20	715.25	49.85	4.24	32.11	43.97	**845.42**
2020-21	481.6	40.65	4.69	33.29	64.80	**624.49**
2021-22 up to Dec.2021	601.95	35.18	2.00	10.07	48.76	**697.96**

Source: - Horticulture Department, Himachal Pradesh

TABLE-24

HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT EMPLOYEES

As on 31st March	Regular	Part time Employees	Work charged	Daily paid workers
1.	2.	3.	4.	5.
2004	1,46,933	12,881	29,692	32,674
2005	1,45,556	12,357	29,345	31,763
2006	1,61,803	13,312	12,332	31,337
2007	1,74,388	13,219	6,185	21,242
2008	1,82,746	13,168	5,904	14,824
2009	1,89,065	13,050	2,167	11,908
2010	1,90,560	13,088	0	11,551
2011	1,87,604	11,639	0	10,170
2012	1,87,419	11,780	0	9,979
2013	1,84,761	8,153	0	12,337
2014	1,83,600	7,750	0	11,599
2015	1,82,049	6,312	0	11,512
2016	1,78,744	5,687	0	10,950
2017	1,77,338	4,666	0	10,578
2018	1,81,376	4,048	0	7,760
2019	1,81,231	3,334	0	7,253
2020	1,81,379	3,619	0	6,256
2021	1,87,899	3,086	0	4,930

Note: The Figures of Contract, Ad-hoc and Volunteer Employees not included.
Source: Department of Economic and Statistics, Himachal Pradesh.
P: Provisional

TABLE-25

TOURIST ARRIVAL FOR THE YEAR 2021

District	Indian	Foreigner	Total
1.	2.	3.	0.
Bilaspur	253510	0	**253510**
Chamba	221819	69	**221888**
Hamirpur	60123	1	**60124**
Kangra	234251	2701	**236952**
Kinnaur	59961	109	**60070**
Kullu	1647329	252	**1647581**
Lahaul & Spiti	960532	420	**960952**
Mandi	397829	149	**397978**
Shimla	951792	825	**952617**
Sirmaur	400934	28	**400962**
Solan	382362	278	**382640**
Una	61828	0	**61828**
Himachal Pradesh	**5632270**	**4832**	**5637102**

Source: Tourism and Civil Aviation Department, Himachal Pradesh

TABLE-26
EDUCATION

No. of Educational functional Institutions	2021-22 up to Dec.2021
1.	**2.**
1. Primary	10,734
2. Middle	2,022
3. High Schools	**930**
4. Senior Secondary Schools	**1,882**
5. Degree colleges*	**139**
Total	**15,707**

Include 1 NCERT College Solan, 1 B.Ed College Dharmashala, 1 Fine Art College and 7 Sanskrit Colleges

Source: Education Department, Himachal Pradesh.

TABLE-27
MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

Item	2019-20	2020-21	2021-22 (Up to Dec. 2021)
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1.Allopathic institutions			
(i) No. of Institutions			
(a)Hospitals	98	99	101
(b)Community Health Centers	92	91	99
(c)Primary Health Centers	588	574	576
(d)ESI Dispensaries	16	16	16
TOTAL	**794**	**780**	**792**
(ii) Beds available	14,527	14,553	14,801
2. Ayurvedic institutions			
No. of Institutions			
(a) P.G. Ayurvedic College			**1**
(b) College of Pharmaceutical Science			**1**
(c) Regional Hospitals			**2**
(d) Ayurvedic Hospitals	33	33	31
(e) Nature Cure Hospital	2	1	1
(f) Ayurvedic Dispensaries/ Health Centers	1,182	1,182	1,185
(g) Research Institute in Indian System of Medicines /Herbal Gardens	1	1	4
(h) Drug Testing Laboratory			1
(i) Ayurvedic Pharmacies	3	3	3
(j) Aamchi Health Center			4
(ii) Beds available in Ayurvedic Institutions	941	941	941
3. No. of Unani Dispensaries	**3**	**3**	**3**
4. No. of Homoeopathy Dispensaries	**14**	**14**	**14**
TOTAL			**1250**

Source: Directorate of Health & Family Welfare and Ayurveda, Himachal Pradesh.

TABLE-28
ROADS

(In Kilometres)

Type of road	2020-21	2021-22 (As on 31.12.2021)
1.	2.	3.
Motorable Four lane	189	223
Motorable double lane	2,059	2,098
Motorable single lane	36,304	36,739
Jeepable	954	954
Less than Jeepable	6	6
Total	**39,512**	**40,020**

Source: Public works Department Himachal Pradesh
Note: Figures include National Highways also.

TABLE-29
NATIONALISED ROAD TRANSPORT

Year	Number of motor vehicles							No. of routes under operation	Distance Covered ('000 kilometers)
	Buses	Att-ached Buses	Electric Buses	Taxies	Electric Taxies	Others	Total		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2011-12	2,024	0	0	0	0	93	2,117	2,048	1,65,417
2012-13	2,091	0	0	0	0	54	2,145	2,077	1,66,503
2013-14	2,054	33	0	0	0	52	2,139	2,142	1,71,647
2014-15	2,447	33	0	0	0	50	2,530	2,225	1,79,396
2015-16	2,645	34	0	0	0	85	2,764	2,325	1,88,292
2016-17	3,105	53	0	0	0	77	3,235	2,573	2,11,519
2017-18	3,110	62	0	0	0	86	3,258	2,723	2,27,767
2018-19	3,078	69	40	21	50	92	3,350	2,833	2,31,155
2019-20	3,093	76	75	21	50	95	3,410	2,953	2,22,646
2020-21	3,099	51	75	21	50	92	3,391	2,350	7,63,49
2021-22 June to December	3,103	48	75	21	50	99	3,396	2,170	32,314

Source: Himachal Road Transport Corporation, Shimla.

TABLE-30

CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS IN HIMACHAL RADESH

Year/Month	For Industrial Workers Base: 2016=100	
	General Index	Food Index
1.	2.	3.
2017 *	254	284
2018 *	261	278
2019 *	274	287
2020	122	121
2021	123	120
January	120	115
February	121	116
March	121	116
April	122	117
May	122	116
June	123	118
July	124	120
August	124	121
September	125	**121**
October	127	**126**
November	128	**128**
December	**126**	**123**

Source: Labour Bureau, Government of India.
*Base year 2001=100

TABLE-31

ALL-INDIA INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES

Items	(Base 2011-12=100)		
	2018-19	2019-20	2020-21
1.	2.	3.	4.
ALL COMMODITIES	**120.0**	**121.8**	**123.4**
I. Primary articles:	**134.2**	**143.2**	**145.7**
A. Food articles:	143.7	155.7	160.7
B. Non-food articles	123.1	128.7	130.5
C. Minerals	136.5	155.9	164.9
II. Fuel, power, light & lubricants	**104.1**	**102.4**	**94.0**
III. Manufactured products	**117.9**	**118.3**	**121.5**
A. Food products	128.6	133.8	141.4
B. Beverages, tobacco& tobacco products	120.7	123.5	124.5
C. Textiles	117.9	117.8	117.6
D. Wood & wood products	133.5	133.7	134.6
E. Paper & paper products	123.3	121.1	121.7
F. Leather & leather products	121.8	118.6	117.9
G. Rubber & plastic products	109.6	108.4	111.3
H. Chemical & chemical products	119.1	117.5	118.2
I. Non-metallic mineral products	115.9	116.6	117.6
J. Basic metals, alloys & metal products	112.2	106.2	111.4
K .Machinery & machine tools including electrical machinery	111.3	113.1	114.0
L. Transport equipment & parts	111.6	117.9	126.2

Source: Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India.

TABLE-32
INCIDENCE OF CRIMES

District/Other	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Bilaspur	1232	1409	1460	1562	1349
Chamba	985	1061	1183	1300	1245
Hamirpur	858	950	938	1102	901
Kangra	3386	3649	3841	3850	3390
Kinnaur	292	317	338	416	471
Kullu	1213	1403	1639	1585	1413
Lahaul-Spiti	160	172	141	83	130
Mandi	2483	2710	2917	3308	2567
Shimla	2474	2911	2674	2704	2621
Sirmaur	1194	1363	1402	1260	1336
Solan	1021	1112	1005	1033	953
Una	1657	1613	1320	1329	1355
Railway & Traffic	11	13	13	10	14
CID	28	20	82	37	32
Baddi	805	886	961	1045	1051
PS Cyber Crime	5	5	10	06	05
Himachal Pradesh	**17804**	**19594**	**19924**	**20630**	**18833**

Source: Police Department, Himachal Pradesh.

TABLE-33

PLAN OUTLAYS

(₹ in crore)

Sl. No.	Major/Minor Head of Development	Approved Outlay (2021-22)
1	2	3
	A ECONOMIC SERVICES	
I	Agriculture and Allied Services	
	1.Agriculture	157.56
	2.Horticulture	250.85
	3.Soil & Water Conservation	137.29
	4.Animal Husbandry	25.71
	5.Dairy Development	30.01
	6.Fisheries	8.72
	7.Forestry & Wildlife	297.49
	8.Agricultural Research & Education	0.00
	9. Co-operation	1.91
	10. Horticulture Marketing	19.77
	Total-I	929.31
II	Rural Development	
	1. DRDA Administration	0.96
	2. Pradhan Mantri Awaas Yojna(Rural)	5.00
	3. Mahatma Gandhi National Employment Guarantee.	140.00
	4. NRLM	3.00
	5. DDU-GKY	7.68
	6. National R-Urban Mission	4.00
	7.PMKSY (WDC)	2.50
	8.National Bamboo Mission	0.02
	9. Others	20.70
	10. Land Reforms	20.79
	11.Community Development and Panchayats	18.12
	Total-II	222.77
III	Special Areas Programmes	2.78
	Total-III	2.78

TABLE-33 – Continued

(₹ in crore)

1	2	3
IV	Irrigation and Flood Control	
	1. Major and Medium Irrigation	15.14
	2. Minor Irrigation	192.89
	3. Command Area Development	83.13
	4. Flood Control	22.22
	Total - IV	**313.38**
V	Energy	
	1. Power	889.03
	2. Non-conventional Sources of Energy	14.54
	Total - V	**903.57**
VI	Industry and Minerals	
	1. Village and Small Industries	161.10
	2. Other Industries (other than VSI)	11.00
	3. Minerals	0.00
	Total- VI	**172.10**
VII	Transport	
	1. Civil Aviation	908.30
	2. Roads and Bridges	1336.72
	3. Road Transport	429.30
	4. Rail Transport	50.00
	5. Other than Transport services	0.00
	Total-VII	**2724.32**
VIII	Science, Technology and Environment	
	1 .Scienctific Research	16.08
	2. Ecology and Environment	2.40
	3. Information Technology	27.00
	Total- VIII	**45.48**
IX	General Economic Services	
	1. Secretariat Economic Services	20.50
	2. Excise & Taxation	8.00
	3. Tourism	66.67
	4. Civil Supplies	246.21
	5. Other General Economic Services	36.00
	6. Weights and Measures	0.07
	7. District Planning / District Councils	395.85
	Total-IX	**773.30**

TABLE-33 – Concluded

(₹ in crore)

1	2	3
X	**B. Social Services**	
	1. General Education	
	a) Elementary Education & Literacy	177.66
	b) Higher /Secondary Education	279.99
	2. Technical Education	182.88
	3. Sports & Youth Services	24.50
	4. Art & Culture	8.13
	5. Health and Family Welfare	426.55
	6. Water Supply Sanitation	611.95
	7. Housing including Police Housing	146.01
	8. Urban Development including TCP	144.10
	9. Information & Publicity	0.61
	10. Welfare of SCs, STs & OBCs	922.46
	11. Labour & Employment	111.36
	12. Women and Child Development	177.39
	13. Nutrition	7.90
	Total-X	**3221.49**
XI	**C. General Services**	
	1. Jails	12.00
	2. Public Works	34.04
	3. Other Administrative Services	50.87
	Total-XI	96.91
	Grand Total	**9405.41**

Source: Planning Department, Himachal Pradesh.

Editor's Introduction

Dr. Akshai K. Runchal, is the founder and President of Analytic & Computational Research, Inc. He is an acknowledged and well known expert in Computational Fluid Dynamics, Combustion Modeling and performance analysis related to combustion systems. He has performed computer modeling and numerical simulation of flow, heat and mass transport processes for diverse problems in engineering and environmental sciences. His experience spans a range of problems including those related to design, production, operation and environmental impact of industrial and urban projects. He is a regular reviewer for a number of technical journals.

Dr. Runchal was kind enough to guide us in editing of this Economic Survey. The Government of Himachal Pradesh wishes to thank Dr Runchal for his valuable inputs, suggestions and observations which immensely contributed to the final outcome of this manuscript.

शिखर की ओर
हिमाचल

Economic & Statistics Department
Government of Himachal Pradesh
Block No.38, SDA Complex Kasumpti Shimla
Pin Code: 171009
Ph & Fax +91-177-2626302
www.himachalservices.nic.in/economics
Email:ecostat-hp@nic.in

H.P. Govt. Press, Shimla--1970 DES/22--22-02-2022--700 COPIES